अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका /Index 01

02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 06/07

03. निर्णायक मण्डल 08

04. प्रवक्ता साथी 10

(Science / विज्ञान)

05. A Model Of Steady Human Population By Fixed Fertility Rate (Dr. Aruna Pande) 12

06. Phytoplankton Periodicity in Relation to Abiotic Factors in Kapur Tank, Near Mandu, District- Dhar (M.P.) (Dr. Darasingh Waskel) 17

07. Waterborne Diseases Associated With Microbial Agents (Dr. Laxmi Baghel) 20

08. Observation On Nematodes In Gollus- Gallus Domesticus At Satna (M.P.)(Dr. Seema Bhola) 23

09. A Comparative Study On The Mineral Compposition Of The Poultry Cestode "Raillietina Tetragona" & Cerain Tissues Of Its Host(Dr. Seema Bhola) 25

10. Allergic Diseases Due To Pollution At Satna (Dr. Rashmi Singh) 27

11. Amazing Tree *Sterculia Foetida* Found In Dhar And Ujjain (M.P.) India (Nirbhay Singh Solanki, S.C. Mehta) 28

12. Agastya: A Multiferous Plant (Dr. Renu Rajesh) 31

13. Calotrapis (Asclepiadaceae) Plant Used By The Tribal And Local Peoples In The Administered Of Skin Disease "Leucoderma" District Shahdol Central India (Dr. Radheshyam Napit) 34

14. A Study Of Thermophysical And Cohesive Properties of $KCl_{1-x}I_x$ Mixed Alkali Halide (A.K. Dixit, S. D. Chaturvedi, R. C. Dixit) 36

(Home Science / गृह विज्ञान)

15. Social Maturity Of Adolescent Girls Of Normal And Broken Families In Rural And Urban Area (Dr. Abha Tiwari, Krishna Choudhary) 39

16. प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं का अपनी पोशाक के रखरखाव का अध्ययन (डॉ. आभा तिवारी, वीणा श्रीवास्तव) 41

17. सतना शहर के उपभोक्ताओं की खरीददारी में ध्यान देने योग्य तथ्यों का अध्ययन (डॉ. शुचिता तिवारी, ज्योति सिंह) 44

18. कार्यकारी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव का अध्ययन सतना जिले के सन्दर्भ में (डॉ. शुचिता तिवारी, शारदा अहिरवार) 47

19. घर और कार्य स्थल में संतुलन साधती कामकाजी महिलायें (डॉ. सीमा कदम) 50

20. सतना जिले में उद्यमीय अवसर – महिलाओं के विशेष संदर्भ में (राजनिधि सिंह, व्ही. पी. सिंह) 52

21. महिलाओं में एनीमिया के स्तर का मापन (डॉ. सीमा कदम) 55

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

22. Trends And Patterns Of FDI In Different Sector : Paradigm Study (Antima Shekhawat Bhatia) 58
23. Emerging Issues Of Indian Tourism Industry (Dr. R. K. Gautam, Swati Chouhan) 62
24. Balancing Work-Life And Family Challenges In India 66
(Dr. Arun Kumar Gautam, Vandana Singh)
25. Evolution of Industrial Economies and a Short Assessment of Indian Industrial Sector 69
Development - Using Anecdotal and Statistical Evidence (Dr. Tapesh Chandra Gupta, Dr. Navin Singh)
26. Financial Market – Its Mechanism & Roles in Industry (Dr. Deepak Nema, Dr. A. K. Gautam) 72
27. Professional Motivation in News Paper (Special Reference to Chhattisgarh State) 75
(Dr. Tapesh Chandra Gupta)
28. Collective Bargaining (Praneeta Ojha) 78
29. ग्वालियर–चंबल संभाग के पर्यटन उद्योग का वाणिज्यिक विश्लेषण (डॉ. प्रवीण ओझा) 80
30. भारत में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएँ (डॉ. पल्लवी मिश्रा, डॉ. विवेक पटेल) 83
31. भारत सरकार की व्यापार नीति (आयात एवं निर्यात) में परिवर्तन – आवश्यकता, कठिनाईंया व सुझाव (डॉ. आर. के. नेमा) 87
32. भारतीय पर्यटन के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रभावशीलता (डॉ. अर्जुन सिंह बघेल) 89
33. धार जिले की औद्योगिक स्थिति, निवेश एवं प्राप्त रोजगार का अध्ययन (डॉ. प्रीति शाह) 92
34. निमाड़ अंचल में औद्योगिक विकास की संभावनायें (प्रो. प्रताप राव कदम) 94
35. भारत में औद्योगिक रूग्णता एक चुनौती (डॉ. गणेश प्रसाद दावरे) 97
36. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की सहकारी समितियों की अंशपूंजी का विवेचनात्मक विश्लेषण 99
(डॉ. एस. एस. जामोद)
37. छत्तीसगढ़ राज्य के लघु उद्योगों में पूँजी विनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता की स्थिति 101
(डॉ. एच. एस. भाटिया, सत्यदेव त्रिपाठी)
38. पर्यावरण संरक्षण एवं आवश्यकता (डॉ. रायकू जमरा) 103
39. मानव संसाधन प्रबंधन–उद्यमीय आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता परिवेश (डॉ. एस. एस. जामोद) 105
40. पर्यटन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान (डॉ. रायकू जमरा) 107

(Economics / अर्थशास्त्र)

41. Globalization And Its Impact On India Agriculture 109
(Dr. Pavan Kumar Srivastava, Nisar Ahmad Wani, Ajaz Ahmad Dass)
42. Overview Of India's Foreign Direct Investment Policy Measures 112
(Dr. Rajeev Sharma, Dr. R.P. Saharia)
43. ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या के पलायन के कारण – एक अध्ययन (डॉ. आर.एस. मण्डलोई) 116
44. पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन – ग्रामीण विकास के विशेष संदर्भ में (डॉ. निशा मिश्रा) 119

45. पर्यावरण तथा विकास (सीमा नागर) 122

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

46. Criminalization of Politics in India (Dr. Sulekha Mishra, Firdose Ahmad Wani) 124
47. Terrorism And Its Impact On Kashmir Tourism (Parvaiz Ahmad Qureshi) 127
48. Principle Of Political Realism (Dr. P. C. Ghritlahre, Dr. R. K. Tandan) 130
49. Constitutionalization Of Panchayti Raj In India (Ishfaq Ahmad Wani) 133
50. India's policy Towards Afghanistan post 9/11 (Dr. Ranjana Mishra, Irshad Ahmad Mir) 136
51. Women Empowerment In The State Of Jammu And Kashmir 139
(Dr. Poornima Sharma, Arsheed Aziz Khanday)
52. मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण (डॉ. रामस्वरूप मेहरा, डॉ. श्रीकांत दुबे) 142
53. प्राचीन भारतीय दण्ड व्यवस्था की उपयोगिता वर्तमान संन्दर्भ में (डॉ. जे. के. संत) 144
54. मानवाधिकार का उल्लंघन और पुलिस अभिरक्षा (डॉ. धीरेन्द्र सिंह, शिल्पा राजपूत) 146
55. लोकतंत्र एवं मानव अधिकार (प्रो. हरीसिंह कुशवाह, प्रो. भावना कुशवाह) 148
56. प्रजातंत्र में महिलाओं की भूमिका (अनामिका श्रीवास्तव) 150
57. बैगा जनजाति एवं उनकी स्थितियाँ (ज्योति विश्वास, डॉ. वाई.बी. कसवे) 152

(Sociology / समाजशास्त्र)

58. Commercial Banks and SHG's Linkages (Dr. Anil Kumar) 154
59. Addiction Of Drugs, Alcohol And Smoking In youth - Curse On Innocence And Society 156
(Dr. R.C. Pantel)
60. मध्यप्रदेश की कल्याणकारी योजनाऐं – एक अध्ययन (डॉ. अन्ना तिर्की) 158
61. मानव अधिकार एवं भारतीय महिलाऐं (डॉ. बसंत नाग) 162
62. कामकाजी महिलाओं में भूमिका–संघर्ष : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (राकेश शिंदे) 165
63. सामाजिक व्यवस्था एवं बिगड़ता लिंगानुपात (कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में) (डॉ. मंजू गायकवाड़) 167

(Psychology / मनोविज्ञान)

64. Reduction In Depression And Enhancement Of Immediate Memory Span (Visual) 168
Of Women Convicts Through Sudarshan Kriya Yoga (Smita Jain)
65. Thinking And Reasoning Process (Jyotsna Jharia) 171

(History / इतिहास)

66. ग्वालियर क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण (डॉ. शुक्ला ओझा) 173

67. प्राचीन भारत में ज्योतिष विज्ञान (डॉ. नितिन सहारिया, डॉ. उमाशंकर पटले) 177
68. प्राचीन भारत में मानव कल्याण – सम्राट अशोक के विशेष संदर्भ में (डॉ. मंगला ठाकुर) 180
69. विवेकानंद के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता (डॉ. धीरा शाह) 182
70. पुराणों में वैष्णव मत के विविध पक्ष (डॉ. लज्जा शुक्ला) 184
71. दक्षिण कोसल में खानपान एवं रीति–रिवाज (डॉ. अनूप परसाई) 186
72. बघेलखण्ड का आर्थिक इतिहास – एक अध्ययन (डॉ. शालिनी शुक्ला) 188
73. दक्षिण कोसल के पर्व एवं त्यौहार (डॉ. अनूप परसाई) 190

(Philosophy / दर्शनशास्त्र)

74. एक युगांतरकारी विचारक – महावीर (डॉ. आशा चौधरी) 192
75. मानवेन्द्रनाथ रॉय के मत में ईश्वर (डॉ. आशा चौधरी) 194

(Geography / भूगोल)

76. मध्यप्रदेश के वनों का संरक्षण एवं संवर्धन (विनीता तिवारी, डॉ. वीरेश पाण्डेय) 196

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

77. समकालीन हिन्दी कहानी का नया रचनात्मक मौड़ स्वरूप एवं संभावनाएँ (डॉ. शाजिया खान) 198
78. प्रेमचन्दोत्तर युग और कहानी की पृष्ठ भूमि (डॉ. विमला मिंज) 201
79. कबीरदास के विचारों का आज के भारतीय समाज पर प्रभाव (डॉ. निशा द्विवेदी) 204
80. अज्ञेयजी के काव्य में व्यक्ति तथा समाज (डॉ. आईशा खान) 207
81. युग दृष्टा भक्त कवि संत रविदास (डॉ. उमा त्रिपाठी) 210
82. बहुज्ञ कवि लालदास के अवधविलास काव्य में संगीत – संदर्भ (डॉ. वीरेन्द्र कुमार दीक्षित) 213
83. लोकगीत परंपराओं में ग्रामीण यथार्थ (डॉ. एस.एस. राठौर) 215
84. नारी शक्ति – एक अनुशीलन (डॉ. गुलाब सोलंकी, प्रो. वीणा बरड़े) 217
85. बांग्लादेश का सच (डॉ. रमेश टण्डन) 219
86. अज्ञेय का शेखर और फ्रायडीय अहंभावना एक बाल–मनोविश्लेषण (डॉ. आयशा खान) 221
87. संत नामदेव (डॉ. प्रेमलता तिवारी) 223

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

88. Henry David Thoreau's 'Walden' and 'The Bhagavad - Gita' 225
(Prof. Sushma Bhuvanendran)

89. Representation Of The Australian Aboriginal Culture (Prof. Keshav Singh Sisodiya) 228
90. The Art Of Conversation (Dr. Manisha Sharma) 230

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

91. A Comparision Of Positive Mental Health Between National Level Male And Female Basketball Players Of Chhattisgarh State (Sudhir Rajpal, Dilip Singh, B. John) 232

(Naveen Shodh Sansar / नवीन शोध संसार)

92. Copyright Agreement Form 234
93. Membership Cum Author's Bio-Data Form 235
94. शोध पत्र तैयार की विधि / Method of Preparing of Research Paper 236

****

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) डॉ. मनीषा ठाकुर ..... फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
(02) श्री अशोककुमार ..... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(03) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी ..... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल
(04) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(05) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव ..... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(06) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. ..... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(07) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. ..... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे ..... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. संजय भयानी. ..... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(10) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम ..... अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(11) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ..... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(12) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा ..... अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(13) प्रो. डॉ. संजय खरे ..... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय ..... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. अखिलेश जाधव ..... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(17) प्रो. डॉ. कमल जैन ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(18) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(19) प्रो.डॉ. वन्दना जैन ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(20) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी ..... सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव ..... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(23) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(24) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया ..... प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(25) प्रो. डॉ. विवेक पटेल ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(26) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम ..... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
(28) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
(29) प्रो. डॉ. आर.पी. सहारिया ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तख्तपुर जिला,बिलासपुर (छ.ग.) भारत
(30) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
(31) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे ..... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
(32) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्याय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(33) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़ ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(34) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा ..... विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
(35) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(36) प्रो.डॉ. के.एल. साहू..... प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(37) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन ..... प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
(38) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित ..... एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

****

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव ..... प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत

(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत ..... निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर (म.प्र.) भारत

(03) प्रो. डॉ. संजय जैन ..... सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल (म.प्र.) भारत

(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी ..... प्राचार्य, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.) भारत

(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय ..... प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टा महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

(06) प्रो. डॉ. अशोका श्रीवास्तव ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

(07) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

(08) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर ..... प्राचार्य, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

(09) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र ..... प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

(10) प्रो. डॉ.आर.के. भट्ट ..... प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

(11) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा ..... प्राचार्य एवं संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा (म.प्र.) भारत

(12) प्रो. डॉ. टी.एम. खान ..... प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला–धार (म.प्र.) भारत

(13) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड ..... संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

(14) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी ..... अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.) भारत

(15) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल ..... अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय महिदपुर (म.प्र.) भारत

(16) प्रो. डॉ. मंजु दुबे..... संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.) भारत

(17) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी ..... प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

(18) प्रो. डॉ. के.एल. जाट..... प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, भौतिकी विभाग शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

(19) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव ..... प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, राजनीति विभाग शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला–रतलाम (म.प्र.) भारत

(20) प्रो. डॉ. नटवर लाल गुप्ता ..... प्राचार्य, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

****

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

**** विज्ञान संकाय ****

गणित:– ..... **(1) प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता,** संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित**, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(2) प्रो.डॉ. रवि कटारे, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:– ..... **(1) प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़,** शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

वनस्पति:– ..... **(1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

(2) प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:– ..... **(1) प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा,** एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

(2) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या,** शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:– ..... **(1) डॉ. कंचन डींगरा,** शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. सुयश कुमार, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:– ..... **(1) डॉ. एच.जी. वरूधकर,** आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

**** वाणिज्य संकाय ****

वाणिज्य :– ..... **(1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन,** शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

**** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ****

प्रबंध :– ..... **(1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी**, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मानव संसाधन:– ..... **(1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी**, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

व्यवसाय प्रशासन:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

**** विधि संकाय ****

विधि:– ..... **(1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा,** प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

**** कला संकाय ****

अर्थशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका,** श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. अंजना जैन, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)

राजनीति:– ..... **(1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. अनिल जैन, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

समाजशास्त्र:– ..... **(1) प्रो. डॉ. आशुतोष व्यास,** राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.)
(2) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन, शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(4) प्रो. डॉ. उमा लवानिया, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)

हिन्दी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन,** अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) प्रो. डॉ. कला जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजी:– ..... **(1) प्रो. डॉ. प्रशांत मिश्रा,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अजय भार्गव, शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. मंजरी अग्निहोत्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

संस्कृत:– ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव,** शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहास:– ..... **(1) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन,** शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोल:– ..... **(1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अर्चना भार्गव, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

मनोविज्ञान:– ..... **(1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा,** प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकला:– ..... **(1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीत:– ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक),** सुभारती विश्व विद्यालय मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

✲✲✲ *गृह विज्ञान संकाय* ✲✲✲

आहार एवं पोषण विज्ञान:– .... **(1) प्रो.डॉ. प्रगति देसाई,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकास:– ..... **(1) प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर,** अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंध:– ... **(1) प्रो. डॉ. मंजु शर्मा,** माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

✲✲✲ *शिक्षा संकाय* ✲✲✲

शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर,** प्राचार्य, अरावली शिक्षा महाविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, बी.सी.जी. शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)

✲✲✲ *शारीरिक शिक्षा संकाय* ✲✲✲

शारीरिक शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला,** अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

✲✲✲ *ग्रन्थालय विज्ञान संकाय* ✲✲✲

ग्रन्थालय विज्ञान ..... **(1) डॉ. अनिल सिरौठिया,** शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. आर.के. गुजेटिया ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत ..... ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर ..... शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05) श्री आशीष द्विवेदी ..... शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06) प्रो. डॉ. मनोज महाजन ..... शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
(07) श्री उमेश शर्मा ..... कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला– नीमच (म.प्र.)
(08) प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10) प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित ..... जैन कला–वाणिज्य–विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार ..... शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा ..... शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक ..... शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान ..... शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16) प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान ..... शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र ..... शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन ..... शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19) प्रो. डॉ. कमला चौहान ..... शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20) प्रो. डॉ.आभा दीक्षित ..... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी ..... शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी ..... स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23) प्रो. डॉ. अनिता गगराड़े ..... शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24) प्रो. डॉ. संजय पंडित ..... शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25) प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता ..... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26) प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना ..... शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे ..... पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28) प्रो. डॉ. भारती जोशी ..... अजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट ..... शासकीस एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद ..... शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर ..... सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33) प्रो. मोहन वास्केल ..... शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला – झाबुआ (म.प्र.)
(34) प्रो. डॉ. नितिन सहारिया ..... शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी ..... शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37) प्रो. डॉ. शैल वाला गाँधी ..... महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा ..... श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39) प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव ..... शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे ..... शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42) प्रो. डॉ. हेमलता चौहान ..... शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर ..... शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48) प्रो. डॉ. हेमसिंह मण्डलोई ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला– सतना (म.प्र.)
(50) डॉ. राजेश कुमार ..... शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला–सतना (म.प्र.)
(51) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश ..... शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला–विदिशा (म.प्र.)
(54) प्रो. युवराज श्रीवास्तव ..... सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा–बिलासपुर (छ.ग.)
(55) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी ..... शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे ..... शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर–मालवा (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी ..... शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल ..... शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(61) डॉ. सुरेश कुमार विमल ..... शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(62) प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन ..... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे ..... शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. ए.के. जैन ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला– सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला– सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा ..... शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव ..... शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला ..... शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया ..... शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला–छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो.डॉ. विम्मी बहल ..... शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला – शाजापुर (म.प्र.)
(71) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल ..... शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान ..... शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला–शाजापुर (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा ..... शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला– रीवा (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा ..... शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. जया शर्मा ..... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी ..... शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. इशरत खान ..... शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर ..... शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा ..... पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. रेणु राजेश ..... शासकीय नेहरु अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(82) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे ..... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(83) प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित ..... छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(84) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा ..... एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(85) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री ..... सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(86) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला ..... शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(87) प्रो. डॉ. आर.सी. पान्टेल ..... शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला–धार (म.प्र.)
(88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई ..... शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन ..... इन्दिरा गाँधी खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ ..... राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(91) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख ..... एस.एस.जी. पारीख पी.जी. कॉलेज, जयपुर (राज.)
(92) प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिरोहा ..... पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया ..... हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला– प्रतापगढ़ (राज.)
(94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह ..... केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल ..... शोध सलाहकार, नई दिल्ली

A Model Of Steady Human Population By Fixed Fertility Rate

Dr. Aruna Pande *

Abstract - Balance is a very important feature. It works in many places. In nature many components are inbalanced condition. Disturbance in these components affects nature, balance is beauty and livingness of nature. Quantity of any component affects other component. Continuous increasing human population is disturbing natural balance of habitat system of earth and life of plants and animals. Space in earth for human beings is becoming less and less, but in priority to accommodate human population forest, water bodies and agriculture land is continuously decreasing. Earth's ecosystem is reaching in misbalanced stage. Natural resources are in threatening state. Loss of biodiversity is misbalancing ecosystem. Today human activities and population both are influencing environment adversely. Continuous deterioration of air, water and soil with natural resources reduction is the result of human activities and increasing population. For the wellbeing of human beings the control of human population is must. Many social, economic and human health problems may be sort out by human population control. If each Indian accepts fertility rate, two children pre couple then after 50 to 60 years the human population will be four times of fertile grup population i.e. sum of 21 to 40 years old male and females. If human average age is 80-90 years, this will be five times of fertile group population.

Introduction - The quality of our environment has been constantly degrading and the stocks of resources are decreasing at a very fast rate. Increasing human population and human activities are responsible for deterioration of environment and decline of natural resources. Most of the environmental problems are due to the human over-population. The effects of overpopulation, unlimited resources extraction, unsympathetic use of nature are not only responsible for local environment but pollution generated in one region can affect the physical environment, chemical environment, plant and animals of other region.

The recent rapid increase in human population over the past three centuries has raised concerns that the planet may not be able to sustain present or larger numbers of inhabitants. Many environmental problems, such as rising level of atmospheric carbon dioxide, global warming and pollution are aggravated by the population expansion (8). Other problem associated with over population include the increased demand for resources such as fresh water and food, starvation and malnutrition, consumption of natural resources faster than the rate of regeneration and a deterioration in living condition (6).

Man is the finest product yet arisen through the evolutionary process. The human mind is the greatest achievement of the evolutionary process. Man's mind enables him to control his environment. From arboreal ancestors man inherited such trait as the tendency to upright posture, freeing the hands and stereoscopic vision, without which he could hardly have become a tool-manufacturing and tool using creature.

Simpson 1964 wrote that man is another species of animal but not just another animal. He is unique in peculiar and extraordinarily significant ways "What are these significant ways?" They pertain not so much to physical characteristics as to mental capacities.

World human population - In the second century the population of world was about 190 million. Throughout history, populations have grown slowly despite high birth rates, due to the population reducing effects of war, plagues and high infant mortality. During the 750 years before the industrial revolution, the world's population increased very slowly, remaining under 250 million.

The Human population has gone through a number of periods of growth since the down of civilization Holocene period around 10,000 BCC. The beginning of civilization roughly coincides with the receding of glacial ice following the end of the last glacial period. It is estimated that between 1-5 million people, subsisting on hunting and foraging, inhabited the earth in the period before the Neolithic revolution, when human activity away from hunter gathering and towards very primitive farming.

Around 800 BCE, at the dawn of agriculture, the population of the world was approximately 5 million (17). The next several millennia saw a steady increase in the population, with very rapid growth beginning in 1000 BCE, and a peak of between 200 and 300 million people in 1 BCE. By the beginning of the 19th century, the world population had grown to a billion individuals. Thomas Malthus predicted that mankind would outgrow its available resources, since a finite amount of land was incapable of supporting an endlessly increasing population. Although some such as Mercantillists

* Prof. (Zoology) Govt. S. S. Agrawal College, Sihora, Distt. Jabalpur (M.P.) INDIA

argued that a large population was a form of wealth, which made it possible to create bigger markets and armies.
Dramatic growth beginning in 1950 (above 1.8% per year) coincided with greatly increased food production a result of the industrialization of agriculture brought about by the Green Revolution(15). The rate of human population growth peaked in 1964 at about 2.1% per year. In India the population grew from 361.1 million people in 1951 to just over 1.2 billion by 2011 (2,5,13) 235 % increase in 60 years.

Projection of population growth - The UN Population Assessment report of 2003 states that the world population will plateau by 2050 and will remain that way until 2300. Dr. Alex Berezow states that overpopulation is not a western world problem and people often site china and Indias major population contributors however he noted that with rising wealth in those countries, population growth begin to slow, as population growth is strongly linked to the economic stability of country,(1).

World Population

YEAR	BILLION
1804	1
1927	2
1959	3
1974	4
1907	5
1999	6
2011	7
2020	7.7

According to projection the world population will continue to grove until at least 2050 with population reaching a billion in 2040(7, 18) and some prediction putting the population in 2050 as high as billion, Walter Greilng projected in the 1950 that world population would reach a peak of about nine billion, in the 21st century, and then stop growing, after a readjustment of the third world and a sanitation of the tropics.

According To United Nation World Population Prospects Report

Continents	2050
Africa	1.8 Billion
Asia	5.3Billion
Europe	628Million
Latin America and Caribbean	809Million
North America	392Million

Effect of overpopulation

1. Inadequate fresh water
2. Depletion of natural resources
3. Increased level of pollution
4. Deforestation and loss of ecosystem
5. Global Warming
6. Deforestation and desertification
7. Species extinction
8. High infant and child mortality
9. Increased chance of the emergence of new epidemic and pandemics
10. Starvation and malnutrition
11. Poverty
12. Low life expectancy
13. Unhygienic living conditions
14. Elevated crime

Overpopulation is an issue that threatens the state of the environment in many ways therefore the human population must be controlled. There are several mitigation measures that have been or can be applied to reduce the adverse impacts of population. Overpopulation is related to the issue of birth control. Some nations, like the people's republic of china, use strict measures to reduce birth rates. Some countries have begun to implement, social marketing strategies in order to educate the public on overpopulation effects. Certain government policies are making it easier and more socially acceptable to use contraception and abortion methods.

Worldwide, the population control movement was active throughout the 1960 and 1970, driving many reproductive health and family planning programs. In the 1980s, tension grew between population control advocate, and women's health activities who advanced women's reproductive rights as a part of a human rights based approach,(9,11). Growing opposition to the narrow population control focus led to a significant change in population control policies in the early 1990s(12). Most countries have no direct policy of limiting their birth rates, but the rates have still fallen due to educating people about family planning and contraception.

Malthus advocated for the education of the lower class about the use of 'Moral resistant" or voluntary abstinence, which he believed would slow the growth, (16)

Paul R. Ehrlich, a US biologist and environmentalist published the Population Bomb in 1968 advocating stringent population control policies. He says that –

"A cancer is an uncontrolled multiplication of cells. The population explosion is an uncontrolled multiplication of people. Treating only the symptoms of cancer may make the victim more comfortable at first, but eventually he dies. A similar fate awaits a world with a population explosion if only the symptoms are treated."(10)

Impose the population control planning by governments are according to population problems in their countries. The tax on childlessness was imposed in the Soviet Union starting in 1941.Religious and ideological opposition to birth control also has been cited as a factor contributing to overpopulation and poverty.

Human population in India- In ancient and middle India there was small states .The kings of states wants more princes to fight with neighbor states. About 300BC Kautilya considered population as a source of political, economical and military strength. Farming and other physical work was the main source of income. So people want more children. Each child provided two hands to work and one mouth to eat.

With the commencement of Britishers the technical revolution came in India. New education system was launched by Britishers. After independence many changes occurred in India. Technological development, family

structure, government jobs played major role to change human mentality. This started family size reduction but the family and relation with family members was most important part of duty. To make good and healthy relationship between family members and other relatives, our ancestors put their importance in different ceremonies of life. Son and daughter both were important, so give more than one birth was a general acceptance. In Indian family girl and boy both ware important members. It is certainly a tool to balance the sex ratio in society.

Due to initiation of nuclear family structure and increasing role of women towards economic support of family, politics, social works and other places, the child production is decreasing. But today's fertility rate is not that, which can control the problem of overpopulation.

Birth control in India - Indira Gandhi late prime minister of India implemented a forced sterilization program in the 1970s. Officially, men with two children or more had to submit to sterilization, but many unmarried young men, political opponents and ignorant men were also believed to have been sterilized. This program is still remembered and criticized, and is blamed for creating a public aversion to family planning, which hampered governed program for decades.

Religion and birth control - Religious adherents vary widely in their views on birth control. Many religions have originated in the country and few religion of foreign origin has also flourished here. Religious profile of the populace is an important socio-cultural and demographic feature noticeable from the first censes in 1872 till now. Various religious groups have different opinion about birth control. (14)

Hindu's view - There is no ban on birth control in Hinduism. (3)Contraceptive views vary widely among Hindu scholars.Although Gandhi advocated abstinence as a form of birth control.Radhakrishanan and Tagore encouraged the artificial contraceptive methods.

Christianity-Among Christian denominations today there are a large variety of oppositions towards contraception. The Roman Catholic Church has disallowed artificial contraception. Contraception was also disallowed by non catholic Christians until 1930 when the Angllen Communion changed its policy. Soon after, most protestant groups came to accept the use of modern contraceptives. (4)

Islam -The Qur'an does not make any explicit statements about the morality of contraception, but contains statement encouraging procreation. October 2011 in Kerala Muslims opposed to government proposal to impose birth control on families. (OnIslam& News agencies, Sunday 2 October 2011)

Effect of fertility rate on growth of population -According to Malthus, population grows in geometrical progression like - 2-4-8-16-32-64……. and food supply grows in arithmetic progression like—1-2-3-4-5-6…….It was because of high fertility rate. Two or three generations were reproduces simultaneously. The fertility rate of different religious groups varies in India.

Census information for 2001 (See in last page)

It is also obvious, that the birth rate is affected by literacy also. Birth rate is inversely proportional to literacy.

Religion And Proportion Of Population In 1961 And 1971

Religion	%Population in 1961 %	Population in 1971
All	100	100
Hindus	83.4	82.7
Muslims	10.7	11.2
Christians	2.4	2.6
Sikhs	1.8	1.9
Buddhists	0.7	0.7
Jains	0.5	0.5
Others	0.3	0.4

In Muslims**,** Scheduled caste and scheduled tribes the fertility rate was 3.4, 2.89 and 3.16 respectively as in censes 2001. According to express news service Hyderabad 4th May 2013 the rise in S.C. and S.T. population of state noticed as per 2011 censes.

Rise in S.C. and S.T. Population

S.C. population in 2001—16.19%
S.C. population in 2011—16.41%
S.T. population in 2001—6.59%
S.T. population in 2001—7.00%

In Maharashtra the percentage of S.C. and S.T. population increased. The growth percentage of S.C. and S.C. is more than total population.

Group	Growth rate from 2001 to 2011
All (Maharashtra)	15.99
Scheduled Caste	34.3
Scheduled Tribe	22.5

According to economic and political weekly research paper 'Hindu Muslim fertility differentials' it is true that a Hindu Muslim differential in fertility persists in Indian demographic reality, but it is no more than one child. Fertility level among Muslims declines with increasing level of education and standards of living.

According to estimates published in an EPW research paper on 'District level fertility estimates for Hindu and Muslims in 2005' ,crude birth rate for Muslims are a much higher at 30.8 as compared with the Hindu number of 24.9 and the all India average of 25.9.

Proposed model of steady human population - If each couple give birth to only two children during their fertile period then there is possibility that population will be stable. In Indian population 31% population is of 0 to14 yearsage group,65% of 15to 65 years and near about 6% are above 65 years. If any time the number of 21 to40 years old generation is 100(50couple), 41 to 60 years old near about 70 and above 60 years 30 then 50 couple will produce 100 children as the peoples follows the rule of two children per couple. In next 20 years these 100 children will reach the fertile period. They will be give birth to 100 children. In this period 30 old aged people will die. Again the birth of 100 children and death of 70 will be. After this birth rate and mortality rate will be equal i. e. 2:2 and population will be steady.

Population growth when fertility rate is fixed

Two children per couple (See in last page)

In India, at present scenario fertility rate varies with religions and literacy. In 86% population fertility rate is two children per woman and in 14% population it is three children per woman (couple). In this condition the ratio of birth and death will be 3:2. The population will be increase as the following manner.

Population growth when fertility rate varies with religion and literacy (See in last page)

Conclusion - This is very clear that the fixed fertility rate i. e. two children per pair will regularize the human population. Population control is must if we want healthy life and peaceful life. Population control is the solution for many environmental, economic and social problems. It is in our hand, that what type of life we like, good or bad, smooth or difficult.

References : -

1. Alex B. Berezow (20 July 2011), "The world is not overpopulated" Real clear science, Retrieved 29 December 2011.
2. Arthur E. Dewey, Assistant secretary for population Refugees and migration Testimony before the house international relations Committee Washington, December 14 2004
3. BBC – "Hindu beliefs about contraception."
4. Campbell Flann (Nov. 1960) "Birth control and the Christian churches". Population studies Population Investigation committee. 14(2): 131-147.
5. "Census population". Census of India, Ministry of India Retrieved 18 December 2008.
6. Fred Pearce (2009-04-13) Consumption Dwarts population main environmental threat Yale University Retrieved 2012-11-12.
7. "International Data Base – World Population" Census Gov. Retrieved 2011-11-30.
8. Joint statement by fifty eight of the world's scientific academies, Inter academies net.
9. Knudsen Lara (2006) Reproductive Rights in a Global Context. Vanderbilt University Press P2 ISBN
10. Knudsen Lara (2006) Reproductive Rights in a Global Context. Vanderbilt University Press P3
11. Knudsen Lara (2006) Reproductive Rights in a Global Context. Vanderbilt University Press P 3-4
12. Knudsen Lara (2006) Reproductive Rights in a Global Context. Vanderbilt University Press P 4-5
13. "Provisional Population Total – Census 2011". Office of the Registrar General and census Commissioner. 2011, Retrieved 29 March 2011.
14. Srikanthan, A., Reid, R L (2008 Feb.) Religious and cultural influences on contraception". Journal of obstetrics and gynecology 3092): 129-37.
15. "The limits of a green revolution"? BBC News 29 March 2007.
16. Thomas Robert Malthus, 1766-1834. Retrieved June 20, 2009, from the History of Economic Thought.
17. "What was the population of the world in the past"? World on meters.
18. " World population clock". Word on meters info. Retrieved 2011, 11-30.

Census information for 2001

Religion	Population	Percentage of population	Fertility Rate	Literacy in percent
All Religion	1,028,610328	100	2.6	71.7
Hindu	827,578,868	80.5	2	75.5
Muslim	138,188,240	13.4	3.4	60
Christian	24,080,016	2.3	2.1	80.3
Sikh	19,215,730	1.9	2.1	70.4
Buddhists	7,955,207	0.8	2.1	73
Jains	4,225053	0.4	1.4	95
Others	6,367,288	0.6	2.99	47
S.C.			2.89	
S.T.			3.11	

Population growth when fertility rate is fixed Two children per couple

TimeAge	0 - 20 years	21 - 40 years	41 - 60 years	61 -80 years	81 -100 years	101 -120 years
21 -40 years old 100 person	100 (0- 20) **100(21- 40)F**	100 (0 -20) **100(21-40)F** 100(41-60)	100 (0 -20) **100(21-40) F** 100(41-60) *100(61-80)die*	100 (0 -20) **100(21-40)F** 100(41-60) *100(61-80)die*	100 (0 -20) **100(21-40)F** 100(41-60) *100(61-80)die*	100 (0 -20) **100(21-40)F** 100(41-60) *100(61-80)die*
41 -60 years old 70 person	41 -60 years old 70 person	*61 -80 years old 70 person die*				
61 -80 years old 30 person	*61 -80 years old 30 person die*					
Total	**300**	**370**	**400**	**400**	**400**	**400**

Population growth when fertility rate varies with religion and literacy.
Two children per couple in 86% population And Three children per couple in 14% population

TimeAge	0 - 20 years	21 - 40 years	41 - 60 years	61 - 80 years	81 - 100 years	101 - 120 years
21 -40 years old 100 person	21 (0- 20) 86 (0- 20) **100(21-40)F**	32 (0 -20) 86 (0 -20) **107(21-40)F** 100(41-60)	47 (0 -20) 86 (0 -20) **118(21-40) F** 107(41-60) *100(61-80)die*	70 (0 -20) 86 (0 -20) **133(21-40)F** 118(41-60) *107(61-80)die*	105 (0 -20) 86 (0 -20) **156(21-40)F** 133 (41 -60) 118(61-80)*die*	57 (0 -20) 186 (0 -20) **191(21-40)F** 156 (41 -60) 133(61-80)*die*
41 -60 years old 70 person	41 -60 years old 70 person	*61 -80 years old 70 person die*				
61 -80 years old 30 person	*61 -80 years old 30 person die*					
Total	**307**	**395**	**458**	**514**	**598**	**723**

Differential Population Growth

F.R.86%2/Couple& 14% 3/ Couple	307	395	458	514	598	723
F.R.-2/Couple	300	370	400	400	400	400

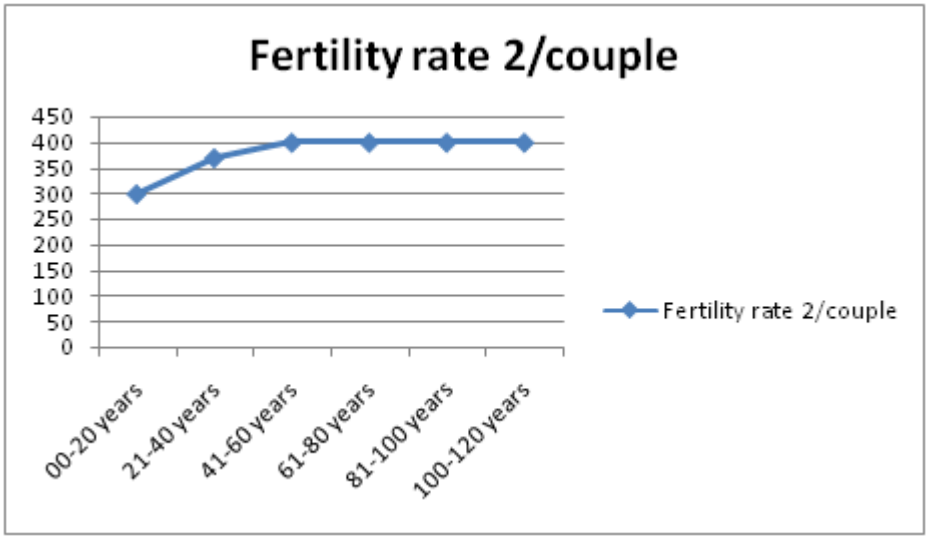

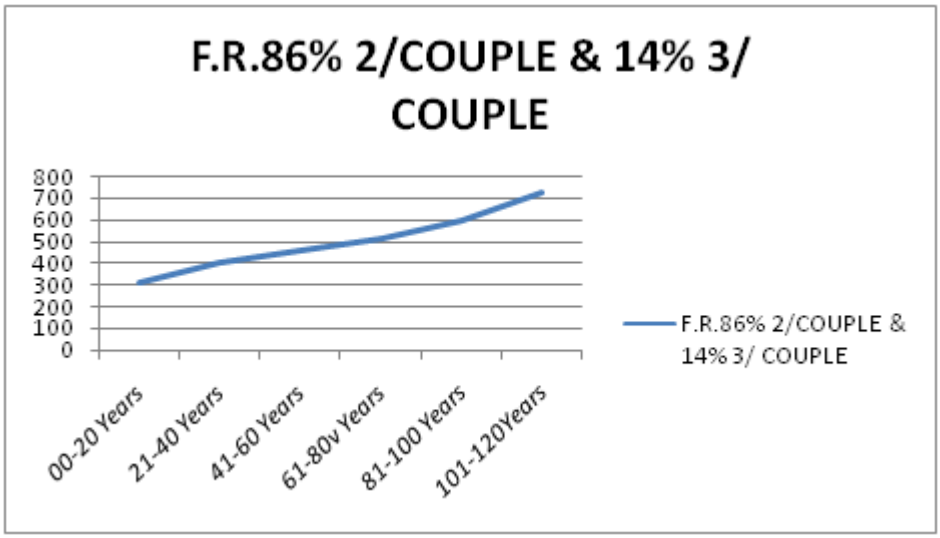

****

Phytoplankton Periodicity in Relation to Abiotic Factors in Kapur Tank, Near Mandu, District- Dhar (M.P.)

Dr. Darasingh Waskel *

Abstract - In this investigation water samples were collected kapur Tank Mandu district Dhar (M.P.). The phytoplankton diversity was studied in relation to some physico-chemical parameter. A total no. of 24 species of phytoplankton were identified belonging to four groups chlorophyceae, Euglenophyceae, bacillariophyceae and euglenophyceae. Chlorophyceae groups includes 11 species spirogyra sp., zygema sp., volvox sp., chlorella sp., scenedosmus sp., pediastrum sp., ulothrix sp., osdogonium sp., cosmarium sp., closterium sp., chara sp.. Group cyanophyceae includes are oscillatoria sp. anabaena sp. Nostoc sp. Merismopedia sp. Microcystis sp. spirulina sp. Group bacillariophyceae includes are melosira sp. Fragilaria sp. Navicula sp. Pinnularia sp. amphora sp. And group euglenophyceae includes are Euglena sp. Trachelomonas sp. These groups are represented in order of dorninance as chlorophyceae > cyanophyceae > baccilariophyceae > engleuophyceae.

Keywords - Phytoplankton, Productivity, Abiotic factors, environment.

Introduction - Plankton refers to microscopic aquatic plants or animals having little or no resistance to water current and living free floating and suspended in open or "pelagic water". planktonic plants are called as phytoplaktons. They play a significant role in aquatic system as consumers. Phytoplanktons form the main producers of an aquatic ecosystem which control the biological productivity. They not only provide an estimation of standing crop but represent more comprehensive biological index of the environmental conditions.

Water is essential for the existence of life on this planet. Today good quality water has become a precious commodity. It possesses a number of physico-chemical properties that help the water to act as the best medium for the life activity. Most of the biochemical reactions that occur in metabolism and growth of living cells, involve water.

The aquatic plants and animal bring about changes in the chemical composition of water. Phytoplankton, which includes blue-green algae, green algae, diatoms etc. are important among aquatic flora. They are ecological significant as they form the basic link in the food chain of all aquatic animals (mishra at al. 2001).

Materials and methods - The present study was carried out in the kapur tank, Mandu (dhar). The physico-chemical parameters are described in table-1. Water sample was done between seasonally (rainy, winter and summer seasons) for two years 2012-2013.

Physico-chemical parameters were analyzed by following the standards methods of APHA (1992). The samples were taken in Glass bottles. The plankton samples were collected following Welch (1953) and Lind (1979) by filtering 40 liter of water through small plankton net made up to bolting silk no.25(64 µ mesh size). The plankton was identified with help of keys by smith (1950).

Study Area - Kapur Tank is situated about 35 km. away from Dhar town. This Tank situated near Mandu or the city of joy (22'21N and 75'26E). Mandu is a ruined city in the Dhar district in the region of western m.p.(India). This fortress town on rocky outcrops about 100 km. from indore in celebrated for its fine architecture celebrates in stone the life and love of the poet-prince baz-bahadur for his consort, Rani-Rupmati.

Results and discussion - The physico- chemical parameters of kapur Tank have been given in table-1. the phytoplankton communities of the present water body were represented mainly four groups viz., chlorophyceae, cyanophyceae, bacillariophyceae and euglenophyceae (table 2 and 3). In all species of phyloplankton were identified out of which 11 to chlorophyceae, 6 to cyanophyceae, 5 to bacillariophyceae and 2 euglenophyceae respectively. The phytoplankton diversity was studied in year 2012-2013 (4268 no/lit) table-3.

Chlorophyceae - It was the most significant group having a contribution of 20.62% to the total phytoplankton population the peak of the group was recorded in the summer season and minimum in the rainy season during the year of investigation.

Cyanophyceae - The Cyanophyceae (Blue green algae) is an important part of phytoplankton in Kapur Tank. Cyanophyceae comprised second dominate group of phytoplankton with contribution of 9.64%. the maximum diversity observed during summer season while the maximum

* Department of Zoology, Maharaja Bhoj Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

in rainy season.

Bacillariophyceac - It accounted for a contribution of 8.38% The maximum diversity of bacillarinphyceac was observed during the summer season while the maximum in winter season.

Euglenophyceac - This group is represented by two species Euglena and Trachelomanas with contribution of 2.31%. the maximum diversity in summer season in the study period.

Diversity of phytoplankton is fairly depended on quality of water and climate factors. Various physico chemical and biological characteristics must be simultaneously taken in to the for understanding the fluctuations of plankuton population (DAVIS 1975). Temperature, $P^{H,}$ Alkalinity and phosphate have been emphasized to be significaut factors controlling diotribution of cyanophyceac (Singh 1965). The density of Bacillariophyce at population was found to be associate with PH. Tripathy & Pandey (1990) and Hedge & Sajutha (1997) reported that high water temperature, phosphate, Nitrate, low DO and CO_2, supported the growth of Euglenophyceac. DO content was found to be considerably high in colder months. Reid (1961), studied that solubility of oxygen in water increased by lower temperature. Water temperature was considered to be an important physical factors which influenced the chemical changes in water (VASS 1989). Diffusion of CO_2 from atmosphere at lower temperature and photosynthesis of phytoplankton peak in super saturation of oxygen in October to December similar reported by David et al (1969) . The Phosphate showed lower value but there was a definite increase in phosphate concentration in winter seasons. Same trend was found for nitrate concentration which may be attributed to inflow of rain water and partly by decomposition of macrophyteo the study of Ganzalves & Joshi (1946).

The plankton community, on which whole aquatic population depends in largely influenced by interaction of a number of physico chemical factors. Davis (1955), reported a number of physico-chemical and biological factors acting simultaneously must be taken in to consideration in understanding the fluctuation of plankton population.

The present study ensures that variation in the abundance of plankton can be best explained when environmental factors jointly influence thus, it may be concluded that the density of phytoplankton is dependent on different obitic factors either directly or indirectly.

Referances :-

1. Gonzalves, E.A. and Joshi, D.B. (1946). The seasonal succession of the algae in the Tank of Bandra. J. Bombay Nat. Hist. Soc., 46:154-176
2. Davis C.C., (1955). The Marine and fresh water plankton, Michigan state Uni. Press, East Lansing, U.S.A.
3. Reid, GK, (1961). Ecology of inland waters and estuaries. Reinhold publication corporation, New york , USA
4. Singh , M., (1965). phytoplankton periodicity in a small lake near Delhi. I. phykos , 4:61-68
5. Patrick, R. (1973) use of algae, especially diotoms in assessment of water quality. in : Biological methods of assessment of water quality. ASIM/STP, 76-95
6. Trivedy, RK and Goel, PK, (1986). chemical and biological methods for water pollution studies, Env. Publ., Karad, India
7. APHA (American public health association), (1992). standard method for examination of water and waste water, Washington , D.C.
8. Hedge, G.R. and sujatha, T. (1997). Distribution of Planktonic algae in three fresh water lentie habitates of Dharwad. Phykos, 36 (1&2) : 49-53
9. Kumar P and Sharma H.B., (2005). Physico- Chemical Characteristics of lentic water of Radha Kund, District Mathura, India, Ind. J. of Inv. Sci., 9, 21-22
10. Gao, X. and J. Song (2005) phytoplankton distribution and their relationship with the environment in changing Estuary, China, Marine pollution Bullatin, 50:327-335
11. Islam, M.S. (2008). Phytoplankton Diversity Index with Reference to Mucalinda sarovar, Bodh Gaya. In Sengupta M and Dalwani, R. (Editors), Proceeding of Taal (2007), The 12th World Lake Conference : 462:463.
12. Chandra R. Nishadh K.A. and Azeez, P.A. (2009). Monitoring water quality of coimbatore wetlands, Tamilnadu, India. Env. Monit, assess., 64,1007-1066.
13. Ramdevi P., Subramaniam G., Pitchaiammal V. and Ramnathan R., (2009). The study of water quality and Ponnamaranathy in Padukottai Diot. Tamilnadu, India, Nature Env. and Pollu. Tech., 8(1), 91-94
14. Gopal Krishna H.M., (2011). asseosment of physico-chemical status of ground water sample inacot city, Res. J. of chemi. Sc., 1(4), 117-124
15. Basavaraja Simpi, SM Hiremath, KNS Murthy, KS Chandrash appa, Anil N Patel, E T puttiah. (2011). Analysis of water quality using Phisico- chemical parameters Hosahalo Tank in S. Himoga dist. Karnataka, India 11(3),
16. Sharma S., Solanki, C.M. Sharma, D and Tail, I. (2013). Population dynamics of plankton in river Narmada at Omkareshwar. I.J.A.R., 1(1): 11-15.

(See Tables in Next Page)

Table – 1 Physico-chemical parameters of Kapur Tank (Mandu)

Parameters	Year 2012			Year 2013		
	Season			Season		
	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer
Color	Dusky	Dark green	Light green	Dusky	Dark green	Light green
P^H	8.1	8.26	8.90	8.0	8.36	8.96
Water temperature	21^0C	19^0C	28^0C	20^0C	19.5^0C	27.5^0C
Free CO_2	0.5	0.82	2.2	0.55	0.78	2.0
DO	4.30	7.5	6.2	4.58	7.3	6.8
Total hardness	166	172	178	156	166	177
Alkalinity	290	308	320	298	315	318
Phosphate	3.1	2.80	3.5	3.0	2.89	3.2
Nitrate	2.0	1.65	1.43	1.88	1.53	1.37
COD 85.3	92.1	89.8	84.8	94.2	89.9	

The Value are in mg/l except P^H, Water Temperature (^0C), Colour,

Table – 2 Diversity of phytoplankton in Kapur Tank (Mandu) Years 2012-2013

S. No.	Group Chlorophyceac	Group Cyanophyceac	Group Bacillariophyceac	Group Euglenophyceac
1	Spirogyra sp.	Oscillatoria sp.	Melosiras sp.	Euglena sp.
2	Zygnema sp.	Anabaena sp.	Fragilaria sp.	Trachelomonas sp.
3	Volvox sp.	Nostoc sp.	Navicula sp.	
4	Chlorella sp.	Merismopedia sp.	Pinnularia sp.	
5	Scenedesmus sp.	Microcystis sp.	Amphara sp.	
6	Pediastrum sp.	Spirulina sp.		
7	Ulothrix sp.			
8	Oedogonium sp.			
9	Cosmarium sp.			
10	Closterium sp.			
11	Chara sp.			

Table – 3 Seasonal variation of phytoplankton's density of Kapur Tank (Mandu) (no./l.)

Group	Year 2012			Year 2013		
	Season			Season		
	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer
Chlorophyceac	392	671	933	405	688	978
Cyanophyceac	275	309	389	265	318	402
Bacillariophyceac	308	343	230	302	363	248
Euglenophyceac	92	60	37	102	63	49

****

Waterborne Diseases Associated With Microbial Agents

Dr. Laxmi Baghel *

Abstract - Waterborne diseases are caused by pathogenic micro-organisms that most commonly are transmitted in contaminated fresh water. Infection commonly results during bathing, washing, drinking, in the preparation of food, or the consumption of food thus infected. Water-borne diseases are the most important concern about the quality of water. The pathogens involved include a wide variety of viruses, bacteria and protozoan parasites. This paper review attempts to describe present knowledge about waterborne diseases their epidemiology and the microbial agents commonly associated.
Key words - Waterborne, diseases, quality of water, fresh water, micro-organisms.

Introduction - Water is essential for life. The amount of fresh water on earth is limited and its quality is under constant pressure. We need water for drinking, cooking, washing, industry, energy, transport, rituals, running machines, farming, gardening and fun for life. And it is not only we human beings who need it, but all life dependent on water for surviving.

Contamination of water can result in poor drinking water quality, loss of water supply, high clean -up costs, high costs for alternative water supplies or potential health problems. A wide variety of materials have been identified as contaminants found in water. These include synthetic organic chemical, hydrocarbons, inorganic ions, pathogens and radio nuclides (Fetter, 1999). The importance of water quality in human health has recently attracted a great deal of interest of developing countries like India as around 80% of all diseases are directly related to poor drinking water quality and unhygienic condition (Olajire and Imeokparia 2001, Prasad, 1984).

Water pollution is the contamination of water bodies such as lakes, rivers, oceans and ground water. It occurs when pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies without adequate treatment to remove harmful constituents. Water pollution is a major problem in the global context (Radha K. et al., 2007).

The specific contaminants leading to pollution in water include a wide spectrum of chemicals, pathogens and physical or sensory changes such as elevated temperature and coloration. While many of the chemicals and substances that are regulated may be naturally occurring calcium, sodium, iron, manganese etc the concentration is often determined as natural component of water and contaminant. High concentration of naturally occurring substances can have negative impacts on aquatic flora and fauna like trash or garbage (paper, plastic or food waste) discarded by people on the ground, along with accidental or intentional dumping of rubbish, that are washed by rainfall in to storm drains and eventually discharged in to surface waters.

Water And Health - Water which is fit for human consumption is called drinking water or potable water. Sometimes the term safe water is applied to potable water of a lower quality threshold (i.e., it is used effectively for nutrition in humans that have weak access to water cleaning processes and does more good than harm). Sometimes microorganisms that cause health problems can be found in drinking water. However, as drinking water is thoroughly disinfected today, disease caused by microorganisms is rarely caused by drinking water.

Waterborne Diseases - Water born diseases are caused by pathogenic micro-organism which is transmitted by contaminated fresh water. Infection commonly occurs during bathing, washing, drinking, in the preparation of food and the consumption of food. Polluted and contaminated water causes various diseases. These diseases are known as water born (diarrhea, jaundice, cholera, gastro-entities etc) diseases. It has been well established that enteric and parasitic diseases like jaundice, dysentery, diarrhea, cholera, and gastro-intestates are very high in absence of proper sanitation and safe drinking water facility. The causes of bacteria and viruses water borne diseases such as typhoid, cholera, dysentery, polio and hepatitis. Sources include sewage, landfills, Septic tanks and livestock.

Water borne microbial diseases are one of the major health hazards mainly in the developing countries. Worldwide, in1995 contaminated water and food caused death of more than three million persons of which more than 80% were among children of 5 years of age (Mary and Ross, 1996). In India, more than 70% of the epidemic emergencies are either water borne or water related.

Water-borne epidemics and health hazards in the aquatic environment are mainly due to improper management of water resources. Proper management of water resources

* Asst. Prof. (Zoology) Maharaja Bhoj Govt. P. G. College, Dhar (M.P.) INDIA

has become the need of the hour as this would ultimately lead to a cleaner and healthier environment (Mara and Huran, 2003). At home, the water should be boiled; filtered or other necessary steps should be taken to ensure that it is free from infectious agents (Environmental protection agency 1975).

There are various bacteria and protozoa that can cause disease when they are present in water **(Table 1).**

Conclusions - The water used for drinking purpose should not only be visibly clean but also be wholesome and free from microbial as well as non-microbial contaminants. The water purification is never an accident, stringent exercises need to be undertaken so as to keep it away from these contaminants. Various processes used for the purification of water. Protection of water bodies from the pollution and other human activities is very necessary. To improve the quality of water there should be continuous monitoring of the pollution level. Awareness should be created among the people regarding filtration and treatment processes.

References :-

1. Environmental Protection Agency. (1975). 40 CFR Part 141. Water programs: national interim primary drinking water regulations. Federal Register 1975; 40:5956674.
2. Fetter, C. W. (1999). Contaminant Hydrogeology (Vol. 500). Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
3. Mara, D. and Huran, N. (2003). Faecal indicator organism. In: Handbook of water and water born disease. Academic press. Pp193-208.
4. Mary, A and Ross, M.A. (1996) Microbiological water pollution. Health effect review 1(7). Pp 1-2
5. Olajire, A. A., & Imeokparia, F. E. (2001). Water quality assessment of Osun River: Studies on inorganic nutrients. Environ. Monitor. Assess. 69(1): 17-28.
6. Prasad, B., & Kumari, S. (2008). Heavy metal pollution index of ground water of an abandoned open cast mine filled of the water quality of River Adyar, India. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 82(2), 211-217.
7. Radha, K. R., Dharamaraj, K., & Ranjitha, K. B. D. (2007). A comparative study on the physico-chemical and bacterial analysis of drinking borewell and sewage water in the three different places of Sivakasi. J. Environ. Biol., (28).pp. 105-108.
8. https://images.google.com/

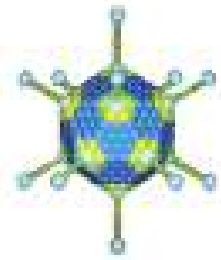

Fig- 01- Adenovirus

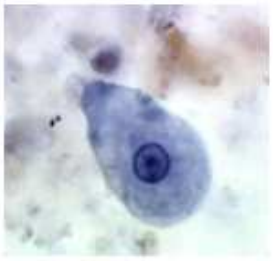

Fig- 02 - Entamoeba histolytica

Fig- 03- campylobacter jejuni

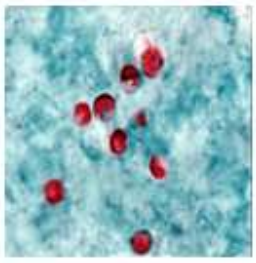

Fig- 04- Cryptosporidium

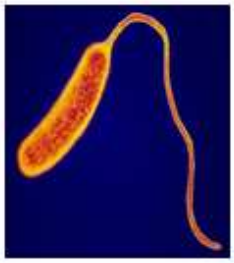

Fig- 05- Vibrio cholerae

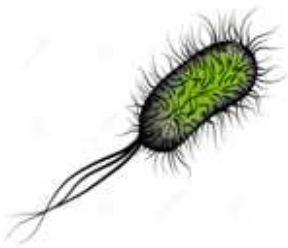

Fig- 06 -e-coli-bacteria

Fig- 07- Giardia lamblia

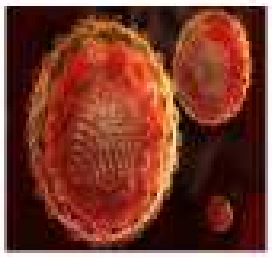

Fig- 08- hepatitis-A- virus

Fig- 09- Legionella

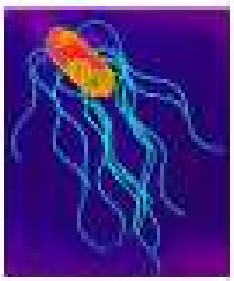

Fig- 10- salmonella

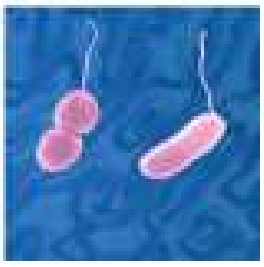

Fig- 11- Vibrio-pneumophia bacteria

Fig- 12- vibrio.vulnificus

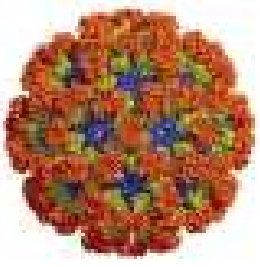

Fig- 13- Calicivirus viruses

Table - 01 - Waterborne diseases

The following table lists some common waterborne illness with their symptoms, causes and incubation period.

S. No.	Disease	Pathogen	Symptoms	Causes	Incubation
1	Adenovirus infection	Adenoviridae virus (Fig- 01)	Vary depending on which part of the body is infected	Drinking contaminated water	5 to 8 days
2	Amebiasis	Entamoeba histolytic a parasite (Fig- 02)	Diarrhea, stomach and stomach ping	Fecal matter of an infected person (usually ingested from apool or an infected water supply)	2 to 4 weeks
3	Campylobacteriosis	Campylobacter jejuni bacteria (Fig- 03)		Chicken, unpasteurized milk, water	2 to 10 days
4	Cryptosporidiosis	Cryptosporidium parasite (Fig- 04)	Stomach cramps, dehydration, nausea, vomiting, fever, weight loss	Fecal of an infected person (can survive for days in chlorinated pools)	2 to 10 days
5	Cholera	Vibrio cholerae bacteria (Fig- 05)	Watery diarrhea, vomiting and leg cramps	contaminated Drinking water, rivers and coastal waters	Two hours to 5 days
6	E. Coli	Escherichia Coli bacteria (Fig- 06)	Diarrhea (may be bloody), abdominal pain, nausea, vomiting, fever	Undercooked, groundbeef, imported cheeses, unpasteurized milk or juice, cider, alfalfa sprouts	1 to 8 days
7	Giardiasis	Giardia lamblia parasite (Fig- 07)	Diarrhea, excess gas, stomach or abdominal cramps and upset stomach	Swllowing recreational water contaminated with Giardia	1 to 2 weeks
8	Hepatitis A	Hepatitis A Virus (Fig- 08)	Fever, fatigue, stomach pain, nausea, dark urine, jaundice	Ready-to-eat foods, fruit and juice, milk products, shellfish, salads, vegetables, sandwiches, water	28 days
9	Legionellosis	Legionella pneumophia bacteria (Fig- 09)	fever, chills, pneumonia, anorexia, muscle aches, Diarrhea and vomiting	contaminated water	2 to 10 days
10	Salmonellosis	Salmonella bacteria (Fig- 10)	Abdominal pain, headache, fever, nausea, Diarrhea, chills, cramps	Poultry, eggs, meat, meat products, milk, smoked fish, protein, foods, Juice	1 to 3 days
11	Vibrio Infection	Vibrio parahaemolyticus (Fig- 11), Vibro vulnificus bacteria (Fig- 12)	Nausea,vomiting, headache (a quarter of patients experience dysentery-like symptoms)	Raw shellfish,oysters	1 to 7+ days
12	Viral Gastroenteritis	Calicivirus virus (Fig- 13)	Diarrhea, vomiting, nausea, cramps, headache, muscles aches, tiredness, slight fever	water, ready-to-eat foods (salad, sandwiches, bread shellfish)	24 to 48 hours

****

Observation On Nematodes In Gollus- Gallus Domesticus At Satna (M.P.)

Dr. Seema Bhola *

Abstract - In class Nematoda 3 species wrew recovered from fowls at "Arora poultry form" Sajjanpura-Satna region from feb 13 to April 2014 out of 250 fowls examined 120 (60%) were found to be positive from Nematoda & 3 Species of nematode encountred in the present study.
Key words - Nematoda, fowl.

Introduction - The present demand in an average town of about (3,22935) lakh popultion is to be about 180 eggs & 200 table birds per day keeping the flocks diseaser free forms an important aspect of management. Fowls are quite delicate they suffer adversely & Succumb to the vagaries of natuse. They are in the habit of picking up insects earthenoms snail & sluges. These in vertebrates are proved to act as intermediate hosts since they carry the intermediate stapes of the nematode.

Study present in this work seveals that a large percentage of fowl submitted for postmortem examinations are hasbouring one or more species of worms studied about fowls Nematodes were already done by many workers i.e. AL MATHAL (1990), Ahmed & Nabila (2004),.

Material & Method - The survey was carried poultry form Sajjanpur Satna. 200 deshi fowls were studied for this purpose out of which 120 were found infected by these porasites. The different parts of the digestine tracts were examined Separately Like gastrointestinal tracts like oesophagous crop, proventriculns, gizzard, small intestine caeca & rectum. The worms collected were transfered to seporate petridishes with nomal saline or distilled water & shaken vigorously to get rid of attached mucus & dedris. The nematodes were flaltened by leaving them in lukewarm water for about an hour & them fixed in hot AFA solution. All the materil collected was put in specimen tubes or bottles & labelled & identified.

Identification was done with the help of Alicata. J.E. (1938, 1940).

In deshi fouls 3 Sps.of nematods were found i.e.

	Name of Parasite	Location
1.	Ascaridia galli	gizzard
2.	Heterakis gallinarum	Caecem
3.	Gongillonema in gluvcols	Crop

1. Ascarida galli - In the present study this hematode was found in 32.6% of the total fowl examines. On a number of occasions one or two adults of this nematiode were found in the lumen of gizzard.

2. H. Gallinarum - There is present a well develpoed preanal suiker with small incision on the posterior margin of its wall. The chitinoid border of the preanal sucker is present in cloacal aperture. There are 12 pair of papillae, 2 pair near the preanal sucker 4 pair of say like popillac, 2 pair of sesile popillace in the vicinity of cloacal aperture & 4 pairs between the cloacal aperture & the end of the tail.

In the present study nodules were not observed in the mucosal living of the caeca.

3. Gongylonema Ingluicols - This species was encounlerd to the extent of 3.3% of total fowl examined. It occured inside the mucosa of crop.

The high rate of mortality of fowls & consequent heavy losses to the poultry keeper in india are the most formidable problems besetting the poultry industry. It is estimated that more than 50% of the birds are lost annually due to diseases & other causes. This enosmous loss actually hits at very basis of economic poultry production. The symoms caused by worm infestation vary from species to species. In heary paralysed young birds the comman manifestations are weakness, emaciation & may be even death, the ones that survie have stunted grouth. Nematodes produce severe damage in young fowls. Birds infested with nematodes present general symtoms of unthriftiness, droopiness, ruffled feathers, diarrhoea weakness & paleness of comb & wattles. Most fowls become weak or completely paralyzed in one or both legs. In some cases neck muscle appear to be affected & the fowl twists the head & neck around into unnatural positions. Chicken infected experimentally with H. gallinarum showed decrease in live weight, anaemia, leucocytosis & other blood disorders.

The worms were collected wre transfersed to separeate petridishs with normal Saline or distilled water. & shaken vigourously to get rid of attached mucus & debris. Nematodes

* Asst. Prof. (Zoology) Govt. Auto. P.G. College, Satna (M.P.) INDIA

were flattend by leaving them in luke warmwater for about an hour & them fixed in hot A.F.A. Solution all the material collected was put in specimen tube & labelled & identified.

References :-

1. Nath D. and Pande B.P. (1963) lesion associated with some of the nematodes parasitic in the alimentary canal of Indian domestic fouls. Res. Vet. Sci, 4:390-396.
2. Chand. K. (1967) Studies on the incidence of common helnihths in the domestic fowl" J. Res. Punjab, Agric. UMV, 4:127- 135.
3. EI. Badhawi. EL. Khawad & A.M. Eisa (1978) Helminth in domestic hen in sudan. J.Parasite 18:142-145.
4. Deo, P.G. (1964) Round worms of poultry. Indian council of Agriculture research New Delhi. pp. 146.
5. Baylis, H.A. (1936) The fauna of British India. Nematoda. Vol. I (Ascaroidea & strongyloidea) Taylor & Francis Ltd. Londen, pp. 408.
6. Barus; V. & Lorenzo Hernandez, N. (1966) Nematodes economicamento mas importantes com parasitos be las gollinas (Gallus-gallus & domestica) en cuba poeyana serie A No. 25: pp. 17.
7. Potedar, D.N. (1986) occurance & seasonal voriation of helminth parosits of domestic fowl in kashmir.
8. Pandit, B.A. (1991) Prevalance of helminth parasites in indigenous fowls of kashmir valley.
9. Ehlers Bhodigen S. (1985) Survey of parasitic helminths of poultry. That Journal of veterinery Medicines 15:267-267.
10. Al-mathal Ibtesam, M (1990) Morphological & classification studies on some helminth parasites found in the intestine of some birds (Fowls & pigeons) in Riyadh. M.Sc thesis Girls college of education in Riyadh.
11. Ahmed & Nabila, S.I. (2004); Same studies on parasitic helminthes infecting domestic chicken in Beni-sueif Governorate. M.V.Sc. Thesis, Faculty of Vet. Med. Cairo Univ.
12. Horning G. Rasmussen S. Permin A & Bisgaard M. (2003) inverstigation on the influsence of helminth parasits on vaccination of chickens against New castle disease virus under village condition. Trop, Anim Health Prod. 35:415-424.
13. Mungube E.O. Bauni S.M. Tenhagena. B. Wamael W. NZIOKA. S.M. NGINNYI. J.M. Prevalence of parasites of local Scavenging chickens in a selected Semi arid zone of eastern Kenya. Trop. Anim Health prod. (2008) 40:101-109.

****

A Comparative Study On The Mineral Compposition Of The Poultry Cestode "Raillietina Tetragona" & Cerain Tissues Of Its Host

Dr. Seema Bhola *

Abstract - The amounts of cations Ca, P, Na, k, Cu and Zn in Raillietina tetragona (Cestoda) and in liver, intestinal tissues and blood serum of its host (Gallus – gallus - domesticus) were determined using spectrophotometry, titrimetry, flame photometry and atomic absorption spectrophotometry, Quantitative variations were observed in the distribution of these minerals in the immature, mature and gravid regions of the worm, on dry weight basis. There was a gradual decrease in Ca content of worm along the antero- posterior axis. The Na content, on the other hand showed a reverse trend with the greatest amount in the gravid proglottids. The immature region contained the highest levels of P, K and Cu. The worms showed significantly higher levels of Ca, P, Cu and Zn than the liver and intestinal tissues.

Keywords - Mineral composition; poultry cestode; Raillietina tetragona; host tissues.

Introduction - Most of the earlier studies on the biochemistry of cestodes have dealt extensively with their organic constituents, especially the carbohydrates, lipids and proteins. More recently several attempts have been made to identify and quantify the inorganic contents of tapeworms (Chand K 1939 ; Chowdhury N and Singh A I 1978; Greichus A and Greichus Y A. 1980; Jakutowicz K and Korpaczewska W 1979; Nadakal A M, Mohandas A, John K O and muraleedharan K 19741; Nadakal A M, Mohandas A, John k O and Simon M 1975; Singh B B, Singh K S, Ghosal A K and Dwarakanth P K 1978 ; Wardle R A and Me Leod J A 1952; Comparative study on morphology and development of two species of Railletina from chicken. **27** (3): 232-236; Diseases and Parasites of Poultry pp. 148-149.; $\wedge_{Radha}$ T, Satyaprema VA, Ramalingam K, Indumathi Sp & Venkatesh C (2006).; $\wedge_{Tucker}$CA, Yazwinski TA, Reynolds L, Johnson Z, Keating M (2007).; $\wedge_{Lalchhandama}$K 2010) the data available so far are largely concerned with the larval cestodes and so little is known about the in organic composition of the abult cestodos. Hence a study was designed to throw some light on the meneral composition of a cosmopolitan poultry cestode, Raillietina tetragona and certain tissues of its host, by way of comparison.

Materials and methods - Day-old white leghorn chicks were procured and maintained in the laboratory on a basal diet adequate in all nutrients. When three weeks old, 20 healthy birds of uniform weight were selected. 25 cysticercoids of Raillietina tetragona recovered from naturally infected ant vectors (Nadakal et al 1971) were administered per os to each of the 20 birds. Three weeks post-infection, blood was collected from the wing veins for obtaining serum and then the birds were autopsied. The intestines were split and the worms carefully recoverd. The liver, intestines and the worms were washed thoroughly in distilled water and blotted dry with low ash filter paper. The tissue samples were immediately processed for biochemical estimations of ionic Na, K, Ca, P, Cu and Zn. For estimations of Ca and P, 5 samples of each tissue were taken. Each sample was divided into 2 weighed portions. One part was extracted with 10% trichloro-acetic acid for Ca and P determinations and the other part was used for determining percentage of dry matter. For Na, K, Cu and Zn estimations 5 samples from the pooled tissues were bried at 80-100^0 C Measured quantities of these dried tissues and serum were ashed separately and extracted with concentrated nitric acid serum were ashed separately and extracted with concentrated nitric acid and diluted with gless distilled water, the diluted extracts being used for the estmation of Na, K, Cu and Zn.

Results - There was a gradual decrease in the Ca content of the worm along the anteroposterior axis. The Ca content of whole worms was 2.64 times and 7.9 times greater than those in liver and intestine, respectively. The immature region contained the greatest amount of phosphorus. The K content in the worms was twice as much as that in the intestinal tissues and less than half as much as that in liver. The amount of Cu in the worms was considerably less than the amount of Zn. The worms contained significantly higher levels of Cu and Zn than the liver and intestinal tissues. The worms had a quantitative excess of K over the other cations studied.

Discussion - In the present study, since the host birds were maintained on a basal diet containing sufficient amount of all the essential nutrients, the mineral levels shown by the worms many be considered to be normal. The higher

* Asst. Prof. (Zoology) Govt. Auto. P.G. College, Satna (M.P.) INDIA

phosphorus content in the immature region may be attributed to higher metabolic activity in this region. Singh et al (1978) observed a significantly higher level of phosphorus in the mature region of Thysaniezia giardi than is its gravid region. The Ca: P ratios in the worms were higher than those in the liver and intestine.

The presence of higher amount of cations in R. Tetragona than in the tissues of its host birds may be due to an efficient selective absorption mechanism prevaling in this worm. Apparently an equilibrium between the parasites and the host tissues with respect to the minerals was not discernible.

References :-

1. Chand K 1939 the effects of certain drugs and mineral deficiencies on helminths of ruminants; Indian J. Vet. Sci. **9** 267-278.
2. Chowdhury N and Singh A I 1978 role of calcareous corpuscles in the organisation of egg pouches in Raillietina spp.; Z. Parasitenkd. **56** 309-312.
3. Greichus A and Greichus Y A. 1980 Identification and quantification of some elements in the hog roundworm Ascaris lumbricoides suum and certain tissues of its host; Int. J. Parasitol. **10** 89-92.
4. Jakutowicz K and Korpaczewska W 1979 Determination of copper concentration in 7 parasite jakutowicz K and Korpaczewska W 1979 Determination of copper concentration in 7 parastie species by atomic absorption spectrophotometry; Bull. Acad. Pol. Sci. Ser. Sci. Biol. **27** 67-70.
5. Nadakal A M, Mohandas A,John K O and muraleedharan K 19741 Resistance potential of certain breeds of domestic fowl exposed to Raillietina terragona infection. 3. Species of ants as intermediate hosts of certain fowl cestodes; Poult. Sci. **50** 115-118.
6. Nadakal A M, Mohandas A, John k O and Simon M 1975 Resistance potential of certain breeds of domestic fowl exposed to Raillietina tetragona infections. XII. Effects of calcium deficient diet of the host on Raillietina tetragona infections; Rev. Parasitol. **36** 41-46.
7. Singh B B, Singh K S, Ghosal A K and Dwarakanth P K 1978 Inorganic calcium, magnesium and phosphorus in Thysaniezia giardi; Indian J. Parasitol. **2** 37-38.
8. Wardle R A and Me Leod J A 1952 The zoology of taperworms (Minneapolis: University of Minnesota Press) 99-1014.
9. Comparative study on morphology and development of two species of Railletina from chicken. **27** (3): 232-236
10. Diseases and Parasites of Poultry pp. 148-149.
11. ^Radha T, Satyaprema VA, Ramalingam K, Indumathi Sp & Venkatesh C (2006). “Ultrastructure of polymorphic microtriches in the tegument of Raillietina echinobothrida that infects Gallus domesticus (fowl) **30** (2): 153-162.
12. ^Tucker CA, Yazwinski TA, Reynolds L, Johnson Z, Keating M (2007). “Determination of the Anthelmintic efficacy of albendazole in the treatment of chickens naturally infected with gastrointestinal helminths” **16** (3): 392-396.
13. ^Lalchhandama K (2010). “In Vitro effects of albebdazole on Raillietina echinobothrida, the cestode of chicken, Gallus domesticus” **2** (4): 374-378.

****

Allergic Diseases Due To Pollution At Satna

Dr. Rashmi Singh *

Introduction - Soil of Satna has rich heritage of lime stone invited 10 cement factories resulting in conversion of Satna to an industrial town, inviting job opportunities at the same time polluting the atmosphere also leading to number of allergic problems making the life of Satna people a bit difficult.

Allergic diseases are an ig-E mediated immunologic response of nasal mucosa to air born allergen and is characterized by sneezing, watery nasal discharge, itching in nose and nasal obstruction. It is of two types.

1. **Seasonal – Seen in a particular season**
2. **Perennial – Present through out the year**

Most common cause is inhalant allergens, Cement dust, Pollens from trees and grasses, mold spores, House dust, house mite, debris from insect are main offenders.

Satna is a industrial town mainly number of Cement factory, leather factory, number of stone crushers, number of other mineral factories leads to Satna as one of the most polluted town of India hence allergic diseases are very common at Satna.

Material And Method - This study has been conducted in dept. of ENT, District Hospital Satna on patients attending ENT out door from 1/10/13 to 30/11/13, those cases who were complaining of frequent sneezing, itching in nose, watery nasal discharge, nasal obstruction were examined.

Anterior and posterior rhinoscopy was done, any History of allergy in their patients and family was also considered, residential status of the patient mainly who are living near the cement factory areas, crowded city areas, their working condition, working atmosphere in and around was also taken into view, Patients coming from remote areas or villages, presence of Gajar Ghans, Presence of mites in their houses, dust and fumes, pet in houses, cat in houses, flowers in an around houses were also inquired, how allergic rhinitis starts, its sequence of events also asked to reach the diagnosis.

Result - 2532 cases have been examined out of those 1760 were Male 772 were female, male female ratio was 2:1, about 5% rhinitis was notice in males and 4% in females, 74% of these allergic patients were from urban areas and 26% from rural areas, patients who were living near cement factories had more problems.

Discussion - History taken from these patients 30% cases has family history of allergy, urban patients were more sufferer probably due to pollution at Satna proper, patients from remote places had less incidence of allergy as compared to urban people, patients those who were residing near Cement factories, like Birla Cement and prism Cement had more problems of allergic rhinitis, males were affected more than females as they are more exposed to allergens ratio was 5:4. females who were cooking in closed rooms without proper ventilation were more sufferers.

Conclusion - Our study concludes that increasing number of cement factories and other industries polluting the atmosphere of Satna. Industrial dust which is discharged into the atmosphere increasing the problem of allergic diseases in urban population, further two new cement factories are coming up at Satna certainly they will add to this problem at Satna

Prevention - There are certain means by which incidence of allergic rhinitis at Satna can be reduced

- There has to be some law which should control the atmospheric pollution by Cement & other industries at Satna.
- One should use enclosed mattress & pillow in allergen free casings.
- Wash bed linen in hot cycle 130^0 F
- Reduce indoor humidity to less than 50%.
- Use of HEPA filter (Nasal filter) may be very useful.
- Change of place or change of job may be required.
- Properly ventilated, adequate sun light should be their at houses and working place.
- Sudden temperature variations should be avoided.
- On busy road air conditioners on and closed glasses give some protection.
- Wet cloth on nose and mouth on busy road and polluted places helps a lot.
- Good nutritious diet increases the body resistance and help to fight allergic diseases.

References :-

1. Title : Pollution: Causes, Effects and Control Editor: Roy M Harrison
2. Author(s): V K Ahluwalia Year 2015
3. Ronald E. Hester, Roy M. Harrison Royal Society of Chemistry, 01-Jan-1998 - Health & Fitness - 129 pages
4. Doll R, Peto R. Mortality in relation to smoking: 20 years' observations on male British doctors. Br Med J. 1976 Dec 25;2(6051):1525–1536. [PMC free article] [PubMed]
5. Ehrenberg L, Osterman-Golkar S, Segerbäck D, Svensson K, Calleman CJ. Evaluation of genetic risks of alkylating agents. III. Alkylation of haemoglobin after metabolic conversion of ethene to ethene oxide in vivo. Mutat Res. 1977 Nov;45(2):175–184.
6. McCann J, Simmon V, Streitwieser D, Ames BN. Mutagenicity of chloroacetaldehyde, a possible metabolic product of 1,2-dichloroethane (ethylene dichloride), chloroethanol (ethylene chlorohydrin), vinyl chloride, and cyclophosphamide. Proc Natl Acad Sci U S A. 1975 Aug;72(8):3190–3193. [PMC free article] [PubMed]
7. Olson WA, Habermann RT, Weisburger EK, Ward JM, Weisburger JH. Induction of stomach cancer in rats and mice by halogenated aliphatic fumigants. J Natl Cancer Inst. 1973 Dec;51(6):1993–1995. [PubMed]

* **Professor (Zoology) Govt. P.G. College, Satna (M.P.) INDIA**

Amazing Tree *Sterculia Foetida* Found In Dhar And Ujjain (M.P.) India

Nirbhay Singh Solanki * S.C. Mehta **

Abstract - *Sterculia foetida* has found in Ujjain & Dhar. It is an indigenous Plant. ***Sterculia*** is a genus of flowering plants in the mallow family, Malvaceae. It was previously placed in the now obsolete Sterculiaceae. This plant is found in many areas like Taiwan, Thiland,Phillipines,Indonesia,Ghana etc. Hindi name of this plant is Jungali badam. This Plant is very Beautiful and it has medicinal values along with ornamental value.
Key word - *Sterculia foetida* ,Decoction, indigenous.

Introduction - ***Sterculia foetida*** is a soft wooded tree that can grow up to 115 feet tall. It was described in 1753 by Carolus Linnaeus. Common names for the plant are the bastard poon tree, java olive tree, hazel sterculia, and wild almond tree. The origin of the name of the bad-smelling *Sterculia* genus comes from the Roman god, Sterquilinus, who was the god of fertilizer or manure. The inodorous nature of the tree is emphasised in its name - *Sterculia* being from a word meaning “dung” enid foetida meaning “ stinking “

Study Area :

Ujjain -Ujjain is located in the Malwa region of Madhya Pradesh in central India. The city is situated between 23° N and 75.78° E, with an average elevation of 491 meters. The city on the eastern bank of the Shipra River is one of the sacred holy city of India. It is one of the places in the country where the Kumbh Mela is held.

Dhar District - Dhar district is located at 22degree to 22degree 49 minute north latitude and 75degree 6 minute to75degree 42 minute east longitude, average altitude of Dhar district is 588 meters above the sea level.

Dhar city - The city lies between latitude 22degree 35 minute N & longitude 75degree 20 minute E with an average elevation of 559 meter an area of 8,153km square. It is located 53km west of Mahow 908 ft above the sea level.

Distribution - *Sterculia foetida* has been found in many areas. Therefore mentioned areas are Taiwan, Thailand, the Philippines, United States (Hawaii), Indonesia, Ghana, Australia,Mozambique and Togo. Native - Australia, Bangladesh, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, India, Indonesia, Kenya, Malaysia, Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uganda, Yemen, Republic of, Zanzibar

Exotic - Ghana, Puerto Rico.

Methodology - I took some photographs by digital camera.

Tree *Sterculia foetida L.*

Tree *Sterculia foetida L.*

* Assistant Prof. (Botany) Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA
** Prof. (Botany) Govt. P.G. College, jaora (M.P.) INDIA

Plant classification - *Sterculia foetida L.*
Kingdom: Plantae-Plants
Subkingdom: Tracheobionta-Vascular plants
Superdivision: Spermatophyta-Seed plants
Division: Magnoliophyta-Flowering plants
Class: Magnoliopsida-Dicotyledons
Subclass: Dilleniidae
Order: Malvales
Family: Sterculiaceae-Cacao family
Genus: *Sterculia L. - Sterculia*
Species: *Sterculia foetida L. - Sterculia*
(NationalPlantDatabase.2003) .

Plant scientific name - *Sterculia foetida Linn*

Common name -Java Olive, Peon, Poon Tree, Wild Indian Almond, Sterculia nut • Hindi: Jangli badam • Marathi: Goldaru, Jangali badam • Tamil: Kutiraippitukku • Malayalam: Pinari, Putiyunrtti, Pottakkavalam • Telugu: Manjiponaku, Adavibadam • Kannada: Bhatala penari • Jungli Badam • Konkani: Nagin, Viroi • Sanskrit: Vitkhadirah ,Chinese: xiang ping po Nepalese:kaju, hazel sterculia(Engl.)

Plant description- Deciduous trees, to 25 m high, bole buttressed; bark grey, smooth, irregularly flaking off in thin scales; blaze reddish-yellow; branches horizontal, whorled. Leaves apically clustered, palmately 7-9-foliolate; stipules arrow-shaped, caducous; petiole 10-20 cm; leaflet blades elliptic-lanceolate, 10-15 × 3-5 cm, at first pilose, glabrescent when mature, base cuneate, margin entire, apex long acuminate or caudate. Inflorescence apical on branchlets, paniculate, erect, many-flowered. Pedicels shorter than flowers. Epicalyx lobes minute. Calyx purple-red, ca. 12 mm, divided nearly to base, lobes elliptic-lanceolate, abaxially yellowish brown pubescent, adaxially upper half white villous. Male flowers: stamens 12-15, capitate. Female flowers: carpels 5, hairy. Style curved; stigma 5-divided. Follicle ellipsoid and boat-shaped, 5-8 cm, woody, nearly glabrous, apex acute into beak, 10-15-seeded. Seeds black, ellipsoid, ca. 1.5 cm, smooth. Fl. Apr-May. Fruiting season : Ripened fruits observed from December to January.

Uses- .

Seeds - Yields seed oil. The seeds of are edible and have a pleasant taste similar to cocoa. You can eat them like nuts, either raw or roasted. Oil as an illuminant; Fiber obtained from the bark used as cord; Pulpwood; Timber for interior works, veneer, plywood, musical instruments, wooden containers, small articles and carving; Trunk yields gum or glue used in bookbinding; Firewood and charcoal.

Folkloric

- Decoction of bark used in the Philippines for dropsy and rheumatism; as aperient, diaphoretic, and diuretic.
- Decoction of leaves as wash for skin eruptions.
- Decoction of leaves used for difficult labor.
- Fruit contains oily kernels which are edible and laxative when raw.
- Decoction of fruit is mucilaginous and astringent.
- Paste of oil applied to pruritic conditions.
- Oil from seeds given internally for itching and skin diseases; also applied externally as a paste.
- In java, decoction of fruit used for blennorrhagia

Discussion- This plant is very useful. Due to its beauty , this plant can be used as ornamental plant. The tree is very less in study area so it is a rare plant. It has medicinal value because it cure many different types of diseases. Ethanobotanically, this plant is very useful. The fruits of this plant is like a wonder so we can say that this is amazing plant. we need to grow more and more plant.

References :-

1. http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Java%20Olive.html
2. http://www.photomazza.com/?Sterculia-foetida
3. http://www.ntbg.org/plants/plant_details.php?plantid=10732
4. http://www.ibin.gov.in/components/com_ibin/specie s_html/Sterculia%20foetida/Stercul ia%20foe tida.html
5. http://www.stuartxchange.com/Kalumpang.html
6. http://toptropicals.com/html/toptropicals/articles/trees/sterculia.htm
7. http://www.starrenvironmental.com/images/species/?q=sterculia+foetida&o=plants
8. http://www.snipview.com/q/Sterculia%20foetida
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Sterculia
10. http://www.efloras.org/florataxo n.aspx?flor a_id=610&taxon_id=200013852
11. Roy G.P.,ShuklaB.K.,Datt Bhaskar (1992) Flora of M.P. Ashish Publishing House new Delhi
12. https://www.google.co.in
13. http://www.balinghasai-farms.info/2012/08/11/native-wild-edible-sterculia-foetida/
14. http://indiabiodiversity.org/species/show/231240
15. http://www.mapsofindia.com/maps/madhyapradesh/ujjain-map.htm
16. http://www.mapsofindia.com/maps/madhyapradesh/districts/dhar.htm
16. http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Sterculia_foetida.pdf
17. http://en.wikipedia.org/wiki/Sterculia_foetida

Sterculia foetida - immature fruit

Sterculia foetida - leaf

Sterculia foetida - fruit shell

Sterculia foetida -mature truit and seed

Agastya: A Multiferous Plant

Dr. Renu Rajesh *

Abstract - "Agastya" derived from "agasti" the name of a great seer, who practiced the rasayana therapies in Himalayas, as per advice of the God Indra . It is one of the herbs mentioned in all ancient Ayurvedic scriptures and is considered very sacred in Ayurveda. Since centuries, it has been used all over India, mainly as a household remedy. Though four varieties viz. white, red, blue and yellow are mentioned in Samhitas, only white variety is commonly available and is used for medicinal purpose. The plant needs extensive research with regard to chemical composition of its different parts. Insight of plant will make it more usable and important for mankind.

Introduction - "Agastya" derived from "agasti" the name of a great seer, who practiced the rasayana therapies in Himalayas, as per advice of the God Indra. The plant has various synonyms like munidruma, munipuspa, vangasena, vakrapuspa etc. It is one of the herbs mentioned in all ancient Ayurvedic scriptures and is considered very sacred in Ayurveda. Since centuries, it has been used all over India, mainly as a household remedy. Its various parts are used to treat different ailments. Its tridoshnashak leaves can be used to treat fever of all types. It is without any side effect. Its leaves can be used even to treat a new born. The leaves of this tree are tridoshnask. All names given for Agastya Muni are used for the plant.In India, the flowers are sacred to Shiva, representing both the male and female sex organs. Botanical name of the plant is ***Sesbania grandiflora*** (syn. *Aeschynomene grandiflora, Agati grandiflora*) It is also known as gaach-munga, agasti, agati or hummingbird tree. Some other common names are Australian Corkwood Tree, Flamingo Bill, Sesban, Swamp Pea, Tiger Tongue, West Indian Pea and White Dragon Tree.

Scientific classification

Kingdom	:	Plantae
Subkingdom	:	Tracheobionta
Superdivision	:	Spermatophyta
Division	:	Magnoliophyta
Class	:	Magnoliopsida
Subclass	:	Rosidae
Order	:	Fabales
Family	:	Fabaceae (Papillionaceae)
Genus	:	Sesbania
Species	:	grandiflora
Binomial name	:	Sesbania grandiflora (L.) Poiret

Description of Plant - Agastya, Agati or Sesbania tree grows throughout India. The plant grows quickly but doesn't live longer. This fast-growing small, soft wooded perennial, deciduous or evergreen legume tree grows up-to 10-15 meters in height. Its life span is about 20 years. It has heavily nodulated roots and some floating roots may develop in waterlogged condition. The trunk is straight with few branches. The bark of this plant is light gray, corky and deeply furrowed and the wood is white. Its leaves are 15–30 cm long, regular and rounded, with 40-60 leaflets. They are linear -oblong, deciduous and abruptly pinnate. Raceme flowers, white and red in color according to its species, have campanulate, shallowly 2-lipped calyx. The tree thrives under full exposure to sunshine and is extremely frost sensitive. The flowering takes place in the months of September and October. The fruits-pods are 30 cm long, flat, squarish, green beans with 15-30 seeds. The fruiting season is in November. Its flowers are used to prepare pakodas and gulkand; flowers and fruits are used to prepare pickles. Though four varieties viz. white, red, blue and yellow are mentioned in Samhitas, only white variety is commonly available and is used for medicinal purpose.

Chemical Constituents of Plant - Agastya tree is rich in Carbohydrates, Fat, Protein, Vitamins (Thiamine (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3), Folate (B9), Vitamin C), Trace metals (Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, Potassium). It contains arginine, cysteine, histidine, isolcucine, phenylalanine, tryptophan, valine, threonine, alanine, aspargine, aspartic acid, oleanolic acid, galactose, Rhamnose & glucuronic acid. Kaempferol-3, diglucoside, leucocynidin and cynidin-3 have been isolated from the seeds. The bark contains tannin gum.

Origin and Distribution - Agastya is considered native to India and many other South East Asian countries even up to North Australia. It grows throughout India and is found in Malaysia, Indonesia and Philippines also, but basically the plant is considered Malayan in origin.

Environmental Adaptation and Cultivation - Agastya is well adapted to hot, humid environment and does not grow well in the subtropics particularly in areas with cool season

* **Professor (Botany) Govt. Nehru Lead College, Ashoknagar (M.P.) INDIA**

(minimum temperatures below about 10°C) as it dies in snow and cold weather. Optimal growth conditions are 22-30°C mean annual temperatures, 2000-4000 mm annual rainfall and an altitude of 800-1000m above sea level.

This plant is outstanding in its ability to tolerate waterlogging and is ideally suited to seasonal flooded environments. When flooded, they initiate floating adventitious roots and protect their stems, roots and nodules with spongy, aerenchyma tissue. Another outstanding feature is its tolerance of both saline and alkaline soil conditions.

Sesbania species are predominantly bees pollinated; however, large-flowered species *Sesbania grandiflora* appears to be pollinated by birds. It is usually established from seeds. It is not hard-seeded and usually germinates well without scarification. It has specific rhizobial affinities. This plant is considered to be relatively pest free.

Properties and Uses of Different Parts of the Plant - Agastya is bitter in taste (rasa), pungent in the post digestive effect and has cold potency. It alleviates kapha and vata dosas. The flowers and the leaves of Agastya have slightly different properties. The leaves are pungent, bitter and sweet in taste and have hot potency. Whereas, the flowers are bitter and astringent in taste and have cold potency. They are useful to alleviate intermittent fever and specially, night blindness (nyctalopia) and nasal catarrh.

Medicinal Uses - Agastya has a large number of traditional uses. Leaves are used as tonic, diuretic, laxative, antipyretic and are chewed to disinfect mouth and throat. Flowers are used in headache, dimness of vision and Catarrh. Malayans apply crushed leaves to sprains and bruises. In Ayurvedic medicine the leaves are utilized for the treatment of epileptic fits and clinical research supports the anticonvulsive activity of Agastya leaves.

Bark is used for cooling (ayurvedha and siddha medicinal terms). It is a bitter tonic and anthelminthic. Fruits are bitter, acrid, laxative and are used in fever, pain, bronchitis, anemia, tumors, colic, jaundice, poisoning. Roots are used in Rheumatism, Painful swelling, Catarrh and as Expectorant. Thus in other words whole plant is used for medicinal purposes.

Agastya is useful both, internally as well as externally. **Externally,** the paste of its leaves and bark is applied in rheumatism, arthritis, gout and the wounds are also dressed with great benefit. The fresh leaves juice is instilled into nose in nasal catarrh, migraine, sinusitis due to kapha and as a cleansing therapy. In migraine, the juice is instilled into nostril, of the opposite side of headache. The nasal therapy is also recommended for intermittent fever. On swellings, the roots of red variety of Agastya and black variety of Dhatura are mashed in hot water and applied. In epilepsy, the juice of its leaves is used as nasal drops or given orally, with the powder of marica (Piper nigrum) fruits. The dried leaves are used in some countries as a tea which is considered to have antibiotic, anti-helminthic, anti-tumour and contraceptive properties.

Internally, agastya, is beneficial in treating various diseases. The leaves and flowers augment appetite, has laxative property and are vermicidal. Hence, they are used as a remedy for flatulence, worms and anorexia.The skin, on the contrary, has an astringent action, so used in diarrhoea, colitis and dull abdominal pain. The flowers,skin and the leaves have special mucolytic property and antitussive action, hence, used in inflammatory conditions of the lungs, cough, colds etc, with honey. For infants, the mucous plug clogged in the throat is relieved with 4-5 drops of its leaves juice with equal quantity of honey, given orally.

The flowers are effectively used to mitigate leucorrhea and inflammatory conditions of the uterus. The ripened pods are the best nervine and are benevolent in mental debility. The night blindness, colds and sinusitis respond well due to vitamin A contents of Agastya. The juice of agastya leaves is used in the purification of silver, while preparing roupya bhasma. For this, the heated sheets of silver are dipped in the juice of agastya leaves, for three times.

In India, sesbanias have had a long history of agricultural use, primarily as green manures and as sources of forage. The shoots and foliage are utilized for livestock fodder. The leaves, the young branches and the pods are very palatable to cattle. In India milk production of cows supplemented with Agastya has been found to be increased by 8%. The wood of *S. grandiflora*, is not highly valued for cooking as it has poor burning qualities and produces much smoke. The timber from 5-8 year old trees can be used in house construction or as craft wood. This tree is planted in gardens for its intercropping compatibility and soil improving properties. Grandiflora is often maintained around crop fields for its contribution of nitrogen. The light shade cast by its canopy does not block much light, allowing the growth of companion plants. Falling leaflets and flowers recycle nutrients to the ground.

In Java, the tree is extensively used as a pulp source and the inner bark is utilized as a source of fiber. The tree is used as a nurse or shade tree for Black pepper cultivation (Piper nigrum; Piperaceae)). Agati has been used for reforestation projects to stabilize eroded disturbed environments however as it is shallow-rooted it is vulnerable to wind throw. A gum, called katurai, which is red when fresh and black after drying, is exuded from stem wounds. This gum is applied to fishing cord to make it more durable.

Culinary Uses - The flowers of Agastya are eaten as a vegetable in Southeast Asia, like Laos, Thailand, Java in Indonesia, Vietnam, and the Ilocos Region of the Philippines. The young pods are also eaten, along with the leaves. In Sri Lanka, agastya leaves are sometimes added to sudhu hodhi or white curry, widely eaten, thin coconut gravy. In India both the leaves and the flowers have culinary uses.

Some Home Remedies - All parts of *Sesbania grandiflora* are utilized as home remedies in Southeastern Asia and India including preparations derived from the roots, bark, gum, leaves, flowers, and fruit.

1. Inflammation, fever, rheumatic swellings: Powdered roots are mixed in water and applied externally as a poultice or rub
2. Abdominal gas, indigestion, stomach disorders in new-born and children: 1-2 teaspoons juice of white flowers can be given to baby to cure abdominal gas and irritability. It also causes bowel motion in baby.
3. Physical weakness, digestive problems: Gulkand of its flowers or powder with equal amount misri and milk, cure weakness of any type.
4. Leucorrhoea, Raktapradar: Powder of dried flowers with milk if taken regularly cures leucorrhea.
5. Infection in uterus, itching burning sensation in vagina: Juice of Agastya leaves with Neem leaves and added alum if applied locally cures vaginal infection.
6. Improving eyesight, eye related problem: Few drops of Agastya leaves juice if put in eyes is said to cure eye related problems.
7. Migraine, sinusitis, catarrh, cough: Few drops of Agastya leaves or flower juice if put in nose is said to cure migraine.
8. Constipation: Boiled leaves and flowers of Agastya in water and filtrate is then taken orally.
9. Fever of all type, visham jwar (intermittent fever), food poisoning: Decoction of Agastya leaves with few leaves of tulsi and black pepper when taken twice a day is said to cure fever of all types.

Discussion - Present article is result of discussions with people and use of secondary sources. This plant Agastya is of course an important and sacred plant. Having found its place mentioned in history as well as in ayurvedic and religious scriptures as an important tree, the plant needs extensive research with regard to chemical composition of its different parts. Insight of plant will make it more usable and important for mankind.

References :-

1. Ecocrop, 2010, Ecocrop database, FAO, http://ecocrop.fao.org
2. Evans D O, June 1994, factnet.winrock.org, Sesbania grandiflora for beauty, food, fodder and soil improvement.
3. http://plants.usda.gov, The Plants Data Base, 6March 2006
4. Kirtikar K R and Basu B D, 2005, Indian Medicinal Plants, vol 1, International Book Distributor and Publisher, Dehradun
5. Martin F W and Ruberte R M, 1979, Edible Leaves of the Tropics, 2nd ed, USDA, Puerto Rico
6. Prajapati, Purohit, Sharma and Kumar, 2003, A Handbook of Medicinal Plants, 1st edition, Agro Biose, India, Jodhpur
7. www.ayurveda-ska.info/home/medicinal-plants/agastaya
8. www.fao.org/ag/agp/AGPC/doc/Gbase/data/pf000171

Source: ayurvedic medicinalplants.in and fao.org

****

Calotrapis (Asclepiadaceae) Plant Used By The Tribal And Local Peoples In The Administered Of Skin Disease "Leucoderma" District Shahdol Central India

Dr. Radheshyam Napit *

Abstract -Frequent Ethnobotanical surveys were conducted during Jan 2009 – Dec 2010 in Shahdol district. Results of these surveys indicated that one genera two species Calotropis are interestingly used by the tribal and local inhabitants.

Medicinal plants are integral part to Human healthcare. Dependence on medicinal plants is more in developing countries as compared to developed ones. Among developing countries this dependences increases with the remoteness of the human habitation. In India, majority of population, particularly in rural areas is not in a position to afford costly modern healthcare system. Majority of them realize on traditional system of medicine.

Key words - Calatropis genera used by the tribal and local inhabitants administered of "Leucoderma" District Shahdol.

Introduction - Introduction - Shahdol district is situated in Maikal Plateau at an altitude of 489 m above the sea level between 23.15^0 - 24.3^0 N Latitude and 18^0 - 81.45^0 E Longitude. Shahdol situated on SER- South Eastern Railway Katni-Bilaspur. The district enjoys tropical monsoon average rainfall ranging from 309.33 to 1005.10 mm. per annum. The district has population 908148 and areas 14028 Sq. Km. Gond, Baiga, Kol, Kanvar, Bahria, Paliha etc. Scheduled cast are the main inhabitants and some other general peoples of the district. (District Statical book-2001)

Shahdol district villagers still practice herbal medicines for the treatment of their ailment. And here specially discussed administrations of Leucoderma the knowledge about these medicines is age-old for them, use of local plants is the cheapest way of treating various health disorders. Remote areas there are no Govt. Doctors in the villages. A review of literature reveals that through much work has been done on Ethno medicinal plants in India (Jain 1965, 1981, 1997, 2004), still there are some interior areas which need to be surveyed intensively for searching new traditional medicines.

Methodology - Rural areas of Shahdol district surveys during 27 Jan 2009 - Dec 2010. Information was collected from tribal's medicine men local inhabitants and vaidyas about the therapeutic use of these plants in the treatment of skin diseases of Leucoderma. Information about uses and local name of plants was secured from the information the collected plant specimens were identified by consulting flora of British India by Benthum and Hooker (1872-1879)

Description of Genera - Habit - Perennial wild xerophytic shrub. Root - tap, very deep branched. Stem - herbaceous solid below side smooth, hairs by covered milky latex. Leaf - cauline and ramal, decussate opposite exstipulate, simple oval - acute apex hairy unicastate reticulate. Inflorescence - dichasial cyme. Flower - bracteate pedicillate complete actinomorphic, hermaphrodite, pentamerous hypogynous cyclic. Calyx - 5 sepals, polysepalous. Corolla - 5 petals, gamopetalous, twisted, white or violet coloured. Androecium- 5 stemens gynostegium, stamen pollinia, retinaculae by made. Pollinia retinaculae with corpusculum to add and made unit translator. Gynoecium - bicarpillary, overy free, superior, marginal placentation, locule in many ovules gynostegium pentangular; Fruit - etaerio of follicle. Seed - small compressed, long silky hairs.

F.F.-Br. brl, K_5, $C_{(5),}$ $A_{(5)}$-$G_{(2)}$

Calotrapis procera (Ait.) R. Br. & (C. gigantea L.) (Asclepiadaceae)

History - The fresh Milky (latex) of the plant have been used residing in and around the forest for checking skin diseases, **Leucoderma** and rapidly use. This is widely known healen among the tribal's and local inhabitants. The tribes have

*Guest Faculty (Botany) I.G.N.T.U., Amarkantak (M.P.) INDIA

been using it since time immemorial. It is said that they used the **latex of Calotropis & Brassica compestris L.** (Mustered oil) mixed with packing in bottle meat to carry it home that the skin diseases Leucoderma had good result meat. Since than they have been using it for healing skin diseases.

Enumeration -

- The latex of plant mixed with **"Babchi" (Psoralea corylifolia L.)** seeds powder, mustered oil & black salt, together applied topically once a day for 21 days and its after **"Lahsun" (Allium sativum Linn.)** bulbs paste use to continue for 21 days to treatment of Leucoderma.
- The Latex of plant mixed with salt applied externally twice a day for 8 days and its after use pasted **"Lahsun" (Allium sativum Linn.)** till 5 days, or continue for 21 days to against skin diseases and also It is of particular value get fresh leaf latex early morning of the plant helpful for skin diseases like Boils, Wring worms, Scabies & Blisters etc.

Conclusion - Calotropis procera (Ait) R. Br. & (C. gigantea L.) "Madar" latex has been found to be a wonderful healer. Application of fresh stem and leaf stops skin diseases Leucoderma heals up quickly. It is likely that some anti skin diseases (Leucoderma) properties associated with the plant species prevent skin diseases. Earlier workers like Verma, P. (1994) Sing M.P. (2002) and Sing M.K. (2003) who conducted Ethnobotanical studies on the plant's species of Shahdol, Umaria & Anuppur (Amarkantak) forest area. (Shahdol district present time divided into two districts Anuppur and Umaria.) Skin diseases Leucoderma is not mention of (thesis) this plant species.

Acknowledgements - The author thankful to the Dr. Smt. D.Thakur and Dr. S.K Mishra Head of Department of Botany Pt. S.N.S. Govt P.G. College Shahdol and also thankful to the tribals Medicine men and local inhabitants who are provided the information.

References :-

1. Jain S.K. 1991 Dictionary of Indian Folk Medicine and Ethno botany Deep Publications , New Delhi, India P.135
2. Maheshwari, J.K. 1970. New vistas in ethnobotany. J. econ. Taxon Bot. (Addl.ser): 1-11.
3. Shah, N.C. 1987. Ethnobotany in the mountainous Region of Kumaon Himalaya. Thesis submitted to the Kumaon University, Nainital for the Degree of Doctor of Philosophy in Botany. 1-255.
4. Jain S.K. (Ed.) 1987. A manual of Ethnobotany. Scientific Publishers, Jodhpur.
5. Maheshwari, J.K. 1970. New vistas in ethnobotany. J. econ. Taxon Bot. (Addl.ser): 1-11.
6. Shah, N. C. 1987. Ethnobotany in the mountainous Region of Kumaon Himalaya. Thesis submitted to the Kumaon University, Nainital for the Degree of Doctor of Philosophy in Botany. 1-255.
7. Shah, N.C. 1994. Ethnobotany of some well-known Himalayan composites. Compositae: Biology & Utilization. Proceedings of the International Compositae Conference Eds. PDS Caligan & DJN Hind. (D.J.N. Hind,Editor Editor-in-Chief). Kew: Royal Botanic Gardens. 2: 415-422.

****

A Study Of Thermophysical And Cohesive Properties of $KCl_{1-x}I_x$ Mixed Alkali Halide

A.K. Dixit * S. D. Chaturvedi ** R. C. Dixit ***

Abstract - We have studied the thermophysical and cohesive properties of mixed alkali halide $KCl_{1-x}I_x$. Specially mixed alkali halides are very important crystals for the study of thermophysical and cohesive properties such as Gruneisen parameter, molecular force constant, Restrahl frequency, Debye temperature, compressibility and Anderson-Gruneisen parameter etc. We have used Three Body Force Potential (TBFP) model for the study of above thermophysical and cohesive properties of mixed alkali halide $KCl_{1-x}I_x$. Three body force potential model contains short range forces (vander-Waal's and overlap repulsive forces) as well as long- range forces (coloumbian and three body interactions)[10-15] . Mixed alkali halides which are known as solid solutions have attracted too much attention of investigators[1-9] due to their scientific and technological importance. We have taken up to next nearest neighbour ions in the calculations. Calculated results show that the micro hardness of mixed alkali halides is more than pure crystals. Some results are very close to their experimental value which shows the superiority of this model.

Introduction -Ionic solids are most important crystals for the analysis of lattice properties. So we have used our TBFP model to study the above thermophysical and cohesive properties of mixed alkali halide $KCl_{1-x}I_x$. This potential model consists long-range (coloumbian and three body interaction) forces as well as short range forces (vander-Waal's interaction and overlap repulsive force operating up to next nearest neighbour ions). This shows that the inclusion of three body interaction effect makes the present model more suitable for the study of thermophysical and cohesive properties of mixed alkali halide $KCl_{1-x}I_x$.

Theory and method of Calculations - From the early history of science and its evolution attempts have been made to explain the behavior of the ionic solids under some boundary conditions through some potential models. We have applied the TBP model for the calculation of thermophysical properties of mixed alkali halides. Three body potential models contain long-range forces as well as short-range forces.

Coloumbian force associated with three body interaction force is long-range force while vander-Waal's and Hafemeister – Flygare are short-range forces. The values of input data for different concentrations(x) have been evaluated by applying Vegard's law for second order elastic constants, lattice constants, ionic radii and vander-Waal's constants of host and dopant materials as-

$C_{ij}(mix) = x\, c_{ij}(A) + (1-x)\, c_{ij}(B)$

$r_{ij}(mix) = x\, r_{ij}(A) + (1-x)\, r_{ij}(B)$

$\tilde{n}(mix) = x\, \tilde{n}(A) + (1-x)\, \tilde{n}(B)$

$C(mix) = x\, C(A) + (1-x)\, C(B)$

$D(mix) = x\, D(A) + (1-x)\, D(B)$

The constituents of mixed crystals are held together by the harmonic elastic forces with no internal stress within the crystal. The values of input data are given in table 1.1. Thermophysical properties included in the discussion are Gruneisen parameter (ã), molecular force constant (***f***) Debye Temperature ($è_D$), Restrahl frequency (õï), ratio of volume thermal expansion coefficient to specific heat at constant volume ($á_v$/Cí), Compressibility (â), Anderson-Gruneisen parameter ($ä_T$). The relevant expressions have been derived from three body potential model.[25-36] —

$U(r) = -á_m ze^2/r[z+12\, f(r)] + 6bâ_{+-} \exp[(r_1 + r_2 - r)/\tilde{n}] + 6b\, â_{++} \exp[(2r_1 - 1.4142r)/\tilde{n}] + 6b\, â_{--} \exp[(2r_2 - 1.4142r)/\tilde{n}] - C/r^6 - D/r^8$

(i) Gruneisen parameter

$$ã = -r_o/6[U'''(r)/U''(r)] \quad r = r_o$$

(ii) Molecular force constant

$$f = 1/3[U''_{SR}(r) + 2/r\, U'_{SR}(r)]_{r = ro}$$

(iii) Restrahl frequency

$$õï = 1/2ð\sqrt{f/\mu}$$

where μ is the reduced mass of the crystal.

*Professor (Physics) Govt. P.G. College, Satna (M.P.) INDIA
** Asst.Professor (Physics) Govt. Maharaja College, Chhatarpur (M.P.) INDIA
*** Asst. Professor (Physics) Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA

(iv) Debye Temperature. (È$_D$) = h õï/k

(v) Ratio of volume thermal expression coefficient to specific heat at constant volume

á$_v$/C$_v$ = -U''' (r$_o$)/2 r$_o$ U''r$_o$)^2

(vi) Compressibility â= 18 r$_o$/U''r$_o$)

(vii) The Anderson-Gruneisen Parameter

ä$_T$ = - â r$_o^3$/27V U'''(r$_o$)

The above relations have been used to calculate the thermophysical properties of mixed halides. The input parameters are given in table 1.1, model parameters are given in table 1.2 and calculated thermophysical properties of mixed alkali halide are given in table 1.3 .

Table 1.1 (See the next page)

Table 1.2 (See the next page)

Table 1.3 (See the next page)

Result and Discussion - A look at the table 1.3, it is clear that presently estimated end point values of Gruneisen parameter and Anderson – Gruneisen parameter are very close to their experimental values. The end point values of Debye temperature show a good agreement with their available experimental values (21-29). Some results of ours are still higher than the experimental values. The reason behind this is to change in bond length in ionic solids. The observations show that the micro hardness of mixed alkali halides is larger than the pure crystals. Some results are very close to their experimental value which shows the superiority of this model over other models. On the basis of overall achievements, the present TBFP model can be regarded to be adequately suitable for the prediction of thermo physical properties of mixed alkali halides.

References:-

1. Kennedy, S.W., J. Appl. Cryst . 6,293(1973); J.Mat. sci. 9, 1043 (1974).
2. Basset, W.A. and Takahashi, T., "Advance in high pressure research" vol. 4, R.H. wentorf (Academic press London, 1974); Rev. Sci. Instgr. 38,37 (1967); Liu, Lingin abd W.A. bassett, j. Geophys. Res. 77, 4934 (1972).
3. Singh, R.K. and Agrawal. M.K., Solid state Communication 17,991 (1975).
4. Singh R.K. and Gupta, D.C., Phase Transition, 53,39 (1995).
5. Singh R.K. Phys. Report 85, 259 (1982).
6. Hafemeister, A.M., Phys. Rev. B 56, 5835 (1997).
7. Tosi, M.P., Solid State Physics 16,1 (1964).
8. Cohen, A.J., Physical Rev. B 12, (1975).
9. Tranquada, J.M. and Ingalls, Phys. Rev. B34 4267 (1986); Phys. Lelt. 94 A, 441 (1983).
10. Singh, R.K. and Singh, Sadhana, Phase Transitions, Phys. Rev. B39, 761 (1989).
11. Jog, K.N. Singh R.K. and Sanyal, S.P., Phys. Rev. B35, 5235 (1987); B31, 6047 (1985).
12. Singh, R.K. and Gupta, D.C., Nuovo Cimento, D2, 1235 (1987).
13. Singh, R.K. and Gupta, D.C. and Sanyal, S.P., Physics Status solidi B149, 356 (1988).
14. Ladd., M.FC., J. Chem. Phys. Solids 60, 1954 (1974).
15. Fumi, F.G. and Tosi M.P., Ibid 25, 345 (1964).
16. Tosi, M.P., J. Phys. Chem. Solids 24, 956 (1963).
17. Fumi, F.G. and Tosi, M.P., Ibid 25, 31 45 (1964).
18. Born, M. and Huang., K., "Dyanamic theory of Crystal lattices" (Oxford U. Press London 1945).
19. Vaidya, S.N. and Kennedy, G.C., J Phys. Cem. Solids, 31, 2329 (1970).
20. Vaidya, S.N. and Kennedy, G.C., J Phys. Chem. Solids, 32, 951 (1971).
21. Bridgeman, P.W., Proc. Am. Acad Arts. Sci. 77, 189 (1949); 72 45 (1937); 74, 21 (1940); 76, 1 (1945).
22. Anderson, O.L., J. Phys. Chem, Solids 27, 547 (1966).
23. Lewis, J.T., et. al. Phys. Rev. 161, 877 (1967).
24. A. Jayaraman, W. Klement & G.C. Kennedy Phys. Rev. 30, 2277.
25. D.E. Munson and R.P. May AIAAJ. 14, 235 (1976)
26. R.G. Mequeen, S.P. Marsh, J.W. Taylor, J. N. Fritz and W.J. Carter, Academic Press New York 1970.
27. S.P. Obsenschain, J. Green, B.H. Ripin and E.A. McLwan, Phys. Rev. utt. 46, 1402 (1981).
28. N.C. Holmes GPP Sala, 1982 P-164.
29. S. C. Rashleigh and R. A. Marshall, J. Appl. Phys. 49, 2540 (1978).
30. C.K. Shephard, Physical Rev B57 (1998).
31. Dixit, A.K., Sinha, B.K. Gupta, J.P. Sharma, S.K., Napier Indian Research Journal of Science Vol. 6 (pp 83-86), June (2011).
32. Dixit, A.K., Gupta, J.P. Sharma, S.K., Napier Indian Research Journal of Science Vol. 6 (pp 75-78), June (2011).
33. Dixit, A.K., Gupta, J.P. Sharma, S.K., Acta Ciencia Indica Vol. XXXVII, No. 4, 415 (2011).
34. Atul Gour, Sadhana Singh, R.K. Singh Journal of Physics & Chemistry of Solids Vol. 69, (pp 1669-1675), July (2008).
35. Dixit, A.K., and Sharma, S.K., Acta Ciencia Indica, Vol. XXXVIII P, No. 4, 289 (2012).
36. Dixit, A.K., Chaturvedi. S.D. and Dixit, R.C., International Advanced Journal of Science Vol. 2, pp. 15-18 July (2013).
37. Dixit, A.K., Chaturvedi. S.D. and Dixit, R.C. Acta Liencia Indica, Vol. XXXIX P., No. 4 (2013).

Table 1.1 - Table for Input Parameters

Composition (x)	r_0 (r'_0)(10^{-8}cm)	C_{11}(10^{11}dyn/cm^2)	C_{12}(10^{11}dyn/cm^2)	C_{44}(10^{11}dyn/cm^2)
0.0 (KCl)	3.036 (3.61)	5.544	0.672	0.765
0.2	2.97 (3.512)	5.25	0.598	0.709
0.4	2.90 (3.41)	4.97	0.524	0.654
0.6	2.84 (3.32)	4.69	0.450	0.598
0.8	2.775 (3.22)	4.40	0.376	0.543
1.0 (KI)	2.71 (3.12)	4.122	0.302	0.487

Table 1.2 - Model Parameters for Mixed Alkali Halide $KCl_{1-x}I_x$ at Different Compositions

Composition(x)	ñ (10^{-8}cm)	b(10^{-12}ergs)	f (r_0)	af/ (r_0)	C(10^{-60}erg x cm^6)	D(10^{-76}erg x cm^8)
0.0 (NaCl)	0.256	0.195	0.0012	-0.0146	651	1044
0.2	0.241	0.238	0.00126	-0.0155	961	1692
0.4	0.226	0.281	0.00132	-0.0164	1270	2340
0.6	0.216	0.324	0.00138	-0.0172	1580	2988
0.8	0.198	0.367	0.00144	-0.018	1889	3638
1.0 (NaI)	0.183	0.410	0.0015	-0.019	2199	4284

Table 1.3 - Thermophysical & Cohesive Properties of Mixed Halide $KCl_{1-x}I_x$ at Different Compositions

Cohesive Property	X=0		X=0.2		X=0.4		X=0.6		X=0.8		X=1.0	
	Cal	Exp.	Calc	Exp.	Calc	Exp.	Calc	Exp.	Calc	Exp.	Calc	Exp.
Gruneisen Prarmeter ã	2.43	1.63[6]	2.17		1.926		1.67		1.42		1.17	1.60[6]
Molecular force constant *f* (10^4 dyn/cm)	6.82		7.002		7.18		7.37		7.55		7.73	
Restrahl frequency õï (T Hertz)	7.39		7.15		6.91		6.68		6.45		6.21	
Debye Temperature ($È_D$) (k)	327.2	301[6]	321.34		315.5		309.9		303.8		297.9	
Ratio of volume thermal expression coefficient to specific heat at cons tant volume $á_v/C_v$ (10^{10}ergs unit)	4.29		3.81		3.33		2.86		2.38		1.90	
Compressibility (â) (10^{-12} dyn/cm)	3.11	3.1[30]	2.88		2.64		2.41		2.17		1.94	
The Anderson-Gruneisen Prarmeter $ä_T$	4.64	4.38[30]	4.18		3.72		3.27		2.81		2.35	

6 → Ref. 6
30 → Ref. 30

****

Social Maturity Of Adolescent Girls Of Normal And Broken Families In Rural And Urban Area

Dr. Abha Tiwari * Krishna Choudhary **

Abstract - The present study is designed to investigate the differences in the social maturity between adolescent girls of normal and broken families living in rural and urban areas. For this purpose sample of 240 girls studying in 9th to 12th grades was taken on purposive basis from the private and govt. schools of Hanumangarh, distt.of Rajasthan. In order to collect the data, Social Maturity scale by Rao was administered on the participants. The results indicated significant differences in some social maturity aspects of adolescent girls. No significant differences were observed in broken families for social adequacy skill. Result yield interesting findings that adolescent girls residing in normal urban areas were superior to other categories except at cooperation, as it was higher in girls of rural areas girls.

Introduction - Human development cannot be properly understood without considering the importance of family in the child's development. The family is the key social institution which nurtures many socialization processes of children. The two- parent family is traditionally been assumed to offer a better environment for the children's development than a single-parent family. The period of adolescence demand a lot of readjustment at school, social and family life and autonomy in thoughts and actions, which can be achieved in context of warm, supportive, flexible and caring parent-teen ties.

The term Social Maturity is commonly used in two ways, with respect to the behavior that is appropriate to the age of the individual under observation and secondly the behavior that conforms to the standard and expectations of the adults. Thus Social Maturity permits more detailed perception of the social environment which helps adolescents to influence the social circumstances and develop stable patterns of social behavior. Raj.M defines social maturity as the level of social skills and awareness that an individual has achieved relative to particular norms related to an age group. It is a measure of the development competence of an individual with regard to interpersonal relations, behavior appropriateness, social problem solving and judgment. **Savita and Duhan (2010)** found that respondents living with female parent or parent surrogates were lower in their mean scores of guilt proneness in comparison to the respondents of single male parent families. Broken family or family disorganization is breakdown of a family system. It may be associated with parental overburdening or loss of significant others who served as role model for children or support system for family members (**Mosby's Medical Dictionary, 2009)**.

Youth survey report (2007), reported that adolescents in single parent families were at higher risk of behavior problems victimization and mental distress than their counterpart in two parent families. **Chand (2007)**, studying the social maturity of students, indicated that there is no significant difference between the male and female, rural and urban students in the personal adequacy and inter-personal adequacy. The female students are socially mature in having a feeling of oneness with others, willingness to modify or relinquish personal goals in the interest of social goals, willingness to interact with individuals and groups, willingness to accept changes in social sittings and to adapt the demands of these changes as compared to male students. Family disorganization also indicates detachment in those family ties, which should necessarily exist between family members to create a smooth functioning as a group. The reason may be death of father/mother, divorce or separation between parents, abandonment by one of the parent, natural catastrophes, cohabitation, remarriages, reconstitution in families **(Bharat, 1994).**

Objectives of the study

1. To identify broken families with adolescent girls.
2. To study the social maturity of adolescent girls of normal and broken families.
3. To study and compare the social maturity- (personal adequacy, inter personal adequacy, social adequacy of adolescent girls of normal and broken families.

Method

1. Sample - The study was conducted on 240 girls studying in classes from IX to XII, of private and govt. schools of rural and urban areas in Hanumangarh, district of Rajasthan in North India. Systematic sampling was been taken.

2. Tool - Social Maturity Scale (Rao, 1986). This is a 90 item scale which can be group administered. It measures social maturity in adolescents with three sub scales, further detailed into three more subscales each. The three sub

*** Prof. and Head (Human Development) Govt. M.H. College of Home Science & Science for Women (Autonomous), Jabalpur (M.P.) INDIA**

**** Research Scholar, Govt. M.H. College of Home Science & Science for Women (Autonomous), Jabalpur (M.P.) INDIA**

scales are Personal adequacy, interpersonal adequacy and social adequacy. Responses are taken on a rating scale of 'strongly agree' to 'strongly disagree'. The reliability of the sub scales ranges from 0.91 to 0.63. Criterion validity is high against teacher ratings on social maturity of the students. Scoring is done with the help of a stenciled scoring key. Appropriate normative data is provided along with scores on the nine sub scales, a total social maturity score is obtained.

3. Administration - The scales were administered to the subjects in groups in the regular classroom situation. The instructions were provided on the first page of the scale booklets which are self explanatory. The answers of the subjects were recorded on the scale protocol. Scoring was done according to the instructions given in the manual.

4. Statistical analysis - In order to analyze the data, the collected data was classified and tabulated. Scores were calculated separately for social maturity, its domains and their sub aspects using the scoring procedure given by the author of the test. Three categories were formed as highly mature, mature and immature, keeping the specific objective of the study in the view. For the purpose of analysis and interpretation of results**,** frequency, percentages, mean were calculated for preparing personal profile**.** Z-test was undertaken to study the difference in means of social maturity.

Results and Discussion - The data clearly reflect mean differences in social maturity of adolescent girls of normal and broken families in rural and urban areas. The data highlighted that there were significant differences in social maturity (Z=5.02) in girls of rural and urban normal families. Significant difference also observed in personal adequacy (Z=2.19) in normal families, self direction (Z=2.06), (Z=2.11) in normal and broken families respectively.

Further, significant differences were observed in communication (Z=3.01), (Z=3.56) in normal and broken families respectively, mean values were slightly higher in normal urban families. Girls belonging to broken families were observed to have significant difference in cooperation (Z=2.01), mean values were observed high in rural girls.

Regarding social adequacy skills and openness to change, significant difference (Z=2.22) was found in adolescents of normal rural and urban areas. Urban girls scored higher mean (M=21.91) than rural girls (M=19.01). No significant differences were observed between normal and broken families for social adequacy skill. Comparison of mean value highlight that urban adolescent girls of broken families scored higher than adolescent girls of rural area for social commitment and openness to change.

Result yield interesting findings that adolescents girls residing in normal urban areas were superior to other categories except at cooperation, as it was high in rural areas girls for social maturity.

Conclusion - The type of family contributes to the significant differences in social maturity skills of adolescent girls living in urban as well as rural area. Adolescent girls of normal urban families were more work-oriented, adequate at interpersonal relationships, more socially committed, more receptive to change, and socially cooperative than adolescents of broken families. Adolescents of broken rural families were better in handling stressful conditions and were more socially tolerant than their counterparts. This may be due to the fact that adolescents of broken families are usually more resilient to stress situation in the family.

References :-

1. Bharat, S.1994.Single parent homes. *Journal of social welfare*.49 (1-2): 24-27.
2. Desai, M.1995. Towards family policy research. *Indian Journal of Social Work,* **56:** 225-231.
3. Mosby's Medical Dictionary. Eighth edition.2009.
4. Savita, and Duhan, K., 2012, Personality assessment of urban and rural adolescent boys from disorganized families. Jsociol Soc Anthropol, 3(1): 43-47.
5. Youth Survey Report, 2007, Study offers the risk of single parent on adolescents.

Comparison of social maturity of adolescent girls of normal and broken families in rural and urban area:

Sr.	Variable	Normal families(n=120)			Broken families(n=120)		
	Social maturity and its aspect	Rural (n=60) $(\overline{X}\pm SD)$	Urban (n=60) $(\overline{X}\pm SD)$	'Z' value	Rural (n=60) $(\overline{X}\pm SD)$	Urban (n=60) $(\overline{X}\pm SD)$	'Z' values
*	**Social maturity**	240.46±13.27	244.25±20.90	5.02*	239.78±21.78	239.25±20.76	0.33
I	**Personal adequacy**	79.58±12.80	81.09±10.92	2.19*	77.36±11.53	78.15±10.65	1.02
1.	Work orientation	32.12±6.64	32.94±6.72	0.44	30.08±7.11	30.88±5.87	0.33
2.	Self direction	24.54±6.67	26.04±5.98	2.06*	23.84±6.19	25.04±6.00	2.11*
3.	Ability to take stress	20.98±5.43	20.64±5.51	0.38	20.53±4.78	21.21±6.52	1.72
II.	**Interpersonal adequacy**	83.94±11.23	83.12±12.86	0.51	80.07±10.98	81.08±11.55	1.89
4.	Communication	32.18±6.57	34.87±6.99	3.01*	30.41±6.12	27.12±6.02	3.56*
5.	Enlightened trust	27.18±6.53	28.34±6.85	1.72	26.00±5.32	26.21±5.81	0.44
6.	Cooperation	24.09±4.15	23.04±5.01	1.61	22.78±4.76	20.84±5.74	2.01*
III.	**Social adequacy**	80.41±9.12	81.78±12.13	1.88	80.14±11.33	79.01±10.67	1.51
7.	Social commitment	34.14±5.11	33.94±5.42	1.59	29.67±5.39	30.44±6.88	1.40
8.	Social tolerance	26.01±5.17	26.01±6.07	0.12	29.10±5.05	28.58±6.77	1.71
9.	Openness to change	19.01±5.14	21.91±5.51	2.22*	18.01±5.82	18.36±6.07	0.66

*significant at 0.05 level

प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं का अपनी पोशाक के रखरखाव का अध्ययन

डॉ. आभा तिवारी * वीणा श्रीवास्तव **

शोध सारांश –इस शोध में निम्न सामाजिक–आर्थिक वर्ग की प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं के द्वारा अपने पहनावे के उपयोग में लिये जाने वाले वस्त्रों का रख–रखाव, उनकी धुलाई व दुरुस्त करने पर माता के कार्य करने के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस वर्ग की 132 छात्राओं का यादृच्छिकी विधि द्वारा प्रतिचयन किया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार यह पाया गया कि स्वंय के वस्त्रों के रखरखाव, उनकी धुलाई व दुरुस्त करने पर माता के कार्य करने का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकतर बालिकाऐं अपने वस्त्रों की धुलाई व दुरुस्त करने का कार्य स्वयं के द्वारा किया जाना पाया गया।

प्रस्तावना – आज का युग वस्तुओं को उपयोग में लेने व उसे उपयोग करने के बाद निकाल देने का है। ज्यादातर लोग किसी वस्तु की उम्र बढ़ाने का ख्याल भी नहीं करते। पहने जाने वाली पोशाक भी एक ऐसी वस्तु हो गई है जिसे अधिकतर लोग उपयोग करने के बाद निकाल देते हैं व रखरखाव की तरफ ध्यान देकर उसकी उम्र बढ़ाने का ख्याल नहीं करते। इस प्रवृत्ति से जहाँ एक तरफ कपड़ों की रद्दी बढ़ रही है वहीं परिवारों पर आर्थिक व सामाजिक दबाव बढ़ रहा है। प्रारंभिक किशोरावस्था, बाल्यावस्था एवं उत्तर किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती हैं, जिसमें एक विकासशील किशोर बाल्यकाल से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है, जब किशोर स्वयं को बच्चा नहीं समझता है और बाल्यकालीन व्यवहार को छोड़कर व्यस्क व्यवहार को सीखना चाहता है।

पहनावा एक प्रमुख सामाजिक व्यवस्था है। वस्त्र का उपयोग शरीर की रक्षा, व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने आदि हेतु सामाजिक–आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है। किसी परिवार का सामाजिक–आर्थिक स्तर उसकी आमदनी, शैक्षणिक स्तर व व्यवसाय पर आधारित होता है। प्रस्तुत शोध हेतु ऐसे परिवार की प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं को लिया गया हैं, जिनके परिवार का व्यवसाय मजदूरी है एवं दैनिक कार्य द्वारा आमदनी अर्जित करते है। चयनित परिवारों का अधिकतम शैक्षणिक स्तर कक्षा 10वीं तक है। इस वर्ग की बालिकाओं पर यह अध्ययन किया गया है कि वे अपने कपड़ों के रखरखाव, जिसमें उनकी धुलाई व बटन, हुक आदि जैसे छोटे दुरुस्ती के कार्यो पर उनकी माता के कार्य करने का क्या प्रभाव पड़ता है।

चर –

स्वतंत्र चर – माता का गृहिणी होना, माता का कार्य करने का प्रभाव।

परतंत्र चर – पोशाक का रखरखाव, धुलाई व दुरुस्त करना।

नियंत्रित चर – निम्न सामाजिक–आर्थिक वर्ग के परिवार एवं प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाएं।

उद्देश्य –

1. प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं के पोशाक की धुलाई पर माता के कार्य करने प्रभाव का अध्ययन।
2. प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं के पोशाक को दुरस्थ करने पर माता के कार्य करने प्रभाव का अध्ययन।

परिकल्पना –

1. परिणामों की सार्थकता ज्ञात करने हेतु शून्य परिकल्पना निम्नानुसार निर्मित की गई।
2. प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं के पोशाक की धुलाई पर माता के कार्य करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
3. प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं के पोशाक को दुरस्थ करने पर माता के कार्य करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

न्यादर्श – अध्ययन हेतु 12 से 14 वर्ष की प्रारंभिक किशोरावस्था की 132 बालिकाओं का यादृच्छ विधि द्वारा प्रतिचयन किया गया। चयन की गई सभी बालिकाएं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों से ली गई जिनके परिवार के प्रमुख अर्जक दैनिक कार्य से धन अर्जित करता हैं व परिवार प्रमुख का अधिकतम शैक्षणिक स्तर दसवीं तक है। चयनित 69 बालिकाओं की माता गृहिणी हैं व 63 बालिकाओं की माता कार्य करती हैं।

विधि – अध्ययन हेतु शोधकर्त्ता द्वारा स्व–निर्मित प्रश्नावली को उपयोग किया गया है। शोध हेतु जबलपुर शहर के शा. हाई. स्कूल की बालिकाओं का चयन किया जाकर उन पर प्रश्नावली का प्रशासन किया गया।

सांख्यिकी विधि – संकलित तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने हेतु काईवर्ग का प्रयोग किया गया है।

उपकरण – प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं के पहनावे के चयन का अध्ययन करने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या – चयनित समूह की बालिकाओं पर प्रश्नावली का प्रशासन करन के पश्चात प्राप्त परिणाम की व्याख्या एवं विश्लेषण निम्नानुसार है –

तालिका क्रंमाक 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

ग्राफ क्रंमाक 1 (अ) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

ग्राफ क्रंमाक 1 (ब) (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सारणी एवं ग्राफ में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट होता है कि जहां माता कार्य करती है वहां बालिकाओं के पोशाकों की धुलाई स्वयं के द्वारा किये जाने का प्रतिशत जहां पर माता गृहिणी है से अधिक है। परंतु प्राप्त काई–वर्ग का मान सांख्यिकीय दृष्टिकोण से माता के कार्य करने या ना करने के परिणामों

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (मानव विकास) शासकीय स्व. मो. ह. गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, मानव विकास, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

में सार्थक अंतर नहीं है। माता कार्य करे या गृहिणी हो, अधिकांश बालिकाएं स्वयं के द्वारा अपनी पोशाकों की धुलाई करती है।

तालिका क्रंमाक 2 (देखे)

ग्राफ क्रंमाक 2 (अ) (देखे)

ग्राफ क्रंमाक 2 (ब) (देखे)

ग्राफ क्रंमाक 2 (स) (देखे)

सारणी एवं ग्राफ में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट होता है कि जहाँ माता कार्य करती है वहां बालिकाओं के पोशाकों की छोटे दुरुस्थ करने का कार्य स्वयं के द्वारा किये जाने का प्रतिशत जहाँ पर माता गृहिणी है से अधिक है। परंतु प्राप्त काई-वर्ग का मान सांख्यिकीय दृष्टिकोण से माता के कार्य करने या ना करने के परिणामों में सार्थक अंतर नहीं है। माता कार्य करे या गृहिणी हो, अधिकांश बालिकाएं स्वयं के द्वारा अपनी पोशाकों को दुरुस्थ करती है।

इस प्रकार उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग के परिवारो की प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाएं अपने पोशाकों की रखरखाव स्वयं के द्वारा करती है। प्रस्तुत शोध में न्यादर्ष निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग के परिवारों की प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं को लिया गया है। अधिकांश माता-पिता दैनिक कार्य कर वेतन अर्जित करते है व गृहस्थी को अन्य कार्यो में व्यस्त रहते है जिसके कारण बच्चों की पोशाकों के रखरखाव के लिये समय नहीं दे पाते। इन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती हैं एवं वे मुश्किल से ही अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति कर पाते है। उक्त आर्थिक स्थिति के कारण कपड़ों की धुलाई घर पर ही होती है व कपड़ों के छोटे रखरखाव जैसे बटन लगाना आदि का कार्य स्वयं करते है। कपड़ों के रखरखाव के कार्य इन परिवारों के लिये आवश्यक भी है, क्योंकि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे पोशाकों पर अधिक खर्च कर सके। उपरोक्त न्यादर्श की बालिकाओं के संदर्भ में परिकल्पनाऐं स्वीकृत होती है।

निष्कर्ष – शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि –

1. निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के परिवारों की प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं के पोशाक की धुलाई स्वयं के द्वारा की जाती है व इस पर माता के कार्य करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
2. निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के परिवारों की प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं के पोशाक को दुरुस्थ स्वयं के द्वारा किया जाता है व ऐसे कपड़ों के कार्यो पर माता के कार्य करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बर्मन गायत्री (2005), किशोरावस्था, द्वितीय संस्करण, शिवा प्रकाशन, इंदौर, पृ. 63 से 67
2. एलिजाबेथ बी हरलॉक (1964), बाल विकास, चतुर्थ संस्करण, टाटा मेग्राव-हिल, न्यूयार्क, पृ. 705
3. सुलैमान डॉ. मुहम्मद (2012), मनोविज्ञान षिक्षा एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी, छठा संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 308 से 433

तालिका क्रंमाक 1

प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं द्वारा अपने पोशाकों की धुलाई करने में माता के कार्य करने का प्रभाव।

	मातागृहिणी है	माता कार्यकरती हैं	प्रतिशत	काई-वर्ग	सार्थकता
स्वयं कपड़ों की धुलाई करती हैं	51	54	79.55%	2.82	0.01
माता-पिता द्वारा कपड़ों की धुलाई की जाती हैं	18	9	20.45%		

तालिका क्रंमाक 2

प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिकाओं द्वारा अपने पोशाकों को दुरुस्थ करने में माता के कार्य करने का प्रभाव

	मातागृहिणी है	माता कार्यकरती हैं	प्रतिशत	काई-वर्ग	सार्थकता
स्वयं अपने पोशाकों को दुरुस्थ करती हैं	48	54	77.27%	4.89	0.01
माता-पिता द्वारा पोशाकों को दुरुस्थ किया जाता हैं	21	9	22.73%		

ग्राफ क्रंमाक 1 (अ) वस्त्रों की धुलाई जिसके द्वारा की जाती है का प्रतिशत

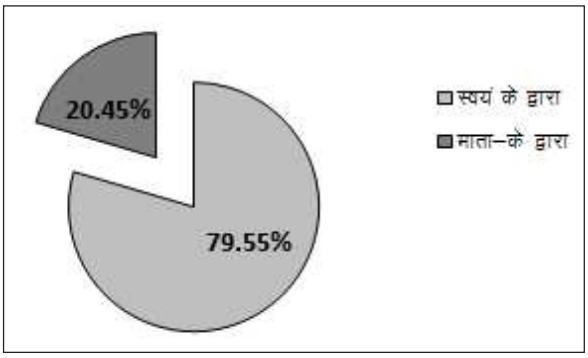

ग्राफ क्रंमाक 1 (ब) वस्त्रों की धुलाई पर माता के गृहणी होने का प्रभाव

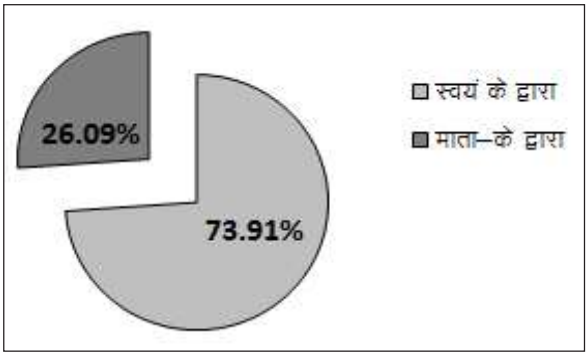

ग्राफ क्रंमाक 1 (स) वस्त्रों की धुलाई पर माता के कार्य करने का प्रभाव

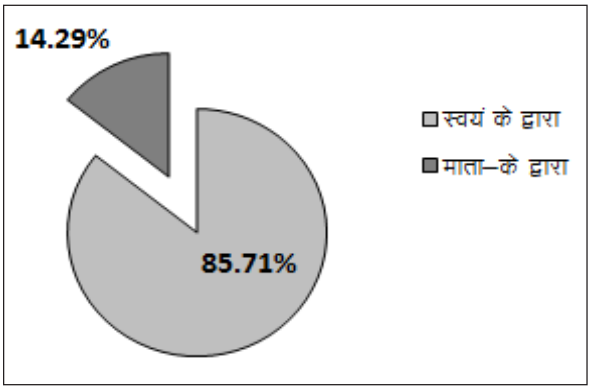

ग्राफ क्रंमाक 2 (अ) वस्त्रों को दुरूस्थ जिसके द्वारा किया जाता है

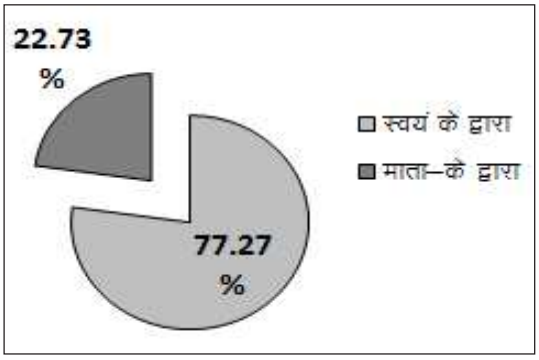

ग्राफ क्रंमाक 2 (ब) वस्त्रों को दुरूस्थ करने पर माता के गृहणी होने का प्रभाव

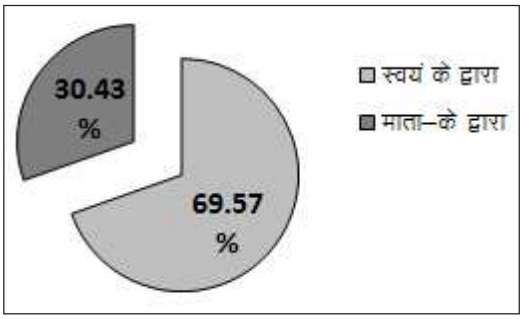

ग्राफ क्रंमाक 2 (स) वस्त्रों को दुरूस्थ करने पर माता के कार्य करने का प्रभाव

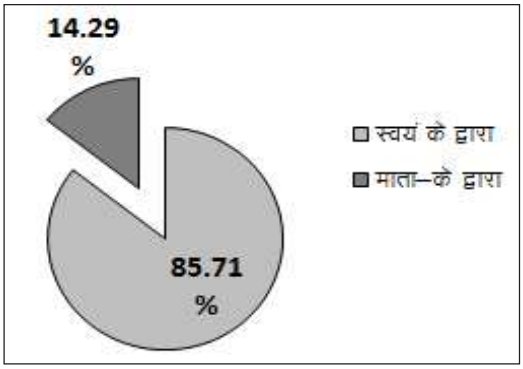

****

सतना शहर के उपभोक्ताओं की खरीददारी में ध्यान देने योग्य तथ्यों का अध्ययन

डॉ. शुचिता तिवारी * ज्योति सिंह **

प्रस्तावना – उपभोक्ता अर्थव्यवस्थाओं का सम्राट तथा समस्त विपणन क्रियाओं का प्रारम्भिक एंव अंतिम **लक्ष्य** है। उपभोक्ता की वस्तुओं तथा सेवाओं से प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि सर्वोपरि है और यही धारणा मानकर विपणन क्रियाओं का प्रबन्धन वर्तमान के वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के दौर में किया जाना लाभप्रद है आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को व्यावसायिक जगत का **केन्द्र बिन्दु** माना जाता है वर्तमान व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धात्मक अर्थव्यवस्था में भी उपभोक्ता **'राजा'** नहीं है, **'उपभोक्ता उस तथाकथित राजा के समान है जो राजा होते हुए अधिकारो एंव सुविधाओं से सर्वथा वंचित रहता है।'** आज का उपभोक्ता बुरी तरह से पीड़ित है, दयनीय स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है, उसे एक नहीं अनेक प्रकार से लूटा जाता है, कभी कम मापतौल के कारण तो कभी वस्तुओं की घटिया किस्म के कारण कभी मिलावट करके तो कभी नकली वस्तुओं को उपलब्ध करके तो कभी माल की पूरी मात्रा उपलब्ध न करके तो कभी रातों–रात मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। यहाँ तक कि दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुओं में व्यापक मिलावट, उत्पाद के बनने की तारीख, पैकेज की आकर्षकता, उत्पाद मूल्य, उत्पाद के भाव के प्रति सर्तकता व उपभोक्ताओं एंव उनके अधिकारों की रक्षा की गारन्टी के लिए उनमें चेतना जाग्रत करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं को वस्तुओं व सेवाओं की खरीददारी करते समय उचित मार्गदर्शन व संरक्षण की आवश्यकता को अनुभव किया गया है इसलिए शोध विषय के रूप में **'उपभोक्ताओं की खरीददारी करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्यों से सम्बन्धित जानकारी का अध्ययन** को चयनित किया गया।

संबंधित शोध अध्ययन –

- **यायनी, (2008),** के शोध अध्ययन **'उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन** के अनुसार पहले की अपेक्षा उपभोक्ता व्यवहार अब बदल गया है उपभोक्ता उत्पाद की अच्छी किस्म व गुणवत्ता को ध्यान में रखकर खरीददारी करता है। कई साल पहले यह जानकारी उपभोक्ताओं को ज्ञात नहीं थी कि उत्पाद के बारे में हमें क्या जानना है। हम अब उत्पाद के विषय में पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही उत्पाद को क्रय करते है। खाद्य उत्पाद क्रय करने से पहले हम उत्पाद के पीछे देखते है कि किस सामग्री का प्रयोग किया गया है, उत्पाद संबंधी अधिनियम से मुद्रित, निर्माता का नाम, उत्पाद की बनने व अंतिम तारीख को ध्यान में रखकर ही खरीददारी करते है। आज के उपभोक्ता जागरूक उपभोक्ता के रूप में क्रय करते है जिससे यह पता चलता है कि उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन आया है।
- नमिता राजपूत, सुबोध केशरवानी और आंकाक्षा खन्ना (2012) के शोध अध्ययन 'महिला के खरीददारी व्यवहार से संबंधित भारत में ब्राण्डेड परिधान की गतिशीलता' के अनुसार उपभोक्ता बाजार में परिधान की खरीददारी विविध फैशन, ब्राण्ड, डिजाइनर ब्राण्ड को ध्यान में रखकर करते है। वर्तमान समय में ज्यादातर उपभोक्ता मॉल, इंटरनेट व विज्ञापन के माध्यम से खरीददारी करते है।

कई बार महिला उपभोक्ता फैशन, ब्राण्ड व परिधान के प्रति सेलिब्रिटी का समर्थन को ध्यान में रखकर खरीददारी करती है उपभोक्ता के खरीददारी व्यवहार में विशेष रूप से महिलाओं के बीच पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव ज्यादा पड़ा है व पश्चिमी प्रवृत्तियों के प्रति महिलाओं का सकारात्मक दृष्टिकोण में भी वृद्धि हुई है। भारतीय उपभोक्ता अब खुले दिमाग और प्रयोगात्मक रूप से विदेशी ब्राण्डों को व्यापक रूप से स्वीकृति दे रहे है।

शोध उद्देश्य – 'सतना शहर के उपभोक्ताओं की खरीददारी करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्यों से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना है। यह शोध अध्ययन महिला एंव पुरूष उपभोक्ताओं पर किया गया है।

शोध परिकल्पना – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निर्मित शोध परिकल्पना है।

- **उपभोक्ता खरीददारी के प्रति जागरूक पाये जाएगें।**

अध्ययन का समग्र – औद्योगिक तथा भौगोलिक दृष्टि से सतना शहर की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से बघेलखण्ड एंव बुन्देलखण्ड क्षेत्र का व्यापारिक कार्य संपादित किया जाता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण, सीमेंट व अन्य कारखानों में वृद्धि, नगरीकरण, परिवहन, शिक्षा एंव स्वास्थ्य सुविधाओं में निरन्तर सुधार एंव विस्तार के कारण वर्तमान में सतना शहर मध्यप्रदेश के मानचित्र में प्रमुख औद्योगिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, दर्शनीय स्थलों और आध्यात्मिक स्थलों की दृष्टि से एक विकासषील, प्रगतिशील एंव वैभवशील नगर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये प्रश्नावली का निर्माण किया गया। शोध विषय का चयन, प्रदत्तों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन एंव निष्कर्षो का निर्वाचन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया गया है।

शोध उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में सतना शहर की उपभोक्ताओं की खरीददारी करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्यों से संबंधित जानकारी का अध्ययन हेतु शोध उपकरण के अन्तर्गत प्रश्नावली का निर्माण किया गया

* प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

है। प्रश्नावली का प्रथम भाग में सामान्य जानकारी व द्वितीय भाग में उपभोक्ताओं खरीददारी संबंधी ध्यान रखने योग्य तथ्यों की जानकारी से संबंधित प्रश्नों को सम्मलित किये गये है।

न्यादर्श का चयन – सतना शहर के समस्त उपभोक्ताओं के खरीददारी करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्यों से सम्बन्धित जानकारी का अध्ययन करना व्यावहारिकतौर पर करना संभव नहीं है समय व अन्य संसाधनों की सीमितता के कारण न्यादर्श के रूप में सतना शहर के 50 उपभोक्ताओं का चयन किया गया।

प्रदत्तों का संकलन – शोध अध्ययन हेतु सतना शहर के 50 उपभोक्ता से शोध अध्ययन हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रश्नावली के प्रथम भाग में सामान्य जानकारी व द्वितीय भाग में शोध विषय से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया व प्रश्नों के उत्तर के रूप में हाँ व नहीं का प्रयोग किया व प्रश्नों के समझ ही उत्तार प्राप्त किये गये। सर्वेक्षण के लिए उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा प्रश्नावली भरवाई गई है।

सांख्यिकीय विष्लेषण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रतिशत का उपयोग किया गया।

तालिका

उपभोक्ताओं द्वारा खरीददारी करते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक तथ्यों के बारे में जानकारी – (देखे अगले पृष्ठ पर)

सर्वेक्षण द्वारा उपभोक्ताओं के खरीददारी करते समय ध्यान देने योग्य तथ्यों के बारे में जानकारी दर्शायी गयी है यह जानकारी खरीददारी करते समय ध्यान देने योग्य तथ्य, लगी सील की चेकिंग, उत्पाद बनने की तारीख, पैकेज की आकर्षकता, उत्पाद के माप, वजन के प्रति सर्तकता, खरीदे गये उत्पाद की दोबारा चेकिंग खरीदे गये उत्पाद की गांरटी/वारंटी, उत्पाद मूल्य की बाजार में स्थित विभिन्न दुकानों से तुलना से संबंधित है।

- तालिका के अवलोकन से यह पता चलता है कि 92 प्रतिशत उपभोक्ता खरीददारी करते समय उत्पाद में लगी सील को चेक करते है जबकि 8 प्रतिशत उपभोक्ता खरीददारी के समय इस पर ध्यान नहीं देते है।
- तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी 100 प्रतिशत उपभोक्ता खरीददारी करते समय उत्पाद बनने की तारीख को चेक करते है।
- तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत ही खरीददारी करते समय पैकेज की आकर्षकता से हमेशा प्रभावित होते है जबकि 50 प्रतिशत उपभोक्ता करते समय इस ओर ध्यान नहीं देते है।
- तालिका के अवलोकन से यह पता चलता है कि 70 प्रतिशत उपभोक्ता ही खरीददारी करते समय उत्पाद के मूल्य की ओर ध्यान देते है जबकि 30 प्रतिशत उपभोक्ता इस ओर ध्यान नहीं देते है।
- तालिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 70 प्रतिशत उपभोक्ता खरीददारी करते समय उत्पाद के माप–वजन के प्रति सर्तक होते है तथा 30 प्रतिशत उपभोक्ता इस ओर ध्यान नहीं देते है।
- तालिका के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है। कि 30 प्रतिशत उपभोक्ता ही खरीददारी करते समय उत्पाद की गारन्टी/वारन्टी के बारे में जानने का प्रयास करते है जबकि 70 प्रतिशत उपभोक्ता इस ओर ध्यान नहीं देते है।
- तालिका के अवलोकन से यह पता चलता है कि 12 प्रतिशत उपभोक्ता खरीदे गये उत्पाद की दोबारा चेकिंग करते है जबकि 88 प्रतिशत उपभोक्ता दोबारा चेकिंग नहीं करते है।
- तालिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत उपभोक्ता खरीददारी करते समय खरीदे गये उत्पाद की बाजार स्थित अन्य दुकानों से तुलना करते है जबकि 60 प्रतिशत उपभोक्ता इस ओर ध्यान नहीं देते है।

विवेचना एंव निष्कर्ष – बाजार में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विक्रेता के द्वारा अनेक उपाय किये जाते है ऐसी स्थिति में कई बार उपभोक्ताओं के ठगे जाने की संभावनाएँ बढ़ जाती है साथ ही विक्रेता द्वारा मन को लुभाने वाली लच्छेदार बातों के जाल में फँसकर कई बार उपभोक्ताओं को आवश्यक तथ्यों के बारे में जानकारी में एकत्रित की गई प्राप्त परिणाम उपभोक्ताओं के खरीददारी के दौरान सर्तकता के प्रति धनात्मक रूझान प्रदर्शित करते है जैसे सर्वेक्षित उपभोक्ताओं में 92 प्रतिशत सील चेक करते है, 100 प्रतिशत उपभोक्ता उत्पाद के बनने की तारीख देखते है जबकि 50 प्रतिशत उपभोक्ता पैकेज की आकर्षकता पर ध्यान नहीं देते है वहीं 70 प्रतिशत उपभोक्ता उत्पाद के मूल्य का ध्यान रखते है उत्पाद में माप के प्रति 70 प्रतिशत उपभोक्ता सर्तकता बरतते है जो खरीदे गये उत्पाद की दोबारा चेकिंग सर्वेक्षित उपभोक्ताओं में से 88 प्रतिशत खरीदे गये उत्पाद की दोबारा चेकिंग नहीं करते और न ही उत्पाद की गारन्टी/वारन्टी के बारे में जानने का प्रयास करते है यह प्रवृत्ति उपभोक्ताओं में दूरदर्षिता के अभाव को बताते है साथ ही अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता को प्रदर्षित करते है जो कि उपभोक्ता के हित में उचित नहीं है। प्राप्त परिणाम यह भी बताते है कि सर्वेक्षित उपभोक्ता में से 60 प्रतिशत उत्पाद के मूल्य की तुलनात्मक जानकारी एकत्रित नहीं करते है।

खरीददारी करते समय उपभोक्ता वस्तु की सील की चेकिंग, उत्पाद बनने की तारीख, उत्पाद के मूल्य, उत्पाद की माप के प्रति सदैव ध्यान देते है जो उनके विवेकपूर्ण खरीददारी के प्रति उपभोक्ता व्यवहार को प्रदर्शित करते है किन्तु वस्तु की चेकिंग एंव उसकी गारन्टी/वारन्टी के प्रति मात्र 30 प्रतिशत उपभोक्ता जागरूक पाये गये साथ ही 50 प्रतिशत उपभोक्ता पैकेज की आकर्षकता से नहीं प्रभावित होती है। सतना शहर एक कस्बाई क्षेत्र होने से यहाँ के उपभोक्ता ऑनलाइन खरीददारी के प्रति जागरूक नहीं है अत: उन्हे विभिन्न माध्यमों से खरीददारी के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।

'आज का उपभोक्ता' कल के उपभोक्ता की तुलना में स्वंय को अधिक असुरक्षित महसूस करते है। कम माप–तौल, किस्म गिरावट, मूल्य वृद्धि, कम भरण, नकली उत्पाद, असत्य व भ्रामक विज्ञापन, विक्रयोपरान्त सेवाओं में कमी अथवा उनका अभाव, गारन्टी व आश्वासनों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार आदि क्षेत्रों में अनगिनत घटनायें जन्म ले रही है जो चिन्ता का विषय है उपभोक्ताओं की दिशा में जितना चिन्तन और प्रयत्न वैयक्तिक तथा सामूहिक स्तर पर किया जाये, वह लाभोपयोगी रहेगा और उपभोक्तावाद की जड़े उतनी ही मजबूत होगी।

सुझाव – उपभोक्ताओं को खरीददारी करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव अग्रलिखित है।

- उपभोक्ताओं को उत्पाद संबंधी जानकारियों को प्रदान करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए।
- उपभोक्ताओं व निर्माताओं को वस्तुओं व सेवाओ के सन्दर्भ में सभी जानकारियों से अवगत कराना चाहिए।
- सरकार को मिलावट व जमाखोरी को रोकने के लिए उड़नदस्तों की गठन करना चाहिए।
- जनसंचार माध्यमों पर विविध कार्यक्रमों का प्रसारण करके उपभोक्ता को जागरूक बनाया जाना चाहिए।

- उपभोक्ता संघों अधिक सक्रिय एंव संघर्षशील बनाया जाना चाहिए।
- उपभोक्ता संरक्षण पर अत्यधिक साहित्य का प्रकाशन एंव वितरण किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. वाजपेयी आर.एस. सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण, दशम् संस्करण, किताब घर, कानपुर।
2. गौतम शिवानन्द (2000), सतना शहर एक भौगोलिक अध्ययन, शोधपत्र, भूगोल विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना (म.प्र.)
3. कपिल एच.के. (1986-87), अनुसंधान एवं सांख्यिकीय, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
4. मुखर्जी रवीन्द्रनाथ (1981), सामाजिक शोध व सांख्यिकीय, विवेक प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ. 28।
5. राय पारस नाथ (1999), अनुसंधान परिचय अष्टम संस्करण, पृ.क्र. 20 से उद्धत्।
6. Yanni (2008) Report Changes in Consumer Behaviour www.google.com
7. (2012): रिपोर्ट, 'महिला के खरीददारी व्यवहार से संबंधित भारत से ब्रांण्डेड परिधान की गतिशीलता का अध्ययन' विपणन अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल वाल्यूम -4।

तालिका

उपभोक्ताओं द्वारा खरीददारी करते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक तथ्यों के बारे में जानकारी

न्यादर्श (N) - 50

क्र.	ध्यान देने योग्य तथ्य	हाँ	प्रतिशत (%)	नहीं	प्रतिशत (%)	कुल योग(N)	प्रतिशत (%)
1.	लगी सील की चेकिंग।	46	92	4	8	50	100
2.	उत्पाद बनने की तारीख।	50	100	-	-	50	100
3.	पैकेज की आकर्षकता।	25	50	25	50	50	100
4.	उत्पाद मूल्य।	35	70	15	30	50	100
5.	उत्पाद के माप के प्रति सर्तकता।	35	70	15	30	50	100
6.	खरीदे गये उत्पाद की गांरटी/ वांरटी के बारे में जानना।	15	30	35	70	50	100
7.	खरीदे गये उत्पाद की दोबारा चेकिंग।	6	12	44	88	50	100
8.	उत्पाद मूल्य की बाजार में स्थित विभिन्न दुकानों से तुलना।	20	40	30	60	50	100

स्त्रोत - सर्वेक्षण पर आधारित।

****

कार्यकारी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव का अध्ययन सतना जिले के सन्दर्भ में

डॉ. शुचिता तिवारी * शारदा अहिरवार **

शोध सारांश – विश्व में दिन प्रतिदिन संगठित एवं असंगठित कार्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता जा रहा हैं। पारिवारिक एवं व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन का निरंतर दबाव कार्यकारी महिलाओं में तनाव को जन्म देता हैं। कार्यस्थल, कार्यपद्धति, सहयोगियों, कर्मचारियों एवं उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध न होना, कार्य संबंधी आधुनिक तकनीकी की अपर्याप्त जानकारी, अवकाश में कमी, कार्य की समयावधि, असहयोग, अपर्याप्त प्रशिक्षण, कम वेतन, सुविधाओं में कमी इत्यादि कारक तनाव स्तर में वृद्धि करते है जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव कार्यक्षमता एवं मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर पडता है। तनाव के दूरगामी प्रभाव अनेक मानसिक शारीरिक रोगों के रूप में दिखाई देते है तनाव से महिलाओं का व्यक्तिगत पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन भी बहुत अधिक प्रभावित होता हैं। वैश्विक पटल में कार्यकारी महिलाओं के बढते ग्राफ को देखते हुए यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महिलाओं में कार्य क्षमताओं की कोई कमी नही है इन क्षमताओं का संपूर्ण दोहन, संवर्धन किया जाना आवश्यक है इसलिए कार्यकारी महिलाओं में व्यवसाय जनित तनाव का उचित निराकरण किया जाना अनिवार्य है।

प्रस्तावना – भारत वर्ष में कार्यकारी महिलाओं का प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएँ कार्यरत नहीं है। सम्मान जनक पदो तक पहुँचने के लिए महिलाएँ कड़ा संघर्ष करती है परम्परागत पुरूष प्रधान व्यवसायों में अपने प्रभावी प्रदर्शन के लिए निरन्तर प्रयास करते हुए अनेक व्यावसायिक तनावों का सामना करती है। ये तनाव महिलाओं में अनेक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उत्पन्न करते है अवसाद, अनिद्रा, असंतोष, चिड़चिड़ापन, क्रोध, चिंता, भय, अपराधबोध, पलायनवादिता, हृदय रोग, रक्त चाप, शरीर दर्द, सिर दर्द, पाचन संबंधी रोग, प्रजनन संबंधी रोग के साथ–साथ नकारात्मक सोच, नौकरी में परिवर्तन, कार्यस्थल में अनुपस्थिति जैसी प्रवृत्तियॉ उत्पन्न करती है।

शिक्षा और क्षमताओं के सकारात्मक उपयोग, आर्थिक सशक्तिकरण, पारिवारिक आय स्त्रोतो में वृद्धि जैसे कारको के कारण महिलाएँ अपने व्यवसाय और परिवार दोनों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है, और करना चाहती है। इन दोनों ही कार्यक्षेत्र में महिलाओं को मिलने वाला असहयोग, उत्पीड़न, उच्च स्तर का तनाव उत्पन्न करता है, जिसका सीधा प्रभाव उनकी कार्य क्षमता पर पड़ता है।

व्यावसायिक तनाव के मुख्य कारण अत्यधिक कार्यभार, कार्यस्थल का सुविधाजनक न होना, अधिकारियों द्वारा की गई आलोचना, सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण संबंध, कम अवकाश, कार्य अवधि का अधिक होना, कार्य स्थल में उत्पीड़न, कार्य संबंधी प्रशिक्षण का अभाव, योग्यतानुरूप पद न मिलना, प्रशंसा का अभाव, वेतन का कम होना आदि प्रमुख कारक है, जो व्यावसायिक तनाव को उत्पन्न करने में उत्तरदायी माने जाते है। व्यावसायिक तनाव का स्तर अधिक होने पर महिलाओं में अनेक मनोदैहिक परिवर्तन दिखाई देते है जिनका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता है और व्यावसायिक तनाव के कारण पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होता है।

Keni J.W, Bhattacharya (2000) ने महिलाओं के तनाव, व्यक्तित्व लक्षण और स्वास्थ्य समस्याओं के इंटरएक्टिव माँडल पर एक अध्ययन किया इस अध्ययन के अनुसार महिलाएँ विशिष्ट प्रकार के तनावो का सामना करती है इसलिए उनको तनाव से मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली एवं तनाव निवारक कार्यक्रमों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है सामाजिक सहयोग एक महत्वपूर्ण तनाव निवारक कारक हो सकता है।

Onasoga Olayinka A., Ogbebor Sarah Os a Mudiamen and Ojo A.A. (2013) ने शोध अध्ययन में प्राप्त आकड़ों के अनुसार वरिष्ठ व शादीशुदा नर्सो में कम वेतन के कारण 82% नर्सो में तनाव तथा रोगियो की अत्यधिक संख्या तथा व्यवसाय के प्रति असुरक्षा के कारण 83% नर्सो मे तनाव पाया गया जबकि अन्य प्रकार के तनाव जैसे शारीरिक तनाव में सिर दर्द, कार्य क्षमता में कमी, मानसिक तनाव में– एकाग्रता की कमी, भूलने की आदत, कार्य अव्यवस्थित होना तथा भावनात्मक तनाव में अत्यधिक क्रोधित होना, चिड़चिड़ापन आदि से 49% नर्सो में तनाव पाया गया। बेनिन सिटी हॉस्पिटल में अध्ययन कर पाया गया कि नर्सो में तनाव के स्तर को कम करने के लिए तनाव प्रबंधन किया जाना चाहिए जिससे नर्सो की रोगियों की देखभाल के लिए अत्यधिक दबाव न देना, कार्य वातावरण को तनाव मुक्त रखना नर्सो द्वारा दिए गए विचारो को सकारात्मकता से समझना आदि सम्मिलित किए गए।

Elizabeth Scott (2012) ने एरिजोना विश्वविद्यालय ने एक शोध किया जिसमें 166 शादीशुदा जोड़ो का 42 दिन तक सतत् सर्वेक्षण किया गया। इस शोध में पाया गया कि पुरूषो की अपेक्षा महिलाओं में तनाव का स्तर उच्च होता है अत: यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि तनाव प्रबंध की तकनीको का उपयोग कर महिलाओं में तनाव के स्तर को कम किया जाए। लुइसियाना राज्य विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने महिलाओं में उनकी भूमिका, संतुलन, स्वास्थ्य स्थिति की जांच, दैनिक परेशानियों का आंकलन आदि का सर्वेक्षण करने के लिए ए ग्रेड स्कूल के बच्चो की माँताओं से बात की और पाया कि विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हुये दैनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव माताओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अध्ययनकर्ताओं ने यह भी पाया कि संतुलित जीवन शैली भूमिका अदायगी व बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण व आवश्यक है।

* प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान, शासकीय कन्या महाविद्यालय,कटनी (म.प्र.) भारत

Sangeeta R. Mane (2011) ने भारत के हुबली धाखाड़ नगर निगम कर्नाटक में कामकाजी महिलाओं के व्यावसायिक तनाव पर एक व्यक्तिगत अध्ययन किया यह शोध अध्ययन कार्यकारी महिलाओं के व्यावसायिक तनाव के विभिन्न आयामों और सामाजिक भौगोलिक प्रोफाइल के मध्य संबंधों के मूल्यांकन पर आधारित है इस शोध अध्ययन का उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कार्यकारी महिलाओं में पारिवारिक माँगों और कार्यकारी जीवन की समस्याओं का सामना करते समय उत्पन्न दबाव के तनाव का अध्ययन करना है।

Nagina parveen(2009) ने हैदराबाद शहर की विवाहित और अविवाहित कामकाजी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव के शोध अध्ययन में ज्ञात किया कि महिलाओं के उत्तरदायित्वों/कर्तव्यों का स्तर भी तनाव को प्रभावित करता है। इस अध्ययन में नमूने के लिए 180 महिलाओं को लिया जिसमें से 90 विवाहित तथा 90 अविवाहित थी। इस अध्ययन के लिए व्यावसायिक तनाव पैमाने (ओ.एस.एस., सोहेल और खानम 2000) का उपयोग किया। इस अध्ययन में पाया गया कि विवाहित महिलाओं में अविवाहित महिलाओं की अपेक्षा व्यावसायिक तनाव अधिक पाया गया। विवाहित महिलाओं में अधिक तनाव पाये जाने का प्रमुख कारण विवाहित महिलाओं द्वारा माँ, पत्नी, गृहिणी के रूप मे अनेक भूमिकाओं का निर्वाह किया जाना था।

Nezhad Zarra Maryam (2010) इस शोध अध्ययन का उद्देश्य कार्यकारी महिलाओं में तनाव और पारिवारिक कठिनाइयों के बीच संबंध का पता लगाना है। इस अध्ययन में ईरान के एक बड़े शहर से 250 शादीशुदा कामकाजी महिलाओ को नमूने के रूप में चुना गया। एक गैर प्रयोगात्मक Cross-sectinal सर्वेक्षण पैमाने का प्रयोग किया गया, जिसमें जनसांख्यिकीय, सूचना प्रपत्र, कार्य तनाव सूची, परिवार अनुकूलन क्षमता और सामंजस्य मूल्यांकन सूत्रों का प्रयोग किया गया। सह संबंध विश्लेषण का प्रयोग करते हुए परिणाम प्राप्त हुआ कि व्यावसायिक तनाव व पारिवारिक कठिनाइयों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपरोक्त शोध अध्ययन द्वारा प्राप्त परिणामों के विश्लेषण से यह जानकारी प्राप्त होती है कि दोहरे उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने में अधिकांश महिलाएँ प्रसन्न और संतुष्ट रहती है साथ ही यह परिणाम दर्शाते है कि कार्यकारी महिलाओं पर व्यावसायिक वातावरण व उसके विभिन्न पहलुओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

शोध उद्देश्य – सतना शहर की कार्यकारी महिलाओ में व्यावसायिक तनाव उत्पन्न करने वाले कारको को ज्ञात करना शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। यह शोध अध्ययन कार्यकारी महिलाओं के व्यावसायिक तनाव के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज करने के साथ तनाव उत्पन्न करने वाले कारको पर नियंत्रण करके कार्यकारी महिलाओं की कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि लाने में सहायक सिद्ध होगा।

शोध परिकल्पना – कार्यकारी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव पाया जाता है। शोध प्रविधि प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया का उपयोग करके तथ्यो का एकत्रीकरण, सम्पादन व सारणीयन करके सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त किये जायेगे।

अध्ययन का समग्र – सतना शहर सतना जिले का एक प्रमुख व्यावसायिक शहर है मध्यप्रदेश के मानचित्र में यह एक विशिष्ट स्थिति रखता है। परिवहन, शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण जैसे कारको ने सतना को एक विकासशील शहर के रूप में स्थापित किया है।

शोध उपकरण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में सतना शहर की कार्यकारी महिलाओं के व्यावसायिक तनाव के कारणो की जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया। साक्षात्कार से पूर्व महिलाओं से उनकी व्यक्तिगत व पारिवारिक जानकारी प्राप्त की गई।

न्यादर्श का चयन – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सतना शहर की 20 कार्यकारी महिलाओं को उद्देश्य पूर्ण विधि से न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया।

न्यादर्श की विषेषताएँ–

- सभी महिलाएँ 25–50 वर्ष की है।
- सभी महिलाएँ शिक्षित है।
- सभी महिलाएँ मध्यम वर्ग की है। न्यादर्श के रूप में चयनित महिलाएँ व्याख्याता, प्राध्यापक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बैंक कर्मी के रूप में कार्यरत है।

आँकड़ों का संकलन– शोध परक जानकारी हेतु साक्षात्कार द्वारा कार्यकारी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों की जानकारी प्राप्त की गई यह जानकारी उनसे उनके कार्यस्थल में जाकर एकत्रित की गई साक्षात्कार पूर्व उन्हें प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य की जानकारी दी गई तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनके द्वारा दी गई जानकारी अकादमिक एवं शोध कार्यो में ही प्रयक्त की जाएगी। प्रत्येक साक्षात्कार में लगभग 15 मिनट का समय लगा। साक्षात्कार द्वारा प्राप्त उत्तरों को सारणीबद्ध करके विश्लेषित किया गया।

परिणाम– प्रस्तुत शोध अध्ययन में सतना शहर की 20 कार्यकारी महिलाओं पर साक्षात्कार विधि द्वारा सर्वेक्षण के पश्चात् प्राप्त आँकड़ों को तालिका में दर्शाया गया।

तालिका क्रमांक 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

तालिका का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि –

- 70% महिलाएँ अधिकारियों द्वारा आलोचना किए जाने पर तनावग्रस्त होती है। अधिकारियों द्वारा आलोचना किए जाने का प्रमुख कारण कर्मचारियों की कार्यक्षमता में कमी एवं निम्न स्तरीय प्रदर्शन होता है। दोहरे उत्तर– दायित्वों के कारण, प्रशिक्षण की कमी के कारण महिलाएँ प्राय: आलोचना का शिकार होती है।
- उचित प्रशंसा न मिल पाने के कारण 80% महिलाएँ तनाव ग्रस्त होती है। किसी भी कार्यक्षेत्र में पुरूषो द्वारा महिला कर्मचारी को अपने समकक्ष प्राप्त कर पाना कठिन होता है। फलस्वरूप महिलाएँ सफल प्रदर्शन करने मे असमर्थ होती है।
- सहयोगियो के साथ तनावपूर्ण संबंध होने के कारण 90% महिलाएँ तनाव का अनुभव करती है किसी संस्थान में कर्मचारियो के मध्य सौहार्द्रपूर्ण संबंध कार्यस्थल में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। परस्पर स्नेहपूर्ण संबंध तनाव को कम करता है।
- वेतन कम होने के कारण 80% सर्वेक्षित महिलाएँ तनावग्रस्त पाई गई योग्यता एवं कार्य अवधि के अनुपात में वेतन कम होने पर हीनता का भाव कर्मचारियो में तनाव को उत्पन्न करता है वेतन व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को सीधे प्रभावित करता है। अपर्याप्त वेतन व्यक्तिगत, परिवारिक आवश्यकताओ को पूर्ति में भी बाधक होता है। इस प्रकार वेतन कम होना व्यावसायिक तनाव का एक प्रमुख कारण है।
- कार्यस्थल असुविधाजनक होने के कारण 70% महिलाएँ तनाव का अनुभव करती है जिसका सीधा प्रभाव उनके कार्य को प्रभावित करता है। कार्यालय में उचित फर्नीचर का अभाव, कार्यालयीन उपकरणो का अभाव, अत्यधिक ठण्ड या गर्म होना, विद्युत की व्यवस्था न होना,

उचित संवहन न होना आदि के कारण व्यावसायिक तनाव उत्पन्न होते है।

इस प्रकार निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि कार्यकारी महिलाओं में अत्यधिक व्यावसायिक तनाव पाया जाता है। सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण संबंध व्यावसायिक तनाव का प्रमुख कारक है, एवं अन्य कारकों में अधिकारियों द्वारा आलोचना, प्रशंसा का अभाव, कम वेतन, असुविधाजनक कार्यस्थल आदि की प्रमुख है जो व्यावसायिक तनाव उत्पन्न करते है।

सुझाव– कार्यकारी महिलाओं के व्यावसायिक तनाव को कम करने की दिशा में निम्न सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते है–

- अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।
- वेतन निर्धारण नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
- सहयोगियों के मध्य स्नेहपूर्ण संबंध किए जाने चाहिए।
- कार्य स्थल में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- आलोचना के स्थान पर प्रशंसा पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।
- कार्य के दौरान विश्राम अवश्य करना चाहिए।
- व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद भी कुछ समय प्रात: भ्रमण, व्यायाम, योगाभ्यास, संगीत श्रवण एवं अध्ययन आदि के लिए निकालना चाहिए।

इस तरह हम देखते है कि तनाव मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इससे तन, मन एवं धन सभी की हानि होती है। कार्यकारी महिलाओं में व्यावसायिक तनाव पाया जाना एक सामान्य स्थिति है किन्तु इस तनाव के लगातार बने रहने से कार्यक्षमता का ह्रास होता हैं।व्यावसायिक तनाव महिलाओं के स्वयं के लिए तथा परिवार के लिए हानिकारक है एवं संस्था के लिए भी अहितकारी हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. Dr.Panday Gadesh & Aaruna Panday- Research Methodology, Radha publication
2. Elizabethscott,-Women stress and baiance the important of balance for women, MS updated September 26,2012
3. Kenney JW (2000)- Woman's inner-balance': a comparison of stressors, personality traits and health problems.
4. नगीना परवीन (2009) – विवाहित और अविवाहित महिलाओं में व्यवसायिक तनाव।
5. Nezhad zarr marym(2010)-Occupational stress and family difficulties of working womn
6. Onasoga Olayinka A., Osamudiamen Sarah Ogbebor and ojo AA-Pelagia Reasearch Library European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(1):473-481 ISSN:2248-9215
7. Sangeeta R.Mane-occupational stress of working women a case study in hubli-Dharad municipal corporation, karnatak india, International ournal of management & social sciences Vol-1,no1, 2011

तालिका क्रमांक 1

व्यावसायिक तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों का विवरण

क्र.	तनाव उत्पन्न करने वाले कारक	हां		नही		कुल योग(N=20)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	अधिकारियों द्वारा आलोचना	14	70%	6	30%	20	100
2	प्रशंसा का अभाव	16	80%	4	20%	20	100
3	सहयोगियो के साथ तनावपूर्ण संबंध	18	90%	2	10%	20	100
4	वेतन कम होना	16	80%	4	20%	20	100
5	कार्यस्थल का सुविधाजनक न होना	14	70%	6	30%	20	100

****

घर और कार्य स्थल में संतुलन साधती कामकाजी महिलायें

डॉ. सीमा कदम *

प्रस्तावना – देश की लगभग 68 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं जीवनशैली से संबंधी रोगों से पीड़ित है। उन में से 53 प्रतिशत कार्यो को समय पर पूरा करने के दबाव की वजह से सामान्य भोजन छोड़कर जंक फुड लेती है। जो कि पोष्टिक भोजन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ऐसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Assocham-2011) द्वारा संचालित एक सर्वेक्षण के अनुसार 21 से 52 वर्ष आयुवर्ग की 68 प्रतिशत महिलाओं को जीवन शैली संबंधी रोगों जैसे मोटापा, अवसाद, दीर्धमकालीन पीठदर्द, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप से पीड़ित पाया गया चूँकि शहरी भारत की 27 प्रतिशत महिलायें कामकाजी है। उनके स्वास्थ्य संबंधी मसले समाज तथा व्यवसाय जगत दोनों के लिए गहरी चिन्ता का विषय है। ''प्रिवेंटीव हेल्थ केयर एण्ड कॉर्पोरेट फीमेल वर्क फोर्स'' नामक अध्ययन में भी कहा गया है कि दीर्ध काल अवधि एवं नियत समय में कार्य पूरा करने के दबाव से 75 प्रतिशत तक महिलायें अवसाद या सामान्य बैचेनी की गड़बड़ी से पीड़ित है। उन महिलाओं की तुलना में जिन्हें कार्य से संबंधित मनोवैज्ञानिक दबाब कम है।

ऐसे क्षेत्र जहां कार्यरत महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में अधिक समय देने की आश्यकता होती है जैसे मीडिया, आउटसोर्सिंग फील्ड वर्क, वहॉ स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी वे अवकाश नहीं ले सकती एवं नौकरी जाने के खतरे की वजह से खराब स्वास्थ्य के बावजूद कार्य करने के लिए विवश रहती है। कामकाजी महिलाएं अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घर एवं कार्यस्थल दोनों के बीच संतुलन बनाये रखने का दबाव होता है। घर और बाहर दोनों जगह परफेक्ट बनने के प्रयास में जुटी आज की सुपर वूमेन जिन्दगी का तनाव अधिक झेलती है।

हाल ही में कामकाजी महिलाओं पर किये गये एक सर्वेक्षण में पाया गया कि घर और बाहर की जिम्मेदारियों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ वे सोचती है। किसी भी कम्पनी में नियुक्ति के समय 85 प्रतिशत महिलाऐं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होती है और 84 प्रतिशत यह महसूस करती है कि कोई कम्पनी अगर उनके काम और घरेलू जीवन में संतुलन रखने की पेशकश करती है तो ऐसे काम को वे प्राथमिकता देगी। इसमें संदेह नहीं कि आज देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन उनकी प्राथमिकता में परिवार सर्वोपरी है परिणाम स्वरूप नौकरी या केरियर के साथ कई तरह के समझौते करना पड़ते है। इन परिवर्तनों में जहां परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा और रहन-सहन के स्तर को ऊॅचा किया है, वहीं अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को भी खड़ा किया है। बच्चे, परिवार, केरियर, अपना स्वास्थ्य, इससे भी बढ़कर न जाने कितनी जिम्मेदारियों को बोझ कामकाजी महिलाओं को उठाना पड़ता है। ये कामकाजी महिलाऐं एक साथ कई मोर्चो पर डटी रहती है एक ओर वह ऑफिस में रहकर अपनी पुरूष सहकर्मियों की प्रतिद्वंदिता में खड़ी अपने काम को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करती है तो दूसरी ओर परिवार में बच्चों की देख रेख करती है, परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों का भी ध्यान रखती है, घर के बजट के बीच संतुलन कायम करती है, नतीजा यह होता है कि एक उम्र के बाद लगातार तनाव में रहने के कारण उसे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से जुझना पड़ता है।

प्रस्तुत अध्ययन में 30 से 40 आयु वर्ग की 40 ग्रेजुएट महिलाओं का अध्ययन किया गया। इन महिलाओं की मासिक आय 20000 से 50000 रूपये प्रतिमाह है। यह अध्ययन सिर्फ 10 बजे से 05 बजे तक काम करने वाली महिलाओं पर किया गया है। इन महिलाओं में जीवन का तनाव ज्यादा होने का कारण काम का अधिक बोझ है। कभी-कभी जरूरत के वक्त छुट्टी न मिल पाना, परिवार में किसी की बीमारी, काम की अधिकता के कारण दफ्तर पहुॅचने में देरी जैसी बातें महिलाओं को तनावग्रस्त बनाती है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदुषण, अल्प नींद, व्यायाम की कमी, धुप में घूमना, खराब पोषण, कार्य स्थल में समुचित सुविधाओं का नाम होना, सहयोगियों का बुरा व्यवहार अवसाद के कारण बनते है। स्वास्थ देखभाल के बारे में अज्ञानता से उस पर कई तरह के विपरित प्रभाव पड़ सकते है। जैसे उसका परिवार, कार्यस्थल एवं सामाजिक ताने-बाने के कारण अधिकांश महिलायें अपनी नियमित जॉच को टाल देती है। कार्यस्थल तथा घर के बीच संतुलन रखने के साथ-साथ सामालिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बीच संतुलन के आपाधापी के कारण महिलायें अपने स्वास्थ पर ध्यान नहीं दे पाती। सकारात्मक संकेत यह है कि आत्मनिर्भर होने की ताकत उन्हें इस तनाव को झेलने सक्षम कर देती है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1) कामकाजी महिलाओं की स्वास्थ संबंधी जागरूकता ज्ञात करना।
2) कार्यस्थल की चुनौतियाँ ज्ञात करना।
3) स्वास्थ संबंधी देखभाल पर किया जाने वाला खर्च ज्ञात करना।
4) लिया जाने वाला अवकाश की प्रकृति याद करना।
5) शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना।

परिकल्पना-

1) कामकाजी महिलायें अपने स्वास्थ के प्रति सजग होगी।
2) कार्य स्थल की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम।
3) सहयोगी एवं अधिकारियों का असहयोगपूर्ण रवैया।
4) कार्यस्थल पर तनाव।
5) पारिवारिक जवाबदेही व कार्यस्थल में सामंजस्य का अभाव।

अध्ययन का क्षेत्र- घर और कार्य स्थल में संतुलन साधती कामकाजी महिलाओं उक्त शोध पत्र के अध्ययन हेतु खण्डवा जिले की 30-40 आयु वर्ग की 40 ग्रेजुएट महिलाओं का अध्ययन किया गया। इन महिलाओं की

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

मासिक आय 20000 से 50000 रूपये प्रतिमाह है। यह महिलायें महाविद्यालय, विद्यालय एवं जिलाधीश कार्यालय में पदस्थ है।

अध्ययन पद्धति– प्रस्तुत अध्ययन को साकार रूप प्रादन करने हेतु अवलोकन, साक्षात्कार तथा अनुसूची का उपयोग सर्वेक्षण हेतु किया गया।

विश्लेषण एवं परिणाम–

स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता

क्र	नियमित जाँच	नियमित	टाल देती है।
1	कामकाजी महिलायें	33 प्रतिशत	77 प्रतिशत

स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पर खर्च (1 वर्ष में) (देखे)

कार्यस्थल की चुनौतियाँ

क्र.	कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत	कार्यस्थल की चुनौती
1	54 प्रतिशत	अधिकारी का व्यवहार परेशानी का कारण
2	11 प्रतिशत	पदोन्नति में उनके साथ भेदभाव
3	10 प्रतिशत	कार्यालय की राजनीति
4	25 प्रतिशत	पुरूष मानसिकता के कारण परेशा

अवकाश की प्रकृति

क्र	कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत	अवकाश की प्रकृति
1	70 प्रतिशत	लघु अवकाश
2	46 प्रतिशत	गर्भवती होने पर अवकाश लेती है
3	18 प्रतिशत	बच्चों की परवरिश पर अवकाश
4	15 प्रतिशत	अस्वस्थता के कारण

शारीरिक स्वास्थ एवं मानसिक स्वास्थ

क्र	शारीरिक स्वास्थ	मानसिक स्वास्थ
1	50 प्रतिशत	100 प्रतिशत

सुझाव –

1) महिलायें समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है।
2) योग और ध्यान का सहारा ले अपने काम को समयबद्ध और क्रमवार तरीके से करें। पारिवारिक सदस्य धरेलु काम में उनकी मदद करें।
3) महिला कर्मचारी की समस्या होने पर प्रबंधन सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील रूप अपनाये।
4) कार्य के घंटे लचीले किये जायें।
5) कर्तव्य के साथ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पर खर्च (1 वर्ष में)

क्र	स्वास्थ्य देखभाल	खर्च	अस्वस्थता का कारण
1	47 प्रतिशत कामकाजी महिलायें	500 रूपये से कम खर्च	सामान्य अस्वस्था, मोटापा, अवसाद
2	24 प्रतिशत कामकाजी महिलायें	500 से 5000 खर्च किया	स्पोण्डिलाइटिस
3	29 प्रतिशत कामकाजी महिलायें	5000 से 50000 खर्च किया	उच्च व निम्न रक्तचाप, मधुमेह, हदयरोग, दमा, मूत्र संबंधी संक्रमण, जोड़ों का दर्द एवं जकड़न, स्त्री रोग

****

सतना जिले में उद्यमीय अवसर – महिलाओं के विशेष संदर्भ में

राजनिधि सिंह * व्ही. पी. सिंह **

प्रस्तावना – वर्तमान समय में विभिन्न उद्योगों एवम् व्यवसायों में उद्यमी के रूप में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों की तुलना में काफी कम है। जिसका प्रमुख कारण उद्यम शुरू करने की इच्छुक अनेक महिलायें उचित उद्यमीय अवसर की पहचान करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य 'सतना जिले की महिलाओं के लिए उपलब्ध स्थानीय संसाधनों तथा बाजार की मांग पर आधारित उद्यमीय अवसरों की पहचान करना' है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र को तैयार करने हेतु सतना जिले में उपलब्ध संसाधनों तथा बाजार की मांग जानने हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों से आंकड़े इकट्ठा किये गये। इसी प्रकार उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकी की भी जानकारी एकत्रित की गई। इस प्रकार उपलब्ध सूचनाओं को विश्लेषित करने के पश्चात् सतना जिले में महिलाओं हेतु उचित उद्यमीय अवसर की पहचान की गई जिसमें महिलाओं की रूचि का भी ध्यान रखा गया।

शोध परिणाम – सतना जिले में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित वर्गो में विभक्त किया गया।

1. वन आधारित संसाधन।
2. उद्यान (फल, सब्जी तथा फूल) आधारित संसाधन।
3. कृषि उपज आधारित संसाधन (अनाज, दलहन एंव तिलहन)।
4. कृषि अपशिष्ट आधारित संसाधन।
5. पशुधन आधारित संसाधन।
6. खनिज आधारित संसाधन।
7. वायु आधारित संसाधन।
8. जल आधारित संसाधन।
9. सौर ऊर्जा व बायोमास आधारित संसाधन।
10. मानव संसाधन।

1. वन आधारित संसाधन पर उद्यमीय अवसर – सतना जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7425 वर्ग किलोमीटर में से वन क्षेत्र 203649000 हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इस वन क्षेत्र में प्रमुखता से सागौन,महुआ, आम, जामुन, पलास, आंवला, बेर, बांस, हर्रा, बहेडा एवम् अन्य बहुमूल्य जड़ी बुटियां उपलब्ध है। इन पर आधारित प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ निम्नानुसार है –

- लकड़ी के फर्नीचर।
- लकड़ी के बीट।
- आरा मशीन का कार्य।
- दरवाजे, चौखट आदि।
- विद्युत फिटिंग के बोर्ड।
- विद्युत फिटिंग हेतु बीट।
- प्लाई वुड निर्माण।
- लकड़ी के सिजनिंग (ग्लू एंव पेस्टी साइड से)।
- लकड़ी के हत्थे विभिन्न औजारों हेतु।
- लकड़ी का कोयला।
- लकड़ी के पटे, बेलन, झारा, चम्मच, कुकिंग एंव सर्विंग स्पून।
- लकड़ी के खिलौने एंव कलात्मक मूर्तियां।
- लकड़ी के प्रिंटिग ब्लाक्स।
- सटरिंग प्लेट।
- लकडी के बुरादे से गुटके।
- सोलर टिंबर सिजनिंग क्लिन।
- बांस की सजावटी वस्तुएं।

2. उद्यान आधारित संसाधन पर उद्यमीय अवसर – सतना जिले में प्रमुख फल, सब्जी व फूलों जिनकी कास्ट की जा रही है। वे है आंवला, आम, अमरूद, नींबू, मुनगा, करौंदा, बेल टमाटर, मटर, आलू, प्याज,मिर्च, अदरक आदि पर आधारित प्रमुख आर्थिक गतिविधियां निम्नानुसार है –

- आंवले का मुरब्बा, कैण्डी व अन्य उत्पाद।
- अचार, मुरब्बा व अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद।
- मधुमक्खी पालन।
- शहद प्रसंस्करण, शहद पेय।
- करौंदा कैन्डी व जैली।
- बेर चूर्ण।
- अमरूद की जैली।
- बेल का मुरब्बा।
- पपीते की कैन्डी।
- फलों की खेती व उनका बाजार विक्रय।
- विभिन्न फलों के पौधों की नर्सरी कर किसानों को विक्रय।
- टमाटर सॉस, प्यूरी, चटनी, कंसट्रेट, पाउडर, सूप कंसट्रेट, टमाटर की केनिंग।
- मटर की बाटलिंग, फ्रोजन मटर।
- प्याज का भंडारण।
- पुष्पों की खेती व इत्र निर्माण।

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान विभाग) शासकीय कन्या महाविद्यालय सतना (म.प्र.) भारत
** प्रशिक्षक , उद्यमिता विकास केन्द्र भोपाल (म.प्र.) भारत

- वर्मी कम्पोस्ट।
- औषधीय एंव सुगंध पौधों की खेती।

3. कृषि उपज आधारित संसाधन – सतना जिले की प्रमुख कृषि उपज गेहूँ, धान, चना, सोयाबीन, ज्वार, अरहर, अलसी, सरसों, मक्का आदि है। इनमें गेहूँ, सोयाबीन, दलहन, तिलहन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। कृषि उत्पादनों पर आधारित उद्यमीय अवसर निम्नानुसार है :–

- फ्लोर मिल, दाल मिल, राइस मिल, ऑयल मिल।
- साल्वेट एवस्ट्रेशन प्लांट।
- पोहा मिल, मैदा मिल।
- बेसन, नूडल्स, सेवइयां, निर्माण।
- रेडीमिक्स जैसे इडली, डोसा, खमण्ड, ढोकला, जलेबी, गुलाब जामुन आदि के मिक्स।
- मक्का पोहा, दलिया, धान का पोहा।
- सोया दूध, सोया पनीर व सोया बड़ी।

4. कृषि अपशिष्ट आधारित संसाधन – जिले में उपलब्ध कृषि अपशिष्टों पर आधारित उद्यमीय अवसर निम्नानुसार है :–

- कृषि अपशिष्ट से जलावन हेतु ब्रिकटेड ईंधन।
- जैविक खाद एंव केंचुआ खाद का उत्पादन।

5. पशुधन आधारित संसाधन – जिले में पशुधन आधारित उद्यमीय अवसर निम्नानुसार है–

- डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, गोटरी।
- मृत पशुओं से चमड़ा, चर्बी, मांस, केंचुआ खाद, हड्डी, जैविक खाद, जिलेटिन, चर्मशोधन इकाई स्थापित करना।
- मुर्गी के पंखों से बैडमिंटन के शटल निर्माण।
- सूकर के बालों से पेंटिग ब्रश निर्माण इकाई।
- डेयरी उत्पाद जैसे खोवा, मक्खन, घी, पनीर, रसगुल्ले, मिठाईयां, मिल्क पाउडर, केसीन निर्माण।
- मछली पालन, हेचरी।
- जापानी बटेर का पालन।
- भेड़ पालन (ऊन व मांस हेतु)।
- पशुओं के गोबर से नाडेप कम्पोस्ट तथा वर्मी कम्पोस्ट।

6. खनिज आधारित संसाधन पर उद्यमीय अवसर – जिले में प्रमुख रूप से चूना पत्थर, बाक्साइड, पटिया पत्थर, रामरज, गेरू, छुई मिट्टी है।

- चूना उत्पादन।
- हाइड्रेटेड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड निर्माण।
- डिस्टेम्पर, सीमेन्ट उत्पादन, चाक निर्माण।
- स्टोन क्रशर।
- रिफैक्ट्री उत्पाद।
- ग्लेज्ड सेनिटरी पाइप।
- पटिया पत्थर का उत्खनन, कटिंग एंव पालिर्षिंग।
- रामरज व गेरू का उत्खनन व ग्राइन्डिग।
- छुई मिट्टी की पिसाई।
- उपलब्ध मिट्टी से कुम्हारी ईंट, चिमनी ईंट, खपड़ा, गमले, कुल्लड़ आदि का निर्माण।

7. वायु पर आधारित संसाधन पर उद्यमीय अवसर – वायु एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है इस पर आधारित उद्यमीय अवसर निम्नानुसार है –

- विंड टर्बाइन।
- लिक्वेड आक्सीजन।
- इन्डेस्ट्रीयल ऑक्सीजन, मेडीकल ऑक्सीजन।
- एसीटलीन गैस का उत्पादन।
- लिक्वेड नाइट्रोजन।

8. जल पर आधारित संसाधन पर उद्यमीय अवसर – सतना जिले में जल आधारित उद्यमीय अवसर निम्न है –

- मिनिरल वाटर निर्माण।
- डिस्टिल्ड वाटर (बैटरी ग्रेड) निर्माण।
- इन्जेक्शन वाटर।
- ग्लूकोज सलाइन निर्माण।
- मछली पालन।

9. सौर ऊर्जा व बायोमास आधारित संसाधन – सूर्य का प्रकाश तथा ऊष्मा व बायोमास ऊर्जा का एक और अक्षय स्त्रोत है। इन पर आधारित उद्यमीय अवसर निम्नानुसार है –

- सोलर लालटेन।
- सोलर स्ट्रीट लाइटिंग एंव होम लाइटिंग सिस्टम।
- सोलर ट्यूबवेल।
- सोलर ट्वायज।
- सोलर कैप।
- सोलर गर्म जल संयंत्र।
- सोलर डिस्टिल वाटर संयंत्र।
- सोलर ड्रायर।
- सोलर कुकर।
- गोबर गैस प्लांट।
- नाडेप कंम्पोस्ट।
- वर्मी कम्पोस्ट।
- ब्रिक्टेड ईंधन।
- गैसी फायर।
- बायोमास से विद्युत उत्पादन।

10. मानव संसाधन आधारित – सतना जिले में मानव संसाधनों के अंतर्गत मांग आधारित उद्यमीय अवसर निम्नानुसार है –

- गत्ते के डिब्बे बनाना।
- जूट के शॉपिंग बैग व बोरों का निर्माण।
- स्टेशनरी वस्तुओं का निर्माण जैसे अभ्यास पुस्तिका, रजिस्टर, राइटिंग पैड, फाइल कवर, लिफाफे आदि बनाना।
- खेल सामग्रियों का निर्माणं
- मोमबत्ती निर्माण की इकाई।
- पेपर प्लेट्स तथा आइसक्रीम कप का निर्माण।
- दोना पत्तल निर्माण की इकाई।
- चलित फास्टफूड रेस्टोरेन्ट।
- स्क्रीन प्रिंटिंग इकाई।
- हाउस वायरिंग एंव विद्युत उपकरण मरम्मत।
- ब्यूटी पार्लर इकाई।
- टेलरिंग मेटेरियल की इकाई।
- वीडियो शूटिंग एंव वीडियो मिक्सिंग कार्य।
- सार्जिकल बैडेज एंव काटन निर्माण।

- रेडीमेड गारमेन्ट्स निर्माण।
- साड़ी फाल निर्माण।
- पुराने कपड़ों से रूई निर्माण।
- चाक, तरल नील, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, हर्बल शैम्पू, डिटर्जेंट निर्माण।
- नेलपॉलिश, इत्र निर्माण।
- साइबर कैफे।
- नर्सिंग कार्य।

उपरोक्त अवसरों के अतिरिक्त अन्य समस्त आर्थिक गतिविधियां जो आय एंव स्वरोजगार के अवसर सृजित करती हैं। वर्तमान समय में महिलायें प्राय: सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ-साथ कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में महिलाओं के द्वारा उन सभी क्षेत्रों में कार्य किये जाने की संभावनायें हैं जिन क्षेत्रों में वर्तमान में महिलायें कार्य नहीं कर रही हैं।

चूँकि रोजगार के अवसर दिन-प्रतिदिन सरकारी क्षेत्रों में एंव संगठित इकाईयों के क्षेत्रों में कम होते जा रहे हैं इसलिये स्वरोजगार एंव उद्यमिता के माध्यम से ही महिलाओं में सशक्तिकरण की जा सकती हैं आर्थिक स्वावलम्बन का कार्य अधिकाधिक महिलाओं को उद्यमी बनाकर पूरा किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बिजनेस अर्पाचुनिटी आइडेन्टीफिकेशन, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद।
2. इर्मजिंग इन्टरप्रिनोरियल अर्पाचुनिटी, प्रकाशक राष्ट्रीय उद्यमिता एंव लघु व्यवसाय विकास संस्थान।
3. जिला व्यापार एंव उद्योग केन्द्र, सतना के विविध प्रकाशन।
4. स्वरोजगार मार्गदर्शिका, प्रकाशक उद्यमिता विकास केन्द्र भोपाल।
5. उद्यम प्रेरणा - प्रकाशक उद्यमिता विकास केन्द्र, सैडमैप, भोपाल।
6. उद्यमिता समाचार पत्र के विभिन्न अंक, प्रकाशन उद्यमिता विकास केन्द्र, भोपाल।
7. उद्यमी, उद्योग और स्वरोजगार, प्रकाशक सैडमैप भोपाल।

****

महिलाओं में एनीमिया के स्तर का मापन

डॉ सीमा कदम *

प्रस्तावना – हमारे देश में अधिकांश महिलाएँ विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाए एनीमिया से ग्रसित है। यह एक गंभीर समस्या है और ऐसा कुचक्र है जो कुपोषित माता व कुपोषित माता व कुपोषित बच्चे के बीच चलता रहता है। महिलाओं में पोषण का स्तर कम होने के मुख्य कारण समुदाय की खाने की आदतें, जो की धर्म, संस्कृति, व्यवहार, विश्वास, वातावरण तथा परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रभावित होती है

यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार एनीमिया के कारण वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में 1.4 प्रतिशत में कमी आंकी गई जो कि सही मायने में 4 अरब डॉलर की प्रतिवर्ष की हानि है। इसके साथ ही कम वजन व समय से पूर्व जन्में बालकों के लालन–पालन पर अतिरिक्त व्यय तथा समाज व परिवार पर मातृ–मृत्यु का अतिरिक्त भार भी है।

डीएलएचएस–आरसीएच सर्वे के अनुसार भारत में 90 प्रतिशत किशोर, बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं पीड़ित है। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म से संबंधित जटिलताओं के कारण हर साल होने वाली 1 लाख माताओं की मृत्यु में से एनीमिया 40 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार है। डब्लूएचओ के अनुसार अलग–अलग प्रदेशों में करीब 40–90 प्रतिशत महिलाएं गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से पीड़ित रहती है। यूनिसेफ, डब्लूएचओ तथा यूएनएफपीए द्वारा तैयार किये गये मापदण्डों में गर्भवती महिलाओं की मौत के 6 प्रमुख कारणों में एनीमिया का प्रबंधन न कर पाना सबसे पहला है। मातृ–मृत्यु दर में यह प्रत्यक्ष रूप से 10.15 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष रूप से 40.50 प्रतिशत जिम्मेदार है। आईसीडीएस वर्ष 2006 में मलिन बस्तियों में कराये गये अध्ययन के अनुसार सामान्य स्थिति 10 प्रतिशत न्यून रक्ताल्पता 73.29 प्रतिशत, मध्यम 15.52 प्रतिशत एवं गंभीर 124 प्रतिशत है।

हमारे देश की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग बच्चों व महिलाओं का है। एनीमिया रोग विकासशील दुनिया की महिलाओं को लगभग 40 प्रतिशत प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ जाता है और इसके चलते मातृ मृत्यु तथा जन्म के समय बालक का औसत से कम वजन का जोखिम बढ़ जाता है हमारे देश में बाल विवाह व गरीबी के कारण बालिकाओं को उचित पोषण नहीं मिलता है। इसके अलावा लड़के व लड़कियों के भोजन में भेदभाव होता है। जिससे बालिकाओं को पोषण नहीं मिलता। जिसका असर उनके प्रसव के दौरान मिलता है, जब लौह तत्व की अधिक हानि होती है तथा उनसे उत्पन्न बालिकाएं इन्हीं कारणों की शिकार होती है, और उनमें लगातार लौह तत्व की का चक्र चलता रहा है, जिससे एनीमिया की स्थिति देखने में आती है। आज समय की मांग है की एनीमिया के कुचक्र से बचने के लिए इसे जड़ से उखाड़ फेकना होगा

शोध पत्र के उद्देश्य –

1) महिलाओं में एनीमिया के स्तर का मापन करना।
2) गर्भवती धात्री व सामान्य महिलाओं की आहार सूची का अध्ययन करना।
3) बढ़ती मातृ मृत्युदर व बाल मृत्युदर में कमी लाने का प्रयास करना।
4) एनीमिया के रोगियों को अलग करके उनको उपचार हेतु प्रेरित करना।

निदर्शन –खण्डवा शहर (सिंघाड़ तलाई) तथा ग्राम सिहाड़ा की विवाहित 18 वर्ष से अधिक, निम्नवर्गीय 100 महिलाओं का का देव–निदर्शन विधि से चयन किया गया।

उपकरण व तकनीक –आर, राजलक्ष्मी व्यावहारिक 1947 द्वारा प्रस्तावित कुपोषण के सामान्य लक्षण व उनका सभाव्य अर्थ की सारणी तथा एफएओ. एवं डब्लू.एच.ओ, दक्ष समिति द्वारा बनाई गयी प्रश्नावली एवं स्वनिर्मित अनुसूची का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष – ऑकड़ों का विश्लेषण करने पर हमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।

होठ संबंधी अध्ययन में 30 प्रतिशत महिलाओं में एनीमिया के लक्षण पाए गए जिसका सामान्य अर्थ उनमें विटामिन B.com. व B2 की कमी पाई गई।

आँखों की जॉच में पाया गया कि 60 प्रतिशत महिलाएं नेत्र संबंधी रोगो से ग्रसित है। अर्थात विटामिन 'ए' कमी विटामिन 'बी कॉम्पलेक्स', लौह तत्व की कमी है।त्वचा संबंधी अध्ययनों में 40 प्रतिशत महिलाओं की त्वचा में पीलापन, धब्बे, कठोर तथा शुष्क पाई गई। अर्थात उनमें विटामिन 'ए' प्रोटीन व कैलोरी की कमी पाई गई।

हाथ पैर संबंधी किए गए अध्ययनों में 32 प्रतिशत महिलाओं के हाथ–पैर में सुजन पाई गई है। प्रोटीन व लौह तत्व की कमी पाई गई।

आहार सूची का अध्ययन करने पर पता चलाता है कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आहार ग्राह्यता कम है। शहरी क्षेत्र की 76 प्रतिशत महिलाएं अंकुरत भोजन, 20 प्रतिशत महिलाएं अंडे, माँस, मछली और दूध तथा 92 प्रतिशत महिलाएँ फलों का सेवन नहीं करती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं 86 प्रतिशत अंकुरित भोजन, 72 प्रतिशत महिलाएं अंडे, माँस मछली और दूध तथा 80 प्रतिशत महिलाएं फलों का सेवन नहीं करती। 64 प्रतिशत महिलाएं आखरी में खाना खाती है। 8 प्रतिशत महिलाएं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और आई,सी,डी,एस द्वारा प्रदत्त गोलियों का सेवन करती है

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र) भारत

ग्रामीण (ग्राम सिहाड़ा) व शहरी क्षेत्र सिंघाड़ तलाई खण्डवा की महिलाओं में एनीमिया के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र की 40 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र की 23 प्रतिशत महिलाऐं एनीमिया से ग्रसित है। संयुक्त रूप से 63 प्रतिशत महिलाऐं एनीमिया से ग्रसित है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में एनीमिया गंभीर अवस्था के लक्षण देखे गये।

सुझाव –

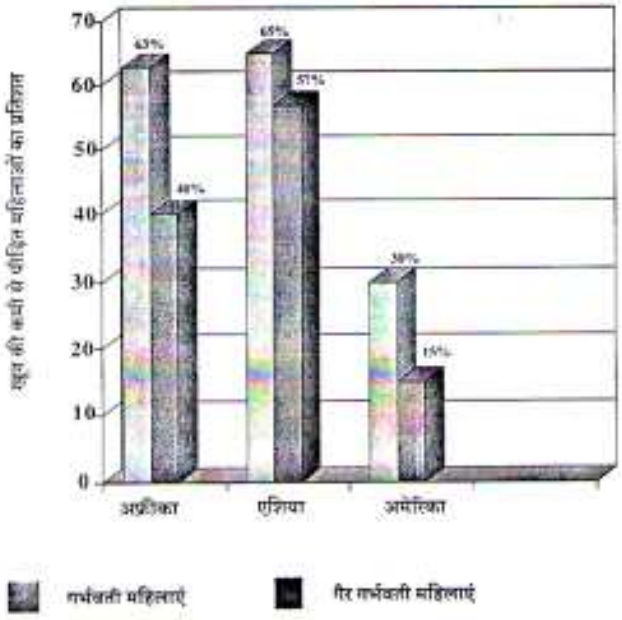

1. महिलाएँ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे।
2. प्रोटीन युक्त, आयरन युक्त भोज्य पदार्थ का सेवन करें।
3. लड़कियों की पोषणिक आव6यकता की पूर्ति अव6य करें।
4 लौहे व फोलिक एसिड दवाईयों का डोज़ गर्भवती महिलाएं ले तो उन्हें एनीमिया की समस्या नहीं होगी।

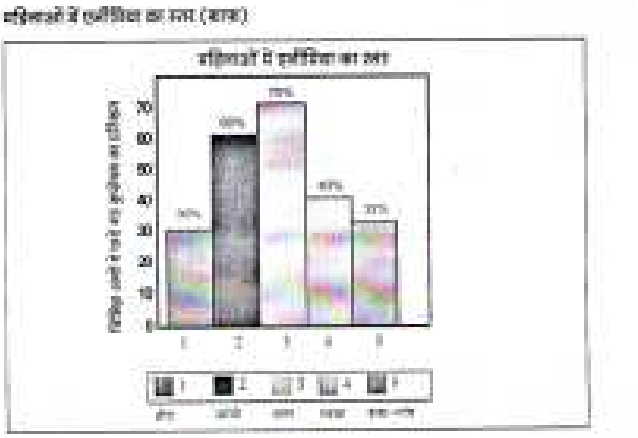

महिलाओं में एनीमिया का स्तर (ग्राफ)

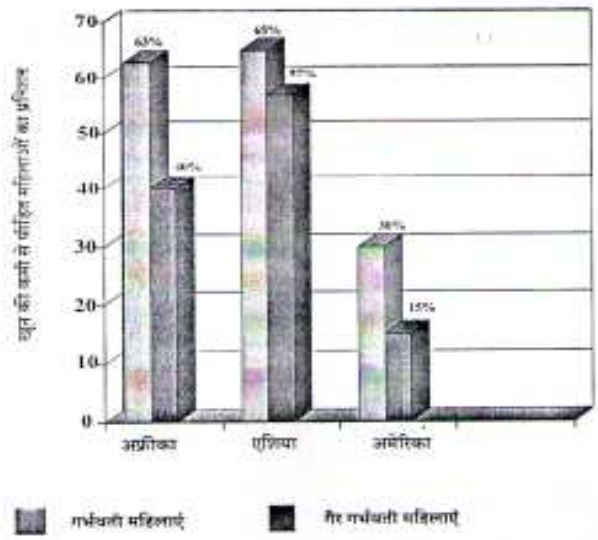

महिलाओं में एनीमिया स्तर का पिच ग्राफ विवरण

ग्राफ – विकासशील देशों में महिलाओं में खून की कमी की बीमारी के आंकड़े

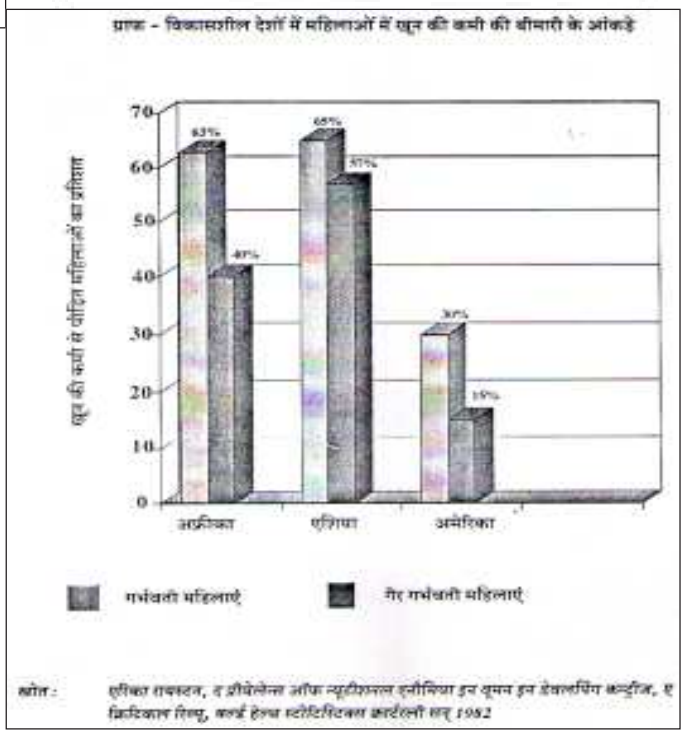

स्रोत : एरिका रायस्टन, द प्रीवेलेन्स ऑफ न्यूट्रीशनल एनीमिया इन वूमन इन डेवलपिंग कन्ट्रीज, ए क्रिटिकल रिव्यू, वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स क्वार्टरली सन् 1982

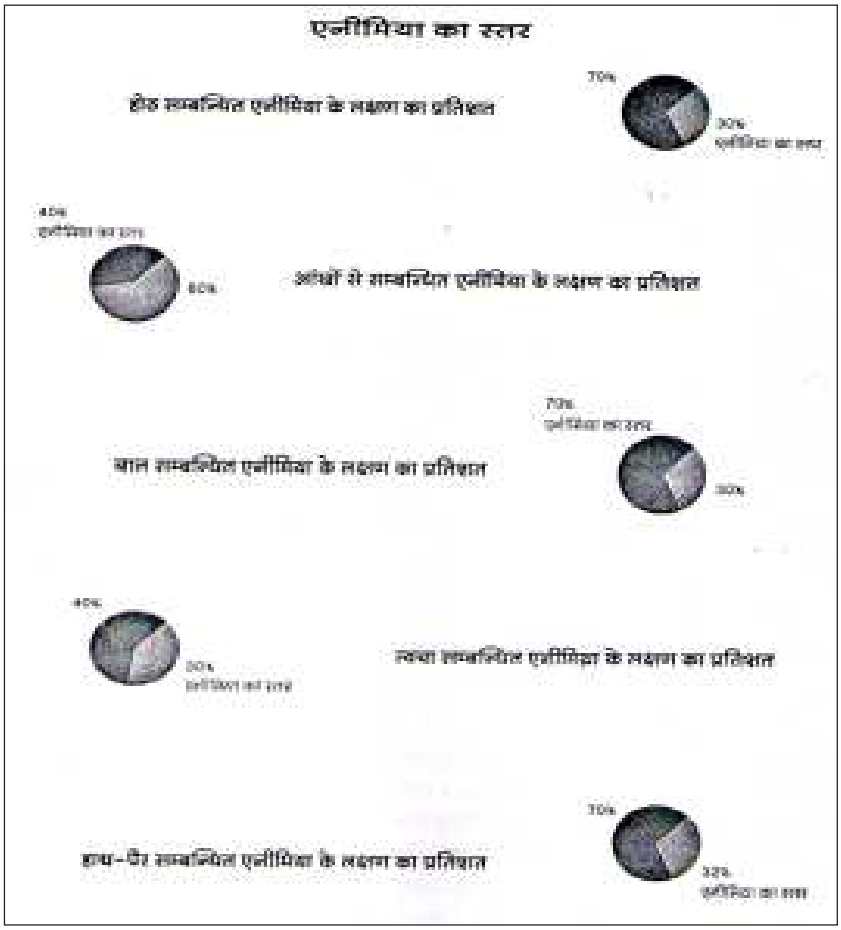

ग्राफ – विकासशील देशों में महिलाओं में खून की कमी की बीमारी के आंकड़े

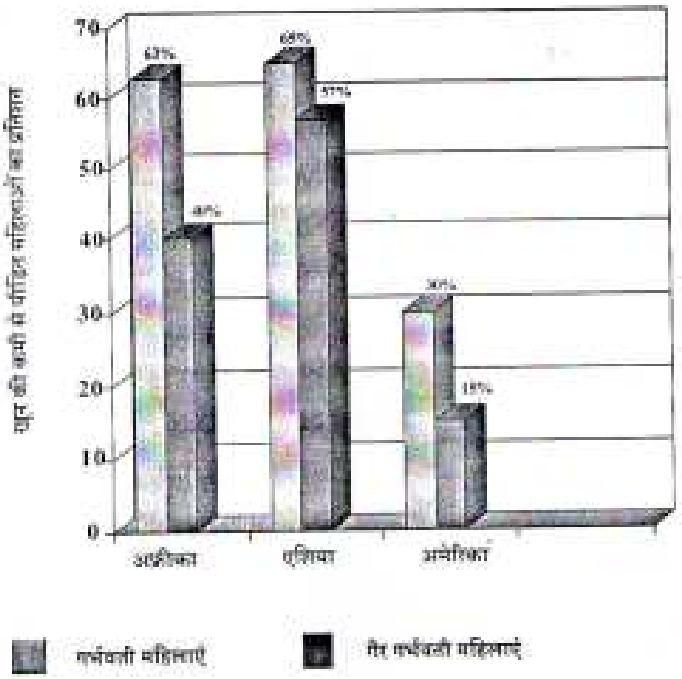

स्रोत : *एरिका रायस्टन, द प्रीवेलेन्स ऑफ न्यूट्रीशनल एनीमिया इन वूमन इन डेवलपिंग कन्ट्रीज, ए क्रिटिकल रिव्यु, वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स क्वार्टरली सन् 1982*

Trends And Patterns Of FDI In Different Sector : Paradigm Study

Antima Shekhawat Bhatia *

Abstract - Foreign Direct Investment (FDI) in India is subject to certain Rules and Regulations and is subject to predefined limits ('Limits') in various sectors, which range from 20% to 100%. There are also some sectors in which FDI is prohibited. The Government from time to time reviews the FDI Limits and as and when the need is felt and FDI is allowed in new sectors where the limits of investment in the existing sectors are modified accordingly.
Key words - FDI (foreign direct investment), inflows of FDI.

Introduction - FDI and regulatory framework - Foreign Direct Investment in India is subject to policy guidelines framed by the Government of India from time to time in accordance with its Industrial Policy. The year 1991 saw a major liberalisation in the policy by way of the Automatic Route in terms of which cases the RBI without a reference to the Government of India allowed concerning foreign collaboration in respect of certain priority industries and involving not more than 51 per cent of foreign equity. After 1991, certain more areas of foreign investments were opened up such as issuance of global depository receipts (GDRs) and investment by foreign institutional investors (FIIs). FDI comes through a) Automatic route and b) Govt. approval route. In terms of the guidelines issued in February 2000 and subsequent amendments, except in certain circumstances, foreign investment by way of issue of shares/ convertible debentures by Indian companies can be made in India under the Automatic Route without any approval from the Government of India or the Reserve Bank of India (RBI). In the circumstances where the Automatic Route is not applicable, the foreign investor or the Indian company seeking foreign investment would require the approval of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB).

Automatic route - Under the RBI's Automatic Route, the Indian companies can issue shares up to prescribed percentage to person's resident outside India without obtaining prior permission either of the Government or of RBI. These companies must be engaged in the permissible activities under the FEMA. Companies engaged in manufacture of items reserved for SSI sector or those manufacturing items requiring industrial license or engaged in areas such as, defense, atomic energy or aerospace will not be able to avail of the Automatic Route.

Govt. route (APPROVALS BY SIA/FIPB) Indian companies may want to issue shares to foreign citizens and companies incorporated outside India and such issuances may not be allowed under the Automatic Route or any other general/special permissions. In such cases, it will be necessary to apply to the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). Approvals are granted by FIPB on a case-by-case basis. The Reserve Bank has granted general permission to Indian companies for issue and export of shares/securities to foreign investors to acquire such shares in respect of such investments approved by SIA /FIPB.

Research design and methodology

Objectives of the study are :

1. To study the trends and patterns of flow of FDI
2. To evaluate the impact of FDI on the economy

Statement of problem - There are many factors that influence the economic condition .one of them is FDI. Hence there is need to impact of FDI on the changing Indian economy.

Methodology and data collection -

Secondary source - The present study if of analytical nature and makes use of secondary data .The relevant secondary data has been collected from ministry of commerce and Industry, government of India, reserve bank of India, world investment report

Hypothesis :

Ho: FDI doesn't affect the economic growth of country
H1: FDI affect the economic growth of the country

Review of literature

1. According to IISTE journals of economics and sustainable development, Research on Relationship between China and Ghana: Trade and Foreign Direct Investment (FDI) Conclude that China is the second highest country in terms of trade and FDI in Ghana.
2. According to EXCEL International Journal of Multidisciplinary Management Studies research concludes that In order to facilitate the establishment of infrastructure, FDI should be initially permitted and

* Research Scholar, Bhagwant University, Ajmer (Raj.) INDIA

tries to emphasize on more sourcing of products locally and Tier-II Cities of the country.

3. According to Ford and Rowley (1979) opine that the marketing function of small firms seems to be connected with the motivation, belief, attitude and the objectives of the owner-manager, and is also significantly influenced by the constraints of the small business.

Some of the important changes made in the Existing FDI Limits are provided below:

1. FDI Limit in Telecom Sector is increased from 74 per cent to 100 percent, out of which up to 49 per cent will be allowed under automatic route and the remaining through Foreign Investment Promotion Board (FIPB) approval. A similar dispensation would be allowed for asset reconstruction companies and tea plantations.
2. FDI in 4 sectors i.e. gas refineries, commodity exchanges, power trading and stock exchanges have been allowed via the automatic route. In case of PSU oil refineries, commodity exchanges, power exchanges, stock exchanges and clearing corporations, FDI will be allowed up to 49 per cent under automatic route as against current routing of the investment through FIPB.
3. FDI in single brand retail is to be allowed up to 49 percent under the automatic route and beyond that shall be through FIPB.
4. In credit information firms, 74 per cent FDI under automatic route will be allowed.
5. In respect of courier services, FDI of up to 100 per cent will be allowed under automatic route. Earlier, similar amount of investment was allowed through FIPB route.
6. FDI cap in defense sector remained unchanged at 26%, however higher limits of foreign investment in state-of-the-art manufacturing would be considered by the Cabinet Committee on Security (CCS). Technically, the decision leaves it open for CCS to even allow 100% foreign investment in what the defense ministry will define as "state-of-the-art" segments with safeguards built in to ensure that the technology and equipment are not shared with other countries.
7. In the contentious insurance sector, it was decided to raise the sectoral FDI cap from 26 per cent to 49 per cent under automatic route under which companies investing do not require prior government approval. A Bill to raise FDI cap in this sector is pending in the Rajya Sabha.

Some of the sectors in which FDI limits were expected to be increased but did not were, civil aviation, airport, media, multi-brand retail and brown field (existing firms) pharmaceuticals.

Table (see in next page)

Growth pattern ff FDI in India

Country Wise FDI - Various studies have projected India among the top 10 favored destination for FDI. Cumulative FDI equity inflows has been 1,26,450 Million US$ for the period 2000- 2010. This is attributed to contribution from service sector, computer software, telecommunication, real estate etc. India's 80% of cumulative FDI is contributed by 10 countries while remaining 20 per cent by rest of the world. Country-wise, FDI inflows to India are dominated by Mauritius (42 percent), followed by the Singapore (9 per cent), United States (7 percent) and UK (5 percent) (Table 1). Countries like Singapore, USA, and UK etc. invest in India mainly in service, power, telecommunication, fuels, electric equipments, food processing sector.

- **Share of top investing countries FDI Equity Inflows**

In Amount (US$ in million)

Ranks	*Country*	*Cumulative Inflows (April '00 - Dec. '10)*	*%age to total Inflows (in terms of US $)*
1.	MAURITIUS	(52,986)	42 %
2.	SINGAPORE	(11,639)	9 %
3.	U.S.A.	(9,333)	7 %
4.	U.K.	(6,359)	5 %
5.	NETHERLANDS	(5,503)	4 %
6.	JAPAN	(4,906)	4 %
7.	CYPRUS	(4,532)	4 %
8.	GERMANY	(2,910)	2 %
9	FRANCE	(2,215)	2 %
10.	U.A.E.	(1,870)	1 %
11.	COUNTRIES NOT INDICATED	(24197)	20%
TOTAL FDI INFLOWS		(126450)	100%

Source: Ministry of commerce & industry Department of Industrial Policy & Promotion

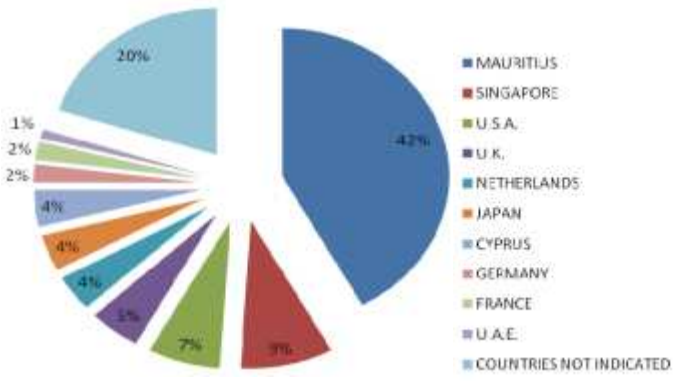

Sector wise FDI inflows from APRIL ,2000 to NOV 2014

S. No	Sectors	Amount of FDI Inflows (In US$ million)	%age with total FDI Inflows
1	Services Sector	38,713.32	18.55
2	Construction Development	22,969.45	11.00
3	Telecommunications	12,888.72	6.17
4	Computer Software & Hardwar	12,220.28	5.85
5	Drugs &Pharmaceuticals	11,570.50	5.54
6	Chemicals(OTHER THAN FERTILIZERS)	9,362.40	4.49
7	Automobile Industry	9,133.26	4.38
8	Power	8,357.23	4.00
9	Metallurgical Industries	7,780.61	3.73
10	Hotel & Tourism	6,825.56	3.27
11	Petroleum& Natural Gas	5,483.63	2.63
12	Food Processing Industries	5,230.08	2.51
13	Trading	4,236.54	2.03
14	Information & Broadcasting	3,639.93	1.74
15	Electrical Equipments	3,276.62	1.57

Source: DIPP, Federal Ministry of Commerce & Industry, Government of India

Table clearly show the FDI inflows in different sector for the period April 2000 to Nov 2014 data reveals that most of the Foreign countries like to invest in service sector. Services sector includes Financial, Banking, Insurance, Non-Financial / Business etc. Share of Service sector in total FDI is 18.55 per cent. Second largest share of FDI is in the construction development. Large amount of FDI has also taken place in telecommunication sector. The telecom industry is now become one of the fastest growing industries in India. Some Sector like Information & Broadcasting, Electrical Equipment attracts less FDI in country.

Conclusion - In order to liberalize Foreign Investment in India and to attract more number of foreign Investors the Government attempts to maintain a practice to continuously review the Foreign Investment policy. The acceptance of the recommendations to increase the Foreign Investment Limits in the respective sectors will not only attract Foreign Investment in India but will also provide growth opportunities to Indian Companies who can collaborate with Foreign Companies to start business in various new sectors. The withdrawal of requirement of Government Approval for Investment in different sectors will also act as an incentive to initiate various business prospects and will expedite the launch of new projects.

References :-

1. Chaturvedi Ila,(2011) “Role of FDI in Economic Development of India: Sectoral Analysis” International Conference on Technology and Business Management, Jaipuria Institute of Management, Ghaziabad
2. Goel Shashank, Kumar K. Phani , Rao Samasiva (2012), “Trends and Patterns of Fdi in India and its Economic Growth” Asian Journal of Research in Business Economics and Management vol. No.2(4)
3. K S Chalapati Rao, M R Murti, K V K Ranganathan, (1999)”Foreign Direct Investments in the Post-Liberlization Period- An Overview”, Journal of Indian School of Political Economy, vol. (4), no. 11
4. Madem Srinu, Gudla Sandeep, Rao K Bhaskara,(2012),” Fdi Trends during the Last Decade and its Effect on Various Sector in India”, International Journal of Scientific and Research Publications, vol. (12), no. 2
5. N.J. Sebastian, (2010), “Fdi in India and its growth linkages”, National council of applied economic research, Department of Industrial policy and promotion
6. R. Anitha (2012)” Foreign Direct Investment and Economic Growth in India” International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, vol. (8), no. 1
7. R. Nagaraj (2003),” Foreign Direct Investments in India in the 1990s Trends and Issues”, Economic and Political Weekly, vol. (38), no. 17, pp. 1701-1712
8. Sahni Priyanka(2012), “ Trends and Determinants Of Foreign Direct Investment in India: An Empirical Investigation”, International Journal of Marketing and Technology, vol. (8), no. 2
9. Singh Jasbir, Chadha Sumita, Sharma Anupama (2012) ,”Role of Foreign Direct Investment in India: An Analytical Study” , International Journal Of Engineering and Science, vol. no. 1(5), pp 34-42

Websites -

10. http:// en.wikipedia.org/wiki/Foreign_direct_investment/
11. www.ibef.org/india-at-a-glance/foreign-direct-investment.aspx
12. www.fdi.in/https://www.iaccindia.com/userfiles/files/FDI%20Manual%20-%20Policy.
13. dipp.nic.in/English/Archive/FDI_Manual/FDI _ Manual _ text_Latest.pdf.

Table see in next page

Tabular representations of the key changes proposed under the FDI Limits are as follows :

Sector/Activity	Before the proposal		After the proposal	
	% of FDI /Equity	Entry Route	% of FDI / Equity	Entry Route
Defense Sector	26%	Government Route	No Change	Higher limits of foreign investment in "state of-the-art" manufacturing would be considered by the CCS
Insurance Sector	26%	Automatic Route	49%	Automatic Route
Telecom Services	74%	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 74%	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 100%
Tea Plantation	100%	Government Route	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 100%
Asset Reconstruction Company	74% of paid-up capital of ARC (FDI+FII)	Government Route	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 100%
Petroleum&NaturalGas	49%	Government Route	49%	Automatic Route
Commodity Exchanges	49% (FDI & FII) + [Investment by Registered FII under Portfolio Investment Scheme (PIS) will be limited to 23% and Investment under FDI Scheme limited to 26%]	Government Route (For FDI)	49%	Automatic Route
Power Exchanges	49% (FDI &FII) FDI limit of 26 per cent and an FII limit of 23 per cent of the paid up capital	Government Route (For FDI)	49%	Automatic Route
Stock Exchanges/ Clearing Corporations	49% (FDI &FII) FDI limit of 26 per cent and an FII limit of 23 per cent of the paid-up capital	Government Route (For FDI)	49%	Automatic Route
Credit Information Companies	49% (FDI & FII)	Government Route	74%	Automatic Route
Courier Services	100%	Government Route	100%	Automatic Route
Single Brand product retail trading	100%	Government Route	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 100%

****

Emerging Issues Of Indian Tourism Industry

Dr. R. K. Gautam * Swati Chouhan **

Abstract - Tourism industry is one of major segments of the Indian economy. It is a major contributor to foreign exchange earnings provides employment to millions directly and indirectly and acts as a vehicle for infrastructure development. Tourism today is the most vibrant tertiary activity and a multi-billion industry in India. Traditionally known largely for its historical and cultural dimensions, tourism today is highlighted for its immense business opportunities. India's tourism industry has witnessed upsurge in recent years, paying rich dividends to both consumers and producers, with its lucrative linkages with transport, hotel industry etc., the potential and performance of India's tourism industry needs to be gauged in terms of its socio economic magnitudes. This paper traces the progress made by India's tourism industry in the planning era, and the emerging issues (like alternative tourism) under globalization. It examines the problems and challenges of the country as well as the pitfalls in tourism planning in India. The paper also makes some policy suggestions to address the constraints in promoting sustainable tourism in India.

Keywords - Internet, eTourism & eBusiness.

Introduction - Tourism is not an activity for pastime and entertainment but is an enriching and emergizing activity. Recognizing the importance of the tourism industry, the Government of India has taken many policy measures such as tourism policy 1982, Tourism plan of action 1992 and Tourism policy 1997. Tourism is the right vehicle for a developing country like India which is on the path of modern economic growth through structural transformation of the economy. The value added effect of tourism is increasing. Sustainable tourism has vast scope in India by convergence of landscapes with financescapes, technoscapes and mediascapes. India's tourism industry has witnessed upsurge in recent years, paying rich dividends to both consumers and producers.

The role of tourism is essential in the economic development of a country tourism is the second largest foreign exchange earner in India. Tourism promotes national integration it generates foreign exchange. It promotes cultural activities. The tourist gets an insight into the rich and diverse cultural heritage of India.

India is one of the popular tourist destination in Asia. The delighting backwaters, hill stations and landscapes make India a beautiful country. Historical monuments, forts, beaches places of religious interests, hill resorts, etc. add to the grandeur of the country.

Goa promotes water sports like sailing, scuba diving and rafting. Kashmir offers the pleasure of winter sports like skating and mountaineering. Kerala has introduced the concept of houseboats in its lagoons. Himachal Pradesh has developed winter sports in the state.

In India, the tourism and hospitality industries are witnessing a period of Exponential growth; the world's leading travel and tourism journal, "Conde Nast Traveller", ranked India as the numerouno travel destination in the world in 2007, as against fourth position in 2006.Tourism has now become a significant industry in India, contributing around 5.9 per cent of the Gross Domestic Product (GDP) and providing employment to about 41.8 million people.

Object -

Emerging Dimensions - Tourism will expand greatly in future mainly due to the revolution that is taking place on both the demand and supply side. The changing population structure, improvement in living standard, more disposable income, fewer working hours and long leisure time, better educated people, ageing population and more curious youth in developing the countries, all will fuel the tourism industry growth.

Research Hypothesis Method And Area -

Health Tourism - India is promoting the high-tech healing provided by its private health care sector as a tourist attraction. This budding trade in medical tourism, selling foreigners the idea of travelling to India for world-class medical treatment at lowest cost, has really got attention in the overseas market. This medical expertise coupled with allopathic and other modern methods become our new focus segment to project India as a Global Healing Destination.

Ayurveda - The earliest mention of Indian medical practices can be found in the Vedas and Samhitas of Charaka, Bhela and Shusruta. A systematic and scientific approach was adopted by the sages of the time leading to the development of a system that is relevant even today.

***Asst. Professor, Govt. Mahakaushal Arts and Commerce Autonomous College, Jabalpur (M.P.) INDIA**
**** Research Scholar, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.) INDIA**

Yoga - If Ayurveda is the science of body, yoga is the science of the mind.

Practiced together they can go a long way in making an individual fit. The word yoga means to join together.

Spiritual Tourism- Globally people are increasingly mentally disturbed and looking for solace in spiritual reading, meditation and moments of divine ecstasy.

Adventure Tourism - Youth tourism has been identified as one of the largest segments of global and domestic tourism. The young travellers are primarily experience seekers, collecting, enquiring unique experiences.

Nature Tourism - In search of new tourism products, travellers and suppliers are today seeking to reshape the meaning of nature as a tourism attraction. Eco-tourism takes into account unspoiled natural and socio-cultural attraction. Today the term nature tourism is often used synonymously with eco-tourism. Today nature tourism is the fastest growing segment of the tourism sector.

Rural Tourism - Rural tourism has been identified as one of the priority areas for development of Indian tourism. Rural tourism experience should be attractive to the tourists and sustainable for the host community. The Ninth
Plan identified basic objectives of rural tourism as: -

- Improve the quality of life of rural people
- Provide good experience to the tourist
- Maintain the quality of environment.

Sustainablle Tourism - The concept of sustainability means that mankind must live within the capacity of the environment that supports. Sustainable development has been defined briefly as "that which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs".

Summary - Tourism industry is one of the major segments of our economy, it contributes major part of foreign exchange and generates employment and helps infrastructure development. Thus the study is a critical issue in tourism industry. And new product development and innovation is essential for survival.

Progress Of Indian Tourism - The Indian government's "Incredible India" tourism campaign and the information technology growth in India have been attracting millions of foreign tourists and business tourists to India. Medical tourism has also recently mushroomed in India. Tourism industry is a big foreign exchange earner in India, yet the industry still is hampered by Tourism development has always has been an integral part of the country's five-year plans. Initially allocations were meager: Rs.3.36 crore in the Second Plan,Rs.5 crore in the Third Plan & Rs.36 crore in the Fourth Plan. It was doubled in the Fifth Plan. The National Tourism Policy in 1982 gave a momentum to this sector. Expenditure rose from about Rs.187 crore in the Seventh Plan to Rs.595 crore in the Ninth Plan and further to Rs.2900 crore in the Tenth five-year Plan. The Tourism Development Corporation, Tourism Finance Corporation, Hotel Management and Catering Technology Institutes, Food Craft Institutes, Indian Institute Tourism and Travel Management, India Tourism Development Corporation, Indian Association of Tour Operators, Travel Agents Association of India and a large number of hotel management colleges, sports and adventure clubs, beach resorts etc have also contributed to the growth and development of this industry. Emphasis laid on HRD is clear.

The growth of India Tourism market is also equally beneficial for the several associated industries such as the aviation industry, medical tourism industry and hotel industry. However year 2008, sees a whopping rise in the arrival of eco tourists in the country. Recently a new concept 'Rural Tourism' has been launched by the government in India, which is equally doing very well.

Research Tools -

Performance of service sector - The services sector is particularly important for India for various reasons. The growth in services sector has remained consistently higher than the overall growth in the economy except for two years. The table No. 1 states that the share of services in GDP is increasing relatively. This has increased from 58.7% in 2002-03 to 60.2% in 2004-05 & from 62.0 in 2006-07 to 63.0 in 2007-08. Trade, Hotel, Transport and Communication services share rise from 9.4% in 2002-03 to 12.8% in 2006-07; but declined from 12.8% in 2006-07 to 12.4% in 2007-08. When we think about share in GDP is has increased but slowly during these years.

Table (See in last page)

Problems of Indian Tourism - The Indian government's "Incredible India" tourism campaign and the information technology growth in India have been attracting millions of foreign tourists and business tourists to India Medical tourism has also recently mushroomed in India. Tourism industry is a big foreign exchange earner in India, yet the industry still is hampered by several problems like-

- Poor transportation
- Lack of basic hygienic amenities at halting points
- Non-standardization of rates and fares
- Lack of sound marketing and promotion strategies
- Poor maintenance of heritages
- Issues regarding security and harassment
- Lack of passionate and trained professionals
- Non Implementation of Legislative Law.
- Untrained Guides.
- Poor Administration & Management.

New Issues And Challenges - The industry may have to cope up with several challenges which will limit its growth. Post globalization and under GATS many changes and challenges are confronted by the tourism industry in India. A few are may be mentioned here -

1. Liberalization and Tourism - GATS came into existence as a result of the Uruguay Round of negotiations and entered into force on 1 January 1995, with the establishment of the WTO. India also signed all the WTO agreements under the singing undertaking rule and GATS is a part of this whole package. Under GATS, tourism and travel related services – hotels and restaurants (including catering),

travel agencies and tour operator's services, tourist guide services etc are covered for open market access and liberal FDI. With this, tourism has become "consumption abroad" and travel of tourist, "movement of natural persons".

2. Social and Political Concerns - Globalization has raised socio-cultural issues in tourism too. From going global we have arrived to the need for "thinking globally and acting locally". Can hi-tech tourism go hand in hand with heritage tourism? How balanced are virtual tourism and rural tourism? How to make India a safe and healthy place to tour and travel? Our tourism industry must prepare itself to meet these and other emerging challenges.

3. Infrastructural Bottlenecks - A sector that is expected to increase forex by rupees 5000-10000 crore by 2010 cannot go on and on with the mediocre infrastructural facilities.

Tourism and Crime - Tourism and crime is a new emerging area of study within tourism but there is no universal agreement on whether tourism development leads increased crime in a locality.

Sex Tourism and Prostitution - Prostitution undeniably existed before the onset of mass tourism to developing countries. However, in many countries tourism has undoubtedly contributed to an increase in prostitution, organized gambling and various types of crimes.

Measures taken by Indian Government - These are some of the instructions given by the government to the tourist. It is mandatory to follow -

1. Acquirement of a Currency Declaration Form and Filling up to the Disembarkation Card on your arrival in India. You also require making a verbal declaration of luggage you are travelling with.
2. Tourists with a visa permit for over 180 days have to obtain a Registration Certificate and a Residential Permit. Submission of four recent passport size photographs is compulsory for registration.
3. While embarking on an India tour, obtain a yellow fever vaccination certificate. Also consult your doctor before visiting this country.
4. Carry attested copies of your visa, passport, and other important travel documents.
5. Credit cards, foreign currency or traveler's cheque are accepted from foreign nationals although Indian currency is needed to give proof of having legal foreign exchange.

The aforementioned initiatives have resulted in increasing FDI inflows being witnessed by this industry. For the period April 2000 to November 2007, a total of US$ 636 million in foreign direct investments was channelized towards development of hotels and tourism.

Future of India Tourism Industry

- India is expected to see in influx of 10 Million international tourists by 2010, up from just 5 Million in 2007.
- Indian outbound tourist departure is expected to reach 20.5 Million by 2015.
- In 2008, top four (4) states captures more than 75% of total market share of Indian domestic tourist visits.
- In 2009 FDI investment in Indian hotel and tourism sector was more than US$ 550 Million.
- Number of Buddhist tourist arrivals in India has doubled in 2009 from 2008.

Suggestions - For everything we need a policy – a sound policy. Let me now put forward a few policy suggestions to develop sustainable tourism in India -

1. India should make the most of its topography, natural resources and labor to develop not only traditional products but also non traditional products of tourism.
2. Rural tourism should be a byproduct of Indian tourism. At the same time eco-tourism for sustainable livelihoods must be encouraged.
3. Enhancing security, stepping up investment and boosting (world class) infrastructural activities should be on the top of the agenda. Service quality – in hotels,
4. Proper market segmentation should be done on the basis of criteria like demographic, socioeconomic and geographic variables. Yet a holistic approach should be the objective to project and Incredible and Inclusive India. Commercialization should not result in dehumanizing tourism.

Conclusion - Tourism is today emerging as a leading sector in the world and is now considered by some as the number one industry. Demographic, socio-structural and socio-cultural developments have always led to changes in tourists demands, and service providers in tourism are faced with a substantial need to adjust. These challenges have expanded and intensified considerably in the first few years of the new millennium.

However the Indian tourism industry has been hit by pollution. The effluent emitted by the Mathura Refinery has led to the decolonization of the Taj Mahal in Agra. The condition of many of our monuments is deteriorating due to the negligence of the concerned authorities. Kashmir is the paradise for domestic and international tourists. Necessary steps should be taken by the state government as well as central government to prevent this menace. The Government should also take steps for the maintenance for the tourist destination.

References :-

1. Encylopedia of Indian Tourism Resources: Volume I, II, III by Gran Books, Ansari Road, New Delhi.
2. Tourism Growth Management and Incentives by Kalpaz Publication, New Delhi.
3. Annual SReport – 2009-10, Ministry of Tourism, Government of India.
4. RBI Website.
5. Prof. S. G. Patil, "An Overview of An Emerging Service Industry: Tourism", Vol. I, Issue II/March 2011.
6. www.indiacore.com/tourism.html
7. DR. Rupal Patel, "India's Tourism Industry – Progress and Emerging Issues", Bhikhabhai Jivabhai Mahavidyalaya.

8. Gaur Kanchi Lal, 2005. Indian Tourism through inner Eyes. Prabhat Agency.
9. Dimitors Buhalis, Carlos Costa, 2005. Tourism Business Frontiers. Publisher Elsevier. Butterworth Heinemann.
10. John J Ingram and Salaam Wahid, Tourism Development and Growth- Challenges of Sustainability. Publisher, Routilege- London New York.

Table
Performance of the Services Sector

Sub-sector	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008- 09 (RE)
Trade, Hotels, Transport and Communication	9.4	12.0	10.7	12.1	12.8	12.4	9.0
Financing, Insurance, Real Estate and Business Services	8.0	5.6	8.7	11.4	13.8	11.7	7.8
Community, Social and Personal Services	3.9	5.4	6.9	7.0	4.7	6.8	13.1
Construction	7.9	12.0	16.1	16.2	11.8	10.1	7.2
Shares of services in GDP	58.7	58.9	60.2	61.1	62.0	63.0	64.5

Source - Central Statistical Organization

****

Balancing Work-Life And Family Challenges In India

Dr. Arun Kumar Gautam * Vandana Singh **

Abstract - In organizations and on the home, the challenge of work/life balance is rising to the top of many employers 'and employees' consciousness. In today's fast-paced society, human resource professionals seek options to positively impact the bottom line of their companies, improve employee morale, retain employees with valuable company knowledge, and keep pace with workplace trends. This article provides human resource professionals with an historical perspective, data and possible solutions—for organizations and employees alike—to work/life balance. The term work-life balance is chosen to broaden the concept to cover individuals who struggle to balance responsibilities that do not include caring for dependent children, for example, to participate in sporting, leisure or community activities. This inclusive definition accommodates all employees, including those who are single and/or child-free, as well as older employees whose children have left home. The inclusive the strongly gendered character of work-life policy utilization, in which work-life policies are perceived to be of benefit only to female employees.

Keywords. Balance, work, life, development, family

Introduction - The work-leisure dichotomy was invented in the mid-1800 spaul krassner. remarked that anthropologists, use a definition of happiness that is to have as little separation as possible "between your work and your play" The expression "work–life balance" was first used in the United Kingdom in the late 1970s to describe the balance between an individual's work and personal life. Most recently, there has been a shift in the workplace as a result of advances in technology. As Bowswell and Olson-Buchanan stated, "increasingly sophisticated and affordable technologies have made it more feasible for employees to keep contact with work". Employees have many methods, such as emails, computers, and cell phones, which enable them to accomplish their work beyond the physical boundaries of their office. Employees may respond to an email or a voice mail after-hours or during the weekend, typically while not officially "on the job.

Defining Work-Life Balance - Work-life balance has received much attention in the popular management literature and media. In some instances work-life balance is used as a noun, for example when employees are encouraged to "find a balance".

In other instances it is treated as a verb, as in "to balance work and other aspects of life."Life will deliver the value and balance we desire ...when we achieve and enjoy something every single day...in all the important areas that make up our lives"

Work–life balance is a broad concept including proper prioritizing between "work" (career and ambition) on one hand and "life" (Health, pleasure, leisure , family and spiritual development) on the other. Related, though broader, terms include "lifestyle balance" and "life balance"

Work life balancing view -

Objectives Of This Study -

1. To improve Working more productively and get more accomplished, leading to greater career success
2. To More fulfillments from work
3. To Improving relationship with family and friend
4. To Better physical and mental health
5. To Making choice about your priorities rather than sacrificing any spiritual and physical – between key areas of importance

* Professor (Commerce) Govt. Vivekananda P.G. College, Maihar, Satna (M.P.) INDIA
** Research Scholar & Lecture, VITS College, Satna (M.P.) INDIA

Literature Review - Now a days 'work/life Balance' has replaced the term 'Work/family Balance,' which is use earlier. The term work/life now extends to include other life activities like study, exercise, community work, hobbies, care of elderly as well and not just the care of dependent children as was recognized under the term 'work/family.' Similarly, the concept of family has broadened to encompass extended families, shared parenting, single parent families and a wide range of social support networks and communities..Gutek et al argued, as each having two directions one is Time-based conflict occurs when time devoted to one role makes it difficult to participate in another role, strain-based conflict suggests that strain experienced in one role intrudes into and interferes with participation in another role, and behavior-based conflict occurs when specific behaviors required in one role are incompatible with behavioral expectation in another role.

The second part of work/life conflict relates to the set of theories that focus on the interface between work and family. Further there have been studies focusing on facilitation relationship between work and family domains. It has been termed as positive work- or work-family enhancement , Work-family facilitation is defined as 'the extent to which participation at work (or at home) is made easier by virtue of the experiences, skills and opportunities gained or developed at home or work.

Strategies For Achieving Balance -

1. Scheduling 2.Combining work and family 3.Working flexible hours 4.Setting boundaries 5.Making families first 6.Personalizing strategies

Research Methodology -

Need for the Study - Work/life balance is gradually becoming a major issue in India. This qualitative study focuses on developing a scale for measuring work/life balance of professionals, keeping in mind their highly challenging and insecure job profile and the need for measuring their work/life balance.

Generation - The study focuses on understanding the work/life related issues for working professionals. Thus, focused group discussions were held with randomly chosen employees drawn from four areas, viz. 10 managerial level employees of a private sector company, 20 academicians, 5 social sector professionals and 15 public sector employees to identify factors considered relevant to Work/Life Balance by professionals working in the city of Satna mp.

Sampling - As the population of professionals is infinite, purposeful sampling used. The study is conducted in centre India and the sample is drawn from five sectors namely, banking, insurance, education, public health and telecommunications by non probability convenience sampling based on sampling strategies described by Patton (Pg. 169-186; 1990). 4 banks, 3 insurance firms, 5 educational institutions, 1 public health research Organization and 2 telecommunications firms, all centre India is covered.

Data Collection And Analysis -

Primary Data - Survey through questionnaire method, interaction with organizational employer, employee & family, observation method. Employee Questionnaire The construction industry employees questionnaires consisted of e main sections, which investigated the following areas: Demographics; Work load and responsibility; Work environment; Feelings about work; Quality of spouse/partner relationship; Family dependants; Absence from work;

Secondary Data - Data will provide by organization on request only for doing the research work. Data has taken from company prospects, company web side, and news paper internet.

10 Tips For Getting Your Work/Life In Balance - 10Negotiate a Change with Your Current Employer

a) Changes can include: flextime, job-sharing, or part-time employment

b) Your 1st step is to research your employer's policies and methods of handling previous requests

2. Find a New Career

a) Some careers are simply more stressful and time-consuming than others.

b) Explore careers that are less stressful and more flexible

3. Find a New Job - Rather than a career change, perhaps you simply need to take a less stressful job within your chosen career, This may involve working with your current employer to identify a new position .

4. Slow Down - Life is simply too short, Take steps to stop and enjoy the things and people around you, Find some

5. Learn to Better Manage Your Time - For many people, most of the stress they feel comes from simply being disorganized ways to distance yourself from the things that are causing you the most stress,

6. Share the Load - Get your partner or other family members to with

all your personal/family responsibilities

7. Let Things Go - Learn to let things go every once in a while Learn to recognize the things that don't really have much impact in your life and allow yourself to let them go

8. Explore Your Options. Get Help - In many cases you do have options; you just need to take the time to explore them

9. Take Charge. Set Priorities - Developing a prioritized list of things that need to get done.

10. Simplify - It's human nature to take on too many tasks and responsibilities, to try to do too much and to own too much.

Find a way to simplify your life

Change Your Lifestyle -

- Global economy
- International business
- Advanced communication technology
- Flex-time schedules

HR Solution For Work Life Balance

On the job training - Surveys of employee work /life issues, Set priorities for all work, Train line managers to recognize signs of overwork, Seminars on work life balance.

- **Make work more flexible** - Flexi time, Job sharing,

sponsoring employees' family oriented activities

- **Allow for time off from work -** A formal leave policy, Paid childbirth or adoption leave, Allow employees to take leave for community service

Analysis Of This Study

Demographic profile of respondent

Variable	N =250	Percentages
Gender Male	150	60%
Female	100	40%
Marital Status		
Single	75	30%
Married	160	64%
Divorcee/Widowed	15	6%
Educational Status		
Graduate	20	8%
Post Graduate	150	60%
Professional/Doctorate	40	16%
Type of Organization		
Private sector	165	66%
Public sector	85	34%
Work status		
Full time	175	70%
Part-time	75	30%

Limitations Work-Life Balance - Higher rates of staff turnover,Reduced productivity,Higher rates of absenteeism, Decreased job satisfaction ,Rising healthcare costs,Lower levels of organisational commitment and loyalty ,Poor customer service,

Conclusion - Live in the present' Achieving work-life balance: For all, work-life balance means enjoying a cup of tea at home without having to worry about work. And while you are at work, you should not stress about situations at home. Work-life balance is about being focused and dedicated in everything you do. It is important to live in the present rather than worry about the future. It is also about enjoying the varied experiences that life has to offer. Work/life programs have the potential to significantly improve employee morale, reduce absenteeism, and retain organizational knowledge, particularly during difficult economic times. In today's global market place, as companies aim to reduce costs, it falls to the human resource professional to understand the critical issues of work/life balance and champion work/life programs. Work/life balance is an emergent issue in the expanding Indian economy. Achieving a good balance between work and family commitments is a growing concern for contemporary employees and organizations. There is now mounting evidence-linking work–life imbalance to reduced health and wellbeing among individuals and families. Further, research in the area of Management, where it is most needed, has been sparse and lacking in depth. The current study aims at filling up this gap. - "

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving." - **Albert Einstein**

References :-

1. In perspective: Use of work/life benefits on the rise. (2002). IOMA's Report on Managing Benefits Plans**,**
2. Ezzedeen, S. R., & Swiercz, P. M. (2002). Rethinking work-life balance: Development and validation of the cognitive intrusion of work scale (CIWS) - A dissertation research proposal. Proceedings of the 2002 Eastern Academy of Management Meeting.
3. Society for Human Resource Management. (2002). Work-life balance. Workplace Visions, Society for Human Resource Management
4. Stum, D. T. (1999). Workforce commitment: Strategies for the new work order. Strategy and Leadership, 27, 1, 4-7.
5. A. G. Bedeian, B. G. Burke, and R. G. Moffett, Outcomes of work-family conflict among married male and female professionals, Journal of Management, 1988, Vol. 14 (3), pp. 475-491.
6. S. Bhargava, and R. Baral, Antecedents and Consequences of Work-Family Enrichment among Indian Managers, Psychological Studies, 2009, Vol. 54, pp. 213-225.
7. S. L. Boyar, J. C. Carr, D.C. Mosley, Jr., and C. M. Carson, The Development and Validation of Scores on Perceived Work and Family Demand Scales, Educational and Psychological Measurement, 2007, Vol. 67, pp. 100-113
8. K. A. Burley, Family variables as mediators of relationship between work/family conflict and marital adjustment among dual career men and women Journal of Social Psychology, 1995, Vol. 135 (4), pp. 483-497.
9. V. Chandra, Women and Work-Family Interface: Indian Context, Journal of Asia Pacific Studies, 2010, Vol. 1(2), pp. 235-258.
12. M. C. Clarke, L.C. Koch, and E. Jeffrey Hill, The Work-Family Interface: Differentiating Balance and Fit, Family and Consumer Sciences Research Journal, 2004, Vol. 33(2), pp. 121-140
13. www.google.com

****

Evolution of Industrial Economies and a Short Assessment of Indian Industrial Sector Development - Using Anecdotal and Statistical Evidence

Dr. Tapesh Chandra Gupta * Dr. Navin Singh **

Introduction - The history of mankind has been that of abject poverty and living on subsistence levels, for its most part, till the industrial revolution kicked in, and made parts of Western Europe richer, sometimes towards the end of the nineteenth century. This prosperity then spread rapidly to the rest of the West, but for most of the Rest, poverty has remained an inescapable truth of their everyday existence, for close to 200,000 years now, ever since Homo sapiens have existed as a species. The standard of living as reflected in per capita income parallels the per capita production, but in societies of hunter-gatherers, or even in agrarian states, the potential of raising productivity is limited. Prior to industrial revolution, it was only possible if a region were bestowed with better natural resources like fertile land, but such regions saw a proportionate rise in population density over time, negating the natural advantage and ensuring that the World remained shackled in a Malthusian trap. So industrialization has been the reason behind 'the great divergence' or the rise of the West, vis a vis the 'Rest'. It has also been Industrialization that has brought prosperity to the late industrialisers, be it Japan, or the Asian Tigers- Hongkong, S. Korea, Singapore, Taiwan, or China.

The industrial economy has evolved a lot since its humble origins in the spinning jenny in Lancashire. Perez (2007) has documented five great surges of developments, witnessed by the capitalist economy, starting from the industrial revolution. Each surge was backed by a new technological revolution, giving rise to new products and industries, based on new infrastructure and alternative sources of energy. These developments, then spread from core of the world economy of its time, to the periphery, in due course. The first surge was the 'Industrial Revolution' which started circa 1771 in Britain, which was characterized by mechanized cotton industry, wrought iron and machinery. From 1829, the age of 'Steam and Railways' spread from Britain to the rest of Europe and U.S.A. Starting from 1875, the age of 'Steel, Electricity and Heavy Engineering' enabled U.S.A. and Germany to overtake Britain. Henry Ford's first Model-T in 1908 heralded the onset of the fourth developmental surge, ushering in the age of ' Oil, Automobile and Mass Production, which spread from U.S.A. to Europe. Beginning in 1971, the age of 'Information and Telecommunication' has again been an American breakthrough, which spread to Europe and for the first time, reached as far as Asia.

Reinsert (2003) has argued that the rich nations have exploited these productivity explosions to jack up their wages and standard of living, and they have created and gradually widened the income differentials, as compared to the poorer nations. As the old adage goes-" rich nations produce rich things", the wealthy nations have produced goods with steep learning curves and imported those with a comparatively flatter learning curve. For example, the United States witnessed a productivity explosion in the shoe industry from 1850 to 1900, and when it was no longer possible to increase productivity in the leather industry, it chose to forego shoe manufacturing and import shoes instead. Thus, from 1750 onwards, West has gradually ascended on the hierarchy of economic activities, starting from textiles and shoes, to Radio, T.V. and then electronics, while the third world has stagnated in jobs with flat learning curve and flat wages.

Kojima (2000) has explained how the Asian countries have played catch up with the West, in industrial development, which was transmitted in a 'flying geese' pattern, from a lead goose (Japan) to follower geese (Newly Industrializing Economies (NIEs), ASEAN 4, China etc.) .This catching up process has followed a basic pattern, where a single industry has grown from import to production to export ; or a variant pattern where industries have upgraded from consumer goods to capital goods and/or from simple to more sophisticated products. This diversification can again be classified into two patterns. One is an intra industry cycle, e.g. from cotton to woollen to synthetic textiles. The other is an inter-industry cycle, e.g. from textiles to steel to shipbuilding to automobiles.

To look at some anecdotal evidence, Japanese automobile giant Toyota, which owns the Lexus brand of luxury cars, began as a truck maker, in 1933, which in spite

* Professor (Commerce) Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur (C.G.) INDIA
** Expert on Economics, Raipur (C.G.) INDIA

of trade protection (Ford and GM were kicked out of Japanese market in 1938), and a bailout by Japanese central bank in 1949, produced a sedan called Toy pet crown which was a flop in U.S. markets. Toyota motors started as an offshoot of Toyoda Automatic Loom Works, Ltd., makers of textile machinery.

S. Korea's Samsung has traced a similar trajectory of rising up the hierarchy of specialization. Its founder Byung-Chul Lee started with the capital of inherited land, under the Japanese reign and started a small shipping company. In 1938, he established the trading company, which is known as Samsung Corporation at present, and which exported Korean agricultural products. It started importing daily necessities like sugar, fertilizer, paper, wool etc. after Korean independence. It ventured into manufacturing in 1953 when it started producing sugar, and woollen goods by 1954; products which were imported into Korea till then. It went on to acquire a Fire Insurance Company and majority shares in three banks. Lee had to cede control of the banks to the government during Gen. Park Chung Hee's regime. He later established a company making fertilizers, another import good, which he donated to the government. Samsung Electronics was established in 1969, and throughout the 1970s Samsung was a major investor in strategic sectors like Petrochemicals, machinery and shipbuilding. It later diversified into semiconductors and aeronautics as well.

Hyundai, the largest cabal, has chartered a somewhat similar course. It was started by a teenager named Ju-Yung Chung, in the year 1930s, who worked errands for a rice mill, before winning construction contracts from the U.S. military and the S. Korean governments, first under Syngman Rhee and then under Park. It then went into automobiles, before venturing into shipbuilding (now it is the world's largest ship builder) under coercion from Park.

Daewoo similarly went from being a textile manufacturer, which accounted for 40% of Korera"s textile exports in 1972, to automobiles, when it bought the bankrupt Saehan Motors, which later came to be known as Daewoo Motors; after it has already acquired a troubled machinery manufacturer and renamed it Daewoo Heavy Industries in 1976 and seized control of a loss making shipyard in 1978 which became Daewoo Shipbuilding.

LG group started as a trading company, and its founder In-Hwoi Koo then founded LG Chemical, which manufactured cosmetics and soaps. LG then entered into plastic manufacturing, to vertically integrate the production of cosmetic containers, and soon started producing soap containers and toothbrushes as well. It took advantage of its government's economic development plan in the 1960s and its arm Gold star, which was established in 1959, evolved into LG Electronics.

A cursory glance at India's track record makes it amply clear what went wrong with India's attempt at industrialization. One of the earliest known business house in India, dating to the Mughal era, was of Virji Vora (c. 1590-c. 1670s), who was described as the richest merchant of the World at the time, by The East India Company Factory Records. He was a wholesale trader, who grew to be the sole monopolist of all European commodities shipped to India. He had a large organizational network with branches at Broach, Baroda, Ahmedabad, Burhanpur, Golkonda, Agra, the Deccan and the Malabar regions apart from port towns of the Persian Gulf region, Red Seas and the South East Asian countries. He competed with the British East India Company and the Dutch East India Company owed most of its capital in India to him and one of his close associate. But he belonged to the pre-industrial era, so it is natural that his business house couldn't diversify into manufacturing or industrial activity.

But one of the old business houses of India from British Raj days did survive past the days of the industrial revolution-the Wadias. One of the oldest conglomerates of corporate India, the Wadias were the contractual shipbuilders of the British East India Company, way back in 1736, with the added responsibility of building the Bombay (now Mumbai) docks. They were prominent textile makers of independent India, and have now diversified into real estate.

Another Indian business conglomerate of note is the Tata Group, founded by Jamsetji Tata in 1868. It was a trading company, which started a textiles mill in 1877, and entered into hotel business in 1903 with the Taj Mahal hotel in Mumbai. In 1907 it started the first Iron and steel company of India which started its operations seven years later and is now the eleventh largest steel company of the world. Apart from steel, the group is a major player in IT services, Power, chemicals, tele-services and telecom. It also has a significant presence in manufacturing, on account of its engineering subsidiaries, especially Tata Motors, which happens to be the 17 largest motor vehicle manufacturing company of the world

Birla group was another, one of the prominent business houses of India, which was started by a family in money-lending business. It started with cotton trading and then jute manufacturing. It was soon in cotton textiles and then opened 5 sugar plants between years 1933 to 1935. In the year 1940s and 1950s it saw rapid expansion, getting into textile machinery, bicycles, non-ferrous metals, rayon, plastics, plywood, vegetable oil, tea, coal newspaper, shipping, insurance and banking. It got into aviation, which was a short-lived venture, as the then Prime Minister, Mr. Nehru, nationalized the business in 1953.It started its automobile arm in year 1950 in collaboration with UK's Morris, and it produced its car based on a year 1956 Morris model for close to seven decades, which led the car sales in India under a protectionist regime of Indian government, but saw a gradual decline in its fortunes when the sector was opened up for global competition, in the year 1980s, before winding up its operations in year 1914.

The evolution of Indian business houses shows a disturbing trend - India is moving in reverse gear. The Indian companies are not moving up the hierarchy of manufacturing, by moving from simple to more sophisticated goods, or from consumer to capital goods; and even those who did move

up the ladder, eventually climbed down to low end manufacturing, services or real estate/ natural resources sector.

Statistical evidence of last decade, reaffirms this trend; India ran a trade surplus of 10.71 billion $ in the year 2001, while in the year 2008, it ran a deficit of 25.88 billion$. If one looks deeper, the picture looks more grim; while India is still running an increasing trade surplus in primitive goods like leather, rubber, wood, textiles, non-metallic minerals, cycles, furniture, travel goods, handbags, apparels and clothing accessories, footwear etc., there has been a ballooning trade deficit in chemicals excluding pharmaceuticals, power generating machinery and equipments, machinery specialized for particular industries, metalworking machinery, general industrial machinery and equipments, automatic data processing machines and parts, telecommunication equipments and parts, electrical machinery, electro-medical and radiological equipments, household type equipments, motor vehicle parts and accessories, railway vehicles and associated equipments, aircraft and associated equipments and parts, ships, boats and floating structures, optical instruments and apparatus, medical instruments and appliances, measuring, checking, analysis, controlling instruments, photographic and cinematographic supplies, optical goods, watches and clocks etc. A rising trade surplus in Pharmaceuticals, motor vehicles and scooters has been the saving grace.

According to Ozawa (1991), one of the keys to national development has been a gradual development of its industries, in a manner that shifts the production activities from lower value added and more labour-intensive industries, to higher value added and more capital-intensive industries; but this crucial link has been missing from the trajectory of Indian industrial firms. Shafaeddin (2010) has argued that, the 'across-the-board trade protectionism', as employed by most developing countries, in 1950s-1970s, as opposed to 'dynamic trade policy' as practised by the S.E. Asian economies has led to the de -industrialization of the former, restricting them to the production and export of primary commodities and natural resources based products; and specialization in labour intensive stage of assembly operations. He goes on to add, on the basis of cross-sectional studies by many scholars, that 'across the board trade liberalization' as followed by the developing countries in the 1980s and 1990s has also failed and there is some evidence, that it may have de-industrialized some poor African countries, especially in Sub- Saharan Africa. India's case cements his view, as our manufactured trade balance , as a percentage of GDP, which stood a surplus of 2.1% in 1986, turned into a deficit in 2006 and reached the level of -2.1% in 2008.

Under the current W.T.O. regime, many of the classic tools of industrial policy are either banned or significantly curtailed, tariffs have been reduced, Quantitative restrictions (quotas) have been banned, Export subsidies are banned, most other subsidies invite countervailing duties and regulations on FDI make putting performance or local sourcing requirements on Trans National Corporations difficult. So, India may have missed the bus of industrialization ,as it may not have much elbow-room left to follow the dynamic trade policies of its S.E. Asian neighbours, and the chances of it ever making to the rearguard of the 'flying geese' appear dismal.

References :-

1. Barendse, R. J. ed. (2002). *The Arabian seas: the Indian Ocean world of the seventeenth century* (illustrated ed.). M.E. Sharpe. p. 186.
2. CHang, Ha-Joon (2009), Industrial Policy: Can We Go Beyond an Unproductive Confrontation? A Plenary Paper for ABCDE (Annual World Bank Conference on Development Economics) Seoul, South Korea 22-24 June 09, pp 32
3. Chang, Sea-Jin (2003), ***Financial Crisis and Transformation of Korean Business Groups, the Rise and fall of Chaebols,*** Columbia University Press, pp62-68
4. **Chaudhuri, Sudip (2013),** ***Manufacturing Trade Deficit and Industrial Policy in India,*** WORKING PAPER SERIES, WPS No. 720/ January 2013
5. Kojima, Kiyoshi (2000), ***The "flying geese" model of Asian economic development: origin, theoretical extensions, and regional policy implications,*** Journal of Asian Economics 11(2000)375–401.
6. Mehta, Makrand (1991). "Virji Vora : The Profile of an Indian Businessman in the 17th Century **".Indian merchants and entrepreneurs in historical perspective** Academic foundation. pp. 53–63.
7. Ozawa T (1991). The dynamics of Pacific Rim industrialization: How Mexico can join the Asian flock of ìflying geeseî. In: Roett R, ed., Mexicoís External Relations in the 1990s Boulder and London, Lynne Rienner Publications.
8. Perez,Carlota (2007), ***Great Surges of development and alternative formsof globalization,*** Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics no. 15, pp 4-8.
9. Piramal, Gita (1999), *Business Legends*. Penguin Books, pp 36, 37, 56,65,83,84,87&135.
10. Reinert, Erik S (2003), ***Increasing Poverty in a Globalised World: Marshall Plans and Morgenthau Plans as Mechanisms of Polarisation of World Incomes,*** H—J. Chang (ed.), Rethinking Development Economics (Anthem Press, London), pp. 453-478.
11. Richards, John F. ed. (1996). *The Mughal Empire* New Cambridge history of India (illustrated ed), Cambridge University Press. p.209.
12. Shafaeddin, Mehdi (2010), *Trade Liberalization, Industrialization and Development:*
13. *Experience of recent decades,* Keynote speech delivered at the Fourth ACDC (Annual Conference on Development and Change), University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, April 2010

Financial Market – Its Mechanism & Roles in Industry

Dr. Deepak Nema* Dr. A. K. Gautam **

Abstract - In Economics, a Financial Market is a mechanism that allows people to buy and sell financial securities ,commodities and other fungible items of value at low transaction costs and at prices that reflect the efficient-market hypothesis. Both general markets and specialized markets exist. Markets work by placing many interested buyers and sellers in one "place", thus making it easier for them to find each other. An economy which relies primarily on interactions between buyers and sellers to allocate resources is known as a market economy in contrast either to a command economy or to a nonmarket economy such as a gift economy.
Keywords - Financial Market, Currency Market, Stock Market.

Introduction - We know that, money always flows from surplus sector to deficit sector. That means persons having excess of money lend it to those who need money to fulfill their requirement. In economics, typically, the term market means the aggregate of possible buyers and sellers of a certain good or service and the transactions between them. The term "market" is sometimes used for what are more strictly exchanges, organizations that facilitate the trade in financial securities .Financial Markets are typically defined by having transparent pricing, basic regulations on trading, costs and fees and market forces determining the prices of securities that trade.

The Financial Market in India at present is more advanced than many other sectors as it became organized as early as the 19th century with the securities exchanges in Mumbai, Ahmadabad and Kolkata. In the early 1960s, the number of securities exchanges in India became eight - including Mumbai, Ahmadabad and Kolkata. Apart from these three exchanges, there was the Madras, Kanpur, Delhi, Bangalore and Pune exchanges as well. Today there are 23 regional securities exchanges in India. The Indian Stock Markets till date have remained stagnant due to the rigid economic controls. It was only in 1991, after the liberalization process that the India securities market witnessed a flurry of IPOs serially. The market saw many new companies spanning across different industry segments and business began to flourish.

The launch of the NSE (National Stock Exchange) and the OTCEI (Over the Counter Exchange of India) in the mid-1990s helped in regulating a smooth and transparent form of securities trading. The regulatory body for the Indian capital markets was the SEBI (Securities and Exchange Board of India). The capital markets in India experienced turbulence after which the SEBI came into prominence. The market loopholes had to be bridged by taking drastic measures.

India Financial Market helps in promoting the savings of the economy - helping to adopt an effective channel to transmit various financial policies. The Indian financial sector is well developed, competitive, efficient and integrated to face all shocks. In the India financial market there are various types of financial products whose prices are determined by the numerous buyers and sellers in the market. The other determinant factor of the prices of the financial products is the market forces of demand and supply. The various other types of Indian markets help in the functioning of the wide India financial sector.

The financial markets act as a link between these two different groups. So, financial market may be defined as 'a transmission mechanism between investors and the borrowers through which transfer of funds is facilitated'.

Main functions of financial market.

a) It provides facilities for interaction between the investors and the borrowers.
b) It provides pricing information resulting from the interaction between buyers and sellers in the market when they trade the financial assets.
c) It provides security to dealings in financial assets.
d) It ensures liquidity by providing a mechanism for an investor to sell the financial assets.
e) It ensures low cost of transactions and information.

Types Of Financial Markets - The Financial market is divided into two main divisions, namely (i) the Money Market, and (ii) the Capital Market. The Money Market is quite different from the Capital Market in the sense that, unlike the Capital Market, one cannot raise long term capital from the Money Market. The existence of money markets facilitate trading in short-term debt instruments to meet short-term needs of

* Asst. Prof. (Commerce)Sharda Mahavidyalaya,Sarlanagar, Maihar, Distt. Satna (M.P.) INDIA
** Prof. (Commerce) Govt. Vivekanad Mahavidyalaya, Maihar (M.P.) INDIA

large users of funds such as governments, banks and similar institutions.. Let us discuss these two types of markets in detail.

Money Market - The money market is a market for short-term funds, which deals in financial assets whose period of maturity is upto one year. It should be noted that money market does not deal in cash or money as such but simply provides a market for credit instruments such as bills of exchange, promissory notes, commercial paper, treasury bills, etc. These financial instruments are close substitute of money. These instruments help the business units, other organisations and the Government to borrow the funds to meet their short-term requirement. Money market does not imply to any specific market place. Rather it refers to the whole networks of financial institutions dealing in short-term funds, which provides an outlet to lenders and a source of supply for such funds to borrowers. Most of the money market transactions are taken place on telephone, fax or Internet. The Indian money market consists of Reserve Bank of India, Commercial banks, Co-operative banks, and other specialized financial institutions. The Reserve Bank of India is the leader of the money market in India. Some Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and financial institutions like LIC, GIC, UTI, etc. also operate in the Indian money market.

Capital Market - Although the stock markets have undergone a number of shocks and irregularities over the past decade, they have over time, developed sophisticated institutional mechanisms, by harnessing modern computer technology. Even though the market design on the stock markets has made major progress, there are continuing concerns about the speed and effectiveness with which fraudulent activities can be detected and punished. This should be the major focus of the development of the stock market.

Stock Exchange - As indicated above, stock exchange is the term commonly used for a secondary market,which provide a place where different types of existing securities such as shares, debentures and bonds, government securities can be bought and sold on a regular basis. A stock exchange is generally organised as an association, a society or a company with a limited number of members. It is open only to these members who act as brokers for the buyers and sellers. The Securities Contract (Regulation) Act has defined stock exchange as an " association, organisation or body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling business of buying, selling and dealing in securities".

Role of Financial Markets :

Mobilisation of savings and capital formation - Efficient functioning of stock market creates a conducive climate for an active and growing primary market. Good performance and outlook for shares in the stock exchanges imparts buoyancy to the new issue market, which helps in mobilising savings for investment in industrial and commercial establishments. Not only that, the stock exchanges provide liquidity and profitability to dealings and investments in shares and debentures. It also educates people on where and how to invest their savings to get a fair return. This encourages the habit of saving, investment and risk-taking among the common people. Thus it helps mobilising surplus savings for investment in corporate and government securities and contributes to capital formation.

Promoting Capital Formation - The funds mobilized through capital market are provided to the industries engaged in the production of various goods and services useful for the society. This leads to capital formation and development of national assets. The savings mobilized are channelized into appropriate avenues of investment.

Wider Avenues of Investment - Stock exchanges provide a wider avenue for the investment to the people and organizations with investible surplus. Companies from diverse industries like Information Technology. Steel, Chemicals, Fuels and petroleum, Cement, Fertilizers etc. offer various kinds of equity and debt securities to the investors. Online trading facility has brought the stock exchange at the doorsteps of investors through computer network. Diverse type of securities is made available in the stock exchanges to suit the varying objectives and notions of different classes of investor. Necessary information from stock exchanges available from different sources guides the investors in the effective management of their investment portfolios.

Liquidity of Investment - Stock exchanges provide liquidity of investment to the investors. Investors can sell out any of their investments in securities at any time during trading days and trading hours on stock exchanges; Thus Stock exchanges provide liquidity of investment. The on-line trading and online settlement of demat securities facilitates the investors to sell out their investment and realize the proceeds within a day or two. Even investors can switch over their investment from one security to another according to the changing scenario of capital market.

Investment Priorities - Stock exchanges facilitate the investors to decide his investment priorities by providing him the basket of different kinds of securities of different industries and companies. He can sell stock of one company and buy a stock of another company through stock exchange whenever he wants. He can manage his investment portfolio to maximize his wealth.

Investment Safety - Stock exchanges through their by-laws. Securities and Exchange Board of India (SEBI) guidelines. Transparent procedures try to provide safety to the investment in industrial securities. Government has established the National Stock Exchange (NSE) and Over The Counter Exchange of India (OTCEI) or investor's safety. Exchange authorities try to curb speculative practices and minimize the risk for common investor to preserve his confidence.

Wide Marketability to Securities - Online price quoting system and online buying and selling facility have changed the nature and working of stock exchanges, formerly. The dealings on stock exchanges were restricted to its

headquarters. The investors across the lack of information, but today due to Internet, on line quoting facility is available at the computers of investors, as a result. They can keep track of prince fluctuations taking place on stock exchange every second during the working hours. Certain T.V. channels like CNBC are fully devoted to stock market information and corporate news. Even other channels display the on line quoting of stocks, thus. Modern stock exchanges backed up by internet and information technology provide wide marketability to securities of the industries. Demat facility has revolutionized the procedure of transfer of securities and facilitated marketing.

Financial Resources for Public and Private Sectors - Stock Exchanges make available the financial resources available to the industries in public and private sector through various kinds of securities. Due to the assurance of liquidity, Marketing support. Investment safety assured through stock exchanges. The public issues of securities by these industries receive strong public response (resulting in oversubscription of issue).

Funds for Development Purpose - Stock exchanges enable the government to mobilize the funds for public utilities and public undertakings which take up the developmental activities like power projects, Shipping, railways, telecommunication dams and roads constructions, etc. Stock exchanges provide liquidity, marketability, price continuity and constant evaluation of government securities.

Indicator of Industrial Development - Stock exchanges are the symbolic indicators of industrial development of a nation. Productivity, efficiency, economic-status. A prospect of each industry and every unit in an industry is reflected through the price fluctuation of industrial on stock exchanges. Stock exchanges Sensex and price fluctuations of securities of various companies tell the entire story of changes in industrial sector.

Barometer of economic and business conditions - Stock exchanges reflect the changing conditions of economic health of a country, as the shares prices are highly sensitive to changing economic, social and political conditions. It is observed that during the periods of economic prosperity, the share prices tend to rise. Conversely, prices tend to fall when there is economic stagnation and the business activities slow down as a result of depressions. Thus, the intensity of trading at stock exchanges and the corresponding rise on fall in the prices of securities reflects the investors' assessment of the economic and business conditions in a country, and acts as the barometer which indicates the general conditions of the atmosphere of business.

Better Allocation of funds - As a result of stock market transactions, funds flow from the less profitable to more profitable enterprises and they avail of the greater potential for growth. Financial resources of the economy are thus better allocated.

Conclusion - A Financial Market allows for intermediation of capital between households and firms. Thus we have observed that financial market helps industrial to perform from the following - Determines the price of a transaction. Provides liquidity by transferring ownership of assets from one agent to the other. Performs measurement and management of asset price risk. Some Financial Markets only allow participants that meet certain criteria, which can be based on factors like the amount of money held, the investor's geographical location, knowledge of the markets or the profession of the participant.

References :-

1. T.E. Copeland, J.F. Weston (1988): Financial Theory and Corporate Policy, Addison Wesley,
2. E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, W.N. Goetzmann (2003): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, New York (ISBN 978-0470050828)
3. R.C. Merton (1992): Continuous-Time Finance, Blackwell Publishers Inc. (ISBN 978- 0631185086)
4. Keith Pilbeam (2010) Finance and Financial Markets, Palgrave (ISBN 978-0230233218)
5. Steven Valdez, An Introduction To Global Financial Markets, Macmillan Press Ltd. (ISBN 0-333-76447-1)
6. The Business Finance Market: A Survey, Industrial Systems Research Publications, Manchester (UK), new edition 2002 (ISBN 978-0-906321-19-5)
7. Banking and Financial Markets in India: 1947 to 2007 – Niti Bhasin, New
8. Rahul Sawlikar :Financial Market its types ,Abhinav-Vol No I
9. A survey of economic theory.

****

Professional Motivation in News Paper (Special Reference to Chhattisgarh State)

Dr. Tapesh Chandra Gupta *

Introduction - In Chhattisgarh region newspaper enterprise was started first time a century back (1904) with a view to stimulate the ideas of the people for the welfare of the nation to make Independent India from bondage of the British rule. The objectives of newspaper enterprise changed after independence which emphasized for creating general political awareness of the people. In the Chhattisgarh first time a daily newspaper was published in the year 1948 in the name of "Mahakaushal". But later, which 15 years there was a flood of daily newspaper. In the beginning they required a lot of man-power to complete the various processes needed for the printing of the newspaper. With the passage of time it was felt necessary to switch over from old technique (composing) of printing to modern (computer) technology and by improving the skill of workers, motivate them to render better work in the printing press and by providing better facilities to them and improving employee-employer relation as desired by the Government. In this process the function of human resource management and employee development system has started. Gradually different daily newspapers were established with different objectives and entered into keen competition among them to have a better image among the public.

For improvement of the quality of daily a newspaper and for its larger circulation the management required skilled persons through casual appointment, training, promotion and providing incentives etc. Looking to the development of newspaper enterprise it was felt necessary to visualize the various aspects of personnel functioning in daily newspapers with special reference to Chhattisgarh. This study focuses certain problems of human relations and management of people in daily newspapers of Chhattisgarh.

Object of Study -

- To investigate the methods of manpower selection, appointment, training - development, promotion, work distribution and responsibility.
- To study the schemes of labour welfare and motivation adopted by the management.
- To study whether the recommendations of the Commission (1990) have been implemented by the management in Chhattisgarh?
- To study whether provisions of Industrial rules and regulations framed from time by the Government are implemented by daily newspaper enterprises?
- To investigate the cause of workers deserting the newspaper enterprise to which they belong in guest of employment in other newspapers when there is not job security anywhere.
- To explore: the cause of defective methods of work distribution among workers.
- To find out: the relationship between employer and employees as well as employees themselves.

Research Methodlogy - Area of study: In this research work daily newspapers of Chhattisgarh have been dealt with all newspapers of 27 districts covered in this research. Sample survey of approximately 50 newspapers of the rest of state was also conducted.

Depth of Interview: Personal interview taken with employees and leaders and their unions. Efforts were made to contract the Labour Officer to get detailed information needed for the thesis. Retired and experienced journalists, Chartered Accountants and Public Relations Officers of state Government were also contacted to solicit useful information. Now-a-days the trade-unions also retain importance due to various reasons hence I contacted them also. They gave valuable information on group bargaining of trade union movement and industrial disputes etc. The Trade Unions like Shramjivi Patrakar Sangh, Anchalik Patrakar Sangh, Regional press workers and Non-working Journalists Union were also contacted. I contacted the Labour Commission for details of employees working in daily newspapers published in Chhattisgarh and took help of Vidhan Sabha questions from time to time regarding the functioning of newspapers. After Collecting data from interviews and consultations some statistical tables charts were prepared and comparison wherever needed was made.

Chhattisgarh region the publication of newspapers started as early as 1840, while in this region the first newspaper was published after 80 years. This region is a backward one and is in a developing stage. The imbalance in development of publication of newspapers in this region interested me to go through its reasons and causes. There has been difference of opinion among owners and workers regarding increase in the number of publications and working facilities/ personnel problems. I have analyzed these aspects in detail in the present study Period is ten years i.e. Between 2001 to 2013 was specifically chooses as the publication of daily newspaper was at its peak during this period. In my

* Professor (Commerce) Govt. J. Yoganandam Chhattisgarh College, Raipur (C.G.) INDIA

study I have used published Government data and in its absence other published secondary data have also been used. In addition I collected data by personal interviews with the employers and the employees for the purpose of this study.

Motivation is a general term which applies to entire class of drives, desires, needs, wishes and similar forces. In other words to motivate means to move, to activate, whether external or internal, is motivation. Motivation is the work a manager performs to inspire and impel people to take required interest in their work.

Motivation is a general inspiration process which gets the members inclined towards the management, efficiently to give loyalty to the group to function properly and pay an important role in the job that the group has undertaken. In other words, it is said that motivation is a psychological inspiration, which inspires people to work hard to given the utmost satisfaction to the enterprise.

Thus in an enterprise, management tries to co-ordinate various factors of production in which a way that each factor contributes its maximum efficiency to achieve organizational goals. Thus motivation is an internal feeling or a psychological phenomenon which generates within an individual or it is the product of anticipated values from an action and the perceived probability that these values will be achieved by the action. The psychological effect is seen more in the editorial department of news enterprises of Chhattisgarh region.

Motivation is one of the most important factors determining the organizational efficiency. The needs to motivate the personnel of editorial, printing and circulation sections play a vital role in the enterprises. The more the employees are motivated the greater is the circulation and distribution of the paper i.e. if the persons of the editorial department are motivated more than they can narrate the editorials of the newspaper in an effective manner and the output can be increased and circulation will also have direct effect on the personals of the circulation department. The first impression on the newspapers is on the technique and neatness of the paper and then the art of journalizing the news and coverage and details of the latest news, are also considered. At the same time it also has an impact on the circulation department which influences the employees of the circulation department.

Types of Motivation -In the field of Journalism motivation is very vast. To motivate different employees different types of motivations are used by the different enterprises. The motivation changes according to the nature of employees. The types of motivation used in the newspaper enterprises are as follows -

1. Positive Motivation- It is a process in which the employees are inclined towards work by according something to them by means of prizes, profits and incentives by the employer. The form of positive motivation may be monetary or non-monetary. This method is adopted in the middle size newspaper enterprises of this region which also include small size newspaper enterprises. The employees of a particular unit in this region are inspired to work in an efficient manner by way of distribution of prizes, awards and honor in the region (city/district/state), which are conducted by the Government or the "Sramjeevi Patrakar Sangh"and Patrakar Sangh and declares the best unit from among the competing units of the area. This gives more inspiration to work. This type of motivation in other words is treated as a positive group motivation. In some cases instead opportunity to show his talents in his region & job and he alone gets the awards or prizes etc. This type of receiving the honors either in the monetary form or in non-monetary form is regarded as a positive personal motivation.

2. Negative Motivation - The object of negative motivation is also to influence the people and get the work done according to the wishes of inspirer. But this kind of influence is based on fear. Negative motivation is based on the belief that worker can be motivated for work by showing fear to him. This method is adopted in all the news paper enterprises particularly in job and printing department. Mostly editorial & job work departments are using this system to get the perfection in job responsibilities.

3. Monetary Motivation - It is also called financial motivation. It inspires the employees to work more. Monetary motivation is mostly given in the form of pay, share, bonus, and wages of premium. This method is adopted in all the enterprises individually. They are given bonus @ 8.33% or one month salary which aver is less. They are motivated in order to stabilize them in the unit. Mostly advertising departments are using this system to improve their business.

4. Non-Monetary Motivation - Non-monetary motivation is invisible motivation. It is a mental motivation. This type of motivation has no relation with finance and money. The main object of motivation is to motivate works, which are working in different stages in some institutions, so that the enterprises may progress and best human relations may develop in the institution. The management with the help of motivation inspires workers to achieve the targets fixed by the newspaper enterprises.

The enterprises of Chhattisgarh region provide different kinds of facilities to its employees from time to time. They provide both monetary and non-monetary facilities to the employees. In Chhattisgarh region, the enterprises in order to motivate its workers, adopts the method of judicious employment and promotion. By judicious appointment of workers in the institution and by observing judicious procedure in their promotion, the workers may be inspired for doing best work. From judicious appointment and promotion the workers believe that they are performing the best work with their ability and expect to get promotion soon, and are inspired to work hard. But it is really very unreal to notice that there is no provision of appointing the personals by taking the interviews, except in some of the newspaper enterprises. In Chhattisgarh there has been tremendous increase in the establishment of newspaper enterprises due to which employees of existing enterprises are motivated. In Madhya

Pradesh State, particularly in Chhattisgarh, newspaper enterprises are flourishing at a very fast rate making it essential to motivate the staff and given them monetary and non-monetary benefits.

Pay protection is given to the employees of editorial and job & printing department and they also get the capital City, employees are given monetary and non-monetary benefits like, extra/advance increment, vehicle, city, city compensation allowance, medical, accommodation, vehicle facility and other relevant perquisites etc. There is both financial and non-financial motivation but preference is given to financial motivation of individuals but not to group of personals. Mostly employers are preferred to provide individual motivation.

Education too is fast spreading in state. In the field of journalism the universities at Raipur and Bilaspur are turning out scores of graduate journalists, who join the local newspapers and make journalism as their career in their capacity as working journalists. Thus this region gets regular supply of trained personnel to man newspaper enterprises. Direct recruitment is a predominant form of employment and most of the part time labours are employing as trainees in newspapers. When they get experience they are given appointment (permanent). There are no special facilities for trainees. Rights, duties and responsibilities of the personnel have also been treated at length.

Mostly small newspapers pay salary to their employees on contract basis and middle & big level newspapers are pay remuneration to their employees on time basis. There is a detailed description on implementation of the recommendations of two pay commissions. Motivation and incentives have been discussed at length and suggestions offered. There is an absence of trade unionism in the newspaper. As regards law, rules and regulations they are simply on paper, no newspaper has implemented them. So far this neglect has been not opposed by employees. Government also has not taken any action against delinquent newspapers.

References :-

1. Working Journalist and other newspaper employees and Miscellaneous Provisions Act, 1955.
2. Press Council Act 1979 and 1982, Indian Law & Statuary.
3. Factory Act, 1948. —do—
4. Provident Fund Act. —do—
5. Indian Press Law, Radha Krishna Murti, Indian Law House, Guntur, 1977.
6. Press Council and their Rule, Sarkar Chanchal, 1973.
7. Report of Wage Board, U.N. Bhachawat, Government of India, Ministry Of Labour, May 1989.
8. The Press in Developing Countries, E.lloyd Sommerlad, International Press Institute, Sydney, 1967.
9. Newspaper Organization and Management, Herbert Lee Williams, the Iowa State University Press, U.S.A. 1978.
10. Theory and Practice of Journalism, B.N. Ahuja, Surjeet Publications, New Delhi, 1979.

****

Collective Bargaining

Praneeta Ojha *

Introduction - The conflict between the management and the employee is inherent in an industrial society. One argues for more investment and profits while the other argues for better standard of living. These two conflicting interests can be adjusted temporarily through the principle of "give and take"1, The principle of give and take has been infused in the principle of collective bargaining. Advocates of collective bargaining in the early decades of the twentieth century thought it essential for three reasons. First and foremost, a system of peaceful and routine bargaining would eliminate industrial strife and violence. Second, collective bargaining stood for "industrial democracy," and finally, collective bargaining promised to make capitalism work. "Collective Bargaining takes place when a number of work-people enter into a negotiation as bargaining unit with an employer or group of employers with the object of reaching an agreement on the conditions of employment of the work-people".- Richardson.

Collective bargaining includes not only negotiations between the employers and unions but also includes the process of resolving labor-management conflicts. Thus, collective bargaining is, essentially, a recognized way of creating a system of industrial jurisprudence. It acts as a method of introducing civil rights in the industry, that is, the management should be conducted by rules rather than arbitrary decision making. It establishes rules which define and restrict the traditional authority exercised by the management. Collective bargaining is one of the methods wherein the employer and the employees can settle their disputes. This method of settling disputes was adopted with the emergence and stabilization of the trade union Government. Before the adoption of the collective bargaining the labor was at a great disadvantage in obtaining reasonable terms for contract of service from its employer. With the development of the trade unions in the country and the collective bargaining becoming the rule it was equally found by the employers that instead of dealing with individual workmen it is convenient and necessary to deal with the representatives of the workmen not only for the making or modification contracts but also in the matter of taking disciplinary action against the workmen and regarding other disputes. So, collective bargaining has come to stay having regard to modern conditions of the society where capital and labor have organized themselves into groups for the purpose of fighting and settling their disputes.

Scope of Collective Bargaining -The growth of collective bargaining is associated with the recognition of trade unionism. With the growth of trade unions and industrialization the scope of collective bargaining is expanding. Initially collective bargaining was used for determining hours of work, wages and terms of employment, but now within its purview are included the issues like leave with pay, regulation of forced leave, pension, seniority promotions, sickness and maternity benefits, etc. Since in the field of bargaining collective action is now common, collective bargaining has assumed an institutional form.

Collective Bargaining Process -The collective bargaining process comprises of five core steps -

1. **Prepare**- This phase involves composition of a negotiation team. The negotiation team should consist of representatives of both the parties with adequate knowledge and skills for negotiation. In this phase both the employer's representatives and the union examine their own situation in order to develop the issues that they believe will be most important. The first thing to be done is to determine whether there is actually any reason to negotiate at all. A correct understanding of the main issues to be covered and intimate knowledge of operations, working conditions, production norms and other relevant conditions is required.
2. **Discuss** - Here, the parties decide the ground rules that will guide the negotiations. A process well begun is half done and this is no less true in case of collective bargaining. An environment of mutual trust and understanding is also created so that the collective bargaining agreement would be reached.
3. **Propose** - This phase involves the initial opening statements and the possible options that exist to resolve them. In a word, this phase could be described as 'brainstorming'. The exchange of messages takes place and opinion of both the parties is sought.
4. **Bargain** - negotiations are easy if a problem solving attitude is adopted. This stage comprises the time when 'what ifs' and 'supposals' are set forth and the drafting of agreements take place.
5. **Settlement** - Once the parties are through with the bargaining process, a consensual agreement is reached upon wherein both the parties agree to a common decision regarding the problem or the issue. This stage is described as consisting of effective joint implementation of the agreement through shared visions, strategic planning and negotiated change.

* Research Scholar, Dr. Bhagwat Sahai Govt. College, Gwalior (M.P.) INDIA

Types of Bargaining -

- **Conjunctive/Distributive Bargaining**: Here, the parties try to maximize their respective gains. In this method, the parties try to settle economic issues through a zero-sum game. Zero-sum game is where 'my gain is your loss and your gain is my loss'. Neither party is willing to yield an inch.
- **Co-operative Bargaining**: Both parties are more open to coming down from their high horses and co-operating. They are willing to negotiate the terms of employment in a flexible way. This willingness is because of recession and the need to be able to survive in such difficult times. This would not be possible without each other's support and hence co-operative bargaining. TELCO and Ashok Leyland resorted to co-operative bargaining when the automobile sector was going through a period of recession. Employees may now be willing to accept a cut in wages in return for job security. Management may also agree to modernize and bring in new technology and invest in marketing efforts in a phased manner.
- **Productivity Bargaining**: In this method, workers' wages and benefits are linked to productivity. Initially, a standard productivity index is finalized through negotiations. This index is not fixed at an exceptionally high level. Workers crossing the standard productivity norms will get substantial benefits. This method of bargaining helps in making the workers realize the importance of raising productivity for organizational survival and growth.
- **Composite Bargaining**: Workers tend to argue that productivity bargaining increases their workload. Rationalization, introduction of high technology, tight productivity norms hit the unions and workers below the belt. As a result, workers tend to favor composite bargaining?

Importance of CB -

- It helps increase the economic strength of both the parties at the same time protecting their interests.
- It helps establish uniform conditions of employment with a view to avoid occurrence of industrial disputes.
- It helps resolve disputes when they occur.
- It lays down rules and norms for dealing with labor.
- It helps usher in democratic principles into the industrial world.

Disadvantages of Collective Bargaining - Two vital defects in collective bargaining have been pointed out by Wilcox. These defects are:

(a) There are situations in which a serious strike and prolonged strike simply cannot be tolerated.

(b) The second great flaw in collective bargaining as a solvent for labor disputes is the lack of representation of the public interest at the bargaining table. Whether prices can be raised without strangling and ability to sell goods or services, unions and companies are in a position to agree on wage increase that will cause higher prices, then the consumer must shoulder the full burden of their agreement.

Conclusion & Suggestions - A lot has been said about the development of collective bargaining in India. But in fact, collective bargaining which is a two way affair, has been used at present only as a one-way exercise in which the union, as the aggressive partner, makes the demands, and the management, as the passive partner, derives satisfaction merely by countering the extent to which it is able to minimize the additional burdens while meeting the union's demands. There are not many examples even now where unions as well as the management, as equal partners, have approached the process of collective bargaining with the objective and spirit that collective bargaining must bring concrete benefit to both the parties.

The following steps should be taken for the success of collective bargaining.

1. **Strong Trade Union** - A strong and stable representative trade union is essential for effective collective bargaining. For having such a trade union, workers should have freedom to unionize so that they can exercise their right of unionization and form a trade union for the purpose of electing their representatives for collective bargaining.
2. **Compulsory Recognition of Trade Unions** - There must be an acceptable and recognised bargaining agent. That means that there must be recognized union or unions to negotiate the terms and conditions of the agreement with the management.
3. **Mutual Accommodation** - There has to be a greater emphasis on mutual accommodation rather than conflict or uncompromising attitude. Conflicting attitude does not lead to amicable labour relations; it may foster union militancy as the union reacts by engaging in pressure tactics.
4. **Enactment of Legislation** - The State should enact suitable legislation providing for compulsory recognition of trade union by employers. State has to play a progressive role in removing the pitfalls which stand in the way of mutual, amicable and voluntary settlement of labor disputes. The new labor policy must reflect the new approach and new objectives.
5. **Mutual Trust and Confidence** - Trade unions and management must accept each other as responsible parties in the collective bargaining process. There should be mutual trust and confidence. In fact in any relationship trust is the most important factor.
6. **Efficient Bargaining Mechanism**- No ad-hoc arrangements are satisfactory for the reason that bargaining is a continuing process. An agreement is merely a framework for every day working relationships, the main bargain is carried on daily and for this there is a need to have permanent machinery.

References :-

1. Collective Bargaining: How It Works and Why- Thomas R. Colosi
2. Collective Bargaining: Principles and Cases-John T. Dunlop
3. Labor Relations and Collective Bargaining: Private and Public Sectors- Christina Heavrin J.D
4. Human Resource Management-Manmohan Joshi
5. Human Resource Management- C.B.Gupta
6. www.aflcio.org/Learn-About.../Collective-Bargaining . com
7. www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/ collective+bargaining.com
8. www.nfllabor.files.wordpress.com/.../collective-bargaining-agreement-2011- 2020.com.

ग्वालियर-चंबल संभाग के पर्यटन उद्योग का वाणिज्यिक विश्लेषण

डॉ. प्रवीण ओझा *

प्रस्तावना – ग्वालियर-चम्बल संभाग में पर्यटन उद्योग रोजगार सृजन, आर्थिक विकास एवं सामाजिक समन्वय में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ग्वालियर-चम्बल संभाग में पर्यटन के प्रमाण प्राचीन काल से ही प्राप्त होते हैं। मुरैना जिले में आसन नदी के तट पर लिखिछाज की गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों का मिलना यहां मानवीय आवागमन का प्रमाण है। प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान युग तक की लम्बी विकास यात्रा में यहां विविध प्रकार के अनेकानेक पर्यटन स्थल विकसित हुए जो यहां के पर्यटन उद्योग के विकास का आधार बने। सतत् शासकीय तथा अशासकीय प्रयासों का ही यह सुपरिणाम है कि आज अधिकांश स्थल विकसित अवस्था में हैं तथा पर्यटन उद्योग के विकास में सहयोगी बन रहे है। यहां के पर्यटन उद्योग का वाणिज्यिक विश्लेषण निम्न बिन्दुओं पर आधारित है।

ग्वालियर- चम्बल संभाग में पर्यटन उद्योग का वाणिज्यिक विश्लेषण (देखे आगे)

बहु आयामी स्वरूप – ग्वालियर-चम्बल संभाग के पर्यटन उद्योग का प्रमुख आधार एवं विशेषता इसका बहुआयामी स्वरूप है। पर्यटन के जितने भी प्रमुख आयाम या क्षेत्र होते हैं उन सभी से सम्बन्धित पर्यटन स्थल इस क्षेत्र में न केवल उपस्थित हैं वरन् वे यहां की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। यहां के पर्यटन उद्योग का बहुआयामी स्वरूप निम्न चित्र से स्पष्ट हो जाता हैं –

पर्यटकों की संख्या में वृद्धि – ग्वालियर-चम्बल संभाग में पर्यटन उद्योग की सफलता पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर आधारित है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक पर्यटक ग्वालियर दुर्ग व अन्य ऐतिहासिक स्मारक, जयविलास पैलेस, माधव नेशनल पार्क, सोनागिरि इत्यादि स्थलों पर पहुंचते हैं। इनकी संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

ग्वालियर-चम्बल संभाग में पर्यटकों की संख्या

वर्ष	भारतीय पर्यटक	विदेशी पर्यटक	कुल पर्यटक
2003	95021	5872	100893
2004	108146	9814	117960
2005	124397	12264	136661
2006	140666	11956	152622
2007	151183	16181	167364
2008	97235	8733	106008
2009	188571	12513	201084
2010	218848	14364	233212
2011	259407	14766	241473
2012	275403	20475	295878
2013	298826	23896	322722

इसी प्रकार अकेले ग्वालियर में ही प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं जो यहां पर्यटन उद्योग की सफलता को दर्शाते हैं यह निम्न तालिका से स्पष्ट हैं।

औसत प्रतिदिन ग्वालियर आने वाले पर्यटकों की संख्या

पर्यटन स्थल	औसत पर्यटक प्रतिदिन
ग्वालियर दुर्ग, ग्वालियर	600
पुरातत्व संग्रहालय, ग्वा. दुर्ग, ग्वालियर	75
गूजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर	40
नगर निगम संग्रहालय, ग्वालियर	20
सरोद घर, ग्वालियर	03

स्त्रोत दैनिक भास्कर 30 अगस्त 2013

* प्राध्यापक व संकायाध्यक्ष(वाणिज्य) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

सन् 2013 में ग्वालियर दुर्ग पर 77909 तथा गूजरी महल संग्रहालय में 24853 पर्यटक पहुंचे। इन पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों से टिकट के रूप में राशि भी प्राप्त होती है उदाहरणार्थ ग्वालियर दुर्ग पर भारतीय पर्यटक से 05 रू. 15 वर्ष से ऊपर व स्टिल कैमरा वाले पर्यटक से 20 रू. तथा विदेशी पर्यटक से 100 रू, लाइट एण्ड साउण्ड शो के विदेशी पर्यटक से 150 रू, जय विलास पैलेस ग्वालियर में 25 रू तथा कैमरा 30 रू, गूजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर में 2 रू. टिकट के रूप में प्राप्त होते हैं जो यहां के पर्यटन उद्योग की आय है।

बजटीय प्रावधान – मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन भी इस उद्योग के तीव्र विकास हेतु प्रयासरत् है। इस हेतु राज्य सरकार एक बड़ी राशि राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु उपलब्ध कराती है। ग्वालियर–चम्बल संभाग में पर्यटन उद्योग के विकास के लिये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा यहां के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के रख रखाव हेतु बड़ी राशि पिछले पाँच वर्षो में उपलब्ध करवायी है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है –

ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यय राशि (तालिका देखें)

वर्तमान समय में यहां पर्यटन उद्योग के विकास हेतु जो परियोजनाऐ संचालित हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

पर्यटन विकास हेतु परियोजनाएँ 2013–14

क्र.	परियोजना	लागत राशि
1.	टाउन हॉल प्रोजेक्ट– केमिकल ट्रीटमेंट	6.50 लाख रू.
	अत्याधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण	1.50 लाख रू.
2.	बैजाताल, जीर्णोद्धार परियोजना	80.0लाख रू.
3.	बारादरी, इटेलियन गार्डन में लेजर शो	3 करोड़ रू.
4.	विक्टोरिया मार्केट के पुराने स्वरूप का निर्माण	3 करोड़ 53 लाख
5.	दुर्ग के स्मारकों की नींव प्रोटेक्शन योजना	1 करोड़ रू.
6.	अग्निकाण्ड के बाद मोतीमहल मरम्मत परियोजना	2 करोड़ रू.
7.	चतुर्भुज मंदिर का रासायनिक सफाई कार्य	2.50 करोड़ रू.

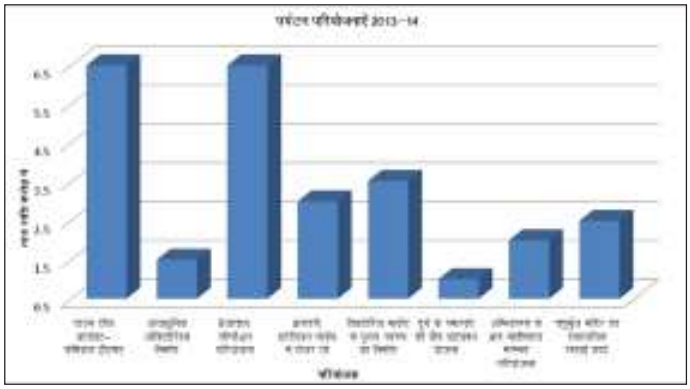

उपर्युक्त बजट राज्य के विविध स्थलों के विकास पर व्यय होता है। जिसका लाभ ग्वालियर चम्बल संभाग के पर्यटन उद्योग को भी मिलता है।

आय–व्यय के स्त्रोत – ग्वालियर–चम्बल संभाग में आने वाले पर्यटकों द्वारा व्यय की गयी राशि से यहां के पर्यटन उद्योग को आय होती है। इस आय में से पर्यटन क्रियाओं पर व्यय की गई राशि उदाहरणार्थ कर्मचारियों के वेतन, आवास, भोजन की व्यवस्था में आयी लागत इत्यादि को घटाने पर शुद्ध आय की गणना की जाती है। विगत दस वर्षो में पर्यटकों के प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि हुई है। इससे यहां के पर्यटन उद्योग की आय बढ़ी है। पर्यटक का ग्वालियर–चम्बल संभाग में अधिक दिन रूकना, अधिक क्रय करना, मनोरंजन पर अधिक व्यय से यह आय निरन्तर बढ़ रही है। यदि कोई पर्यटक 500 रू. होटल का बिल चुकाता है तो उसमें से लगभग 250 रू होटल कर्मचारियों के वेतन, 200 रू. खानपान व अन्य सेवाओं में, 40 रू बिजली, पानी इत्यादि में और 10 रू. होटल मालिक को प्राप्त होते हैं। यह 10 रू पर्यटन उद्योग की प्रत्यक्ष आय एवं 490 रू अप्रत्यक्ष आय होती है। सामान्यत: पर्यटक यहां निम्न मदों पर व्यय करते हैं जो यहां के पर्यटन उद्योग की आय बन जाता है।

1. रेल्वे स्टेशन के लिये टैक्सी
2. सामान के लिये कुली
3. रेल्वे टिकट
4. ट्रेवल एजेन्सी एवं एजेन्ट, टूर ऑपरेटर
5. आवास हेतु होटल
6. स्थानीय स्थलों की यात्रा हेतु टैक्सी या टूरिस्ट बस
7. परम्परागत शिल्प तथा हस्तकला उत्पादों का क्रय
8. फोटोग्राफी आदि।
9. गाइड पर व्यय
10. मनोरंजन पर व्यय यथा सिनेमा इत्यादि।

इन मदों से प्राप्त आय को पर्यटन प्रबन्धन के माध्यम से स्थलों के विकास पर व्यय किया जा रहा है। तभी यहां पर्यटन उद्योग निरन्तर उन्नति कर रहा है। ग्वालियर–चम्बल संभाग में चम्बल घड़ियाल सेन्चुरी के सौंदर्यीकरण एवं विकास पर किया गया 65 लाख रू. का व्यय, मितावली, शनिचरा, करहधाम में सड़क एवं अनिवार्य आवश्यकताओं पर किया गया 30 लाख रू. का व्यय इसी प्रकार के व्यय हैं।

पर्यटन जनित रोजगार – पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में रोजगार उत्पन्न करने की अभूतपूर्व क्षमता होती हैं। ग्वालियर–चम्बल संभाग में इससे होटल, टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट ऑफिस, यातयात, गाइड आदि क्षेत्रों में अनेको रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बिजली, प्लम्बर, फर्नीचर, टैक्सी चालक, किराना, फल–सब्जी, अण्डे, डेयरी, आदि से जुड़े व्यक्तियों को भी रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही यहां हस्तकला उद्योग यथा काष्ठ कला उद्योग, चर्म उद्योग, पॉटरीज उद्योग, चंदेरी का वस्त्र उद्योग भी पर्यटकों की मांग के आधार पर लाखों व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है।

तख. पर्यटन उद्योग एवं विविध कर – ग्वालियर–चम्बल संभाग में पर्यटन उद्योग को विविध करों के रूप में बड़ी आय प्राप्त होती है। यहां पर्यटकों द्वारा व्यय किये गये प्रत्येक रूपये में से 15 पैसे विविध करों के रूप में सरकार को प्राप्त होते हैं। ये प्रमुख कर निम्नानुसार हैं।

पर्यटन एवं विभिन्न कर

सम्पत्ति कर | आयात कर | बिक्री कर | आय कर | होटल कर | यातायात कर | मनोरंजन कर

इनमें होटल कर के रूप में विलासिता कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर से सर्वाधिक राशि प्राप्त होती है।

पर्यटन उद्योग की नवीन दिशाएँ – ग्वालियर–चम्बल संभाग परम्परागत पर्यटन यथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन का चिर–परिचित क्षेत्र है। यहाँ झीलों, बांधों इत्यादि की जलराशि का अप्रतिम सौन्दर्य, किलों, महलों, हवेलियों का स्थापत्य सौन्दर्य, गौरवमयी इतिहास, यहां के उत्सव व मेला प्रिय लोगों की आत्मीयता सहज ही पर्यटकों को आकर्षित करती है। वर्तमान में वैश्वीकरण के इस दौर में परम्परागत पर्यटन के अतिरिक्त तेजी से उभरते पर्यटन के नवीन आयामों का भी यहां विस्तार हो रहा है। आज यहां भी पर्यटन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज पर्यटक शहर की भागदौड़ से दूर ग्रामीण क्षेत्र में शांति खोजते हैं, वे घूमने के आनंद के साथ स्वास्थ्य की अनुकूलता भी पाना चाहते हैं। आज यहां के पर्यटन उद्योग की जिन नवीन दिशाओं का विस्तार हो रहा है, वे निम्नानुसार है।

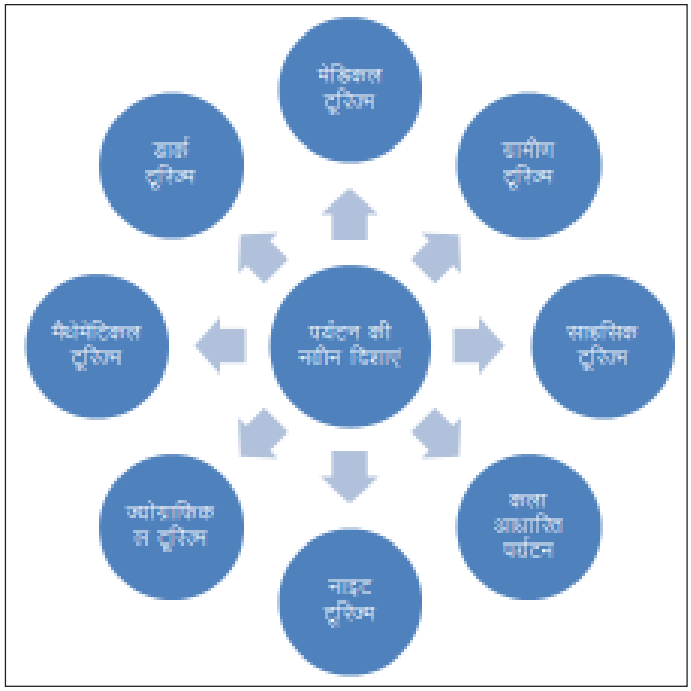

पर्यटन उद्योग की नवीन दिशाओं के साथ नवीन आंचलिक पर्यटन स्थल विकसित एवं प्रमोट करने की योजना भी राज्य पर्यटन विकास बोर्ड ने बनायी है। जिसमें ग्वालियर-चम्बल संभाग के कुल 32 स्थल सम्मिलित हैं। जिनमें से आंतरी का अबुल-फजल का मकबरा, बरई-पनिहार में रासलीला, भितरवार के निकट सलवाई का किला, बेहट में राणा की बैठक आदि महत्त्वपूर्ण हैं जो निश्चय ही यहां पर्यटन उद्योग के विकास की सहभागी बनेगें।

ग्वालियर-चम्बल संभाग में पर्यटन उद्योग के विकास में सहायक तत्व -पर्यटन आज विश्व का सर्वाधिक विकासशील, गतिषील, रोजगारोन्मुखी एवं विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले उद्योग का रूप धारण कर चुका है। 21 वीं शताब्दी में पर्यटन न केवल एक आर्थिक क्रिया के रूप में स्थापित है अपितु शीघ्र ही इसके विश्व के सबसे लाभप्रद, त्वरित विकासशील एवं बड़े उद्योग बन जाने की संभावना है। मध्यप्रदेश में भी पर्यटन उद्योग ने तेजी से विकास किया है। गत वर्षों की NSDP में पर्यटन का योगदान 16 प्रतिशत रहा है। राज्य सरकार को गत पाँच वर्षों में पर्यटन उद्योग से दो गुनी आय हुई है। यहां पर्यटकों की संख्या भी लगभग दो गुनी हो गयी हैं। गत वर्ष में यहां के पर्यटन स्थलों ने 64.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से घरेलू पर्यटकों को तथा 24.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है। मध्यप्रदेश देशी पर्यटकों को आकर्षित करने में 13 वें स्थान पर रहा है। ग्वालियर तथा चम्बल संभाग में भी पर्यटन उद्योग इसी प्रकार तेजी से तथा तीव्र वृद्धि दर के साथ विकसित हो रहा है। यहां अनेक ऐसे घटक हैं जो यहां इस उद्योग के विकास के सहभागी बन रहे हैं।

1. पर्यटन स्थलों की विविधता 2. पर्यटकों की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता
3. स्थानीय जागरूकता एवं जन सहयोग
4. विकसित यातायात सुविधाए 5.प्रोत्साहन की नीति
6. शासकीय सहयोग 7. विविध सुविधाएं

इस प्रकार ग्वालियर-चम्बल संभाग में पर्यटन उद्योग निरन्तर विकसित हो रहा है। यद्यपि अभी इस दिशा और अधिक प्रयास अपेक्षित हैं तथापि पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, वन विभाग, इन्टैक आदि सभी के समन्वय से यह शीघ्र ही और अधिक उन्नति करेगा, ऐसी प्रबल संभावना है। वर्तमान समय में यहां पर्यटन उद्योग के विकास हेतु अनेक परियोजनाएं संचालित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्वालियर-चम्बल संभाग में पर्यटन उद्योग के विकास के सतत् प्रयास जारी हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यास, राजेश कुमार - सांस्कृतिक पर्यटन- पृष्ठ क्रमांक 207
2. समाचार पत्र - दैनिक भास्कर - दिनांक 05 मई 2014
3. मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड से प्राप्त जानकारी।
4. व्यास, राजेश कुमार- भारत में पर्यटन- पृष्ठ क्रमांक 114
5. मध्यप्रदेश टूरिज्म - ग्वालियर-ए गुड अर्थ गाइड- पृष्ठ क्रमांक 94
6. दास गुप्ता, पापिया- पर्यटन- एक अध्ययन- पृष्ठ क्रमांक-73
7. समाचार पत्र- दैनिक भास्कर- दिनाक 06 अप्रैल 2014
8. समाचार पत्र- दैनिक भास्कर- दिनांक 22 नवम्बर 2012
9. करकरे, ईश्वरचंद- ग्वालियर गौरव- पृष्ठ क्रमांक -29
10. समाचार पत्र- दैनिक भास्कर- दिनांक 12.4.2014
11. सती विश्वंभर प्रसाद एवं मंसूरी आई.के.- मध्यप्रदेश का भौगोलिक और आर्थिक अध्ययन- पृष्ठ क्रमांक- 89
12. भाटिया, ए.के.-टूरिज्म डेवलपमेंट- प्रिन्सीपल एण्ड प्रेक्टिस- पृष्ठ क्र. 71।

ग्वालियर- चम्बल संभाग में पर्यटन उद्योग का वाणिज्यिक विश्लेषण

बहु आयामी स्वरूप | पर्यटकों की संख्या में वृद्धि | बजटीय प्रावधान | आय व्यय के स्त्रोत | पर्यटन जनित रोजगार | पर्यटन उद्योग एवं विविध कर | पर्यटन उद्योग की नवीन दिशाऐ

ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यय राशि

क्र.	जिला	2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009 - 2010		2010-2011		2011-2012	
		प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
1	अशोकनगर	6055560	5232555	12501185	2728059	3000276	1014011	3540327	916062	2116062	3585569	3356586	1496967
2	भिण्ड	0	984720	7263	206973	714252	143675	466562	132744	130529	535142	93998	188968
3	दतिया	0	824954	0	242843	0	93315	0	161756	3301	527786	3197	230589
4	ग्वालियर	2404655	505389	3140598	1273779	0	276601	62415	1221393	1054063	2750483	598561	1055393
5	मुरैना	1923252	2273993	2179500	5475850	6179247	1862184	3599571	1077481	3632326	2190452	537045	710115
6	शिवपुरी	355525	283985	3516738	235284	1692355	456111	930178	9302994	385729	740774	0	456450

स्त्रोत- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भोपाल

भारत में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएँ

डॉ. पल्लवी मिश्रा * डॉ. विवेक पटेल **

शोध सारांश – प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक एंव सामाजिक संवर्धन में वहाँ की बैंको और वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता हैं। देश की वित्तीय, मौद्रिक एंव साख प्रणाली का सफल संचालन काफी हद तक बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर करता हैं। वही दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के विभिन्न विकास क्षेत्रों– कृषि, उद्योग, व्यापार, आवास, निर्माण विदेश व्यापार आदि के राष्ट्रीय लक्ष्य और बहुमुखी कार्यों का यथासमय निष्पादन बैंको तथा वित्तीय संस्थानो पर ही आश्रित रहता है।

प्रस्तावना – बैंकिंग शब्द का अर्थ उन कार्यो से लिया जा सकता है जिन्हें एक बैंक सम्पादित करता है। बैंकिंग के अन्तर्गत वित्तीय मध्यस्थता, जमाएँ प्राप्त करना, फण्ड के आधार पर उधार देना, मुद्रा व फण्ड स्थानान्तरण की व्यवस्था करना विदेशी विनिमय का विस्तार तथा देशी व विदेशी व्यपार का वित्त पोषण आदि कार्य सम्मलित किये जाते हैं। वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।

हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भौगोलिक एंव वित्तीय विस्तार की दृष्टि से व्यापक परिवर्तन हुए और महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। सामाजिक बैंकिंग के इस दौर में भारतीय बैंकों को ग्रामीण बैंको से जोड़ा गया और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित की गई। परिणामतः ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने तथा कमजोर वर्ग के जीवन स्तर के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने में बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ।

सन् 1990 तक चले सामाजिक बैंकिंग के इस दौर में उच्च संचालन लागत, गैर निस्पादन सम्पत्तियों (NPAs) में वृद्धि, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ग्राहक सेवाओ में गिरावट, ऋण वसूली में विलम्ब आदि अनेक समस्याओं के साथ–साथ कुछ संगठनात्मक व संरचनात्मक अनियमितताएँ और कमजोरियॉ भी उजागर हुईं। इस समय संपूर्ण विश्व में भूमण्डलीय और उदारीकरण तथा निजीकरण (LPG) की अवधारणा का प्रादुर्भाव हो चुका था, वही दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। अत: देश को आर्थिक संकट से निजात दिलाने तथा बैंकिंग–प्रणाली को अधिक सक्षम पारदर्शी और लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से सन् 1991 में एल. पी. जी. नीतियो पर आधारित आर्थिक सुधार कार्यकमों को क्रियान्वित किया गया अर्थात सन्1991से भारतीय बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक दृष्टि से कुशल एवं सक्षम बनाने के लिये आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारंभ हो गया और बैंकिंग क्षेत्रों में आर्थिक सुधार हेतु विभिन्न समितियों और सिफारिशों को लागू करने के बाद विगत 22 वर्षो में भारतीय बैंकिंग–प्रणाली का सम्पूर्ण ढाँचा ही बदल गया।

आज भारतीय बैंकिंग परिक्षेत्र आर्थिक सुधार की रूपान्तरण प्रकिया से गुजरते हुये वैश्विक बैंकिंग प्रतिमानो को छूने को आतुर हैं। वही दूसरी और यह सेक्टर विकास के प्रति उत्तरोत्कर अधिक संवेदनशील, अधिक स्वायत्त, अधिक कार्यक्षम और प्रतिस्पर्धा बनता जा रहा हैं। आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली में मशीनीकरण का दौर चरम सीमा पर है तथा प्रत्येक निजी व सार्वाधिक बैंक अपने इलेक्ट्रोनिक उत्पादों को ग्राहकोन्मुखी बनाने के लिये प्रयत्नशील है अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हो रहे वर्तमान बदलाव में सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) और मशीनीकरण सशक्त उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रही हैं।

आर्थिक क्षेत्र में सफलता और समृद्धि के नवीन आयाम स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील भारतीय बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थाओ की कार्यशैली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन परिवर्तन से उत्पन्न कुछ अद्यतन प्रवृत्तियाँ निम्नवत् है–

- आर्थिक सुदृढ़ता और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के साथ उत्पादकता बढ़ाने पर बल।
- सम्पदा प्रबन्धन व्यवसाय की ओर बढ़ता हुआ झान।
- संविलियन और अधिग्रहण।
- सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता।
- एन. पी.ए. की वसूली हेतु 'समझौता प्रस्तावों' का बढ़ता हुआ प्रचलन।
- ग्राहकोन्मुखी बैंकिंग की ओर बढ़ता हुआ आकर्षण।
- शैक्षणिक ऋणों में निरन्तर वृद्धि।
- निजी पूँजी कोषों की ओर बढ़ता हुआ आकर्षण।
- लघु–मध्यम उद्योग क्षेत्र के ऋणों में बढ़ोत्तरी।
- वैश्विक बैंकिंग के अनुरूप पूँजी पर्याप्तता पर बल।
- बैंक–बीमा व्यवसाय का तीव्र विकास।
- शुल्क आधारित बैंकिंग उत्पादो को बढ़ावा।
- जमा संग्रहण अभियानो में तेजी।
- खुदरा बैंकिंग पर बल।
- हरित बैंकिंग की ओर बढ़ता हुआ आकर्षण आदि।

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला–रीवा (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला – अनूपपुर (म.प्र.) भारत

हमारे देश में बैंकिंग-प्रणाली को पारदर्शी व कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर अनेक समितियों का गठन किया जाता है, इन समितियों में कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ अग्रवत है-

सन्	समिति	संबन्धित प्रमुख क्षेत्र या कार्य
1991	गोइपोरिया समिति	ग्राहक सेवा में सुधार
1991	नरसिन्हम समिति	बैंकिंग आर्थिक सुधार
1993	घोष समिति	बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उपाय
1993	नायक समिति	लघु व मध्यम उद्योगो को ऋण देना
1995	पद्माभन समिति	बैंकों को परिवेक्षक निर्धारण
1997	तारापोर समिति	विदेशी विनमय में पूँजी खाता परिवर्तनीयता
1998	आर. वी. गुप्ता समिति	कृषि के लिये ऋण प्रणाली में सुधार
1998	नरसिन्हम समिति	बैंकिगं व्यवस्था में सुधार
1998	कपूर समिति	लघु व मध्यम उद्योग में सुधार
1998	खान समिति	युनिवर्सल बैंकिंग के कोरम
1999	वर्मा समिति	कमजोर बैंकों की समस्याएँ और उपाय
2001	कामत समिति	शिक्षा ऋण योजना का विस्तार
2001	रेड्डी समिति	छोटी बचतों से जुड़ी समस्याओं का समाधान
2001	कोहली समिति	विलफुल डिफाल्टर की परिभाषा और बीमार लघु व मध्यम उद्योगों का पुनर्स्थापन
2001	खन्ना समिति	गैर-निष्पादक आस्तियों (NPA) की रूपरेखा में परिवर्तन
2006	बासेल समिति	पूँजी पर्याप्तता अनुपात
2007	सी. रंगराजन समिति	बचत व निवेश के आँकड़ो की समीक्षा
2009	सुब्बाराव समिति	मौद्रिक नीति पर तकनीकी परामर्श

बैंकिंग-प्रणाली का महत्व - बैंकिंग-प्रणाली के अन्तर्गत देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों, केन्द्रीय बैंकों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, व्यापार, विनिर्माण आदि) के वित्तीय आवश्यकताओं के पूर्ति में संलग्न सभी विशिष्ट वित्तीय संस्थानों को सम्मिलित किया जाता है। विकसित बैंकिंग -प्रणाली जहाँ एक ओर देश को सुदृढ़ व सम्पन्न बनाने में सहायक सिद्ध होती है, वही दूसरी ओर समाज के प्रत्येक वर्ग के चहुमुखी लक्ष्यो को पूरा करने में भी अहम् भूमिका अदा करती है। निम्नलिखित बिन्दुओं की सहायता से बैंकिंग व्यवस्था के महत्व को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है-

राष्ट्रीय विकास के लिये वाँछित एव पर्याप्त पूँजी व धन की व्यवस्था करना। कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार आदि के लिये संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना।

- आधारित संरचना के विकास हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- देश में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
- देश में एकत्रित बचतों को लाभदायक परियोजनाओं में लगाना।
- पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय समस्याओं-गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रदूषण आदि के समाधान में सहियोग प्रदान करना।
- औद्योगिक उत्पादन एव विपणन कार्यो में सहायता प्रदान करना।
- ग्रामीण व कृषि विकास हेतु साख-सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- विदेशी व्यापार तथा आयात-निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना।
- व्यापारिक या निर्माणकारी गतिविधियों के निष्पादन में मदद करना।
- राष्ट्रीय उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देना।
- समाज के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना।
- आवास समस्या के समाधान में सहयोग प्रदान करना।
- समाज के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना ताकि जनता आधुनिक उपकरणों, सामानों, परिवहनो साधनो का उपयोग कर सके।
- स्वच्छ पर्यावरण बनाये रखने हेतु Green Banking या Paperless Banking को प्रोत्साहित करना।

प्रकार- हालार्कि प्रत्येक बैंक का मुख्य कार्य बचतों को प्रोत्साहित करते हुए मुद्रा में लेनदेन करना होता है फिर भी उनकी स्थापना के उद्देश पृथक-पृथक हो सकते है और उनके कार्यो में न्यूनाधिक भिन्नता विद्यमान रहती है। इसी वैभिन्न कार्य स्वभाव के कारण बैंकों को अलग-अलग भागों में बाँटा जाता है-

केन्द्रीय बैंक - प्रत्येक देश में बैंकिंग सरंचना को प्रभावी व सफल बनाने के उद्देश्य से सर्वोच्च संस्था या बैंक के रूप में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। यह केन्द्रीय बैंक केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि और सलाहकार भी होता है। इस बैंक के द्वारा साख का नियमन व नियन्त्रण नोट निर्गमन व्यापारिक बैंको का मार्गदर्शन, उनके कार्यो का नियमन, राष्ट्रीय स्तर पर आकड़ों का संकलन व प्रकाशन आदि कार्य सम्पन्न किये जाते है। भारत में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (आर. बी. आई.) केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है।

वाणिज्यिक बैंक -सामान्य बैंकिंग कार्यो- धन जमा करना, ऋण प्रदान करना, चेको का संग्रहण व भुगतान करना, लॉकर्स उपलब्ध कराना, धन राशि का हस्तान्तरण करना, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना, ग्राहको के लिए एजेन्टो के रूप में कार्य करना, साख पत्र जारी करना, आदि को सम्पन्न करने वाले बैंकों को व्यापारिक या वाणिज्यक बैंक कहा जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीयकृत, अराष्ट्रीयकृत दोनों प्रकार के बैंक निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में संयुक्त स्कन्ध बैंक के रूप में कार्यरत हैं।

विनिमय बैंक -विदेशी व्यापार हेतु वित्त व्यवस्था करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने वाले बैंकों को विनिमय बैंक कहा जाता हैं। विदेशी विनिमय बैंक केवल विदेशी व्यापार का ही अर्थ प्रबन्धन करते हैं। जैसा कि विदित है कि एक देश का निर्यातक अपनी वस्तु की कीमत अपने देश की मुद्रा में ही प्राप्त करना चाहता हैं। अत: एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या आती हैं। विदेशी विनिमय बैंक इसी समस्या का समाधान करते हैं। इसीलिये इन बैंको को अपने पास विभिन्न देशो की मुद्राएँ रखनी पड़ती हैं।

औद्योगिक बैंक - औद्योगिक बैंकों से तात्पर्य ऐसे बैंकों से होता है जो उद्योग धन्धों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इन बैंकों की प्रमुख विशेषता दीर्घकालीन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बड़ी औद्योगिक समस्याओं के

अंश-पत्र, ऋण-पत्र, वॉण्डस आदि के विक्रय में भी सहयोग करते है तथा कभी-कभी उनके ऋण-पत्रों का अभिगोपन भी करते हैं।

कृषि बैंक – कृषि सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ व्यापार तथा उद्योग धन्धों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। अत: व्यापारिक तथा औद्योगिक बैंक कृषि की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं। कृषि में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार की ऋणों की आवश्यकता होती हैं। बीज, खाद, मजदूरी के भुगतान आदि के लिये अल्पकालीन ऋण आवश्यक होती हैं। जबकि भूमि के क्रय एव उनके विकास तथा भारी मशीनों को खरीदने के लिये दीर्घकालीन की ऋण आवश्यकता होती हैं। अत: कृषि बैंक इन ऋणों की आवश्यकताओं को क्रमश: कृषि सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक द्वारा पूरा करते हैं। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कृषि सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

बचत बैंक – पश्चिमी देशों में साधारण वर्ग के लोगों की छोटी-छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिये एक पृथक बैंक की स्थापना की गयी हैं। जिसे बचत बैंक कहते हैं। इन बैंकों में जो छोटी-छोटी बचतें जमा की जाती है, उन्हें उत्पादन कार्यो में लगा दिया जाता हैं। जमाकर्ता को यह सुविधा होती है कि वह इन बचतों को समय-समय पर निकाल सकता हैं। भारत में यह कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा ही किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त डाकघरों में बचत खाता सुविधा भी बचत बैंक का एक विशिष्ट उदाहरण हैं।

सहकारी बैंक – सहकारिता के सिद्धान्तों पर संचालित किये जाने वाले इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र हेतु साख-सुविधायें उपलब्ध कराना हैं। ये बैंक भी व्यापारिक बैंकों की तरह बचतों को संग्रहित करने तथा ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। भारत में सहकारी बैंक का संचालन त्रि-स्तरीय स्वरूप में किया जाता है।

- राज्य स्तर पर-राज्य सहकारी बैंक (शीर्ष बैंक)
- जिला स्तर पर-केन्द्रीय सहकारी बैंक
- ग्राम स्तर पर-प्राथमिक कृषि शाख समितियाँ

निर्यात-आयात बैंक – विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित निर्यात-आयात बैंक को एक्जिम बैंकों के नाम से भी पुकारा जाता हैं। इनके द्वारा निर्यातको व आयातकों को साख-सुविधाएँ तथा महत्वपूर्ण प्रलेख बैंक सरलतापूर्वक संचालित किया जा रहा हैं।

विकास बैंक – राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विकास बैंकों की पृथक से स्थापना की जाती हैं। इन विकास बैंकों द्वारा आधारित संरचना के विकास हेतु उद्योगों के विकास हेतु तथा कृषि कार्यो के लिये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। हमारे देश में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास, बैंक, नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि विकास बैंकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रबन्धकीय, तकनीकी और वित्तीय व विपणन सहायता प्रदान करने वाले इन बैंकों को विशिष्ट वित्तीय संस्थान भी कहा जाता हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक –ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिये ग्रमीण क्षेत्रों में साख-सुविधाओं की आपूर्ति करने वाले बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से पुकारा जाता हैं। सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले इन बैंकों की निर्गमित पूँजी में केन्द्र सरकार का 50 प्रतिशत अभिदान होता हैं। भारत में सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई।

विश्व बैंक – सन् 1944 में स्थापित विश्व बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एंव विकास बैंक के नाम से भी पुकारा जाता हैं। वर्तमान में इस बैंक द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों को विदेशी मुद्रा में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के साथ-साथ प्रबन्धीय एंव तकनीकी सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं। इस बैंक के दो सहायक संथाएँ-

1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय कार्य कर रही हैं।

व्यापारिक बैंकों की शाखाएँ (30 जुन 2011 की स्थिति)

• स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा सहयोगी बैंक	17,976
• राष्ट्रीयकृत बैंक (IDBI Ltd, सहित)	44,862
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)	15,777
• कुल सार्वजनिक क्षेत्र के	= 78,615
• अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक	11,842
• विदेशी बैंक	318
• कुल अनुसूचित बैंक	= 90,775
• गैर- अनुसूचित बैंक	55
कुल व्यापारिक बैंक 90,775 + 55	= 90,830

भारत में विदेशी वाणिज्यिक बैंक – वर्तमान वैश्विक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे देश ने विश्व व्यापार संगठन के साथ एक समझौता किया है । जिसकी अनुपालना में RBI को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 शाखाएँ विदेशी बैंकों को खोलने की अनुमति प्रदान करनी होती है अर्थात भारत को WTO द्वारा विदेशी बैंकों की शाखाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है ।

नवीन समझौते के अनुसार विदेशी बैंकों को भारत में अपनी प्रथम शाखा खोलते समय केवल 10 मिलियन डॉलर की पूँजी विनियोजित करनी होती है , तत्पश्चात् द्वितीय और तृतीय शाखा स्थापित करने के लिए क्रमश: 10 मिलियन डॉलर और 5 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त पूँजी लानी होती है।

अगस्त 2011 के अन्त तक भारत में 38 विदेशी बैंकों की कुल 321 शाखायें कार्यरत थी इनमें ब्रिटेन के Standard Chartered Bank की 18 शाखायें भी सम्मिलित हैं ।

विदेशों में भारतीय बैंक – भारतीय बैंकों द्वारा विभिन्न देशों के वित्तीय केन्द्रो पर अपने शाखा कार्यालयों , सहायक बैंकों , प्रतिनिधि कार्यालयों का संचालन किया जा रहा है । 30 जून 2010 तक 52 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 तथा निजी क्षेत्र के 6 भारतीय बैंक काम कर रहे हैं । इनके 232 शाखा कार्यालय तथा 55 प्रतिनिधि कार्यालय है । सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के 59 कार्यालय विदेशों में कार्य कर रहे हैं । इसके बाद 58 कार्यालयों के साथ Bank of इरीविर द्वितीय स्थान पर है ।

निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लिए RBI के दिशा निर्देश – वर्ष 2011 -12 के तहत् बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में RBI द्वारा 29 अगस्त 2011 को नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । अब नए निजी बैंक केवल पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-संचालित होल्डिंग कम्पनी (NOHC) के माध्यम से ही स्थापित किए जा सकेंगे । इन कम्पनियों को बैंक में न्यूनतम 40 प्रतिशत 'समता सहभागिता' रखनी होगी और इसे 5 वर्ष तक बेचा नहीं जा सकता । नए बैंक में कम्पनियों को कम से कम 500 करोड़ रुपये , पहले 300 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा तथा प्रथम 5 वर्ष तक विदेशी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगी । 2 साल में बैंक का सूचियन भी अनिवार्य है ।

निष्कर्ष – बैंक आधुनिक व्यवसाय का प्राण है । बैंक ऐसे लोगों से जिनके

पास अतिरिक्त धन है , एकत्र कर ऐसे लोगों को प्रदान करता है , जो उसका अधिक उपयोग कर सकते हैं। बैंक उस द्रवित पूँजी के रक्षक तथा वितरक हैं जो कि आधुनिक व्यापार तथा उद्योग का जीवन रक्त है और उनकी दूरदर्शिता तथा कुशल प्रशासन के द्वारा किसी राष्ट्र का आर्थिक जीवन सुदृढ़ तथा सुखद हो सकता है।

वस्तुत: देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को मुख्य रुप से दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है –

I. अनुसूचित बैंक – वे बैंक जिनका नाम आर0 बी0 आई0 एक्ट 1934 की अनुसूची II में सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित बैंक कहलाते है। इस अनुसूची में निम्नांकित शर्तो को पूरा करने वाले बैंकों को ही सम्मिलित किया जाता है –

1. बैंक की प्रदत्त पूँजी व संचित कोष 5 लाख रुपये से कम नहीं हो।
2. RBI को इस बात की संतुष्टि हो कि बैंक का कोई भी कार्य व्यवहार जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि जिन बैंकों को RBI द्वारा अनुसूचित बैंक की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है उन बैंक को निम्नांकित अतिरिक्त सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं –

- RBI से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत होना।
- समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त करने के योग्य होना।
- प्रथम श्रेणी के विनिमय पत्रों की पुन: कटौती की सुविधा का प्राप्त होना आदि ।

II. गैर अनुसूचित बैंक – जो बैंक अनुसूचित नहीं है वे गैर अनुसूचित कहलाते है। हालांकि इन बैंकों को भी संविधिक तरल कोष शर्तो को मानना पड़ता है किन्तु इस कोष को RBI के पास रखने के लिए बैंक बाध्य नहीं है अर्थात ये बैंक इस कोष को अपने पास रख सकते हैं। कुछ विशिष्ट या असामान्य परिस्थितियों में ये बैंक RBI से उधार धनराशि प्राप्त कर सकते हैं किन्तु यह इनका मौलिक अधिकार नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. डॉ0 ओ0पी0 गुप्ता – बैंकिंग विधि एव व्यवहार।
2. प्रो0 एस0 आर0 ठाकुर – व्यवसाय अध्ययन।
3. डॉ0 अनुपम गोयल – व्यवसाय अध्ययन।
4. मनु प्रकाश श्रीवास्तव – यू0 जी0सी0 नेट।
5. डॉ0 ओ0 पी0 शर्मा, डॉ के0 के0 शर्मा– यू0जी0सी0 नेट/ जे0आर0एफ0।

****

भारत सरकार की व्यापार नीति (आयात एवं निर्यात) में परिवर्तन - आवश्यकता, कठिनाईंया व सुझाव

डॉ. आर. के. नेमा *

प्रस्तावना – किसी भी देश के आर्थिक विकास में उस देश की आंतरिक एवं बाह्य व्यापारिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है यह आवश्यक नहीं कि सभी देश आत्म निर्भर हो और उन्हें दूसरे देशो पर निर्भर न रहना पड़े। देश की आवश्यकताओं के लिए विदेशो से अनेक प्रकार का सामान मंगाना पड़ता है और देश में दूसरे देशो को सामान भेजना व्यापार एवं भुगतान संतुलन तथा विदेशी विनिमय कोष के लिए भी आवश्यक है यह व्यावसायिक क्रियाएं विश्व स्तर पर चलती रहती है।

व्यापार नीति की आवश्यकता – विदेशी व्यापार को गति प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश की व्यापारिक नीति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश के उद्योगो को संरक्षण प्रदान करना तथा विदेशो से आवश्यक सामान आयात व उनको निर्यात करना और विदेशी व्यापार की क्रियाओं का विनियमन करना देश की व्यापारिक नीति के द्वारा ही हो पाता है।भारत जैसे विकासशील देशो के आर्थिक विकास में आयात -निर्यात नीति का महत्वपूर्ण स्थान होता है देश में व्यापार नीति आयातो एवं निर्यातो में इस प्रकार संबंध स्थापित करना होता है जिससे देश का संतुलित आर्थिक हो आवश्यक है। देश की आर्थिक प्रगति प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो में हुई प्रगति पर बहुत कुछ निर्भर करती है देश में औद्योगीकरण एक सीमा तक देश में उत्पादित एवं आयातित पूंजीगत वस्तुओं, तकनीकी ज्ञान , मशीनो , उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं पर निर्भर करता है । व्यापारिक नीति की आवश्यकता निम्न लिखित बातो से स्पष्ट होती है ।

1. विकसित देशो के प्रभाव से बचने तथा स्वदेशी उद्योगो को संरक्षण प्रदान करने के लिए ।
2. आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए।
3. स्वदेशी उद्योगो एवं उत्पादो को प्रोत्साहन देकर विकसित करने तथा उन्हें आत्म निर्भरता की स्थिति में लाकर विदेशों में भेजने के लिए ।
4. निर्यातो को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात संवर्धन के लिए
5. देशो के आयात-निर्यात को विदेशी मुद्रा की एक निर्धारित सीमा तक रखने तथा योजना बद्ध विकास के अनुरूप रखने के लिए ।
6. भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने तथा विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि करने के लिए।
7. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अभिवृद्धि एवं आपसी सदभावना तथा मैत्रीपूर्ण व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए।
8. बृहत् स्तर के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी विकास करने के लिए।
9. देश के आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए।

व्यापार नीति – भारत की व्यापारिक नीति के संबंध में 1923 का वर्ष एक विभाजन रेखा माना जा सकता है इसके पूर्व स्वतंत्र व्यापार नीति थी स्वतंत्र व्यापार नीति के कारण किसी उद्योग को सरंक्षण प्रदान नहीं किया गया। यदि सरकार ने इस नीति के अंतर्गत कोई प्रशुल्क लगाया भी तो वह सरकारी आय में वृद्धि करने के लिए था न कि आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने के लिए।

1947 में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पश्चात् देश की व्यापार नीति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इसका निर्माण आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा नियोजित औद्योगिक विकास करने के लिए आवश्यक समझा गया। सन् 1948 में सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा की । स्वतंत्रता के पश्चात् देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक-नियोजन प्रारंभ किया गया जिसे आयात प्रतिस्थापन वाली व्यूह-रचना पर आधारित किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में विदेशी विनिमय के पर्याप्त भंडार विद्यमान थे। प्रथम योजना में निर्यात संवर्धन की ओर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। तैयार होने वाले माल की विश्व व्यापार में मांग न होने के कारण उदासीन रूख रहा।

भारत की व्यापारिक नीति को तृतीय योजना के प्रारंभ से भारी आयात प्रतिस्थापन नीति के साथ-साथ पहली बार निर्यातोन्मुखी नीति के रूप में स्थापित किया गया। इस योजना में निर्यातो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी और निर्यात संवर्धन के अनेक उपाय किये गये। 60 के दशक के मध्य में कमजोर फसल एवं सूखे के कारण देश को वार्षिक योजनाएं बनाकर विकास क्रम को आगे बढ़ाना पड़ा तथा व्यापार नीति को आपातकालीन संकट हेतु प्रयुक्त करना पड़ा तथा 1966-69 की तीन वार्षिक योजना व्यापार नीति अर्थव्यवस्था को सन् 1971 क बाद भारत की व्यापार नीति को निर्यात संवर्धन के लिए एक नया आयाम दिया गया तथा कई संगठन बनाये गये जो निर्यातकर्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सके किन्तु निर्यात को इस योजना में भी आयातो की वित्त व्यवस्था के साधन के रूप में तथा विदेशी सहायता पर निर्भरता केा कम करने के उपाय के रूप में लिया गया। सन् 1976-79 में व्यापार नीति के विभिन्न सोपानों के मूल्याकंन के लिए अनेक समितियां एवं कार्यकारी दल स्थापित किये गये। हुसैन समिति को अनुसंशा के आधार पर भारत सरकार ने अप्रैल 1985 में प्रथम त्रिवर्षीय(1985-88) निर्यात आयात नीति घोषित की इसके पूर्व यह नीति एक वर्षीय आधार पर तैयार की जाती थी। 30 मार्च 1988 को द्वितीय त्रिवर्षीय (1988-91) निर्यात आयात नीति घोषित की गयी। भारत सरकार द्वारा पहली बार 31 मार्च 1992 को पांच-वर्षीय (1992-97) निर्यात-आयात नीति घोषित की गयी। इस नीति के अंतर्गत पूँजीगत वस्तुओं के आयातो को काफी उदार बना दिया गया। सभी निर्यातोन्मुखी इकाईयों तथा मुक्त व्यापार व निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में स्थित इकाईयों को अधिकाधिक सुविधाएं दी गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय निर्यात-आयात नीति 1997-2002 अवधि के लिए घोषित की गयी। भारत सरकार ने 31 मार्च 2002 को 2002-07 के लिए नयी आयात निर्यात नीति की घोषणा की इस नीति का उद्देश्य विश्व के निर्यात में भारत के वर्तमान 6 प्रतिशत भाग को बढ़ाकर 2007 तक 1,0

* प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानन्द शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

प्रतिशत करना है इस अवधि में भारत का निर्यात व्यापार 44.5 अरब डालर से बढ़ाकर 80 अरब डालर अर्थात लगभग दुगना करने का लक्ष्य रखा।

भारतीय विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृतियां – भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नियोजनकाल में विदेशी व्यापार की मात्रा तथा मूल्य में तीव्र गति से वृद्धि हुई है विभिन्न दशकों में आयात निर्यात बढ़ने के बाद भी भारत का व्यापार घाटा एक ऊंचे स्तर पर बना हुआ है जो निम्न सारणी से ज्ञात होता है– सारणी 01 भारत का विदेशी व्यापार करोड़ रूपये में –

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
1950-51	608	606	- 2
1960-61	1122	642	- 480
1970-71	1634	1535	- 99
1980-81	12549	6711	- 5838
1990-91	43193	32558	- 10635
2000-01	230873	203571	- 27302
2010-2011	1735140	1139500	- 595600

स्त्रोत – भारत 2013 प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार –

सारणी क्रमांक 01 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत का व्यापार शेष 50 के दशक से निरंतर विपक्ष में रहा है भारत में आर्थिक नियोजन के कारण विदेशी व्यापार की मात्रा में पिछले 60 वर्षो में निरंतर वृद्धि होती रही है आयात व निर्यात में दोनों में वृद्धि हुई लेकिन प्रत्येक दशक में भुगतान संतुलन विपक्ष में रहा है यह चिन्ता का विषय है व्यापार घाटा 1950-51 में केवल 2 करोड़ था। वह बढ़कर 1960-61 के दशक में 480 करोड़ हो गया आयात में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन निर्यात में 06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा 239 प्रतिशत बढ़ गया। इसी प्रकार 80 के दशक में पूर्व के दशक से आयात में 668 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निर्यात में 337 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथ्य व्यापार घाटे में 580 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 के दशक में पूर्व दशक की तुलना में व्यापार घाटा 2082 प्रतिशत था जो अत्यंत चिन्तनीय प्रश्न है।

सारणी क्रमांक 02 – 2001-02 के पश्चात भारत का विदेशी व्यापार (करोड़ो रूपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
2001-02	245200	209018	-36182
2002-03	297206	255137	-42069
2003-04	359108	293637	-6574
2004-05	201065	375340	-12725
2005-06	695412	465748	-229664
2006-07	840506	571779	-268727
2007-08	1012312	655864	-356448
2008-09	1374436	840755	-533680
2009-10	1363796	845534	-518202
2010-11	1735100	1139500	-595600
2011-12	2394600	1482500	-912100

स्त्रोत : भारत 2012 प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है भारत का विदेशी व्यापार 2001-02 से 2011-12 तक प्रत्येक वर्ष प्रतिकूल रहा है विदेशी व्यापार की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है आयात में 877 प्रतिशत व निर्यात में 609 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो आयात वर्ष 2001-02 में 245200 करोड़ से वर्ष 2011-12 में बढ़कर 2394600 करोड़ हो गये। इसी प्रकार निर्यात जो 2001-02 में 209018 करोड़ थे बढ़कर 2011-12 में 1482500 करोड़ रूपये हो गये। तथा व्यापार घाटा जो वर्ष 2001-02 में 36182 करोड़ था बढ़कर 912100 करोड़ हो गया।

व्यापार नीति की कठिनाईयां – भारत विकासशील स्थिति में है स्वतंत्रता प्राप्ति से अभी तक देश में प्रत्येक वर्ष में निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हुए है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयात नीति उदार रखी गयी जिससे आयातो में काफी वृद्धि हुई 1949 में आयातो पर प्रतिवंध लगाया गया था। 1950-51 में पुन: उदार नीति रखी गयी प्रथम विश्वव्यापी तेल संकट के पश्चात 1973-74 और 1975-76 के दौरान खाद्य तेल तथा अनाज जैसी वस्तुओं का अधिक मात्रा में आयात उपभोक्ताओं के हित में तथा इन वस्तुओं के सुरक्षित भंडार बनाने व अनाज के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए आयात आवश्यक हो गया था। भारी आयातो में पेट्रोल तेल सुरक्षा शस्त्र , खाद उर्वरक लोहा इस्पात कोयला दाले आदि सम्मिलित है। पेट्रोल तेल व चिकनाई के पदार्थ पिछले कई वर्षो से हमारे आयातो का एक बहुत बढ़ा हिस्सा रहे है। बेंकिंग विकास व वित्तीय सुविधाए बढ़ने से इनकी मांग को कम करना कठिन लगता है कच्चा तेल विशेषतया ईरान ईराक व अन्य अरब देशो से आयात किया जाता रहा है इन मदों में हमारा आयात बिल काफी ऊंचा रहता है

भारत में निर्यात को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जैसे

1. भारत को अपने परम्परागत निर्यातो के संबंध में भी अधिक सीमा में विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड रहा है।
2. कई वस्तुओं का उत्पादन मूल्य दूसरे देशो की तुलना में काफी अधिक है।
3. भारत से निर्यात की जानी वाली वस्तुओं में गुणात्मकता दूसरे देशो की तुलना में कम पायी जाती है।
4. भारत द्वारा निर्यात किये जाने वाले सूती कपड़े आदि के विदेशो में स्थानापन्न उपलब्ध होने लगे है
5. भारतीय वस्तुओ का विदेशों में प्रचार बहुत कम है।
6. भारतीय माल के आयात में विकसति देशो द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनायी जाती है।

सुझाव –

1. उत्पादन में वृद्धि – निर्यात करने के लिए आवश्यक है कि कृषि खनिज एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जाय।

2. घरेलू उपयोग पर प्रतिबंध – कुछ वस्तुओं के निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय एवम् अन्य तरीके से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

3. परोक्ष करो में कमी – सभी प्रकार के परोक्ष करो जैसे , निर्यात कर , बिक्री कर आदि निर्यात की जानी वाली वस्तुओं के संबंध में लौटा देना चाहिए।

4. कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर उपलब्धि – निर्यातित उद्योगों को करायी जानी चाहि। जिससे वे विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके।

5. निर्यात क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. व्यावसायिक पर्यावरण – डॉ बी.सी.सिन्हा।
2. भारतीय अर्थशास्त्र – डॉ रामरतन शर्मा।
3. व्यावसायिक वातावरण– जी उपाध्याय आर.एल शर्मा –पी.दयाल – रमेश बुक डिपो।
4. आर्थिक – विकास – डॉ बी.सी.सिन्हा।
5. नवीन शोध संसार।

भारतीय पर्यटन के क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रभावशीलता

डॉ. अर्जुन सिंह बघेल *

शोध सारांश – भारत पर्यटकों का स्वर्ग है, जिससे व्यक्ति स्वयमेव आकर्षित हो जाता है। इसकी सांस्कृतिक विरासत अत्यंत प्राचीन है। भारत देश के दर्शनीय स्थल अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय पर्यटन के इतिहास के अंतर्गत भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में की गई। 3 नबंवर 1982 को केन्द्र शासन द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा की गई। मनीला कान्फ्रेस में संपन्न हुई बैठक 27 सितम्बर को **'विश्व पर्यटन दिवस'** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया। पहली बार 1988 में योजना आयोग द्वारा देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया।

सन् 2002 में भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन नीति गठित की गई। उपरोक्त नीति के अंतर्गत देश के लोगो में पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक समृद्धि तथा मानसिक संतुष्टि द्वारा जीवन स्तर में सुधार लाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। आधुनिक समय में पर्यटन के दौरान, यात्रा करने के पूर्व या यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं के साथ कई प्रकार की छल-कपट, धोखा धड़ी या सेवा में कमी की जाती है जिसके फलस्वरूप न केवल पर्यटकों को मानसिक त्रास का सामना करना पड़ता है बल्कि आर्थिक नुकसान भी वहन करना पड़ता है। विदेश पर्यटन और यात्राओं का प्रबंध एक बड़ा व्यवसाय है जिसमें कुछ बड़ी कार्पोरेट कंपनिया भारी शुल्क वसूल करके यात्रियों के लिए टिकिट और वीजा उपलब्ध कराने का व्यवसाय करती है।

शब्द कुंजी – पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन नीति, वीजा, ट्रेवल कंपनी

प्रस्तावना – देश का गौरवमयी अतीत एवं अपार नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों के मन को प्रफुल्लित कर देता है। भारत पर्यटकों का स्वर्ग है, जिससे व्यक्ति स्वयमेव आकर्षित हो जाता है। इसकी सांस्कृतिक विरासत अत्यंत प्राचीन है। भारत देश के दर्शनीय स्थल अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कहीं तो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल है, तो कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के। कहीं-कहीं तो मात्र प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न ऐसे अद्भुत और आर्कषक स्थल है जहाँ एक बार पहुँच जाने पर मनुष्य उन्हें देखता ही रह जाता है।

भारतीय पर्यटन का इतिहास – भारतीय पर्यटन के इतिहास के अंतर्गत भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में की गई। 3 नबंवर 1982 को केन्द्र शासन द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा की गई। तत्पश्चात केन्द्र शासन द्वारा पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु प्रदेश सरकारों से नीति बनाने का अनुनय किया गया। इसी परिपेक्ष्य में मनीला कान्फ्रेस में संपन्न हुई बैठक 27 सितम्बर को **विश्व पर्यटन दिवस** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया। पहली बार 1988 में योजना आयोग द्वारा देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति – सन् 2002 में भारत सरकार के राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन नीति गठित की गई। उपरोक्त नीति के अंतर्गत देश के लोगों में पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक समृद्धि तथा मानसिक संतुष्टि द्वारा जीवन स्तर में सुधार लाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने, देश के पर्यटन स्थलों में आपसी प्रतिस्पर्धा का विकास करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाओं का विकास करने तथा इन्हें सही रूप में लागू करना नीति के महत्वपूर्ण विषय थे। वर्तमान में भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए **अतुलनीय भारत** नामक अभियान भी चलाया जा रहा है। पर्यटन आज विष्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग बन गया है।

पर्यटन की वैश्विक स्थिति – वर्तमान में पर्यटन की वैश्विक स्थिति निम्नानुसार है – पर्यटन का राष्ट्रीय आय में योगदान

क्र.	विवरण	रिमार्क
1.	कुल विश्व निर्यात में पर्यटन का हिस्सा	17.2%
2.	वैश्विक रोजगार में पर्यटन का हिस्सा	9.1%
3.	देश का रोजगार में पर्यटन का प्रत्यक्ष हिस्सा	6.59%
4.	देश की जीडीपी में पर्यटन का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान	5.83%
5.	पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा (2010-11)	10943 मिलियन डालर
6.	पर्यटन नीति से अर्जित विदेशी मुद्रा (अप्रैल दिसम्बर 2010-11)	9663 मिलियन डालर
7.	भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या (2010-11)	80.7 लाख
8.	भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या (2010-11)	57.2 लाख
9.	विश्व पर्यटन में भारत का हिस्सा (2009)	0.69 प्रतिशत
10.	विदेशों मे भारतीय पर्यटकों की संख्या (जनवरी दिसंबर 2009)	92 लाख
11.	विदेशी यात्रियों पर व्यय (जनवरी दिसंबर 2008)	27988 करोड़ रू.

स्रोत्र – प्रतियोगिता दर्पण समसामयिक वार्षिकी 2010

उपरोक्त बिदुओं पर विस्तृत दृष्टि डालने पर यह पता चलता है कि पर्यटन उद्योग बड़े, लघु एवं मध्यम उद्योगों एवं व्यवसायों का साझा मिश्रण है। चाहे वह होटल हो या रेल सड़क परिवहन हो या हवाई परिवहन या कोई भी व्यवसाय ये सभी क्रियाएँ पर्यटन उद्योग के महत्वपूर्ण भाग बन सकते है।

पर्यटन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रभावशीलता – आधुनिक समय में पर्यटन के दौरान, यात्रा करने के पूर्व या यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

के साथ कई प्रकार की छल-कपट, धोखा धड़ी या सेवा में कमी की जाती है जिसके फलस्वरूप न केवल पर्यटकों को मानसिक त्रास का सामना करना पड़ता है बल्कि आर्थिक नुकसान भी वहन करना पड़ता है।

विदेश पर्यटन और यात्राओं का प्रबंध एक बड़ा व्यवसाय है जिसमें कुछ बड़ी कार्पोरेट कंपनिया भारी शुल्क वसूल करके यात्रियों के लिए टिकिट और वीजा उपलब्ध कराने का व्यवसाय करती है। प्रकरण में उपभोक्ताओं के लिए वीजा का प्रबंध करने में कोताही बरतने और इसके परिणााम स्वरूप संबंधित उपभोक्ताओं की यात्रा के रद्द हो जाने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक ऐसी ही बड़ी कम्पनी कॉक्स एंड किंग्स पर जुर्माना लगाया है। उक्त प्रकरण में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि टूर आपरेटर्स कंपनिया किस तरह से सेवाओं में कमी कर उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करती है।

कर्नल नारवे रंगाराव और उनकी पत्नी शांताराव को वर्ष 2008 में एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हालैण्ड जाना था। दो अन्य एजेन्सियों के अलावा कॉक्स एंड किंग्स को भी इन दोनों के लिए हालैंड की वीजा की व्यवस्था करने के लिए भुगतान किया गया था। प्रकरण में उपभोक्ताओं का कहना था कि ट्रेवल कंपनी ने पुराने वीजा आवेदन फार्मों का प्रयोग किया जिसके कारण उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी।

जिला उपभोक्ता फोरम ने विस्तार से मामले की जॉच की और उपभोक्ता (शिकायतकर्ता) को 12 प्रतिशत की ब्याज दर से 260000 का भुगतान किये जाने का निर्देश दिया गया। फोरम के निर्णय से असंतुष्ट कॉक्स एंड किंग्स ने आंध्रप्रदेश राज्य आयोग में अपील की परन्तु राज्य उपभोक्ता आयोग ने उसे खारिज कर दिया। जब यह मामला सुनवाई के लिए राष्ट्रीय आयोग में पहुॅचा तो आयोग ने पाया कि कॉक्स एंड किंग्स ने शिकायत में लगाये गये इस आरोप का खंडन नहीं किया था कि ट्रेवल कम्पनी ने शिकायतकर्ता को पुराने वीजा फार्म उपलब्ध कराये थे। आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि सभी जानते है कि वीजा एक दिन भर में हासिल किया जा सकता है और इसी लिए ट्रेवल कम्पनियॉ वीजा उपलब्ध कराने के एवज में भारी शुल्क वसूल करती है। कॉक्स एंड किंग्स बनाम कर्नल नारवे रंगाराव तथा अन्य ख(2008) सी.पी.जे. 223(एन.सी)। उपरोक्त प्रकरण में कॉक्स एंड किंग्स को पुराने और कालातीत वीजा फार्म उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को वीजा नहीं मिल सका।

पर्यटन के दौरान उपभोक्ताओं को कई प्रकार की रियायतें अथवा सुविधाऍ प्राप्त करने का अधिकार होता है।अत: प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में जागरूक होना आवश्यक है। यात्रा सेवाओं में कमी/त्रुटि के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में फोरम/आयोग द्वारा दंडित किया गया, जिसका विवरण नीचे वर्णित अनुसार है -

1. कन्फर्म टिकिट होने पर भी हवाई यात्रा से वंचित करना सेवा में कमी है। विपक्षी हवाई सेवा अधिकारियों के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसा कम्प्यूटर की गलती से हुआ है। (मैनेजर एयर इंडिया लिमिटेड बनाम मोईउद्दीन कुट्टी, 2002)
2. यदि एयर टिकिट खो भी गया है, तब भी जीराक्स कॉपी के टिकिट पर यात्रा न करने देना सेवा में कमी है। (कमर्शियल मैनेजर एयर बनाम एस. एन. मुखर्जी, 1992)
3. कन्फर्म टिकिट पर रेल्वे के रिर्जवेशन चार्ट में नाम न होना सेवा में कमी है। (भारत संघ बनाम ज्ञानचंद्र मेहता, 2002 सी.पी.जे. राजस्थान)
4. शादी के लिए बस का विवाह स्थल पर आने व जाने के लिए तय किया जाना पर शर्तानुसार बस का विदाई के दिन बारातियों को लेने न जाना बस स्वामी की ओर से सेवा में कमी है। (मो. बसीम बनाम शिववर सिंह 2002 सी.पी.जे. उ.प्र.)

यात्रा संबंधी सेवाओं में किन-किन कमियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपना वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है -

1. जब कन्फर्म टिकिट पर यात्रा करने से किसी यात्री को रोका गया है चाहे कारण कुछ भी हो। उक्त स्थिति में उपभोक्ता अपना वाद जिला फोरम/आयोग में प्रस्तुत कर सकता है।
2. टिकिट पर छपे किराये से अधिक किराया वसूल करने पर।
3. रेल/हवाई/बस यात्रा के दौरान निम्न स्तर का खाना उपलब्ध कराने पर।
4. गाड़ियों के समय परिवर्तन का सम्यक प्रकाशन नहीं किये जाने पर।
5. बुकिंग निर्धारित समय सीमा में रद्द कराने पर भी बुकिंग सामान की धनराशि वापस न करने पर।
6. प्रतीक्षा सूची में दिये गये क्रम को छोड़कर किसी अन्य का टिकिट प्रतीक्षा सूची से कन्फर्म सूची में रखने पर।
7. जब यात्री वाहन में बुक कराया गया सामान गुम हो गया है, कम हो गया है या इसकी डिलेवरी अनाधिकृत व्यक्ति को दिये जाने पर।
8. विधिवत सीट का रिजर्वेशन कराने पर भी रिजर्वेशन चार्ट में नाम न आना तथा उक्त गलती से यात्रा न कर पाने पर।
9. जब आरक्षित परिवादी की आरक्षित सीट किसी अन्य यात्री को आरक्षित कर दिये जाने पर।
10. जब बस सेवा किसी कारण से अस्त व्यस्त हो गई है तब भी बस का किराया वापस नहीं किये जाने पर।

उपर्युक्त परिस्थितियों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रतितोशण प्राप्त करना का अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात भी है कि विभिन्न कमियों के लिए उपभोक्ता अपना वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता यथा :-

1. जब कोई रेलगाड़ी देर से चली है।
2. जब रेल यात्री स्वयं नशे की स्थिति में रेलगाड़ी से बाहर गिर गया है तथा उसकी मृत्यु हो गई है।
3. जब रेल्वे स्टाफ की हड़ताल के कारण रेलगाड़ी देर से चली हो।
4. जब उड़ान खराब मौसम के कारण रद्द कर दी गई है और दूसरी उड़ान का टिकिट यात्री का बुक कर दिया गया है।
5. जब यात्री के स्वयं के देरी से पहुॅचने पर उसे हवाई जहाज में जाने की अनुमति कार्ड देने से इंकार किया गया। ऊपर वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता यात्रा संबंधी सेवा तथा पर्यटन संबंधी कार्यो में कमी की स्थिति में अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता राहत प्राप्त करना का हकदार नहीं होता है।

निष्कर्ष - वर्तमान समय में पर्यटन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्रगति से प्रभावित कर रहा है। उद्योगों की रोजगार क्षमता पर दृष्टिपात करने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि पर्यटन के माध्यम से अधिकांश लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में पर्यटन उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन राष्ट्रीय आय प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। वर्तमान में देश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पर्यटन से प्राप्त आय में भी वृद्धि हो रही है। वैश्विक दृष्टि से विदेशी व्यापार में पर्यटन का एक बड़ा हिस्सा है। विश्व तथा क्षेत्रीय पर्यटन

से राजस्व की प्राप्ति होती है। अत: कहा जा सकता है कि पर्यटन का महत्व प्रत्येक दृष्टि से है चाहे वह एक सामाजिक सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक नजरिये से भी देखे तो उसका महत्व अत्यधिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूंची :-

1. उपभोक्ता विधि एक सरल अध्ययन - सुरेन्द्र प्रकाश त्यागी, (2003) वेस्टर्न लॉ हाउस कचहरी रोड मेरठ, उ.प्र. पृ. क्र. 76, 77, 211।
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 - अनिल सचदेवा (2006) (1986 का सं. 68)राजस्थान लॉ हाऊस कमल आपर्टमेन्ट बनी पार्क, जयपुर (राज.) पृ क्र. 87
3. पर्यटन के विविध आयाम - के. के. दीक्षित (2005) तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली
4. मध्यप्रदेश का भौगोलिक अध्ययन - प्रर्मिला कुमार 2008 मध्यप्रदेश हिन्दी गद्य अकादमी
5. कन्जुमर वॉयस- जून जुलाई 2008 पृष्ठ क्र. 30, दिसम्बर 2006, जनवरी 2007 पृ.क्र. 14
6. प्रतियोगिता दर्पण - समसामायिक वार्षिकी 2010 2/11अ स्वदेशी बीमा नगर आगरा पृ.क्र.213, 34
7. मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान- प्रतियोगिता साहित्य सीरिज 2012 साहित्य भवन सी 17 सिकंदरा ओद्योगिक क्षेत्र आगरा उ. प्रा पृष्ठ क्र. 55
8. पूणेकर मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान - अनिल मीणा पूणेकर पब्लिकेशन खजूरी बाजार इन्दौर, म.प्र.
9. योजना- पर्यटन विकास की संभावनाएँ नई दिल्ली जून 98
10. मध्यप्रदेश संदेश- मध्यप्रदेश शासन का मासिक प्रकाशन फरवरी 2006

****

धार जिले की औद्योगिक स्थिति, निवेश एवं प्राप्त रोजगार का अध्ययन

डॉ. प्रीति शाह *

प्रस्तावना – धार जिला मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह ऐतिहासिक नगरी है जो राजा भोज की नगरी के नाम से जानी जाती है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर आधारित है। जिला औद्योगिक विकास की ओर धीमी गति से अग्रसर हो रहा है। जिले के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान पीथमपुर क्षेत्र का है। जिले की तहसील बदनावर, धरमपुरी, सरदारपुर, मनावर, कुक्षी एवं गंधवानी है। यहां की कुल जनसंख्या 1,39,56,229 (2011 जनगणना) है। औद्योगिक क्षेत्र में यहां पर कई जिनिंग फैक्ट्री, बेग प्रिंट, आयशर स्ट्रील लि. एग्रो इंडस्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रियां है। अत: जिले में कुल 1052 यूनिट उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। जिसमें 957 यूनिट केवल पीथमपुर शहर में स्थित है।

उद्देश्य –

1. जिले में स्थापित कौन-कौन से उद्योग है।
2. उद्योगों में प्राप्त रोजगार की स्थिति का अध्ययन करना।
3. उद्योगों में निवेश की स्थिति का अध्ययन करना।
4. जिले की औद्योगिक स्थिति का मूल्यांकन करना।
5. उद्योगों में व्याप्त समस्याओं को जानना।

पद्धति : प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंक पर आधारित है। समंक इंटरनेट पर संबंधित वेबसाइट व जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त किए गए है। वर्ष 1984-1985 से वर्ष 2010-11 तक के समंकों का प्रयोग किया गया है।

प्रतिवर्ष पंजीकृत इकाईयों की संख्या, निवेश एवं प्राप्त रोजगार

वर्ष	पंजीकृत इकाईयां	रोजगार	विनियोग (लाख रू.)
2000-01	55	209	39.57
2001-02	10	140	264.16
2002-03	46	115	123.28
2003-04	380	855	285
2004-05	341	1418	908.66
2005-06	318	722	580.90
2006-07	399	1045	975.71
2007-08	692	1264	494.24
2008-09	442	1941	1875.7
2009-10	471	1106	822.39
2010-11	661	1590	1710.12

स्त्रोत – **DTIC - Dhar/MPAKVN**

1. वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान प्रतिवर्ष उद्योगों की 46-55 तक स्थापित हुई है। वर्ष 2003-04 से उद्योगों की स्थापना में तेजी आई व वर्ष 2010-11 तक करीबन 300 से 692 प्रतिवर्ष यूनिट स्थापित हुई है।
2. उद्योगों से प्राप्त रोजगार का अध्ययन करे तो वर्ष 2003-04 से वर्ष 2010-11 तक प्रतिवर्ष 800 से 1600 के मध्य प्रतिवर्ष व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है, परंतु क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या व बेरोजगारी की तुलना में नगण्य है।
3. बढ़ती उद्योगों की इकाईयों से स्वाभाविक रूप से निवेश में भी वृद्धि हुई है। यह निवेश वर्ष 2004-05 से वर्ष 2010-11 तक 900 लाख रू. से 1800 लाख रू. के मध्य हुआ है।

वर्ष 1984-85 से वर्ष 2010-11 तक कुल मिलाकर 7292 इकाईयां पंजीकृत हुई है। जिसमें 23336 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में औसतन दैनिक कर्मचारियों की संख्या 12,658 व शेष बड़ी व मध्यम इकाईयों में कार्यरत है। जिले की जनसंख्या 1,39,56,229 है, जिसका 0.16 प्रतिशत ही व्यक्ति ही औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत है। जो यह सिद्ध करती है कि धार जिले की औद्योगिक इकाईयां रोजगार मुहैया करवाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाई।

कुल विनियोगों पर प्रकाश डाले तो वर्ष 1984-85 से वर्ष 2010-11 तक कुल मिलाकर 7292 इकाईयों में 14,324.44 लाख रू. का निवेश हुआ है। निवेश की बढ़ती दर से जिला विकास की ओर धीमी गति से अग्रसर हो रहा है.....सिद्ध करती है।

3.3 Details of Existing Micro & Small Enterprises and Artisan Units in the District (सारणी देखे अगले पृष्ठ पर)

उपरोक्त तालिका के अनुसार –

1. सोडा वाटर, ऊन, सिल्क एवं धागे से संबंधित कपड़ों के उद्योग, जूट व जूट से बने उत्पाद एवं चमड़े के उत्पादों के उद्योगों का अभाव है।
2. जिले में लकड़ी व फर्नीचर से संबंधित उद्योग, पेय पदार्थ, इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की संख्या कम है।
3. जिले में कॉटन, टेक्सटाइल रेडिमेड गारमेंट्स की संख्या काफी कम है, जबकि उक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल जिले में आसानी से उपलब्ध है।

उपरोक्त का अध्ययन करने के बाद स्थिति स्पष्ट होती है कि धार जिला धीमी गति से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, साथ ही यहां पर औद्योगिक इकाईयां लोगों को अपेक्षित रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। क्षेत्र में सरकार द्वारा सुदृढ़ योजनाओं, निवेश की आवश्यकता है।

समस्याएं –

1. आम जनता में अज्ञानता/जागरूकता की कमी
2. क्षेत्रीय राजनीति

* 63/1, बनियावाड़ी, दीक्षित फोटो स्टुडियो के पास, धार (म.प्र.) भारत

3. आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं का अभाव
4. तकनीकी ज्ञान की कमी
5. वित्त की कमी
6. कुशल श्रम
7. बाजार का अभाव

सुझाव :

1. जनता में जागरूकता हेतु जन-जन तक सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार।
2. औद्योगिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा/प्रोत्साहन।
3. निवेश हेतु बड़े उद्यमकर्ताओं को रियायतें, सुविधाएं एवं छूटें।
4. जिला उद्योग केंद्र द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम।
5. उदार ऋण नीति।
6. केंद्रों द्वारा जिले में कच्चे माल व ऊन पर आधारित उद्योगों एवं श्रम की खोज।
7. निर्यात प्रोत्साहन।

इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं पर दृढ़तापूर्वक कार्यक्रम या नीतियां बनाकर क्षेत्र के औद्योगिक विकास की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. DTIC –Dhar & MPAKVN
2. www.mpakvnindore.com
3. msmeindore.nic.in

NIC CODE NO.	TYPE OF INDUSTRY	NUMBER OF UNITS	INVESTMENT (Lakh Rs.)	EMPLOYMENT
20	Agro based	48	6192	677
22	Soda water	Nil	Nil	Nil
23	Cotton textile	20	2782	578
24	Woolen, silk & artificial Thread based clothes.	Nil	Nil	Nil
25.	Jute & jute based	Nil	Nil	Nil
26	Ready-made garments & embroidery	11	987	242
27	Wood/wooden based furniture	8	120	98
28	Paper & Paper products	38	848	482
29	Leather based	Nil	Nil	Nil
31	Chemical/Chemical based	96	9978	2568
30	Rubber, Plastic & petro based	88	25584	1071
32	Mineral based	22	1527	226
33	Metal based (Steel Fab.)	141	3312.6	449
35	Engineering units	94	1883.25	1423
36	Electrical machinery and transport equipment	21	319.41	397
97	Repairing & servicing	155	74.15	482
01	Others Auto component Packed drinking water Electronic items	312 29 4 8	832.00 2175 294 543	576 394 27 184

Source: **DTIC - Dhar/MPAKVN**

****

निमाड़ अंचल में औद्योगिक विकास की संभावनायें

प्रो. प्रताप राव कदम *

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश में औद्योगीकरण की दिशा में पिछले तीन दशकों में तीव्र गति से विकास हुआ है। उद्योगों की प्रगति के मुख्य कारणों में प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की विपुल मात्रा में उपलब्धता मानवीय संसाधन, स्थानीय कौशल, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाएँ एवं प्रदत्त सहायक व अनुदान आदि रहे हैं।

राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है, छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पूर्व तक मध्यप्रदेश राज्य खनिज उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्र प्रथम स्थान पर था परंतु वर्तमान में झारखण्ड व छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात एवं खनिजों के उत्पाद में इसका स्थान चौथा है तथा प्रमुख खनिजों के उत्पादन मूल्य एवं प्राप्ति द्वितीय स्थान हैं। प्रदेश में वर्तमान में 20 प्रकार के मुख्य खनिजों का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ-साथ डायस्पोर, क्लोफिलाईट, ताम्र अयस्क तथा स्लेट के उत्पादन में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के केलासाईट, लेटसाईट तथा रॉक फास्फेट के उत्पादन में वित्तीय तथा मैंगजीन के उत्पादन में तृतीय स्थान प्राप्त है।

(अ) खनिज आधारित उद्योग – मध्यप्रदेश में चूना, पत्थर, डोलोमाईट, लोहा अयस्क, मैंगनीज अयस्क, तॉबा अयस्क, रॉक फास्फेट आदि उच्च कोटि के खनिजों के विशाल भंडार है। हीरा एकमात्र इसी प्रदेशमें पाया जाता है। राज्य शासन की वर्तमान नीति के अनुसर प्रत्येक वर्ष एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करना है, जिसके लिए प्रदेश में प्रचुर मात्रा में चूना उपलब्ध हैं। रॉक फास्फेट का उपयोग राज्य में सिंगल सुपर फॉस्फेट और अमोनियम नाईट्रट फॉस्फेट उर्वक बनाने में किया जा सकता हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सिलिका सेड का उपयोग भी रंगीन काँच, फ्लेट ग्लॉस और सिरेमिक्स उत्पादन में किया जाता है। डोलोमाइट आधारित डेड बर्न्ट मेग्नेसाइट के उत्पादन का उपयोग रिफेक्टरीज एवं अन्य रासायनिक उपक्रमों में किया जाता सकता हैं। कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन से लेकर रासायनिक उर्वरक, कोक उत्पादन, धुँआ रहित ईधन और रसायनों के उत्पादन में किए जानें की व्यापक संभावनाएँ है। ग्रेनाईट पर आधारित उद्योगों की स्थापना भी की जा सकती हैं।

(ब) प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योग –मध्यप्रदेश में सोयाबीन, रेपसीड सरसों, मूँगफली आदि का उत्पादन बहुतायत में होता हैं। सूरजमुखी का उत्पादन भी राज्य में होने लगा है। इन पर आधारित एक्सपेलर और सॉल्वेट एक्सट्रेशन प्लांट आसानी से लगाए जा सकते है। प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में देश में अग्रणी है अत: सोयाबीन पर आधारित सोय मिल्क, सोयाबीन प्रोटीन्स और नुडल्स जैसे उद्योगों की संभावनाएँ हैं। माईग्रेन व लेसीथीन का उत्पादन भी सोयाबीन पर आधारित कच्चे माल के रूप में किया जा सकता हैं। चावल पर आधारित कई उद्योग जैसे राईसब्रान आईल, परबाईलर, पार्टिकल बोर्ड, डिआईल केक, स्टॉर्च, एक्सट्रीम, कॉर्न आईल आदि उद्योगों की व्यापक संभावनाएँ हैं। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी वानिकी और साग सब्जियों की उत्पादन भी बहुतायत में किया जाता हैं, जिनमें आम, अमरूद, पपीता, संतरा, केला, आलू, टमाटर, गोभी, मिर्ची, उदरक और लहसुन का उत्पादन मुख्य है और इन पर आधारित उद्योगों की व्यापक संभावनाएँ हैं। मध्यप्रदेश का एक तिहाई भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिनमें प्राप्त निम्नांकित उपजों पर आधारित उद्योग लगाए जा सकते है सागौन, बॉस, सॉल कत्था गोंद आदि।

1. **जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग –**निमाड़ अंचल में कपास का उत्पादन अत्यधिक होता है जिससे कच्चे माल की अत्यधिक मात्रा में उपलब्धता के आधार पर यहॉ वृहत् पैमाने की सूती वस्त्र उद्योग और जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग की काफी संभावनाएँ है। स्थानीय स्तर के उद्यमियों द्वारा अभी तक जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग ही स्थापित किए गए हैं। साहसी क्षमता की कमी के कारण वृहत् उद्योग कपास पर आधारित उद्योग के स्थापना की संभावना अधिक हैं।

2. **वनस्पति तेल उद्योग –**निमाड़ अंचल तथा आस-पास के क्षेत्र में कपास, मूंगफली, सोयाबीन की पैदावार अधिक अच्छी मात्रा में होने से यहां पर वनस्पति तेल उद्योग की अच्छी संभावना हैं। मध्य प्रदेश के पिछडे जिलों की श्रेणी में सम्मिलित कृषि प्रधान इस उद्योग को शासन द्वारा सहायता प्राप्त हैं।

3. **साल्वेन्ट एक्स्ट्रेक्शन प्लाण्ट –**साल्वेन्ट प्लाण्ट के लिए मूंगफली, सोयाबीन, बिनौले आदि तथा तिलहनों की खली और कुछ रासायनिक पदार्थो की आवश्यकता होती हैं। वर्तमान समय में निमाड़ अंचल में तिलहन से तेल निकालने के बाद खली को अधिकांश बाहर भेज दिया जाता हैं। साल्वेन्ट प्लाण्ट कच्चे माल के क्षेत्रों की ओर आकर्षित होने वाला उद्योग हैं। वर्तमान में तेल मिलों से प्राप्त खली को देखते हुए 100 मीट्रिक टन क्षमता वाला एक्ट्रेक्शन प्लाण्ट आसानी से आरंभ किया जा सकता हैं। इसके लिए सम्पूर्ण निमाड़ अंचल उपयुक्त क्षेत्र हैं।

4 **पपीते से पेपोन निर्माण –**निमाड़ अंचल तथा आस-पास के क्षेत्र में अच्छी मात्रा में पपीता उत्पादन होता है। पपीते से लेटेक्स (कच्चे पपीते का रस) वर्तमान में महाराष्ट्र भेजा जाता हैं, जहां इससे पेपोन बनाकर विदेशों को निर्यात किया जाता हैं।

5. **चिप बोर्ड तथा पार्टीकल बोर्ड उद्योग –**निमाड़ अंचल एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में मूंगफली की पैदावार अच्छी होती है तथा ये तेल मिलों को कच्चेमाल के रूप में प्रदाय की जाती हैं। मूंगफली से तेल निकालने की

* प्राध्यापक (वाणिज्य) माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

प्रक्रिया में मूंगफली का छिलका अलग-अलग कर लिया जाता है सामान्यत: इस छिलके को उद्योग में जलाने के काम में लाया जाता हैं, क्योंकि अभी तक इस छिलके के अन्य उपयोग नहीं है। मूंगफली के छिलकों तथा लकडी से चिप बोर्ड तथा पीर्टीकल बोर्ड बनाने के कारखाने निमाड़ अंचल में स्थापित किया जा सकता हैं। जिससे इस औद्योगिक अवशिष्ट का उचित उपयोग हो सकेगा।

6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग -निमाड़ अंचल तथा आस-पास का क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। खाद्य संस्करण उद्योग के अन्तर्गत खाद्यान्न, दाल, तिलहन के प्रारंम्भिक प्रसंस्करण से लेकर खाने तैयार फास्ट फूड तक विशाल क्षेत्र शामिल है। इनमें से कुछ बेकरी बिस्कूट एवं कन्फेक्शनरी, पापड़, नमकीन, फल, सब्जियॉ और उनमें मछली उत्पाद, मांस, नाश्ते के खाद्य पदार्थ और खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ प्राकृतिक वेजिटेबल, प्रोटीन फूड, मसाले आदि को तैयार करने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योग की काफी संभावनाऍ हैं। केन्द्र सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विस्तार की कई योजनाऍ तैयार की है जिससे हमारे निमाड़ अंचल के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक उत्थान में मदद मिल सकेगी।

7. कृषि यंत्र एवं औजार उद्योग -सम्पूर्ण निमाड़ अंचल कृषि प्रधान क्षेत्र है यहां यद्यपि कृषि क्षेत्र में अधिकांश कृषक परम्परागत से ही कृषि कार्य करते है परन्तु धीरे धीरे आधुनिक साधनों के बढ़ते प्रयोग स्थानीय कृषको को कृषि यंत्र एवं औजारों के लिए अन्य क्षेत्रों में से आयातित माल पर निर्भर रहना पडता है। कृषि यंत्र एवं औजार निर्माण उद्योग स्थापित कर दिया जाए तो किसानों को सरलता से कृषि यंत्र मिलने लगेगे।

8. एबसारबंट कॉटन प्लाण्ट -निमाड़ अंचल में कार्यरत जिनिंग फैक्ट्रियों के वेस्ट काटन (अवशिष्ट कपास) का समुचित उपयोग नहीं हो पाता हैं, जिससे उद्योगपतियों को क्षति उठानी पड़ती है, इसीलिए इस अवशिष्ट कपास के समुचित उपयोग हेतु एक एबसारबंट कॉटन प्लाण्ट बड़वाह में स्थापित किया जा सकता है। इस कारखाने के द्वारा उत्पादित माल के विक्रय हेतु निमाड अंचल के जिलों में बाजार उपलब्ध है।

पशु धन पर आधारित उद्योग -पशु धन पर आधारित लघु उद्योगों में अग्रांकित उद्योगों की संभावना हैं।

1. डेयरी फार्मिंग -पशुपालन कृषि के सहायक उद्यम के रूप में होने से निमाड अंचल में पर्याप्त संख्या में पशु धन उपलब्ध हैं। यहॉ पर पशुओं के आहार के लिए पर्याप्त चारा एवं अंजन की पत्तियों पैदा होती है। अत: दुग्ध पदार्थो के अधिक उत्पादन, पशु धन का उचित संरक्षण तथा इसे लाभकारी उद्योग बनाने के लिए निमाड़ अंचल में डेयरी प्लाण्ट लगाने की महति आवष्यकता हैं।

2. बोन मिल -पशुओं की संख्या पर्याप्त होने से इनकी हड्डियों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। वर्तमान समय में इनका उपयोग न होने से अन्य क्षेत्रों को भेजा जाता है। इसके पर्याप्त कच्चें माल की उपलब्धता के आधार पर निमाड़ अंचल में बोन मिल की स्थापना की जा सकती है।

3. चमड़ा पकाने एवं साफ करने की कारखाना -पशु खाल का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में इस पर आधारित लघु उद्योग की स्थापना की जा सकती है।

4. **मुर्गीपालन केन्द्र** -निमाड़ अंचल के आस-पास के क्षेत्रों एंव गॉवों में आदिवासियों और अन्य समुदाय के लोगों द्वारा परम्परागत रूप से मुर्गीपालन किया जाता हैं। इस उद्योग के उत्पादों (अण्डा, मॉस) की मांग जिलों के स्थानीय बाजार एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा मैं है। इस लाभकारी उद्योग की ओर आकर्षित होकर कुक्कुट पालन केन्द्र पर स्थापना की जा सकती है।

खनिज पर आधारित उद्योग - मध्यप्रदेश में चूना, पत्थर, डोलोमाईट, लोहा अयस्क, मैगनीज अयस्क, ताँबा अयस्क, रॉक फास्फेट आदि उच्च कोटी के खनिजों के विशाल भंडार है। हीरा एकमात्र इसी प्रदेश में पाया जाता है। राज्य शासन की वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करना है, जिसके लिए प्रदेश में प्रचुर मात्रा में चूना उपलब्ध है। रॉक फास्फेट का उपयोग राज्य में सिंगल सुपर फॉस्फेट और अमोनियम नाईट्रेट फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जा सकता है। राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सिलिका सेड का उपयोग भी रंगीन कॉच, फ्लेट ग्लॉस औश्र सिरेमिक्स उत्पादन में किया जाता है। डोलोमाइट आधारित डेड बर्न्ट मेग्नेसाइट के उत्पादन का उपयोग रिफेक्टरीज एवं अन्य रासायनिक उपक्रमों में किया जा सकता है। कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन से लेकर रासायनिक उर्वरक, कोक उत्पादन, धुँआ रहित ईधन और रसायनों के उत्पादन धुँआ रहित ईधन और रसायनों के उत्पादन में किए जाने की व्यापाक संभावनाऍ है। ग्रेनाईट पर आधारित उद्योगों की स्थापना भी की जा सकती है। खनिज पर आधारित वृहत् एंव लघु उद्योग के विकास की निम्नलिखित उद्योगों की संम्भावनाऍ है-

1. सीमेन्ट उद्योग -चूने के विशाल मात्रा में जमाव तथा सीमेन्ट की अत्यधिक मांग के कारण इस उद्योग की वृहत् इकाई निमाड अंचल में स्थापित की जा सकती है। मध्यप्रदेश में स्थित अन्य सीमेन्ट के कारखाने कोयला तथा जिप्सस हेतु अन्य राज्यों पर निर्भर रहते है। निमाड़ अंचल में स्थापित किए जा सकने वाले संयंत्र को भी इन दो पदार्थो के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना होगा किन्तु पर्याप्त मात्रा में चूना, पत्थर सुगम जल प्राप्ति, सस्ते श्रमिक तथा यातायात के विकसित साधनों की उपलब्धता से इस नगर या इस क्षेत्र में विकसित सीमेन्ट की स्थापना तथा विकास की प्रबल सम्भावनाऍ हैं।

2. रंगरोगन निर्माण -निमाड़ अंचल में नर्मदा जैसी बडी नदी के साथ कई छोटी -छोटी एवं सहायक नदी के किनारे मैगनीज ऑक्साईट के भण्डार उपलब्ध है। इन निक्षेपों में से बरवई के निक्षेप में मैगनीज माइनिंग कापोरेशन पट्टे पर खुदाई करता है। यह मैगनीज वृहत् इस्पात उद्योग की आवश्यकता पूर्ति करने में तो पूर्णत: असमर्थ है परन्तु मैंगनीज के आधार पर निमाड़ अंचल में रंग रोगन निर्माण करने की कुछ इकाईयॉ आवश्यक स्थापित की जा सकती है।

3. चाक निर्माण उद्योग -निमाड़ अंचल के बडवाह क्षेत्र में चूने का पर्याप्त उत्पादन होता है साथ ही जिले में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या तथा मांग बढती जा रही है। अतएवं निमाड़ अंचल में चाक निर्माण की कई इकाईयॉ स्थापित की जा सकती है। यह कम लागत में अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्यम है। आस-पास के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार होने से एवं शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होने से इस उद्योग की मांग बढती जा रही है। सभी आवश्यक सुविधाऍ उपलब्ध होने से इस उद्योग के सफलतापूर्वक स्थापित होने की भरपूर सम्भावनाऍ हैं।

वनोपज पर आधारित उद्योग -निमाड़ अंचल में वनों की बहुलता के चलते वनोपज आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। निमाड़ अंचल में पर्याप्त मात्रा में वनोपज उपलब्ध होने के कारण इस क्षेत्र में वनोपज पर आधारित उद्योगों के विकास की पर्याप्त संभावनाऍ है।

1. बीड़ी उद्योग -निमाड़ अचल के वनों की एक प्रमुख उपज तेन्दू पत्ता है। वनों से एकत्रित करके ये पत्ते मुख्य रूप से बाहरी क्षेत्रों में बीडी बनाने हेतु भेजे

जाते है। इस कारण निमाड़ अंचल में इस उद्योग की पर्याप्त सम्भावनाएँ है।

2. **लकड़ी फर्नीचर उद्योग –** वन क्षेत्र की अधिकता से यहाँ पर्याप्त कच्चा माल फर्नीचर निर्माण हेतु उपलब्ध है। फर्नीचर की बढ़ती मांग तथा लाभ की अधिक मात्रा में इस उद्योग की संभावनाओं को बल मिलता है।

3. **पैकिंग बाक्स उद्योग –** निमाड़ अंचल के क्षेत्रों में साबुन, इलेक्ट्रानिक्स उद्योग अगरबत्ती उद्योग जैसी कई इकाईयॉ कार्यरत् है। इनके उत्पाद के पैकिंग हेतु पैकिंग बाक्स उद्योग की स्थापना की जा सकती है।

4. **अगरबत्ती उद्योग –** निमाड़ अंचल ज्योतिर्लिंग औकारेश्वर का मंदिर, महेश्वर में अहिल्या मंदिर और सिद्धवरकूट में जैन मंदिर स्थिति होने से अगरबत्ती उद्योग की मांग पर्याप्त मात्रा में है। इस प्रकार और आस-पास के क्षेत्रों में मंदिर होने के कारण अगरबत्ती उद्योग की स्थापना की जा सकती है।

5. **लकड़ी के खिलौने बनाने का उद्योग –** निमाड़ अंचल में हाट एवं मेले नियमित लगते है वर्ष में ऑकारेश्वर सनावद पिपल्या बुजुर्ग आदि स्थानों पर मेले लगते रहते हैं। इस अवसर पर बच्चों के लिए लकडी के खिलौने बनाने की कुछ इकाईयॉ खोली जा सकती है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नवीन वन नीति के कारण वनोपज पर अनौपचारिक प्रतिबंध लगाया गया है जिससे मूल रोजगार के अवसर कम हुये है परन्तु शासन की अंशिक उदार नीति के कारण उद्योगों में रोजगार के अवसर की संभावनाये है।

मांग पर आधारित उद्योग – मांग पर आधारित उद्योगों में निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना की जा सकती है।

1. **स्टील फर्नीचर उद्योग –** लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगाने से फर्नीचर उद्योग में लकड़ी का अभाव होने लगा है। फर्नीचर हेतु लकड़ी की मात्रा अत्यन्त सीमित होने के कारण अब वर्तमान में लोहे व स्टील का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। फर्नीचर की मांग में काफी वृद्धि होने से निमाड़ अंचल में स्टील फर्नीचर उद्योग की अधिक इकाई स्थापित की जा सकती है।

2. **इंजीनियरिंग उद्योग –** इंजीनियरिंग उद्योग की इकाईयों सामान्य मशीनों की मरम्मत तथा निर्माण का कार्य करती है। अत: इस उद्योग के विकास की काफी संभावनाएँ है। जिनमें स्कूटर, लाइट कमर्शियल व्हीकल और काल के इंजिन तथा बडे वाहनों का निर्माण होता है। इन उद्योग के भी कई सहयोगी उद्योग राज्य में और अधिक लगने की प्रबल संभावना है, जिनमें टाइराड इन्डस, शॉक एब्जार्वर है। एच.टी.एन. कई तरह की इकाईयॉ लगाई जा सकती है। जिनमें प्लास्टिक मशीन, कपडा बनाने में मशीन, रेल्वे का साज समान के उद्योग सम्मिलित है।

3. **साबुन निर्माण उद्योग –** जनसंख्या वृद्धि एवं तीव्र औद्योगिक विकास के साथ-साथ ही जनता के जीवन स्तर में भी निरन्तर सुधार होने से गरीब तबके लिये साबुन की मांग बढ़ती लगे। इस उद्योग की भी अच्छी सम्भावनाएँ है।

4. **टायर रिट्रेडिंग उद्योग –** निमाड अंचल में तहसील में मोटर परिवहन यातायत का अच्छा साधन है लेकिन सड़कों की की दुर्दशा के कारण इनके टायर जल्टी खराब हो जाते है। टायर महँगे होने से उनका रिट्रेडिंग करना आवश्यक होता है। इस उद्योग की निमाड़ में काफी संभावनाएँ है।

5. **उर्वरक एवं कीटनाशक –** कृषि प्रधाना क्षेत्र होने से कृषकों की मांग उर्वरक व कीटनाशक उद्योग की संभावनाएँ है।

6. **पशु आहार संयत्र उद्योग –** पशुओं का पालन किया जाता है। यह क्षेत्र खाद्यान्न के अतिरिक्त तिलहन एवं दलहन फसलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी कारण इस क्षेत्र में एक दर्जन तेल मिले कार्यरत है। इन तेल मिलों से उपलब्ध उत्तोत्पाद (खली) बडी में प्राप्त होती ह। इस खली एवं दहलन फसलों तथा अन्य खाद्यान्न फसलों के अवशिष्ट पदार्थो से इस क्षेत्र में पशुओं के लिए पौष्टिक आहार तैयार करने के संयंत्र की इकाईया प्रारंभ करने की अच्छी सम्भावनाएँ है।

7. **कोड स्टोरेज उद्योग –** निमाड़ अंचल में फलफ्रुट तथा सब्जियॉ कम मात्रा में पैदा की जाती है क्योंकि ये वस्तुएँ अधिक समय तक ठीक नहीं रह सकती है, सड़ जाती है। इन्हें अधिक समय तक ठीक रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखना पडता है। चूँकि यह उद्योग इन्दौर में स्थापित है। इस प्रकार के उद्योग की बडवाह में काफी मांग है। जिससे फलफ्रुट एवं सब्जियों का उत्पादन भी बढ सकता है। इन सभी उद्योग की संभावनाओं पर अगर शासन योजनाकारों तथा उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित होता है तो मेरे द्वारा लिखित शोध के प्रयास का परिश्रम सार्थक हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत सर्वे के आधार पर।
2. कोठारी, डॉ. मिलिन्द - उद्यमिता कौशल विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल 2013
3. दैनिक भास्कर।
4. योजना पत्रिका।
5. कुरूक्षेत्र।
6. विक्कीपीडिया डॉट कॉम।

****

भारत में औद्योगिक रूग्णता एक चुनौती

डॉ. गणेश प्रसाद दावरे *

शोध सारांश –औद्योगिक रुग्णता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते है। विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के मतभेदों के कारण भी इसका स्पष्ट असर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कुप्रबंधन तथा दोषपूर्ण नीतियां भी औद्योगिक रुग्णता को पैदा करती हैं। औद्योगिक रुग्णता एक चिन्ता और चिन्तन का कारण बनी हुई है। इस समस्या के मनन, विश्लेषण तथा निराकरण हेतु उद्योगपतियों, श्रमिकों, सरकार तथा बुद्धिजीवियों आदि द्वारा बीमार इकाईयों में जान डालने के भरसक प्रयास करने होगे।

शब्द कुंजी – रुग्णता, कमतर, भागीरथी, अवक्षयण।

प्रस्तावना – किसी कम्पनी में चालू अनुपात तथा ऋण पूँजी के अनुपात इतने अधिक प्रतिकूल हो जाऐं कि उस कम्पनी में आधारभूत संरचनात्मक दोष एवं उसकी लगातार गिरावट के परिचायक हो तो ऐसी कम्पनी को रुग्ण कम्पनी के रुप में माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अनुसार औद्योगिक रुग्णता अथवा बीमार औद्योगिक इकाई से तात्पर्य उस इकाई से है जिसे वर्तमान वर्ष में नकद हानि सहन करनी पड़ी है और आगामी दो वर्षो में उस इकाई की दशा में निरन्तर ऐसे ही घाटे की स्पष्ट सम्भावनाऐं हो। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 के अनुसार रुग्ण इकाई से आशय उस इकाई से है जिसकी हानियां किसी भी वित्तीय वर्ष की अंतरिम समाप्ति पर सम्पूर्ण शुद्ध परिसम्पत्तियों के बराबर या इससे अधिकतम हो गई हो तथा जिसे उस वित्तीय वर्ष एवं उससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में नगद हानि हुई हो।

औद्योगिक इकाईयों को उसी प्रकार स्वस्थ कहा जा सकता है जैसे मनुष्य के स्वास्थ्य का परीक्षण करके उसे स्वस्थ कहा जा सकता है। जो औद्योगिक इकाईयां अपने कर्त्तव्यों, दायित्वों, कर आदि का भुगतान समय पर करने में समर्थ हो तथा जो लागत पर अधिक से अधिक मुनाफा लेती हो एवं जिसकी पूंजी व बाजार साख अधिक हो व विनियोजन क्षमता भी अधिक अच्छी हो तथा साथ ही आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो ऐसी औद्योगिक इकाईयां को स्वस्थ इकाईयां कहते हैं।

शोध के उद्देश्य

- औद्योगिक रुग्णता का अध्ययन करना।
- औद्योगिक रुग्णता से भारतीय की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- रुग्ण औद्योगिक इकाईयों के कारण, लक्षण तथा समस्याऐं जानना।
- औद्योगिक रुग्णता दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना –प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी ने परिकल्पना की है कि औद्योगिक रुग्णता के लिए सरकार और उद्यमी दोनों समान रुप से उत्तरदायी है।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र – प्रस्तुत शोध–पत्र द्वितीयक सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित है।

शोध व्याख्या – औद्योगिक रुग्णता कोई नयी खोज नहीं है। पहले भी औद्योगिक इकाईयां आर्थिक संकटों से गुजर कर अपना स्वाभाविक अस्तित्व खो देती थी और उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। बीमारु उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें अनेक व्यक्तियों का एक ऐसा कृत्रिम संगठन होता है जिससे अनेक व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूह, संस्थाओं एवं औद्योगिक इकाईयों के हित निहित होते हैं तथा जो अति पूँजीकरण की समस्या से ग्रसित होते हैं। इनके कार्यशील पूँजी प्रबंधन के स्तर में निरन्तर गिरावट होती रहती हैं।

इन औद्योगिक इकाईयों में रोकड़ का अपना स्तर अनुकूलतम् बिन्दु से नीचे रहता है तथा उद्योग अपने वैधानिक दायित्वों की पूर्ति करने में भी असफल रहते हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अन्य ऋणदाता कुछ समय की उचित प्रतीक्षा के बाद न्यायिक कार्यवाही के तौर पर संकटग्रस्त औद्योगिक इकाईयों पर दबाव डालकर उन्हें अनिवार्य समापन की ओर प्रेषित करते थे, लेकिन अब नवीन आर्थिक परिदृश्य के तहत् इस समस्या पर जनहित एवं राष्ट्रहित संबंधी दृष्टिकाण अपनाकर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाने लगा है।

औद्योगिक रुग्णता देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक मानी जाती हैं। अत: उसके लक्षणों की शीघ्र पहचान करके, उनका निदान अथवा उपचार करना आवश्यक हो जाता है। ये लक्षण स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकृति के होते हैं। कई नकारात्मक लक्षण बाजार की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण सकारात्मक स्थिति में आ जाते हैं तो कई लक्षण औद्योगिक रुग्णता को और बढ़ावा देते जाते हैं।

- कम्पनी में से नकद अथवा विनिमय साध्य विलेखों के माध्यम से रोकड़ तो अधिक निकल जाती है किन्तु रोकड़ की आगम कम होती है तो ऐसी स्थिति में रोकड़ का स्तर अनुकूलतम बिन्दू पर भी नहीं टिक पाता है और निरन्तर रोकड़ की कमी की समस्या से रुग्णता की समस्या पैदा होती जाती हैं।
- कम्पनी की स्थायी सम्पत्तियों की उचित देखभाल नहीं किया जाना, मरम्मत के प्रति लापरवाही बरतना, अवक्षयण की दोषपूर्ण नीति, सम्पत्ति के

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह, जिला–खरगौन (म.प्र.) भारत

पुस्तक मूल्यों की तुलना में, उनकी वास्तविक मूल्यों में निरन्तर कमी इत्यादि लक्षण बीमार इकाइयों के अग्रसर होने के संकेत है।

- जब व्यवसाय के चालू अनुपातों में लगातार गिरावट आती जाती है तथा इन्वेन्ट्री प्रत्याय में भी निरन्तर कमी आती जाती है तथा तैयार माल के स्कन्ध में निरन्तर वृद्धि होती जाती है तो रुग्णता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं।
- जब कोई कम्पनी नकद राशि कम होने के कारण अपने करों को, घोषित लाभांशों को तथा मूल ऋणों एवं उसकी ब्याज को समय पर नहीं चुकाती है तथा कर्मचारियों की वैधानिक कटौतियों में राशि जमा नहीं कराती है तो इसे औद्योगिक रुग्णता के लक्षण माने जाते है।
- कई बार कम्पनियों के द्वारा रोकड़-साख के भुगतान में अनियमितताएं बरतना, बैंक द्वारा श्रेष्ठ जमानत के लिए बार-बार आग्रह करना, अधिविकर्षो पर अत्यधिक निर्भरता तथा संस्था की वित्तीय स्थिति के बारे में रजिस्ट्रार अथवा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों को भेजे जाने वाले वित्तीय विवरणों के भेजे जाने में ढिलाई बरतना आदि भी औद्योगिक रुग्णता के अन्तर्गत आते हैं।
- कम्पनी के अशों के मूल्य एक्सचेंज में गिरावट की ओर निरन्तर बढ़ रहे हों, अतिपूँजीकरण हो रहा हो अथवा अंशों के स्वामित्व के ढांचे में आकस्मिक परिवर्तन के कारण व्यवसाय अवनति की ओर जा रहा हो तो उस स्थिति में, एक उद्योग अथवा व्यवसाय को रुग्ण इकाई के रुप में माना जाता है।
- संस्था की उदार रुप से उधार प्रदान करने की नीति तथा समय पर अथवा कभी भी उधार राशि की वसूली नहीं होना एवं पुराने ग्राहकों के साथ बिगड़ते सम्बन्धों के कारण, जब बिक्री में कमी होने लगे तो औद्योगिक इकाई रुग्णता की स्थिति में आ जाती हैं।

औद्योगिक रुग्णता के कारण – भारत में औद्योगिक रुग्णता के मुख्यत: दो कारण है-

1. बाह्य कारण –
- आर्थिक मंदी से माँग में कमी होना
- बिजली की कटौती होना
- साख सम्बन्धी नियंत्रण नहीं होना
- सरकारी नीति में परिवर्तन होना
- कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति होना
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की बदलता स्वरुप
- तकनीकी में होते नीत नये परिवर्तन होना

2. आन्तरिक कारण –
- प्रबन्धन की समस्याएँ
- श्रम समस्याएँ
- वित्त का अभाव होना
- पुराने एवं दोषपूर्ण संयंत्रों का उपयोग
- उद्यमियों का अयोग्य तथा कुषल होना
- नियोजन दोष होना
- परिप्रेक्ष्य नियोजन का अभाव होना
- औद्योगिक सम्बन्धों का सही नहीं होना

निष्कर्ष – भारत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर तो है किन्तु भारत के समक्ष आन्तरिक और बाहरी चुनौतियां भी कमत्तर नहीं है। आन्तरिक चुनौतियां आतंकवाद, गरीबी, स्वास्थ्य सुविधा, बेराजगारी तथा बाहरी चुनौतियों में सबसे प्रमुख समस्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा है जिसमें विदेशी सहायता भी मुख्य है।

इन समस्याओं के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी मुख्य समस्या औद्योगिक रुग्णता भी है जिसका समाधान औद्योगिक इकाईयों तथा संस्थाओं के मालिकों को अपने स्तर पर हल करना आवश्यक है जिसके लिए सरकारों द्वारा भी नवीन प्रावधानों को लागू कर औद्योगिक रुग्णता को जड़ से समाप्त करने के भागीरथी प्रयास करने होंगे।

सुझाव –
- देश के औद्योगिक इकाईयों में रुग्णता का कारण एक गम्भीर सामाजिक समस्या एवं अभिशाप बनता जा रहा है। इसलिए सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय-समय पर प्रोत्साहन राशि या अनुदान के रुप में कई प्रकार से सहायता की जा सकती है।
- सन् 1977 में आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन करके उन इकाईयों को आयकर में छूट का प्रावधान किया है जो रुग्ण इकाईयों को विकास के दृष्टिकोण से अपने में मिला लेती है।
- उत्पादन वितरण एवं कीमतों से सम्बन्धित सरकारी नीतियों में बार-बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए।
- कच्चे माल की समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ऊर्जा एवं परिवहन साधनों के समूचित विकास पर विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए।
- वृहद् औद्योगिक इकाईयों के प्रबन्धकों एवं संस्था मालिकों को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण की सम्पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए।
- लघु उद्योगों की इकाईयों के साहसियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर उनमें प्रबंधकीय कुशलता विकास करना चाहिए।
- अल्पकालीन वित्तीय स्त्रोतों से प्राप्त पूँजी को दीर्घकालीन अथवा मध्यकालीन निवेश हेत प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- सभी उद्योगों को अपने स्तर से प्रबंध में सुधार के तत्पर रहना चाहिए। कम्पनी अपनी सुदृढ़, उपयुक्त लाभांश नीति के तहत् कोषों का अन्यंत्र उपयोग न कर उचित प्रबंधन करें। मांग का सही अनुमान तथा मशीनरी उपकारणों के नियंत्रण एवं अच्छी प्रबंधकीय क्षमता, कुशलता एवं सरकार की उद्योग मित्र नीति से औद्योगिक रुग्णता को आसानी से रोका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपाध्याय, शर्मा, दयाल - व्यावसायिक वातावरण, आर. बी. डी. पब्लिकेशन्स, जयपुर, नई दिल्ली, 2012.
2. कोठारी, डॉ. मिलिन्द - उद्यमिता कौशल विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2013
3. शर्मा, डॉ. राजेन्द्र - अन्तर्राष्ट्रीय विपणन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2013
4. गुप्ता, पुरोहित - औद्योगिक रुग्णता - रिसर्च लिंक, 62 इन्दौर
5. योजना, मार्च 2013, प्रकाशन विभाग, नईदिल्ली
6. http//:wikipedia.org/wiki/

****

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की सहकारी समितियों की अंशपूंजी का विवेचनात्मक विश्लेषण

डॉ. एस. एस. जामोद *

पश्चिम निमाड़ का परिचयात्मक विश्लेषण –जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की सहकारी समितियाँ निमाड़ के दोनों जिलों खरगोन एवं बड़वानी में संचालित है। यह जिला नर्मदा घाटी के मध्य बसा है। यह स्थान विंध्यांचल सतपुड़ा की पहाड़ी की श्रृंखला में आता है एवं मध्यप्रदेश राज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है। सन् 1998 से पश्चिम निमाड़ जिला दो जिले में पुनर्गठित हो गया है तथा नवीन बड़वानी जिले के पुनर्गठन के बाद अब खरगोन जिले में 9 विकासखंड 9 तहसील का समावेश है। इसी प्रकार पुनर्गठित बड़वानी जिले में 7 विकासखंड तथा 9 तहसीले हैं। 2011 की जनगणना अनुसार खरगोन जिले की जनसंख्या 18,72,413 एवं बड़वानी जिले की जनसंख्या 13,85,659 है। खरगोन जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 6,48,302 हैक्टेयर एवं बड़वानी जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3,70,835 हैक्टेयर है। खरगोन जिले में कुल सिंचित क्षेत्र 1,60,840 हैक्टेयर एवं बड़वानी जिले में 73,140 हैक्टेयर है।

सहकारी समितियों का सिंहावलोकन – सन् 1904 के सहकारी साख अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय समितियों या बैंकों को संगठित करने की कोई व्यवस्था न थी। प्राथमिक समितियाँ ही सदस्यों तथा गाँव के धनाढ्य लोगों से जमा पर धन आकर्षित करती थी और इस जमा धन से निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देती थी। परन्तु प्राथमिक समितियाँ वास्तव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों का संगठन है। ये समितियाँ अधिक मात्रा में जमा आकर्षित न कर सकी। इसके अतिरिक्त ये समितियाँ अपने ही सदस्यों में बचत तथा आत्म सहायता की भावना का विकास भी नहीं कर सकी। व्यापारिक बैंक निरीक्षण की कठिनाईयों और साख की व्यक्तिगत प्रकृति के कारण इन समितियों को ऋण देने के लिये तैयार न थे। इस कमी को सन् 1912 में सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा दूर किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिक समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पंजीयन की व्यवस्था की गई। केन्द्रीय सहकारी बैंक मध्य स्तरीय सहकारी समितियाँ हैं। ये प्रारम्भिक सहकारी समितियों और शीर्ष सहकारी बैंकों के मध्य एक कड़ी का काम करती हैं। ये जिला स्तर पर कार्य करती हैं इसलिये इन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। केन्द्रीय बैंक जिला स्तर पर ऋण नीति का समन्वय व ऋण प्राप्ति के लिये कार्यक्रम बनाती हैं।

जिला केन्द्रीय बैंक एक ओर तो प्रांतीय बैंक और दूसरी ओर प्राथमिक समितियों के बीच मध्यस्थ का कार्य करती हैं। प्राथमिक साख समितियों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे अपनी आवश्यकता के अनुरुप वित्तीय साधन एकत्रित नहीं कर पाती। व्यापारिक बैंक इन समितियों को ऋण नहीं प्रदान करते। अत: केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य प्राथमिक समितियों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना हैं। इस प्रकार वे कृषि समितियों के उत्पादक कार्यों के लिये विपणन समितियों का विपणन के तथा पूर्ति कार्यों के लिये और औद्योगिक तथा अन्य प्रकार की समितियों के चालू व्यय के वित्तीय साधनों की पूर्ति का कार्य करते हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक सम्बद्ध समितियों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराने हेतु बैंकों द्वारा अंश पूंजी एकत्र करके, जनता से जमा प्राप्त करके तथा राज्य सहाकरी बैंकों से ऋण लेकर कोष बनाती हैं और उसे बढ़ाती हैं। 'केन्द्रीय सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वे प्राथमिक सहकारियों से निकट का व निरंतर संपर्क बनाये रखे, उनकी आवश्यकताओं और कठिनाईयों के प्रति सहानुभूति व सहयोग प्रदान करे और नीति विषयक मामलों पर उनका मार्गदर्शन करे। कुछ राज्यों के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पास प्राथमिक सहकारियों के निरीक्षण व देख–रेख के अधिकार हैं जबकि कुछ राज्यों में देख–रेख का कार्य सहकारी विभाग करते हैं। अब उत्तरोत्तर यह समझा जाने लगा हैं कि केवल केन्द्रीय सहकारी बैंक ही वित्तीय साधनों एवं वसूली की देख–रेख के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।'

जिला केन्द्रीय बैंकों का प्रबंध संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। संचालक मण्डल का चुनाव साधारण सभा में होता है। साधारण सभा सर्वोच्च सत्ता होती हैं। संचालक मण्डल में प्राथमिक समितियों और व्यक्ति दोनों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, परन्तु प्राथमिक समितियों के प्रतिनिधियों की संख्या व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से दुगनी होती हैं। संचालक मण्डल की सभा माह में एक बार होती हैं। संचालक मण्डल प्राथमिक समितियों के ऋण संबंधी प्रार्थना पत्रों की जांच करता है और उसकी सिफारिश प्रस्तुत करता है। अन्तिम निर्णय साधारण सभा के हाथ में होता है।

सहकारी समितियों का वित्तीय प्रबंधन –सम्बन्धित समितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बैंक निम्न चार स्त्रोतों से वित्तीय साधन जुटाता है–

1. अंश पूंजी।
2. जमा पर प्राप्त धन।
3. शीर्ष बैंकों से प्राप्त ऋण।
4. रक्षित कोष।

बैंक निजी पूंजी के अन्तर्गत अंश पूंजी एवं रक्षित कोष को सम्मिलित किया जाता है। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी निजी पूंजी से बारह गुना अधिक ऋण ले सकते हैं। केन्द्रीय बैंक अब जनता से पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित करने से सफल हो रहे हैं। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक वित्तीय

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला–धार (म.प्र.) भारत

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिकतर शीर्ष बैंक पर निर्भर है। केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ता के लिये ग्रामीण साख सर्वे समिति ने अनिश्चित काल के लिये सरकार की साझेदारी की सिफारिश की है। राज्य के सहकारी साख आन्दोलन में जिला सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की समिति की स्थापना एवं वर्तमान संरचना –जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन 16 दिसंबर 1949 को पंजीकृत हुई थी। वर्तमान में बैंक की कुल शाखाऐं 54 एवं 9 अमानत शाखाऐं है। इस प्रकार 63 शाखाऐं कार्यरत है, जिसमें संबद्ध कुल 297 समितियां कार्यरत है, जिसमें प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाऐं 182, विपणन एवं प्रक्रिया समितियां 18, बुनकर एवं औद्योगिक समितियां 21 एवं अन्य समितियां 76 सम्मिलित है। दोनों जिलों में कुल कृषक परिवारों की संख्या 3,78100 है, जिसमें बैंक से संबद्ध समितियों के परिवारों की संख्या 3,53,855 होकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 1,66,281 है।

सहाकारी समितियों की अंशपूंजी – बैंक की अंशपूंजी 125 करोड़ रुपए है, वर्षान्त 2013 पर बैंक की धारित अंशपूंजी 10,031.25 लाख है, जो गतवर्ष की तुलना में 2039.28 लाख अधिक है। उक्त अंशपूंजी में सहकारी समितियों की अंशपूंजी 9,821.63 लाख, शासन की अंशपूंजी 206.02 लाख एवं नॉमिलन सदस्यों की अंशपूंजी 3.60 लाख है।

तालिका क्र. 01

सहकारी समितियों की अंशपूंजी

क्र.	वर्ष	सहकारी समितियाँ (राशि लाखों में)
1	2006	1,876.54
2	2007	2,068.25
3	2008	2,791.52
4	2009	2,975.97
5	2010	3,681.66
6	2011	5,145.09
7	2012	7,677.23
8	2013	9,821.63

उपर्युक्त तालिका के विवेचन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की अंश पूंजी में सन् 2006 की तुलना में सन् 2013 में लगभग चार गुना की वृद्धि हुई हैं।

तालिका क्र. 02

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन में राज्य शासन का पूंजीगत योगदान

क्र.	वर्ष	राज्य शासन (राशि लाखों में)
1	2006	814.17
2	2007	800.24
3	2008	712.20
4	2009	611.99
5	2010	511.78
6	2011	411.57
7	2012	311.36
8	2013	206.02

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन में राज्य शासन का पूंजीगत योगदान सन् 2006 की तुलना में सन् 2013 में लगभग तीन चौथाई भाग की कमी हुई हैं।

निष्कर्ष –जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन की समितियों की स्थापना मुख्य रुप से सहकारिता के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए सुदूर ग्रामीण अंचलों में एवं शहरी क्षेत्रों में बसे कृषकों तथा कम आय वर्ग के लोगों को बैंकिग सुविधाऐं तथा कृषि आदान उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन का सर्वांगीण विकास करना रहा है। समितियाँ उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। ये सर्वविदित है, कि व्यवसायिक बैंकों की सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में न होने से ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाऐं उपलब्ध कराने का मुख्य दायित्व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का ही है। बैंक द्वारा उक्तानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी कृषकों को बैंकिंग सुविधाऐं एवं कृषि आदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीवास्तव, प्रेमनारायण – पश्चिम निमाड़ जिला गजेटियर।
2. सोनी, रामसेवक – मध्यप्रदेश में सहकारिता, सुमित प्रकाशन, उज्जैन।
3. अग्रवाल, माथुर – सहकारी चिन्तन एव्र ग्रामीण विकास, रमेश बुक डिपो, जयपुर।
4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन, पुस्तिका।
5. मध्यप्रदेश संदर्भ, मध्यप्रदेश जनसंपर्क प्रकाशन, भोपाल।
6. योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

****

छत्तीसगढ़ राज्य के लघु उद्योगों में पूँजी विनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता की स्थिति

डॉ. एच. एस. भाटिया * सत्यदेव त्रिपाठी **

शोध सारांश – छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के पश्चात् राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में अपनी रीति-नीतियों, अनुदान, छूट एवं राहत के द्वारा निरंतर परिवर्तन कर रहा है। अविभाजित मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन राज्य निर्माण के बाद से सरकार ने राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु अनेक कदम उठाये हैं। परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों की स्थापना, विशेषकर लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। परिणाम स्वरूप रोजगार अवसरों में वृद्धि एवं बेरोजगारों में कमी आई है।

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ राज्य अपने शैशव काल से तरूणाई की ओर अग्रसर है। कृषि, उद्योग, परिवहन, चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास परिलक्षित हो रहे हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा राज्य माना जाता रहा है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ विकास दर में एक प्रगतिशील राज्य के रूप में अहम स्थान बना चुका है। 'जीरो पावर कट राज्य के रूप में पहचान बना चुका राज्य अबाधित विद्युत आपूर्ति के कारण जहाँ कृषकों को सिंचाई हेतु निरंतर विद्युत आपूर्ति कर रहा है वहीं उद्योगों का भी संचालन बिना व्यवधान के हो रहा है।

राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, स्टील प्लाण्ट्स की स्थापना, कागज कारखाने की स्थापना, सहायक उद्योगों की स्थापना, वृहद, मध्यम एवं लघु उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदान तथा विभिन्न औद्योगिक नीतियों द्वारा अनेक रियायतें, छूट आदि के प्रावधान से राज्य का औद्योगिक परिदृश्य प्रगति के अनेक सोपान तय कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ओर से वे समस्त प्रयास कर रही है जो एक अच्छे औद्योगिक पर्यावरण के लिये आवश्यक है। आवश्यकता है कि नव-उद्यमी आगे आये और अवसरों को पहचान कर अपने साथ ही राज्य की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दें।

औद्योगिक नीति एवं योजनायें – लघु उद्योगों के विकास के लिये राज्य में बेहतर वातावरण उपलब्ध है। कृषि उपज, वन संसाधन एवं खनिज संसाधनों से छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध है। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन की जा सकती है।

राज्य के प्रथम औद्योगिक नीति 2001-06, 01 नवंबर, 2001 से लागू की गयी है। इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद को अगले 10 वर्षो में दुगुना करना, कोर सेक्टर और उस पर आधारित उद्योगों में पूँजी निवेश को आकर्षित करना एवं राज्य को पावर-हब के रूप में विकसित करना है। उद्देश्यपूर्ति हेतु रूपरेखा चार बिन्दुओं पर केन्द्रित है - (1) समूह आधारित औद्योगिक विकास (2) बेहतर प्रशासन एवं उत्कृष्ट अधोसंरचना (3) विर्दिष्ट प्रोत्साहन तथा (4) लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार।

राज्य में प्रभावशील छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002 को संशोधित करते हुए छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम-2004 द्वारा शासन के अनेक कार्यो को अधिनियम के अधीन कर उद्योगों को निर्धारित समयावधि में अनुमतियां/सहमतियां पाने का कानूनी अधिकार प्रदान किया है। अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम-2004 अधिसूचित एंव लागू किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं अनुशांगिक इकाइयों द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री का भुगतान एक निर्धारित समय में करने हेतु भारत शासन द्वारा 02 अक्टूबर, 2006 से लागू 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अधिनस्थ उद्योग संचालनालय में गठित 'छत्तीसगढ़ सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल-2006' कार्य कर रही है।

औद्योगीकरण को गति प्रदान कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, राज्य के संसाधनों को राज्य में ही मूल्य संवर्धन करने, अति पिछडे एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने, औद्योगिक निवेश को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने, कमजोर वर्ग को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने, औद्योगिक अधोसंरचना निर्माण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित करने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 'औद्योगिक नीति 2004-09' का क्रियान्वयन 01 नवंबर, 2004 से प्रांरभ किया गया है।

कोर सेक्टर के साथ अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, राज्य के मूल निवासियों हेतु रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने, राज्य के संसाधनों का राज्य में ही उपभोग करने, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्डों में अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन देकर संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, विकलांग, सेंवानिवृत्त सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित परिवार आदि को विशेष सुविधायें एवं अधिक

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला, राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला, राजनांदगांव (छ.ग.) भारत

प्रोत्साहन देकर औद्योगिक विकास में सहभागी बनाकर उनके आर्थिक विकास करने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ''औद्योगिक नीति 2009-14' 01 नवंबर, 2009 से प्रभावी की गयी है।

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन योजनायें/अनुदान/छूट-

- ब्याज अनुदान योजना
- अधोसंरचना लागत-स्थायी पूँजी निवेश अनुदान
- विद्युत शुल्क छूट
- स्टाम्प शुल्क से छूट
- प्रवेश कर से छूट
- औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूमि पर प्रीमियम में छूट
- परियोजना प्रतिवेदन अनुदान
- प्रोद्योगिकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान
- भूमि-व्यपवर्तन शुल्क से छूट
- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आबंटन सेवा शुल्क
- गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान
- तकनीकी पेटेण्ट अनुदान
- मार्जिन मनी ऋण
- विषेष थ्रस्ट सेक्टर का औद्योगिक विकास
- छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग पुरस्कार योजना

तालिका - 1 छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगों में वर्षवार पूँजीविनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता

वर्ष	स्थापित इकाइयाँ	पूँजी विनियोजन (करोड़ रू.)	रोजगार उपलब्धता
2001-02	1347	14.95	4040
2002-03	2375	16.36	5803
2003-04	2040	36.29	6700
2004-05	745	24.83	3155
2005-06	423	65.05	3857
2006-07	352	75.24	3870
2007-08	412	90.56	4113
2008-09	348	122.31	4382
2009-10	545	153.32	5524
2010-11	373	115.34	4434
2011-12	942	174.82	7277
2012-13	910	208.97	8197
योग	10812	1098.04	61352

स्त्रोत - छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, रायपुर का प्रशासकीय प्रतिवेदन 2001-02 से 2012-13 तक

तालिका क्रमांक 1 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् लघु उद्योगों की स्थापना, इनमें पूँजी विनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक लघु उद्योगों की स्थापना, पूँजी विनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता तीनों में ही निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक यद्यपि स्थापित इकाइयों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है लेकिन इकाइयों की संख्या के अनुपात में पूँजी विनियोजन एवं रोजगार उपलब्धता में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में पुन: तीनों में ही वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जा रही है।

राज्य निर्माण के बाद के 12 वर्षो में सम्पूर्ण राज्य में स्थापित लघु उद्योगों की कुल संख्या 10812, इनमें पूँजी विनियोजन 1098.04 करोड़ रू. तथा इन उद्योगों द्वारा रोजगार उपलब्धता 61352 का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि प्रति लघु उद्योग पूँजी विनियोजन 0.10 करोड़ रू. (10 लाख रू.) तथा रोजगार उपलब्धता लगभग 06 व्यक्ति प्रति लघु उद्योग है।

निष्कर्ष - उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय नीतियों, औद्योगिक नीतियों एवं लघु उद्योगों के विकास के लिये दिये जा रहे अनुदान/छूट/रियायतों के कारण उपलब्ध औद्योगिक पर्यावरण, लघु उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल है। आवश्यकता है कि नव-उद्यमी आगे आकर उपलब्ध अवसरों एवं सुविधाओं का भरपूर लाभ उठावें तथा अपने साथ ही राज्य को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करें ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, रायपुर का प्रशासकीय प्रतिवेदन, सत्र 2001-02 से 2012-13 तक।
2. माथुर डॉ. बी. एल., लघु उद्योग वित्त, अर्जुन पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली।
3. माथुर डॉ. बी. एल., ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अर्जुन पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली।
4. त्रिपाठी प्रो. मधुसूदन, भारत में लघु उद्योग : महत्व एवं समस्यायें, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।

****

पर्यावरण संरक्षण एवं आवश्यकता

डॉ. रायकू जमरा *

प्रस्तावना – यह मात्र एक कहावत नहीं बल्कि अनिवार्य एवं अकाट्य सत्य है। हजारों वर्षो से भौगोलिक पर्यावरण एवं यथेष्ट सीमा तक मनुष्य के लिए प्रकृति की दिशा और सीमा तय कर रहा है। किन्तु वर्तमान मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास कर अपने शुद्ध उपभोक्तावादी संस्कृति के मूल्यों को अपनाकर पर्यावरण को विनाश की कगार पर ला खडा किया है।

विकास की इच्छा बुरी नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि यह मुनष्य को जीवित रहने की प्रेरणा देती है। लेकिन विकास की इस अन्धी दौड में जो मृत्यु जाल मनुष्य ने अपने लिए तैयार कर लिया है उसका क्षेत्र निम्नलिखित है –

1. **वायु प्रदूषण –** वायु को प्राण का आधार कहा जाता है लेकिन मनुष्य ने अपनी भूलों से इस आनुपातिक समीकरण को गड़बड़ा के, इसे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य जीव जन्तु, वनस्पतियों तथा अन्य के लिए भी जहरीला बना डाला है। वायु को दूषित करने में मोटर वाहनों, औद्योगिक इकाईयों, थर्मल पॉवर संयत्रों तथा घरेलू ईधनों का विशेष हाथ होता है। जापान, मैक्सिको आदि देशों में वायु प्रदूषण इतना भयनाक हो चुका है कि वहॉ बच्चों को इसकी मार से बचाने के लिए मास्को पहनाकर स्कूल भेजना पडता है। बाल चिकित्सक और पर्यावरण विशेषज्ञ पिछले आठ सालों से हवा में उपस्थित नाईट्रोजन डाई आक्साइड के बढतें कणों के कारण चिंतित है। विशेषज्ञों के अनुसार नाईट्रोजन डाई आक्साइड से हमारे फेफड़े और श्वास संबंधी समस्यायें उत्पन्न हो सकती है। विशेषकर यह समस्या उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है जिन्हें दमा होता है। एक बाल चिकित्सक कहते है कि विशेषकर सर्दियों में वातावरण में नाईट्रोजन डाई आक्साइड के उच्च स्तर के कारण, ऑखों में जलन, त्वचा और श्वास संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती है।

दरसरल जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो उस पर इस तरह के प्रदूषण का असर ज्यादा पडता है। इसके कारण बच्चा न्यूरोलॉजिकल क्षति सक्रियता में कमी और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकता है। यह गैस गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत हानिकारक है। भारत वह स्थिति भी कम खतरनाक नही है– दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल है। वर्ष 1995 में दिल्ली के लगभग 9800, मुम्बई के 700 तथा कोलकत्ता के 105000 लोगों की मौतें वायु के कारण हुई है।

2. **ग्लोबल वार्मिंग –** विगत कुछ दशको में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते है। यह मुख्यत: Co2,CH4 व नाईट्रोजन आक्साइड इत्यादि वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में शामिल होने से ऊपजी है। पिछले 150 वर्षो में पृथ्वी के तापमान में करीब 1^0C की वृद्धि हो चुकी है और आगामी सदी के मध्य तक 25^0C ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। तापमान वृद्धि के फलस्वरूप 2001 में अण्टार्कटिका में 1200 वर्गमीटर बर्फ का टापू देखते–देखते पिछल गया।

मलेरिया और डेंगू जैसी अनेक उष्ण कटिबंधीय बीमरियॉ बढतें हुए तापमान की वजह से अपने पैर पसार रही है। दूसरी ओर धरती के रेगिस्तानी कारण की राह सुलग कर रही है। ऋतुओं में आ रहा बदलाव और वर्षा की कमी से सूखते जलस्त्रोत के कारण पैदा हो रहा जल संकट इसी का परिणाम है। विश्व के विभिन्न टापूओं के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप पिघलते ग्लेशियर से समुद्र का जलस्तर 2050 तक 21 से तक ऊपर उठाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो लगभग 10 करोड लोग बेघर हो सकते है कालान्तर में इस संख्या में ज्यामितिय रूप से वृद्धि होगी।

समुद्र के खारे जल से मिट्टी का उपजाऊपन प्रभावित होगा करोड़ो लोग भूखमरी का शिकार बन सकते है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढने से प्रतिव्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की प्रतिस्पर्धा में तीव्रतर वृद्धि होगी। जो गला काट प्रतियोगिता को जन्म देगी, इसके अतिरिक्त पर्यटन व बीमा क्षेत्र की अतुलनीय हानि गरीबी, बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी वृद्धि होगी।

नेचर पत्रिका के एक शोध में स्पष्ट कहा गया है कि सन् 2050 तक पेड पौधों और जीवधारियों का 50 प्रतिशत प्रजातियों का सफाया हो चुका होगा। बानगी के लिए ये पंक्तियां ली जा सकती है जिनमें व्यक्ति की हताशा, टूटन और विवशता का चित्र साकार हो उठा है–

'खण्डरो सी भाव शून्य ऑखें
नभ से किसी नियन्ता की बाट जाहती है
बीमार बच्चों से सपने उचाट है
टूटी हुई जिन्दगी
ऑगन में दीवार से पीठ लगाए खडी है,
कटी हुई पतंग से हम सब
छत की मुंडेरें पर पड़े है।'

3. **ओजोन परत का क्षय –** धरती पर आसन्न दूसरा गंभीर संकट के वायुमण्डल में उपस्थित ओजोन परत को क्षति पहुॅचना है, इस जीवन रक्षक परत को 'पराबैंगनी किरणों से रक्षा' CFC तथा हैलोजन वर्ग की गैसों द्वारा गंभीर क्षति पहुॅचायी जा रही है। Cl_2 का एक अणु वायुमण्डल में उपस्थित ओजोन के एक लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। ओजोन परत के क्षरण स्वरूप मानव जाति को, त्वचा, कैसर तथा फेफडों से संबंधी बिमारीयॉ, मोतियाबिन्द और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी व्याधियों का सामना करना पड सकता है।

4. **अम्ल वर्षा –** औद्योगीकरण के फलस्वरूप Co_2 व नाइट्रिक आक्साइड अम्लीय रूप में वर्षा के जल के साथ मिल जाते है तो इस घटना को अम्लीय वर्षा कहते है। इसके कारण फसलों, वनों व जलीय जीवन की उत्पादकता में भारी कमी आई है। यह वर्षा बलुआ पत्थर, चुना इस्पात व निकिल जैसी भवन निर्माण सामग्रीयों को आपेक्षित कर देता है। जिसे स्टोन कैंसर कहते है। ठण्डें क्षेत्रों में अम्ल वर्षा के द्वारा उत्पन्न अम्ल प्रघात एक गंभीर समस्या है।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

जिससे हजारों जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है।

5. **एल निनो व ला निनो** –यह एक जलवायु संबंधी प्रक्रिया है, जिसके कारण हवा उल्टी दिशा में बहने लगती है, दक्षिण अमेरिका से एशिया की ओर प्रशान्त महासागर के ऊपर से बहने वाली हवाऐं उलटकर एशिया से दक्षिण की ओर बहने लगती हैं। जिसे एशिया की वर्षा दक्षिण अमेरिका और प्रषान्त महासागर के आसपास घनघोर वर्षा हो जाती है और एशिया में कई स्थानो पर सूखा पड जाता है। एल निनो का मुख्य कारण प्रशान्त महासागर का गर्म हो जाना है। जिससे प्रशान्त महासागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और

इसको सन्तुलित करने के लिए इण्डोनेशिया में अधिक दबाव हो जाता है। जिसके कारण जलवायु परिवर्तित हो जाती है व अनावृष्टि आवृष्टि की घटनाऐं होती हैं। इसी प्रकार यला निनोय में प्रशांत महासागर का जल पुन: ठण्डा हो जाता है ओर फिर जैविक असन्तुलन की स्थिति प्रकट होती हैं।

पर्यावरण संरक्षण एक आवश्यकता – ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्रकृति के बिगड़ते सन्तुलन की प्रभावी चुनौतियों से विश्व के सभी देशों के वैज्ञानिक चिन्तित है। ग्लोबल वार्मिंग से चिन्तित संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों को रोकने लिए प्रभावी कदम उठाये है। शुरूआती दौर में 16 फरवरी 2005 को लागू क्योटों संधि में 141 देशों ने हस्ताक्षर कर निर्णय लिया कि इस संधि में रूस के शमिल होने की वजह से अमेरिका शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने भारत सहित पॉच अन्य देशों के साथ और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए समझौता किया। समझौते में शामिल दक्षिणी अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने उद्योग जगत पर भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने का दबाव बनाया है।

ग्लोबल वार्मिंग से चिन्तित भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थाई समिति ने राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था स्थापित करने की सिफारिश की है। समिति ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को घटाने और इसके लिए उपाय करने के लिए व्यापक अनुसंधान और उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता जतायी है। समिति की इस पहल से देश की नयी पीढी को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के फैसले को बल मिला है। भारतीय शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय बनाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकार को ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कानूनी प्रावधान करने होगें। पर्यावरण की श्रृंखला अतिव्यापी है। अत: श्रृंखला की कड़ी कहीं से भी कमजोर न होने देने का संकल्प प्रत्येक जन में होना चाहिए। सुख सुविधा की लालसा और चाह, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को स्थापित करने का संकल्प नि:संदेह प्रशंसनीय है। लेकिन प्रकृति की सुरम्य गोद में बैठाकर उसे हासिल करे तो बेहतर होगा। अत: कहा जा सकता है–

'मानव जिस ओर गया
नगर बने तीर्थ बने,
तुमसे है कौन बडा?
गगन – सिन्धु मित्र बने,
सुख नदियों का सोम पियों,
त्यागो सब जीर्ण वसन, नूतन के संग–संग चलों।'

समाधान की दिशा में – कोयले तथा जीवाश्मिक ईधन सी.एफ.सी. के प्रयोग में कमी तथा वृक्षारोपण ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कम कर सकते है। इसके लिए कुछ ठोस कदम निम्नानुसार हो सकते है।

अ. जीवाश्मिक ईधन के प्रयोग में कमी – ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लानी होगी। ऊर्जा के नवीनीकृत किए जा सकने वाले साधनों का प्रयोग करके ऐसा किया जाना संभव है एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों की खोज की जाना आवश्यक है। विकसित राष्ट्रो को इस दिशा में स्थानीय ज्ञान पर शोध करने की आवश्यकता है।

ब. नवीनीकृत किए जा सकने वाले संसाधनो का प्रयोग – जनसंख्या में वृद्धि के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ गयी है। मानव को सभी उपलब्ध ऊर्जा स्त्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत ऊर्जा के निर्माण के लिए कोयले की अपेक्षा प्राकृतिक गैसों का प्रयोग एक विकल्प हो सकता है।

स. ऊर्जा की प्रभाव क्षमता – विश्व में ऊर्जा की खपत बढ रही है, विकसित देशों में क्षमता तथा संरक्षण पर ध्यान देकर 2 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग कम किया जा सकता है। उपयोग के दौरान बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, अधिक खपत वाले विद्युत उपकरण भी इसका कारण है। सही उपकरणों का प्रयोग ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा बचा सकता है।

द. वनो को नष्ट होने से रोकना तथा अधिक मात्रा में वृक्षारोपण – मनुष्य द्वारा निर्मित 23 प्रतिशत कार्बन डाइआक्साइड वृक्षों को काटने के कारण आती है। वनों की स्थापना तथा वृक्षों का सही प्रबंधन वायु मण्डल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करने में सहायक है। बडे पैमाने पर वनों का दोबारा लगाया जाना वायु मण्डल में कार्बन डाइआक्साइड के घनत्व को बढाने से रोकने के लिए अश्वयक है। कुछ ऐसे जनशून्य क्षेत्रों को इंगित कर उनमें सधन वृक्षारोपण कर वनस्पति सन्तुलन को पुन: स्थापित किया जा सकता है।

निष्कर्ष – पर्यावरण संरक्षण एक गंभीर चुनौती है जिसे मानव को सुलझाना ही होगा, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण के प्रति लोगों के बीच जन जागरण बढाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2008 का विश्व पर्यावरण दिवस का नारा मूल वाक्य–"Kick the Habit,Towards a Low carbon Economy" जलवायु परिवर्तन पर ही आधारित था, जिसके जरिये जनमानस में इस और ध्यान खीचा गया।

यह जरूरी है कि बिजली या ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जाए उसके बिना कृषि, खनन, उद्योग व संचार परिवहन सेवाओं का विकास संभव नहीं है। मगर इस विकास का लाभ नागरिको को स्वास्थ्य प्रसन्न व समृद्ध जीवन के अवसरों के रूप में तभी मिल सकता है जब हम पर्यावरण प्रदूषण का निराकरण करें। इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्त्रोतों का विदोहन करना होगा। जीवाष्म आधारित ऊर्जा की योजनाओं के बजाय सौर ऊर्जा , पवन ऊर्जा व जल ऊर्जा के विकास पर ध्यान देना होगा व प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा संयत्रों में सुधार करना होगा। क्योंकि–

'अब तो इस तालाब का पानी बदल दो,
ये कॅवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं।'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. पर्यावरण विकास पत्रिका।
2. पर्यावरण डाइजेस्ट।
3. रोजगार निर्माण समाचार पत्र।
4. म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी–सामान्य अध्ययन।
5. गा रही धरती सारी – हरीश प्रधान अनुभति प्रकाशन, उज्जैन।
6. नए कवि – डॉ. संतोष कुमार तिवारी, भारतीय ग्रन्थ निकेतन।
7. नई दुनिया समाचार पत्र।
8. दैनिक भास्कर समाचार पत्र।

मानव संसाधन प्रबंधन–उद्यमीय आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता परिवेश

डॉ. एस. एस. जामोद *

प्रस्तावना – भारत में लगभग ढ़ाई दशक पूर्व आर्थिक उदारीकरण ने अपनी जड़ें जमा ली थी। इसके परिणाम स्वरुप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए हमारे अर्थव्यवस्था के द्वार खुले हैं, लोक उद्यमों का तेजी से निजीकरण हुआ है तथा निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में एक सम्मानजनक स्थान मिला है और प्रतिस्पर्द्धा बहुआयामी तथा गला काट हो गई हैं। अर्थव्यवस्था में आए इस बदलाव का मानव संसाधनों के प्रबन्ध पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उद्यमों का आधुनिकीकरण हो रहा हैऔर प्रबन्धकों की माँग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और उनका क्षतिपूरण (वेतन एवं सुविधाएँ) आसमान को छूने लगा है।

राजकीय हस्तक्षेप तथा श्रम संगठनों के प्रभाव में कमी होने से लोक उद्यमों और परम्परागत उद्योगों में मजदूरों की छँटनी हो रही हैं। नये उद्यमों जिन्हें सन राइज इंस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, में मानवीय शक्ति की माँग बढ़ी है, लेकिन वहाँ कुशल कार्मिकों की ही माँग दिखलाई पड़ती हैं।

मानव संसाधन प्रबन्ध का सार कर्मचारी वर्ग को एक उत्तम नेतृत्व प्रदान करने में निहित है। आज जब प्रबन्ध में एक ओर कर्मचारी सहभागिता के सिद्धान्त को व्यावहारिक रुप में प्रयोग में लाया जा रहा है और दूसरी ओर कर्मचारीगण आत्म प्रबन्ध के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं तो इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि सेविवर्गीय प्रबन्धकों का कार्य कितना कठिन हो गया है।

मानव संसाधन प्रबन्ध में बदलाव – मानव संसाधन प्रबन्ध को विद्धानों ने अलग–अलग नामों से सम्बोधित किया है। इसके अतिरिक्त गत दशकों में प्रचलित शब्दावली में काफी बदलाव हुआ है। विगत शताब्दी के तीसरे तथा चौथे दशक में 'औद्योगिक सम्बन्ध' तथा श्रम सम्बन्ध जैसे शब्दों का प्रचलन था। लेकिन चौथे दशक के बाद में उक्त शब्दावली के स्थान पर 'मानवीय सम्बन्ध' के प्रयोग पर जोर पकड़ा, लेकिन कालान्तर में यह शब्दावली भी प्रचलन से बाहर हो गई और इसका स्थान सेविवर्ग अथवा कार्मिक प्रबन्ध ने ले लिया। उक्त शब्दावली के अतिरिक्त प्रबन्ध साहित्य में मानवीय अभियन्त्रण, श्रम प्रबन्ध, सेविवर्गीय सेवाएँ, सेविवर्गीय प्रशासन, मानव शक्ति प्रबन्ध तथा कर्मचारी सम्बन्ध आदि शब्दावली का प्रयोग मिलता है।

प्रबंधकीय जटिलताएँ – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रबन्ध जगत में बहुत महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इनमें से सर्वाधिक परिवर्तन मानव संसाधन प्रबन्ध के क्षेत्र में हुए हैं। विगत दशकों में मानव संसाधन प्रबन्ध का महत्व काफी अधिक बढ़ गया है और साथ ही साथ प्रबन्ध का यह क्षेत्र पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल हो गया है। प्रबन्ध के अन्य क्षेत्रों में प्रबन्धकों को पूँजी, मशीन, कच्चा माल, सम्पत्ति जैसी निर्जीव वस्तुओं को प्रयोग में लाना होता है, जबकि मानव संसाधन प्रबन्ध में उन्हें मानवीय प्रबन्धक न केवल इस साधन का आर्थिक दृष्टि से, श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहता है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी वह इस साधन के विकास एवं समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसे कर्मचारीवर्ग की सन्तुष्टि का भी पूरा ध्यान रखना होता है। मानव संसाधन प्रबन्धक का कार्य विभिन्न कारणों यथा कर्मचारी वर्ग में शिक्षा के प्रसार, कर्मचारी संगठनों की बढ़ती हुई शक्ति, व्यवसायों के परिणाम में हो रही अभिवृद्धि, आधुनिक एवं स्वचालित यन्त्रों के प्रयोग, बढ़ती हुई बेरोजगारी, मानव संसाधन के अधिकतम सदुपयोग तथा बढ़ती हुई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आदि के कारण अधिक जटिल होता जा रहा है। स्वतंत्र समाज में विशेषकर विकासोन्मुख देशों में कर्मचारीवर्ग की आकाँक्षाएँ काफी बढ़ गई हैं। मानव संसाधन प्रबन्धक को कर्मचारी की आंकाँक्षाओं को भी ध्यान में रखना होता है। इन सब जटिलताओं के कारण मानव संसाधन प्रबन्धक को अपना काम और अधिक कार्यक्षमता एवं कुशलता से करने की आवश्यकता होती हैं।

मानव संसाधन प्रबन्ध के उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना उद्देश्य के पूर्व ज्ञान के किसी भी उपक्रम में मानव संसाधन विभाग के द्वारा प्रभावकारी योजना नहीं बनाई जा सकती। नियोजन के लिए उद्देश्यों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसी प्रकार नियन्त्रण भी बिना उद्देश्यों को स्पष्ट किये हुए लागू नहीं किये जा सकते। जब तक कमियों और असफलताओं का पता न हो, नियन्त्रण की कोई व्यवस्था सफल नहीं हो सकती।

मानव संसाधन प्रबंधन किसी प्रतिष्ठान की सबसे मूल्यवान उन आस्तियों के प्रबंधन का कौशलगत और सुसंगत दृष्टिकोण है जो वहां काम कर रहे है। व्यक्तिगत और सामूहिक रुप से व्यापार के उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान दे रहे हैं। मानव संसाधन प्रबंधन और मानव संसाधन शब्दों का स्थान मुख्यत: कार्मिक प्रबंधन शब्द ने ले लिया है, जो प्रतिष्ठान में लोगों के प्रबंधन में शामिल प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। सामान्य अर्थ में मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब लोगों को रोजगार देना, उनके संसाधनों का विकास करना, उपयोग करना, उनकी सेवाओं को काम और प्रतिष्ठान की आवश्यकता के अनुरुप बनाये रखना और बदले में मुआवजा (भरण–पोषण) देते रहना है। लेकिन पारंपरिक अभिव्यक्तियां सैद्धांतिक नियमबद्धता में बहुत कम देखने को मिलती हैं। कई बार कर्मचारी और औद्योगिक संबंध भी संदेहास्पद रुप से समानार्थक शब्द के रुप में सूचीबद्ध हो गये हैं, हालांकि इन्हें आम तौर पर प्रबंधन और कर्मचारियों के सम्बन्धों और कर्मचारियों के कंपी में व्यवहार के लिए संदर्भित किये जाते हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन में नवोन्मेशी – मानव संसाधन प्रबन्ध क्षेत्र में कार्य करने वाले नौसिखिये पेशेवरों को प्रबंधन के परंपरागत दृष्टिकोण की

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला–धार (म.प्र.) भारत

तुलना में अधिक नवोन्मेशी दृष्टिकोण के रुप में देखा जाता है। इसकी तकनीके एक उद्यम के प्रबंधकों को अपने लक्ष्यों को विशिष्टता के साथ इस प्रकार व्यक्त करने के लिए बाध्य करती हैं। वह इस प्रकार किया जाये, जिसे कर्मचारियों द्वारा समझा और अपनाया जा सके और नियत कार्यो के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए उन्हें आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके, इस तरह मानव संसाधन प्रबन्ध तकनीके जब ठीक से लागू की जाती हैं तो वे उद्यम के लक्ष्य और समग्र परिचालन कार्य प्रणालियों के प्रभावी होने की सूचक हैं। मानव संसाधन प्रबन्ध में भी कई लोग प्रतिष्ठानों में जोखिम कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष– कार्मिक एक नागरिक भी है। उसकी आकांक्षाओं में भी काफी वृद्धि हुई हैं। आकांक्षाओं ने कार्मिक की आशाओं को जगाया और उनकी आवश्यकताओं को बढ़ाया है। लेकिन जब उनकी सन्तुष्टि नहीं हो पाई तो कार्मिक अपने आप को असन्तुष्ट पाने लगा है। यह असन्तुष्टि उसके कार्य और व्यवहार दोनों में प्रकट होने लगी हैं। स्पष्ट है कि इसके कारण मानव संसाधन प्रबन्ध के क्षेत्र में अनेकानेक समस्याओं ने जन्म लिया है। समय की माँग से हो रहे परिवर्तन ने मानव संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता बढ़ेगी, प्रशिक्षण और अधिशाषी विकास का महत्व बढ़ेगा एवं क्षतिपूरण को अधिक तर्कसंगत बनाना पड़ेगा।

सन्दर्भ ग्रंथसूची :–

1. शर्मा, सुराना : मानव संसाधन प्रबन्ध, रमेश बुक डिपो, नई दिल्ली, 2005
2. मानव संसाधन प्रबन्ध, साहित्य भवन, आगरा, 2010
3. मानव संसाधन प्रबन्धन–विक्किपीडिया
4. योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
5. कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली
6. hi.wikipedia.org/wiki/

****

पर्यटन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान

डॉ. रायकू जमरा *

शोध सारांश – मुख्यत: पर्यटन अर्थशास्त्र से सबधित शब्द है जो कि एक उद्योग का द्योतक है, यह एक आर्थिक क्रिया है। अन्य आर्थिक क्रियाओं की तरह इससे मांग की उत्पत्ति होती है तथा उद्योगों के लिए बाजार प्रदान करती है। किसी भी विकासशील या अविकसित अर्थव्यवस्था को ले लीजिए मानव षक्ति का सदुपयोग करने एवं बेरोजगारी समाप्त करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करने में पर्यटन स्वयं एक समाधान है। पर्यटको की आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योगो के पनपने एवं विकसित होने से रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है।

प्रस्तावना – पर्यटन आज विश्व का एक विकसित उद्योग है। इससे वर्तमान में समाज को अनेक प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होते है। अत: आज इसके विकास के लिए प्रत्येक देश की सरकारे प्रयत्नशील है तथा नवीनतम उपलब्धियों के लिए नित्य नवीन आयामों की खोज की जा रही है। यद्यपि कहा जाता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन मात्र विगत तीन शताब्दी से ही व्यापक रूप से चल रहा है। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृध्दि हुई है। आँकडो से ज्ञात होता है कि 8.4 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से पर्यटकों की संख्या में वृध्दि होती जा रही है। आगामी पंचवर्षीय योजना में इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि आधुनिकतम सुविधाओं एवं आकण के कारण आठ प्रतिशत की वृद्धि, विश्व पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय पर्यटन में होगी।

किसी भी देश के पर्यटन आकर्षण में स्मारक, किले, महल, उद्यान, समुद्र तट आदि उस देश विदेश की अधोसंरचना में सडके, परिवहन के विविध साधन, होटल रेस्त्रां की पर्यटन सेवाएं उस देश विदेश के पर्यटन उत्पाद होते है, जिनके माध्यम से ही पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है। यदि पर्यटन को उद्योग माना जाये जो यह सब पर्यटन के माध्यम से ही मिलने वाले परिणाम है, जिनको अर्थशास्त्र की भाषा में (आर्थिक शब्दावली में) पर्यटन उत्पाद कहा जाता है।

पर्यटन के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली उक्त सभी सेवाएँ पर्यटन उत्पादन के अंतर्गत सम्मिलित होती है। इनके अंतर्गत पर्यटन को आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार के स्थल हो सकते है। प्राकृतिक पर्यटन के आकर्षण तो पर्वतारोहण के स्थान, समुद्र तट, झील, झरने, गुफा, पर्वत, श्रृंखला और राष्ट्रीय उद्यान आदि हो सकते है। पर कृत्रित आकर्षणो में कोई ऐतिहासिक, धार्मिक स्मारक, महल, किले, मजार, आश्रम या कोई अन्य मौज मस्ती के स्थान इसके उदाहरण हो सकते है।

इनमें मुंबई का एसेल वर्ल्ड, दिल्ली का अप्पु घर प्रमुख है। इस तरह जो भी स्थान पर्यटक/सैलानियों को आकर्षित कर जाए तथा उसकी मानवीय प्रवृत्ति, जिज्ञासा एवं इच्छा को संतुष्ट कर दे, वही पर्यटन आकर्षण है और वह पर्यटन उत्पाद की श्रेणी में आ जाता है।

आज विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। भारत में केन्द्रिय तथा प्राय: सभी राज्य सरकारों ने पर्यटन को उद्योग मान लिया है और अन्य उद्योगों की तरह इसकी व्यवस्था और विकास के लिए ये प्रयत्नशील है। पर क्या यह वैसा ही उद्योग है जैसे और उद्योग किसी देश में होते है, यदि उन उद्योगों से भिन्न है तो इस उद्योग की विशेषताएँ क्या है? साथ ही इसका भविष्य क्या है ? और इसको किस प्रकार हम और विकसित कर सकते है? आदि अनेक प्रकार सहसा मन में उठ खडे होते है।

सामान्यत: किसी वस्तु के उद्योग के लिए एक योजना तैयार होती है। वातावरण परिस्थिति, कच्चे माल की उपलब्धि, यातायात की सुविधा, बाजार आदि व्यापक क्षेत्र के आधार पर उद्योग प्रारंभ होता है। उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते है। इसमें काम करने के लिये बाहर से श्रमिक बुलाए जाते है तथा उत्पादन को बाहर के बाजारो में पहुँचाया और बेचा जाता है। इससे प्राप्त आय से उद्योग में लगे लोगों को वेतन, बोनस आदि दिया जाता है। बचा पैसा टेक्स आदि देने के बाद लाभांश होता है, जिसे उद्योगपति अपने पास रख लेते है अथवा पुन: उसे उद्योग में लगाकर उसको बढाते है।

अब पर्यटन उद्योग की ओर मुडे तो इसमें किसी उद्योगपति की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सरकारी प्रेरणा रहती है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इकाई को मात्र उसके साथ जोडता है जो मूलत: उस व्यक्ति का होता है। पर अंतत: उसे प्रत्यक्षत: या परोक्षत: पर्यटन उद्योग की कडी माना जा सकता है। इसमें कच्चा माल वहाँ का स्थानीय होता है। कहीं बाहर से उसे लाया नहीं जा सकता, क्योंकि चाहे स्मारक हो या लोक जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य हो या लोक कला, सब स्थानीय ही होते है। वातावरण में अनुकूलता–प्रतिकूलता कार प्रश्न ही नहीं उठता। विषम परिस्थिति एवं वातावरण भी पर्यटक के अनुकूल ही रहता है। परिस्थितियाँ मात्र अल्पकालिक और बहुत कम प्रभाव कारक होती है। उग्रवाद की विभीषिका के बावजूद पर्यटकों के दल कश्मीर पहुँचते है। इसके लिए न अलग क्षेत्र खोजना होता है, न उसकी सीमा का विस्तार करना होता है। जिस क्षेत्र में पर्यटन संपदा रहती है , उसको न हटाया जा सकता है और न ही फैलाया जा सकता है।

इसीलिए इसे पर्यटन क्षेत्र न कहकर पर्यटन स्थल कहते है। यहाँ बाहर से श्रमिक बुलाएं नहीं जाते, बल्कि स्वयं वही के स्थानीय लोग स्वरोजगार की योजना बनाकर कार्य करने लगते है। इससे होने वाली आय न उद्योगपति के हाथो में जाती है न उसका वितरण होता है। यहां लोग स्वयं अपने श्रम से अपनी रोजी रोटी कमाते है। इसके द्वारा कर, लाभ, विदेशी व्यापार और निर्यात की मांग बढ़ती है। साथ ही अनेक साधनों से जो प्राय: अप्रत्यक्ष होते है सरकारों को अच्छी आमदनी हो जाती है। यहां सरकारे भी अपने संस्थान

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

जैसे–सरायें, आवास, निवास, होटल, धर्मशालाएं आदि खोलती है और अच्छी आय प्राप्त करती है।

सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष स्त्रोत को मिलाकर सरकार को इससे इतनी आय प्राप्त होती है, जितनी किसी भी दूसरे स्त्रोत से नहीं होती तथा इसमें व्यय लगभग नगण्य होता है। इसकी आय का उपयोग उस स्थान के विकास के लिए किया जाता है, जिससे राष्ट्र का गौरव तो बढ़ता ही है, साथ ही स्थानीय जनता का जीवन स्तर भी बढता है,जिससे देश को विकासशील देशों की श्रेणी में पहुँचाया जा सकता है। इसकी चकाचौंध उस देश की सुषुप्त प्रवृत्तियों को उजागर करके उसके द्धारा धनारोहन का मार्ग प्रशस्त करती है इस प्रकार यह एक विकसित उद्योग है जिसे और विकसित करने के लिए सरकारे इसको बढ़ावा देती जा रही है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त आधार पर पर्यटन एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुकी है पर सामान्य उद्योगों की श्रेणी से अनेक दृष्टियों से भिन्न है। इसकी अपनी अलग विशेषताएं है तो अन्य उद्योगों की अपेक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उद्यमी को कोई बाजार नहीं खोजना पडता है न ग्राहक को सामान बेचना होता है। इसमें ग्राहक स्वयं आकर बिना क्षति पहुंचाये बडी मात्रा में कीमत चुकाकर यादें लेकर लौट जाता है। वह स्वयं इसका प्रचार करता है और देश को रोजगार, विदेशी, बाजार देकर राष्ट्रीय आय में वृध्दि करता है, जिससे यह उद्योग नए उद्योगों को अपने से जोड़ता हुआ राष्ट्र का आर्थिक विकास कर अर्जित आय का पूनर्वितरण करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश संदेश, वर्ष 87 अंक 10–11,जून 1991
2. विपिन, कुमार, विकासोन्मुख भारतीय पर्यटन उद्योग (पत्रिका), योजना, नईदिल्ली अंक 16, 31 मार्च 1991।
3. देश पाण्डे, अरूणा (2005) Indian A Travel Guide, Crest Publication House, New, Delhi.
4. सेलवाम, डी.एम (1989) Tourism Industry in India, Himalaya Publication House, Delhi.
5. उपाध्याय, भगवत शरण (1981) बृहतर भारत, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली।
6. शर्मा, विवेक (1996)Arihant Publication, Jaipur

****

Globalization And Its Impact On India Agriculture

Dr. Pavan Kumar Srivastava * Nisar Ahmad Wani ** Ajaz Ahmad Dass ***

Abstract - Globalization has become a hot topic of discussion in the national and international economic and political arena. Globalization has assumed great importance in the recent changes in global business environment. Now business has global orientation and whole world has become just like a global village. As a result of globalization in India, the process of dismantling trade barriers started since 1991 and every year government has been announcing reduction in trade barriers. Globalization of agriculture mainly implies the exposure of Indian agriculture in international market forces through free exports and imports of agricultural commodities. India's agricultural economy is undergoing structural changes. Between 1970 and 2011, the GDP share of agriculture has fallen from 43% to 16%.

Introduction - Since the 19th century world trade has expanded rapidly. The world trade organization (WTO) established in January 1995, deals with many vital areas of economic activity and incorporates enforceable rules and disciplines on its member countries. India was a founding member of the General Agreements on Tariffs and trade (GATT) and is an original member of the WTO. India embarked upon an economic and trade liberalization policy. Since 1991 and has been bringing in recent years, its tariffs gradually to improve competitiveness, as well as in response to the tariff reduction commitments undertaken in the WTO.

At the threshold of the new millennium, globalization is now widely accepted as development through technological change and integration of their world countries with the developed countries for global prosperity. Rapid developments in information and communication technologies will accelerate the pace of knowledge based growth but will unify markets and people cutting across barriers of space and time.

No doubt India is an agricultural economy more than half of its population depends on agriculture and it contributes a considerable share in its national income and employment. Our country is facing an acute problem of low rate of capital formation. In such a critical circumstance, foreign direct investment should be welcomed for technical change in agricultural sector for absorption of limitless supply of labor and eradication of poverty.

Globalization of agriculture mainly implies the exposure of Indian Agriculture in international market forces through free exports and imports of agricultural commodities. However, the immediate impact of rise in agricultural exports will be an increase in the prices of agricultural commodities in the national market. But we have to be very cautious while recommending such a step for some other productivity's allied to agriculture.

Objectives of the study -

1. The main object of this research is to examine the economic effects of Globalization on Indian agriculture.
2. To review the agricultural share in india's GDP after globalization.
3. To study the future prospects of agricultural products, exports and imports.

The literature review - A review of the literature is an essential part of academic research. The review is a careful examination of a body of literature pointing toward the answer to research question.

Nobel Laureate Stiglitz wrote - Trade liberalization opening up markets to the free flow of goods and services was supposed to lead to growth. The evidence is at best mixed. Part of the reason that international trade agreements have been so unsuccessful in promoting growth in poor countries is that they were often unbalanced. The advanced industrial countries were allowed to levy tariffs on goods produced by developing countries that were, on average, four times higher that those on goods produced by other advanced industrial countries.

Dr. M. V. Louis Anthuvan, Justice V. R. Krishna Iyer pointed out pithily: The New World Order is the product of what is now familiarly described as globalization, liberalization and privatization. The weaker sectors like the Asian and African countries are victims, whose economic welfare is slavery, at the disposal of the White world. When World War II came to a close, commercial conquest and trade triumph became the major goal of the United States and the other giant trade powers. Indeed, these mighty countries and companies even made world hunger as Big Business. The poorer countries

* Asst. Prof. (Economics) Govt. P.G. College, Shivpuri (M.P.) INDIA
** Research Scholar, Jivaji University, Gwaliar (M.P.) INDIA
*** Research Scholar, Jivaji University, Gwaliar (M.P.) INDIA

with natural resources have been made banana republics and cucumber vassals.

The Human Development Report 2006 recorded: Globalization has given rise to a protracted debate over the precise direction of trends in global income distribution. What is sometimes lost sight of is the sheer depth of inequality and the associated potential for greater equity to accelerate poverty reduction. Measured in the 2000 purchasing power parity (PPP) terms, the gap between the incomes of the poorest 20 per cent of the worlds population and the $ 1 a day poverty line amounts to about $ 300 billion. That figure appears large, but it is less than two per cent of the income of the worlds wealthiest 10 per cent.

Methodology - The methodological frame work of the proposed study is broadly based on the secondary source of data. To study the impact of Globalisation on Indian agricultural sector some theoretical background is also taken in to account .

Crises of Indian Agriculture - A decade after the inception of economic liberation, instead of experiencing an unprecedented boom in growth, the agricultural sector in India is facing some serious crises. During the period of first generation of reform there has been a steady deceleration in the rate of growth of agricultural output as compared with the same achieved during the decade immediately before the reforms. In fact, the growth rates of food and non food crops have been fallen remarkably from 3.54 and 4.84 percent per annum during the period from 1980-81 to 1989-90 to 1.66 and 2.36 percent per annum during the eight year period of reforms, i.e., from 1990-91 to 1997-98.

All India yield indices of major crops i.e. rice and wheat recorded annual growth rate of about 2.77 and 3.73 percent respectively during 1970-71 to 1990-91, whereas, these respective growth rates are just 1.27 and 1.85 percent during 1990-91 to 1995-96. Firstly, the growth rate of agriculture both in terms of gross product and in terms of output has visibly decelerated during the nineties. Secondly, in some of the poor rain fed states of India, the diversification of the cropping pattern from coarse cereal oil seed crops has slowed down considerably during the recent years. Thirdly, after liberalization and devaluation the initial spurt of agriculture has now almost come to a halt. Lastly, with the new policy paradigm, there appears to be back tracking on institutional issues like land reforms, ceiling on holdings and on security of land tenure.

Agricultural growth rate in India - GDP has been growing earlier but in the last few years, it is constantly declining. Still the growth rate of agriculture in India GDP in the share of the countries GDP remains the biggest economic sector in the country. The country has the GDP of around U.S $ 1.09 trillion in 2007 and this makes the Indian economy the twelfth biggest in the whole world.

The growth of Indian GDP was 9.4% in 2006-07. the agriculture sector has always been an important contributor for the India's GDP. This is due to the fact that country is mainly based on the agriculture sector and employs around 53% of the total work force in India. The agricultural sector contributed around 18.6% to India's GDP in 2005. as of 2011 India had a large and diverse agriculture sector accounting on average for about 16% of GDP and 10% of export earnings. India's arable land area of 159.7 million hectares is the 2nd largest in the world after the United States. Its gross irrigated crop area of 82.6 million hectares is the largest in the world. India has grown to become among the top three global producers of a broad range of crops including rice, wheat, pulses, cotton, peanuts, fruits and vegetables. World wide, as of 2011, India has the largest herds of buffalo and cattle, is the largest producer of milk and has one of the largest and fastest growing poultry industries.

India's agricultural economy is undergoing structural changes. The share of agriculture and allied sectors in India's GDP has declined to 13.9 per cent in 2012-13 due to shift from traditional agrarian economy to industry and service sectors, "As per latest estimates released by Central Statistics Office (CSO) the share of agricultural products / Agriculture and Allied Sectors in Gross Domestic Product (GDP) of the country was 29.5 per cent in 1990-91, which has now come down to 13.9 per cent in 2012-13 at 2004-05 prices.

GDP from agriculture & allied sector & its %age share to total GDP(1990-91 to 2013-14) **(Table see the next Page)**

Conclusion -The above analysis leads to following conclusion and policy implications:

First keeping in view the deceleration of growth rate in agriculture during nineties there exists a strong case for increasing investment in rural infrastructure. It is very essential to accord very high priority to public sector investment in agriculture. As per latest survey conducted by CSO, share of agriculture and allied sectors in India's GDP has declined to 13.9 per cent in 2012-13.

Second, India being founder member of the WTO is bound to undertake further economic reforms in agriculture. These should include removal of barriers to internal trade in agricultural commodities, abolition of zonal restrictions and compulsory procurement, opening future markets and protecting patent rights etc. But India should do hard bargaining on the issue of market access and removal of subsidies by the developed countries.

Finally since reforms in agricultural sector are likely to pen up export possibilities, there is need to design a pro-active policy to cherish exports and involve the small and marginal farmers in increasing productivity and deriving benefits from increased agricultural exports.

References:-

1. Bhalla,A.S.(1999);"The impact of globalization on China and India" in fifty years of development economics, edited by A.Vasudevan, D.M. Nachane, A.V. kamik; publishing house, New Delhi.
2. Government of India (1999); Ninth five year plan 1997-2002,India(volume-I),Development Goals, Strategy and policies, planning commission, New Delhi.
3. RBI, Annual report, September 2000.

4. Globalisation and Poverty: Centre for International Economics, Australia.
5. Globalisation Trend and Issues T.K.Velayudham,
6. Globalization of Indian economy by Era Sezhiyan
7. Sangwan, S.S (1998);"Emerging issues of Indian Peasantry" Yojana, October, Vol. 42.No.10.P.31.
8. Ahluwalia, M.S(1978)"Rural poverty and Agricultural performance in India". Journal of development Studies, Vol. 14, no. 3(April),PP 298-323.
9. Census report 2011.
10. Central Statistics Office (CSO) india (2013).

GDP from agriculture & allied sector & its %age share to total GDP(1990-91 to 2013-14)

Rs. In crores

Year	GDP from agriculture & allied sector.		% share of agriculture & allied sector to total GDP.		Growth rate of GDP agri. & allied sector.	
	At current prices	At constant 2004-05 prices	At current prices	At constant 2004-05 prices	At current prices	At constant 2004-05 prices
1990-91	154350	397971	29.02	29.53	16.70	4.02
2000-01	460608	522755	23.12	22.31	1.17	-0.01
2010-11	1319686	717814	18.21	14.59	21.80	8.60
2011-12	1499098	753832	17.86	14.37	13.60	5.02
2012-13	1644926	764510	17.52	13.95	9.73	1.42
2013-14(RE)	1906348	800548	18.20	13.94	15.89	4.71

RE: Revised estimates

Source: CSO ;Advance Estimates date 12 july 2014

****

Overview Of India's Foreign Direct Investment Policy Measures

Dr. Rajeev Sharma * Dr. R.P. Saharia **

Introduction - At the end of British colonial rule, India inherited severe structural, economic inadequacies resulting in nearly stalled industrial development. Therefore, following independence policy makers regarded industrialisation as the engine of sustained growth for the rest of the economy, which could facilitate India's move towards economic self-sufficiency and provide enough jobs to reduce the existent poverty. Consequently a comprehensive economic development strategy was pioneered which aimed at self-reliant industrialisation under centralised investment planning. However, this policy regime changed its element in the wake of liberalisation and deregulation of the economy in the early 1990s, which affected the performance of the industrial sector in a positive fashion.

Foreign Direct Investment Policy March 31, 2010 - The Government of India released the new document on FDI policy on march 31st, 2010,which now consolidates all existing regulations related to FDI contained in the Foreign Exchange Management Act (FEMA), RBI circulars and various press notes issued at various points in time.100 percent FDI is permitted under the automatic route in most of the sectors while there are sectoral caps in the case of Banking (74 percent) Insurance (26 percent), Telecom (49 percent), Aviation (74 percent) and single brand retail (51 percent) etc . In certain sectors like Atomic Energy, Lottery, Gambling and Betting, Multi Brand Retail, Nidhi company act, FDI is not permitted.

The Government is looking to allow FDI in media and also looking to amend the press and Registration of books Act 1867 to facilitate the entry of foreign newspapers or Indian editions of foreign newspapers being printed. The present FDI limit is 26 percent under Government approval. Currently, 100 percent FDI is allowed in facsimile publication of foreign newspapers by an entity incorporated or registered in India. FDI in multi-brand retail is another sector where FDI is currently not permitted though the Government says that the current retail infrastructure including the backend (from the farm to the store) needs to be strengthened. The entry of large Indian retail chains has in general been positive allowing farmers to get better price for their produce and giving multiple choices to the end user. Banking and insurance sectors could also do with a hike in the FDI limits while this is being monitored after the global meltdown where some of the largest banks and financial institutions went bust.

Recent Foreign Direct Investment Policy 2014 - The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Government of India has unveiled the much awaited policy on Foreign Direct Investment on 17.o4.2014(Consolidated FDI policy). This policy supersedes all earlier policies, circulars, press notes issued on FDI by DIPP and will remain in force until superseded. The key changes brought by new FID policy **are as follow**: Foreign investments provide a great stimulus for growth to the Indian economy. The continuous inflow of foreign direct investments (FDI), which is now allowed across several industries, manifests the faith that foreign investors have in the country's economy.

The Government of India's policy regime and a healthy business environment have also ensured that foreign capital keep flowing into the country. The government has taken numerous initiatives in recent years. For instance ,in 2013, the centre relaxed FDI norms in sectors such as defense , PUS oil refineries, telecom, power exchanges and stock exchanges, among others. The same year, established global players such as Tesco and Singapore Airlines lined up to invest in India as the government opened more sectors to overseas investment.

New Changes Vide Consoldated Fdi Policy 2014 :

FDI in pharmaceutical Sector - An existing Indian entity operating in pharmaceutical sector receiving investment in the form of FDI requires approval from the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). The FDI policy prohibits non – compete clauses except in special circumstances with the approval of FIPB. The consolidated FDI policy stipulates new requirement of submission of a certificate by the prospective investee along with the FIPB, providing therein a complete list all agreements entered into between the foreign investor and investee brownfield pharmaceutical entity.

FDI Defense Sector - The DIPP on 22nd August, 2013 vide press note had prescribed that proposals for FDI in defense sector above the limit of 26% can be considered by Cabinet committee on Security (CCS) on a case to case basis,

* H.O.D (History) Govt. J.M.P. College, Takhatpur, Bilaspur (C.G.) INDIA
** H.O.D (Economics) Govt. J.M.P. College, Takhatpur, Bilaspur (C.G.) INDIA

wherever it is likely to result in access to modern and 'state of art' technology in the country and had also restricted Foreign Portfolio Investors (FPI) and Foreigen Institunitional Investors (FII) to invest in entities operating in defense Sector under portfolio investment scheme. The Consolidated FDI policy has also come out with the condition that the Indian entities engaged in defense sector having stake of FDI/FII through portfolio investment as on 22nd August, 2013 are required to keep such investment capped to the limit of 26% and no further investment would to be made by them.

FDI in Agriculture and Animal Husbandry - As per the Consolidated FDI policy, 100 % FDI is allowed in animal husbandry, pisciculture and aquaculture under automatic Route, under controlled conditions. For Animal Husbandry, controlled conditions covers following :

Rearing of animals under intensive farming systems with stall-feeding will require climate systems(ventilation, temperature/humidity management), health care and nutrition, herd registering/ pedigree recording, use of machinery and waste management systems. All the above controlled conditions are now clarified to be as per the prescribed terms under the National Livestock Policy, 2013 and shall also be in conformity with the existing 'Standard operating practices and minimum standard protocol'.

FDI in Telecom Services

The DIPP vide press note No. 6 of 2 013 series, dated 22nd , August,2013 , has enlarged the scope of telecom at services and stipulated the conditions subject to which FDI is allowed in this sector up to 49% under automatic route and beyond 49% under government route subject to observance of licensing and security conditions by licensee as well as investors as notified by the Department of Telecommunications from time to time.

The consolided FDI policy specifically provides that FDI in service providers other than those specified in the policy under Telecom services, is allowed up to 100% under automatic Route.

Facing a grime economic situation, Prime Minlister Narendra Modi's government is on an overdrive. Shortly after deciding to allow 100 percent Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector, government sources said that FDI policy was likely to be cleared in the Railways, infrastructure and Construction too.The sources said the Government was considering major policy decisions which were likely to be announced in the Budget.

The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) under the commerce and Industry Ministry has circulated a draft cabinet note on the matter for inter-ministerial consultation. The Government has notified new foreign direct investment norms for the **Railways** allowing **100 percent** foreign investments through the automatic route in a number of areas such as high speed train systems, suburban corridors, high speed tracks and freight lines connecting ports and mines.

According to a press note issued by the Department of Industrial Policy & Promotion, proposals involving FDI beyond 49 percent in sensitive areas will be placed before the cabinet Committee on security for approval. The Railway Ministry would do so on a case-to-case basis.

The new government said in the budget that, '' The department is looking at all the areas in railways where FDI can be permitted. It will help in growth of railways. Railway is a critical sector for driving India's economic growth and it has the potential to rise GDP by over one per cent'' .Beside high-speed train systems and dedicated freight lines, there is also a proposal to allow foreign investment in sub-urban corridors and freight lines connecting ports, mines and power installations.

According to sources, an urgent need was felt to modernise, strengthen and expand the Indian railway network which would require very large capital investments.

These include suburban corridor projects through the public private partnership (PPP) route, high-speed train system rolling stock including trains sets, coaches manufacturing and maintenance facilities, railway electrification , signalling systems, freight terminals, passenger terminals and infrastructure in industrial parks like railway line and sidings.

However, **existing passenger and freight network operations will not be opened to foreign investors.** At present, there is a complete ban on any kind of FDI in the railway sector except mass rapid transport systems. However, FDI will not be allowed in train operations and safety.

Further, in **construction development project,** the the department has proposed easy conditions for exit for developers before the three-year lock-in period and a change in the current requirement of having a minimum build-up area of 50,000sq meters to 20,000 sq meter of carpet area

It had also suggest a uniform minimum capitalization of $5 million for both wholly-owend subsidiaries (WOS) and joint venture with indian partner. At present, the capitalization requirement for WOS is $10 million. The proposels are aimed at attracting more FDI to boost investment and economic growth.

Government initiative - The Reserve bank of india (RBI) has allowed overseas investor including foreign portfolio investors (FPLs) and non resident Indians (NRIs) to invest up to 26 Percent insurance and related activities via the automatic route. ''Effective from February 4,2014 Foreign investment by way of FDI, investment by foreign institutional investors (FIIs) /FPIs and NRIs up to 26 percent under automatic route shall be permitted in insurance sector'', as per the RBI.

The RBI has allowed a number of foreign investors to invest , on repatriation basis, in non-convertible /redeemable preference shares or debentures which are issued by Indian companies and are listed on established stock exchanges in the country. The investment will be within the overall limit of US$ 51 billion allocated for corporate debt. Long-term investors who are registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI) will also be deemed as eligible investors.

In an effort to bring in more investments into debt and equity markets, the RBI has established a framework for investments which allows FPIs to take part in open offers, buyback of Securities and disinvestment of shares by the Central or State governments. Under a new scheme named 'Foreign portfolio investment', the RBI said portfolio investors , which include FIIs and qualified foreign investors (QFIs) registered as per SEBI guidelines, will be called registered Foreign Portfolio investors(RFPIs).

Road Ahead - Foreign investment inflows are anticipated to more than double and beach the US$60 billion mark in FY 15 as foreign investors show more confidence in India's new government, as per an industry study. ''Riding on huge expectation from the incoming Modi government, global investors are gung ho on the Indian economy which is expected to witness over 100 percent increase in foreign investment inflows –both FDI and FIIs- to above US$ 60 billion in the current financial year, as against US$29 billion during 2013-14''as per the study.

The new government's focus on boosting FDI into the economy has started gathering steam. The Modi government has a new agenda which aims specifically at roadshows and interactions globally to increase foreign investment. Prime Minister Narendra Modi embarked on a landmark five-day visit to Japan on August 30,2014. Modi had expectations from Japan that it could fulfil his dream of improving infrastructure, create, jobs, encourage innovation and boost economy. Expanding economic and business co-operation therefore was the key component of his agenda in Tokyo. Delhi and Tokyo explored and deliberated on doubling current Japanese FDI into India during the next five years. This is directly proportional to number of Japanese companies in India (currently numbering 1072) doubling in next five years. Figures from Maharashtra and Gujarat show that Japanese companies interested in India keep climbing, year-on-year. But FDI inflows have sagged. From a peak of $2 billion in 2011-12, Japan's FDI into India, according to the Reserve Bank of India(RBI) slipped to $1.3 billion in 2012-13. Modi and Japanese counterpart Shinzo Abe are aiming high to double FDI inflows into India from Japan over next five years across existing and new sectors (IT& hydrocarbon).

The Japanese Prime Minister Shinzo Abe has pledged to invest 3.5 billion yen or $33.5 billion in India in the next five years. This will be in both public and private projects in areas like the Ganga clean-up project, setting up of transport systems, manufacturing and infrastructure projects, clean energy and so on. This could mean Japanese investment in India could go up to $3 billion per year, according to media reports. So far, Japan has invested about $100billion in projects like the Delhi - Mumbai Industrial Corridor and the Bangalore-Chennai Economic Corridor.

An important element in India-Japan Joint statement following Modi-Abe Summit on September 1st , 2014 was the expression of Japan's interest to fund High Speed Railway in India. Japan faces competition in this Sector from China who has also shown keen interest for building this. Narendra Modi has been promising bullet trains since his election campaign days. The Japanese Prime Minister has offered to support the bullet train project by providing technology, financing and operational support. This means India could tap into the Shinkansen technology of high-speed railway system touted one of the best in the world.

Modi's main focus is on how quickly he can uplift the economy to achieving a growth rate of 8 percent every year. At the moment , his political instincts, interests and needs converge with the country's hunger for higher economic growth. Modi will move ahead with whatever makes the economy and—eventually him—stronger. For his economic plan to succeed, he needs investment and technology from China, the United States, Japan, Germany and South Korea amongst many countries. He wants to boost infrastructure through the foreign Direct Investment route. China has to make a crucial increase in its FDI to make the September 17-18 visit a great success.

Chinese president Xi jinping has brings $100 billion or Rs 6 Lakh crore of investment commitments over five year. This is nearly thrice the $35 billion secured by Prime Minister Narendra Modi his Japan trip. These will be made in setting up of industrial parks, modernization of railways, highways. Ports, power generation, distribution and transmission, automobiles, manufacturing, food processing and textile industries''.

For India to really move beyond the current 1.6 percent shear in world trade, a combination of capacity building and integrated outreach will be required. Narendra Modi's personal political capital invested in this effort visible in the first 100 days in office is likely to expedite India's global economic engagement.

Prime Minister Narendra Modi has big pitch for investment in manufacturing while launching ''MAKE IN INDIA CAMPAIGN" on September 26, 2014 . Now the country offers 3D advantage –democracy, Demography and demand. Modi has coined a new catch phrase-FDI or First Develop India asking the captains of Indian Industry to make in India assuring them that their money will be safe. He championed the cause of turning India into a manufacturing hub. He set a goal of elevating India's ranking in global 'ease of doing business' by 85 rungs. Modi emphasised the need to 'Look West' rather than 'Look East'.

India Inc promised support to the government's 'Make India' initiative but sought better governance removal of infra-structural bottle necks, stable tax regime and less restrictive labour laws to help the country emerge as a manufacturing hub. The government promised a ''red carpet'' and more reforms to spur manufacturing. On this occasion Mr. Modi launched a 'Make in India ' logo calling it a big step of a lion. Sensing India's Make in India' posture might hit china's market, China also launched a 'Made in China' Plan to strengthen its manufacturing sector.

Conculusion - In India, the role of FDI plays a special significance after liberalisation of the economy. On analysing

the pattern of FDI inflows, it has been subjected to a mixed pattern of increasing and decreasing trend over the period. . Therefore, there is an urgent need to adopt innovative policies and good corporate governance practices on par with international standards, by the Government of India, to attract more and more foreign capital in various sectors of the economy to make India a developed economy.

The policy makers and the government have to take steps to invite greater FDI inflows into India in future to compete with other developing countries. At the same time, the policies should protect and promote the development of the domestic industries.

References :-

1. Department of Industrial Policy and promotion, Government of India, Ministry of commerce & Industry, recent issue.
2. Gopinath , S. (2007) & Nayyar, D. (2008), '' The Internationalisation of Firms from India; Investment , Mergers & Acquisition'', Oxford Development Studies, PP: 11-31.
3. Kojima, K. (1975), ''International Trade and Foreign Direct Investment: Substitutes or Complements'', Hitotsubashi Journal of Economics,16, PP:1-12.
4. Ansari, Mohd. Shamim & Ranga Mukesh, (2010), ''India's Foreign Direct Investment : Current Status, Issues & policy Recommendation,'' Journal of Economics, PP: 1-16.
5. Ansari, Mohd. Shamim & Ranga Mukesh, (2010), ''India's Foreign Direct Investment : Current Status, Issues & policy Recommendation ,''UTMS Journal of Economics,Vol.1, No.2, PP:1-16.
6. Arrow, Kenneth, (1962), ''The Economic Implications of Learning by Doing. Review of Economic Studies, PP: 155-173.
7. Cushman, D.O. (1985), Real Exchange Rate Risk, Expectations and the Level of Direct Investment'', Review of Economics and Statistics, 67 (2), PP: 297-308.
8. Topalova ,(2004), ''Trade Liberalisation &Firm Productivity: The case of India'',IMF working paper WP/04/28,IMF.

****

ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या के पलायन के कारण - एक अध्ययन

डॉ. आर.एस. मण्डलोई *

शोध सारांश – बहुत पुराना तर्क है कि– **'भारत गांवों में बसता है'** औद्योगिकीकरण एवं उदारीकरण के प्रांरभ तक यह बात सच हुआ करती थी किन्तु आज गांवों का आकार छोटा एवं सिमटते खेतो को देखकर यह सच्चाई एक जुमले तक सीमित रह गयी है। देश की ग्रामीण जनसंख्या निरंतर घट रही है जिसका प्रमुण कारण ग्रामीणों द्वारा शहरों की और पलायन करना है। आज देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए गांवों में बुनियादी विकास की महती आवश्यकता है। गांवों में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी दूर कर असंख्य रोजगार का सृजन करना तथा गांवों में शहरों जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी। गांवों में आधारभूत सुविधाओं का और विकास करना होगा। शिक्षा की अलख हर जगह जगानी होगी, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को भ्रष्टाचार मुक्त कर क्रियान्वयन कर ग्रामीणजनों को रोजगार, मजदूरी, व्यवसाय प्रदान कर पलायन को रोका जा सकता है।

शब्द कुंजी – पलायन, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना – भारत के विकास की खूशबू गांवों से निकलती है। अत: भारत के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को महकाना होगा। भारत की एक चौथाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे में विकास की खुशबू का आनंद ग्रामीण क्षेत्रों से ही प्राप्त होगी। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र अंग्रेजी शासन के पूर्व बहुत मजबूत एवं सशक्त था। उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में थी। किन्तु अंग्रेजों द्वारा इस सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया और एक ऐसे हासिये पर खड़ा कर दिया कि वे न तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर अपनी स्थिति में सुधार कर सकते और न ही शहरों में जाकर। ग्रामीण लोगों का हाल दयनीय हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नियोजित विकास के मॉडलों से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया और ग्रामीण विकास के कई कार्यक्रमों को क्रियान्वित किये जा रहे है।

भारत में 1950 से वर्तमान तक ग्रामीण विकास की अनेकों योजनाएँ तथा कार्यक्रम लागू कर क्रियान्वित की गई किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत कमजोर बनी हुई है। लोगों का रहन सहन का स्तर निम्न है। क्रयशक्ति का अभाव है। विकास को प्रभावित करने वाले सभी तत्व आज भी वहां मौजूद है। ऐसी स्थिति मे ग्रामीण जन इस मंहगाई के युग में सम्मानजनक जीवनयापन करने के लिए गांवों को छोड़कर शहरों में जाकर व्यवसाय/मजदूरी आदि करके जीवनयापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

हमारे देश में गांवों से नगरों की और पलायन की प्रकृति अधिक है। इसका प्रमुख कारण है कि गांवों में आधारभूत सुविधाओं एवं उद्योग धंधों का अभाव होना है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि एवं कृषि भूमि की कमी तथा छिपी बेरोजगारी के कारण वर्ष भर में 9-10 माह व्यक्ति रीते रहने के कारण गांवों से शहरों की और रोजगार की तलाश में पलायन करते है। दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि शहरों की चमक-दमक एवं अच्छी शिक्षा व्यवस्था के कारण भी ग्रामीण लोग शहरों में प्रवास कर रहे है।

भारत सरकार के जनगणना विभाग के अनुसार देश में वर्ष 1991 से 2001 के बीच करोड़ों जनसंख्या ने गांवों से शहरों की ओर पलायन किया है। 1991 से 2001 के बीच 30 करोड़ 90 हजार लोगों ने अपना घर छोड़ा है।

पलायन से आशय है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना। ग्रामीणों का शहरों की और पलायन रोकने के लिए उन्हें गांवों में ही रोजगार मुहैया कराने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हे। भारत में ग्रामीण विकास की योजनाओं से पलायन रोका जा सकता है किन्तु कई योजनाएँ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। इसी के संदर्भ में स्व. राजीव गांधी ने कहा था कि हमारी योजनाओं का केवल 15 प्रतिशत पैसा ही आम आदमी तक पहुंच पाता है। शेष पैसा 75 प्रतिशत भ्रष्टाचारियों द्वारा हड़प ली जाती है। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा मनरेगा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की है। जिससे उम्मीद है कि ग्रामीण जनसंख्या शहर से पुन: गांवों की और आयेंगी। पूर्व राष्ट्रपति अब्दूल कलाम कहते थे कि – **शहरों को गावों में ले जाकर ही ग्रामीण पलायन को रोका जा सकता है।** अत: ग्रामों में शहरों जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी। आधारभूत सुविधाऐं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी आदि की उचित व्यवस्था करनी होगी।

अध्ययन के उद्धेश्य –

1. ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की और पलायन करने के प्रमुख कारणों का पता लगाना।
2. जनसंख्या के पलायन से शहरों की स्थिति का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
4. ग्रामीणक्षेत्रों की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करना।
5. जनसंख्या के पलायन करने के समय का पता लगाना।

परिकल्पनाएँ –

1. आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीण जनसंख्या शहरों की और पलायन कर रही है।
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीण लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है।

अध्ययन की विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीय समंकों पर आधारित है। अध्ययन सामग्री का संकलन संदर्भ पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, कार्यालयीन आंकड़े आदि द्वारा किया गया है।

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

भारत में जनंसख्या पलायन की स्थिति – भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1991 से 2001 के बीच 30 करोड़ 90 हजार लोगों ने रोजगार एवं रोटी की तलाश में घर छोड़ा है। यह आंकड़ा जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत बैठता है। वर्ष 1991 की तुलना में 2001 में 37 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है।

स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात 1951 में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात 83 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत था जो 2001 में 74 एवं 26 प्रतिशत हो गया तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 68.84 एवं 31.16 हो गया है।

इन आंकड़ों के देखने पर स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है। पलायन की स्थिति बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश में ज्यादा दयनीय है। यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या रोजी रोटी की तलाश में अन्य राज्यों में पलयान कर रही है। मध्यप्रदेश की ही 42 प्रतिशत जनसंख्या कार्य की तलाश में गुजरात राज्य में पलायन हो जाते है। बिहार और उ.प्र. की जनसंख्या पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र में पलयान कर रहे हैं।

इस प्रकार वर्तमान में भारत में गांवों की जनसंख्या का शहरों की और पलायन करने के कारण गांव उजड़ते नजर आ रहे है। ग्रामीण परिवेश, संस्कृति, धीरे–धीरे कम होकर समाप्त होने के कगार पर है। हर ग्रामीण व्यक्ति शहरो व महानगरो की और भागने को मजबूर होता जा रहा हे। उसे एहसास हो रहा है कि गांव में रहकर विकास करना तो दूर जीवन व्यापन भी करना मुश्किल हो गया है। एक और प्रकृति अपना कहर बरपा रही है तो दूसरी ओर भ्रष्ट तथा दबंग लोगों ने जीना दूभर कर दिया है। ऐसी स्थिति में उनके सामने एकमात्र रास्ता गांव छोड़कर शहरों में बसकर जीवन यापन करे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कुछ वर्षो तक भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का इंजन मानी जाती थी। निरंतर बढ़ती जनसंख्या, भ्रष्ट शासन, भूखमरी कहीं न कहीं गांवों के घटते महत्व और उनकी उपयोगिता में आती कमी का ही परिणाम है। भारत में आजादी के बाद से आज तक कृषि उपज साढ़े तीन गुना बढ़ी है लेकिन राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा निरंतर घटता चला गया। 1947 में राष्ट्रीय आय में कृषिक्षेत्र का हिस्सा 65 प्रतिशत था। 2013 में 16 प्रतिशत रह गया है। जो 2022 तक घटकर 6 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना है। ऐसे में शासन के लिए जनसंख्या के पेट भरने हेतु खाद्यान्न उपलब्ध करना एक समस्या एवं चुनौति बन गया है। समय रहते समस्या का निदान पा लिया जाये तो ठीक वर्ना गंभीर परिणाम के संकेत परिलक्षित हो रहे है।

पलायन का कारण – ग्रामीण जनसंख्या के पलयान के कई कारण है इनमें से प्रमुख कारणों की विवेचना प्रस्तुत शोध पत्र की जा रही है –

1. **आधारभूत सुविधाओं का अभाव –** ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मौलिक सुविधाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास, सड़क, परिवहन, संचार सेवाएँ आदि शहरों की तुलना में बेहद कम होने के कारण अच्छा जीवन स्तर यापन करने हेतु ग्रामीण जनसंख्या पलायन कर रही है।

2. **रोजगार की कमी –** ग्रामीण जनसंख्या का पलायन का दूसरा बड़ा कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में भी रोजगार की गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जोतो का आकार छोटा होने, जनसख्या वृद्धि , प्राकृतिक आपदाऐं आदि कारणों से कृषि क्षेत्रों में रोजगार की संभावना कम होती जा रही है। साथ ही उन्नत कृषि कार्य करने से मशीनों द्वारा सम्पूर्ण कृषि कार्य कर लिया जाता है पणिामस्वरूप ग्रामीण जनता को रोजगार नहीं मिलता है। एक ओर प्रमुख कारण है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से गांवों में रोजगार की मात्रा बढ़ने के बजाय घट रही है, जिसका प्रमुख कारण मशीनों द्वारा कार्य करना।

3. **स्थानीय स्तर नौकरियों का अभाव –** ग्रामीण जनसंख्या का एक प्रमुख कारण यह है कि असंख्य ग्रामीण प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करते है तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर नौकरियाँ नहीं मिलने के कारण शहरों एवं महानगरों में जाकर नौकरी करने को विवश होते है।

4. **पेटपूर्ति एवं गरीबी के कारण –** आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। एक और प्राकृतिक मार से उत्पादन कम हो रहा है तथा दूसरी और जनसंख्या के अनवरत बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बढती जा रही है ग्रामीण लोग गरीबी से निपटने तथा भूखमरी दूर करने एवं उदर पूर्ति हेतु निरंतर पलायन करते जा रहे है। यह समस्या शासन एवं समाज के लिए गंभीर व चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है।

5. **शिक्षा तथा साक्षरता का अभाव –** ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन का एक नकारात्मक पक्ष साक्षरता एवं शिक्षा की कमी होना है। आज भी गांवों में न तो अच्छे स्कूल तथा शिक्षक होते है जिस कारण ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पाने के कारण अच्छी शिक्षा हेतु शहरी वातावरण की और पलायन करते है।

6. **नगरीय आकर्षण के कारण –** ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के शहरों ने अपनी चकाचौंध सुविधाएँ रोजगार के अवसर, आर्थिक विषमता, निश्चित और अनवरत अवसरों के द्वारा आकर्षित कर रहे है। वही गांवों में विद्यमान गरीबी, बेरोजगारी, कम मजदूरी, मौसमी बेरोजगारी, जाति और परम्परा पर आधारित सामाजिक रूढ़ीवादी, बंजर भूमि, प्राकृतिक आपदा, वर्षा का अभाव आदि ने ग्रामीण लोगों को गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे है। वर्ष 2001 से 2011 तक 5.16 प्रतिशत ग्रामीण जनंसख्या पलयान कर शहरी जनसंख्या में वृद्धि की है।

7. औद्योगिक इकाईयों को शहरों में स्थपित करने के कारण उद्योगों में कार्य करने हेतु ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

ग्रामीण जनसंख्या के पलायन को रोकने के सुझाव –

1. **आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाना –** ग्रामीण क्षेत्रों से पलयान रोकने के लिए आधारभूत सुविधाएँ जैसे – सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, रोजगार तथा न्याय व्यवस्था ग्रामीण लोगों को उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे ग्रामीण लोगों को गांवों में ही शहरों जैसी सुविधाएँ मिलेगी और गांव के लोग गांवों में ही बसना पसंद करेगें। दूसरी व्यवस्था यह होनी चाहिए कि प्रत्येक गांवों में अस्पताल तथा चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए तथा शिक्षा हेतु योग्य नियमित शिक्षक होतो ग्रामीण जनसंख्या शहरों की और जाना बंद कर देंगें।

2. **अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है –** ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से गांवों में असंख्य रोजगार के अवसर पैदा हो ग्रामीणजन खेती के साथ–साथ अतिरिक्त व्यवसाय जीवन स्तर में सुधार कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निरंतरता के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस हेतु रोजगार गारंटी योजना का और अधिक विस्तार कर रोजगार की मात्रा बढ़ायी जा सकती है।

3. **प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त हो –** ग्रामीण पलायन की समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेको योजनाएँ चलाई जाती है किन्तु इन योजनाओं का लाभ भ्रष्ट एवं दबंग व्यक्तियों द्वारा हथिया ली जाती है जिससे वास्तविक

लाभार्थियों तथा ग्रामीण व्यक्तियों को उनका लाभ नहीं मिल पाता है एवं उन्हें रोजगार भी नहीं मिल पाता, परिणाम स्वरूप रोजगार हेतु पलायन कर जाते है। अत: भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म कर सुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. स्थानीय स्तर पर सरकारी नौकरियों की भर्ती की जानी चाहिए जिससे अधिकांश शिक्षित युवा गांवों में ही नौकरी कर जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकता है।

5. समानता एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करनी चाहिए ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को मिलना चाहिए, आज भी गांवों में कई योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आदि का लाभ दबंगों द्वारा ही ले लिया जाता है। मजबुरन ग्रामीण गांवों से शहरों की और पलायन करते है।

6. शिक्षा की व्यापक व्यवस्था हो, रूढ़ीवादी, परम्परावादी व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु ग्रामीणों को समझाने की व्यवस्था हो।

7. आधुनिक कृषि पर विशेष बल दिया जाये, जिससे कृषि में नये-नये रोजगार के अवसर पैदा होगे।

8. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रचार-प्रसार तथा सही जानकारी प्रदाय की जानी चाहिए।

9. स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता एवं उचित प्रशिक्षण की सुविधा गांवों में ही हो।

10. कुटीर उद्योगों का विस्तार करना चाहिए।

उक्त सुझावों के अलावा शासन द्वारा ग्रामीण मजदूरों को उचित मजदूरी तथा मजदूरी हेतु कार्य उपलब्ध करवाना चाहिए। मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुसंगठित एवं पारदर्शी बनाया जाये जिससे लोगों को उचित दामों से खाद्य सुरक्षा व अनाज उपलब्ध हो सके जिससे पलायन रोका जा सके।

निष्कर्ष – अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण प्रधान है ग्रामीण लोगों को गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना अतिआवश्यक है। ग्रामीण विकास हेतु शासन द्वारा 1950 से वर्तमान तक अनेकों विकास कार्यक्रम एवं योजनाऐं लागू की है किन्तु आज भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के समय छोड़कर शेष समय ग्रामीण लोग मजदूरी करने हेतु दूसरे राज्यों व शहरों में चले जाते है तथा गांव खाली रहते है। गांवो में गरीबी, बेरोजगारी एवं भूखमरी अधिक होने से तथा नगरीय चकाचौध, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूरी, रोजगार आदि के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे है। पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं का अधिक विस्तार कर, गांवों में रोजगार पैदा करना, पूँजीगत खेती को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिहवन, बिजली आदि की उचित व्यवस्था कर ग्रामीण को गांवों में रोजगार आदि की व्यवस्था कर गांवों को खुशहाल बनाया जा सकता है। चूंकि गांव उजड़ना एक गंभीर समस्या बन सकती है। समय रहते इसके उपाय खोजना व लागू करना अनिवार्य है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तथा देश का विकास गांवों के विकास पर निर्भर है। गांवों में ही शहरों जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर पलायन रोका जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुरूक्षेत्र पत्रिका (मासिक 2014), प्रकाशन विभाग सूचना भवन, नई दिल्ली।
2. गर्ग, डी.पी. (1986) समन्वित ग्रामीण विकास एवं सहकारिता शिव प्रकाशन, इन्दौर, पृ. 25-32
3. दत्त एवं सुन्दरम् (2011) भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्जुन पब्लिशिंग, नईदिल्ली, पृ. 185।
4. भाटिया, अंजू (2000) महिला विकास एवं गैर सरकारी संगठन, रावत प्रकाशन, नईदिल्ली।
5. योजना पत्रिका (मासिक 2014) प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, दिल्ली।
6. रामनरेश ठाकुर (2009), भारत में ग्रामीण महिला शक्तिकरण' कनिष्ठ प्रकाशन, दिल्ली।
7. ललीता एन. (2005), सूक्ष्म वित्त एवं ग्रामीण विकास, कनिष्ठ प्रकाशन, नईदिल्ली।

****

पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन - ग्रामीण विकास के विशेष संदर्भ में

डॉ. निशा मिश्रा *

शोध सारांश – भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल ढाँचा ग्रामीण और कृषि आधारित है इस दृष्टिकोण से वर्तमान समय में भारत के लिये सर्वाधिक प्रासंगिक मुद्दा ग्रामीण विकास का है। भारत की कुल जनसंख्या का 74.3 प्रतिशत भाग गाँवो में निवास करता है 66% भाग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 40% है। देश का निर्यात मूल्य का 35% भाग कृषि उपजों से प्राप्त होता है इस प्रकार कृषि क्षेत्र उत्पादन, रोजगार आय तथा निर्यात प्राप्तियों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी भी प्रारूप में ग्रामीण विकास को वरीयता के आधार पर प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है। जबकि ग्रामीण विकास के बिना भारत के आर्थिक विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है विकास से आशय ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सुधार के साथ-साथ व्यापक सामाजिक परिवर्तनों से है।

आर्थिक प्रगति के लिए कृषि में संस्थागत और तकनीकी सुधार ग्रामीण क्षेत्र में परिसम्पत्तियों, औद्योगिक इकाईयों के सृजन बुनियादी सुविधाओं के विकास और योजनाओं के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता होती है जिसके लिए म0प्र0 में पंचायती राज के माध्यम से त्वरित और गतिशील ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 73 वाँ संविधान संशोधन विधेयक सम्पूर्ण देश में 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया जो भारत में शक्तिशाली स्वायत्ता शासन की स्थापना के लिए स्वर्णिम युग की शुरूआत करने वाला क्रांतिकारी कदम हैं।

प्रस्तावना – देश की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के निर्धारण में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी क्रियाविधि है जिसमें कृषि कुटीर उद्योग-धंधे सामाजिक आर्थिक सुविधायें प्रदान करने वाले आधारभूत ढांचो, स्वास्थ्य केन्द्र, जल आपूर्ति, साक्षरता आदि को शामिल किया जाता है। भारत गांवों का देश है। उसका विकास ग्रामों के विकास पर ही निर्भर है ग्रामीण विकास ही देश के समग्र विकास की आधारशिला है। गांवों का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है जब गांवों की योजनायें गांवों में निर्मित होकर क्रियान्वित की जायें अर्थात विकास की धारा में अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पंचायतीराज व्यवस्था बेहतर कारगार एवं सुदृढ़ भूमिका का निर्वहन कर सके गांधी जी ग्राम को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और विकेन्द्रीयकृत अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संगठित करने व उन्हें अधिक जिम्मेदारी सौंपने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन कर पंचायती राज की स्थापना की गई। शासन की मंशा है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो कार्यक्रम की सफलता लक्ष्य प्राप्ति पर आधारित न होकर लाभ परिणाम पर आधारित होना चाहिए। अत: पंचायती राज द्वारा ग्रामीण विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु ध्यान देना होगा सभी प्रतिनिधियों को सामुदायिक भावना से कार्य करना चाहिए गुटबन्दी व रूढ़ीगत मान्यताओं को दल-दल से अपने को ऊपर रखकर गांव के विकास की योजनाओं का निर्धारण संचालन व क्रियान्वयन में सामूहिक सहयोग का निर्धारण आवश्यक है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप – भारतीय संविधान में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में प्रत्येक राज्य को पंचायतों का गठन करने का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में नियोजित विकास प्रक्रिया अपनायी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ (1952-53) किया गया जिसके सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम का जा सकता है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण का विचार करने हेतु अनेक समितियां (अशोक मेहता समिति 1978), डॉ.जी.वी.के.राव एवं डॉ.एल.एम.सिंघवी समिति (1986) व 1957 में बलवंत मेहता समिति) गठित की गई। परन्तु इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। शासन ने प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर सहभागी हो सके इसके लिए प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने पंचायती राज्य सम्मेलन विषय पर संगोष्ठी आयोजित कर सत्ता के विकेन्द्रीकरण कर पंचायतीराज ला दिया जाय। जिसके सम्बन्ध में 10 अगस्त 1986 को एक संशोधन विधेयक पास किया गया व सन् 1991 में पंचायती राज्य की स्थापना के लिए पुन: प्रयास तीव्र हो गये।

16 सितम्बर 1991 को 73वाँ संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया। जिसके 24 अप्रैल 1993 को पास किया गया। म.प्र.के संदर्भ में देखा जाय तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसमें सर्वप्रथम 25 जनवरी 1994 में पंचायती राज विधेयक संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की गई (जिला पंचायत जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत)।

नवीन पंचायती संशोधित अधिनियम में पंचायती संस्थाओं को जीवन्तता प्रदान की गई जिसमें पंचायती संस्थाओं को पुनर्जीवन मिला। इस अनिधियम में पंचायतों के कार्यो की सूची निर्गमित की गई थी। इसके अन्तर्गत कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मछलीपालन, सामाजिक वानिकी, वन उत्पादन, खादी व कुटीर उद्योग, ग्रामीण आयाम, पीने का पानी, ईंधन और चारा, सड़क-पुल निर्माण, विद्युतीरकण, गैर परम्परागत ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक, माध्यमिक, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार मेले का आयोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्राथमिक

*प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय के. आर. जी. महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व सामुदायिक संपत्ति का रख-रखाव आदि कार्य सौंपे गये।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज्य की भूमिका – गाँधीजी ने 1946 में हरिजन में लिखा था 'स्वतंत्रता नीचे से प्रारम्भ होनी चाहिए। प्रत्येक गाँव एक गणराज्य अथवा राज्य होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर होना'। भारत की वास्तविक उत्थान तभी सम्भव है। जब उसके गाँवों का उत्थान हो।

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी क्रियाविधि है, जिसमें विभिन्न कृषि कुटीर उद्योग धंधों, सामाजिक व आर्थिक सुविधायें प्रदान करने वाले आधारभूत ढाँचे जैसे स्कूल जलपूर्ति, संवर्धित पोषक आहार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सड़के, संचार साधन, साक्षरता आदि सम्मिलित हैं। ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है जो ग्रामीण समाज के गरीब व कमजोर वर्ग के हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, बाजारीकरण, विकेन्द्रीकरण, आधुनिकीकरण एवं विश्वव्यापारीकरण के उदय के साथ ग्राम पंचायतों के कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है। पंचायतें आत्मपोषित न होकर परजीवी बनती जा रही है। यानि आत्मनिर्भर बनने की बजाय निर्भरता बढ़ रही है। अत: गाँवों में विकास के कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित व क्रियान्वित किये गये हैं। जैसे –

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2. ट्रायसेम योजना
3. आवास योजना
4. जीवनधारा योजना
5. जवाहर रोजगार योजना
6. रोजगार आश्वासन योजना
7. जलग्रहण योजना आदि

साथ ही संविधान की ग्यारहवीं सूची में विभिन्न कार्यों को पंचायतों के माध्यम से सम्पन्न कराने हेतु रखा गया जिसके अन्तर्गत, कृषि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, लघु व खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण आवास, पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वच्छता, समाज कल्याण आदि।

ग्रामीण विकास एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में भारत सरकार पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार हस्तांतरित कर रही है। पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों को 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित व 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं परन्तु वास्तविक स्थिति में पिछड़ापन एवं निरक्षरता की स्थिति में यह वर्ग प्रतीकात्मक रूप से रबर स्टाम्प की तरह पदों पर विराजमान है। इनकी कार्यप्रणाली के तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। तभी ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रमों स्वयं बनाएगी एवं उनका संचालन भी स्वयं करेगी।

ग्रामीण विकास की संभावनायें – म.प्र.सरकार ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके ग्रामीण विकास के लिए जो पहल त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से की हो उससे गाँधीजी का सपना साकार हो सके। गाँधीजी ने कहा था 'गाँवों का रक्त शहरों के ढाँचे को मजबूत करने वाला सीमेंट है। मैं चाहता हूँ कि यह रक्त जो शहरों की धमनियों को धूला रहा है। पुन: गांवों की धमनियों में बहने लगे। गाँवों के विकास हेतु कुछ बिन्दुओं पर विचार किये बिना विकास की कल्पना करना भी व्यर्थ है। प्रमुख विचारणीय बिन्दु निम्न है :-

1. गाँवों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है क्योंकि वित्तीय अभाव के कारण कहीं म.प्र.शासन की विभिन्न योजनाएं बंद हो सकती है।
2. जिस प्रदेश की साक्षरता 42 प्रतिशत हो और उसमें भी स्त्री साक्षरता का प्रतिशत 28.8 प्रतिशत व ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत और भी कम हो उस प्रदेश की साक्षरता में वृद्धि किये बिना विकास करना संभव नहीं है।
3. अशिक्षित व अकुशल व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होने पर क्या उनसे यह आशा की जा सकती है कि ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुसार योजनायें बनाने व उन्हें क्रियान्वित करने में शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर पायेंगे।
4. ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति व संस्था को मिल रहा है या नहीं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
5. महिला प्रतिनिधि, ग्रामीण परम्पराओं कुप्रथाओं एवं पारिवारिक दायित्वों के कारण अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर पायेगी या नहीं।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के मुखिया व साहूकारों के संदाय से मुक्त होकर कार्य कर पायेंगे या नहीं।
7. अकुशलता व अनुभवहीनता को दृष्टिगत रखते हुए शासन इनके पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था कर कार्यक्षमता में वृद्धि करवाती है या नहीं।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु उत्पन्न समस्याएं –

1. विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास व निर्माण कार्य के लिए जो राशि आवंटित की जाती है वह व्यय नहीं की जाती है।
2. पंचायत प्रतिनिधि नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रति उदासीन रहते हैं
3. ग्रामीण विकास आर्थिक विकास के कार्यों में क्षेत्रीय स्तर की राजनीति के कारण जनता की सहभागिता अपर्याप्त है।
4. पंचायत प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य उचित समन्वय व राजनीतिक हस्तक्षप बढ़ता जा रहा है।
5. पंचायतों के अधिकारों का दुरूपयोग हो रहा है। महिला व जातिगत आरक्षण का लाभ पुरुष, महिला व जातिगण आरक्षण का लाभ पुरुष प्रधान वर्ग को या धनी वर्ग के लोगों को मिल रहा है।
6. ग्रामीण जनता के अशिक्षित होने के कारण लाभकारी योजनाओं को सही दिशा नहीं मिल पाती।
7. पंचायत प्रतिनिधियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण का अभाव होगा।
8. ग्रामीण विकास आर्थिक व राजनैतिक स्वार्थों के कारण गलत दिशा की ओर प्रेरित हो रहा है।

सुझाव – ग्रामीण अंचलों में विकासोन्मुख कार्यक्रमों को गति देने सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने और बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आत्म पोषित बनाने के लिए जिस उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। वह अभी भी असफल है। ग्रामीण जनता आज भी प्राथमिक सुविधाओं की मोहताज है।

आवश्यक है कि, पंचायती राज व्यवस्था की संरचना, कार्यक्रम में व्यवहारिक परिवर्तन किया जाए। पंचायतों में लागू आरक्षण व्यवस्था केवल लिंग एवं जाति तक सीमित न हो बल्कि जनसंख्या एवं शिक्षा सम्बन्धी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाय। जनसंख्या व शिक्षा संबंधी आरक्षण के तहत ग्राम स्तर, जनपद स्तर, जिला स्तर पर एवं न्यूनतम शिक्षा, अर्हता एवं परिवार में बच्चों की संख्या निर्धारित की जाये जिससे साक्षरता व जनसंख्या पर काबू पा सकें। लाभकारी योजनाओं को समझने व क्रियान्वित करने हेतु शिक्षित होना आवश्यक है।साथ ही गाँव की जनता को विकास की रणनीति से जोड़ा जाए। पंचायतों के माध्यम से विकास हेतु निम्न सुझाव हैं –

1. ग्रामीणों की गरीबी को दूर करना व उन्हें शिक्षित करना ताकि पंचायत के कार्यों में सक्रिय भाग ले सके।
2. ग्रामीण नेतृत्व के विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए।
3. पंचायतों को जातिवाद व राजनैतिक प्रभावों से दूर रखना चाहिए।
4. पंचायतों को आर्थिक विकास संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए।
5. पंचायतों के कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए तथा अधिक से अधिक जनसहयोग प्राप्त करना चाहिए।
6. ग्रामीण समुदाय की उन्नति के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को परस्पर सहयोग करना चाहिए।
7. ग्राम पंचायतों को कर वसूलने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सके।
8. हितग्राहियों में अभिप्रेरणा जागृत करना।
9. शिक्षा व साक्षरा को बढ़ावा दिया जाय।
10. सुदृढ़ प्रशासनिक ढाँचे का निर्माण किया जाय।
11. ग्रामीण योजनाओं का सार्थक प्रचार–प्रसार किया जाय साथ ही व्यवहारिक क्रियान्वयन

निष्कर्ष – आज सर्वत्र अंधकार ही नहीं है कुछ स्थानों पर प्रकाश की कुछ किरणें भी देखने को मिलते हैं। कुछ स्थानों पर पंचायतीराज की भूमिका अत्यन्त सराहनीय है। आवश्यकता है वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं उनके निराकरणों के उपायों, पंचायतों की बदली हुई आवश्यकताओं का नए सिरे से सर्वेक्षण व अध्ययन किया जाएं ग्रामीण विकास की परिकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए ध्यान दिया जाए। सभी प्रतिनिधि सामुदायिक भावना से कार्य करें। व ग्रामीण विकास की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन कर गरीब व पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाया जाय, स्वरोजगार उपलब्ध कराये जायें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. योजना – अक्टूबर 1999, पेज 39.
2. योजना – जुलाई 2002.
3. जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पंचायत विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 1998, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार, वित्ता मंत्रालय।
5. पंचायतीराज्य अतीत वर्तमान और भविष्य, महीपाल रजनी कोठारी Politics in India.
6. मजबूत पंचायतें, ग्राम पंचायतों की वित्तीय मजबूती म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

****

पर्यावरण तथा विकास

सीमा नागर *

प्रस्तावना – 'पर्यावरण' शब्द यपरिसमंतात् आवरणं से उत्पन्न हुआ है, जिसके अनुसार सभी ओर से सृष्टि को घेरने वाला पर्यावरण है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ध्वनि, वनस्पति आदि सभी तरफ से घेरे हुए हैं अत: ये ही पर्यावरण के मूल तत्व हैं। इन्हीं तत्वों के कारण मनुष्य तथा अन्य प्राणी जीवित रह पाते हैं। इन तत्वों में प्राकृतिक रूप से संतुलन पाया जाता है किन्तु मनुष्य अपने जीवनयापन के लिए इस संतुलन को बिगाड़ता रहा है। मनुष्य विकास के नाम पर इन तत्वों को नष्ट करता जा रहा है तथा इनका परस्पर अनुपात बिगड़ता जा रहा है। विकास एक व्यापक संकल्पना है। विकास तथा पर्यावरण का जटिल व परिवर्तनीय संबंध है। औद्योगिक तथा तकनीकी प्रगति के साथ विकास की परिभाषा एवं पर्यावरण की चिन्ता महत्वपूर्ण होती गई है। विकास के कारण पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है।

चुनौतियाँ – वर्तमान में प्रकृति के साथ विकास की धारणा प्रबल हो रही है। इसका कारण यह है कि अब प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को मानव–अस्तित्व का आधारभूत तत्व माना जाता है। इसके बावजूद पर्यावरण से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ पिछले दो दशकों में परिलक्षित हो रही हैं। इनमें से प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं– जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा व शहरीकरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी व औद्योगीकरण, वन विहीनीकरण आदि। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक परिस्थितिकी को प्रभावित करता है। भारत में इसके प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कृषि पर होता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले, पाला आदि के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। वर्तमान में भारत विकास के पथ पर अग्रसर है तब यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन न सिर्फ समुद्र की सतह को ऊपर उठाकर तटीय बस्तियों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है वरन् यह उग्र प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, तूफान, सूखे, बाढ़ के लिए भी जिम्मेदार है। यही समस्याएँ देश की खाद्य सुरक्षा तथा जल सुरक्षा के लिए भी संकट उत्पन्न कर सकती है। जलवायु परिवर्तन से जल पर दबाव में कई गुना वृद्धि हो जायेगी। जल न केवल प्राणी मात्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है वरन् कृषि, उद्योगों आदि के लिए भी आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2007 के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2025 तक जल के अभाव से 1 अरब 80 करोड़ लोग प्रभावित होगें। इसका स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था सभी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत तथा अन्य देशों में जनसंख्या वृद्धि, गिरते भूजल के स्तर तथा जल के अभाव में उत्पन्न खाद्य असुरक्षा एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। जल के कृषि, औद्योगिक तथा ग्रामीण शहरी उपभोग के अतिरिक्त एक वृहद् समस्या यह भी है कि जलाशयों तथा प्राकृतिक जल स्त्रोतों का तीव्रगति से क्षरण होता जा रहा है। ये जलाशय व दलदली भूमि बाढ़ से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल जनित बीमारियाँ अकाल मृत्यु का कारण बनती हैं।

इनके अलावा विकास की गति को तीव्र करने के लिए भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर भी ध्यान केन्द्रित करना है। वर्तमान में भारत अपनी तेल संबंधी आवश्यकताओं के लिए 80 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर है। आज भी ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग सक्षम आधुनिक ईंधन संसाधनों से नहीं जुड़ पाया है। घरेलू क्षेत्र में ईंधन की कमी, विद्युत शक्ति की कम उपलब्धता के साथ ही इस बात पर भी निर्भर है कि आज भी भारत में रोशनी तथा भोजन पकाने के लिए ईंधन के पारंपरिक साधनों का उपयोग किया जाता है। लगभग 84 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या द्वारा भोजन पकाने के लिए ईंधन के तौर पर जलावन की लकड़ी, गोबर के कंड़ों तथा कृषि अवशिष्टों का उपयोग किया जाता है।

इन सबके साथ ही बढ़े शहरीकरण के कारण आवास, खाद्य तथा पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, परिवहन, वायु शुद्धता, ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

शहरीकरण के साथ ही विकास के नाम पर होने वाले अंधाधुंध औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति भयावह होती जा रही है। पूँजी संचय के लिए होने वाले औद्योगिकरण की देन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है तथा यही पृथ्वी के पर्यावरण की तबाही का कारण है।

कई प्रकार की गैसों के उर्त्सजन के कारण पृथ्वी की सुरक्षा परत ओजोन में भी छेद हो गया है। अर्थव्यवस्था तथा जनसंख्या के आकार की दृष्टि से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन देशों की सूची में भारत का स्थान विश्व में छठवां है। सतत् आर्थिक विकास के कारण भारत के उत्सर्जन में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है।

पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग के रूप में वनों की भूमिका विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह चिंताजनक स्थिति है कि वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2011 में पर्वतीय तथा जनजातीय जिलों में वनावरण में क्रमश: 548 वर्ग कि.मी. तथा 679 वर्ग कि.मी. की कमी दर्ज की है। यह विसंगतिपूर्ण है कि जिन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद की जा रही है, उन्हीं क्षेत्रों में वनावरण की कमी दिखाई दे रही है। इस प्रकार सरकार और समाज की जिम्मेदारियाँ दोगुनी हो जाती हैं। एक ओर तो इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करके विकास की एकांगिता को सुनिश्चित करना तथा दूसरी ओर यहाँ की पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को विकास के अनुकूल बनाए रखना। स्पष्ट है कि पर्यावरण तथा विकास में आपसी संगति बनाये रखना आवश्यक है।

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

पर्यावरण संरक्षण – आर्थिक विकास के दौरान सरकार की चिन्ता बढ़ती जा रही है। एक ओर जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ती जा रही है दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या तथा विकास का दबाव प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। विकास के नाम पर शहर बसाए जा रहे हैं, उद्योगों में वृद्धि हो रही है कृषि भूमि बेची जा रही है, वन लगातार काटे जा रहे हैं। इन सबके भयावह परिणाम पर्यावरण संकट के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। विकास के हर कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण के स्त्रोतों तथा प्रकृति पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव अंतत: मनुष्यों व अन्य प्राणियों पर पड़ते हैं। वर्तमान में हम पर्यावरणीय संकट से गुजर रहे हैं। प्राकृतिक परिस्थितिकीय तंत्र दबाव में है तथा यह संपूर्ण देश को अपने चपेट में ले रहा है। देश के 10 प्रतिशत वन्य जीवों पर समाप्ति का खतरा मंडरा रहा है। अनेक क्षेत्रों में कृषि जैव विविधता 90 प्रतिशत तक कम हो गई है। आधे से अधिक जलाशय प्रदूषित हो गए हैं। इनका जल पीने योग्य नहीं रहा है, साथ ही कृषि के उपयोग के योग्य भी नहीं रहा है। जमीन के दो तिहाई जल स्तर में गिरावट आई है।

विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मौसम में अचानक परिवर्तन तथा तटीय इलाकों में भूमि क्षरण के रूप में दिखाई दे रहा है।

पर्यावरण तथा विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अत: दुनिया को बचाए रखने के लिए दोनों पर बराबर ध्यान देना आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण कानून 1972, जल संरक्षण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैविक विविधता अधिनियम 2002। इनके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने घातक पदार्थों के व्यापार के दौरान दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति के मुआवजे आदि के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण गठित करने के लिए 1995 में एक कानून बनाया है। कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के मामलो को निपटाने के लिए 1997 में राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण का गठन करने वाला कानून पारित किया गया। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है।

निष्कर्ष – पर्यावरण तथा विकास से संबंधित मुद्दे पंचतत्व वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, भूमि में असंतुलन के परिणाम स्वरूप उभर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण अनियोजित मानवीय हस्तक्षेप है। विकास के कारण पर्यावरण के प्रति खतरा बढ़ता जा रहा है। जिसकी परिणीति विभिन्न आपदाओं के रूप में हो रही है। अत: विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। पर्यावण संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यावरण समूची मानव जाति का साझा संसाधन है तथा विश्व के हर व्यक्ति को इस पर समान रूप से अधिकार प्राप्त है। पर्यावरणीय संकट की चुनौतियों का सामना करने में उत्पादन तथा खेती की तकनीकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मनुष्य की वर्तमान जीवनशैली में परिवर्तन करना आवश्यक है। कार्बन आधारित तथा जैव –ईधनों पर आधारित उत्पादन व खपत के तरीकों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। पर्यावरण सम्मत प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन में कमी की जा सकती है। निजी मोटर वाहनों के उपयोग को कम करना होगा। स्वच्छ ईंधनों के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को अपनाना होगा। बेकार वस्तुओं को पुनर्चक्रण के द्वारा पुन: उपयोगी बनाने तथा कचरे को ऊर्जा में बदलने की प्रौद्योगकी अपनानी होगी। विभिन्न कानून बना लेना ही पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका सही तरीके से क्रियान्वयन होना आवश्यक है। पर्यावरण तथा विकास में परस्पर तालमेल में वृद्धि के लिए न सिर्फ अनेक देशों की सरकारें अपने स्तर पर क्रियाशील हैं, वरन् यूनाइटेडनेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे वैश्विक प्रयास भी विकास को पर्यावरणोन्मुख बनाने के लिए जारी हैं। पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों ने हमेशा विकास को गति प्रदान की है अत: पर्यावरण के प्रति सजग उत्तरदायित्व निभाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण तथा विकास के जटिल संसाधनों को ध्यान में रखकर ऐसा विकास किया जाये जो मानव अस्तित्व तथा पर्यावरण की कीमत पर न हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पर्यावरणीय अर्थशास्त्र – डॉ. पी.डी. माहेश्वरी, डॉ. शीलचन्द्र गुप्ता।
2. भारत में आर्थिक पर्यावरण – ओ.पी.शर्मा
3. योजना –भारत सरकार का प्रकाशन।
4. कुरूक्षेत्र – ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रकाशन।

****

Criminalization of Politics in India

Dr. Sulekha Mishra * Firdose Ahmad Wani **

Abstract - In recent years, criminalization of politics in India has become a debatable issue. There have been allegations that there are some elements in politics who donot have faith in democratic values and practices. They indulge in violence andtake refuge in other unhealthy, undemocratic methods to win elections.Undoubtedly, this is not a healthy trend in politics and there is an urgent need to apply serious check on such tendencies. Criminalization has become a worrisome characteristic of India's politics and electoral system. Indian law prohibits a person from contesting election if he or she has been convicted of any criminal charges.Democracy can be strengthened by adopting and promoting democratic values and shunning criminal activities.

Introduction - Politics is the most common phenomenon in the world today. It is an essential part of every one's life directly or indirectly. Politics must affect the life of everyone. In dictatorship there must be a dictator who rule over the country by his own wish and will. But in democracy the role of politics is very important. India is now the biggest democracy of the world in which public elect their representatives in the Municipal Corporation, State Legislative Assembly and Parliament of India and then those elected representatives rule the country on behalf of the public of India. When any person elect any leader it is expected from him that he must serve people and put the problems of the public before the Government and then solve those problems. But this is not done and the expectations of the public are totally crushed by their representatives. Now the politics became a shelter place of the criminals. Now a large number of criminals like rapists, black marketers, kidnapper's are coming in the politics. They can take the tickets from political parties by their power and money and then elect by the people, when these types of persons elect then they became the authorized and empowered criminals. Their only thought is to threatened the people and earn as much money as possible[1].

Criminalization of politics has become an all-pervasive phenomenon. During the election period, newspapers are usually full of information about the number of criminals in the field sponsored by every party. Criminalization of politics means molding politics in a criminal shape. This trend has been growing fast since a few decades in our country. A new trend of giving tickets (even by national parties) to the confirmed criminals, dadas,dons and thug or even to the persons behind the bars has grown very rapidly more than that the situation appears to be more alarming when we find such persons being elected for the State Assembly or Parliament. Elections are won not by right but by might[2]**.** It seems that we are living in a 'jungle raj' where there is no law. Around 20% of the members of the current Lok Sabha have criminal cases pending against them. It is well known that all parties take the help of criminal elements to dominate the election scene in India. The rampant issues bulging out as a handicap to election process are:[3]

- Financing of election exceeding the legal limit
- Booth capturing
- Intimidation of voters
- Buying Voters
- Tampered electoral rolls
- Large-scale rigging of elections
- Abuse of religion and caste in the enlistment of voters, etc.

The phrase "criminalization of politics" was first used in a formal document by N.N. Vohra, when he was Home Secretary in 1993 in what subsequently came to be known as the Vohra Committee Report. The committee was formed "to take stock of all available information about the activities of crime Syndicates/Mafia organizations which had developed links with and were being protected by Government functionaries and political personalities." The report says "The nexus between the criminal gangs, police, bureaucracy and politicians has come out clearly in various parts of the country" and that "some political leaders become the leaders of these gangs/armed senas and over the years get themselves elected to local bodies, State assemblies, and national parliament."[4]

An overview of today's situation - Over the last six decades, Indian politics has seen various facets of criminalization and it has come across umpteen examples of candidates contesting for elections from prison and has even managed to gain electoral success subsequently. A

* Prof. & Head (Political Science) M.K.B College, Jabalpur (M.P.) INDIA
** Research Scholar (Political Science) R.D. University, Jabalpur (M.P.) INDIA

total of 4807 sitting MPs and MLAs as of August 2013 were analyzed. A total of 1460 (30%) sitting MPs and MLAs have declared criminal cases against themselves. A total of 688 (14%) out have serious criminal cases. If anything, the situation has slightly worsened since the data was publicly available and analyzed since 2004 when the comparable figures for winners with a criminal charge is 28.4% and winners with serious criminal charges is 13.5%. In the current Lok Sabha, 162 (30%) out of the 543 MPs have declared criminal cases against themselves. A total of 76 or 14% of the current Lok Sabha MPs have declared serious criminal cases against themselves. Compared to that, in the State Assemblies, 1258 (31%) out of the 4032 sitting MLAs from all state assemblies have criminal cases and 15% have declared serious criminal cases against themselves. The Jharkhand 2009 Assembly has the highest percentage of elected representatives where 55 out of 74 MLAs (74%) declared criminal cases against themselves. The Bihar 2010 Assembly has 58% MLAs with criminal cases and the Uttar Pradesh 2012 Assembly has 47% MLAs. None of the MLAs of the Manipur 2012 Assembly have declared criminal cases against themselves[5].

On 28th August 1997, the Election Commissioner Krishnamurthy made a startling annunciation. According to him, of 1, 37,752 candidates who had contested the General Election to the Lok Sabha in 1996, nearly 1500 had criminal records. The National Election Watch [NEW] has analyzed the affidavits submitted to the Election Commission of India [ECI] of 772 out of 776 MPs and 4063 out of 4120 MLAs [a total of 4835 out of 4896] in all the states of India which form the Electoral College. Out of the 4835 MPs/MLAs, **1448 have declared criminal cases** against them in a self sworn affidavit filed with the ECI. Out of these 1448 who have declared criminal cases, **641 MPs/MLAs have declared serious criminal caseslike rape, murder, attempt to murder, kidnapping, robbery, extortion** etc. Here is the high level summary of the new 15th Lok Sabha 2009:[6]

- Affidavits available for MPs – 543
- MPs with criminal charges – 161 (29.65 %)
- MPs with serious criminal charges – 75 (13.81 %)
- Total criminal cases against MPs – 512
- Total serious IPC sections against MPs – 272
- Total crorepati MPs – 314

The proportion of MPs in the 15th Lok Sabha facing criminal charges is not only high but actually increased between the 2004 and 2009 Lok Sabhas. The proportion of MPs facing serious criminal charges (like murder, kidnapping and extortion) also showed an increase from 12 per cent in 2004 to 14 per cent in 2009[7]. Figure 1&2 (See in next page)

Some implications - Data reveal that there is a nexus between crime and money in elections. There are implications for all sectors – the voting public, candidates, elected representatives, Governments, administration, political parties, the kind of ruling coalitions we get, and the corporate sector. Corruption will continue to remain a major aspect of our public life, touching everyone from the ordinary citizen to those at the highest levels of Government, politics, media and the corporate sector. All this will impact the quality of governance we get, and even the economy and our development and growth targets. In such a maelstrom of events it is natural that those who are dynamic and opportunistic will benefit, and many will get left behind. Inequality will perhaps rise and lead to greater social strife.[8]

Politics is driven by two things – power and money. Today they are two sides of the same coin. Money wins elections, and the winners enjoy power. In today's environment, major deals, real estate, infrastructure, PPP projects and natural resources are opportunities for creating wealth. All of them have links with elections and politics today. So money and power feed each other and ultimately leads crimes. The major impact of all this is on the quality of governance. When making money becomes an imperative,crimes, criminal activities, corruption will go up, public services degenerate, and the quality of governance is bound to suffer. The question then arises on how to break the nexus between the criminals and politicians. It is thus necessary to evolve a code of conduct for the political parties so that they may not in the selection of candidates for election choose anyone with shady antecedents. A clean election process is important to ensure good governance[9].

In the recent past several Commissions have been set up to examine the issue of electoral and political reforms. They include the Goswami Committee on Electoral Reforms (1990), the Vohra Committee Report (1993), Indrajit Gupta Committee on State Funding of Elections (1998), Law Commission Report on Reform of the Electoral Laws (1999), National Commission to Review the Working of the Constitution (2001), Election Commission of India – Proposed Electoral Reforms (2004), and The Second Administrative Reforms Commission (2008). Recently, the Government has once again appointed a Law Commission to examine the issue disregarding the excellent recommendations made by the previous Committees and Commissions. Clearly there is a hesitation to implement the recommendations. On the legal front, there is a long list of suggested remedies by the various Commissions. Some of the more popular ones include barring candidates with several serious criminal charges, and making political parties accountable for fielding such candidates. But it remains to be seen whether Parliament and the current political system will pass suitable legislation[10]The Supreme Court's recent order setting a deadline for the lower courts to complete trial in cases involving lawmakers within a year of framing of charges is a welcome step in this direction.[11]

Conclusion - It is indeed high time that we stand up against politicians with criminal background and take a stand to weed them out of the system. Apart from tough legislative measures, we the people have to play an active role in electing our leaders and should create awareness about the importance of public participation to achieve criminal free political system. A series of efforts, including widespread use of audio-visual media, print, internet, mobile phones,

etc., will be made to reach out to a large number of people across the country. Efforts will also be made to leverage the strengths of existing groups that have done work in the area of not having people with criminal antecedents contest in elections such as the Association for Democratic Reforms, the National Election Watch, etc. Active citizenry is an essential condition for democracy to succeed. Where the entire people do not take a continuous and considered part in public life, there can be no democracy in any meaningful sense of the term.

As T.S.Krishnamurthy, Chief Election Commissioner 2004 noted, these measures "would go a long way in cleansing the political establishment from the influence of criminal elements and protecting the sanctity of the Legislative Houses".Let us vow to support clean, honest, dedicated, non corrupt and not criminal political candidates. The ball is in the public court now. Only public awareness, knowledge and activism can sort this awful mess.

"Don't sell your vote, and don't vote for tainted candidates"

References :-

1. DR. Malikarjuni Minchp, Criminalization of politics as a threat to indian democracy, Journal of Radix International Educational and Research Consortium, Volume 2, Issue 2 (February 2013),p1.
2. V.Venkatesan, The National Commission to Review the Working of the Constitution , Frontline Vol.18 issue 26 December 22-January04 2002.
3. Dr. K Eswara Reddy, Electoral Reforms in India - Issues and Recent Reforms International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 3 Issue, 8 August. 2014,P.27.
4. Report of Vohra Committee (Chairman N.N.Vohra), Para6.2.
5. Ramachandra Guha, Towards the De-Criminalization of Politics, Association for Democratic Reforms September 12, 2013, Talk at IIC, New Delhi p1-11.
6. Source: Analysis of Criminal & Financial Details of MPs Of 15th Lok Sabha (2009) Report: National Election Watch & Association For Democratic Reform, & website www.adrindia.org.
7. A report by Association of Democratic Reforms [ADR].
8. op.cit., Malikarjuni Minch, p3.
9. H. R. Khanna Vohra Report and After , P.Bhattacharya, Publc Administration—II, (Edited) Administrative Training Institute, Government of West Bengal ,p13-14.
10. Trilochan Sastry, Towards the De-Criminalization of Elections and Politics, Indian Institute of Management Bangalore, working paper, No.436,p 12.
11. The Hindu, Supreme Court sets deadline for trial against MPs and MLAs, April 29, 2014.

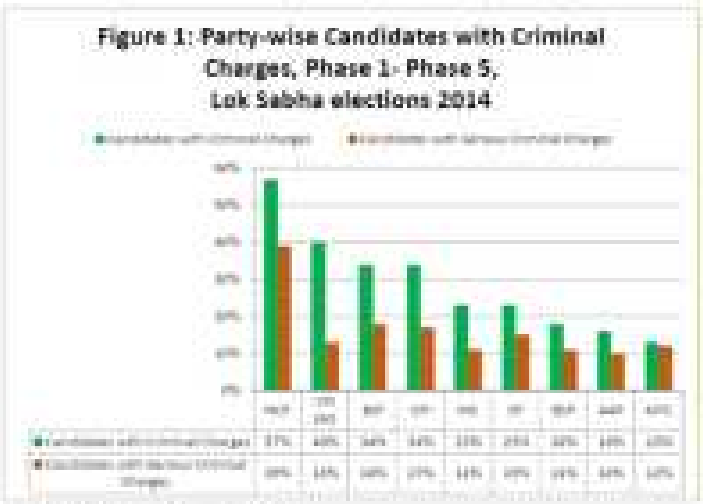

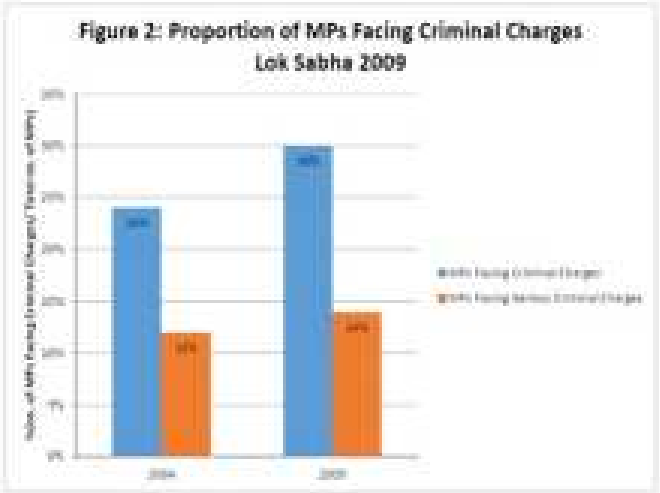

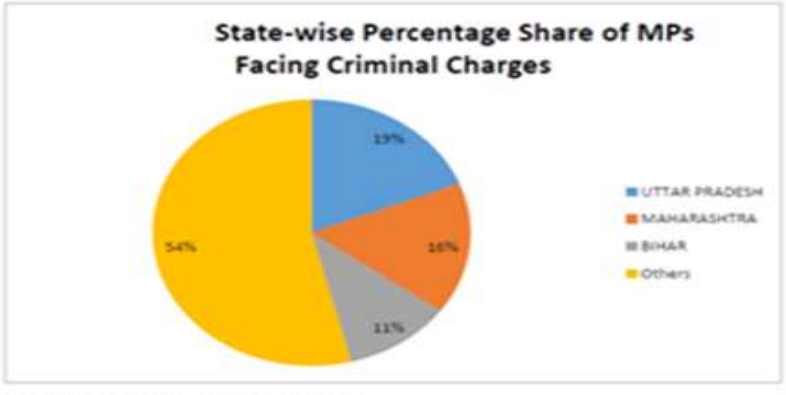

Figure 7: Source: Association for Democratic Reforms

Terrorism And Its Impact On Kashmir Tourism

Parvaiz Ahmad Qureshi *

Abstract - Tourism plays a vital role in the economic development of a number of countries across the globe. Known for its extravagant and breathtaking beauty throughout the world, Kashmir has aptly been described as „The Paradise on Earth . Kashmir is second to no place in the world as far as its natural beauty and rich cultural heritage is concerned. Bubbling streams, lush green meadows and lily-laden lakes- the valley of Kashmir is any tourists dream. Alongside, Kashmir is affluent in historical sites, unique handicraft and handmade items. However, the geo-political status of Kashmir has become one of its greatest handicaps. The continual political uncertainty in general and the two decade long armed conflict in particular has unexceptionally impacted every socio-economic activity in Kashmir. And tourism is a sector that has unquestionably been the worst casualty of this continued political instability and social turbulence.

Introduction - Tourism In Kashmir -Kashmir is the principal region in the state of Jammu and Kashmir, the two other supplementary units being Jammu and ladakh. The valley of Kashmir is an oval plain 140kms (87 miles) long and up to 40 kms(25) miles wide. It is surrounded by all sides by high mountains. Among the highest peaks are Naga Parbat (8,114 meters or 26,621 feet), Haramukh (5,150 meters or 16,896 feet), and Amarnath (5,280 meters or 17,323 feet) as well as the magnificent Pir Panjal Range with many peaks over 4,570 meters (14,993 feet). The fertile land of the valley, by the Jhelum River and its tributaries, produces croups of rice, maize, and an enormous variety of fruit and saffron which has been cultivated in Kashmir for over a thousand years.[1] Over the years Kashmir has come to love and look after its tourists fulfilling their every whim. Tourists are everywhere, soaking up all that Kashmir has to offer-the walks, the pony treks, the cable car rides over Gulmarg resort, the shikara rides at sunset on the Dal Lake.[2]

Tourist Spots In Kashmir - Dal Lake: much of Dal Lake is maze of intricate waterways rather than a simple sheet of open water.dal gate at the city end of the lake, controls the flow of the lake water into the Jhelum River canal. Within the lake are two islands which are popular picnic spots.Siliver island (sona lank) is at the north end of the lake while Gold island (Rupe Lank) is to the south. Both are also known as Char Chinar because they each have four Chinar trees on them. There is a third island, Nehru Park, at the end of the main stretch of the lakeside Boulevard, but it is a miserable affair. North of here a long causeway just out into the lake towards kotar khana, the house of pegions, this was once a royal summer house.[3]

Pahalgam - Also called the valley of Shepherds,[4] Pahalgam is about 96 kms from Srinagar and at 2130 meters from the sea level. The beautiful Lidder River flows right through the town, which is at the junction of the sheshnag and Lidder River and surrounded by soaring, fir covered mountains with snow capped peaks rising behind them. It is cool even during the height of summer. This is an ideal base for the short day treks or for the longer treks to Kolahoi Glacier or Amarnath cave. Pahalgam is the base for the pilgrimage to the amarnathji holy yatra. Pahalgam is also famous for its many shepherds. There are a common sight driving their flocks of sheep along the paths all around. A number of hotels and lodges cater to all prefences and budgets, from luxurious to unpretentious trekkers lodges, including JKTDS's delightfully romantic, fully furnished huts, partially concealed by giant pine trees. There is also a government Tourist Bungalow. During the summer season the tourist office operates several tent sites with ready set up and furnished tents.

Gulmarg - The large meadow of Gulmarg is 56 kms from Srinagar at an attitude of 2730 meters above the sea level. The name means 'meadow of flowers'[5] and in spring it is just that. This is also an excellent trekking base and in winter it is India's premier skiing resort. The skiing equipment available is a bit primitive and limited but the costs are very low and the area would also be wonderful for ski touring. Gulmarg also has one of the world's highest green golf courses, as well as a club house which is historical building in its own right. For a fun filled ride of a most unusual kind, Gulmarg's newly constructed Gondola lift from high above Gulmarg, through pine-clad slopes, is exhilarating.

Sindh Valley - There is a scenic area north of the Srinagar through which the road to Ladakh passes. The Zoji La pass marks the boundary from the Sindh valley into ladakh. From Srinagar one pass the dachigam wildlife reserve, once a royal game park. Anchar Lake is close to Srinagar but really visited and has a wide variety of water birds. There is a moghul garden built by nor Jahan at manasbal lake. Wular

* Research Scholor (Political Science) R. D. University, Jabalpur (M.P.) INDIA

Lake is possibly the largest fishwater lake in Asia[6] and the Jhelum River flows into it.

Sonamarg, at an attitude of 3000 meters, 87 kms from Srinagar, is the last major point in kashmir and an excellent base for trekking. Its name means 'meadow of gold', which could derive from the spring flowers or from the strategic trading position it once enjoyed. There are tourist Huts, a Rest house and some small hotels here. The tiny village of Baltal is the last place in Kashmir, right at the foot of the Zoji La.

Shopping - Everybody associates Kashmir's handicrafts and carpets, but there is a whole lot besides. Depending on the quality of one's purchase, one can pay a little as Rs10 or a few lakhs. Very much qualities exist side by side in kashmir to suit a variety of budgets.

Shawls - there are pure wool shawls called raffal which have different counts of wool- 40,60,80 etc, and the shawl is progressively more expensive as the count increases. Shawls mixed with other fibres like cotton and cotton derivatives are far cheaper. On the other hand, woolen shawls mixed with pashmina will be far more expensive. Naturally, a pure pashmina will run into thousands of rupees. Some shawls have gold zari embroidery work on them in hook work and are highly priced.

Papier Mache - Here too, the quality of papier Mache differs markedly, depending on two factors. The first is the papier Mache in its raw state. Unless it is smoothened adequately to be silky to the touch,it is not considard high grade. On the other hand, inexpensivepapier mache, brightly painted and varnished,makes a variety of gifts and souvenirs that do not cost a fortune. Eggs, egg cups, candle and pen stands,kum kum boxes and cigarette boxes are just a few options at the low end.

Walnut Wood - Items made from walnut wood came from three parts of the tree; the branches, the trunk and the root.The branches have the palest colour of wood, and the trunk the darkest. Branches have no veins. Objects made out of the root will be the costliest because of the wood used. As walnut is a soft wood,it takes carving very well.

Cricket Bats - Kashmir's willow is so highly priced**,** that most national team uses cricket bats from Kashmir.

The Impact of Terrorism on Tourism - "While Terrorism fuels insurgent animosity and militancy escalates confrontation and spells catastrophe, Tourism, on the other hand, promotes amity and understanding, friendship and an universal sense of fraternity" .

As per Chauhan & Khanna researchers have found out that "safety and security of tourist is a prerequisite for a prosperous tourist destination". The authors refer to Hall (2002) who analyzed that terrorism has a strong impact on the *WHERE* and *HOW* to travel and sometimes even on whether the journey should take place or not. Chauhan & Khanna admit that terrorism often causes cancellations and withdrawal of travel plans to certain destinations, though indicate the tourism industry as extremely indestructible . Buckley and Klemm cited in Chauhan & Khanna emphasise the dilemma connected with civil and political disturbances: international media immediately publish negative, shocking pictures "so that even those who are not afraid of terrorism are discouraged from taking holiday. It is not so that the area is dangerous; but it does not look attractive". Further it is suggested that locals and foreigners are equally likely to be involved in a crime scenario which causes the crucial variable "fear of the unknown and the risk"[7] . In addition, Ashraf criticizes that "the Foreign Officers of various western countries do not even wait for the details of incidents before issuing adverse travel advisories". Moreover the author highlights the imbalance of the impact and consequences of such occurrences happening in Europe and the U.S. in comparison to India. As an example; the whole world watched the attack of 9/11 when two planes crashed into the World Trade Centre, but never any dead bodies or victims were shown in order "to prevent panic, also among travelers" . "Had such an event occurred in India somewhere, not only gruesome pictures of bodies would have been splashed all over but the process would have continued for weeks on end". Further, no government advised its citizens to completely stop travelling to the U.S. (or European countries where other incidents happened) as it would have been the case with India . In order to avoid "this intentional or unintentional damage to the travel business" in India, and particularly in Jammu & Kashmir, and to keep a positive image alive, urge the media and officers of the travel industry to cooperate and closely work together. In addition, the local tourism industry could try to implement common marketing strategies such as incentive airline tickets or hotel rate discounts to promote the destination and to limit the impact of militancy on this sector.

In an attempt to gain a deeper inside view into the special relationship between terrorism and tourism, Richter (1983 cited in proposed that tourists (and sometimes also important sights) might be the perfect victim for terrorism since they are sensed as representatives of their countries and therefore cause a much higher media coverage and international attention. Consequentially, the involvement of the concerned countries of origin increases pressure on the actual targeted government and the worldwide publishing of the militants' opinions makes travelers the best channel for militants to get the messages and demands across further adds that "tourism symbolizes capitalism and state19 sponsored tourism represents government to many people" and therefore "an attack on tourism symbolizes an attack on the government terrorists oppose". Armed uprising in the state of J & K had a multi-dimensional impact on Kashmir tourism and its related sectors. Perusing the statistics, it can clearly be understood how hard the conflict affected tourism. Tourist arrival was remarkable 7.2 lakh in 1988 but saw a drastic dip in 1991 when it was a negligible 6287.

Table 1

S.no	Year	home	Foreign	total
1	1989	490212	67762	557977
2	1990	6095	4622	10722
3	1991	1400	4887	6287

4	1992	1175	9149	10324
5	1993	-	8026	8026
6	1994	500	9314	9814
7	1995	322	8198	8520
8	1996	375	9592	9967
9	1997	7020	9111	16131
10	1998	99636	10247	109883
11	1999	200162	17130	217292
12	2000	104337	7575	111912
13	2001	66732	5859	72591
14	2002	24670	2686	27356
15	2003	182205	8959	191164
16	2004	358095	18234	376729
17	2005	585702	19680	603582
18	2006	412879	20009	432888
19	2007	417260	24576	441836
20	2008	-	-	22000
21	2009	-	-	20809
22	2010	-	-	24376

Although the influx of tourists has registered an improvement after nineties, however, it is worth noting that the figures have come nowhere close to tourist arrival in pre-militancy period. Tourist spots were totally or partially encroached by army camps and pickets. Many historical sites were occupied by Indian forces including the world famous Mughal Inns. Frisking kept the local excursionists away from visiting various tourist destinations especially far-flung ones. Collateral damage affected numerous cultural and spiritual buildings. Around 180 historical structures were gutted during militancy in the state. Such places obviously remained off bounds of tourists. In various militancy related incidents tourists were also targeted.

In 1989, the last big season before the violence started, tourism accounted for approximately 10 per cent of the state's income. During the next 22 years of unrest, tourism contributed virtually nothing to the state's economy. Pre-militancy, international tourists constituted a significant portion of those visiting Kashmir. They spent on high-end handicraft products besides investing in adventure spots like trekking, skiing and rafting. However, Foreign Tourist Arrival (FTA) received a major blow after Al-Farhan, a militant organisation, kidnapped a group of western tourists in the early nineties, who were trekking in Pahalgam.Unfortunatel, they were never found. As a result of this specific incident negative travel advisories to visit Kashmir were issued by various foreign countries. This adversely affected the tourist revenue generated by foreign visitors. Militants also saw Indian tourists as soft targets.

Conclusion - Turmoil anywhere in the world affects economy directly and Kashmir is not a special case to it.The State lags far behind in annual economic growth as compared to national level. The survey indicated that the State has shown 5.27% annual growth during first three years of the tenth five year plan against the national average of 6.6% (Finance and Planning Commission 2007). The State has also felt the direct impact of conflict in terms of huge damage caused by violent incidents taking its toll on both public as well as private properties. From 1989 to 2002, over

1151 government buildings, 643 educational institutions, 11 hospitals, 337 bridges, 10729 private houses and 1953 shops have been gutted . The forests of the State, which once covered abouteight thousand square miles, have also been among the principal casualties of the violent deforestation. During the same period, it is estimated that the State lost 27 million tourists leading to tourism revenue loss of 3.6 billion dollars . The enormity of economic damage due to turmoil can be gauged by the fact that the estimates of damage till December 1996 were approximately 4 billion INR.

References :-

1. Weight Gillian,hill stations of india,penguin Books,New Delhi,1998,p.42
2. KR Singh Nagendra op.cit,p.518,
3. 3Ibid,pp.519-520
4. 4Wright Gillian,op.cit,p.43
5. 5Crowther Geoff,op.cit,p,213.
6. 6 Ibid.
7. 7 J&K Tourism, Unforgettable Kashmir, Hindustan Thompson Associates,Feb 2003,p.11.
8. 8 Crowther Geoff,op.cit,p.224.
9. 9 Ibid,p.226.
10. 10Man Mohan Sharma,op.cit,p,22.
11. 11 Reekha Chodary terrorism and movement, 2008,op.cit p,7.
12. 12Ibid op.cit,p.14-15
13. 13Finance & Planning Commission, 2007 cited in Ahmad & Hussain, 2011.
14. 14Chauhan & Khanna, 2009, p.71
15. 15Ahmad & Hussain, 2011,p.3-4.

****

Principle Of Political Realism

Dr. P. C. Ghritlahre * Dr. R. K. Tandan **

Introduction - There are six principles of political realism by Hans J. Morgenthau, but, here, we explain only two principles.

1. Political realism believes that politics, like society in general, is governed by objective laws that have their roots in human nature. In order to improve society it is first necessary to understand the laws by which society lives. The operation of these laws being impervious to our preferences, men will challenge them only at the risk of failure. Realism, believing as it does in the objectivity of the laws of politics, must also believe in the possibility of developing a rational theory that reflects, however imperfectly and one-sidedly, these objective laws. It believes also, then, in the possibility of distinguishing in politics between truth and opinion-between what is true objectively and rationally, supported by evidence and illuminated by reason, and what is only a subjective judgment, divorced from the facts as they are and informed by prejudice and wishful thinking.

Human nature, in which the laws of politics have their roots, has not changed since the classical philosophies of China, India, and Greece endeavored to discover these laws. Hence, novelty is not necessarily a virtue in political theory, nor is old age a defect. The fact that a theory of politics, if there be such a theory, has never been heard of before tends to create a presumption against, rather than in favor of, its soundness. Conversely, the fact that a theory of politics was developed hundreds or even thousands of years ag~as was the theory of the balance of power-does not create a presumption that it must be outmoded and obsolete. A theory of politics must be subjected to the dual test of reason and experience. To dismiss such a theory because it had its flowering in centuries past is to present not a rational argument but a modernistic prejudice that takes for granted the superiority of the present over the past. To dispose of the revival of such a theory as a "fashion" or "fad" is tantamount to assuming that in matters political we can have opinions but no truths.

For realism, theory consists in ascertaining facts and giving them meaning through reason. It assumes that the character of a foreign policy can be ascertained only through the examination of the political acts performed and of the foreseeable consequences of these acts. Thus we can find out what statesmen have actually done, and from the foreseeable consequences of their acts we can surmise what their objectives might have been.

Yet examination of the facts is not enough. To give meaning to the factual raw material of foreign policy, we must approach political reality with a kind of rational outline, a map that suggests to us the possible meanings of foreign policy. In other words, we put ourselves in the position of a statesman who must meet a certain problem of foreign policy under certain circumstances, and we ask ourselves what the rational alternatives are from which a statesman may choose who must meet this problem under these circumstances (presuming always that he acts in a rational manner), and which of these rational alternatives this particular statesman, acting under these circumstances, is likely to choose. It is the testing of this rational hypothesis against the actual facts and their consequences that gives theoretical meaning to the facts of international politics.

2. The main signpost that helps political realism to find its way through the landscape of international politics is the concept of interest defined in terms of power. This concept provides the link between reason trying to understand international politics and the facts to be understood. It sets politics as an autonomous sphere of action and understanding apart from other spheres, such as economics (understood in terms of interest defined as wealth), ethics, aesthetics, or religion. Without such a concept a theory of politics, international or domestic, would be altogether impossible, for without it we could not distinguish between political and nonpolitical facts, nor could we bring at least a measure of systematic order to the political sphere.

We assume that statesmen think and act in terms of interest defined as power, and the evidence of history bears that assumption out. That assumption allows us to retrace and anticipate, as it were, the steps a statesman—past, present, or future—has taken or will take on the political scene. We look over his shoulder when he writes his dispatches; we listen in on his conversation with other statesmen; we read and anticipate his very thoughts. Thinking in terms of interest defined as power, we think as he does, and as disinterested observers we understand his thoughts and actions perhaps better than he, the actor on

* Principal, Mahatma Gandhi Govt. College, Kharsia, Distt. Raigarh (C.G.) INDIA
** Asst. Professor, Mahatma Gandhi Govt. College, Kharsia, Distt. Raigarh (C.G.) INDIA

the political scene, does himself.

The concept of interest defined as power imposes intellectual discipline upon the observer, infuses rational order into the subject matter of politics, and thus makes the theoretical understanding of politics possible. On the side of the actor, it provides for rational discipline in action and creates that astounding continuity in foreign policy which makes American, British, or Russian foreign policy appear as an intelligible, rational continuum, by and large consistent within itself, regardless of the different motives, preferences, and intellectual and moral qualities of successive statesmen.

A realist theory of international politics, then, will guard against two popular fallacies: the concern with motives and the concern with ideological preferences.

To search for the clue to foreign policy exclusively in the motives of statesmen is both futile and deceptive. It is futile because motives are the most illusive of psychological data, distorted as they are, frequently beyond recognition, by the interests and emotions of actor and observer alike. Do we really know what our own motives are? And what do we know of the motives of others?

Yet even if we had access to the real motives of statesmen, that knowledge would help us little in understanding foreign policies, and might well lead us astray. It is true that the knowledge of the statesman's motives may give us one among many clues as to what the direction of his foreign policy might be. It cannot give us, however, the one clue by which to predict his foreign policies. History shows no exact and necessary correlation between the quality of motives and the quality of foreign policy. This is true in both moral and political terms.

We cannot conclude from the good intentions of a statesman that his foreign policies will be either morally praiseworthy or politically successful. Judging his motives, we can say that he will not intentionally pursue policies that are morally wrong, but we can say nothing about the probability of their success. If we want to know the moral and political qualities of his actions, we must know them, not his motives. How often have statesmen been motivated by the desire to improve the world, and ended by making it worse? And how often have they sought one goal, and ended by achieving something they neither expected nor desired? Neville Chamberlain's politics of appeasement were, as far as we can judge, inspired by good motives; he was probably less motivated by considerations of personal power than were many other British prime ministers, and he sought to preserve peace and to assure the happiness of all concerned. Yet his policies helped to make the Second World War inevitable, and to bring untold miseries to millions of men.

Sir Winston Churchill's motives, on the other hand, were much less universal in scope and much more narrowly directed toward personal and national power, yet the foreign policies that sprang from these inferior motives were certainly superior in moral and political quality to those pursued by his predecessor. Judged by his motives, Robespierre was one of the most virtuous men who ever lived. Yet it was the utopian radicalism of that very virtue that made him kill those less virtuous than himself, brought him to the scaffold, and destroyed the revolution of which he was a leader.

Good motives give assurance against deliberately bad policies; they do not guarantee the moral goodness and political success of the policies they inspire. What is important to know, if one wants to understand foreign policy, is not primarily the motives of a statesman, but his intellectual ability to comprehend the essentials of foreign policy, as well as his political ability to translate what he has comprehended into successful political action. It follows that while ethics in the abstract judges the moral qualities of motives, political theory must judge the political qualities of intellect, will, and action.

A realist theory of international politics will also avoid the other popular fallacy of equating the foreign policies of a statesman with his philosophic or political sympathies, and of deducing the former from the latter. Statesmen, especially under contemporary conditions, may well make a habit of presenting their foreign policies in terms of their philosophic and political sympathies in order to gain popular support for them. Yet they will distinguish with Lincoln between their *"official* duty," which is to think and act in terms of the national interest, and their *"personal* wish," which is to see their own moral values and political principles realized throughout the world. Political realism does not require, nor does it condone, indifference to political ideals and moral principles, but it requires indeed a sharp distinction between the desirable and the possible-between what is desirable everywhere and at all times and what is possible under the concrete circumstances of time and place.

It stands to reason that not all foreign policies have always followed so rational, objective, and unemotional a course. The contingent elements of personality, prejudice, and subjective preference, and of all the weaknesses of intellect and will which flesh is heir to, are bound to deflect foreign policies from their rational course. Especially where foreign policy is conducted under the conditions of democratic control, the need to marshal popular emotions to the support of foreign policy cannot fail to impair the rationality of foreign policy itself. Yet a theory of foreign policy which aims at rationality must for the time being, as it were, abstract from these irrational elements and seek to paint a picture of foreign policy which presents the rational essence to be found in experience, without the contingent deviations from rationality which are also found in experience.

Deviations from rationality which are not the result of the personal whim or the personal psychopathology of the policy maker may appear contingent only from the vantage point of rationality, but may themselves be elements in a coherent system of irrationality. The conduct of the Indochina War by the United States suggests that possibility. It is a question worth looking into whether modern psychology and psychiatry have provided us with the conceptual tools which would enable us to construct, as it were, a counter-theory of irrational politics, a kind of pathology of international politics.

The experience of the Indochina War suggests five factors such a theory might encompass: the imposition upon the empirical world of a simplistic and a *priori* picture of the world derived from folklore and ideological assumption, that is, the replacement of experience with superstition; the refusal to correct this picture of the world in the light of experience; the persistence in a foreign policy derived from the misperception of reality and the use of intelligence for the purpose not of adapting policy to reality but of reinterpreting reality to fit policy; the egotism of the policy makers widening the gap between perception and policy, on the one hand, and reality, on the other; finally, the urge to close the gap at least subjectively by action, any kind of action, that creates the illusion of mastery over a recalcitrant reality. According to the *Wall Street Journal* of April 3, 1970, "the desire to 'do something' pervades top levels of Government and may overpower other 'common sense' advice that insists the U.S. ability to shape events is negligible. The yen for action could lead to bold policy as therapy."

The difference between international politics as it actually is and a rational theory derived from it is like the difference between a photograph and a painted portrait. The photograph shows everything that can be seen by the naked eye; the painted portrait does not show everything that can be seen by the naked eye, but it shows, or at least seeks to show, one thing that the naked eye cannot see: the human essence of the person portrayed.

Political realism contains not only a theoretical but also a normative element. It knows that political reality is replete with contingencies and systemic irrationalities and points to the typical influences they exert upon foreign policy. Yet it shares with all social theory the need, for the sake of theoretical understanding, to stress the rational elements of political reality; for it is these rational elements that make reality intelligible for theory. Political realism presents the theoretical construct of a rational foreign policy which experience can never completely achieve.

At the same time political realism considers a rational foreign policy to be good foreign policy; for only a rational foreign policy minimizes risks and maximizes benefits and, hence, complies both with the moral precept of prudence and the political requirement of success. Political realism wants the photographic picture of the political world to resemble as much as possible its painted portrait. Aware of the inevitable gap between good—that is, rational—foreign policy and foreign policy as it actually is, political realism maintains not only that theory must focus upon the rational elements of political reality, but also that foreign policy ought to be rational in view of its own moral and practical purposes. Hence, it is no argument against the theory here presented that actual foreign policy does not or cannot live up to it. That argument misunderstands the intention of this book, which is to present not an indiscriminate description of political reality, but a rational theory of international politics. Far from being invalidated by the fact that, for instance, a perfect balance of power policy will scarcely be found in reality, it assumes that reality, being deficient in this respect, must be understood and evaluated as an approximation to an ideal system of balance of power.

Reference :-

1. Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised, (New York: Alfred A. Knopf, 1978, pp. 4-15

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Constitutionalization Of Panchayti Raj In India

Ishfaq Ahmad Wani *

Abstract - India has chequered history of Panchayti Raj from a self-sufficient and self-governing village communities that survived the rise and fall of empires in the past to the modern institutions of governance at the third tier provided with constitutional support. After the enactment of the new amendment regarding the local bodies in general and panchayats in particular the study of Panchayti Raj and grass root politics has assumed greater importance.

Introduction - In the time of the Rig-Veda (1700 BC), evidences suggest that self-governing village bodies called 'sabhas' existed. With the passage of time, these bodies became panchayats (council of five persons). Panchayats were functional institutions of grassroots governance in almost every village. The Village Panchayat or elected council had large powers, both executive and judicial. Land was distributed by this panchayat which also collected taxes out of the produce and paid the government's share on behalf of the village. Above a number of these village councils there was a larger panchayat or council to supervise and interfere if necessary.[1]Casteism and feudalistic system of governance under Mughal rule in the medieval period slowly eroded the self-government in villages. A new class of feudal chiefs and revenue collectors (zamindars) emerged between the ruler and the people. And, so began the stagnation and decline of self-government in villages.

During British rule - "The panchayat was destroyed by the East India Company when it was granted the office of Diwan in 1765 by the Mughal Emperor as part of reparation after his defeat at Buxar. **The Royal Commission on Decentralisation (1907)** under the chairmanship of C.E.H. Hobhouserecognised the importance of panchayats at the village level. The commission recommended that "it is most desirable, alike in the interests of decentralisation and in order to associate the people with the local tasks of administration, that an attempt should be made to constitute and develop village panchayats for the administration of local village affairs".[2]The provincial autonomy under the Government of India Act, 1935, marked the evolution of panchayats in India. Popularly elected governments in provinces enacted legislations to further democratise institutions of local self-government. But the system of responsible government at the grassroots level was least responsible. D.P. Mishra, the then minister for local self-government under the Government of India Act of 1935 in Central Provinces was of the view that 'the working of our local bodies... in our province and perhaps in the whole country presents a tragic picture... 'Inefficiency' and 'local body' have become synonymous terms....'.[3]

Post-independence period - During the drafting of the Constitution of India, Panchayati Raj Institutions were placed in the non-justiciable part of the Constitution, the Directive Principles of State Policy, as Article 40. The Article read 'the State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government'. However, no worthwhile legislation was enacted either at the national or state level to implement it.The First Five Year Plan failed to bring about active participation and involvement of the people in the Plan processes, which included Plan formulation implementation and monitoring. But the plan failed to satisfactorily accomplish decentralisation. Hence, committees were constituted by various authorities to advise the Centre on different aspects of decentralisation.

The BalwantRai Mehta Committee (1957) - In 1957, BalwantRai Mehta Committee studied the Community Development Projects and the National Extension Service and assessed the extent to which the movement had succeeded in utilising local initiatives and in creating institutions to ensure continuity in the process of improving economic and social conditions in rural areas. The Committee held that community development would only be deep and enduring when the community was involved in the planning, decision-making and implementation process.[4] The suggestions were for as follows:[5]

- An early establishment of elected local bodies and devolution to them of necessary resources, power and authority,
- That the basic unit of democratic decentralisation was at the block/samiti level since the area of jurisdiction of the local body should neither be too large nor too small. The block was large enough for efficiency and economy of administration, and small enough for sustaining a sense of involvement in the citizens,

* Research Scholar (Political Science) R.D. University, Jabalpur (M.P.) INDIA

- Such body must not be constrained by too much control by the government or government agencies,
- The body must be constituted for five years by indirect elections from the village panchayats,
- Its functions should cover the development of agriculture in all its aspects, the promotion of local industries and others
- Services such as drinking water, road building, etc., and
- The higher level body, ZillaParishad, would play an advisory role.

The PRI structure did not develop the requisite democratic momentum and failed to cater to the needs of rural development. There are various reasons for such an outcome which include political and bureaucratic resistance at the state level to share power and resources with local level institutions, domination of local elites over the major share of the benefits of welfare schemes, lack of capability at the local level and lack of political will.

It was decided to appoint a high-level committee under the chairmanship of Ashok Mehta to examine and suggest measures to strengthen PRIs. The Committee had to evolve an effective decentralised system of development for PRIs. They made the following recommendations:[6]-

- The district is a viable administrative unit for which planning, co-ordination and resource allocation are feasible and technical expertise available,
- PRIs as a two-tier system, with Mandal Panchayat at the base and ZillaParishad at the top,
- The PRIs are capable of planning for themselves with the resources available to them,
- District planning should take care of the urban-rural continuum,
- Representation of SCs and STs in the election to PRIs on the basis of their population,
- Four-year term of PRIs,
- Participation of political parties in elections,
- Any financial devolution should be committed to acceptingthat much of the developmental functions at the district level would be played by the panchayats.

The states of Karnataka, Andhra Pradesh and West Bengal passed new legislation based on this report. However, the flux in politics at the state level did not allow these institutions to develop their own political dynamics.

G.V.K. Rao Committee (1985) - The G.V.K. Rao Committee was appointed by Planning Commission to once again look at various aspects of PRIs. The Committee was of the opinion that a total view of rural development must be taken in which PRIs must play a central role in handling people's problems. It recommended the following:[7]-

- PRIs have to be activated and provided with all the required support to become effective organisations,
- PRIs at district level and below should be assigned the work of planning, implementation and monitoring of rural development programmes, and
- The block development office should be the spinal cord of the rural development process.

L.M.Singhvi Committee (1986) - L.M. Singhvi Committee studied panchayati raj. The Gram Sabha was considered as the base of a decentralised democracy, and PRIs viewed as institutions of self-governance which would actually facilitate the participation of the people in the process of planning and development. It recommended:[8]

- Local self-government should be constitutionally recognised, protected and preserved by the inclusion of new chapter in the Constitution,
- Non-involvement of political parties in Panchayat elections.

The suggestion of giving panchayats constitutional status was opposed by the Sarkaria Commission, but the idea, however, gained momentum in the late 1980s especially because of the endorsement by the late Prime Minister Rajiv Gandhi, who introduced the 64th Constitutional Amendment Bill in 1989. The 64th Amendment Bill was prepared and introduced in the lower house of Parliament. But it got defeated in the Rajya Sabha as non-convincing. He lost the general elections too. In 1989, the National Front introduced the 74th Constitutional Amendment Bill, which could not become an Act because of the dissolution of the Ninth Lok Sabha. All these various suggestions and recommendations and means of strengthening PRIs were considered while formulating the new Constitutional Amendment Act.

The 73rd Constitutional Amendment Act - The idea which produced the 73rd Amendment [9] was not a response to pressure from the grassroots, but to an increasing recognition that the institutional initiatives of the preceding decade had not delivered, that the extent of rural poverty was still much too large and thus the existing structure of government needed to be reformed. It is interesting to note that this idea evolved from the Centre and the state governments. It was a political drive to see PRIs as a solution to the governmental crises that India was experiencing. The Constitutional (73rd Amendment) Act, passed in 1992 by the Narasimha Rao government, came into force on April 24, 1993. It was meant to provide constitutional sanction to establish "democracy at the grassroots level as it is at the state level or national level". Its main features are as follows:[10]

- The Gram Shabha or village assembly as a deliberative body to decentralised governance has been envisaged as the foundation of the Panchayati Raj System.73rd Amendment of the Constitution empowered the Gram Sabhas to conduct social audits in addition to its other functions.
- A uniform three-tier structure of panchayats at village (Gram Panchayat — GP), intermediate or block (Panchayat Samiti — PS) and district (ZillaParishad — ZP) levels.
- All the seats in a panchayat at every level are to be filled by elections from respective territorial constituencies.

- Not less than one-third of the total seats for membership as well as office of chairpersons of each tier have to be reserved for women.
- Reservation for weaker castes and tribes (SCs and STs) have to be provided at all levels in proportion to their population in the panchayats.
- To supervise, direct and control the regular and smooth elections to panchayats, a State Election Commission has The Act has ensured constitution of a State Finance Commission in every State/UT, for every five years, to suggest measures to strengthen finances of panchayati raj institutions.
- To promote bottom-up-planning, the District Planning Committee (DPC) in every district has been accorded constitutional status.
- An indicative list of 29 items has been given in Eleventh Schedule of the Constitution. Panchayats are expected to play an effective role in planning and implementation of works related to these 29 items.

Conclusion - At present, there are about 3 million elected representatives at all levels of the panchayat 1/2th of which are women. These members represent more than 2.4 lakh (240,000) Gram Panchayats, about 6,000 intermediate level tiers and more than 500 district panchayats. Spread over the length and breadth of the country, the new panchayats cover about 96 per cent of India's more than 5.8 lakh (580,000) villages and nearly 99.6 per cent of rural population. This is the largest experiment in decentralisation of governance in the history of humanity.

The Constitutionvisualises panchayats as institutions of self-governance. However, giving due consideration to the federal structure of India's polity, most of the financial powers and authorities to be endowed on panchayats have been left at the discretion of concerned state legislatures. Consequently, the powers and functions vested in PRIs vary from state to state. These provisions combine representative and direct democracy into a synergy and are expected to result in an extension and deepening of democracy in India. Hence, panchayats have journeyed from an institution within the culture of India to attain constitutional status.

References :-

1. Jawaharlal Nehru, (1964), The Discovery of India, Signet Press, Calcutta, p.288.
2. Report of the Royal-•OInmission on Decentralisation, 1907 .
3. Venkatarangaiah, M. and M. Pattabhiram (1969), 'Local Government in India:Select Readings', Allied Publishers, New Delhi .
4. Government of India, Report of the Team for the Study of Community Projects and National Extension Service, (Chairperson: Balvantray Mehta), Committee on Plan Projects, National Development Council, (New Delhi, November 1957), Vol. I.
5. AnirbanKashyap : Panchaytiraj , Views of founding fathers and recommendation of different committees , New Delhi, Lancer Books, 1989 P 109 .
6. Ibid.AnirbanKashyap, p 112.
7. World Bank: Overview of ruraldecentralisation in indi Volume III World Bank, 2000 P 21
8. MahojRai et al.:The state of Panchayats – A participatory perspective, New Delhi, Smscriti, 2001 P 9.
9. The Constitution (Seventy Third Amendment) Act, 1992, The Gazette of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, New Delhi, 1993.
10. T M Thomas Issac with Richard Franke : Local democracy and development – Peoples Campaign for decentralized planning in Kerala, New Delhi, Leftword Books, 2000 P 19.

****

India's policy Towards Afghanistan post 9/11

Dr. Ranjana Mishra * Irshad Ahmad Mir **

Abstract - Afghanistan's strategic and economic importance hits the world actors. India's active involvement is quite realistic. India took the better part of the last decade in getting over her strategic timidity to assume a more assertive security role and has growing stakes in peace and stability in Afghanistan. As the U.S -led North Atlantic Treaty Organization forces prepare to leave Afghanistan, India stands at a crossroads as it remains keen to preserve its interests in Afghanistan. The paper is an attempt to examine the rationale of India's renewed engagement with post 2001 Afghanistan and to understand the nuances into the multiple shifts in policy making that mark New Delhi's attempts of fulfilling its objectives in Afghanistan.

Key words - Central Asia, regional security, Capacity building measures, Strategic depth.

Introduction - Bilateral ties between India and Afghanistan span over centuries, given Afghanistan's close links to the South Asian civilization historically. India has traditionally maintained strong cultural ties with Afghanistan, resulting in stable relations between the two states. Of course, imperial powers such as Great Britain and Russia used Afghanistan as a pawn in their "great game" of colonization and given the contested boundary between British India and Afghanistan, the ties between the two remained frayed[1] But after independence, as the problem of the Durand line got transferred to Pakistan, India had no reason not to enjoy good ties with Afghanistan, especially given the adversarial nature of India-Pakistan relations. India had strong links with various governments in Kabul throughout its history except for the brief period between September 1996 and 2001 when Afghanistan was ruled by a rabidly pro-Pakistan and anti-Indian Taliban radical government. India's relations with Afghanistan gained momentum after the fall of the Taliban regime. The relations between India and Afghanistan are not governed by any borders unlike Pakistan. Traditionally, India's support for the Northern Alliance against the Pakistan-backed Taliban in the 1990s strengthened its position in Kabul after 2001 as many Alliance members came to hold key governmental or provincial posts. New Delhi has also done its best to restore the balance in its engagement with a range of different ethnic groups and political afliations in Afghanistan and has used its vocal support for President Hamid Karzai, an ethnic Pashtun educated in India, to demonstrate its keenness to revive its close ties with the Pashtuns, on the one hand, and to support the Afghan government and the country's economic and political restructuring, on the other.[2]

India's involvement in Afghanistan - India has played an active role in the reconstruction of Afghanistan, based on the understanding that social and economic development is key to ensuring that Afghanistan becomes a source of regional stability. India's pledged assistance to Afghanistan stands at 1.2 billion US dollars. Indian projects cover all parts of Afghanistan[3], in a wide range of sectors, identified by the Afghanistan as priority areas for reconstruction and development. The latest phase of the bilateral development partnership focuses on capacity development and building Afghan institutions. India's assistance activities and development partnership with Afghanistan covers major broader areas:[4]

1. **Social Development** which includes consignment for immediate humanitarian reliefs, medicines, educational kits, books, reconstruction of schools, donation of desks and benches for the school, and construction of toilets.
2. **Infra-structure development** which includes the supply of aircrafts, busses and vehicles. It also considers the consideration of transmission lines and solar electrification.
3. **Capacity Building Measures** through training of school teachers, ICT professionals, doctors, diplomats, skill development, providing of sewing machines, banking, etc.
4. **Economic development** which includes digging up of deep wells, agriculture, and construction of cold storage, etc.
5. **Contribution to reconstruction process** includes funding the Afghan Government budget and World Bank managed Afghan Reconstruction Trust Fund
6. **Technology & Scientific Upgradation** which includes restoration/revamping of Information systems, TV satellite, telecommunication, setting up of common facilities service centre, TV studio, a TV transmitter, a mobile TV satellite uplink and TV relay centres[5]

* Prof. (Political Science) Govt. Mahakaushal Arts & Commerce Autonomous College, Jabalpur (M.P.) INDIA
** Research Scholar (Political Science) R.D. University, Jabalpur (M.P.) INDIA

Indian interests in Afghanistan - Given that a politically and economically stable Afghanistan is a strategic priority for India, India maintains that the ongoing effort to help Afghanistan emerge from war, strife and privation is its responsibility as a regional power. India has a range of interests in Afghanistan that it would like to preserve and enhance and it is towards this end that it has expended its diplomatic energy in recent years.[6]

A Bridge to Central Asia - Afghanistan is also viewed as a gateway to the Central Asian region where India hopes to expand its influence. Central Asia is crucial for India not only because of its oil and gas reserves that India wishes to tap for its energy security but also because other major powers such as the US, Russia and China have already started competing for influence in the region[7]. The regional actors view Afghanistan as a potential source of instability even as their geopolitical rivalry remains a major cause of Afghanistan's troubles.

Expanding Regional Influence - A major factor behind India's pro-active Afghanistan agenda has been India's attempt to carve out for itself a greater role in regional affairs, more in consonance with its rising economic and military profile. India wants to establish its credentials as a major power in the region that is willing to take responsibility for ensuring stability around its periphery [8]. By emerging as a major donor for Afghanistan, India is trying to project itself as a significant economic power that can provide necessary aid to the needy states in its neighborhood. It has been contended that India's "pro-active foreign policy vis-à-vis Afghanistan has been predicated upon New Delhi's keenness to be of use to American regional policy" to the detriment of a traditional "independent" Indian approach towards its neighbours.

Countering Pakistan - To a large extent, India's approach towards Afghanistan has been a function of its Pakistan policy. It is important for India that Pakistan does not get a foothold in Afghanistan and so historically India has attempted to prevent Pakistan from dominating Afghanistan[9]. India would like to minimize Pakistan's involvement in the affairs of Afghanistan and to ensure that a fundamentalist regime of the Taliban variety does not take root again. Pakistan, on the other hand, has viewed Afghanistan as a good means of balancing out India's preponderance in SouthAsia.[9] Good India-Afghanistan ties are seen by Pakistan as detrimental to its national security interests as the two states flank the two sides of Pakistan's borders Given these conflicting imperatives, both India and Pakistan have tried to neutralize the influence of each other in the affairs of Afghanistan[10]

Containing Islamist Extremism - India's other major interest is to make sure that Islamist extremism remains under control in its neighbourhood and its struggle against Islamist extremism is also closely intertwined with the rise of extremism in Pakistan and Afghanistan. Pakistan has long backed separatists in Jammu and Kashmir in the name of self-determination and India has over the years been a major victim of the radicalization of Islamist forces in Kashmir which have been successful in expanding their network across India.

Limits of Soft Power - Despite having a range of interests in Afghanistan, a consensus has emerged in India in recent years that India's 'soft power' strategy of relying on political and economic engagement and cultural outreach, while making India one of the most popular foreign presence among ordinary Afghans, has not brought it any perceptible strategic gains. Rather, India stands side-lined by the West despite being the only country that has been relatively successful in winning the "hearts and minds" of the Afghans. From the very beginning the prime objective of India's Afghanistan policy has been pre-empting the return of Pakistan's embedment in Afghanistan's strategic and political firmament [11]. And ironically it is India's success in Afghanistan that had driven Pakistan's security establishment into a panic mode with a perception gaining ground that India was 'taking over Afghanistan.' The Obama Administration's work for a withdrawal of American forces from Afghanistan has given the necessary opening to Pakistan to regain its lost influence in Kabul.[12] In order to keep Islamabad in good humor, Washington has insisted on India limiting its role in Afghanistan. Washington seems to have bought Islamabad's argument that large Indian presence in Afghanistan threatens Pakistan and make it difficult for it to cooperation fully with the international community in the fight against Al Qaeda and the Taliban. Yet India had a very limited presence in Afghanistan in 1990s and it was then that Pakistan got a free hand in nurturing the Taliban. India has much to consider[13]. The return of the Taliban to Afghanistan would pose a major threat to its borders. In the end, the brunt of escalating terrorism will be borne by India, which already has been described as 'the sponge that protects' the West. Indian strategists warn that a hurried US withdrawal with the Taliban still posing a threat to Afghanistan will have serious implications for India, not the least of which would be to see Pakistan, its eternal rival, step in more aggressively. As Henry Kissinger has warned, "In many respects India will be the most affected country if jihadist Islamism gains impetus in Afghanistan."[14]

Conclusion - Under these circumstances, India's engagement and investment in reconstruction activities in Afghanistan may be challenged. Afghanistan is yet to have a well trained Army and its police force is ill-equipped to deal with Taliban insurgency. Therefore, India has concerns about the post-US withdrawal situation that may emerge in Afghanistan. India has to rethink how best to protect its strategic stake in preventing an upsurge of Islamic extremism and enhancing its economic and political connectivity with Afghanistan and Central Asia.

References :-

1. V. Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan, Stan-ford, CA: Stanford University Press, 1969, pp. 91-128.

2. Harsh V. Pant, "India's Changing Role: The Afghan Con!ict," The Middle East Quarterly, Vol. xviii, No.2, Spring 2011.
3. Partha S. Ghosh and Rajaram Panda, "Domestic Support for Mrs Gandhi's Afghanistan Policy: The Soviet Factor in Indian Politics," Asian Survey, Vol. 23, No. 3, 1983, pp. 261-63.
4. Steve Coll, Ghost Wars: The Secret Story of the CIA, Afghani-stan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, New York: The Penguin Books, 2004, pp. 463, 513.
5. "Taliban praise India for resisting US pressure on Afghan-istan," Press Trust of India, June 17, 2012.
6. On the changing priorities of Indian foreign policy in re-cent years, see Harsh V. Pant, Contemporary Debates in Indian For-eign and Security Policy: India Negotiates Its Rise in the International System, New York: Palgrave Macmillan, 2008
7. See the statement made by the Indian Prime Minister at the end of the signing of the first-ever Strategic Partnership Agreement with Afghanistan on October 4, 2011.
8. Press Trust of India, "India-Afghanistan Blossom Amidst Turmoil," December 27, 2006.
9. A. Baruah, "Karzai Keen on Indian Expertise," The Hindu, January 22, 2002
10. Ahmad Nadem and Ahmad Haroon, "Sixteen Afghan civil-ians killed in rogue US attack," Reuters, March 11, 2012.
11. Nicholas Watt, "Obama and Cameron pledge not to delay Afghanistan withdrawal," The Guardian, March 15, 2012.
12. Elisabeth Bumiller and Allison Kopicki, "Support for Af-ghan War Falls in US, Poll Finds," The New York Times, March 26, 2012..
13. Mark Landler, "Obama Signs Pact in Kabul, Turning Page in Afghan War," The New York Times, May 1, 2012.
14. Matthieu Aikins, "Following the Money," The Caravan Magazine, September 1, 2011.

****

Women Empowerment In The State Of Jammu And Kashmir

Dr. Poornima Sharma * Arsheed Aziz Khanday **

Abstract - Women empowerment is a debatable subject. At earlier time they were getting equal status with men. But they had faced some difficulties during post-Vedic and epic ages. Many a time they were treated as slave. Today we have seen the women occupied the respectable positions in all walks of the fields. Yet, they have not absolutely free some discrimination and harassment of the society. The Preamble of the Constitution proclaims that its aim is to secure justice – social, economic and political and equality of status and opportunity. Realization of this grand vision is still a distant dream even since the operation of the Constitution. Down the ages women are considered weak; all times she depends on man, do not have abilities to take care of them, so the male member of the family, society should protect them. In the society, the women's, social economical political participation is limited or restricted due to lack of and access to opportunities. Such situations make them fall prey to exploitations. The social structure based on class, caste, race, gender and religious & social cultural practices puts the unjust power relations in men and women. The conditions in the country are fastly changing, yet women are still treated, in some respects, in the same old way, yet the perception that women are second to men has not been erased, mushroom growth of crimes against women have been seen, and also women's own perception is responsible for changing but not respectful status of women in India. There are endless sufferings faced by Kashmiri women in the bloody conflict for the last two decades.

Keywords - Constitution, Participation, Discriminate

Introduction - Women empowerment is one of the most important and challenging issues in the present day of the world. We know that women have a great contribution in the development process but they have low status as compared to man specifically in the developing world (Khan et al., 2010). Women empowerment is a revolution to make people equal who have never been equal and to transfer a fair share of resources in to the hands of the women who have been denied for this for generations upon generations. Empowerment of women means recognizing women's knowledge, helping women to shed their own fears and feelings of in adequacy and inferiority ,enhancing women's self respect and self dignity making women economically independent and self-reliant, creating and strengthening of women groups and organizations, promoting qualities of nurturing and caring gentleness. Economic independence or access to an inherited or self-generated income is considered the major means of empowerment of women. To a great extent this is true as economic dependence is the worst form of dependence. Empowerment can serve as a powerful instrument for women to achieve social political and economic mobility and achieve power and status in society. Women's empowerment would be able to develop self- esteem, confidence, realize their potential and enhance their collective bargaining power (Kumari,2006).

Status of women in society in Jammu and Kashmir - With the changing Kashmiri society, a large no of Women have begin working outside their homes regularly on remunerative basis. They work in all fields, manual and non-manual, commercial and professional technical, governmental offices, public and private sectors, and on a part time and full time basis. They belong to all classes, groups and communities (Dabla, 1991). In the Kashmir region, Women traditionally ply the crafts of embroidery, namda-making, carpet weaving and a little pottery making. In agricultural activities, women do play a role, but their contribution is not recognized as forming a significant factor. Women's participation in agriculture is during sowing, harvesting and weeding. It is not tradition for kashmiri Women to work as laborers (Awasty, 1982). The women of the artisan class supplement their husband's work. For example, the potter's wife digs the clay for her husband and paints the ports with streaks of colour before they are baked. The shawl industry gave work to a number of women in their homes. The 'Pashmina' was given in its raw state to women who spun it into the reed to different degree of fineness. They sold it in the small quantities to shopkeepers in the 'bazaar', from home it was brought by the 'Karkhanadars' and others . But, the unfortunate decline in shawl industry has rendered hundreds of such women destitute and helpless.

The process of change in Kashmiri women's status proceeded smoothly in the valley till 1988. There was no strong opposition to this pattern of change among women. But, in 1989 some Islamic groups and organizations criticize

*H.O.D. (Political Science) Hitkarni Science, Comm. and Arts College, Deotal Garaha, Jabalpur (M.P.) INDIA
** Research Scholar (Political Science) R.D. University, Jabalpur (M.P.) INDIA

the pattern of change and emphasized the need for Muslim women to observe 'Purdah' and other related Islamic practices. Tell it prevailed continuously. The most glaring turning point in the status of Kashmiri women is that the state legislature on 5th March 2004 exercised its powers under section 8 of the Jammu and Kashmir Constitution and passed the Jammu and Kashmir Permanent Resident (Disqualification) Bill, 2004 Which Provides that a female permanent resident (Kashmir Times, 2004). The fate of this Bill is still in quandary

Empowering Skilled Young Women Scheme - Empowering Skilled Young Women Scheme (ESW) that forms a part of Sher-i-Kashmir Employment and Welfare Programme was launched by J&K State Women Development Corporation on 8th march, 2010, on International Women's Day. Women entrepreneurs belonging to different districts of the state can establish gainful income generating units on nominal interest rate of 6% on select trades of readymade garments, aromatic Medicinal Plants, boutique, fashion designing, cosmetic Shop, DTP, Medical Health Care, Mushroom Cultivation and Floriculture/Agriculture etc. The J&K Women Development Corporation is raising loan from National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) and releasing the term loans to female beneficiaries for starting income generating units. Besides, there are schemes financed by National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) and National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC) under which loans are advanced to females of backward classes for setting up of their income generating units and handicapped respectively. Training centers for skill development of artisans/women beneficiaries are set up under these schemes and thereafter, women are brought under micro credit net to display & sell their products in exhibition-cum-melas which are organized by the State Women Development Corporation, both inside and outside the State. These meets give opportunities to women to sell their products.

Demographic Profile of women in Jammu and Kashmir - Census 2001 reveal that out of 54,41,341 people, 48 percent i.e. 25,92,024 are female in Kashmir region comprising of 1,920,945 women (74 per cent) in rural areas and 6,71,079 women (26 per cent) in urban areas. Out of 7,48,692, persons in the age group of 0-6 years, 49 percent i.e. 3,71,226 are female. About 89.5 per cent females (3,02,727) in this age group belong to rural areas whereas only 18.5 per cent females (68,499) of this age group belong to urban areas. The increase in female population observed during the last 20 years is 69.0 per cent. However, the sex ratio is observed 927 in rural areas and 822 in urban areas (census of India, 2001).

Literacy level of women in Jammu and Kashmir -The education of women's is very important from every point of view. It is only through education of women that can expect happier family life, better hygienic condition, greater reduction in fertility rate, increased production and economic prosperity. The progress is observed in the spread of education in Jammu and Kashmir over a period of about three decades. The census 2001 reveals more female literacy in rural Kashmir than in urban Kashmir. About 59.1 per cent (4,55,670) females are literate in urban Kashmir, Whereas only 40.9 per cent (3,14,957) females are literate in urban Kashmir. Overall, only 14% females (77,062) are literate in Kashmir, from 2,220,945 literate persons in Kashmir valley (census of india,2001). The state scenario, as per national Family Health Survey (NFHS-2) reveals that 70 per cent of ever-married women age 15-49 in Jammu and Kashmir are illiterate, compared with 58 per cent of women in India as a whole. The lower of literacy is lower than the Jammu region (55 per cent) than in the Kashmir region (82 per cent) and is much lower than the urban areas (49 per cent) than in rural areas(76 per cent). Among women who are literate, two out of 5 have completed at least high school, while one out of three has completed no more than primary school. The percentage of women who have completed at least high school is five times as high in urban areas. Educational attainment is also notably higher in the Jammu region than in the Kashmir region.

Challenges to women empowerment in Jammu and Kashmir - In Jammu and Kashmir State a huge population of women is unemployed and another significant section consists of widows and halfwidows, the importance of women's economic independence for their overall dignity and even survival is brought out by the fact that there is a linkage between the physical survival of women and their entry into the workforce. Though there are many challenges to women empowerment in Jammu and Kashmir, there are different barriers to women empowerment some of them are:

Violence against Women's has been risen up. Both domestic and outside home. There is a Lack of decision-making authority among Women's. No doubt in other affairs they are equal with man but in politics there is a lack of participation in political affairs among Women. There is a lack of education and lack of awareness among Women. Inadequate & unorganized healthcare during delivery system. Most of women are Under/unemployed it leads to poverty

Role of women in Panchayats in Jammu and Kashmir- The constitution (73rd Amendment) Act, 1992 which became a part of the Indian constitution in 1993 provides for reservation of one-third (1/3rd) of the total seats for the women in all the three tiers of Panchayats. Since then the state of Jammu and Kashmir had also taken certain legislative measures to facilitate the participation of women in Panchayati Raj Institutions. But the State Act had adopted a different pattern for the political empowerment of women i.e. 'nomination rather than reservation of seats'. The Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989 was amended in 1999 and a new provision was substituted by virtue of which the number of Women members to be nominated by the prescribed authority shell not exceed 33 per cent of the total number of elected Panches. At the block level the prescribed authority (Director, Rural Development and Panchayats) is having the

power to nominate two members to give representation to women.

References :-

1. Bashir A. Dabla, Sandeep Nayak, Khurshid-ul- Islam, "Gender Discrimination in the Kashmir valley", New Delhi: Gyan Publishing House, 2000
2. B.A.Dabla, "Impact of Conflict situation on women and children in Kashmir", Save the Children Fund, North West India, Srinagar, 1991
3. Khanday, Zamrooda, "Women in Kashmir: negotiating for life"; Women's Global Network for Reproductive Rights Newsletter. No. 1; 2004
4. Mushtaq Ahmad, "Panchayati Raj Institutions in India" Ariana Publishers and Distributers New Delhi, 2010
5. Muzamil jan,. Sheikh Bashir Ahmad For jay kay bookshop Publishers & Distributers.Womens College road Nawakadal, srinager, 2011
6. Sadhotra, Ajay Kumar. Panchayats & Jammu and Kashmir. National Convention of Panchayati Raj Representatives, Institute of Social Sciences, New Delhi.2001

****

मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण

डॉ. रामस्वरूप मेहरा * डॉ. श्रीकांत दुबे **

प्रस्तावना – भारत विश्व का विशाल लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र मूलत: विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। शासन की ऊपरी सतहों पर अर्थात केन्द्र ओर राज्य तक ही शंक्तियॉ केन्द्रित न रहे, बल्कि स्थानीय स्तर तक शक्तियों का विभाजन हो, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्य एवं मान्यतायें शक्तिशाली न हो। यदि सभी कार्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किये जाये तो स्थानीय हित के दृष्टिकोण में उतना लोक कल्याण नहीं हो सकता, जितना शासन विकेन्द्रीकरण करने की स्थिति में हो सकता है।

आधुनिक समय में केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारो पर कार्यो का इतना बोझ है कि यदि उन्हें स्थानीय विषयों का कार्यभार सौप दिया जाये तो वे कार्यभार से इतनी दब जायेगी, कि वे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं प्रांतीय विषयो का संपादन कुशलतापूर्वक नहीं कर पायेंगी। सत्ता का विकेन्द्रीकरण केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो को बहुत सी जिम्मेदारियो से मुक्त कर देता है। इस प्रकार स्थानीय संस्थाओ को लोकतंत्र की 'रीढ़ की हडडी' भी कहा जाता है। इससे शासन में कार्यकुशलता बढ़ जाती है। अत: सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सीधा अर्थ है 'शक्ति और सत्ता का बंटबारा जो सत्ता एक स्थान कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित हो गया, उसको जन–जन के हित में जन–जन तक पहुँचाना। अत: लोकतंत्रिक विकेन्द्रीकरण में सभी व्यक्तियों का हिस्सा व सहयोग प्राप्त होता है। अब्राहिम लिंकन के इस कथन से इस प्राणाली की सर्वश्रेष्ठता का बोध होता है कि 'लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है।'

लोकतंत्र के संचालन के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है जिस प्रकार संघ शासन व्यवस्था बड़े भू–भाग वाले देशों तथा विभिन्न संस्कृति वाले देशों के लिए सफल हुई है, उसी प्रकार लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप प्राप्त करने हेतु शासन सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। जिसमें शासन सत्ता का फैलाव निम्न स्तर तक हो, क्योंकि किसी भी इमारत के फौलादी निर्माण के लिए मजबूत नीवं आवश्यक है उसी प्रकार लोकतांत्रिक व्यावस्थाओं के लिए स्थानीय स्वशासन की मजबूती आवश्यक है। विकेन्द्रीकरण में केन्द्र के पास केवल ऐसे ही अधिकार रहते है, जिनका देशव्यापी समस्याओ एंव अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से ही संबंध रहता है, शेष समस्त प्रशासनिक अधिकार नीचे की संस्थाओ एवं व्यक्तियों में बंटे रहते है और इन अधिकारों के प्रयोग का उन्हें पूरा अधिकार होता है। इस प्रकार स्थानीय क्षेत्र के विकास की योजनाओ के निर्माण एंव कार्यान्वित करने का अधिकार राज्य में अधिकाधिक शक्ति जनता के हाथों में आ जाती है।

विकेन्द्रीकरण पद्धति में शक्ति स्थानीय संस्थाओ में विभाजित होती है। प्रशासन की इकाइयॉ, केन्द्र, प्रांत, नगर तथा ग्राम पंचायत आदि रूप में कार्य करती है। इन सबका केन्द्रीय शक्ति के प्रति उत्तरदायित्व कम रहता है। इस प्रकार विहान फिफर का कथन है कि 'विकेन्द्रीकरण ऐसी प्रकिया है जिसमें उसी स्थान पर निणर्य लिये जाते है जहॉ कार्य हो रहा है।' इस प्रकार उच्चतल की ओर सत्ता का हस्तांतरण विकेन्द्रीकरण है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना है कि आत्मनिर्भर गांवो के द्वारा ही वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्ति संभव है। उनके अनुसार स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारंभ होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा। प्रत्येक के पास पूर्ण सत्ता एवं शक्ति होगी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना होगा ताकि वह संपूर्ण प्रबंध स्वयं चला सके पंडित नेहरू भी मानते है कि पंचायत सरकारी ईमारत की नीवं है। यदि यह नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर खडी हुई इमारत कमजोर होगी।

होशंगाबाद जिला मध्यप्रदेश की जीवन रेखा पतित– पावनी मॉ नर्मदा की घाटी में विन्ध्य और सतपुड़ा की वादियों में बसा हुआ है और अंनतकाल से एतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रागैतिहासिक काल का क्षेत्र रहा हैं यह पवित्र नर्मदा घाटी के तट और सतपुड़ा के उत्तरी छोर पर स्थित अनेक दृष्टियों से प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। यह नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित 21.56 अंश उत्तरी अक्षांश से 22.59 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 75.47 अंश से 70.44 पूर्वी देशांश के मध्य स्थित हैं समुद्र सतह से 303 किलोमीटर तथा चौडाई 50 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल 10.037 वर्ग किलोमीटर है।

जिले के उत्तर में विन्ध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, रायसेन , सीहोर एवं देवास जिले स्थित है दक्षिण में सुतपुडा की पर्वत श्रेणियॉ और इनके बीच छिंदवाडा जिला स्थित है।पूर्व में दूधी नदी एवं नरसिंहपूर जिला तथा पश्चिम में पूर्वी निमाड जिला है जिले का संपूर्ण भाग सतपुडा पर्वतमाला से परिपूर्ण हैं। जिले के पूर्व में जबलपुर, कटनी पश्चिम में खंडवा हरदा उत्तर में भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी एवं विदिशा तथा दक्षिण में इटारसी नागपुर बैतूल जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र स्थित है।

2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 10,84,265 है। होशंगाबाद जिले को सात तहसीलों अर्थात होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर बनखेडी पिपरिया और सिवनी मालवा में विभाजित

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय गृहविज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

किया गया है। जिले के सात विकासखण्ड होशंगाबाद, बाबई, केसला, सोहागपुर, बनखेडी, पिपरिया एवं सिवनीमालवा है । जिले में कुल 922 गांव और 391 ग्राम पंचायत तथा 7 जनपद पंचायतें है।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुरूप होशंगाबाद जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार पर आदर्श मानकर जिले में सगंठनात्मक संरचना का वर्गीकरण तीन स्तरों पर किया गया। ग्राम पंचायत, जनपद पचांयत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायतें पंचायती राज्य की आधारशिला है जिस क्षेत्र के लिए ग्राम सभा सामान्य संगठन के रूप मे कार्य करती है उसी क्षेत्र के लिए ग्राम पांचायत एक कार्यपालिका संस्था है पंचायतें लोगों की निकटतम प्रतिनिधि संस्थायें है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित ईकाई है यह वह आधार शिला है जिस पर पंचायत राज सस्थाओ के अन्य स्तरो का ढ़ाचा आधारित है पंचायतो की सुदृढता एवं शक्ति पर ही पंचायती राज का सफल और प्रभावपूर्ण क्रियान्वय एक बड़ी सीमा तक निर्वाहन करता है पंचायती राज के प्रति लोगों की प्रति क्रिया गांव के सबंध में पंचायतों की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। पंचायतो की जनता से निकटता पंचायती राज की सामान्य व्यवस्थाओं में उनके महत्व को भी बढ़ा देती है वह लोगों के प्रति सीधी जिम्मेदारी को भी बढ़ाती है। अपवाद को छोडकर इस समय में भारत में ऐसा कोई गांव नहीं है जो किसी न किसी पंचायत के अधीन न आता हो वास्तव में भारत में लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण अंचलो के नागरिको को अपने स्वयं के स्थानीय मामलो का प्रशासन संचालित करने के लिए स्वशासन का जो अधिकार दिया गया है वह ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से साकार हुआ है।

होशंगाबाद जिले की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था (संगठन) में ग्राम पांचायतो की संख्या 428 है जिसमें 6529 निवार्चित पंच है इसमें 361 महिला अुनसुचित जाति की है 488 अनुसूचितजनजाति की, 452 अन्य पिछडा वर्ग से है इस प्रकार जिले में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि क्रमश: 2190 महिला और 4342 पुरूष है ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है जिले में खंडस्तरीय जनपद पंचायत को 7 विकास खंड क्रमश: बाबई (माखननगर) में 59 पंचायत बनखेडी ब्लाक में 49 पिपरिया में 53 सिवनीमालवा में 59 सोहागपुर मे 66 पंचायतें है। इस तरह होशंगाबाद जिले में 7 खडं स्तरीय समितिया संचालित है।

मध्यप्रदेश सरकार पंचायती राज व्यस्वथा को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत् है और समय समय पर पंचायत अधिनियम में संशोधन करके उन्हें ग्रामीण परिवेश के अनुकूल बना रही हैं। जिले में आरक्षित ग्राम पंचायतों में शिक्षा की कमी समाज के रीति रिवाज अंधविश्वास, अज्ञानता के बाद भी महिला संरपंच प्रारभिक अवस्था में पुरूषो के हिसाब से चलने को मजबूर थी। लेकिन धीरे-धीरे आरक्षण के कारण पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव देखा जा सकता है, और उनको कुछ दिखाने का अवसर मिला है गाँव-गाँव में आज पंचायती राज के जरिये महिलाएं शासन चलाने लगी है महिला सरपंच पहले झिझकी थी लेकिन बाद में वे अपना हक मांगने लगी अब वे मानने लगी है कि बोलना उनका भी वेसा ही हक है जैसा कि पुरूषो का है। वैसे वाचलता को एक दुर्गुण माना जाता है ज्यादा बोलना संबधों का संतुलन भी बिगाडता है फिर भी लोग महिला जनप्रतिनिधियों पर अति विश्वास कर रहे है।गांव के मतदाताओ को विश्वास होने लगा है कि पंचायतो में प्रपंची पुरूषो की जगह महिलाओं के पक्ष में मतदान करके जिले में महिला नेतृत्व के प्रति विश्वास किया है प्रथम चुनाव 2005 इसका प्रमाण है वर्तमान में संपन्न हुय पंचायत चुनाव 2010 में 50प्रतिशत आरक्षण से पंचायत के त्रिस्तरीय ढांचे में आधे पदो पर महिलाएं निर्वाचित हुई जो जिले की राजनीति में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी इसका प्रमाण है।

जिले की महिला सरपंच एवं पचों को 18 वर्ष पूर्व पहली बार मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया गया थां उस समय नीति निर्धारको ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि दलित, आदिवासी, पिछडे क्षेत्रो में महिला नेतृत्व इस तेजी से उभरेगा कि पिछले 18 वर्षो के दौरान प्रदेश के दलित पिछडे ओर अविकसित और अलग थलग पडे इन क्षेत्रो की महिलाएं मिसाल कायम करेगी। अत्यंत आंत्मविश्वास मुस्तैदी और चपलता के साथ इस वर्ग की महिलाएं संविधान में प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठा रही है।

आरक्षण व्यवस्था इन क्षेत्रो की महिलाओं की मजबूरी नहीं बल्कि सबल और सक्षम बनाने में कारगर सिद्ध हो रही है। नेतृत्व उन्हें नई दिशा और जागरूकता प्रदान कर रहा है। यही वजह है कि महिलाऐ ही नहीं बल्कि नवयुवतियाँ भी अत्यंत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ रही है सोहागपुर तहसील की ग्राम पंचायत महुआढाना की सरपंच सविता उईके ग्रेज्युेट है यह आदिवासी युवती सरकारी नौकरी छोडकर सरपंच बनी इन क्षेत्रो में महिला साक्षरता का प्रतिशत भले ही कम रहा हो लेकिन आत्मविशवास की महिलाओ में कोई कमी नहीं है बिना किसी डर संकोच के ये महिलायें अपनी बात रखती है और सरकार की योजनाओ के बारे में खुलकर बोलती है यही नहीं अब इस क्षेत्र की महिलाएं पंचायती राज की खामियॉ गिनाने में भी नहीं हिचकिचाती।

वास्तव में पिछड़ा दलित आदिवासी अविकसित समाज को मुख्यधारा से कटा समझे जाने वाला यह वर्ग कुछ मायनो में खासा प्रगतिशील है। ये वर्ग महिलाओं को समानता का अधिकार देता है जिले की ग्रामीण महिलाओं में पर्दाप्रथा प्राय: देखने को नहीं मिलती है। लिगं भेद अपेक्षाकृत कम हैं, यही खुशिया महिला नेतृत्व में सहायक सिद्ध हुई है हालांकि अब इन क्षेत्रों का शहरीकरण होने लगा है प्रगति के नाम पर आधुनिकता पैर पसारने लगी है जो चिंतनीय बात है सरकार को इन पिछडे, दलित आदिवासियो की संस्कृति परंपराओ और धरोहरो के सहेजने के लिए और अधिक प्रयास करने होगें। यदि इन्हें नेतृत्व क्षमता के संबध में प्रशिक्षण आदि के माध्यम से और अधिक प्रोत्साहित किया जाये तो निश्चित ही इस वर्ग की महिलाऐं राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेत्त्व की छाप बना सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अशोक वाजपेयी पचांयत राज एण्ड रूरल डेवलपमेट , साहित्य प्रकाशन नई दिल्ली 1997
2. बीएस भागर्व पंचायत राज सिस्टम एण्ड पोलिटिकल पार्टीज आशीष पब्लिशिंग नई दिल्ली 1979
3. ढक तेजमल भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण दत्त बंधु अजमेर
4. महीपाल - पंचायते अतीत, वर्तमान, एवं भविष्य सारांश प्रकाशन नई दिल्ली 1997
5. महीपाल - पंचायती राज चुनौतियॉ एंव संभावनाएं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया 2008

****

प्राचीन भारतीय दण्ड व्यवस्था की उपयोगिता वर्तमान संन्दर्भ में

डॉ. जे. के. संत *

प्रस्तावना – दण्ड की उत्पत्ति राज्यसंस्था की उत्पत्ति के साथ हुई। मनुस्मृति(सप्तम अध्याय) और महाभारत(शांतिपर्व:56.13-33) में यह कहा गया है कि मानव जाति की प्रारंभिक स्थिति अत्यंत पवित्र स्वभाव, दोषरहित कर्म, सत्वप्रकृति और ऋतु की थी, जब न तो किसी राजा की स्थिति थी, न राज्य था, न दंडी था और सभी लोग धर्म के द्वारा ही दूसरे की रक्षा करते थे। 'न राज्यं न राजासीत न दण्डो न च दाण्डिक:। स्वयमेव प्रजा: सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम।।' किन्तु कालांतर में तामस्गुणों का प्राबल्य बढ़ने लगा, मनुष्य समाज अपनी आदिम सत्व प्रकृति से च्युत हो गया और मात्स्य न्याय छा गया। बलवान् कमजोरों को खाने लगे। ऐसी स्थिति में राज्य और राजा की उत्पत्ति हुई और सबको सही रास्तों पर रखने के लिये दण्ड का विधान हुआ। दण्ड राज्य शक्ति का प्रतीक हुआ जो सारी प्रजाओं का शासक, रक्षक तथा सभी के सोते हुए जागनेवाला था। अत: दण्ड को ही धर्म स्वीकार किया गया(मनुस्मृति 7.18) इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि धर्म का साधक केवल दण्ड ही माना गया। वह धर्म जिसमें अर्थ और काम भी समाहित है अर्थात् दण्ड त्रिवर्ग का साधक स्वीकृत हुआ। आदर्श से स्खलन को दूर करने के लिये दण्ड की आवश्यकता हुई।भारतीय राजशास्त्र के सूक्ष्म अन्वेषण से ज्ञात होता है कि उद्देश्य के दृष्टि से दण्ड के आज पाये जाने वाले चारों रुप इसमें विद्यमान हैं। ये रुप हैं- प्रतीकात्मक, अवरोधात्मक, निरोधात्मक एवं सुरक्षात्मक। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित्त की भी व्यवस्था है।[1] यह प्रायश्चित्त पापों के लिये भी किया जाता है, जब कि दण्ड अपराध के लिये दिये जाते हैं। इन दोनों में अन्तर है। अनेक पाप या आचार सम्बन्धी अपराध ऐसे भी होते हैं जो दण्ड के सीमा में नहीं आते हैं। इनके लिये प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। प्राचीन भारत में दण्ड की जो व्यवस्था प्रचलित थी, उससे आज भी विश्व समुदाय बहुत कुछ सीख सकता है। जब भी व्यक्ति के चारित्रिक या मानसिक सुधार की बात आती है तो बिना किसी ठोस आधार के हम ऐसा मानकर चलते हैं कि सुधार करने के उद्देश्य से दण्ड देना अनिवार्य और प्रभावकारी है, जब तक व्यक्ति को उसकी सजा के अनुरुप दण्ड नहीं दिया जाएगा वह कभी भी अपनी गलती को पहचान नहीं पाएगा

दण्ड के विभिन्न स्वरुप इस प्रकार हैं-

- **प्रतीकात्मक –** यह दण्ड बदले की भावना पर आधारित है। इसका तात्पर्य है आँख के बदले के आँख और दाँत के बदले दाँत। इसमें अपराधी को उतना ही दण्ड दिया जाता है जितना कि उसका अपराध होता है।इस सिद्धान्त की मान्यता है कि एक अपराधी को कठोर दण्ड देने से दूसरे लोग अपराध करने से डरते हैं। इसीलिये धर्मशास्त्रों में हम दण्ड के दस स्थानों का उल्लेख पाते है। मनु द्वारा सम्बोधित कुछ वाक्यों में हम निरोधक एवं सुधारात्मक सिद्धान्तों के साथ ही साथ प्रतीकात्मक रुप के भी दर्शन पाते हैं, कन्यात्व नष्ट करने तथा पर स्त्री सम्भोग के विषय में यह रुप दर्शनीय है।[2] वर्तमान समय में आये दिन बालात्कार, हत्या जैसी अपराध होती रहतीं हैं, जिसके सुधार हेतु प्रतीकात्मक दण्ड अनुकरणीय है।वर्तमान दण्ड व्यवस्था जैसे-फॉसी, आजीवन कारावास ऐसा प्रतीत होता है मानों प्राचीन दण्ड व्यवस्था का निरुपण किया जा रहा है।
- **अवरोधात्मक –** अवरोधात्मक दण्ड वो है, जिनमें अपराधों को रोकने के लिये समाज के अन्य सदस्यों को चेतावनी दी जाती है। इस प्रकार के दण्ड द्वारा अपराधी को ऐसा बना दिया जाता है कि वह भविष्य में कभी कोई अपराध न करे, साथ ही इसके द्वारा ऐसा भय व आतंक पैदा किया जाता है कि समाज के अन्य लोग अपराध न करने की शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिये चोर जिस अंग से चोरी करे उसका वही अंग कटवा दिया जाना चाहिये। इसके लिये वध दण्ड भी दिये जाने की व्यवस्था दी गई है। ये दण्ड सार्वजनिक स्थानों पर दिये जाते हैं, ताकि लोग शिक्षा ग्रहण करें। इसी प्रकार शुक्र के अनुसार अपराधी को दण्ड देने का अर्थ है - अपराधों को रोकना। अपराध वृद्धि को रोकने के लिये क्रूर से कूर दण्ड भी दिये जाते हैं।[3] सड़क के किनारे जेल की व्यवस्था की गई है ताकि कैदियों को देख कर लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें।[4] वर्तमान समय में आये दिन आतंकवादियों एवं नकसलवादियों का हमला होता रहता है। जिस हेतु यह अवरोधात्मक दण्ड अनुकरणीय है
- **निरोधात्मक –** दण्ड का निरोधात्मक रूप अवरोधात्मक एवं सुधारात्मक के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसका लक्ष्य नागरिकों को चेतावनी की अपेक्षा अपराध के कारणों को समाप्त करना होता है ताकि अपराध की पुनरावृत्ति न हो सके। इसे परिणाम की दृष्टि से सुधारात्मक कह सकते हैं, किन्तु भय पर आधारित होने के कारण यह सुधारात्मक दण्ड से भिन्न है। इसमें दमन से काम लिया जाता है। दण्ड का यह रूप भी धर्मशास्त्रों में मिलता है। इसे थोडे से आर्थिक या शारीरिक दण्ड के साथ अपराधी को देश से निकाल देने की प्रक्रिया का उल्लेख पाया जाता है।[5] शुक्र के अनुसार अपराधियों से सड़क साफ कराके कूड़ा करकट उठवा कर तथा सार्वजनिक स्थानों पर कार्य कराके निरोध का प्रयास किया जा सकता है। इसमें दमन का सहारा लिया जाता है, किन्तु राजा स्वेच्छाचारिता नहीं बरत सकता है। दमन प्रयोगों के आधार शास्त्रों द्वारा निष्चित होते हैं।
- **सुधारात्मक –** दण्ड के सुधारात्मक रूप में अपराध की अपेक्षा अपराधी पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दण्ड के इस रूप में अपराधी तथा पीडित दोनों के ही अधिकारों पर ध्यान दिया जाता है। दण्ड का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण है। इसके लिये अपराधी में से असामाजिक तत्वों को अलग करना नितान्त आवश्यक है, ताकि उसे सही मार्ग पर लाया जा सके। दण्ड का यह स्वरूप शल्य चिकित्सा के समान है। जिसमें रोग का निदान किया जाता है,

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

रोगी को समाप्त नहीं किया जाता है।[6] आचार्य शुक्र की भी यही मान्यता है कि दण्ड के माध्यम से व्यक्ति को उचित मार्ग पर लाया जाता है।[7] कौटिल्य आदि आचार्यों ने भी दण्ड व्यवस्था का जो वर्णन किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दण्ड के माध्यम से अपराधी को सुधारने का ही प्रयास किया जाता है।[8] डॉ0 हरिहर नाथ त्रिपाठी का कथन है कि कठोर दण्ड विधान के लिये कौटिल्य की बड़ी प्रसिद्धि है, किन्तु उद्देश्य में वे सुधारात्मक ही थे।[9] इसी प्रकार बी0 के0 सरकार के अनुसार शुक्रनीति स्पष्ट रूप से यह मानती है कि दण्ड के माध्यम से व्यक्ति को उचित मार्ग पर लाया जा सकता है।[10] वर्तमान समय में आये दिन चोरी, डकैती, हत्या जैसी घटनाएँ होतीं रहती हैं। जिस हेतु यह सुधारात्मक दण्ड अनुकरणीय है।

दण्ड के प्रकार – अपराध के गुरूता एवं लघुता के आधार पर भारतीय राजशस्त्रियों ने दण्ड के कई प्रकारों का उल्लेख किया है। ये वाक्दण्ड, दिग्दण्ड, धनदण्ड, वधदण्ड आदि के नाम से विख्यात हैं। आगे इसका क्रमश: अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है –

- **वाक्दण्ड –** वाक्दण्ड से तात्पर्य अपराधी को उसके अपराध से परिचित कराकर उसे वाणी द्धारा समझा–बुझा कर छोड़ देने से है।[11] इसमें इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जाती है, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। सावधान, फिर कभी ऐसा दुष्कर्म मत करना आदि।[12] आज भी न्यायालयों में हम देखते हैं कि अवयस्कों तथा तुच्छ अपराधियों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, ताकि वे भविष्य में अपराध न करें।
- **धिग्दण्ड –** इसमें अपराधी को धिक्कार कर छोड़ दिया जाता है।[13] इसमें कहा जाता है, बेशर्म या जालिम तुम्हें धिक्कार है। यह भी प्राय: लघु अपराधों पर प्रयुक्त होता है।
- **धनदण्ड –** इसका तात्पर्य है कि अपराधी से दण्ड के रूप में धन ग्रहण करके छोड़ दिया जाता है।[14] गुरूतर अपराधों में ऐसा किया जाता है। प्रथमत: साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस के रूप में यह दण्ड दिया जाता है।
- **वध दण्ड –** यह दण्ड अत्यन्त गम्भीर अपराधों पर देने की व्यवस्था की गई है। इसमें अपराधी को बेंत या कोडे आदि से मारना अथवा अन्य प्रकार से शारीरिक यातनायें पहुँचाना तथा अंग भंग करना आदि दण्ड आते हैं। इसमें अपराधी को मृत्यु दण्ड भी दिया जा सकता है।[15]
- **कारागार दण्ड –** अपराधियों के अपराधानुसार कारागार दण्ड की व्यवस्था है। इसी सन्दर्भ में धर्मशास्त्रों का कथन है कि जेल राजपथ के किनारे बनवायें ताकि हथकड़ी, बेड़ी आदि से दूषित, दाढ़ी, मूछ आदि बढ़ने से विकृत तथा भूख आदि से दुर्बल अपराधी बन्दियों को लोग देखें और शिक्षा लें।[16]
- **जाति–बहिश्यकार दण्ड** – इसके अनुसार सम्बद्ध समाज के अन्य लोग अपराधी से अपने सम्बन्ध तोड़ लेते हैं। इसमें अपराधी को जाति से बहिष्कृत करने की भावना निहित है। धर्मशास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है।[17]
- **सम्पत्ति–हरण दण्ड –** कतिपय अपराधों के लिये अपराधी की सम्पत्ति हरण किये जाने की योजना प्रस्तुत करते हुये मनु कहते हैं कि राजा के द्धारा कार्य में नियुक्त जो राजाधिकारी पुरूष घूस आदि के धन की गर्मी (घमण्ड) से कार्य को नष्ट कर दे तो राजा उनकी सम्पत्ति को अपने अधीन कर ले।[18] कौटिल्य ने भी इस मत का समर्थन किया है।[19]
- **निवार्सन दण्ड –** इसमें अपराधी को अपराध विशेष पर राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया जाता है। परस्त्री सम्भोग तथा घोर अपराधी ब्राह्मण के सन्दर्भ में देश निष्कासन का दण्ड वर्णित है। इन दण्डों का उल्लेख प्राचीन आचार्योंने किया है।[20]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष – एक आदर्श दण्ड व्यवस्था की संरचना प्राचीन भारतीय राजशास्त्रीय चिन्तन में सर्वप्रथम देखने को मिलती है। भारतीय राजशास्त्रीयों ने जनता के लिये न केवल दण्ड की आवश्यकता का अनुभव किया, अपितु उसका लक्ष्य भी निर्धारित किया। दण्ड व्यवस्था के रूप में प्रतीकात्मक, अवरोधात्मक, निरोधात्मक, सुधारात्मक एवं अपराध के गुरूता एवं लघुता के आधार पर भारतीय राजशस्त्रियों ने दण्ड के कई प्रकारों का उल्लेख किया है,जैसे–वाक्दण्ड, दिग्दण्ड, धनदण्ड, वधदण्ड, कारागार दण्ड, जाति–बहिष्कार दण्ड, सम्पत्ति–हरण दण्ड, निर्वासन दण्ड आदि का व्यापक वर्णन ऐसा प्रतीत होता है, मानो आज की व्यवस्था का निरूपण किया जा रहा है। जो आज भी विश्व की सरकारों ने अपना रखा है, जो आज भी अनुकरणीय है। दण्ड एक अपराध के सजा के रुप में, गलती करने वाले को अनुशासित करने के लिए या अस्वीकार्य प्रवृत्ति या व्यवहार को रोकने हेतु दिया जाने वाला सुविचारित दण्ड है। प्राचीन भारत में दण्ड की जो व्यवस्था प्रचलित थी, उससे आज भी विश्व समुदाय बहुत कुछ सीख सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मनु0, 11/53
2. मनु0, 8/352
3. मनु0, 8/372
4. मनु0, 9/288
5. मनु0, 8/123
6. शल्यं चास्य न कृतान्ति विद्धास्तत्र सभासद:।। मनु0,8/12
7. शुक्रनीति, वी0के0, सरकार कुत अनुवाद, पृष्ठ 131
8. अर्थ0, 4/9–10
9. प्राचीन भारत में राज्य और न्यापालिका, पृष्ठ, 231
10. शुक्रनीति, वी0के0, सरकार कुत अनुवाद, पृष्ठ 131
11. वाग्दण्डं प्रथम कुर्याद। मनु0, 8/129
12. उक्त पद की व्याख्या में कुल्लूक भट्ट की टीका एवं हरगोविन्द शास्त्री द्धारा प्रस्तुत विमर्श द्रष्टव्य है, पृष्ठ, 408
13. धिग्दण्डतदनन्तम्। मनु0, 8/129
14. तृतीय धन दण्ड। मनु0, 8/129
15. वधदण्डमत परम्।। मनु0, 8/129
16. मनु0, 9/288
17. मनु0, 9/239
18. ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्यु: कार्याणि कार्यिणाम्।
    धनोष्मणा पच्यमानास्तान्नि: स्वान्कारयेन्नृप:।। मनु0, 9/231
19. अस्त्रावयेच्चो पचितान् विचर्यस्येच्च कर्मसु। अर्थ0, 2/94
20. याज्ञ0, 1/367

****

मानवाधिकार का उल्लंघन और पुलिस अभिरक्षा

डॉ. धीरेन्द्र सिंह * शिल्पा राजपूत **

शोध सारांश – पुलिस समाज एवं राष्ट्र की निर्णायक घटको में एक महत्वपूर्ण घटक है। पुलिस न केवल हमारी रक्षा करती है, अपितु हमारे देश की प्रगति व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। परंतु आज उन्हे इतनी शक्तियां प्राप्त है कि न चाहते हुए भी कुछ पुलिस उन शक्तियों का दुरूपयोग करने लग गई है। आम आदमी पुलिस के प्रति अविश्वास तथा संदेह की दृष्टि रखता है। सामान्य व्यक्ति का विश्वास पुलिस के ऊपर से उठता ही जा रहा है। जिससे पुलिस, नागरिकों के मानवाधिकारो को परे रख कर उनके अधिकरों का हनन कर रही है। वर्तमान समय में पुलिस की सुरक्षा व सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

प्रस्तावना – भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को भारत की संसद ने पारित किया है। इस अधिनियम की धारा 2 (घ) में मानव अधिकार शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है – **'मानव अधिकारो का तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित अधिकारो से है जो भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। '**

पुलिस – प्रत्येक पुलिसकर्मी पुलिस में भर्ती होने से पहले एक साधारण मनुष्य होता है और पुलिस की वर्दी पहन लेने के बाद भी उसके मनुष्य होने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि **'प्रत्येक नागरिक बिना वर्दी का पुलिसमैन है और प्रत्येक पुलिस मैन .....नागरिक है।'** इस कहावत के अनुसार पुलिसकर्मी के नागरिक होने की बात स्वीकार की गई है।

दुनियाभर में पुलिस संगठनों पर शक्ति के दुरूपयोग और आचरण हीनता के आरोप लगते है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध कहावत है कि **'शक्ति भ्रष्ट बनाती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट है।** पुलिस संगठनो को अन्य संगठनो के बजाय अधिक शक्ति प्रदत्त की गई है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि शक्ति के कुछ सीमा तक दुरूपयोग की संभावना रहती है। भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था के प्रारंभ से ही यह तथ्य सामने आते रहे है।

साहित्य का पुर्नावलोकन –

- **डी. के. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले** में पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के साथ किये गये अमानवीय व्यवहार एवं यातना की उच्चतम न्यायालय द्वारा भर्त्सना की गई और इसे संविधान के अनुछेच्द 21 का उल्लंघन माना गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अन्वेषण एवं जांच के दौरान पुलिस को क्रूर, अमानवीय एवं निम्न स्तर का व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति राज्य से प्रति कर पाने को हकदार है।
- **नीलवती बेहरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले** में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि – **'पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियो की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य को ऐसे नागरिक को प्रतिकर देना होगा।** इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक 22 वर्षीय युवक की पुलिस यातना के कारण मृत्यु हो गई थी और उसकी लाश हथकड़ी सहित रेलवे लाइन के पास पड़ी मिली थी। यह सही है कि पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है और उसे हथकड़ी लगाने का भी।
- **आंध्रप्रदेश पुलिस एसोशियन द्वारा अक्टूबर 1986 में पारित प्रस्ताव** में यह कहा गया था कि हिरासत में राजनैतिक कैदियों की मौतें इसी राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण होती है। ऐसा ही तथ्य महाराष्ट्र विधानसभा में 1991 में हिरासत में मौतों पर की जाने वाली बहस के दौरान दो विपक्षी सदस्यो द्वारा पेश किया गया था।
- **शर्मसार दिल्ली, 19 अप्रैल 2013, दिल्ली** में 5 साल की मासूम से बलात्कार हुआ था, कार्यवाही की मांग कर रही युवती के साथ पुलिस ने बर्बरता बरती। पुलिस अधिकारी ने ऐसे थप्पड़ जड़े कि उसके कान से खून निकल आया।
- **वृद्धा की पिटाई, 18 अप्रैल 2013, को अलीगढ़** में छह साल की बच्ची से बलात्कार, हत्या के बाद विरोध जता रहे लोगों पर पुलिस बरस पड़ी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा। वृद्धा की भी पिटाई कर दी।
- **पीड़ित को पीटा, 04 मार्च 2013 को पंजाब के तरनतारन** में छेड़छाड़ की शिकायत करने पिता के साथ आई युवती की शिकायत सुनने और कार्यवाही करने की बजाय पुलिस ने उन दोनों को ही दौड़ा–दौड़ाकर पीटा।

पुलिस के विरूद्ध प्राप्त शिकायतो के प्रकार – पुलिस के विरूद्ध मुख्यत: इन 11 प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है।

1. कार्यवाही करने में असफलता।
2. अपराधों का लघुकरण करना। (गंभीर अपराधों के स्थान पर छोटे अपराध पंजीबद्ध करना।)
3. अवैध निरोध।

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

4. झूठे प्रकरणों में फंसाया जाना।
5. अभिरक्षा में मृत्यु।
6. अभिरक्षा में हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना/अमानवीय व्यवहार।
7. अवैध गिरफ्तारी ।
8. मुठभेड़।
9. पुलिस अभिरक्षा में बलात्कार/यौन प्रताड़ना।
10. धारा 151 का दुरूपयोग ।
11. हथकड़ी और बेड़ियों का प्रयोग।

कई शिकायतें मिश्रित प्रकार की होती हैं, जिनमें ऊपर लिखे कई बिन्दु शामिल होते है ये कई इस प्रकार की शिकायतें होती है, जो इनमें से किसी बिन्दु में नहीं रखी जा सकती।

आयोग को ये शिकायतें आवेदकों अथवा नागरिकों, मीडिया, मानवाधिकार संगठनों से प्राप्त होती है अथवा आयोग स्वंय ही जानकारी मिलने पर इन पर संज्ञान लेता है।

पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन – संभावित कारण –

1. बाह्य हस्तक्षेप – राजनैतिक अथवा अन्य प्रभावशाली वर्गो द्वारा पुलिस पर दबाव बनाकर उनके कार्यो में अवरोध उत्पन्न करना।

2. सीमित संसाधन – इसमें पुलिस बल की संख्या में कमी व संचार, यातायात, सुरक्षा आदि के साधनों की कमी शामिल है। जनसंख्या व अपराध की दर को देखते हुए पुलिस थानों, पुलिसकर्मियों एवं महिला पुलिस की संख्या भी काफी कम है।

3. मानवाधिकारों के प्रशिक्षण की कमी – मानवाधिकार विधि व इस संबंध में बनाये गये नियमों की जानकारी न होना।

4. अपसंस्कृति – औपनिवेशक काल से पुलिस की दमनकारी प्रवृत्ति को पनपाने के प्रयास किये गये थे, इसे समाप्त करना आवश्यक है।

5. असंतोषजनक कार्य दशा – आराम, छुट्टी न मिलना। कार्य की दशाओं में सुधार व स्वास्थ्य, साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने आदि इसमें शामिल हैं।

पुलिस प्रताड़ना – संभावित समाधान –

1. दोषी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही – मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में नैसर्गिक न्याय को सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तुरंत जांच करायी जाये और दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। इस कार्यवाही का जिला व राज्य स्तर पर मूंल्याकन भी आवश्यक है।

2. पारदर्शिता – अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए जिससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास स्थापित हो।

3. प्रशिक्षण – पुलिस प्रशिक्षण में विधि के विभिन्न प्रावधानों एवं मानव अधिकार कानून का उचित स्तर तक समावेश होना व उचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इस प्रकार पुलिस को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों व अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के मामलों में विशेष प्रशिक्षण। असामयिक परिस्थितियों, दंगे, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की ट्रेनिंग आपदा प्रबंधन आदि का समावेश।

4. पुलिस व जनता के संबंध – जन असंतोष हटाने की दृष्टि से जन समर्थन के द्वारा अपराधों का नियंत्रण व पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार संभव है। पुलिस उप-संस्कृति जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, जो समाप्त कर पुलिस जनता के मित्र की छवि बनाना आवश्यक है।

5. प्रेस की सकारात्मक भूमिका – मीडिया को अधिक जिम्मेदारीपूर्वक पुलिस की छवि दिखनी होगी। पुलिस की सफलता, उपलब्धियों को जनता के सामने लाना आवश्यक है।

6. संसाधनों में सुधार – पुलिस बल की संख्या बढ़ाना, भर्ती प्रक्रिया में सुधार। संसाधनों की कमी को दूर करना एवं नवीन तकनीक का प्रयोग।

निष्कर्ष – उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नागरिकों का हनन किया जाता है। जहां संविधान ने नागरिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पुलिस को सौंपा है वहीं पुलिस जाने अनजाने नागरिको के मानवाधिकारों का हनन करती आ रही है। हमें आवश्यकता है कि हम पुलिस के इस तरह कृत्यों को रोके तथा अपने अधिकारों की रक्षा करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए.आई.आर., (1997) : *एस.सी. 734*।
2. ए.आई.आर., (1994) : *एस.सी. 1886*अ
3. ए.आई.आर, (1931) : *एस.सी. 2176*अ
4. गुप्ता कैलाश नाथ, (1934) : 'पुलिस तथा मानवाधिकार की रक्षा', *पुलिस विज्ञान* ,जन-मार्च ।
5. नाटाणी प्रकाश नारायण, (2007) : 'मानवाधिकार और कर्त्तव्य', *अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ISBN-31-7910-047.2*
6. पत्रिका, रविवार 21 अप्रैल 2013, *Patrika.c*

****

लोकतंत्र एवं मानव अधिकार

प्रो. हरीसिंह कुशवाह * प्रो. भावना कुशवाह **

प्रस्तावना – विश्व की समस्त शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना गया है। यह मात्र एक शासन व्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक समाज व्यवस्था एवं जीवन पद्धति है। इस शासन व्यवस्था में जनसहभागिता एवं जनता के प्रति उत्तरदायित्व का भाव बना रहता है। जनता शासन करने के लिये अपने मत के माध्यम से अपने अधिकार जनप्रतिनिधियों को सौंप देता है। बड़ी से बड़ी सत्ताएँ भी मतदान से बदली जा सकती है। यही व्यवस्था है जो जनमानस के अधिक निकट है।

फ्रांस की क्रांति में मात्र तीन शब्दों **'स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व'** ने विश्व के सबसे शक्तिशाली राजतंत्र की नींव हिलाकर लोकतंत्र को पोषित किया था। लोकतंत्र के नवरूप व नवयुग का जन्म 14 जुलाई, बेस्तिल के पतन के साथ हुआ। यही लोकतंत्र एक आदर्श व्यवस्था के रूप में एक आदर्श व श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का आधार बन गई। इस लोकतंत्र के लिए विश्व में कई राष्ट्रों ने आजादी के लम्बी लड़ाईयां लड़ी, बड़े–त्याग व बलिदान हुए जिससे यह मानव सभ्यता के उच्च मुकाम पर पहुँचा यही लोकतांत्रिक व्यवस्था सम्मान व गौरव का प्रतीक बन, हर व्यवस्था को लोकतंत्र के ढांचे में ढालने की आदर्श व्यवस्था बन गई।

लोकतंत्र के बारे में अमेरीका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम् लिंकन ने जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन कहा। यह भाव लोकतंत्र के वास्तविक रूप को प्रतिपादित करता है।

लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यापालिका, स्वतंत्र–निष्पक्ष मीडिया, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन के साथ शांतिपूर्ण साधनों के आधार पर टिकी हुई है। यह अवधारणा मानवता के लिए वरदान साबित हुई है। क्योंकि इसने सबको व्यक्तित्व विकास का गरिमापूर्ण माहौल दिया है। लोकतंत्र में सार्वजनिक विषयों पर चर्चा होना, सहभागिता निभाना, विचार व्यक्त करना, संगठन बनाना इसे शक्ति प्रदान करता है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जिनकी मूल प्रकृति व स्वभाव में लोकतंत्र समाहित है। विगत पांच हजार वर्ष का इतिहास, हमारी सभ्यता व संस्कृति के केन्द्र में लोकतंत्र रहा है। विदेशी गुलामी की लम्बी दासता भी इसे तोड़ नहीं पाई। आजादी के बाद भारत अधिकार सहित भारत बनकर उभरा है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है, जिसमें अंतिम सूत्र जनता के हाथों में रहे, ताकि उनका प्रयोग जनहित को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। जनसाधारण प्राय: अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस सत्ता की सार्थकता की जांच के लिए यह देखना चाहिए कि वहाँ जनइच्छा का पता लगाने और उसे क्रियान्वित करने की व्यवस्था कितनी कुशल और प्रभावशाली है।

लोकतंत्र में सब व्यक्तियों का मूल्य और उनकी बुनियादी समानता में विश्वास किया जाता है, इसमें सार्वजनिक विषयों से सम्बन्धित जानकारी सबके लिए होनी चाहिए और सर्वसाधारण को विचार अभिव्यक्ति और संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक समस्याओं पर खुली चर्चा की जा सके और उनके वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत किए जा सके। व्यक्तियों की समानता का मुख्य अर्थ यह है कि सभी व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और वे सब शासन की प्रक्रिया में सहभागिता निभाने की क्षमता रखते है। इन सिद्धांतो को कार्यरूप देने के लिए जो संस्थाएँ स्थापित की जाती है, वे लोकतंत्र के अभिन्न अंग है। लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान व्यवस्था, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुमत का शासन, विधि का शासन एवं जनकल्याण तत्व निहित रहते है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों भारत, अमेरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क इत्यादि देशों की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तत्व होने से लोकतांत्रिक होने का दावा करते है।

प्रसिद्ध विचारक रोस्टो– **'दूसरे महायुद्ध के बाद आश्चर्यजनक घटना भारत में लोकतंत्र का कायम रहना है।'** भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए प्रेरक है, यदि हमारा लोकतंत्र असफल होता है, तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी पराजय होगी। विविधता व बाधाओं के बीच भी लोकतंत्र का सफल होते रहना हमारा राष्ट्रीय स्वभाव को अभिव्यक्त करता है कि हम मूलत: लोकतांत्रिक प्रकृति के लोग है।

'धनवानों का धन व गरीबों की मजबूरी लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती होती है' किन्तु आजादी से आज तक भारत लोकतंत्र की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरकर लोकतंत्र के गौरव को विश्व में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभायी है। आज के युग में लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी ज्ञात अन्य व्यवस्था में मानव की औचित्यपूर्ण आकांक्षा का इतना रचनात्मक सम्मान संभव नहीं हुआ है। मानव बुद्धिमान व विवेकपूर्ण प्राणी है।

मानव के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए मानव को मूल अधिकार मिले होते है, इन्हें ही सामान्यत: मानव अधिकार कहा जाता है। ये बिना भेदभाव के रंग, वंश, मूल, धर्म, लिंग, जाति, भाषा से ऊपर उठकर मानव कल्याण व मानव हित के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र में न्यायपूर्ण व्यवस्था अपने श्रेष्ठ रूप रहे यह जरूरी होता है। न्याय एक सुधारवादी व्यवस्था है, लोकतंत्र का प्राण है। जो जनहित में आवश्यक है।

राजनीति विज्ञान कोश के अनुसार – 'मानव अधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को मनुष्यता के कारण प्राप्त होने चाहिए। उनकी जाति राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के आधार पर नही। ये अधिकार मानवीय गरिमा और उपयुक्त जीवन स्तर की न्यूनतम शर्तो को व्यक्त करते है। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रक्रिया का अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित है। नैतिक दृष्टि से किसी भी राज्य की सत्ता इतनी व्यापक नहीं हो सकती कि वह मानव अधिकारों का अतिक्रमण कर सके। मानव के गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन के लिए यह आवश्यक होता है। आधुनिक युग में इन्हें सबसे पहले 1789 की फ्रांसिसी क्रांति के अवसर

* प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

पर सूत्रबद्ध किया गया था और विभिन्न देशों के संविधानों में इसकी व्यवस्था की गई, संयुक्त राष्ट्र (UN) के चार्टर के अन्तर्गत इन्हें शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का आधार माना गया है। राष्ट्रसंघ की महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अन्तर्गत इन्हें परिभाषित करने का प्रयत्न किया। इनमें न केवल उन परम्परागत नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का समावेश किया गया है, जो पश्चिमी लोकतंत्र की विशेषता रही है बल्कि अपेक्षाकृत आधुनिक आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार भी सम्मिलित किए गए है। अनेक विकासशील राष्ट्रों के संविधान में भी मानव अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में मूल अधिकार विस्तृत रूप में व्यवस्था की गई है, जो मानव अधिकारों के मूल दस्तावेज व मानवता के लिए प्रेरणाकारक रहेगा।

जब भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया में था तभी राष्ट्रसंघ का मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ। इसके मानव अधिकार संबंधी 30 अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रभाव हमारे संविधान पर स्वाभाविक रूप से पड़ा और इन्हीं के अनुकूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार रखे गए। हमारी आजादी के अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध संघर्ष से (गुलामी के अभिशाप के बाद) आजादी प्राप्ति ने भारत को अधिकार सहित भारत बनाया। यह भारतीयों के लिए वरदान था।

भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का संविधान में भाग तीन के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है।

(1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18 तक)
(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22 तक)
(3) शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 एवं 24 तक)
(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28 तक)
(5) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30 तक)
(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

भारत में सम्पत्ति का अधिकार 1950 से 1978 तक मौलिक अधिकार रहा। 44 वें संवैधानिक संशोधन के बाद इसे मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 (क) में एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

शिक्षा की अनिवार्यता का अधिकार (6 से 14 वर्ष तक) के बच्चों लिए राष्ट्र में एक नये युग का आरंभ है। शिक्षित भारतीय अपने राष्ट्र विकास में भागीदार बनेगा। सूचना का अधिकार (2005) शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं विश्वनीयता में वृद्धि करता है। सूचना का अधिकार जन सामान्य की सहभागिता बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनता है। जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।

भारत के नागरिकों को बदलती परिस्थितियॉ एवं आधुनिकता व विकास के साथ कुछ मूल अधिकार और जोड़े जाने की आवश्यकता है।

काम का अधिकार – भारत जैसे विशाल युवा राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त हो यह राष्ट्रीय विकास की गति बढ़ाने के लिए जरूरी है। जिससे विश्व में हम अपना सम्मानजनक महाशक्ति के रूप में स्थान बना सके।

स्वास्थ्य सुविधा अधिकार – स्वस्थ भारत के लिए स्वास्थ्य सुविधा सहजता से उपलब्ध हो तभी हर स्वस्थ नागरिक राष्ट्र के विकास को गति देने में सहभागी बन सकेगा।

निराश्रित को जीवन यापन सुविधा पाने का अधिकार – असहाय एवं निराश्रित को वृद्धावस्था में प्रत्येक भारतीय नागरिक सम्मानजनक व गरिमापूर्ण जीवन जी सके इसके लिए शासन से सहायता व संरक्षण पाने का अधिकार आवश्यक है।

भारत में कमजोर वर्ग को न्याय व अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। वे अशिक्षा, अज्ञानता, व गरीबी के कारण अधिकारों के लाभ से वंचित न रहे, अन्याय व शोषण से भी मुक्त रहे, इसके लिए जरूरी है कि न्याय जनसामान्य व सबसे पीछे खडे व्यक्ति तक सहजता से पहुँचे यह प्रयास जरूरी है। कानूनी सहायता एवं कानून की जागरूकता आवश्यक होती है।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने कहा कि – 'किसी देश की जनता के लिए सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की उपलब्धि के माध्यम से ही पूरे हो सकते है। अन्यथा सिविल एवं राजनीतिक अधिकार केवल ऐसे विभ्रम एवं अवास्तविकता के वचन उन गंभीर आदर्शो की आडम्बरपूर्ण दृढ़ उक्ति होंगे, जिनका आशय जनता को धोखा देना होगा।'

भारतीय राज व्यवस्था में लोकतंत्र के जन्म से मानव अधिकार कदम ताल मिलकार चले है हमारे यहॉ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और उसी क्रम में राज्यों में मानव अधिकार आयोगों की स्थापना तथा महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों, के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है।।

यही सकारात्मक प्रयास भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते है। भारत पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र मानव अधिकारों की दृष्टि से संवैधानिक विकलांगता से ग्रसित है। मानव अधिकार हमारी मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण बनाये हुए है जो व्यक्तित्व विकास का पर्याप्त अवसर देते है, मानव व्यक्तित्व का विकास नि:संदेह मानव अधिकारों की सार्थक स्थापना कल्याणकारी राज्य की प्रथम अवस्था है। भारत में मानव अधिकारों के लिए संघर्ष हमारा पुरूषार्थ है, प्रारब्ध नहीं। भारतीय जनमानस इस सत्य से अधिक समय तक अपरिचित नहीं रह सकता। मानव अधिकारों के लिए संघर्ष निरन्तर जारी रहना स्वाभाविक है। यही इसकी नवीनता व अस्तित्व के लिए जरूरी है।

आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र में विश्वास व आस्था लोकतंत्र की प्राणवायु है। लोकतंत्र में अधिकारों का अस्तित्व व संरक्षण आवश्यक है। विश्वशांति, विश्वकल्याण, विश्वहित के लिए लोकतंत्र व मानव अधिकार वरदान है। लोकतंत्र ही हमें विश्वशांति, विश्व बन्धुत्व व जीयो व जीने दो का संदेश देता है। सारी मानव जाति को एक परिवार मानता है। शोषण विहिन अधिकार सम्पन्न राष्ट्र ही विकास की नई राह चुन लेता है। जो सारे मानव समाज के लिए प्रेरक बनता है। लोकतंत्र में सहभागिता व उत्तरदायित्व का भाव हमारे लिए वरदान है।

विवेकानन्द के अनुसार – 'भारत के अतीत में लोकतंत्र की जड़े गहराई तक समाई हुई है, सारी मानव जाति निरन्तर लोकतंत्र की ओर बढ़ रही है।' यही विश्व समुदाय के हित में होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारत का संविधान एक परिचय – दुर्गादास बसु, वाधवा एण्ड कं. दिल्ली (2001)
2. मानव अधिकार एवं भारतीय लोकतंत्र – पुनीत कुमार, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल (संस्करण 2008)
3. मानव अधिकार – डॉ. एच. ओ. अग्रवाल सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद (चतुर्थ संस्करण 2008)
4. विवेचनात्मक राजनीति विज्ञान कोश – डॉ. ओमप्रकाश गाबा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली (प्रथम संस्करण 2007)
5. मानव अधिकार – सिद्धांत एवं व्यवहार – डॉ. जी.पी. नेमा एवं डॉ. के.के. शर्मा
6. भारत में लोकतंत्र – चन्द्रप्रकाश भांभरी – नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली (2011)
7. द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी – डी.डी. रफील (1979)
8. मानव अधिकार – एस.के. कपूर, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद (2001)

प्रजातंत्र में महिलाओं की भूमिका

अनामिका श्रीवास्तव *

प्रस्तावना –

नारी कबहूँ न निदरिये, नारी रत्न के खदान।
नारी से नर उपजें, ध्रुव प्रहलाद समान।

आजादी के बाद बने भारतीय संविधान और उसमें होते रहे संशोधनों में इस तथ्य को बराबर महसूस किया जाता रहा है कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना आवश्यक है। सन् 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तय भी यह माना जाता रहा है कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता, इसलिये पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सन् 1992 में 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू किया गया, इस संशोधित अधिनियम के द्वारा ग्राम पंचायत गठित करना अनिवार्य हो गया, और ग्राम पंचायतें और सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की कर दी गई, इस व्यवस्था का प्रभाव हुआ कि देश की लाखों महिलायें पंचायतों में नेतृत्व हेतु मैदान में आ गई, इस संशोधन के माध्यम से जहां एक ओर पंचायती राज व्यवस्था को देश ने लोकतांत्रिक प्रशासन के तृतीय सोपान के रुप में संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को स्वीकार किया गया।

संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छुपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था, इसके बाद ही देश के विभिन्न राज्यों में पंचायत चुनाव की घोषणा की गई, इस चुनाव में लगभग 30 लाख महिलाओं ने भाग लिया। विश्व के किसी अन्य देश में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण नहीं किया गया, वर्तमान में देखा जाए तो बिहार के बाद मध्य प्रदेश में आने वाले पंचायत चुनाव में यह प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत कर दिया गया, और यह सब इसलिये हुआ कि महिलाओं की शक्ति को अब पहचान मिल चुकी है, और उन्होंने कहीं अधिक संवदेनशीलता के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर न्याय किया। देश में लगभग 17 लाख महिलायें पंचायत के काम-काज से प्रत्यक्ष रुप से जुड़ गई हैं।

ग्रामीण राजनैतिक क्षेत्रों में कुछ वर्षो पूर्व तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है, और पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा है। आज ग्राम पंचायत से जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएं निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, यद्यपि महिलाओं के लिये यह नया क्षेत्र तथा सामंती मनोवृत्ति से जकड़े पुरुष प्रधान समाज में उन्हें पुरुषों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, परंतु उनका मुकाबला करते हुये महिलाओं ने अशिक्षित होने के बाद भी अपने आप को ज्यादा संवदेनशील और बेहतर प्रशासक कम समय में सिद्ध कर दिया है। अब विवश होकर राजनैतिक दलों को भी अधिक से अधिक महिलाओं को भी सम्मान जनक पद देने पड़ रहे हैं।

ग्रामीण विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक पहलू हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं, इनमें से आर्थिक विकास में महिलाओं का सर्वाधिक योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पुरुषों की तुलना में दोगुना अधिक श्रम किया जाता है, जहां पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है, वहीं महिलायें प्रतिदिन 16 घंटे कार्य करती हैं, लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष आय में उनका योगदान कम होता है, अत: उनके योगदान को कोई महत्व प्राप्त नहीं होता जिसकी वह अधिकारिणी हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है वह स्थिति दयनीय है, फिर भी जनतांत्रिक माहौल व महिलाओं की भागीदारी के चलते स्थिति में बदलाव आना प्रारंभ हो गया है। कुछ समय में देश के कुछ हिस्सों में महिलाओं ने अभूतपूर्व जागृति का परिचय दिया। मणिपुर, आंध्रप्रदेश तथा हरियाणा में शराब बंदी लागू करने के पीछे महिलाओं की आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मध्य प्रदेश में कमला बाई की कहानी पूरे पंचायती राज की सटीक व्यवस्था के लिये पर्याप्त है, यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमे पंचायती राज को खंगालने का मौका दिया।

सतही स्तर पर पंचायतों में आरक्षण देकर जहां उनके भागीदारी को एक हद तक बढ़ावा मिला है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जो महिला संसद और विधानसभा में चुनकर आएगी उनका पंचायत स्तर की महिलाओं तक नेटवर्क होगा, जिसके कारण पंचायत में महिलाओं को और अधिक सशक्त होने का अवसर मिलेगा।

कम से कम प्रारंभिक चरणों में ही सही शक्तिशाली लोग अपने फायदे के लिये अनमने ढंग से ही सही महिलाओं को चुनाव में खड़ा तो कर रहे हैं। आरक्षण की इस व्यवस्था में महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का निराकरण हेतु एक और मौन क्रान्ति के युग का प्रारंभ हो गया है, जिससे आने वाले वर्षो में 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद और सकारात्मक परिणाम निश्चित ही सामने आएंगे। आज भले ही पंचायतों में महिलाओं की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है कि वे जिम्मेदारी उठाने योग्य नहीं हैं, उनमें निर्णय करने की क्षमता नहीं है, वास्तविकता यह है कि अब तक महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा गया था, और सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में बढ़ने के मार्ग में अड़चने पैदा करने का प्रयास किया गया। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जब भी महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला है, उन्होंने पूरा-पूरा सहयोग किया। यह हमें विभिन्न राज्यों में हुये पंचायत संस्थाओं के चुनाव से ज्ञात होता है। यूं तो पंचायत के हर स्तर पर एक तिहाई महिलायें निर्वाचित हुई हैं, परन्तु कुछ राज्यों में उससे भी अधिक संख्या में चुनी गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की राजनैतिक चेतना में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सन् 1937 में महिलाओं के लिये 41 स्थान सुरक्षित थे, वहां केवल 10 महिलाओं ने ही चुनाव लड़ा। भारत के नवीन संविधान के अनुसार

* शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

1950 में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नागरिक अधिकार प्रदान किये गये। 1952 में 23 महिलायें लोकसभा में चुनी गई थी, जबकि 1984 में चुनावों में 65 महिलाओं ने सांसद के रुप में चुनाव में सफलता प्राप्त की। 1999 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों की संख्या 49 थी, परंतु राजनैतिक चेतना काफी बढ़ी है। 2004 के लोकसभा चुनाव में 44 महिलाएं निर्वाचित हुई, 2009 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 59 हो गई। इंटरपार्लियामेटरी यूनियन के अनुसार विभिन्न देशों में महिलाओं का वहां की संसद में प्रतिनिधित्व भारत की अपेक्षा बहुत अधिक रहा है। स्वीडन में 45.3 प्रतिशत, नार्वे में 37.9 प्रतिशत, फिनलैण्ड में 37.9 प्रतिशत, डेनमार्क में 36.9 प्रतिशत रहा है, जहां तक की पाकिस्तान की संसद में महिला प्रतिनिधित्व प्रतिशत 21.2 है। सबसे मजबूत और विशाल लोकतंत्र का दावा करने वाले भारत के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 8.3 प्रतिशत है। विधायिका में महिला सदस्यों की दृष्टि से भारत का स्थान 183 में 134 वां है। पार्लियामेन्ट और विधान मंडलों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या और विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहभागिता राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री तक के रुप में स्पष्ट है कि देश में राजनैतिक चेतना दिनो-दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय महिलाओं ने राज्यपाल, केबिनेट स्तर के मंत्रियों और राजदूतों के रुप में यश प्राप्त किया। अत: स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की राजनैतिक चेतना में काफी वृद्धि हुई है, और उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। राजनैतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत में महिलाओं का स्थान 188 देशों में 21 वां है।

निष्कर्ष तौर पर हम मान सकते हैं कि वर्तमान ग्लोबलाईजेशन और विकसित राष्ट्रों की उन्नति के परिपेक्ष्य में भारत में महिलाओं का राजनैतिक सुदृढ़ीकरण, सशक्तिकरण जब तक पुरुषों के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का सार्वभोमिक विकास शिथिल गति से ही बढ़ता जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूंची :-

1. भारतीय सामाजिक समस्याएं-एम.एल.गुप्ता, डी.डी.शर्मा।
2. महिला सशक्तिकरण-सिद्धांत एवं व्यवहार-मानचन्द्र खंडेला।
3. महिलाएं और मानवाधिकार-सरोज परमार।

****

बैगा जनजाति एवं उनकी स्थितियाँ

ज्योति विश्वास * डॉ. वाई.बी. कसवे **

प्रस्तावना – म0प्र0 में तीन आदिवासी जनजातियॉ निवास करती है। चबंल क्षेत्र में सहारिया, पातालकोट जिला छिन्दवाडा में भारिया, म0प्र0 के महाकौषल क्षेत्र मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया,अनूपपुर, में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं।

इन तीन आदिम जातियों को मध्यप्रदेश में विशेष पिछडी जनजाति घोषित किया गया हैं। इनमें से बैगा शायद सबसे पुरानी जाती हैं। बैगा बहुत घने और अगम्य वनों में रहने वाली जंगलों पर निर्भर तीर कमानों से शिकार करने वाली बेहद शर्मीली और चुप रहने वाली जाति हैं। बैगा आदिवासी आज भी बहुत डरते हैं। क्योंकि सभ्य समाज से अभी भी वे बिल्कुल अछूते है। आज से 10 वर्ष पहले तक बैगा जाति के लोग अपनी छोपड़ी नुमा बस्ती में जब शहरी फुलपेंट धारी लोग को देखते थे तो वे डर के मारे जंगलों में भाग जाते थे। यही एक ऐसी जाति है। जिस पर समय और युग तथा शहरी समाज का विशेष प्रभाव नहीं पडा।

सामाजिक संगठन – बैगा समाज परंपरा से सामूहिक जीवन व्यतीत करते आ रहें है। परिवार बैगाओं के सामाजिक संगठन की इकाई है। बैगाओं के सामाजिक संगठन आंतरिक रूप से सुव्यस्थित और सुंसगठित है।

बैगा समाज में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। विवाह होने तक पुत्र पिता के साथ एक ही परिवार में हैं, तब पिता का संयुक्त परिवार होता है, विवाह होने के बाद पुत्र और पुत्रवधू के लिए पास में अलग मकान बना दिया जाता है। पुत्री विवाह होने के लमसेना की स्थिति में अपने पति के साथ तीन से सात वर्ष तक पिता के साथ रहती है। पुत्र या पुत्री दामाद विभाजित रहने पर भी पिता के परिवार से बराबर सम्पर्क रखते है। माता–पिता किसी पुत्र के साथ स्वेच्छा से रहते है। परिवार में स्थानों का बडा सम्मान होता है। छोटा या छोटे उनकी आज्ञा सदैव मानते हैं, परिवार में सबसे बडा व्यक्ति मुखिया होता है।

बैगा समाज पुरूष प्रधान है। समाज में पुरूष के बनाये गए नियम विधान लागू होते है। सामाजिक रीति–रिवाज के परिपालन में पुरूषों की इच्छा सर्वोपरि होती है। किसी भी झगडे फसादों, रिश्तों, सामाजिक व्यवहारों के निर्णय सब पुरूष के हाथ में होते है।

स्त्रियों का अनादर पूरे बैगा समाज का अनादर माना जाता है। ऊपर से रूढिग्रस्त दिखने वाला आदिम बैगा समाज आंतरिक रूप से नारी को कई प्रकार की स्वायत्तता, स्वच्छता और स्वतत्रंता प्रदान करता है। कोई भी युवती अपने मनपसंद युवक से विवाह कर सकती है। विवाह विच्छेद कर सकती है। रिश्ते तय करते समय पुरूष महिलाओं से सलाह लेते है। घर के कामों के अलावा कृषि कार्यो में स्त्री, पुरूष के साथ बराबर हाथ बटाती है।

राजनीतिक आधार – बैगा समाज की व्यवस्था की धुरी पंचायत पर टिकी होती है। पंचों का निर्णय सर्वमान्य होता हैं। पंच फैसला के विरूद्ध कोई उजागर नहीं होता है। ग्राम का प्रंबध ग्राम के मुखिया करते है। यह उनका नैतिक उत्तरदायित्व है। बैगा पंचायत में 05 पंच होते हैं। 1. मुकद्दम 2. दीवान 3. सरपंच 4. कोटवार 5. दवार । मुकद्दम गांव का मुखिया होता है। इनकी नियुक्ति परंपरागत ढंग से वंशानुगत होती है, जिससे सरकार भी मान्यता प्रदान करती है। यह गांव का प्रमुख प्रबंधक होता है। दीवान मुकद्दम का सहायक होता हैं, मुकद्दम के न रहने पर गांव के सारे काम दीवान करता हैं। समस्त गांव के सामाजिक कार्यो और मेहमानों के आने पर राशन की व्यवस्था करता हैं। कोटवार शासकीय सेवक होता हैं। लेकिन समाज में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। दवार गांव का पुरोहित या पड्डा होता हैं। यह अच्छा वैद्य होता हैं और धामिक कार्य तथा पूजा–पाठ करवाता है। गावं के बाहर एक सीमा होती है। जिसे साफ रखा जाता हैं। इसी सीमा पर कोरी के सहारे गांव के दुख दर्द बाध दिए जाते है।

संविधान में आदिवासियों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रावधान रखे गए है। भारत सरकार द्वारा आदिवासियों की समस्याएं एवं जनजाति क्षेत्रों के कुशल प्रशासन हेतु समय–समय पर उनकी समितियॉ का गठन किया गया है तथा उनकी सिफारिशों को लागू कर अधिक से अधिक आदिवासी विशेष कर बैगा जनजाति के लोगों को लाभांवित करने का प्रयास किया गया हैं। शासन के द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में बैगा जनजाति के लोगों में चेतना जागृति का विकास हुआ तथा वह हर चुनाव जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, मण्डी चुनाव शिक्षक संघ चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे है। और इसी तरह अपनी राजनीतिक छबि बना रहें है।

आर्थिक आधार – इस जनजाति की आर्थिक व्यवस्था मुख्यत: शिकार , खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन, घरेलू धन्धे लकडी बेचना एंव जंगल में मजदूरी करना है। बालक को सबसे पहले शिकार की शिक्षा दी जाती है। धनुष बाण इनका प्रमुख अस्त्र हैं, लेकिन कभी– कभी खेतों में काम करने वाला कुदाल या कुल्हाड़ी सस्त्र का काम करती है। बैगा कुल्हाड़ी चलाने में होशियार होता है। इसलिए वनविभाग पेडों की कटाई में बैगा मजदूरों को अधिक प्राथमिकता देती है।

सन 1999 एवं 2000 से मण्डला, डिण्डौरी एवं शहडोल जिले के साल वृक्षों पर साल बोरद कीटों ने धावा बोल दिया जिसके कारण इन जिलों के हजारों साल के वृक्ष बुरादा में तब्दील हो गए म0प्र0 वन विभाग द्वारा साल

* शोधार्थी (राजनीति शास्त्र) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय किरनापुर, जिला–बालाघाट (म.प्र.) भारत

वोरद कीटों को पकडने के लिए बैगाओं को प्रोत्साहित किया गया इसके लिए साल बोरर कीट के सिर काटकर सौ सिरों को एक मुण्डा माला बनाकर रेंज आफिस में जमा कराना पडता था। इनसे अधिक काम लेकर अधिकारी कम दाम में इन्हें मजदूरी दे दिया अधिकारियों ने इनका शोषण किया और शासन से अधिक मुनाफा कमाया इनका आर्थिक विकास नाममात्र में हुआ। घर का काम तथा कृषि कार्य प्राय: महिलाएं करती है। मैदानी भाग के बैगा लोग अधिकतर मजदूरी करते है। तथा वनों की कटाई एंव ढुलाई में सिद्धहस्त होते है। ढुलाई में ये लोग म0प्र0 में तेन्दू के वृक्षों की अधिकता है। इस वृक्ष के पत्ते बिडी बनानें के काम में आते है। ठेकेदारों द्वारा इन लोगों से पत्ते तुडवाया करते है। इतने सस्ते मजदूर ठेकेदारों और कही नहीं मिलते थे। पर वनों के राष्ट्रीयकरण के कारण वनों की कटाई का पैसा वन विभाग निर्धारित रेट पर देता है। वनोपज को लाकर ये लोग कस्बों के बाजारों में बहुत सस्ता बेंच देते है। सुबह-सुबह आसपास के कस्बों में बैगा लोग जलाने की लकड़िया लाकर बेचते है। और अपने जरूरत का सामान लेकर घर की ओर चले जाते है।

खेती – पूर्व में हल से खेती करना ये लोग पाप समझते थे, सन 1847 के पहले तक ये लोग केवल कुल्हाड़ी और कुदाल से खेती करते थे सन 1857 के बाद अंग्रेजों ने इन फावडे तथा कुल्हाड़ी से खेती करने वाले ढंग से पाबंदी लगा दी ये परंपरागत खेती करने पर आज भी विश्वास करते हैं। इनका ऐसा विश्वास है। कि नाग बैगा ने सृष्टि के प्रारंभ में जंगल काटकर और जलाकर बीज बोने का निर्देश दिया था तथा हम इसी मिट्टी में पैदा हुए है, इसीलिए धरती माता के पुत्र हल के नुकीले फल से हम अपनी माता की छाती नहीं चीर सकते है। ऐसा करना पाप हैं। ऐसी खेती करने के लिए किसी भी जंगल की ढलानों पर नदियों की तराईयों में एक अच्छी सी जगह पुन: ली जाती हैं। फिर वचन दिया जाता है कि यदि फसल अच्छी हुई तो उसे काफी चढावा दिया जावेगा। फिर भादों में वे वृक्षों को नीचे से काटकर गिरा देते है।सारा क्षेत्र वृक्षों के तनो, डाली और पत्तों से भर जाता है। कटे हुए पेड कुछ दिन धूम में पडे रहते है। धीरे धीरे वे सूख जाते हैं। वैसाख के अन्त और जेठ के प्रारंभ में कटे वृक्षों में आग लगा देते हैं। वेवर में राख ही राख दिखाई देती हैं।

आग लगने से जमीन भी जल जाती हैं। आग के ठन्डे होने पर जेठ की पहली बरसात में जमीन राख से मिलकर भुरभुरी हो जाती है, फिर उसे कुदाल द्वारा राख को मिलाते हैं। फिर उसमें कोदी कुटकी मक्का गाडिया गेगनी बाजारा रसेनी साग ज्वार झुझरू बरबटी झुग्गा दिया उडद गाद आदि बीजों को एक साथ मिलाकर मुटठी से पूरे खेत में झिडक दिया जाता है। बरसात होने पर सभी पौधें बडे होते हैं। निदाई और पौधें की रक्षा महिलाएं करती है। इस प्रकार की खेती एक ही स्थान पर अधिक से अधिक तीन वर्षो तक कर पाते थे, क्योंकि वर्षा में राख बह जाती थी। तब दूसरे जंगलों को जलाकर खेती करते थे। परन्तु अब उन्हें सरकार से रोक लगा दी गई है। जिससे उनकी खेती में बहुत असर पडा है।

निष्कर्ष – बैगा जनजाति की आबादी 90 प्रतिशत गरीबी, भुखमरी और आर्थिक विपन्नता से जूझ रहें हैं। सरकार को उनके विकास के लिए बनाई गई योजनाओं एवं क्रियान्वयन विफल साबित हो रहें है। अनेक शोधों में भले ही इनके विकास को बढ़ा चढ़ा के आकड़े प्रस्तुत हो रहें। हैं। सरकारी आकडे भी इसी तरह प्रस्तुत हो रहे हैं। परन्तु इनकी स्थिति बहुत गंभीर है। नये सिरे से इनके विकास की योजनाओं को बनाने की आवश्यकता हैं। संक्रमण काल में इन्हें दी गई छूट से इनके सामाजिक व राजनैतिक उत्थान धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। उन्हें संविधान से मिली विशेष प्रावधान के तहत सभी अधिकार प्राप्त हो तथा उनकी स्थिती को एक विशेष जाति, भाषा व संस्कृति के परिचायक समुदाय के रूप में समेंकित करने में सामर्थ सिद्ध हो सके, तथा बैगा जनजाति अपना यापन सरलता पूर्वक कर सके। वे सीधे और सरल स्वभाव के स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। वह सबसे परस्पर प्यार व प्रतिष्ठा की कामना करते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ0 विजय चौरसिया - प्रकृति पुत्र बैगा, म0प्र0 हिन्द ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2009
2. नरेश विश्वास - बेबर स्वराज्य , सिस्टम्स विजन, नई दिल्ली, 2007
3. बंसत निरगुणे - बैगा प्रकृति से सीधे संबंध , म0प्र0 संदेश, 1986
4. एस0जी0 खिखडकर - बैगा आदिवासी , लोक कला परिषद प्रकाशन, भोपाल ,1986
5. डॉ0 रविन्द्रनाथ मुखर्जी - भारतीय समाज, विवेक प्रकाशन , दिल्ली, 1984

****

Commercial Banks and SHG's Linkages

Dr. Anil Kumar *

Abstract - The SHG's Group is linked to the banks and avail financial services from them. the group members as to collective wisdom and peer pressure to ensure proper end use of credit and timely repayment thereof. In fact peer pressure has been recognized as an effective3 substitute for collaterals. The members make until there is enough capital in the group to begin lending. Funds may then be lent back to the members or to others in the village for any purpose. Many SGH's are linked to Commercial bank for the delivery of micro credit.

Introduction - With microfinance getting due policy attention and support, commercial banks accounting for the major share in the total deposits and network of branches in the country are expected to play a pominant role in the implementation of the Self-help group-Bank Linkage Programmes (SBLP). The SBLP being implemented since 1992 has emerged as the flagship microfinance intervention in India. The National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD), the apex bank for rural finance in the country is the key promoter of the SBLP. An SHG is a small informal group of up to twenty members working on the basis of principles of like self-help and joint liability to obtain access to financial services from formal agencies. By March 2013, more than 1.62 million SHGs have been linked, directly or indirectly, to financial institutions like commercial banks, regional rural banks and co-operatives with an estimated outreach of about 24 million households. Given the outreach achieved, SBLP has even come to be considered as the biggest microfinance programme in the world. Commercial banks accounted for about 52 percent of the total SHGs linked to all financial institutions in India.

The early 1990s saw the emergence of microfinance as a major strategy of poverty alleviation by the neo-liberal state, especially in the wake of the reduction of public spending on welfare programmes.. The formation of self-help groups (SHGs) and their links with banks and government schemes was seen as a way of offsetting the problems of the limited outreach and of mobilizing capital for self –employment and other income generation proggrammes. Many of these schemes targeted poor women. Who were largely dependent on the informal sector credit from moneylenders. Thus the self-help groups formed under the bank linkage programme attracted many women and more than 70 percent of the bank and government linked groups were formed by women.

A range of institutions in public sector as well as private sector offers the micro finance services in India. They can be broadly categorized in to two categories namely, formal institutions and informal institutions. The former category comprises of Apex Development Financial institutions, Commercial Banks, Regional Rural Banks, and Co-operative Banks that provide micro finance services in addition to their general banking activities and are referred to as micro finance service providers. On the other hand, the informal institutions that undertake micro finance services as their main activity are generally referred to as micro finance institutions (MFIs).While both private and public ownership are found in the case of formal financial institutions offering micro finance services, the MFIs are mainly in the private sector

In a country where two-third of the population does not have access to formal financial services, SHGs are proving to be the most effective instruments for achieving total financial inclusion (TFI), contributing to inclusive growth, and generating social capital in order to address larger issues like poverty eradication and women empowerment. In this Union Budget speech 2012-2013, finance Minister, P. Chidambaram, reiterated the Government's commitment to the policy of total Financial inclusion of the poor. "Banks will be encouraged to embrace the concept of Total Financial inclusion. Government will request all scheduled commercial banks to follow the examples set by some public sector banks and meet the entire credit requirements of SHG members, namely, **(a) income generation activities, (b) social needs like housing, education, marriage etc. and (c) debt swapping."**

SHG-bank linkages and mainstreaming the poor - A critical first step in TFI is forming SHG-bank linkages and mainstreaming the poor with the banks, The poor are not mainstreamed because they lack assets and their credit-worthiness is in question. RGMV provides facilitation support and an enabling environment that ensures that very SHG gains access to microfinance by being linked to nationalized banks which have a commitment towards development of the poor. Its focus is on investing in building the institutions, building the capacities of the poor to access the entitlements and opportunities available with the formal institutions, in a manner that can be scaled up to meet the growing needs of the poor. As a result, there is focused investment; investment is being made where it is required and in multiple dosses

* Asst. Professor (Sociology) Govt. College, Patharia, Mungeli (C.G.) INDIA

and the poor's access to funds continues in perpetuity. The poor are also mainstreamed to take advantages of the many subsidized programmers that are being implemented by the government and international funding organizations.

The process of mainstreaming occurs in two phases. In the first phase, access to funds is provided through the Cash Credit Limit (CCL) in multiple doses after six months of the SHG being formed. In the second phase, the SHG has access to funds through the Micro Credit Plan (MCP), without any collateral security. The bank-linkage process has been considerably streamlined by special operative instructions that each commercial and regional rural bank is obligated to follow with reference to RGMVP. A high-level Project Implementation and Monitoring Committee (PI MC) monitors the implementation of SHG- bank linkages under RGMVP membership includes Chief General Manager, National Bank of Agricultural and Rural Development (NABARD), controlling heads of all major participating banks in Uttar Pradesh such as Bank of Baroda, State Bank of India. Allahabad Bank, Eastern Baroda Up Grameen Bank and Bank of India, Chief Executive Officer (CEO), SERP, and CEO RGMVP. The committee meets on a quarterly basis, and its responsibility is to ensure project friendly policies, banker's commitment and problem free execution of the project activities.

Trends and progress of SHG Bank Linkage Programme in India :

Physical and Financial Growth - The phenomenal outreach of the programme has enabled an estimated 41 million poor households to gain success to micro finance from the formal banking system, registering a growth of 24.16% over 2012-13. Today, commercial Banks with more than 32,000 rural branches have the largest share 55%. In credit linked SHGs followed by Regional Rural Banks 31% operate through their 11,900 branches. Besides NABARD is working with more than 3,000 NGOs and other development agencies as partners in the process.

Regional Growth and Trends -The year 2012-2013 witnessed speared of the SHG Bank Linkage Programme in resource poor regions of the country. In order to reduce regional imbalance in spared of the SHG Bank Linkage Programme, NABARD identified 13 states which have lag population of the poor for focused attention.

Regional spread of credit-linked SHGS

Region	SHGs Credit linked to Bank percent to total			
	2006-07		2012-2013	
Northern	9012	3.4	182018	6.3
Northern Eastern	477	0.2	91754	3.1
Eastern	22252	8.4	525881	7.8
Central	28851	10.9	332729	11.4
Western	15543	5.9	270447	9.3
Southern	187690	7.12	1522144	52.0
Total	2,63,825	100.0	2924973	100.0

Promotional Initiative by NABARD - NABARD to the dedicated Micro Finance Development Equity Support and Support from GTZ has been introducing from GTZ has been introducing various promotional initiatives to sustain the SHG bank linkage Model in India.

Support for Training and Capacity Building - The various training and capacity programmes supported/ conducted by NABARD promoted awareness creation and capacity building programmes for SHGs members, training programmes for officers of commercial banks, co-operative banks etc. programmes for the elected members of Panchayati Raj.

Impact - The impact of Micro finance on poverty reduction has been conducted through various independent studies.

- A study supported by NABARD show that initially 72-80 percent of poor households use credit for consumption purposes but subsequently increasing proportion of them use credit for setting up micro enterprises.
- 86 percent of the members of SHGs belonged to the weaker sections of the rural economy. On account the linkage programmes, the value of asset of the group members has increased by 59 percent.
- There are reports that households that have access to micro finance spend more on education than non-client households.
- The SHG movement in India has led to empowerment of rural women both economically and in terms of more equitable gender relations.
- The linkage programme has helped in credit delivery to tenant farmer and this was found to be working well even in areas affected by left-wing militancy.
- In certain areas Micro finance has reduced child mortality, improved maternal heath.

Conclusion - To conclude banks have a large number of outlets in the rural area, with enabling technology support the delivery channels could be enhanced with reduced transaction cost. With the introduction of core banking solutions, in most of the major Banks, there is a huge surplus of available manpower. This, surplus manpower, needs to be reoriented to take up the challenge of addressing the needs of the rural masses and bringing them into the banking fold. Banks have an importance role to play and a stake inclusive banking, as it would be necessary intermediate steps towards inclusive economic growth.

References :-

1. Micro Finance and Poverty Eradications- Edited by Dr. Daniel Lazar and Prof. p. Palanichamy
2. Commercial Banks and Micro-finance – H.S. Shylendra and Samapti Guha
3. Microfinance and its Emerging Challenges – Archana Prasad
4. Rural Credit and self- Help Groups: Micro- finance need in India, K.G. Karmakar, Sage Publications.
5. Economic Re4view- State Plaming Board-2009 Kurukshetra- vol.59, Jan/2011

Addiction Of Drugs, Alcohol And Smoking In youth - Curse On Innocence And Society

Dr. R.C. Pantel *

Introduction - We all are enjoying new buds of modernization which included new generation, new thoughts, and inventions related to science, social and economical fields. Day by day our life style is covering luxurious and comfortable zone by using different modes and tools of facilities. Our society is an organization which included every age group's people. It is rightly said that Youth is the future of Nation and its attitude and activities reflect various aspect of society. But now a day's one question is arising in my mind that what would be the future of that nation wherein youth is going on wrong path and captured by various bad addictions?

Now a day's smoking, alcohol and drugs addiction has become severe problem of our society. This addiction is not only covering metro cities but also towns and small villages. Now our youth believes in new definition of modernization which is based on use of these addictions. We live in a society; called modern society that makes it cool to use drugs, alcohol and smoking, and youths became victim of it. Addiction is not simply a weakness as people think. It is a brain disorder involving a compulsive, uncontrollable, carving and seeking, and use that persist even in the face of extremely negative consequences. There are various kinds of addictions; Smoking, alcohol and illicit drugs are some of dangerous and harmful of them. Let's have light on them.

Cigarettes, cigar and pipes, known as Hukka, are the famous tools of Smoking. It made of Tobacco which has strong content Nicotine. Nicotine carvings between cigarettes make them feel stressed and anxious, so when they have one, they feel temporarily calm and lead towards various lungs disease unknowingly. The scientific name for alcohol that people drink is ethyl alcohol or ethanol. Beer, wine, and liquor all contain ethyl alcohol. After they drink an alcoholic beverage like beer or wine, the alcohol enters their bloodstream from their liver and small intestine and also travels to brain. This situation puts them in many dangers. Illicit drugs are one of the dangerous addictions. Drug use come in many forms. People who consume drugs, chemical or substances by swallowing, injecting, applying to skin, or many way to enhance their looks, mood, performance, or influence their thinking is committing an act of drug abuse, because inevitably, it will have some very bad results sooner or later. Cocaine, heroin, nitravet, Charas, Ganja, Bhang, hashish, opium, amphetamine, methamphetamine, MDMA, GHS, various Steroids are the most common drugs which abused in extreme level.

Victim of these addictions faces a dark face of its consequences which he never realizes. It destroys his personal and social life, and also degrades his financial status. It also causes three phases of disorganization-individual, family and social. Most of our youth is students. Studies show that students are more likely to drink, smoke and take drugs than the general population. It causes harm to themselves and society as well. In social context; smoking, drugs abuse, drinking too much can impair academic performance because it affects concentration and makes them more likely to miss classes, hand in work late and do badly in exams. It can affect mood and thinking. This can cause them to hurt others, aggression, violence, crime, get into troubles, ranging from date rape to car crashes and damage relationship; and also makes them cut off from society which leads them into the darkness of crime.

Studies show that each year, an estimated 5000 people under the age of 21 die from alcohol related injuries. 50% people started drinking in the age of 12-14. Heavy drinking in the teen years can cause long-lasting harm to thinking abilities; smoking and taking drugs in youth causes losing jobs, schools, colleges, family, relationships, and friends and faced humiliation from society. Research shows that almost half of 16 to 24 year olds have tried drugs at least once, most commonly 'Cannabis'. Among adults who smoke, 68% began smoking regularly at age of 14 and 85% started when they were 21 year old. Cigarette smoking accounts for at least 30% of all cancer deaths. 2007 National Survey in the USA on Drug Use and Health showed that 8% of the population aged 12 or older used illegal drugs. Cigarette smoking is the number one cause of preventable disease and death worldwide. Smoking-related diseases claim over 393,000 American lives each year. 50% of U.S. teens who start drinking alcohol before age 14 will be addicted to it at some point. 9% of US teens who wait until they turn 21 will be addicted at some point. Alcohol-related motor accidents are the second leading cause of teen death in the United States.

Drugs and alcohol directly affect the brain and lead a person towards abnormal behavior. It affects the emotional, financial, and psychological well-being of the entire family. Sometimes to fulfill this addictions a person pushed himself to commit crime which causes humiliation from society. These humiliations from society and their dears as well, shut all doors for them to rejoin this bright world and they lost in darkness of these addictions and at last meet with

* Asst. Prof. (Sociology) Govt. College, Dhamnod (M.P.) INDIA

painful death. In present crime graph increasing day by day in society which strongly indicates towards these addictions because current studies show that most of the crime, for instance, chain snatching, robbery, murder to rob people for money, unnatural- sexual assailments are take place in alcohol and drugs addictions.

Inspite of all above social consequences a victim faces issues related to health, for instance, increased risk of injuries, fetal damage in females, depression, neurologic deficits, nausea, emotional volatility, anxiety, loss of coordination, visual distortion, aggression, sexual dysfunction, heart and liver disease, loss of consciousness, craving, gum disease, impotency in males, euphoria, cancer, pre mature stoppage of growth in adolescents, HIV- for unsafe sexual discourses, memory loss and neglecting activities- suicidal thoughts and many more; list is so long with its side effects.

A question is arising in my mind that why these innocent people move towards these additions? The answers are very shocking. Research shows that people take drugs, alcohol, and do smoke for these reasons-

- To fit in a community, group or gang which tagged themselves as 'modern or super class people'
- To escape for problems- these addicted youth thinks that these addictions will b helpful to sort out or forget their problems
- To get relax from social norms- social rules and restrictions which make a society better and civilized, are the unwanted, worthless and unbearable norms for these people and they think that these addiction would be helpful to provide them freedom from all these barriers.
- To grown up among their peers
- To relieve boredom and give them personal excitement
- To rebel and get violent without fear
- To experiment something new wherein they found adventure
- Exposure to pro-tobacco marketing and media more than doubles the chances (2.2 times) of children and adolescents starting tobacco use
- One or both parents smoke.
- People they admire smoke.
- Teens find acceptance by peers if they smoke too. Peer pressure advertising on smoking works on teenagers and adults. Teens feel that they can stop at anytime. So why not try it?
- Movies, shows, rave parties, upper class' parties, Company of addicted people push them and provide them a platform to get involved.
- Feeling of alienation, lack of confidence, lack of love and care, nightmares of life cause their involvement in these addictions.

We come to know many consequences and reasons behind these addictions which fill our heart with fear and worry. We must not forget that youth is the future of our society. They must be follower of our culture, civilization and moral values inspite of being follower of these bad addictions. Government, NGO's, other human development organizations, schools, colleges and we ourselves must come together to take an action against these addictions and try to prevent our generation. Few steps can be taken for betterment which is given bellow -

- By developing Anti Smoking, alcohol and drugs cells,
- By developing Counseling desk and treatment centers for addicted people
- Education related to consequences and causes of these addictions must be provided in school and college levels
- Addicted people should be treated with love and care inspite of humiliation
- Occurrences of Cigarettes, alcohol, and drugs must be banned in public places
- Time duration should be reduce of pubs and bars
- Smoking and alcohol intake must be banned or far away for under aged group
- Multimedia and Advertisements which promotes addiction based contents should be banned or controlled

Some steps taken by us can be helpful to nurturing and fostering the future of our youth and society.

References :-

1. Shelf,Nic. *We All Fall Down*:*Living with Addiction*. America:Atheneum Books for Young readers, reprint edition, 2008.book.
2. Rassool, G.Hussein. "*Alcohal and Drug Misuse."*A Handbook for Students and Health Professionals 26 September 2008:48. English.
3. Balding, J. "*School Health Education."*Young People 12 February 2002: 79.English.
4. Holloway, Trever Bennett and Katy. Understanding drugs, Alcohol and Crime. England: Open University Press, 2005. English.
5. Benowit, NL. "*Nicotin Addiction*" The New England Journal of Medicine (2010): 29-36. English.
6. Varma VK, Singh A, Singh S, Malhotra AK. Extent and pattern of alcohol use in North India. Indian J Psychiatry. 1980;22:331–7.
7. Dube KC, Handa SK. Drug use in health and mental illness in an Indian population. Br J Psychiatry. 1971;118:345–6.
8. Myers, M.G.*Smoking intervention with Adolescent Substance abusers: initial recommendations.* Journal of Substance Abuse Treatment 16: 289-298, 1999.
9. Greenberg, M.T., Seigel, J.M., and Leitch, C. J. "*The nature and importance of Attachment relationships to parents and peers during adolence."* Journal of Youth and Adolence 12: 373-386,1983.
10. Vimont, Celia. "Addiction *of Drugs, Alcohol, Tobacco Most Common Mental Health Problem in Teens" science17 April 2012: 198-216*. Join together staff.web 17may2013
11. *"Substance Dependence."* Wikipedia: The Free Encyclopedia. Wikimedia Foundation, inc.19 July 2014. Web. 10August2014.
12. Becker, G.S., Murphy, K. M. "*A Theory of rational addiction."*The Journal of Political Economy 14: 119-135.1988.
13. Gururaj G, Girish N, Benegal V, Chandra V, Pandav R. *Burden* and *Socioeconomic impact of alcohol*, The Bangalore Study, World Health Organization, South East Asia Regional office, New Delhi. 2006
14. Mattoo SK, Basu D, Malhotra A, Malhotra R. *Motivation for addiction treatment*-Hindi scale: Development and factor structure. Indian J Psychiatry. 2002;44:131–7.
15. Benegal V. India: Alcohol and public health. Addiction. 2005;100:1051–6.

मध्यप्रदेश की कल्याणकारी योजनाऐं - एक अध्ययन

डॉ. अन्ना तिर्की *

शोध सारांश – 'महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों, में अपने परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है।' आधुनिक स्वत्रंत भारत में स्त्री का परिवार से बाहर संस्थानों में पदापर्ण होना प्रारंभ हुआ यह एक ऐसा संक्रमण काल है जिसमें स्त्री दोहरी जिम्मेदारी से उन्मुख हो रही है इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते हुए कदमों में महिलाओं को प्राप्त अधिकार सार्थक साबित हो रहें हैं। संविधान के अनुछेद 14, 15 व 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 39, 42, 51, 325, 326, 20 सूत्रीय महिला कार्यक्रम 1980, महिला पुरूष समानता के लिए 11वीं योजना महिलाओं से संबंधित कानून, शासन की अन्य योजनाएं आती हैं, महिलाओं में कानूनों की जानकारी एवं महिलाओं को मानसिक रूप से इसे लागू करने हेतु एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के आत्मविश्वास विकसित करना आवश्यक है।

शब्दकुंजी – महिला सशक्तिकरण संवैधानिक उपाय महिला कानून, शासन योजनाऐं।

प्रस्तावना – मध्य प्रदेश देश के मध्य स्थित है इसलिये इसे ***हृदय प्रदेश*** भी कहा जाता है। प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया। फज़ल अली की अध्यक्षता में 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 01 नवंबर, 1956 को नवीन म.प्र. का गठन हुआ। मध्य प्रदेश को थ्री स्टेट - A, B, C में बांटा गया है। सेंट्रल प्रोविन्स तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखण्ड को मिलाकर पार्ट A (स्टेट A) बनाया गया। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट B (स्टेट B) बनाया गया, इसका नाम मध्य भारत रखा। उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट C बनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी **भोपाल** पार्ट C का भाग है।

मध्यप्रदेश में वर्तमान में प्रशासनिक तौर पर 10 संभाग एवं 51 जिले हैं। प्रदेश की वर्तमान में कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 3,76,12,306 तथा महिलाओं की संख्या 3,50,14,503 है जो देश की कुल जनसंख्या का 6 प्रतिशत है जिसमें 362 तहसील, 478 शहर तथा 54,903 गांव हैं।

जनसंख्या का घनत्व – 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला **भोपाल** है जबकि सबसे कम घनत्व वाला जिला **डिंडौरी** है।

भारत एवं मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार है –

जनगणना वर्ष	भारत	मध्य प्रदेश
1951	110	60
1961	134	75
1971	167	97
1981	208	124
1991	267	158
2001	324	196
2011	382	236

साक्षरता – मध्य प्रदेश की साक्षरता जहां 2001 में 63.7 प्रतिशत थी, वहीं 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 69.32 प्रतिशत हो गयी है। इसमें पुरूषों की साक्षरता 78.73% तथा महिलाओं की 59.20% हो गयी है।

मध्य प्रदेश में 1981 से 2011 तक साक्षरता स्थिति इस प्रकार रही–

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरूष साक्षरता	महिला साक्षरता
1981	28.3 %	39.7%	16.0 %
1991	44.7 %	58.6 %	29.4%
2001	63.7 %	76.1 %	50.3%
2011	69.32 %	78.73%	59.2%

मध्य प्रदेश में 2001 एवं 2011 की जनगणना में साक्षरता प्रतिशत

	2001	2011	वृद्धि
व्यक्ति	63.7%	69.32%	5.62%
पुरूष साक्षरता	76.1%	78.73%	2.6%
महिला साक्षरता	50.3%	59.2 %	8.9%

लिंगानुपात – 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 931 है जबकि 2011 की जनगणना में यह आकड़ा 919 का था। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, जहां प्रति हजार पुरूषों 1021 महिलाएं हैं और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिण्ड है।

भारत एवं मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति 1951 से 2011 तक इस प्रकार है –

जनगणना वर्ष	भारत	मध्य प्रदेश
1951	1000 : 946	1000 : 945
1961	1000 : 941	1000 : 932
1971	1000 : 930	1000 : 920
1981	1000 : 934	1000 : 921
1991	1000 : 927	1000 : 912
2001	1000 : 933	1000 : 919
2011	1000 : 943	1000 : 931

2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,13,42,320 एवं जनजाति की जनसंख्या 1,53,16,784 है।

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,धार (म.प्र.) भारत

समाज में आज भी महिला को अबला एवं कमजोर समझा जाता है। पुरूषों की तुलना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ी हैं। समाज में घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, अन्याय, प्रताड़ना जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। भ्रूण हत्या के कारण स्त्री पुरूष के लिंग अनुपात में अंतर एक चिंता जनक विषय है। अज्ञानता, अंधविश्वास एवं रूढ़िबाधिता के कारण समाज में कुप्रथाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण बाल विवाह जिससे मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। कुपोषण के कारण समाज के स्वास्थ्य का स्तर निम्नता की ओर इंगित हो रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार विशेष रूप से महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं के अधिकार, सम्मान एवं सुरक्षा हेतु कृत संकल्प होकर योजनाओं द्वारा इसे क्रियांवित करके महिलाओं के उत्थान एवं विकास में अग्रणी है। जिससे महिलाएं अपनी आत्म शक्ति को पहचान कर समाज में परिवर्तन व सोच में परिवर्तन लाकर परिवार, देश, समाज के विकास में अहम् भूमिका निभाने में सक्षम हो रही हैं।

समाज में भ्रूण हत्या से घटता स्त्री पुरूष का अनुपात समाज के लिये चिंतनीय विषय है। 'सृजन कविता में श्रीमती कुन्ती कहती हैं –

'जन्म लेने के पहले क्यों मार रहे हो,
उन निरीह नारी को क्यों बिगाड़ रहे हो,
प्रकृति संतुलन को '

नारी के प्रति अंतर्मन में सोच में बदलाव लाना होगा तब ही नारी के प्रति सच्ची श्रद्धा मानी जायेगी अन्यथा लिंगानुपात एक दिन बिकराल रूप धारण कर समाज को समूल रूप से नष्ट कर देगा। महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैयक्तिक अधिकार सुविधाएं व अवसरों को उपलब्ध कराना आज मध्य प्रदेश सरकार अपने उत्तरदायित्व के लिये दृढ़ संकल्पित है।

दहेज प्रथा के कारण समाज में न जाने कितनी महिलाएं आत्म हत्याएं कर रही हैं, कितनों का परिवार बरबाद हो चुका है। पति व सास-ससुर के द्वारा शारीरिक व मानसिक प्रताड़नाएं देने के कारण नारी का जीवन नरक बन जाता है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कन्यादान योजना के तहत दहेज की कुप्रथा पर अंकुश करने पर एक कारगर कदम उठाए हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, गरीब, असहाय, अनाथ, बीमार एवं निम्न तबके की महिलाओं, वेश्याओं, आदि सभी के अधिकार व सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर विकास के प्रति वचनबद्ध हैं, जिसके लिये निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं

लाड़ली लक्ष्मी योजना – मध्यप्रदेश सरकार ने कन्याओं के लिए 01 अप्रैल, 2007 में लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारम्भ की। प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना आरंभ की गई है। योजना 01 जनवरी, 2006 के उपरांत जन्मी बालिकाओं के लिए है। योजना के प्रमुख लाभ हैं।

- हितग्राही के नाम पर लगातार 05 वर्षों तक रू. 6000 के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जावेगें।
- बालिका के कक्षा 6वी में प्रवेश लेने पर रू. 2,000 कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 तथा कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रू. 7,500 का एक मुश्त भुगतान किया जायेगा।
- बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष एकमुश्त राशि का भुगतान किया जायेगा किन्तु शर्त यह है कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पश्चात् हुआ हो।

योजना का लाभ लेने के लिए क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना – इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को प्रायमरी स्तर से आगे के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का लाभ सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए जिन्होंने दूसरे गाँव के स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया हो। अब तक 16.50 लाख साइकिल इस योजना के तहत् वितरित हो चुकी हैं।

गाँव की बेटी योजना – 2005 से प्रारम्भ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर सहायता करना है। इस योजना के तहत् 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाली ग्रामीण बालिकाओं को 10 महीने तक 500 रू. प्रति महिने दिये जाते हैं। अभी तक 60 हजार बालिकाएं इस योजना से लाभांवित हो चुकी हैं।

प्रतिभा किरण योजना – इस योजना का उद्देश्य ऐसी शहरी बी.पी.एल. (गरीबी रेखा के नीचे) परिवारों की बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना है जिन्होंने 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद उसी वर्ष उच्च कक्षा में प्रवेश लिया है। इस योजना में पात्र बालिकाओं को दस महिने के लिए 500 रू. प्रतिमाह तथा तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाते हैं।

विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना – इस योजना का उद्देश्य सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के छात्रों जिनकी वार्षिक आय 54000 रू. हो, उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करती है। 12वीं कक्षा में कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण की इस योजना का लाभ अब 5433 छात्र प्राप्त कर चुके हैं।

स्वागतम् लक्ष्मी योजना – महिलाओं के सम्मान्, सुरक्षा और कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक ओर कदम बढ़ाते हुए स्वागतम् लक्ष्मी योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी, 2014 को अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जन्म से जीवन के अंतिम पड़ाव तक सरकार की ओर से सुरक्षा व सुविधाएं मिलेंगी। स्वागतम् लक्ष्मी योजना में माता के गर्भ में पल रही नवजात, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाली छात्राएं, घरेलु कामकाजी एवं श्रमिक महिलाएं इत्यादि लक्ष्य समुद्र में शामिल हैं।

गौरवी केन्द्र योजना – मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान व संरक्षण की दिशा में बेटी बचाओं अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना जैसी अभिनव योजनाओं के बाद गौरवी केन्द्र का इस क्षेत्र में शुभारम्भ 16, जून, 2014 को राजधानी भोपाल में किया गया।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – इस योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों को अपनी बेटियों, विधवाओं या तलाकशुदा के विवाह के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराना हे। यह वित्तीय मदद सामुदायिक विवाह समारोह द्वारा विवाह की सही उम्र में लड़की का विवाह करने पर दी जाती है। वित्तीय सहायता के तहत् 10,000 रू. दिये जाते हैं। इस योजना

में सभी धर्मों के विवाह एक ही सामुहिक विवाह समारोह में सम्पन्न कराये जाते हैं जो कि साम्प्रदायिक सौहार्द्ध को भी बढ़ावा देता है।

मुख्यमंत्री निकाह योजना – मुस्लिम कन्याओं का विवाह कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्यायदान योजना की तरह ही मुस्लिम समुदाय के लिए मुख्यमंत्री निकाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में पुत्री के माता–पिता को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन एक मुश्त राशि उपलब्ध कराने एवं बचत पत्र देने जैसी उपायों के लिए उच्चस्तरीय विचार किया जा रहा है।

माता की रसोई योजना – सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बेसहारा गरीब परिवारों को समुदाय की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में शहडोल जिले के कुदराटोला गांव में ***'माता की रसोई'*** कार्यक्रम की शुरूआत का अनुठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ ग्राम सभा ने ऐसे बेसहारा व नि:शक्त लोगों की पहचान कर भोजन का इंतजाम सुबह 10 बजे व शाम 6 बजे माता की रसोई में भोजन की व्यवस्था करते हैं।

राम रोटी योजना – 02 नबम्वर, 2010 से भोपाल में प्रारंभ की गई। इस योजना में रेन बसेरों में 5 रू. में भरपेट भोजन व 2 रू. में चार कम्बल उपलब्ध कराया गया।

मुख्यमत्री अन्नपूर्णा योजना – 26 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ की इस योजना के तहत् निर्धनता से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 3 किलो गेंहूँ व 5 रू. चांवल उपलब्ध कराया जाता है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना – जनवरी, 2006 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना में 9वीं कक्षा में प्रवेश होने वाली छात्रा को रू. 1000 व 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्रा को रू. 2000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

शंखनाद योजना – आदिवासी क्षेत्रों में विशेषत: जनजातियों के स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार इस योजना का उद्देश्य है।

आयुष्मती योजना – प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीब महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा इस योजना का उद्देश्य है।

राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (सबला) – इस योजना का प्रारंभ 19 नबम्वर, 2010 में की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के सही शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मदद करना है। मध्यप्रदेश के 15 जिलों से ये भारत के 200 जिलों में शुरू की गई है।

अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन – इस मिशन की शुरूआत 24 दिसम्बर, 2010 को बच्चों के कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए की गई। इसका उद्देश्य सन् 2015 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को 94 से घटाकर 60 प्रति हजार जीवित बच्चा करना है एवं गंभीर कुपोषण दर को 12.6% से 5% करना है।

एकलव्य शिक्षा विकास योजना – इस योजना की शुरूआत 15 नवम्बर, 2010 को तेंदूपत्ता व्यवसाय में जुड़े परिवारों के बच्चों को बहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु की गई है। इस योजना का लाभ प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों, फंड मुन्शियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। ऐसे परिवार जिनके बच्चे 60% अंक में उत्तीर्ण हो, उन परिवार के 8वीं एवं 9वीं के छात्रों के 12,000 रू. तथा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को 15000 रू., तकनीकी छात्रों के लिए 20,000 रू. तथा व्यवसायिक कोर्स के छात्रों को 15,000 रू. की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना – हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के मुक्त इलाज के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14 जुलाई 2011 से मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना लागू की गई। इस योजना के तहत् 15 साल तक के बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाता है।

मुख्य आवास योजना – यह योजना राज्य के बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 2007 में शुरू की गई। यह योजना उन लोगों के लिए है जो इंदिरा आवास योजना के दायरे में नहीं आते हैं।

मुख्यमंत्री पेयजल योजना – मुख्यमंत्री पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक और 1000 से कम आबादी वाले ऐसे गांवों के पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है जो किसी भी पीने के पानी के स्रोत से रहित हैं। इस योजना के तहत् 1500 गांवो में रू. 5 करोड़ के लागत से 1200 पीने के पानी के स्रोतों का विकास किया गया। राज्य के 50 जिले में यह योजना क्रियांवित है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना – यह योजना 2010–11 में शुरू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सामान्य श्रेणी के 500 से कम आबादी के गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना है। यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं है।

दीनदयाल रोजगार योजना – इसका प्रारंभ 25 दिसम्बर, 2004 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार ग्यारण्टी योजना – 02 फरवरी, 2006 से मध्यप्रदेश के 18 जिलों में प्रारंभ हुई केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार तथा रू. 60 प्रतिदिन की दर से मजदूरी देने का प्रावधान किया गया।

जबाली योजना – वेश्यावृत्ति एवं अन्य निम्नस्तरीय व्यवसायों में लिप्त महिलाओं को इसे योजना के अंतर्गत सम्मानजनक व्यवसाय आरंभ कराने हेतु सरकार द्वारा मदद प्रदान कराने वाली योजना है।

स्टाम्प वेण्डर – इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार युवाओं को रू. 35 हजार तक ऋण देकर तहसील न्यायालय के समक्ष न्यायालयीन उपयोग की सामग्री विक्रय हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

कल्पवृक्ष योजना – इस योजना में रेशम के कीड़े पालने वाले व्यक्तियों को बेहतर रेशम कीट उपलब्ध कराये जाते हैं।

स्वावलम्बन योजना – अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रोजगारहीन व्यक्तियों को व्यवसाय आरंभ करने के लिए ऋण दुकानों, कॉम्प्लेक्स एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी जाती है।

दीनदयाल समर्थ योजना – 25 दिसम्बर, 2004 से प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य नि:शक्त बच्चों को नि:षुल्क सामग्री तथा छात्रवृत्ति एवं रोजगार के लिए व्यवसायिक परिसर में 1 प्रतिशत आरक्षण तथा सरकारी नौकरी में 6 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

गोकुल ग्राम प्रकल्प योजना – यह योजना एक वर्ष में चुनिन्दा गाँवों का चयन करके उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ 25 सितम्बर, 2004 को किया गया। इसके तहत् चयनित गाँव में सारी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

अन्त्योदय उपचार योजना – 25 सितम्बर, 2004 से प्रारंभ इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा गरीबी के नीचे निवास करने वाले लोगों को राज्य शासन द्वारा उपचार की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिये राज्य सरकार एक वर्ष में प्रत्येक परिवार को रू. 60 हजार तक खर्च करेगी।

औपचारिक शिक्षा योजना – सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के कारण नियमित रूप से स्कूल जाने में असमर्थ बालक–बालिकाओं के लिये 1975 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत उनकी सुविधानुसार औपचारिकेत्तर शिक्षा केंद्रों में शिक्षा प्रदान की जाती है।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड – 1986 से प्रारंभ इस योजना में प्रत्येक प्राथमिक शाला में दो प्राथमिक शाला में दो शिक्षक (जिसमें एक महिला होगी), स्कूल भवन हेतु पक्के कमरे, बरामदा, फर्नीचर एवं शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

पढ़ो–कमाओं योजना – अध्ययन के साथ–साथ बालक–बालिकाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 1978 से प्रारंभ इस योजना में उनको हस्त कला, फर्नीचर एवं स्कूली यूनीफार्म निर्माण के लिए शिक्षित किया जाता है।

शिक्षा ग्यारण्टी योजना – 1 जनवरी, 1997 से प्रारंभ इस योजना में आदिवासी क्षेत्रों में 25 बच्चे, सामान्य गाँवों में 40 बच्चे होने पर उनके आस–पास 1 किमी के दायरे में कोई स्कूल न होने की स्थिति में 90 दिन के अंदर से स्कूल खोला जाता है।

पढ़ना–बढ़ना आंदोलन – 1999 से प्रारंभ इस योजना में 15 वर्ष आयु समूह के 20 से 30 व्यक्ति मिलकर स्वयं एक गुरूजी को नियुक्त कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। शासन द्वारा गुरूजी को प्रशिक्षण किताबें एवं प्रति व्यक्ति रू. 100 वार्षिक दर से दक्षिणा दी जाती है।

जीवनधारा योजना – प्रदेश के अत्यधिक गरीब व्यक्तियों को जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है, इस योजना के अंतर्गत नि:शुल्क अनाज प्रदान किया जाता है।

वसुन्धरा योजना – जनजाति के भूमिहीन कृषकों को भूमि खरीदने हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा कृषि औजारों की एक मिनी किट भी प्रदान की जाती है।

जल–जीवन योजना – अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को इस योजना के अंतर्गत सामूहिक सिंचाई हेतु 75 प्रतिशत तक अनुदान स्वीकृत।

न्याय निकेतन – अनुचित जाति एवं जनजाति के वकीलों की सहायता हेतु उन्हें न्यायालय के समीप ही कक्ष बनाकर किराए से प्रदान किये जाते हैं।

सहारा योजना – अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुछ रोगी, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता व निराश्रित वृद्ध की सहायता हेतु इस योजना का संचालन किया जाता है, सामूहिक रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए लघु उद्योग पशुपालन योजना को प्रारंभ करने के लिए इन्हें मिलने वाले ऋण के अलावा इन्हें 25 अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

नर्मदा–मालवा–गंभीर लिंक परियोजना को मंजूरी – मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नदी जोड़ो अभियान को बढ़ावा देने तथा नर्मदा–क्षिप्रा लिंक परियोजना को सफलता के बाद एक और परियोजना को मूर्त रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाये गये हैं। इसी के चलते 17 जून, 2014 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में नर्मदा–मालवा–गंभीर लिंक परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

नर्मदा–क्षिप्रा लिंक परियोजना – मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नदियों को सदानीरा बनाये रखने की महत्वाकांक्षी परियोजना नर्मदा–क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना के लिए किये गये भागीरथी प्रयास के तहत आखिरकार 06 फरवरी, 2014 को नर्मदा जयंती के अवसर पर ठीक रात 12 बजे नर्मदा का जल पाइप लाइन से होते हुए क्षिप्रा के उद्गम स्थल पर बने नर्मदा–क्षिप्रा संगम स्थल कुण्ड में मिल गया और इसी के साथ सरकार और जनता की इच्छा भी पूरी हो गई।

उपरोक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि समाज के हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़कर उनका सामाजिक, आर्थिक, वैयक्तिक एवं शैक्षणिक विकास करना है। मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं को अधिकार सम्मान एवं सुरक्षा देने का अथक प्रयास है। महिलाओं में सक्षमता, कौशल, स्वामिभान जाग्रत करना, शोषण अन्याय का विरोध करना, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं समाज की रूढ़िवादी परम्पराओं से बाहर निकालने ताकि नारी में पुरूषों की तरह मजबूती आ सके। जहां नारी की पूजा होती है, वहां पुरूष वर्ग को अपनी सोच बदलनी होगी।

मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान समाज के उन सभी वर्गों का जो अनाथ, गरीब, बेसहारा, विधवाएं, परित्यक्ता, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सभी के कल्याण एवं विकास के लिए वचनवद्ध हैं। शिशु एवं मातृत्व मृत्यु वृद्धि दर में कमी लाने के लिए पोषण एवं पौष्टिकता संबंधी कार्यक्रम एक सराहनीय कदम है। योजनाओं के द्वारा जहां महिलाएं सशक्त होगी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी, परिवार, समाज, राष्ट्र के विकास की धुरी सार्थक एवं मजबूत होगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नदी जोड़ों अभियान प्रकृति के उपहारों का दोहन कर उसका उपयोग आर्थिक, सामाजिक विकास में महत्व को स्वीकारा है।

वेन्थम कहते हैं – 'राज्य के बिना हम जी नहीं सकते, हमारे लिए राज्य अनिवार्य है, सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता की प्रचुरता के लिए राज्य और कानून की उपयोगिता है।'

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान – पुणेकर पब्लिकेशन, खजूरी बाजार, इंदौर।
2. मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक – डॉ. लाल एवं जैन।
3. मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास (महिला)–अरिहन्त पब्लिकेशन्स इंडिया लिमिटेड।
4. पी.एस.सी. प्री. – पुणेकर पब्लिकेशन, खजूरी बाजार, इंदौर।
5. समाज शास्त्र – गुप्ता एण्ड शर्मा।
6. दैनिक समाचार पत्र – दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका, स्वदेश, क्रोनिकल, आदि।

****

मानव अधिकार एवं भारतीय महिलाऐं

डॉ. बसंत नाग *

प्रस्तावना – अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां है, जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, राज्य के द्वारा व्यक्ति को कतिपय सुविधायें प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है।

प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसों ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा था' मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है' वास्तव में अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनीतिक आन्दोलन बहुत समय से मनुष्य को उन जंजीरों से मुक्त कराने का जिनमें वह जकड़ा रहा है, उन्हें उन अधिकारों का उपयोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे है, जिन्हें रूसो स्वाभाविक अभिन्न तथा अविभाज्य समझते थे।

आखिर ऐसा क्यों व कैसे हो रहा है ? उदार लगने वाले मानवीय दृष्टिकोण और ढीली होती सी दिखाई देने वाली सामाजिक वर्जनाओं के बावजूद आधुनिक समाज में सब कुछ विपरित सा होने के क्या कारण है ? न्यायपालिका के निर्णय तार्किक और उनकी क्रियान्विति विलम्बित एवं विस्मय पैदा करने वाली क्यों होती है। क्या इन परिस्थितियों से निजात पाने का कोई उपाय है? सवाल तय करने वाले लोगों को इतनी न्यूनतम मनोवैज्ञानिक समझ तो होनी ही चाहिए थी कि इस तरह की नकारात्मक सोच आधी आबादी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हमारे पितृ प्रधान समाज में विवाह और परिवार जैसी संस्थाऐं पुरूष द्वारा संचालित है। वह अपनी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन उत्पीड़न के रूप में करता है और उसकी शिकार होती है महिलाऐं श्रम का लैंगिक विभाजन भी घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण है। समाज में एक अच्छी महिला का दर्जा पाने के लिए इन कार्यो को पूरी शिद्धत के साथ निभाना होता है।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र उसकी आयु बढ़ने के साथ ही संकुचित होता जा रहा है। वह अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में प्राय: विफल रहा है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसका गठन किया था। यह एक तथ्य है कि आज समूचे विश्व में मानव अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है, किन्तु मानवाधिकार आयोग कुछ पक्षपात पूर्ण लेख प्रकाशित करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया है। आयोग की विफलता संभवत: उतनी नहीं अखरती जितना अखरने वाले यह तथ्य है कि वह अब तक सही बात को कहने का साहस भी नहीं जुटा पाया। 53 सदस्यीय आयोग का मत है कि इजराइल, दक्षिण अफ्रीका और चीनी ही ऐसे देश है, जो यातना देने, विरोधियों को कुचलने और राजनीतिक शत्रुओं को बन्दी बनाने की नीति पर लगातार चल रहे है। उसने न केवल उन हजारों लोगों को अनदेखा किया है। विश्व भर में सौ से भी अधिक ऐसे देश भी है, जहां की सरकारे किसी न किसी रूप में मानवाधिकारों का हनन कर रही है।

एमनेस्टी की वर्ष 1994-95 की रिपोर्ट में अमरिका में मानव अधिकारों हनन की जो तस्वीर पेश की गई है, वह बहुत चिन्ताजनक है। अमरिका विश्व के अन्य देशों को मानव अधिकारों की रक्षा के उपदेश देता रहता है, लेकिन स्वयं अपने घर में वह न तो पुलिस को ज्यादती करने से रोक पाया है और न ही अपने कानून से मानव अधिकार का हनन करने वाले प्रावधानों को निकाल पाया है। कुल मिलाकर एमनेस्टी की ताजा रिर्पोट यह स्पष्ट करती है कि मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले दुनिया के लगभग सभी शासक गिरोह न केवल राजनीतिक प्रतिस्पद्धियों पर वरन हर असहमत नागरिक पर अत्याचार करने में एक से बढ़कर एक है।

भूमण्डल पर बढ़ती जागरूकता के कारण मानव अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो गया है। यही कारण है कि कुछ सरकारी और गैर सरकारी संगठन मानवधिकारों के पक्ष में लगातार आवाज उठाते रहे है तथा तमाम देशों की सरकारों को इस विषय में सचेत करते है। सरकारी संगठनों में मानवधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ तथा एमनेश्टी इंटरनेशनल है, जबकि गैर सरकारी संगठन तो करीब-करीब प्रत्येक देश में विद्यमान है, जो इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते रहे है। मानवाधिकार मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार विश्व सम्मेलन आयोजित किया था, जो 1968 में तेहरान में हुआ था। इसके बाद द्वितीय सम्मेलन आस्ट्रेलिया की राजधानी वियेना में हुआ जो 14 जून 1993 से 26 जून, 1993 तक चला संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में चलने वाले मानवाधिकारों से संबंधित विश्व सम्मेलन में इस तथ्य पर जोर दिया गया कि तृतीय विश्व के देशों में अर्थात विकासशील देश उनसे सामाजिक, आर्थिक संबंध स्थापित करने में मानवाधिकार सुरक्षा को भी आधार बनाये। यद्यपि यह दृष्टिकोण न केवल एकपक्षीय है वरन् पूर्वाग्रह से भी ग्रसित प्रतीत होता है। इसका उदाहरण एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित संस्था है, जिनका मुख्यालय ब्रिट्रेन की राजधानी लंदन में है। इस संस्था के रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकारों के हनन से सर्वाधित प्रभावित यद्यपि तृतीय विश्व के देश है, लेकिन सबसे विकसित देश अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवाधिकारों का उल्लंघन कई रूपो में होता है, जैसे कि रोगियों को फांसी देना, कैदियों के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार तथा 18 वर्ष से कम आयु के कैदियों को फांसी देना आदि।

जहाँ तक अविकसित तथा विकासशील देशों विशेषत: एशिया, आफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों में मानवाधिकारों के हनन की स्थिति

* सहायक प्रध्यापक (समाजशास्त्र) भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत

है, इसका कारण स्वयं अपनी सामाजिक, आर्थिक समस्याओं में उलझे रहना है।

मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास मानव अधिकारों की चेतना उनकी स्वीकृति का विकास है। वर्तमान में हम सभ्यता के युग में रह रहे है, अर्थात हम सभ्य है। सभ्यता की परिभाषा यही है कि हम निजी स्वार्थ के लिये दूसरो अहित ना करें यदि यह कहा जाये तो अतिश्योक्ति न होगी कि आज का नारा 'जियो और जीने दो' मानवाधिकार की धुरी है, लेकिन व्यवहार में ऐसा तब कहा जाता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मनुष्य जन्म लेता है,तो उसे जीने का अधिकार होता है। इसे जीने के साथ रोजी-रोटी और मकान के प्रश्न जुड़ते है।

गीतांजली में गुरूदेव ने कहा है - 'जहां ज्ञान नि:शुल्क हो, विकास हेतु कोई बन्धन न हो मुझे ऐसे देश में ले चलो' ईसा, बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, गुरूनानकदेव, महात्मा गांधी आदि सभी महात्माओं ने मानवाधिकार हेतु भी मार्गदर्शन दिया है, मानव जब दानव बनकर मानव पर अत्याचार करता है, तो मानवाधिकार का हनन होता है। इसी को दृष्टिकोण में रखकर हमारे संवधिान के अनुच्छेद 21 में ' जीवन के अधिकार का प्रावधान है। गणतंत्र का मूल उद्देश्य भी मानवधिकार की सुरक्षा है। सभी उन्नत देशों ने जहां प्रजातंत्र प्रणाली लागू है, वहां अपने संविधान में नागरिक के अधिकार सुरक्षित किये गये है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप है, जहां गैर नागरिकों के जीवन संबंधी अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं।

मानव अधिकार वे न्यूनतम अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है, मानव अधिकारों की धारणा मानव गरिमा की धारणा से जुड़ी है, अतएव जो अधिकार मानव की गरिमा को बनाये रखने के लिये आवश्यक है, उन्हें मानव अधिकार कहा जा सकता है।

भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों का मूल्यांकन करे तो मुंशी प्रेमचंद का कथन सत्य प्रतीत होता है, उन्होंने अपनी कहानी 'बड़े भाई साहब में एक स्थान पर लिखा था - टाईम टेबल बनाना एक बात है, और उस पर अमल करना दूसरी बात' ठीक यही स्थिति मानव अधिकारों की है। अशिक्षा, पर्दाप्रथा, दहेजप्रथा जैसी कुप्रथायें आज भी महिलाओं को अपना स्वतंत्र जीवन जीने में बाधक है। अनुच्छेद 3 में प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन कुप्रथाओं के कारण हो रहा है। आज भी भारतीय समाज में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति 54.16 प्रतिशत है। पर्दा प्रथा के कारण ग्रामीण महिलायें शिक्षा से आज भी वंचित है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र में सन् 2060 तक दुनिया से गैर-बराबरी का खात्मा और समता परक समाज की स्थापना हो सके यह उनका नेक प्रयास है, मनुष्य के लिये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नाइंसाफी से सुरक्षा और इच्छानुसार विकास के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। अगर बराबरी और समानता को महिलाओं के संदर्भ में परखा जाये तो निराशा ही होगी कि हमने इस दिशा में केवल दो कदम सफर तय किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति के एक बड़े हिस्से में आज भी महिलाओं के प्रति किसी सुलझे दृष्टिकोण का चिन्ताजनक अभाव बना हुआ है। भौतिक और वैज्ञानिक विकास की चमत्कारी ऊँचाईयां तय कर रहे विश्व में आज भी स्व-विकास के मूल अधिकार से कोसो दूर है। मानव अधिकार के मायने प्राय: पुरूषों तक सीमित है और विडम्बना है, इसे स्वाभाविक ही मान लिया है। दूसरी विडम्बना यह है कि मानव अधिकार की जिस अवधारणा का जन्म मनुष्य की गरिमा, अस्मिता और स्वाधीनता की रक्षा के लिये हुआ था वह आज अधिकतर राजनैतिक अधिकरो या आत्मनिर्णय की माँग पर ठिठक कर रह गयी है, इसलिये आज दुनियां के सभी मूल्कों में महिलाओं के मानव अधिकारों की बर्बर तरीकों से अव्हेलना की जाती है।

अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यह सर्वमान्य बात है, महिलाओं के प्रति भेद और हिंसा प्राचीन काल से रहा है, महाभारत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नि द्रोपदी को दांव पर लगा दिया था। दूर्योधन ने भरी सभा में उनका चीरहरण कर अपमानित किया था। रामायण काल में रावण ने सीता का उपहरण किया। आज भी आशीर्वाद में हमेशा पुत्रवतीभव कहा जाता है, तो इस आशीर्वचन में लिंग भेद स्पष्ट परिलक्षित होता है। भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है, यहां लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। यहां तक लड़कियों को जीने के अधिकार से वंचित किया जाता है। नारी हत्या हमें प्रकट और अप्रकट रूपों में देखने को मिलती है। माता के गर्भ में ही कन्या शिशु को मार देना या जन्म के बाद उसे मार देना, दहेज के लालच में बहू को जला देना या पीट-पीट कर मार देना या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिनमें महिला आत्महत्या करने के लिये विवश हो जाये। जहर देकर मार डालना, गला घोटना, यह सभी महिला हत्या के प्रत्यक्ष रूप है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक विकास के कारण माता के गर्भ में भ्रूण की जांच की जाती है, जिसे एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। इस जाँच से यह पता चल जाता है कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की इस वैज्ञानिक ज्ञान का दुरूपयोग कर कन्या भ्रूण का गर्भपात करा लेते है। पुत्र प्राप्त करने की लालसा के कारण कन्या भ्रूण हत्या बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में स्त्री-पुरूष अनुपात बड़ी तेजी से घट रहा है। आज प्रति हजार पुरूषों पर भारत में लिंग अनुपात 928 रह गयी है, अर्थात 928 स्त्रियां है।

सूचना परिदृश्य में महिलायें मात्र नुमाइश की वस्तुओं के रूप में परोसी जा रही है। हमारे टेलीविजन पर व्यवस्था से सवाल करने वाली महिलायें गार्गी, मैत्रेयी नहीं बल्कि चुपचार रहकर समर्पण करने वाली सीता का महिला मंडित रूप आता है। टीवी विज्ञापन उपभोक्तावादी समाज को जिन्दा रखने में सफल टॉनिक है। इन विज्ञापनों में महिलाओं को अत्यंत सक्रिय सुन्दर, सुगढ़ के साथ-साथ सफल पत्नियाँ, गृहणियां, कैरियारिस्ट, स्वावलम्बी अर्थात सफल रूप में किसी कम्पनी के एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इनमें आम महिलाओं पर एक दबाव बनता है, वे अपनी तुलना विज्ञापन में दिखाये जाने वाली वस्तु रूपी महिला से करें। फिल्मी और टीवी महिलाओं की छबि आलोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है, उनकी सार्थकता उनके मिटने में ही दिखाई देती है। भले ही वह शारीरिक स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर हो। इस प्रकार महिलाओं की वर्तमान और सामाजिक दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है, एक ओर जहां अपेक्षायें बदली नहीं है और दूसरी ओर आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले दबावों और बढ़ती हुई भौतिकता की मांग यह है कि महिला भी अनिवार्यत: उत्पादक व्यवस्था का अंग बने है। इन्ही अंतर्विरोधों और दोहरे पैमानों के दबाव में महिला आत्महत्या का रास्ता चुनती है, भारत में 20वीं महिला किसी न किसी अवस्था में आत्महत्या की कोशिश करती है। 'मानवधिकार स्त्री का अधिकार है' इस नाम से जारी एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1995 की रपट में ऐसी बेशुमार घटनाओं का दस्तावेज पेश किया गया है, ये सभी घटनायें शिवपति देवी, उषा धीमान, भँवरीदेवी की कहानियॉ उस

अनाचारी व्यवस्था का चेहरा दिखाती है, जो मनुष्य को मनुष्य मानने से इन्कार करती है।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि मानव अधिकार का उल्लंघन प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के जीवन में दिखाई देते है। यौन भेद और यौन हिंसा के सर्वाधिक मामले उभर कर आये है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक बालिकायें सिर्फ इसलिये मर जाती या मारी जाती है कि वह उस वर्ग में जन्म ले रही है, जिसे मनुष्य से एक दर्जा नीचे का माना जाता है। आज भी पारिवारिक और सामाजिक सत्ता के हर छोटे बड़े मसलों में महिलाओं की सोच की उपेक्षा की जाती है। राज्य के अधिकारी वर्ग, पुलिस, कानून के द्वारा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, इसी कारण महिलायें अवमानना अनाचार चुपचाप सहने में विवश है। सवाल पूछने और गलत चीजों का विरोध करने के सहज मानवीय हक पर पाबंदी लगाकर महिलाओं की सामान्य बुद्धि को इतना कुंठित कर दिया जाता है कि जरा सा भी साहस कर सकने वाली महिलाओं को अन्य महिलाऐं हिकारत की नजर से देखने लगती है, और इन सबके बीच बालिका भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह, विधवाओं से दुर्व्यहार, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की उपेक्षा बलात वेश्या वृत्ति, यौन शोषण के अन्य रूप महिलाओं के जीवन को अभिशाप्त बनाये रहते है। संतुलित मानवीय जीवन के लिये जरूरी पोषण स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संदर्भ में महिलाओं के प्रति उपेक्षा और दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इन सब मामलों में बेटा, पति और पिता की अधिकतम जरूरतों को पूरा करने के बाद जो कुछ हक बचता है, वह स्त्री के हक में आता है। हालांकि पिछले 30-40 वर्षो में महिलाओं के शिक्षित करने के दृष्टिकोण से समाज थोड़ा आगे बढ़ा है, लेकिन दृष्टिकोण यह रहता है कि स्त्री की शिक्षा स्वयं उसके लिये नहीं पुरूष के लिये जरूरी है। अगर महिला उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तब भी ठीक है वरना उसे उतना ही पढ़ना चाहिये जितना की पुरूष सदस्य जरूरी समझे। शिक्षा और महिला की नौकरीपेशा बनने की स्वीकृति भी शायद नहीं मिलती अगर आधुनिक जीवन के आर्थिक और अन्य कारणों ने अकेले पुरूष के लिये घर चलाना मुश्किल ना कर दिया होता। भारत के सर्वाधिक विकास के लिये महिलाओं के अधिकारों के हनन को रोकना आवश्यक है। वैसे भी नारी परिवार की धूरी है, उसके आसपास समस्त परिवार की गतिविधियां घूमती रहती है। उनके पति और बच्चे उनसे बंधे है अत: उनके विकास हेतु ठोस व्यवहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है।

शिक्षा नगरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेने के अवसरों की वृद्धि ने जहां एक और सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया वहां दूसरी और इन्हें दूर करने का भी प्रयत्न किया इनका जांच करना आवश्यक है।

प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में जाने अनजाने में महिलाओं के प्रति भेदभाव जारी है। इस भेदभाव को मिटाने के लिये महिलाओं को संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। कोई किसी को अधिकार देता ही नहीं है। अधिकार आगे बढ़कर प्राप्त किये जाते है। कुछ महिलाओं की प्रगति का अर्थ सारी महिलाओं की प्रगति नहीं है। समस्त महिलाओं की प्रगति के लिये नीति, व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और यह कार्य महिलायें की संगठित होकर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गौतम, रमेश प्रसाद,सिंह,पृथ्वीपाल -विश्वविद्यालय प्रकाशन, सागर 2001
2. खंडेला, मानचंद -मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय,अविष्कार, पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स 2008
3. श्रीवास्तव, सुधारानी - महिला शोषण ओर मानव अधिकार श्रीवास्तव, आशा अर्जुन पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली 2009
4. गुप्ता एवं शर्मा-समाज शास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन 2009
5. त्रिपाठी, डॉ. टी.पी.-इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन 2009
6. उपाध्याय, डॉ. जय जय राम-सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद 1999
7. पत्रिका-प्रतियोगिता दर्पण।

****

कामकाजी महिलाओं में भूमिका-संघर्ष : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

राकेश शिंदे *

शोध सारांश – एक प्रस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है, वह उस पद की भूमिका है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एकपक्षीय नहीं होती है, प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य प्रस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होती है। कई बार व्यक्ति को दो भिन्न प्रस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी होती है और यदि उनमें विरोधाभास है तो उसे हम भूमिका संघर्ष कहते है। कठिन परिस्थितियों में कामकाजी महिलाओं की विविध भूमिका का निर्वाह उन्हें कम या अधिक भूमिका संघर्ष की स्थिति में ला देता है। जैसे उनके परिवारिक व वैवाहिक जीवन, संतान संबंधी एवं स्वास्थ्य संबंधी दायित्व, निजी नौकरी एवं कामकाज के क्षेत्र प्रभावित होते है। जब अपनी विविध भूमिका में वे असमायोजन एवं अन्तर्द्वन्द महसूस करती है तो कामकाजी महिलाओं को भूमिका संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ता है।

प्रस्तावना – भूमिका को प्रस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। प्रस्थिति धारण की जाती है जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक प्रस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसे ही भूमिका कहते है। एक प्रस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है, वह उस पद की भूमिका है।

समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एकपक्षीय नहीं होती है, प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य प्रस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होती है। कई बार व्यक्ति को दो भिन्न प्रस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी होती है और यदि उनमें विरोधाभास है तो उसे हम भूमिका संघर्ष कहते है। भूमिका संघर्ष के लिये समाज के सांस्कृतिक मूल्य भी उत्तरदायी है। आधुनिक एवं परिवर्तनशील समाजों में भूमिका संघर्ष अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ नवीन एवं पुराने मूल्य साथ-साथ चलते है। भूमिका संघर्ष मानसिक तनाव पैदा करता है। **लुण्डबर्ग** कहते है कि भूमिका संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति प्रभावशाली भूमिका को चुन लेता है और कमजोर भूमिका को छोड़ देता है तथा जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते, उनके व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। भूमिका संघर्ष की स्थित समाज के विभिन्न क्षेत्रो में प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करती है। उन्हीं में से एक वर्ग कामकाजी महिलाओं का है। कठिन परिस्थितियों में कामकाजी महिलाओं में भूमिका संघर्ष की स्थिति होती है, व उनके परिवार प्रभावित होते है।

भारतीय सामाजिक संरचना पुरूष प्रधान है। पुरूष घर से बाहर काम करने जाते है एवं महिलाएँ अपनी घर गृहस्थी की साज संभाल में लगी रहती है। बच्चों का पालन-पोषण एवं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उनका मुख्य कार्य है। आर्थिक उपार्जन उनका कार्य क्षेत्र नहीं है। यद्यपि इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीनकाल से महिलाएँ प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं एवं कृषि कार्य में संलग्न रही हैं।

महिला शिक्षा एवं शिक्षा के बढ़ते प्रतिशत ने स्वतंत्रता के पश्चात् एवं नये महिला कानूनों ने स्त्री स्वातंत्रय को स्थापित कर बाहरी दुनिया में प्रवेश करने के सारे दरवाजे खोल दिये है। नये सामाजिक मूल्यों की स्थापना हुई है। शिक्षा ने उन्हें आत्म निर्भर कर दिया है। परिणामत: वे कामकाजी हो गयी है। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी गतिशीलता सर्वत्र देखी जा सकती है। महिला के प्रति परंपरागत एवं रूढ़ीवादी धारणाओं में परिवर्तन आया है, वे अब पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक उपार्जन में संलग्न है। आर्थिक उपार्जन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। जिनकी पूर्ति से मनुष्य को प्रसन्नता का बोध होता है। सुख और दुख मनुष्य के जीवन के अविभाज्य अंग है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से उसे सुख प्राप्त होता है जबकि उसके अभाव में उसे दुख होता है।

कामकाजी महिलाएँ अपने काम काज से कितनी प्रसन्न है अथवा कितनी तनावमुक्त है इस परिस्थिति का बाह्य अवलोकन संभव नहीं है। इसका गणनात्मक मूल्यांकन करना कठिन है। व्यक्ति आर्थिक उपार्जन के लिए जहाँ सेवारत होता है वहाँ के दायित्व का निर्वाह उनके लिए प्राथमिक कर्तव्य होता है। उनके अधिकारी गण एवं अन्य संबंधित कर्मचारी का आदेश उन पर जवाबदारी का जिम्मा देते है। व्यक्ति किस भूमिका का चयन करेगा व किसे छोड़ेगा, इसको तय करने के लिये समाज द्वारा प्राथमिकताओं की एक सूची बनी हुई है, उसी के अनुसार वह कम महत्त्वपूर्ण कार्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कार्य को करता है।

आधुनिक युग में महिला शिक्षा का बढ़ता प्रतिशत एवं महिला शिक्षा के बढ़ते स्तर ने महिलाओं को कामकाजी होने की प्रेरणा दी है। फलत: उनकी प्रवृत्ति कामकाजी हो गयी है। आज वे विविध भूमिका का निर्वाह कर रही है। अपनी शैक्षणिक योग्यता का उपयोग उनके जीवन का अहम पक्ष बन गया है। आज वे सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान पदो पर आसीन है। राजनीतिक सत्ता का क्षेत्र हो या आय.ए.एस. आफिसर की कुर्सी, अभिनय की अभिव्यक्ति हो या नृत्यांगना का नृत्य, साहित्य का क्षेत्र हो गया ललित कलाओं का आंगन, राग-रागिनीयाँ की सरगम हो या चित्रकारी की चितेरी, चिकित्सक हो या कानूनी सलाहकार, प्रशासन का क्षेत्र हो या शिक्षिका, प्रोफेसर का दायित्व, ज्ञान विज्ञान हो या कलात्मक प्रस्तुति महिलाओं के कामकाज का विस्तार सभी क्षेत्रों में हुआ है।

कामकाजी महिलाएँ अपनी योग्यता से न केवल धन अर्जित करती है अपितु वे अर्जित धन से पारिवारिक आर्थिक संरचना में अपना योगदान देकर आर्थिक संबल प्रदान करती है। महिलाओं का आर्थिक उपार्जन आर्थिक

* अतिथि व्याख्याता (समाजशास्त्र) शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

क्षेत्र में उनकी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है।

प्राय: यह धारणा है कि आर्थिक उपार्जन करने वाली कामकाजी महिलाएँ उच्च जीवन स्तर एवं अपने जीवन से संतुष्ट होती है। उन्हें न संकट का सामना करना पड़ता है और ना किसी प्रकार के संघर्ष का वे मानसिक दबाव से मुक्त होती है। यह एक भ्रमपूर्ण धारणा है। जीवन के किसी भी पहलू का वर्तमान भौतिक संस्कृति में कोई न कोई स्थिति ऐसी बनती है जहाँ वे भूमिका संघर्ष का सामना करती है। थोड़ी या कम मात्रा में भूमिका संघर्ष जीवन से जुडा है। मानव जीवन का बाह्य एवं आंतरिक पहलू भिन्न होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार मानव शरीर एवं भाव की आंतरिक शारीरिक सरंचना परस्पर भिन्न होती है। कामकाजी महिलाएँ इसी प्रकार की स्थिति में होती है। उनकी भूमिका संघर्ष का बाह्य अवलोकन संभव नहीं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं अपनी भूमिका निर्वाह में। काम के दौरान कुछ न कुछ ऐसा घट ही जाता है , कुछ काम ऐसे ही आसानी से हो जाते है और कुछ उपेक्षित रह जाते है। जिन्हें पूर्ण करना भी उनके लिये आवश्यक होता है। कामकाजी संघर्ष की भी होती है। वे अपनी विभिन्न भूमिका में किसे पहले करे और किसे बाद में संघर्ष बना रहता है। यह अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी इसका मूल्यांकन वे स्वयं कर सकती है।

पत्नि होने के नाते पति के प्रति दायित्व निर्वाह में कहीं न कहीं कमी होती है। पति-पत्नि से अपेक्षा करते है किन्तु कामकाजी महिलाएँ अपने पति से सहयोग की अपेक्षा करती है। अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर भूमिका संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। उनका कामकाजी होना उन पर भारी पड़ता है। कभी-कभी वे दुर्भाग्यवश घरेलू-हिंसा की शिकार होती है और पारिवारिक वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण होते है। पति को अपनी पत्नि से अपेक्षा होती है। पूर्ण नहीं होने पर पति-पत्नि में संघर्ष उत्पन्न होता है एवं संबंधों की श्रंखलाओं की कड़ी के टूटने की संभावना रहती है।

प्राय: माना जाता है कि पद पर आसीन कामकाजी महिलाएँ सुख संपत्ति की स्वामिनी होती है। किसी भी प्रकार का विवाद उन्हें छू तक नहीं पाता। किंतु कामकाजी महिलाओं का कामकाजी होना उनके लिए सदैव प्रसन्नता का विषय नहीं होता है। कार्य - क्षेत्र का दायित्व, घर में परिवार एवं बच्चों के दायित्व के साथ कामकाजी महिलाओं पर अन्य अनेक दायित्व भी होते है। जैसे उन्हें निपुर्ण ग्रह-प्रागंण एवं घर से बाहर के कार्यो के लिए योग्य मान लिया जाता है। घर के उपकरण खरीदना है, खराब हो गये है, वो ठीक करवाना, शॉपिंग करना जैसे कार्य उन्हीं के मान लिये जाते है, जिससे उन्हें भूमिका संघर्ष की स्थिति का हर समय सामना करना पडता है।

परिवार में बच्चों के लिए माता का स्थान अहम भूमिका का निर्वाह करती है। शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक बच्चे माता पर आश्रित रहते है किंतु काम की व्यस्तता के कारण बच्चों पर जितना ध्यान देना चाहती है, वह चाहकर भी नहीं हो पाता। माता बच्चो के लिए सबकुछ होती है बच्चा भी अपने शेशवकाल में माँ व स्वयं में कोई अंतर नहीं समझता है क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकता माँ ही पूरी करती है, माँ के व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चे के सामाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वह जो कुछ भी सीखता है माँ की ही देन है, वह ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है, ग्रह प्रांगण में रहने वाली महिलाऐं बखुबी नवजात शिशु की एवं अन्य छोटे बच्चो की सुरक्षा एवं पालन पोषण करने में सिध्दहस्त होती है क्योंकि उनकी कोई अन्य भूमिका नहीं होती है। किंतु नौकरी पेशा महिलाएँ शिशु के पालन पोषण के समय माँ की भूमिका का निर्वाह करते समय भूमिका संघर्ष का सामना करना पडता है। उन्हें मानसिक द्वन्द्व का सामना करना पडता है, ना चाहकर भी एक लंबी अवधि तक उन्हें अपने शिशुओं को परहस्त को सौपना पडता है। बच्चो के प्रति एक माँ की भूमिका, पति के प्रति पत्नि की भूमिका, सास ससुर के प्रति बहू की भूमिका, कार्यक्षेत्र में एक कामकाजी महिला की भूमिका, परिवार में अन्य भूमिकाओं का निर्वाह करते-करते कामकाजी महिलाएँ भूमिका संघर्ष की स्थिति के समक्ष खडी हो जाती है।

नातेदारी भारतीय सामाजिक संरचना में जाति समूह व्यक्ति के जीवन में सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक संबंधों की आधारशिला है। नातेदारों रिश्तेदारों की सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता बनी रहती है। नातेदारों एवं रिश्तेदारों के विभिन्न कार्यक्रम के अवसर पर सम्मिलित होना परम आवश्यक होता है। कामकाजी महिलाएँ चाहकर भी अनेकों बार इन अवसरों पर सम्मिलित नहीं हो पाती है। उनकी नौकरी उसमें अनेकानेक कारणों से बाधा उत्पन्न करती है, अपनी अनुपस्थिति को लेकर वे विचारों के द्वन्द में फसी रहती है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। यही विचार उन्हें भूमिका संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। कुछ कामकाजी महिलाएँ रात और दिन की ड्यूटी करती है जिससे उनके दैनिक जीवन की क्रियाएँ अन्य कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है। काम की व्यस्तता से उनकी अनेक भूमिका स्वत: उपेक्षित हो जाते है। भरसक प्रयत्न करने के बाद भी जब वे उन्हें पूरा नहीं कर पाती है तो भूमिका संघर्ष होना स्वाभाविक है। अर्जित धन इच्छानुसार खर्च न करने पाने की स्थिति में स्वयं के कामकाजी होने पर भूमिका संघर्ष को उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष- उपरोक्त परिस्थितियों में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं के कंधों पर दायित्वों का भार अतुल्नीय होता है। क्योंकि वे विविध भूमिका का निर्वाह करती है। परिवार के प्रति उनकी जवाबदारी के प्रति भी वे प्रतिबद्ध होती है। यही कारण है कि कामकाजी महिलाओं में भूमिका संघर्ष की स्थिति होना स्वाभाविक है। जब अपनी भूमिका में वे असमायोजन एवं अन्तर्द्वन्द महसूस करती है तब उनकी विविध भूमिका का निर्वाह उन्हें कम या अधिक भूमिका संघर्ष की स्थिति में ला देता है।

इस प्रकार यह विचारणीय एवं विश्लेषणात्मक तथ्य है कि कामकाजी महिलाओं को भूमिका संघर्ष की स्थिति से गुजरना पडता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कपूर, डॉ प्रमिला 1976 'कामकाजी भारतीय नारी' राजपाल एण्ड संस, दिल्ली।
2. यादव, रवी मई 2001 'द वर्किंग वुमन ऑफ इण्डिया, सोशल वेलफेअर नईदिल्ली, V.O.L. 48, No-2'
3. वर्किंग वूमन एण्ड स्ट्रेस, स्वानसन एनजी (जे एम मेड वूमन्स एसोसिएशन 2000 स्प्रिंग; 55 (2) :76-9, रिव्यु)
4. 'कठिन परिस्थितियों में महिलाए' राष्ट्रीय जन संस्थान एवं बाल विकास संस्थान।
5. यादव, राजेन्द्र 'आदमी के निगाह में औरत'।
6. वुमेन एम्पावरमेंट-'ए मिथ और रिएलिटी' निगम, शालु लीगल न्यूज, मई 2001
7. डॉ. पी.एन.प्रभु- पारिवारिक संबंध।
8. पी.एन.गुप्ता- सोसियोलॉजी।

****

सामाजिक व्यवस्था एवं बिगड़ता लिंगानुपात (कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में)

डॉ. मंजू गायकवाड़ *

प्रस्तावना – आज हमारा देश भारत कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है जिनमें एक ज्वलंत समस्या है 'कन्या भ्रूण हत्या' किसी भी देश की स्थिति में जनसंख्या का महत्व होता है और जब हम किसी राष्ट्र के विकास और प्रगति की बात करते हैं तो उसके लिये स्त्री और पुरूष की संख्या समान होनी चाहिये तभी समाज में संतुलन बना रहता है। वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई है, किन्तु स्त्री एवं पुरूष का अनुपात बिगड़ गया है। यहां स्त्रियों की संख्या पुरूषों से कम हो गई है, जिसके कई कारण है, उनमें से एक है– कन्या भ्रूण हत्या, जो कि बिगड़ते लिंग अनुपात का कारण भी है और परिणाम भी, यहां प्रश्न यह उठता है कि इसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी है जो कि इस समस्या हेतु जिम्मेदार है तो इस प्रश्न का उत्तर हमें सामाजिक व्यवस्था में ही मिलेगा।

प्रकृति में पाये जाने वाले लगभग समस्त जीवों में नर और मादा की संख्या लगभग समान ही होती है अर्थात लिंगानुपात समान होता है। प्रारंभ में मानव समाज में भी स्त्री और पुरूष की संख्या लगभग समान ही थी अत: लिंगानुपात ठीक था किन्तु धीरे–धीरे समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी होती गई कि भारतीय समाज पुरूष प्रधान हो गया है और स्त्रियों का स्थान दूसरे दर्जे पर ही रहा । पुत्र जन्म पर खुशी एवं पुत्री के जन्म पर दुख। पुत्र वंश को चलाता है। वह कुल का दीपक होता है। वहीं मुक्ति दिलाता है। पुत्री के जन्म के साथ ही उसके विवाह की चिंता एवं दहेज जुटाने की समस्या सताने लगती है।

प्राचीन काल में कन्या को जन्म के पश्चात मौत के घाट उतार दिया जाता था, क्योंकि उसे बोझ माना जाता था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व क्रांति हुई। सोनोग्राफी एवं दूसरे परीक्षण इजात होने से लिंग परीक्षण होने लगा। मूल रूप से लिंग परीक्षण का उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य का पता लगाना था कि वह स्वस्थ है कि नहीं, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं? किन्तु इस परीक्षण का दुरूपयोग होने लगा। गर्भस्थ माता के गर्भ के शिशु का लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण का पता चलते ही उसकी हत्या कर दी जाती है अर्थात गर्भपात करवा दिया जाता है। इस तरह जन्म से पूर्व ही कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, जिसमें बेटी का जीवन तो जाता ही है माँ भी आहत होती है। यह कोई छोटी सी घटना या वैयक्तिक मामला नहीं है। इस समस्या हेतू पिता, परिवार और संपूर्ण समाज जिम्मेदार है। इसी कारण हमारे देश की जनसंख्या में स्त्री–पुरूष का अनुपात समान नहीं हैं। स्त्रियों की संख्या कम है अत: कन्या भ्रूण हत्या से लिंगानुपात बिगड़ गया है, जिसके लिये हमारी संपूर्ण पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था उत्तरदायी है।

लिंग परीक्षण एवं गर्भपात अपराध है, लेकिन चोरी छुपे सब चल रहा है। कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर अपराध है, इसके लिये कड़े कानूनों की आवश्यकता है। मात्र चिकित्सक या चिकित्सा विज्ञान को दोष देना ठीक नहीं हैं किन्तु केवल कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा, जब तक कि नैतिक रूप से परिवार एवं समाज अपनी सही भूमिका नहीं निभाऐं।

यदि हम परिणाम की ओर देखें या भविष्य के बारे में सोचे तो समाज में लड़कियों की संख्या कम होने से लड़कों के विवाह की समस्या होगी और तब हमें शायद फिर प्राचीन प्रथाओं की ओर लौटना होगा यथा बहुपति विवाह अर्थात एक स्त्री के एकाधिक पति उस स्थिति में भी नारी का ही शोषण होगा।

जब प्रकृति नर एवं मादा में भेदभाव नहीं करती तब मानव समाज को भी स्त्री और पुरूष में भी भेदभाव नहीं करना चाहिये। स्त्री और पुरूष के शारीरिक अंतर याने प्राकृतिक भिन्नता को तो हम स्वीकार करतें हैं लेकिन कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसके लिए निश्चित रूप से सामाजिक भेदभाव और सामाजिक असमानता उत्तरदायी है। वर्ण व्यवस्था में जिस प्रकार निम्न वर्ण या शूद्रों के साथ भेदभाव हुआ ठीक वैसा ही स्त्रियों के साथ भेदभाव हुआ। इस समस्या का कारण यदि समाज में है तो उसका समाधान भी समाज में ही है। हमें अपनी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ही परिवर्तन लाना होगा। आज हम महिला सशक्तीकरण की बाते कहते हैं तथा विकास और प्रगति जैसे मुद्दों पर बहस करते हैं, तो क्या 21वीं सदी की नारी यही चाहती है? कदापि नहीं। यह तो मानव जाती का दुर्भाग्य है।

किसी भी राष्ट्र में उसके समाज में परिवार का महत्व होता है और परिवार में स्त्री का स्थान अहम् है। कन्या को नष्ट कर हम क्या पायेगें। वह छोटी सी बच्ची किसी की बेटी, किसी की बहन और आगे चलकर स्वयं किसी शिशु की माँ बनेगी, क्योंकि सृजन करने की शक्ति उसके पास है। आज हम महिला उत्थान और प्रगति की बहस क्या करें जबकि उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यदि कन्या नहीं होगी तो परिवार और समाज का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा। अत: हमें प्राचीन कुरीतियों, कुप्रथाओं को छोड़ असमानता हटाना होगा। भेदभाव समाप्त करना होगा। यदि हमें अपने समाज को संतुलित रखना है तो स्त्रियों के प्रति सोच बदलनी होगी, इस दृष्टि से हमें संकल्प लेना होगा क्योंकि भारतीय समाज में बिगड़ते लिंगानुपात का कारण कन्या भ्रूण हत्या है, जिसके लिये सामाजिक व्यवस्था उत्तरदायी है। अत: हम सभी को अपना दृष्टीकोण परिवर्तित करना होगा। इस हेतू युवाओं को आगे आना होगा और सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें सहयोग करना होगा क्योंकि यह समस्या मात्र महिलाओं की ही नहीं हैं, वरन् पूरे परिवार व संपूर्ण समाज की है। परिवार कन्या को बोझ न समझे, समाज उसके प्रति दृष्टीकोण बदले। कन्या को जीवित प्राणी माना जाय। हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि हम बेटी को आशा की किरण समझें और उम्मीदों का सपना माने। हर बेटी आशा की एक किरण है यदि बेटी नहीं होगी तो जीवन में प्रकाश नहीं अंधेरा होगा, संस्कृति की अक्षुण्णता खतरे में पड़ जायेगी और मानव परिवार और समाज के अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जायेगा।

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय जे.योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

Reduction In Depression And Enhancement Of Immediate Memory Span (Visual) Of Women Convicts Through Sudarshan Kriya Yoga

Smita Jain *

Abstract - Present study was an attempt to determine the effect of attitude change and Sudarshan Kriya Yoga (SKY Yoga) on reducing depression in women convicts imprisoned in the Central Jail, Jabalpur (M.P.). Fifty women inmates ranging from 40-65 years were randomly selected for the study. The subjects were given a pre test of Beck Depression Scale and were subjected to 10 days programme of SKY Yoga. A post test of depression depicted a significant ($P<0.01$) reduction in depression and enhancement of span of memory, increased span of apprehension, reduced negative emotions like self pity, insecurity, envy, anger, and a marked increase in the feeling of gratitude and contentment.

Introduction - Depression is a mental state characterized by feelings of sadness, loneliness, despair, low self esteem and self-reproach. Accompanying signs include psychomotor retardation, or at times agitation, withdrawal from interpersonal contact, insomnia and anorexia.

Women convicts imprisoned in Central Jail, Jabalpur on being interviewed were found to be living in very stressful conditions because of living away from the family, bearing a stigma, social ostracism and lack of self esteem. Since women are homemakers, they constantly worry about their home and family. Hence an effort was made to measure the depression of these convicts and alleviate depression by giving them spiritual inputs so that they are able to deal with life's travails effectively. An effort was also made to study cognitive and behavioural changes namely, visual memory span. The objectives of the present study were:

1. To design a strategic plan for alleviating depression and anxiety to prevent further harm to the body and mind.
2. To enhance the well being and cognitive abilities.
3. To bring about peace and calm.
4. To control unbridled emotions in women convicts.

Hypothesis:

1. Women convicts who would be given two training capsules of Sudarshan Kriya Yoga (SKY) would have lower levels of depression compared to control group who have not received the SKY training.
2. The women convicts receiving SKY training would also have a feeling of well being physically and mentally as compared to the untrained counterparts.
3. They would have enhanced cognitive abilities – better grasp of their surroundings, increased span of attention and memory.
4. They would have more control over unbridled negative emotions like envy, anger, insecurity as compared to the control group.
5. They would have more compassion, feeling of gratitude and contentment compared to the control group.

Materials And Methods -

Location of study - Central Jail, Jabalpur.

Sample size and selection criteria - Women convicts aged 45-60 years. Initially 50 women were selected but ten were abandoned because they did not follow proper instructions.

Experimental design -

Condition 1 (Measurement of Depression) - Before and After Experimental design was followed. Two groups were formed of 15 women each. One group (Experimental) was administered the Beck's Depression Scale followed by interpolated activity of SKY for 10 days (2 capsules) and re-administered Beck's Depression Scale after 4 weeks following yoga. Another group (Control) was administered the Beck's Depression Scale and for interpolated activity, stories were told to them for ten days, and they were re-administered Beck's Depression Scale after 4 weeks.

Condition 2 (Visual Memory Span): Before and After Experimental design was followed. Two groups were formed of 20 women each. One group (Experimental) was administered the experimental task for Visual Memory Span followed by interpolated activity of SKY for 10 days (2 capsules) and re-administered experimental task for Visual Memory Span after 4 weeks following yoga. Another group (Control) was administered the experimental task for Visual Memory Span and for interpolated activity, stories were told to them for ten days, and they were re-administered experimental task for Visual Memory Span after 4 weeks. Independent cards were shown to the subjects with meaningful words varying from 3 letters to 15 letters in each card and the subjects had to repeat those letters after seeing them. Three trials were given to determine immediate memory span.

* Professor & Head (Psychology) Govt. P.G. College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

Procedure for administration of Sudarshan Kriya Yoga- This is a five day basic training programme followed by another five days of advanced training and meditation. The training comprises of the following:

1. Ujjai breath (rhythmic breathing exercise) for 25 min.
   - 8 Ujjai breaths centered at Manipur chakra (navel)
   - 8 Ujjai breaths centered at the Anahat chakra (head)
   - 8 Ujjai breaths centered at back below the base of neck

All these above accompanied by hand movement and mudras.

2. Bhasrika – three cycles of 20 each.
3. Breathing in rhythm- 3 cycles. First - 20 slow; second - 40 medium and third - 40 fast.
4. Value education.

Results And Discussion - A perusal of the table 1(a) reveals that the mean test scores before the administration of SKY in the experimental group was 14.9 that significantly ($P<0.01$) reduced to 6.2 after the administration of the SKY to the convicts. Whereas, in the control group where the convicts were not administered the SKY yoga, no significant differences ($P>0.05$) were observed. This clearly shows that administration of SKY significantly reduces the depression in women convicts. An interview after the experiment also revealed that the women were very calm, peaceful and had better emotional control. Almost all the subjects reported in their feedback performa that they had reduced anger and markedly reduced feelings of envy and insecurity.

A perusal of table 1(b) reveals that visual memory span experimental task mean scores were 7.20 and after interpolated activity of SKY yoga, the mean scores were significantly ($P<0.05$) enhanced to 8.60.

These simple, yet powerful breathing practices have a unique advantage over many other forms of treatment: they are free from unwanted side-effects, can cut health care costs, and are easy to learn and practice in daily life. This reduces levels of stress (reduce cortisol - the “stress” hormone), support the immune system, relieves anxiety and depression (mild, moderate and severe), enhances brain function (increased mental focus, calmness and recovery from stressful stimuli) and well-being and peace of mind.

The spiritual, cognitive and value education inputs seem to have changed the perspective and mindset of the subjects which may have brought about greater mental peace, harmony and adjustment with the environment, as compared to the control group who reported no such changes in the feedback performa given to them after the experiment.

Effects of Sudarshan Kriya - Over a period of centuries, many techniques have been introduced by sages and rishis to prevent or alter our reaction to stresses. Yoga, meditation and pranayam (P) are well known. More recently Sudarshan Kriya Yoga (SKY) has been introduced by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji. Pranayam is an ancient knowledge. It directs or regulates the “prana”, subtle life force energy. Regular practice of Pranayam activates and harmonizes many body and mind rhythms including that of brain, heartbeat, enzymes and also mental and emotional rhythms. SKY is a rhythmic breathing process where three rhythms are followed in a cyclical fashion. According to His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji (discoverer of Sudarshan Kriya), an intimate link exists between our thoughts, emotions and pattern of breath. Short breath indicates emotions like anger excitement and fear, while long deep and steady breath happens when mind is calm and intuitive.

Studies at National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS), Bangalore (Mehti *et al.*, 1997), and All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi have been carrying out research on these practices and their effects. Clinical trials at NIMHANS, Bangalore, showed that regular practise of SKY is as effective as the established anti-depressant drugs. Study conducted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi, has reported that SKY and Pranayam sessions reduced serum cortisol levels, an indicator of stress in the blood more effectively than listening to classical music.

Murthy *et al.* (1996) showed that depressed people have a particular EEG brainwave abnormality, which is measured by the P300 ERP amplitude. When P300 was post-tested at day 90 it had returned to normal, (it was indistinguishable from normal controls) and they remained depression free. There was a reduction in REM latency onset and an improvement in NREM stages. About 70% of patients completing the program experienced remission from depression, both at the one month and the three month retest times. Blood analysis revealed statistically significant elevation of plasma prolactin levels after the very first SKY session. This is important since elevated plasma prolactin may be crucial in producing an anti-depressant response. Cortisol (a stress hormone) levels remained stable, indicating that the practice of SKY is not stressful.

Gerbarg and Brown (2005) have offered possibility as to how SKY and P might be influencing the thought processes and emotional states. According to them, feeling of calmness following Ujjayi pranayam may be due to the parasympathetic dominance through vagal stimulation. Bhasrika seems to be excitatory with activation of parieto-temporo-occipital cortical area. The subjective experience is one of excitation during the breathing, followed by emotional calming along with mental activation and alertness. The “Om” chanting that follows, probably balances and enhances the sympathetic and parasympathetic vagal outflow which might be responsible for improved heart rate variability and baroreflex sensitivity. Sudarshan Kriya according to them might activate thalamus and hypothalamus via vagal input. In addition, it might rebalance relationship between the areas of brain such as right and left cerebral hemisphere, anterior and posterior and top and bottom. These might be responsible for increased attention and vigilance along with feeling of satiety and pleasure.

The two capsules of SKY helped subjects markedly in reducing anxiety, stress, controlling unbridled negative emotions and gaining overall peace, calm, feeling of

compassion and gratitude which was largely due to meditation, rhythmic breathing and cognitive and value inputs. The subjects are being followed up so that they continue their SKY practices so that the positive changes are continued and there is no reversal to their pretest stage of depression.

References :-

1. Gerbarg, P.L. and Brown, R.P. (2005). Yoga: A breath of relief for Hurricane Katrina refugees. Current Psychiatry 4, 55-67. Article at Current Psychiatry Online.
2. Mehti, B.L., Janakiramaiah, N. et al. (1997). Effects of Sudarshan Kriya in Dysthymic Disorders. Departments of Neurophysiology and Psychiatry, NIMHANS.
3. Murthy, P.J., Gangadhar, B.N., Janakiramaiah, N. and Subhakrishna, D.K. (1998). Normalization of P300 Amplitude following Treatment in Dysthymia. Biological Psychiatry, 1997, Vol.42, pp. 740-743.

Table 1a. Results showing significance of difference between the pre and post test depression scores of the Experimental Group I with interpolated activity of SKY Yoga.

	N	M	SD	t	Level of Significance	Table Value
Pre Test	15	14.9	7.89	3.64**	(P<0.01)	2.76
Post Test	15	6.2	4.46			

Table 1b. Results showing significance of difference between before and after memory span scores of the Experimental Group II with interpolated activity of SKY Yoga.

	N	M	SD	t	Level of Significance	Table Value
Pre Test	20	7.20	2.65	2.67*	(P<0.05)	2.09
Post Test	20	8.60	2.87			

****

Thinking And Reasoning Process

Jyotsna Jharia *

Introduction - Thinking occurs almost all the time. According to Watson thinking is sub vocal speech. Thinking may be viewed as a cognitive process where we use symbols as representatives of objects and events. Thinking involves the cognitive rearrangement of informing from the environment and of symbols stored in memory.

Mental images - Images are pictures in the brain. Images can be of many types like sounds, sight tastes. etc… Images used in thinking are usually incomplete pictures. These images are built from information stored in the long term memory. Imagery may be used in problem solving. The images are abstractions of information stored in memory.

Concept - Concept refers to making the same response to a group of objects having similar characteristics. A concept is a class or category of objects combined on the basis of having same features. Concepts are helpful in a number of ways. They help in classifying and organizing our world of experience. In the absence of concepts each event, object or experience will be new and beyond our capacity to understand. Concepts also help in reducing the burden of learning and memory. This improves our ability to adapt to the environment and grow. In the formation of concepts, abstracting is observing the essential features of an object or event. For e.g. the child's first experience with a tree may be hearing the word 'tree' associated with a mango tree, but later he may hear the same word attached to an Asoka tree, an object of different appearance. After a series of such experiences with a variety of trees the child learns the concept of tree. In a sense, concepts are related to past experience. They bring together in a single idea what one has learned about properties of many different things. Concepts are of two type's conjunctiveconcepts which have several dimensions all of which must be present to define the concept. The second type is disjunctiveconcepts which involve several dimensions but any one of them, by itself constitutes of the concept. The concept of 'aunty' occurs in the case of sister of one's father and mother also.

Reasoning - Thinking involves manipulation of symbols denoting various meanings. Reasoning is a special type of deduction thinking which involves drawing conclusions from certain known facts. When logical principles are applied to thinking reasoning leads to better thinking. With proper reasoning it is possible to arrive at correct and sometimes novel solution of the problems. When faced with a problem all relevant fact put together. These facts have to be grouped in view of certain logical principles. For reasoning to occur various steps have to be taken in problem solving. First of all the relevant data must be put together. If the data are not properly combined or grouped proper reasoning cannot take place.

Deductive reasoning - Deductive reasoning is one of the important types of reasoning we use in day to day life. It is a pattern of thought in which the thinker must use a set of rules to draw a conclusion. Logical thinking in which conclusions are drawn from premises that stand for known facts. It is the process of reasoning from general to particular.

Inductive reasoning -Inductive reasoning is drawing inferences from specified cases. A type of thinking in which one is given a series of specific examples and must infer from them a general rule.

Problem solving - Problem solving is an important cognitive activity. In our everyday life we are mostly engaged in solving one or the other problem. Whenever we want to reach a certain goal and that goal is not readily available we use problem solving. Problem solving involves situations in something is blocked the successful completion of a task. Problem solving is a process of moving from the given states to the goal state of a problem. There are three aspects of a problem: (a) original state, (b) goal state, (c) rules. The original state is a situation at the beginning when we encounter the problem. The goal state refers to the situation which must be followed or taken into account while proceeding from the original state to the goal state. Some problems are clear and simple for which solution can be retrieved from memory within no time. There are problems which complex and cannot be easily solved. In order to solve problems of complex nature longer procedures are involved.

Everybody adopts their own way of solving a problem. Problem solving involves four stages, they are:

(a) Understanding the problem involves those activities which determine the nature of the problem, information available and the kind of solution required.

(b) Devising a plan is the next stage which involves in looking into the long-term memory for a plan of solution. In this stage the person attempts to retrieve useful information and may remember that a similar problem was solved

*Asst. Professor (Psychology) Swami Vivekanand Govt. P.G. College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

in the past and use the same method or may try to create some new plan of action.

(c) Carrying out the plan is a stage where the person carries out a plan which they have retrieved from the long-term memory or thought of a new plan. If the plan has few steps and is worked out in detail then this stages can be completed quickly and with few errors.

(d) Looking back is to evaluate the results or look back after we have carried out a plan. The problem solver compares the solution with encoded problem (first stage) in working memory. These clues may enable them to solve future similar problems.

For simple problems these stages follow each other in a simple order.

Creative thinking - Creative thinking or creativity is a process that can be characterized by originality, novelty, and appropriateness.

Characteristics of creative people - Creative responses are rare and unusual. They respond to a stimulus in a way that has never been done this response is considered to be an original response. Creativity of the people who devote their lives to creative works like painters, writers, artists, and scientists creativity is different from the creativity found in general population. Creative people are more diverged in their thinking. Diverged thinking refers to a variety of thought involved about a problem. Stages in creative thinking: Creative thinking has five stages as follows:

(a) Preparation: it is the formation of the problem and the collection of the material necessary for the solution.

(b) Incubation: in this stage interfering ideas fade and other experience may be felt which may provide clues to the solution of the problem. At the stages unconscious thought processes involved in creating thinking are at work.

(c) Illumination: in this stage an idea for the solution occurs.

(d) Evaluation: In this stage the solution which occurs is tested to see if it solves the problem. If the solution is enough to solve the problem then the whole process is begin afresh.

Revision - If the solution is good but needs slight modification then comes the last stage of revision.

References :-

1. www.mindfocus.net/naO2000.html
2. www.tandfonline.com
3. www.psypress.com/journals/details/1354-6783/

****

ग्वालियर क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण

डॉ. शुक्ला ओझा *

प्रस्तावना – ऐतिहासिक विरासतों की दृष्टि से ग्वालियर क्षेत्र अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। ग्वालियर क्षेत्र से तात्पर्य ग्वालियर तथा इसके निकटवर्ती स्थलों से है। यह वह समृद्ध क्षेत्र है जहाँ अनेकानेक उच्च स्तरीय ऐतिहासिक विरासतें स्थित है जिनके साथ वैभवशाली अतीत जुड़ा हुआ है जो हमें राज्यों, राजाओं, कलाकारों, संतों की कथा सुनाता है। यहां इन स्थलों का संरक्षण तो सदा से ही हो रहा है किन्तु पिछले कुछ वर्षों में इस कार्य में और अधिक सक्रियता दृष्टिगोचर होती है। विशेषकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रतिवर्ष एक बड़ी धनराशि इस कार्य हेतु प्रदान की है जिससे इन स्थलों के संरक्षण का कार्य सुचारू रूप से करना संभव हो सका है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वर्ष 2006 से 2012 के मध्य ग्वालियर–चम्बल संभाग के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर कुल–10,87,89,358 रू. व्यय किये। जिसमें वर्ष 2006–2007 में कुल–20842588 रू., वर्ष 2007–08 में 33631172 रू., वर्ष 2008–09 में 15442027 रू., वर्ष 2009–10 में 12491483 रू., वर्ष 2010–10 में 17552216 रू., तथा वर्ष 2011–12 में 8727870 रू. व्यय किये गये जो तालिका से स्पष्ट है–

तालिका क्रमांक – 01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ग्वालियर–चम्बल संभाग में जिले के अनुसार ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण हेतु राशि व्यय की है।

अशोकनगर जिले में संरक्षण पर व्यय राशि– वर्ष 2006 के बाद से अशोक नगर जिले में बूढ़ी चंदेरी में जैन मंदिर क्रमांक 01 से 05 तक, चंदेरी में चंदेरी दुर्ग, बड़ा मदरसा, ब्रिटिश बावड़ी, बादल महल गेट, जामा मस्जिद, कटी घाटी, कोशक महल, निजामुद्दीन के परिवार के मकबरे, शहजादी का रोजा तथा कदवाहा के मठ व शिव मंदिर क्रमांक 02 से 07 तक का संरक्षण किया गया है। इसी प्रकार थूवोंन जी में सीतामढ़ी, हनुमान मढ़ी, होरी की मढ़ैया, गिर्राज एवं महादेव घाट, कुटी समूह एवं अंधा कुंआ मंदिर समूह के अर्न्तगत आने वाले अनेकानेक मंदिर भी संरक्षित किये गये। जिन पर व्यय की गयी राशि तालिका से स्पष्ट है–

तालिका क्रमांक – 02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

भिण्ड जिले में संरक्षण पर व्यय राशि – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भिण्ड जिले में अनेक स्मारकों का संरक्षण किया है। इसमें खेराट का ईंटों का मंदिर, ओपन थियेटर एवं अटेर के दुर्ग के संरक्षण पर बड़ी राशि व्यय की है जो तालिका से स्पष्ट है।

तालिका क्रमांक – 03 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

दतिया जिले में संरक्षण पर व्यय राशि – दतिया जिले के वीरसिंह पैलेस के डोम की मरम्मत एवं प्लास्टर, दीवारों का प्लास्टर, फर्शीकरण आदि संरक्षणात्मक कार्य विभाग द्वारा करवाये गये हैं। इसी प्रकार गुजर्रा गांव में अशोक के शिलालेख के संरक्षण पर भी विभाग बड़ी राशि व्यय कर रहा है जो तालिका से स्पष्ट है–

तालिका क्रमांक – 04 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

ग्वालियर जिले में संरक्षण पर व्यय राशि– ग्वालियर–चम्बल संभाग में ऐतिहासिक स्थलों की दृष्टि से ग्वालियर जिला सर्वाधिक समृद्ध जिला है इसी कारण यहां संरक्षण की कार्यवाहियां भी बड़े पैमाने पर की गई हैं। इसके अन्तर्गत अमरोल के महादेव मंदिर, पवाया के प्राचीन स्थल तथा टीला स्मारक, आंतरी में अबुल–फजल का मकबरा, ग्वालियर में तानसेन तथा मोहम्मद गौस का मकबरा, ग्वालियर दुर्ग पर बादल महल, हिण्डोला द्वार, ग्वालियर या आलमगीरी द्वार, गणेश द्वार, चतुर्भुज व लक्ष्मण मंदिर, मानसिंह पैलेस, रॉक कट जैन मूर्तियां, सास बहू और तेली का मंदिर, उरवाई गेट आदि का संरक्षण विभाग द्वारा किया गया है जिस पर व्यय राशि का अनुमान तालिका से हो जाता है–

तालिका क्रमांक – 05 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

मुरैना जिले में संरक्षण पर व्यय राशि – अन्य जिलों की भाँति मुरैना जिले के ऐतिहासिक स्थल भी विभाग द्वारा संरक्षित किये गये। जिनमें से प्रमुख नाम हैं मितावली का एकतारसो महादेव मंदिर, पढ़ावली की गढ़ी व मंदिर, सुहानियां का ककनमठ मंदिर, नरेश्वर के मंदिर क्रमांक 01 से 22 तक के मंदिर, बटेसर के मंदिर समूह इत्यादि। इनमें बटेसर प्राचीन समय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा शैव केन्द्र रहा होगा जिसके मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से निरन्तर चल रहा है।

तालिका क्रमांक – 06 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

शिवपुरी जिले में संरक्षण पर व्यय राशि – शिवपुरी जिला भी समृद्ध ऐतिहासिक स्थलों वाला स्थान है। यहां के जिन स्थानों का संरक्षण किया जा चुका है, उनके नाम है महुआ का बड़ा व छोटा शिव मंदिर, खुला रंगमंच, संग्रहालय तथा गढ़ी, तेरही का मौजामाता मंदिर व तोरण द्वार, शिवपुरी का टाउन हॉल व गाँधी भवन इत्यादि। इनके संरक्षण पर व्यय राशि तालिका में दर्शायी गयी है–

तालिका क्रमांक – 07 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

इस प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उक्त राशि से ग्वालियर–चम्बल संभाग के विभिन्न जिलों के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण करवाकर उन्हें संरक्षित किया गया है। इसके लिये प्लास्टर, फर्शीकरण, मरम्मत, रासायनिक सफाई, रासायनिक उपचार इत्यादि के माध्यम से यह महती कार्य सम्पन्न हो सका है। यद्यपि इस क्षेत्र में संरक्षण कार्य अत्यन्त चुनौती पूर्ण कार्य है तथापि पुरातत्व विभाग, प्रशासन, अन्य

* प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष(इतिहास) डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

संस्थाओं के सहयोग से यह कार्य प्रगति पर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जिला पुरातत्व संघ की वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 बैठकों के निर्णय।
2. समाचार पत्र – दैनिक भास्कर – दिनांक 27 अप्रेल 2014
3. समाचार पत्र – दैनिक भास्कर – दिनांक 11 मार्च 2014
4. समाचार पत्र – दैनिक भास्कर – दिनांक 17 जून 2014
5. वर्मा एस. आर., डिप्टी डायरेक्टर पुरातत्व विभाग, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी।
6. मिश्रा ए. – ग्वालियर एवं ग्वालियर जिले के दुर्ग एवं गढ़ियाँ।
7. मिश्रा बी. डी. – फोर्ट एण्ड फोर्टेज ऑफ ग्वालियर एण्ड इट्स हिन्टरलैण्ड – पृष्ठ क्रमांक 96
8. समाचार पत्र – नई दुनिया – दिनांक 11 अगस्त 2013
9. मित्रा जी. के. – डिप्टी डायरेक्टर – टेक्नीकल सेक्शन, पुरातत्व विभाग, भोपाल से प्राप्त जानकारी।
10. वर्मा एस. आर., डिप्टी डायरेक्टर राज्य पुरातत्व विभाग से प्राप्त जानकारी।

तालिका क्रमांक – 1 – ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यय राशि

जिला	2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-2012		योग
	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	
अशोकनगर	6055560	5232555	12501185	2728059	3000276	1014011	3540327	916062	2116062	3585569	3556586	1496967	45543219
भिण्ड	0	984720	7263	206973	714252	153675	466562	132744	130529	535142	93998	188968	361436
दतिया	0	824954	0	242843	0	93315	0	161756	3301	527786	3197	230589	2087741
ग्वालियर	2404655	505389	3140698	1273779	0	276601	62415	1221393	1054063	2750483	598561	1055393	14343430
मुरैना	1923252	2273993	2179500	5475850	6179247	1862184	3599571	1077481	3632326	2190452	537045	710116	31641017

स्त्रोत– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भोपाल

तालिका क्रमांक – 2

स्मारक	स्थिति	2007-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-2012	
	स्थान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
जैन मंदिर1 1– 5	चंदेरी	0	43862	0	107485	0	0	0	97829	0	200038	0	98841
चंदेरी किला	चंदेरी	2410394	1946043	8032873	369039	1152934	0	404747	0	505724	523472	2691200	0
बड़ा मदरसा	चंदेरी	0	8520	1699848	16700	634524	19094	493498	17560	154454	128766	0	61820
बत्तीसी बावड़ी	चंदेरी	896029	8400	64893	35900	0	19114	0	11782	0	66734	0	38616
बादल महल	चंदेरी	1904927	13296	1874705	892358	1199848	19494	197612	57203	760180	124674	0	99353
जामा मस्जिद	चंदेरी	423660	59079	465179	56611	0	82230	0	0	0	127019	0	77902
कटी घाटी	चंदेरी	0	8400	0	11700	0	21054	0	14206	144212	25378	268052	16719
कोशक महल	चंदेरी	0	2660260	0	84409	5920	119494	1198960	88791	531232	245481	0	99637
निजामदीन टोम्ब	चंदेरी	0	4800	0	19000	7050	22494	1245510	33202	0	107110	0	41292
शहजादी का रोजा	चंदेरी	0	225241	0	74712	0	37544	0	40472	0	112183	0	44988
मोनसटेरी	कदवाहा	0	0	0	88755	0	0	0	8976	0	247356	0	141372
मंदिर 2–7	कदवाहा	420550	246958	363687	936085	0	602732	0	452863	20260	1036614	397334	438740
सीतामराही मंदिर	थूवोन	0	7696	0	35305	0	70761	0	93178	0	165340	0	83993
हनुमान मंदिर	थूवोन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98241	0	47124
होरी की मर्हिया	थूवोन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189803	0	0
गरगज व महादेव	थूवोन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21348	0	122490
कुटी मंदिर	थूवोन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंधकुंआ मंदिर	थूवोन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166012	0	84080

स्त्रोत– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक – 3

स्मारक	भौगोलिक स्थिति	2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-2012	
	स्थान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
ईट मंदिर 2	खेराट	0	7263	7263	48779	714252	11405	466562	28160	82893	186624	0	81164
खुला संग्रहालय	खेराट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
किला	अटेर	0	977457	0	158194	0	142270	0	104584	47636	348518	93998	107804

स्त्रोत– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक – 4

स्मारक	भौगोलिक स्थिति		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-2012	
	स्थान	जिला	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
बीर सिंह पैलेस	दतिया	दतिया		818954	0	200263	0	84510	0	118406	3301	367648	3197	141436
अशोक शिलालेख	गुजर्रा	दतिया	0	6000	0	42580	0	8805	0	43350	0	160138	0	89153

स्त्रोत– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक – 5

स्मारक	भौगोलिक स्थिति	2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-2012	
	स्थान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
महादेव मंदिर	अमरोल	0	28078	28078	94858	0	58034	0	121500	0	197104	0	89789
पुरातत्व क्षेत्र	पवाया	0	0	0	28172	0	21845	0	41715	130766	184962	194725	95552
टीला स्मारक	पवाया	0	0	0	0	0	0	0	289387	0	0	0	0
अबुल फजल मकबरा	आंतरी	0	17064	17064	54711	0	19465	0	40500	0	214645	0	94112
तानसेन मकबरा	ग्वालियर	0	0	0	0	0	0	0	0	440039	0	0	0
ग्वालियर किला	ग्वालियर	343375	386567	442960	658599	0	71587	0	451501	96407	1604277	0	613967
मो. गौस का मकबरा	घोसपुरा	2061280	73680	2652596	437439	0	105670	62415	276790	386851	549495	403836	161973

स्त्रोत– भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक – 6

स्मारक	भौगोलिक स्थिति	2006–2007		2007–2008		2008–2009		2009–2010		2010–2011		2011–2012	
	स्थान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
महादेव मंदिर	मितावली	969747	17470	253121	66401	996309	85227	425181	49658	474782	197096	0	85777
गढ़ी	पढ़ावली	0	301546	242084	844300	1756196	520813	24503	242201	738195	425314	68372	92935
मंदिर	पढ़ावली	0	0	0	0	0	0	1475434	0	925906	76355	0	0
ककनमठ मंदिर	सुहानिया	579470	76874	59330	119661	1924517	185747	129671	91830	644807	346827	0	124437
मंदिर 1 – 22	नरेश्वर	0	13701	0	123805	0	40420	1113231	123444	336448	265766	0	186732
मंदिर समूह	बटेसर	374035	1864402	1624965	4321683	1502225	1029977	431551	570348	512188	879094	468673	220235

स्त्रोत–भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक – 7

स्मारक	भौगोलिक स्थिति	2006–2007		2007–2008		2008–2009		2009–2010		2010–2011		2011–2012	
	स्थान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
विशाल शिव मंदिर	महुआ	0	0	888077	37200	284159	50544	197574	52701	0	0	0	94221
लघु शिव मंदिर	महुआ	0	1	8044	1326382	0	312072	0	68571	0	0	7829	0 0
मानेस्ट्री	रक्नोद	0	8234	0	18600	0	32224	0	40286	0	54791	0	36050
मानेस्ट्री	सुरवाया	0	0	0	0	0	0	664033	0	0	0	0	0
शिव मंदिर	सुरवाया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खुला संग्रहालय	सुरवाया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सुरवाया गढ़ी	सुरवाया	0	124637	123637	195047	1096124	122033	0	182611	385729	351879	0	149013
मोजामाता मंदिर	तेरही	0	16484	0	42400	0	28614	0	35301	0	134372	0	61245
मानेस्ट्री	तेरही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
तोरण दरवाजा	तेरही	0	0	0	1176610	0	0	0	0	0	0	0	0
टॉउन हॉल	शिवपुरी	355525	116586	1178642	888427	0	222696	0	72095	0	191903	0	115921

****

प्राचीन भारत में ज्योतिष विज्ञान

डॉ. नितिन सहारिया * डॉ. उमाशंकर पटले **

प्रस्तावना – भारतीय समाज वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिमी वैज्ञानिक, पश्चिमी देशों को ही विज्ञान का जनक मानते चले आ रहे हैं। अपने ही देश के बौद्धिक संस्थानों और प्रचार माध्यमों ने भारतीय इतिहास को ग्लानि और आत्मनिंदा की दृष्टि से ही देखने की चेष्टा की है। इसी कारण से हमारी वैज्ञानिक परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टि और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे ज्ञान को नकारने की कोशिश होती रही है। इस धारणा के कारण मात्र पश्चिम का अनुकरण करने की वृत्ति देश में दिखाई देती है। समाज में अपने बारे में आत्मविश्वास के अभाव की स्थिति जानने के लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ.अब्दुल कलाम के दो अनुभव सहायक होगें।

डॉ. कलाम की आँखों में एक समर्थ एवं विकसित भारत का सपना है। इसे उन्होंने अपनी पुस्तक 'Indis Two thousand Twenty;A vision for New Millenniam' में व्यक्त किया है। साथ ही देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, इसे भी उन्होंने अपने जीवन के दो अनुभवो से अभिव्यक्त किया है प्रथम अनुभव वो लिखते है कि मेरे कमरे में दीवार पर एक बहुरंगी कलेन्डर टंगा है यह सुन्दर कलेन्डर जर्मनी में छपा है तथा इसमें अकाशस्थ उपग्रहो द्वारा यूरोप और अफ्रीका के चित्र अंकित है कोई भी व्यक्ति इन चित्रो को देखता है तो प्रभावित होता है परंतु जब उसे यह बताया जाता है कि जो चित्र इसमें छपे है वे भारतीय संवेदी उपग्रह ने खीचे हैं तो उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरते है और वे तब तक शांत नहीं होते जब तक उस कलेन्डर में नीचे उक्त कम्पनी द्वारा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह द्वारा खीचें गए चित्रो की प्राप्ति का कृतज्ञता ज्ञापन वे नहीं पढ़ लेते।''

ब्रिटिश लोग कोनग्रेन्ह के बारे में सारी जानकारी रखतें है पर हम कुछ नहीं जानते उन महान इंजीनियरो के बारे में जिन्होंने टीपू की सेना के लिए राकेट बनाया इसका कारण यह है कि विदेशियत के प्रभाव और अपने बारे में हीनता बोध की मानसिक ग्रंथि से देश के बुद्धिमान लोग ग्रस्त है और यह मानसिकताा देश के लिए सबसे बडी बाधा है। सन् 1891 में स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के युवा विद्यार्थियो के एक विशाल समूह के समक्ष कहा था – "अंग्रेजो तथा अन्य (पाश्चत्य लेखको) द्वारा लिखित हमारे देश का इतिहास हमारे मन को कमजोर नहीं कर सकता क्योंकि वे केवल पतन की चर्चा करते हैं ऐसे विदेशी भी है जो हमारे स्वभाव रीति रिवाजो या धर्म एवं दर्शन के बारे में बहुत कम जानते हैं। वे भारत के बारे में विश्वसनीय तथा निष्पक्ष इतिहास कभी कैसे लिख सकते हैं ऐसे इतिहास को अस्वीकार करो। अत: जितना ज्यादा हिन्दू अपने गौरवमय अतीत का अध्ययन करेगें। उतना ही शानदार भविष्य होगा''।

ज्योतिष एक अंधविश्वास है या फिर विज्ञान इसको लेकर तमाम तरह की बातें अनादि काल से होती रही हैं। हमारी संस्कृति में ज्योतिष विद्या का सदैव से महत्व रहा है महर्षि भृगु को ज्योतिष विद्या का जनक कहा जाता है। मान्यता है कि वे त्रिकालदर्शी थे। ज्योतिष को लेकर आज भी लोगों में तमाम तरह की भ्रातियां हैं। कई लोग ज्योतिष को पाखंड बताते हैं लेकिन यह सत्य नहीं है। ज्योतिष के जानकार ज्योतिष को एक विज्ञान बताते है। विद्धानों के अनुसार यह विज्ञान से भी परे का विज्ञान है। यह एक ऐसी विद्या है जिससे भविष्य में होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में पहले से पता किया जा सकता है, बशर्ते व्यक्ति को ज्योतिष का वास्तविक ज्ञान हो।

कवि रहीम कहते है कि – 'रहिमन बात अगम्य की कहिन सुनन की नाहिं। जो जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नाहिं'। सत्य,अगम्य या परमात्मा का बखान (वर्णन) नहीं किया जा सकता। जो जानते हैं, वे कहते नहीं और जो कहते हैं वे कुछ जानते नहीं। ऐसा ही हाल हमारे वेदों और वेदांगों का हुआ है जिनके बारे में बगैर कुछ जाने उनकी आलोचना करने वाले आपको बहुत से कथित विद्धान मिल जाएंगे। ज्योतिष विद्या हमारे वेदांगों में से ही एक है जिसे शिक्षा, कल्प व्याकरण,निरूक्त, छंद की भांति अपरा (सांसारिक या भौतिक) विद्याओं की श्रेणी में रखा गया है। अपरा विद्या यानी ऐसा ज्ञान जो लौकिक विषयों तथा लोकाचार के लिए सार्वकालिक उपयोगी तथा सुलभ हो। इस विषय में मुंडक उपनिषद् में कहा गया है–

सुगम तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोथर्ववेद: शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरूत्तफं छन्दो ज्योतिषमिति।
अथ परा ययातदक्षरमध्गिम्यते।।

ज्योतिष ग्रह–नक्षत्रों की स्थिति, उनकी गति तथा उनके साथ हमारा संबंध बताने वाली विद्या है। यहां हम एक विद्या या ज्ञान के तौर पर इस प्राचीन भारतीय,विरासत का महिमामंडन नहीं कर रहें बल्कि आधुनिक संदर्भ में समय की कसौटी पर खरे उतरे इस तर्कसंगत वैज्ञानिक ज्ञान की प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पर छिड़े विवाद का समाधान करना चाहते हैं।

शर्त बस यही है कि ज्योतिष जैसे विषय पर हमारा मत किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो और न ही हम इसे हिन्दू धर्म विशेष के कर्मकांडीय विधानों की तरह देखें। अगर ज्योतिष इतना ही रूढ़ीवादी ज्ञान होता तो इतनी सदियों की यात्रा तय कर आज आधुनिक रूप में यह विश्व भर में इतना लोकप्रिय कतई नहीं होता। आज ज्योतिष पढ़ने और सीखने वाले लोगों में अमरीका और रूसी विद्यार्थियों की बड़ी तादाद है।

* अतिथि विद्वान, शासकीय एम.एम. महाविद्यालय, कोतमा, अनूपपुर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

ज्योतिष को न मानने वालो को चुनौती –1ज्योतिष में भविष्य कथन की क्षमताओं के आंकलन पर ही तमाम विवाद उठते रहे है। ज्योतिष पर प्रश्न उठाने वाले लोगों को एक खुली चुनौती है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हों और लगभग डेढ़ महीने बाद उनका प्रसव होना हो तब दावा है कि कोई भी डॉक्टर चाहे वह–कहीं से भी प्रशिक्षित हो, बच्चे का सही जन्म समय नहीं बता सकता,लेकिन ज्योतिष से ऐसा संभव है। यदि कोई चुनौती लेना चाहे तो ऐसी 50 महिलाओं के जन्म समय तथा जन्म स्थान भी शमिल हों, तमाम तथ्यों को ज्योतिष पर शोध करने वाले शोधार्थियों को दिया जाए। उन सभी को सलाह–मशविरा किए बिना उन महिलाओं के प्रसव के सही समय की गणना के लिए कह दीजिए। मेरा दावा है कि ज्योतिष शोधार्थियों द्वारा गणना करके दिए गए प्रसव के समय को यदि 72 घंटे की समय सीमा में रखा जाए तो 99 प्रतिशत मामलों में वह सही बैठेगा, अगर समय सीमा 48 घंटे की कर दी जाए तो यह 95–97 प्रतिशत तक सटीक होगा। इसे 24 घंटे तक समेट दिया जाए तो भी यह प्रतिशत 90 से कम नहीं रहेगा।आजकल बदलती जीवन शैली के कारण देर से विवाह का चलन बडा है। ऐसे दम्पती को जब किसी वजह से संतान सुख पाने में विलंब होता है। तब भी ज्योतिष कारगर होता है। ज्योतिष का कोई भी गंभीर शोधार्थी पति पत्नी की जन्म कुन्डली से उनके संतान प्राप्ती का समय ठीक ठीक बता सकता है कहा जाता है की ज्योतिष विज्ञान है तो यह कोई कपोल कल्पित धारणा नहीं है यह विज्ञान है एस बात को विज्ञान के मूल भूत तीन पैमानों पर परखा जा सकता है। पहला विज्ञान में कारण व परिणाम का संबध होता है। ज्योतिष में भी यह सिद्धातं निहित है लेकिन यहां हम कारण का स्थुल रूप नहीं दिखा पाते। दूसरा विज्ञान में किसी बात को सिद्ध करने की पद्धति होती है ज्योतिष में भी कुन्डली बनाने से लेकर दसा काल गणना तक निश्चित पद्धति का पालन किया जाता है अंतिम और तीसरा विज्ञान में पुनरावर्तन का सिद्धातं है। जो ज्योतिष में भी यथा संभव दोहराया जाता है।

मुगल भी ज्योतिष के आगे नतमस्तक थे –ज्योतिष के आगे मुगल बादशाह नतमस्तक थे उनका ज्योतिष पर अटूट विश्वास था। बिना ज्योतिष की सलाह के वे कोई भी काम नहीं करते थे। अब्दुल रहीम खानखाना कहते है कि – ज्यो नाचे कटपुतरी, करम नचावत गात, अपने हाथ रहीम ज्यो, नहीं अपने हाथ।। जैसे नट कटपुतली को नचाता है,वैसे ही कर्म मनुष्य को नचाते हैं। जीवन में होनी अपने हाथ नहीं होती जो इस होनी को पहले से बाचं ले वही पंडित है। इसी से ज्योतिष की सामर्थ्य जानी जा सकती है।

न तत्सहस्त्रम् करिणां वाजिनां च चतुर्गणम्।
करोति देशकालज्ञो यथैको दैवचिंतक:।। –श्लोक 38,बृहत्संहिता

हजार हाथी और चार हजार घोड़े मिलकर जो काम नहीं कर सकते,वह एक देशकाल मर्मज्ञ ज्योतिषी कर सकता है। यानी सही ज्योतिषीय परामर्श और मार्गदर्शन की उपयोगिता हजारों वर्ष से मानी जाती रही है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले यह भली–भांति जानते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले तमाम लोग, चाहे वे तुर्क हों,मंगोल या फारसी ,किसी न किसी रूप में ज्योतिषीय सलाह का अनुसरण करते रहे हैं। हमारे मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालें तो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है तैमूर लंग के विवरण में। तैमूर का जन्म 8 अप्रैल 1336 के दिन सब्जे शहर(वर्तमान ताजीकीकिस्तान) में हुआ था चुकी उसने बहुते से युद्धों में विजय प्राप्त किये थे। इस लिए उसकी पैदाईस शुभ ग्रह स्थिति में मानी जानी है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था जो तैमूर का ही वंशज था बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 समरकंद में हुआ था अपने पिता के निधन के बाद उसे समरकंद छोड़ काबुल(अफगानिस्तान) आना पड़ा वह ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था भारत में राणासांगा से युद्ध से पूर्व भी एक ज्योतिषी ने उससे कहा था की यह युद्ध मुगलो के लिए ठीक नहीं रहेगा इस बात का जिक्र बाबर नामा में मिला है ज्योतिष के अलावा बाबर सामुद्रिक शास्त्र (अंग लक्षण) की भी थोडी बहुत जानकारी रखता था उसने मीर खलीफा को ताकीद किया था यह अफगान छोटी छोटी बातो से विचलित होने वाला नहीं है यह भविष्य में महान हो सकता है। शेर खान पर नजर रखों क्योंकि वह चतुर व्यक्ति है। और उसके ललाट पर राजलक्षण दिखाई पड़ते हैं। बाबर की सामद्रिक शास्त्र में रूचि तथा ज्योतिषीय समझ ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया। वह घोर आस्तिक था और मानता था कि ईश्वरीय अनुकंपा के साथ उसका भाग्य सूर्य फिर द्विगुणित दीप्ति के साथ प्रकाशित होगा । इसीलिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को अन्य शास्त्रों के साथ गणित, दर्शन तथा ज्योतिष की षिक्षा भी दिलवायी। फलित ज्योतिष में तो हुमायूं इतना पारंगत हो चुका था कि अनेक अवसरों पर वह अपनी गणना को ही मानकर चलता था। हमीदा बानो से विवाह के समय उसके ज्योतिष ज्ञान और स्वप्नदर्शन ने उसे इस संबंध में निहित सौभाग्य का परिचय दे दिया था। उसने ज्योतिष के संबंध में अनेक लेख भी लिखे थे। उसने नौ ग्रहों के भवन बनवाए हुए थे। ज्योतिष की गणना के अनुसार ही वह उनका प्रयोग करता था। इन्हीं भवनों में बैठकर ग्रहों की स्थिति के अनुसर कूटनीतिक फैसले लेता था। यहां तक कि दूसरे राजाओं और बादशाहों से भी इन्हीं भवनों में मिलता था। हुमायूं ने ज्योतिष के कहे अनुसार ही हमीदा बानो से विवाह किया था। कद में हुमायूं से बेहद छोटी हमीदा से उसके अनमेल विवाह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अकबर का जन्म था,जिसने भारत में मुगल सल्तनत को विस्तार तथा स्थायित्व भी दिया। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे महान ज्योतिषी ज्योतिक राय। इस बात का उल्लेख 'अकबरनामा' और 'जहांगीरनामा' में मिलता है। अकबर की जन्म तथा राज्यारोहण की कुंडलिया ज्योतिक राय ने ही बनाई थीं जो उनकी ज्योतिषीय कुशलता के साथ इस शास्त्र में अकबर की अस्था की भी परिचायक है। अकबर के दरबार में थे अब्दुल रहीम खानखाना। वह एक अच्छे ज्योतिषी तथा बहुभाषाविद् थे।वह अरबी, फारसी, तुर्की के अलावा संस्कृत,हिंदी, अवधी और ब्रजभाषा में निपुण थे। अपनी चमत्कारिक काव्यशक्ति के साथ उन्होंने 'खलकौतुकम्' की रचना की। ज्योतिष के इस काव्य में अरबी, फारसी भाषा के शब्दों के साथ संस्कृत छन्द तथा व्याकरण नियमों का पूर्णतया पालन किया गया है। रहीम की भी हिन्दू संस्कृति में गहरी आस्था थी और कृष्ण–राधा प्रणय–विरह में उनकी दोहे आज भी जन–जन में लोकप्रिय हैं। जहांगीर की ज्योतिष में गहरी आस्था का कारण भी थे ज्योतिष राय। उनकी कई भविष्यवाणियों के सत्य सिद्ध होने पर उन्हें अनेक बार सम्मानित किया। जहांगीरनामा में इन घटनाओं का सिलसिलेवार ढंग से विवरण भी दिया गया है। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां तो बेहद सटीक थी। इनमें से एक पुत्र शहशूजा के उंचाई से गिरकर भी सलामत रहने और दूसरी उसकी ऐक बेगम की मृत्यु तथा तीसरी उनके एक अन्य पुत्र की मृत्यु से संबंधित थी। ज्योतिक राय ने ही जहांगीर के गंभीर रूप से बीमार होने पर उनके ठीक होने की भविष्यवाणी भी की थी। जहांगीर पर ज्योतिष का प्रभाव इसी बात से आंका जा सकता है कि उसने बारह राशियों के प्रतीक चिन्हों को सोने के सिक्कों के एक तरफ मुद्रित करवा दिया था। जहांगीर के पुत्र खुर्रम (शाहजहां) का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था जिसका 'षष्ठीपूर्ति' ज्योतिषीय गणना के आधार पर की जाती है और इसका उल्लेख शाहजहांनामा में मिलता है। इसी तरह शाहजहां के विवाह का मुहूर्त भी

ज्योतिषियों ने बताया था। ये सभी बादशाह अपनी संतानों की जन्मकुंडलियां भी बनवाया करते थे। यदि ज्योतिष केवल हिन्दू धर्म या भगवाकरण का पर्याय होता तो कम से कम तुर्क तथा मंगोल मूल के मुगल तो ज्योतिष के आगे इस कदर नतमस्तक नहीं होते। ज्योतिष की महत्ता, इसकी उदारता तथा इसकी गांभीर्य इसी बात में है कि यह किसी रूढ़िवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। वरन यह प्राचीन भारत के हिन्दू संस्कृति के गौरवशाली अतीत की अभिव्यक्ति प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बृहत्संहिता –38
2. मुंडकउपनिशद –5
3. भृगु संहिता
4. अकबरनामा
5. जहांगीरनामा
6. शाहजहांनामा
7. एस.आर.शर्मा – 'द क्रीसेंट इन इंण्डिया', पृ. 222।
8. किशोरीलाल शरण – ट्विलाईट ऑफ सल्तनत
9. अबध बिहारी पाण्डेय – उत्तर मध्यकालीन भारत , पृ.26–38।
10. पान्चजन्य – पत्रिका, संपादक –हितेश शंकर , 18 जनवरी 2015 , पृ. 12–13–28, प्रकाशक – संस्कृति
11. भवन देशबंधु गुप्तामार्ग , झंडेवाला, नई दिल्ली –55
12. डा. ए.पी.जे. कलाम – इंडिया 2020, पृ. 27–28।

****

प्राचीन भारत में मानव कल्याण – सम्राट अशोक के विशेष संदर्भ में

डॉ. मंगला ठाकुर *

प्रस्तावना – 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' संस्कृत की उक्त उक्ति हमारी समृद्ध, कल्याणकारी, सामाजिक न्याय एवं अपार सांस्कृतिक सम्पदा का प्रतिनिधित्व करती है। ऋग्वेद की अन्तिम ऋचा में कहा गया हैं–

'संगच्छत्वं संवदध्वं सं को मनांसि जानताम्, समानी व: आकूति: समाना हृदयाति व।

समानमस्तु वो मनो, यथा व सुसहायति। – ऋग्वेद– 10 –191

अर्थात् 'मिलकर चलो, मिलजुलकर बात करो, तुम्हारे मन एक समान जाने,तुम्हारे यत्न साथ–साथ जाने, तुम्हारे हृदय एकमत हो, तुम्हारे मन संयुक्त हो, जिससे हम सब सुखी हो सके।'

इन शास्त्रीय मानव कल्याण की वृहत् और महान् परम्पराओं को सम्राट अशोक महान् (269–232ई.पू.) द्वारा आज से लगभग 2250 वर्ष पूर्व राज्य के नीति निर्देशन सिद्धान्तों एवम् नियमों के रूप में स्थापित किया था।

विनाशकारी कलिंग युद्ध के पश्चात् अशोक ने अपनी एवम् अपने विशाल मगध साम्राज्य की दिशा एवम् दशा ही बदल दी और एक आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य, जिसमें नैतिक मूल्यों, सामाजिक न्याय व समता तथा उत्कृष्ट मानवीय संवेदनाओं का वो स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में दुर्लभ है।

अशोक, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम ऐसा शासक था, जिसके कार्यो, उद्घोषणाओं एवम् राजाज्ञाओं कस लिखित प्रमाण षिलालेखों के रूप में मिलता है। इनकी संख्या 44 है और ये सम्पूर्ण वृहत भारत में स्थापित है। यही से भारत राज्यों के जनकल्याणकारी स्वरूप का आरंभ होता, जिनका प्रत्यक्ष संबंध आज के मानवाधिकार से है।

मानवाधिकार शब्द से तात्पर्य – उन सभी परिभाषित एवम् अपरिभाषित आवश्यक अधिकार सम्मिलित है जो मानव के संतुलित विकास एवम् उनके कल्याण के लिये आवश्यक है। आधुनिक काल में मानव अधिकारों की संकल्पना को प्राकृतिक प्राकृतिक विधि के दार्शनिकों के विचारों में खोजा जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकारों के प्रति चिन्ता कोई नई बात नहीं है, वास्तव में वह मानव स्वतंत्रता के लिये चलाये गये सभी ऐतिहासिक आन्दोलनों में पारम्परिक प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों के रूप में ज्ञात थे और महान धार्मिक तथा दार्षनिक विचारकों के विचारों में मौजूद थे। मानव अधिकारों की संकल्पना व्यक्ति को शोषण और अन्याय से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयासों की ओर प्रेरित करती है।

हैराल्डी लास्की के अनुसार – 'अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियॉ है, जिनके बगैर सामान्यत: कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।' इस प्रकार मानवाधिकार राज्य के सभी व्यक्तियों के लिये समान होते है क्योंकि ये अधिकार नैतिक, सामाजिक एवम् भौतिक कल्याण के लिये सहायक होते है। इन्हें प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है।[1]

अशोक महान् के द्वारा किये गये जनकल्याणकारी कार्य – कलिंग युद्ध के बाद अशोक पश्चाताप एवम् आत्म ग्लानि से भर गया, जैसा कि उसने अपने तेरहवें शिलालेख में कहा है – 'अविजितं हि विजितं मन्ये – अथार्त 'यह विजय कोई विजय नहीं वह घोषित करता है कि दण्ड पर क्षमा को परियता देता है, एकमात्र विजय धर्म द्वारा विजय ही है –

'तम् एव च विजयं मन्यतां यो धर्म विजय:।[2]

अशोक ने अपने साम्राज्य की समस्त शक्ति जन उत्थान दुआ वह धर्म सदाचार, नैतिकता, पवित्रता, सादगी, मानवीय मूल्यों को लिये हुए सार्वभौम धर्म था जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धान्त पर आधारित था।उसने जिन सार्वभौमिक सिद्धान्तों का देश–विदेश में प्रचार, प्रसार किया वे किसी धर्म विशेष के सिद्धान्त नहीं थे, वरन् समूची मानव जाति के हितार्थ थे जिन्हें प्रत्येक जाति, धर्म तथा देश का व्यक्ति प्रत्येक काल में मान सकता था, उसका धर्म सार्वभौम था जिसमें संकीर्णता के लिये कोई स्थान नहीं था।[3]

अशोक ने धार्मिक क्रियाकलाप, कर्मकलाप, कर्मकाण्ड तथा अनुष्ठानों पर जोर नहीं दिया उसका बल चरित्र की शुद्धता तथा मन वचन तथा कर्म की पवित्रता पर था।

चौदहवें शिलालेख में उसने इन्द्रिय विजय विचारों की शुद्धता, कृतज्ञता और दृढ़ इच्छाशक्ति एवं भक्ति पर जोर दिया।

इक्कीसवें शिलालेख में दया, दान, सत्य, शौच (पवित्रता, तन एवं मन की) को श्रेष्ट बताया है। इसी प्रकार उसने क्रोध, अहंकार, ईष्या आदि कुप्रवृत्तियों का दमन करने के भी उपदेश दिये है।

तेरहवें शिलालेख में माता–पिता बन्धु–बान्धव, मित्र, साथी, गुरू, नौकर दास, निर्धन सभी की सेवा एवम् भक्ति उसके धर्म का मूलमन्त्र थी। उसका आदेश था कि गृहस्थ, ब्राह्मणों तथा श्रवणों का आदर करें तथा पशुओं के साथ भी दया पूर्ण व्यवहार करें।[4]

सातवें शिलालेख में उसके धार्मिक, सहिष्णुता संबंधी विचार उल्लेखित हैं, जिसमें सहिष्णुता श्रृद्धा पर विशेष बल दिया गया। उसने कहा था– 'सब धर्मो का सार है, दूसरे धर्मो का आदर करना चाहिए। सभी सम्प्रदाय सभी स्थानों में रह सकते है, क्योंकि सभी आत्म संयम एवं भावशुद्धि चाहते है। इसी शिलालेख में अशोक ने विज्ञप्ति जारी की कि किसी भी यज्ञ में बलि के लिये पशुओं का वध न किया जाये।[5]

अपने शिलालेख में अशोक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया। उसका कहना था कि जीवन में सभी रूप पवित्र है।उसकी संहिता मनुष्यों तक ही

* प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

सीमित नहीं की, अपितु उसमें पशु-पक्षी भी शामिल थे। शाही भोजनालय में मांसाहार बन्द कर दिया, आखेट भी वर्जित किया गया। युद्ध का सदैव के लिये परित्याग करते हुए साम्राज्यवादी नीति का भी त्याग कर दिया। ऐसा उदाहरण विश्व इतिहास में अन्यत्र नहीं है।

विजित कलिंग राज्य की प्रजा एवम् अन्य सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में उसने उच्चाधिकारियों को आदेश जारी किये कि - सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो, जनता को प्रेम किया, अकारण लोगों को दण्ड तथा यातना न दी जाए। जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए.....राजा यथा शक्ति उन्हें क्षमा करेगा, वे धम्म का पालन करे यहाँ उन्हें सुख मिलेगा.....और मृत्यु के बाद स्वर्ग।'

एक नवीन प्रकार के राजकर्मचारियों की नियुक्ति की, इन्हें 'धम्म महापात्र' कहा गया। इनका मुख्य कार्य जनता को धम्म की बातें समझाना, उसमें रूझान पैदा करना उनका नैतिक स्तर ऊँचा करना था। ये धम्म महापात्र ब्राह्मण, महिला, दास, निर्धन एवम् वृद्ध के कल्याण एवं सुख के लिये कार्य करते थे। राज्य के सभी प्रकार के लोगो में इनकी में इनकी पहुँच थी। कारावास से कैदियों को मुक्त कराना इनके अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे।

अपने तीसरे शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय एवं अल्प संग्रह की बात भी कही है, अर्थात् वह लोगों का आर्थिक जीवन भी समृद्ध बनाना चाहता था। चौथे शिलालेख में उसने घोषणा की 'सारी प्रजा मेरी संतान है, जिस प्रकार में अपनी संतान के ऐहिक सुख और कल्याण की कामना करता हूँ उसी सुख के लिये भी। जैसे एक माँ अपने शिशु को एक कुशल धाय को सौंप कर निश्चित हो जाती है कि कुशल धाय संतान का लालन-पालन करने में समर्थ है, उसी प्रकार मैनें भी अपनी प्रजा का लालन-पालन करने हेतु अर्थात् सुख एवं कल्याण के लिए राजुकों (राजकीय अधिकारी) की नियुक्ति की है।'

अपने छठे शिलालेख में उसने यह घोषणा की - 'हर क्षण और हर स्थान पर चाहे वह रसोईघर हो, अन्त:पुर में हो अथवा उद्यान में, - मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यो के संबंध में सुचित करें। मैं जनता का कार्य करने के लिये सदैव तत्पर हूँ। मुझे प्रजा के हित कार्य करते रहना चाहिये।'

अशोक ने सम्राट के उत्थानवत, प्रजाहित सामाजिक न्याय को अत्यधिक संबंल प्रदान किया। उसने राजा के कर्तव्य को सर्वथा नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि- राजा प्रजा का ऋणी है, प्रजा का कल्याण करके वह प्रजा ऋण चुकाता है।

अशोक के आठवें शिलालेख तथा मास्की के लघु लेख से यह भी ज्ञात होता है कि वह साम्राज्य के विभिन्न भागों का निरीक्षाटन भी करता था, जिससे जनता के सुख-दु:ख को वह स्वयं देख सके एवम् प्रजा के निरन्तर सम्पर्क में रहे।

कलिंग लेख से ज्ञात होता है कि अकारण लोगों को कारावास तथा यातना से बचाने के लिये एवम् नगर न्यायाधीश के कार्यो का निरीक्षण करने हेतु महामात्र साम्राज्य के विभिन्न भू-भागों का दौरा किया करते थे। अपने शासन के तेहरवें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र को यह भी कार्य दिये कि वे जिन अपराधियों को कारावास का दण्ड दिया हो, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दे, सतत् उन परिवारों से सम्पर्क बनाये रखे तथा उन्हें सांत्वाना दे। घोर अपराध के लिये यद्यपि मृत्युदण्ड का विधान था, किन्तु समुचित कारण उपस्थित होने पर धम्म महापात्र न्यायाधिकारियों से दण्ड कम करवाने के प्रयत्न के भी निर्देश अशोक द्वारा दिये गये थे। जिन अपराधियों को मृत्युदण्ड दिया गया था, उन्हें तीन दिन अवकाश देने की व्यवस्था थी, ताकि इस बीच उनके संबंधी उनके जीवनदान के लिये राजुको से प्रार्थना कर सके और यदि संभव न हो सके तो वे दान-व्रत, प्रार्थना, परिजनों से भेंट करके परलोक की तैयारी कर सके। राजुकों को सख्त आदेश दिया गया कि अभिहार दण्ड में एकरूपता हो और न्याय पक्षपात रहित हो।

अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिये चिकित्सालय खुलवायें। हर औषधालय में उपयोगी औषधियों आपूर्ति की सतत् एवम् पर्याप्त व्यवस्था की। यात्रियों को मार्ग में कठिनाईयों से बचाने के लिये फलदार छायादार वृक्ष लगवाये आठ कोस या एक मील की दूरी पर, जगह-जगह कुएँ खुदवायें गये, धर्मशालाऐं, सरायें एवम् प्याऊ बनवाये गये। इस तरह अशोक द्वारा आम जनता के लिये मानवीय संवेदशील प्रशासन की स्थापना की गई।

अशोक ने अपने शासन के छब्बीसवें वर्ष में राजुकों, अभिहार तथा दण्डकों (राजकीय अधिकारियों के तत्कालीन पद) को स्वतंत्रता दी ताकि ऊपर के बिना हस्तक्षेप के लोगों को जल्दी से जल्दी राजकीय सुविधाओं का लाभ मिल सके और निर्विध्न जनता का हित करने मे समर्थ हो सके।

दूसरे एवम् तेरहवें शिलालेख से यह विदित होता है कि पड़ौसी देशों एवं अन्य सुदूर देशों से मगध साम्राज्य के संबंध पारस्परिक सदभाव, आदर-सम्मान एवं बराबरी पर आधारित थे न कि सामाजिक शक्ति एवम् आश्रित शक्ति के पारस्परिक संबंधो पर।

इन लेखों में अशोक ने जन सामान्य की भाषा पाली एवं प्राकृत में उत्कीर्ण करवाये, ताकि अधिक से अधिक जनता पढ़कर लाभान्वित हो सकें।

अशोक द्वारा धर्म यात्राऐं, झाकियाँ, जुलूस, आदि दैवीय दृश्यों जिससे जन सामान्य की रूचि धर्म में बढे। धर्म कथा, जातक कथा, श्रवण की व्यवस्था की गई, जो आम जनता का नैतिक उत्थान कर सके, उनमें मानवीय गुणों का विकास हो सके।

अशोक द्वारा देश-विदेश में 'धार्मिक मिशन भी भेजे गये, इनके साथ राज्य की ओर धन लेकर अनेक कर्मचारी जाते थे, और उन स्थानीय लोगों की सेवा संबंधी कार्य करते थे। श्रीलंका मे अशोक के पुत्र महेन्द्र द्वारा पत्थर पर नक्काशी करने की कला तथा सिंचाई प्रणाली विकसित एव्र प्रचलित की थी। इन प्रचारकों ने कई वर्कर जातियों को सभ्य बनाया था।

उपसंहार - प्रस्तुत शोध आलेख में अशोक द्वारा धम्म प्रचार का महत्व दिया गया, किन्तु उसका मुख्य उद्देश्य लोगो के सार्वभौमिक सिद्धन्तों की ओर मोड़कर अमानवीय संवेगो जैसे - क्रोध, घृणा, ईष्या, उसत्य असहिष्णुता, हिंसा पाखण्ड को खत्म करना था। यहीं वे दुष्प्रभाव थे जो मानवता के घोर शत्रु थे। इनका समूल नाश करके अशोक धम्म के माध्यम से मानवीय गुणों से औत-प्रोत, लोक राज्य बनाया। जिसमें जन कल्याण, सामाजिक न्याय, सामाजिक समता स्थापित समता करने में सफल हुआ, जिसकी पहल वर्तमान में मानवाधिकार करते है।

संदर्भ ग्रंथ सूंची :-

1. ऋग्वेद।
2. भारतीय संस्कृति कुछ विचार- डॉ राधाकृष्णन।
3. हिस्ट्री ऑफ अशोक - डॉ राधाकृष्ण मुखर्जी।
4. प्राचीन भारत का वृहत इतिहास - ब्रिटानिका।
5. प्राचीन भारत का इतिहास - द्विजेन्द्र नारायण एवं कृष्ण मोहन श्रीमाली।
6. प्राचीन भारत का वृहत इतिहास - आर.सी मजूमदार।
7. विकी पीडिया।
8. अशोक एण्ड द डिक्लाईन ऑफ मौर्य - डॉ. रोमिला थापर।
9. रिसर्च लिंक - 2000 - अप्रैल।

विवेकानंद के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता

डॉ. धीरा शाह *

प्रस्तावना – स्वामी विवेकानंद भारत के पाँच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता व संस्कृति के गौरवमयी प्रतीक हैं। 11 सितम्बर 1893 को शिकागो में हुई सर्व धर्म सभा में उन्होंने हिन्दू धर्म एवं भारतीय अध्यात्मिक दर्शन की व्यापकता, विषालता एवं उदारता का ऐसा उद्धोश किया कि पश्चिमी जगत भारत को नये दृष्टिकोण से देखने पर विवश हो गया। विश्व सम्मेलन में वे एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में उभरे। विदेशों में भारतीय दर्शन एवं चिंतन की पताका फहराने में वे अग्रणी रहे। वे केवल संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता और विचारक भी थे। उनके औजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है।

स्वामी विवेकानंद भारत के गौरवपूर्ण भाग्य में विश्वास करते थे। उन्होंने इसके लिए अथक् प्रयास किये। मानव आत्म के अमरत्व एवं एकत्व उनके जीवन का प्रमुख संदेश था। विवेकानंद के शब्दों में ज्वाला थी। उनके औजस्वी विचारों पर महात्मा गाँधी ने कहा था कि, 'स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरा प्यार हजार गुणा बढ़ गया है।' जबकि पं. जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि, 'स्वामी जी के विचारों का स्वतंत्रता सेनानियों पर गहरा प्रभाव पड़ा।' वह आधुनिक भारत के निर्माता थे।

स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के प्रतीक हैं। विवेकानंद को युवाओं से बड़ी आशाऐं थी। युवकों को उन्होंने शारीरिक एवं नैतिक रूप से शक्तिशाली, अनुशासित व आत्म निर्भर होने का संदेश दिया। शोषित वर्ग के प्रति घोर चिंता एवं विशेष लगाव था। पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों से भी वह आत्मीय सम्बंध महसूस करते थे। नव-भारत के स्वप्न द्रष्टा के रूप में स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे भव्य भारत की कल्पना की थी, जो लोकतांत्रिक होने के साथ-साथ समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों से मुक्त हो। विवेकानंद एक ऐसे भारत की स्थापना करना चाहते थे जहाँ प्रेम, सहयोग तथा बंधुत्व का साम्राज्य हो और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता हो। वह भारत की यश पताका को विश्व भर में फहरा देना चाहते थे।

मानव निर्माण उनका धर्म था। उन्होंने अपने देशवासियों को उपदेश दिया कि वे संकीर्ण प्रेम और घृणा को छोड़कर उस सम्पूर्णता का विकास करे, जो कि चरित्र की परिपूर्णता है। उन्होंने लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांत एवं व्यवहार को जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्तित्व की पवित्रता में विश्वास निहित है, को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि मानव निर्माण के धर्म में लोकतंत्र बहुत सहायक होगा। स्वामी विवेकानंद सर्वाधिक प्रतिभाशाली प्रतिनिधि के रूप में उभरे। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजी सम्पर्क को एक महत्वपूर्ण उपकरण माना, जो कि हमारे निष्क्रिय समाज और सभ्यता को विस्तार दे सकता था। उनके व्यक्तित्व में अतीत और वर्तमान, प्राचीन बुद्धिमता और आधुनिक ज्ञान समाहित थे।

स्वामी विवेकानंद का विचार था कि- 'आप जैसा सोचेगें वैसा ही बनेगें। अगर आप स्वयं को कमजोर समझते हैं, आप कमजोर रहेगें। यदि आप स्वयं को ताकतवर सोचेगें, तो ताकतवर ही बनेगें। हम जो चाहते हैं वही शक्ति है इसलिए अपने आप में विश्वास रखें।' स्वामी विवेकानंद की भारत के लोक मानस में एक विशिष्ट छवि है। उनका समुचा चिंतन एवं जीवन समुचित मनुष्यता के प्रेरणादायी होकर मार्गदर्शक हैं। विवेकानंद का मानना था कि तुम अपने ऊपर अविश्वास मत करो। तुम इस जगत में सबकुछ कर सकते हो। कभी भी अपने को दुर्बल मत समझो, सभी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं। स्वामी विवेकानंद एक प्रखर हिन्दु थे। परन्तु वे अन्य धर्मो का भी आदर और सम्मान करते थे। वे इस्लाम और ईसाईयों के सम्मानित एवं आध्यात्मिक सिद्धान्तों के प्रेमी थे तथा भारतीय जीवन एवम् विचारों में इन सिद्धान्तों के महत्व को जानते थे। इन सबसे ऊपर वे विज्ञान, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में आधुनिक विचारों के योगदान से अत्यधिक प्रभावित थे।

स्वामी विवेकानंद का विचार था कि राजनीतिक दास्ता उस समय एक चुनौती बन जाती है, जब यह सांस्कृतिक विरासत को यह निर्मूल करने और एक व्यक्ति के कार्य संचालन पर सीमाएँ बाँधने की कोशिश करती है। जिस समाज के पास इस चुनौती का सामना करने की ओजस्विता आंतरिक स्तर पर होती है, वह समाज उत्कर्ष होता है, जबकि जिसके पास वह ओजस्विता का अभाव होता है वह अपनी पराधीनता को सरलता से लेता है और वह लुप्त हो जाता है। भले ही उसके सदस्य नए शरीर एवं नई आत्मा में जीना शुरू करें। भारत के हाल के अतीत पर इस मापदण्ड को लागू करते हुए और उसके देशवासियों, हिन्दू और मुस्लिम दोनों को चेतावनी देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा- 'मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र दूसरे के समुदाय से स्वयं को अलग रखकर जीवित नहीं रख सकता और जब कभी भी इस तरह का प्रयास महानता, नीतियों या पवित्रता के झूठे विचारों के अन्तर्गत किया जाता है, उसका परिणाम हमेशा विनाशक रहा है। हमारा विश्व के अन्य देशों से अलगाव ही हमारी अवनति का कारण है और इसका एकमात्र उपचार है, विश्व की धारा में पुन: लौटना। गति जीवन की पहचान है। उपर्युक्त उद्धरण पचास वर्ष पूर्व कहे गये थे। इनमें आज भी ताजगी और जोश है।

आपसी भाईचारा एवं एकता के सम्बंध में स्वामी विवेकानंद ने जगह-जगह अपने भाषणों में उल्लेख किया है। समस्त प्रकार की वैमनस्यता, विषमता, उच्चता और निम्नता के भाव में ऊपर उठकर सम्पूर्ण विश्व को धार्मिक धरातल पर एक होने के लिए आव्हान् करते रहे।

स्पष्ट है कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयता, सहिष्णुता एवं समभाव के प्रतीक है। उनके महान संदेश की व्यापकता एवं सार्थकता के मर्म को आज हम समझें। खोये हुए भारत के गौरव को प्राप्त करने का उनका उद्देश्य रहा है। वे चाहते थे कि हम स्वयं को राष्ट्र के रूप में पहचानें, उन्होंने अपने व्याख्यानों, वार्तालापों, विचारों और लेखनी में बार-बार यही संदेश दिया है। विवेकानंदजी ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश विचार के रूप में

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

प्रस्तुत किए हैं। संसार में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो, सर्वस्व दे दो, पर बदले में कुछ न चाहो। प्रेम दो, सहायता दो, सेवा दो, किन्तु सावधान रहो बदले में कुछ लेने की इच्छा मत रखो। साहसी और निष्कपट बनो। किसी की निंदा मत करो। यदि दु:ख विपत्ति आए तो समझो ईश्वर तुम्हारे साथ खेल रहे हैं और यही समझकर दु:ख में भी परम सुखी रहो। किसी भी विषय में तुम विचलित न हो। तभी समझो की तुमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अहंकार को भूल जाओ। जब हमारा अहं ज्ञान नहीं रहता तभी हम अपना सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी फल की कामना मत करो। जो कामना शून्य होते हैं उन्हीं का कार्य फलप्रद होता है। विवेकानंद पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने बताया कि हमारे लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक विभाजन ने हमारे अध्यात्मिक एवं नैतिक व्यक्तित्व को कितना नुकसान पहुँचाया है। अनैच्छिक गरीबी उनके लिए गैर-अध्यात्मिक और अनैतिक थी। उनके अनुसार धर्म भूखे पेट के लिए नहीं है। सामाजिक असमानता और अवांछनीय पद सौपान भारतीय समाज की बीमारियाँ हैं।

स्वामी विवेकानंद की सशरीर उपस्थिति के काल के मनुष्य समाज में और आज के काल के मनुष्य समाज में जमीन-आसमान का अंतर हो गया है, लेकिन स्वामीजी के विचार समय के साथ बाध्य न होकर सर्वकालिक एवं शाश्वत सिद्ध हैं। उन्होंने सच्चे सुधारक के लिए तीन बातों की आवश्यकता बताई है। **प्रथम** तुम्हारा हृदय भावनशील हो। तुम सहानुभूति के विचारों से भरे हुए हों। यदि तुम ऐसे हो तो जान लो कि तुमने केवल प्रथम सीढ़ी पर पदार्पण किया है।

दूसरी बात तुम्हें यह सोचना चाहिए कि इन सबके लिए क्या तुमने कोई उपाय भी ढूँढ निकाला है ? या नहीं ? पुराने विचार कुसंस्कार पर भले ही निर्भर हो, परन्तु इस कुसंस्कार में भी स्वर्णमय सत्य के कण विद्यमान हैं ? सब अनावश्यक बातों को छोड़कर केवल उस स्वर्ण रूपी सत्य को पाने के लिए क्या तुमने कोई उपाय सोचा है ? यदि तुमने वैसा कर लिया है तो जान लो कि तुमने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा है। **तीसरी बात** अटल अध्यवसाय। स्वामीजी का मानना था कि मनुष्य अदूरदर्शी और उतावला है उसमें प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है। वह तुरंत फल देखना चाहता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि- 'तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं।' कर्म फल में हम क्यों आसक्त हैं ? केवल कर्म करना ही हमारा कर्त्तव्य है? कर्म फल के सम्बंध में हम तनिक भी चिंता क्यों करें ? किंतु मनुष्य को धैर्य नहीं रहता है, वह विचारपूर्वक न सोचकर मनमाना कोई भी काम करने लगता है। संसार के अधिकांश सुधारक इसी श्रेणी के गिने जा सकते हैं।

स्वामी विवेकानंद ने किसी भी देश काल एवं परिस्थिति में मनुष्य द्वारा परिवर्तन धर्मी कार्यों को प्रारम्भ करने के पहले खुद के अंर्तमन में झाँककर अपने आप को कसौटी पर कसने का जो स्वयं सिद्ध रास्ता बताया उसे छोड़कर हम हमारे मन में जो भी आए उसे ही परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन या समाज सुधार के कार्य की संज्ञा देकर आंदोलन खड़ा करने की बात करते हैं और नतीजा वहीं 'ढाँक के तीन पात' की तरह यथा स्थिति कायम रहती है।

आज की विड़म्बना यह है कि हम आदर्शों की दुहाई तो खूब देते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। हम सब जानते हैं कि प्रेम, सहयोग, शांति एवं बन्धुत्व का मार्ग श्रेयष्कर है, लेकिन फिर भी आज समाज में हिंसा व आतंक का माहौल है।

एक ओर हम आधुनिकता का दम्भ भरते हैं वहीं दूसरी ओर हम दहेज प्रथा के पाश में जकड़े हुए हैं। 1961 में ही सरकार ने दहेज निरोधक कानून बनाया था लेकिन इसके बावजूद भी दहेज अमीरी का मापक यंत्र बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने बौद्धिक एवं अध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उचित मार्गदर्शन देकर धर्म और पंथ के नाम पर बिखरती मानवता को एक सूत्र में बाँधने का उन्होंने बखूबी प्रयास किया था। प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों में जूझने और अपना मार्ग प्रषस्त करने की उनमें अनोखी क्षमता थी। वे दिव्य पुरूष थे। किंतु साधारण मानव की तरह उन्होंने धरा पर भ्रमण करते हुए मानवता की अभूतपूर्ण सेवा की। स्वामी विवेकानंद के विचार तथा ज्ञान और दर्शन आज भी प्रासंगिक है।

स्वामी विवेकानंद आधुनिक संदर्भ में मानवीय सम्बंधों के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र के विषय में पूरी तरह से जागरूक थे। पं. जवाहरलाल नेहरू ने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के पहलू की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि, 'भारत के अतीत से जुड़े और भारत की विरासत पर पूरी तरह से गर्व करने वाले विवेकानंद की जीवन की समस्याओं को सुलझाने की प्रवृत्ति आधुनिक थी। वे सचमुच भारत के अतीत व वर्तमान के बीच एक सेतु के समान थे।'

यह सत्य है कि आज आधुनिकता की दौड़ में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को विस्मृत करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वास्तविकता यह है कि उनके विचार आज भी हमारे सच्चे साथी हैं। भले ही हम व्यवस्था में परिवर्तन कर लें, अलग राज्य बना लें और चाहे हथियारों का असीम भण्डार बना लें, वास्तविक प्रगति शांति व बंधुत्व से ही सम्भव है। स्वामी विवेकानंदजी के विचारों का परिणाम यह था कि भारत की स्वतंत्रता यात्रा को नई गति मिली। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशों में अपने सर्व धर्म समभाव के विचारों को प्रस्तुत करके हमारे आत्म सम्मान तथा देश प्रेम में वृद्धि की। 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक संघर्ष करो' का नारा देकर उन्होंने हमारे देशवासियों को जाग्रत कर उनकी क्षमताओं को बढ़ाया है। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी प्रशंसा करते हुए ठीक ही लिखा है कि 'अगर अल्प भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए।' उनमें सब सकारात्मक है नकारात्मक कुछ भी नहीं।

अत: यह आवश्यक है कि उनके द्वारा बताये गये मार्ग पर चलकर समस्याओं को समाधान देने का प्रयास किया जाऐ। यदि ऐसा होता है तभी ऐसे महापुरूषों का धरा पर आगमन सार्थक हो सकेगा। उन्होंने भारतीय संस्कृति को जो योगदान दिया है वह सर्वथा अतुलनीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूंची :-

1. विवेकानंद साहित्य जन्मसती संस्करण सप्तम् खण्ड पृष्ठ 12, 13, 30,
2. विवेकानंद साहित्य जन्मसती संस्करण नवम् खण्ड पृष्ठ क्र. 201, 293, 294,
3. महान व्यक्तित्व, उपकार प्रकाशन, पृष्ठ क्र. 8-12,
4. रचना-द्विमासिक अंक 72-73 मई से अगस्त 2008 हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ क्र. 19-27
5. रिसर्च डाईजेस्ट ए क्वालिटी रिसर्च जनरल ऑफ हायर एनज्यूकेशन,वाल्यूम-1 संस्करण प्रथम, जुलाई सितम्बर 2006 पृष्ठ क्र. 45-47,
6. पत्रिका दैनिक समाचार 28 मार्च 2012।

****

पुराणों में वैष्णव मत के विविध पक्ष

डॉ. लज्जा शुक्ला *

प्रस्तावना – भारतीय संस्कृति सभ्यता एवं इतिहास के सम्यक ज्ञान के लिये पुराणों का गहन अध्ययन परमावश्यक है। पुराण भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के मेरूदण्ड है। इनके गंभीर अध्ययन के बिना भारत के अतीत का ज्ञान अपूर्ण ही रह जाता है। भारतीय इतिहास की सच्ची जानकारी पुराणों की सहायता के बिना दुर्लभ है। पुराणों की सत्ता उतनी ही प्राचीन है जितनी की भारतीय संस्कृति की।

पुराण शब्द की निष्पत्ति – आचार्य यास्क के निरूक्त (3, 19) के अनुसार पुराण की व्युत्पत्ति है– 'पुरा नवं भवति' अर्थात– जो प्राचीन होकर भी नवीन होता है। नवीन इस अर्थ में कि पुराण में समय की गति के साथ नवीन बातों का भी समावेश होता चलता था। वह अत्यंत पुरातन है काल से अपने समय तक का सारा इतिहास अपने भीतर संजोये रहता था वह एक लंबी अवधि का विश्व कोष होता था।

महवैयाकरण पाणिनि के अनुसार पुराण शब्द की निष्पत्ति पुराभवं (प्राचीन समय में होने वाला। पाणिनीय व्याकरण की इस व्युत्पत्ति से पुराण साहित्य की ऐतिहासिकता सूचित होती है पुराण इस देश के इतिहास समझे जाते थे।

इसके अतिरिक्त स्वयं पुराणों में भी 'पुराण' की व्युत्पत्ति की गई है। वायु पुराण के अनुसार पुराण की व्युत्पत्ति है– 'पुरा अनति' अर्थात– (वायु पुराण 1,203) प्राचीन समय में जो जीवित था। पदमपुराण में इसकी व्युत्पत्ति कुछ अलग है– 'पुरा परम्परां वृष्टि कामयते' अर्थात– जो परम्परा की कामना करता है, वह पुराण कहा जाता है। इन सबसे भिन्न और अधिक तर्क सम्मत व्युत्पत्ति ब्रह्मपुराण के अनुसार– 'पुरा एतत् अभूत' अर्थात् प्राचीन काल में ऐसा हुआ था।

इन सभी व्युत्पत्तियों से यह बात पूर्ण स्पष्ट हो जाती है कि पुराण का प्रतिपाद्य विषय अतीत काल की घटनायें एवं बाते थी। यही कारण है कि पुराण का नामोल्लेख प्राचीन बातों का वर्णन करने वाले इतिहास के साथ–साथ हुआ करता था। पुराण पौराणिक कल्पित बातों के साथ ही अतीत की सच्ची घटनाओं के प्रस्तावक भी समझे जाते थे।

पुराणों की प्राचीनता – ऋग्वेद की कई ऋचाओं में पुराण शब्द का उल्लेख मिलता है, किंतु वहाँ यह शब्द एकमात्र प्राचीनता का ही बोधक है। ऋग्वेद में ऐसा एक भी स्थान नहीं है, जिसके आधार पर ऋग्वेदिक काल में पुराणों की सत्ताा निर्विवाद रूप से स्वीकृत की जाए।

अथर्ववेद में 'पुराण' शब्द इतिहास, गाथा तथा नारांशसी शब्दों के साथ प्रयुक्त मिलता है (अथर्ववेद 15 काण्ड, 1 अनुवाद, 6 सुक्त,–11–12) निश्चय रूप से यहां प्रयुक्त 'पुराण' शब्द एक विशिष्ठ विद्या का बोधक है। अथर्ववेद के अनुसार ऋक्, साम, छन्द (अथर्व) और यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी उस परमात्मा से उत्पन्न हुए है जिससे कि देवों की उत्पत्ति बतलाई गई है। (अथर्ववेद, 11, 7, 24)

वैष्णवमत के विविध पक्ष – विष्णु पुरण में सृष्टि के त्राता और पोषणकर्ता के रूप में भगवान का चित्रण है तथा वर्णन किया गया है कि शिशुमार (गिरगिट या गोध) की तरह आकार वाला जो तारामय रूप देखा जाता है, उसकी पूंछ में ध्रुवतारा स्थित है यह ध्रुवतारा घूमता रहता है और इसके साथ समस्त नक्षत्र चक्र भी। इस शिशुमार स्वरूप के अनन्त तेज के आश्रय स्वयं विष्णु है। इन सबके आधार सर्वेश्वर नारायण है। इस पुराण में विष्णु को परम तेजस्वी, अजर, अचिन्त्य, व्यापक, नित्य कारणहीन एवं संपूर्ण विश्व में व्यापक बताया है।

तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मन:।
वाचको भगवच्छब्दस्तस्याद्यस्याक्षयात्मन। (विष्णुपुराण 6/5/69)

अर्थात् परमात्मा का स्वरूप भगवत् शब्द वाच्य है और भगवत् शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। वास्तविकता में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, और वैराग्य गुणों से युक्त होने के कारण विष्णु भगवान कहे जाते है। विष्णुपुराण में भगवान शब्द का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश, आना–जाना, विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान है–

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम्।
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।। (विष्णुपुराण 6/5/78)

विष्णु सबके आत्मरूप में एवं सकल भूतों में विद्यमान है इसलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है। (विष्णुपुराण 6/5/80)

जो–जो भूताधिपति पहले हुए है और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश है। एक अंश से वे अव्यक्त रूप ब्रह्म होते है, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते है, तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रचार चार तरह से वे सृष्टि में स्थित है। शक्ति के तथा सृष्टि के इन चारों आदि कारणों के प्रतीक भगवान विष्णु चार भुजा वाले है। मणि माणिक्य विभूषित, वैजन्तीमाला से युक्त, ऊपरी बायें हाथ में, शंख, ऊपरी दायें हाथ में चक्र, नीचे के बायें हाथ में कमल तथा नीचे के दायें हाथ में गदाधारी भगवान विष्णु है। विष्णुपुराण में वर्णन किया गया है कि इस जगत की निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात् शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्रीहरि कोस्तुभ मणि के रूप में धारण करते है। अनन्त शक्ति को श्रीवत्स के रूप में बुद्धिश्री को गदा के रूप में, भूतों के कारण राजस अहंकार को शंख के रूप में, सात्वि अहंकार को वैजन्तीमाला के रूप में, ज्ञान और कर्मन्द्रियों को

*अतिथि विद्वान, महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

बाण के रूप में विष्णु धारण करते है। इस प्रकार विष्णु पुराण में वर्णित विष्णु सर्वशक्तिमान, मंगलमय, शरणागतत्राता, आर्तिहर्त्ता और भक्तों के रक्षक है।

इसी प्रकार मैत्रेय के निखिल जगत की उत्पत्ति एवं विश्व के उपादान कारण के संबंध विष्णु पुराण में जिज्ञासा करने पर समाधान में महर्षि पाराशर ने कहा था– 'यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता है तथा यह जगत भी वे ही है।' एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और सहंति के लिए ब्रह्म विष्णु और शिव इन संज्ञाओं को धारण करते है। विष्णु सृष्टा (ब्रह्म) होकर अपनी ही सृष्टि करते है, पालक (विष्णु) होकर पाल्यरूप अपना ही पालन करते है और अंत में सहांकर (शिव) होकर स्वयं ही उपसंहत (लीन) हो जाते है।

विष्णु मनु आदि काल और समस्त भूतगण– ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की ही विभूतियाँ है। देवगण भी निरंतर यह गान किया करते है कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्मग्रहण किया है तथा जो इस कर्म भूमि में जन्म ग्रहण कर फल की आकांक्षा से रहित अपने कर्मो को परमात्मास्वरूप विष्णु में समर्पित करने से निर्मल होकर उन अनन्त विष्णु में ही लीन हो जाते है। इसी प्रकार अन्य एक पौराणिक स्थल पर कथन है कि विष्णु के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरूष मोक्षपद प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग लाभ की तो बात ही क्या? वह स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्नस्वरूप माना जाता है। विष्णु का जो मूर्तरूप जल है उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमलाकार पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तारागण त्रिभुवन, वन पर्वत, दिशाएं, नदियाँ और समुद्र– ये समस्त भगवान विष्णु ही है तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है, वह सब एकमात्र वे ही है, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञानस्वरूप है, अतएव वे सर्वमय है, परिच्छिन्न पद्रार्थाकार नहीं है अतएव पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानना चाहिए।

एक स्थल पर कथन है कि विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमण्डल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग निवासियों के भी वन्दनीय ब्रह्मपद और परम निवार्ण पद भी प्राप्त कर लेता है। वह जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है कम या ज्यादा विष्णु की आराधना से निश्चय ही सब प्राप्त कर लेता है।

परब्रह्म और विष्णु में अभिन्नता के निर्देश में प्रतिपादन है कि यह संपूर्ण चिराचर जगत पर ब्रह्मस्वरूप विष्णु का, उनकी शक्ति से संपन्न 'विश्व' नामक रूप है।

विष्णु का नाम ऋग्वेद के गोणरूप से आया है। कुछ ही सुक्तों में ही इनकी स्तुति का विवरण मिलता है। ये विशाल एवं विस्तृत शरीरधारी एक प्रौढ़ नवयुवक के रूप में वर्णित हुए है। अपने तीन पगों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। जिससे इन्होंने त्रिभूवन को नाप कर अपने गौरवपूर्ण वीरकार्य की प्रतिष्ठा की थी। महाविक्रमशाली होने के कारण, 'उरूगाय' और 'उरूक्रम' इनकी उपाधि है।

संहिताकाल में विष्णु सर्वप्रथम एक साधारण देवता के रूप में दृष्टिगोचर होते है। ऋग्वेद के कई स्थलों पर वे एक आदित्य मात्र समझे जाते है और दिनभर की यात्रा को केवल तीन पगों में ही पूर्ण कर देने के कारण आर्य लोग उन्हें महत्व देते तथा उनका यशोगान करते जान पड़ते है। इनके तीन पदों में से केवल प्रथम दो अर्थात पृथ्वी और अन्तरिक्ष को ही मनुष्य दृष्टिगोचर कर सकते है। तृतीय तक कोई भी नहीं पहुंच पाता। पक्षी भी वहां नहीं पहुंच सकते। 'ब्राह्मणा' की रचना के समय तक विष्णु का नाम स्वयं यज्ञ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और वे यज्ञों की सफलता में बहुधा सहायक भी समझे गये है। पुराण में काल, नारायण, भगवान और वासुदेव आदि अभिधान विष्णु के पर्याय के रूप में व्यवहृत हुए है। पुराण में प्रतिपादन मिलता है कि कालरूप भगवान अनादि है। इसे कालरूप का अन्त नहीं है इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का व्यापार कभी नहीं रूकता है। प्रलय काल में प्रधान (प्रकृति) के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरूष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु का कालरूप प्रवृत हो जाता है। सृष्टि आदि क्रियाव्यापारों में अव्यक्त स्वरूप भगवान का तृतीय रूप 'काल' ही व्यक्त होता है तथा प्रथम, द्धितीय और चतुर्थ रूप ब्रह्मा मरीचि आदि प्रजापति और संपूर्ण प्राणी है।

नारायण की विवृति में प्रतिपादन है कि भगवान (नारायण) पर है, अचिन्त्य है, ब्रह्म, शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्मस्वरूप है, अनादि है, और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। उन ब्रह्म स्वरूप नारायण के विषय में, जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है श्लोक में कहा गया है कि– नर (अर्थात् ब्रह्म पुरूष भगवान पुरूषोत्ताम) से उत्पन्न होने के कारण जल को 'नार' कहा गया है, वह नार (जल) ही उनका प्रथम अयन (निवास स्थान) है। इसलिए भगवान को यनारायण कहा गया है।

भगवान शब्द को साक्षात् ब्रह्म के पर्याय के रूप में निष्पन्न किया गया है। ब्रह्म शब्द का विषय नहीं है तथा उपासना के लिए उसका 'भगवत्' शब्द से अभिधान किया गया है। समस्त कारणों के कारण पर ब्रह्म के लिए ही 'भगवत्' शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह भगवान शब्द परब्रह्म स्वरूप वासुदेव का ही वाचक है, किसी अन्य का नहीं। जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति नाश, गमनागमन तथा विद्या और अविद्या को जानना है वही भगवान् शब्दवाच्य है। ज्ञान, शक्ति, बल, एश्वर्य, वार्य, और तेज आदि सद्गुण ही 'भगवत्' शब्द के वाच्य है।

'वासुदेव' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से संपन्न होती है। एक व्याकरण और दूसरा पौराणिक। व्याकरण के अनुसार वसुदेव का पुत्र अर्थात् देवकीनन्दन कृष्ण और पौराणिक मत के अनुसार 'वासुदेव' विष्णु का पर्याय है। पौराणिक विवरण है कि उन परमात्मा में ही संपूर्ण भूत बसते है और वे स्वयं भी सबके आत्मरूप से सकल भूतों में विराजमान है इस कारण वे 'वासुदेव' शब्द से अभिहित होते है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त वैष्णव मत के विविध पक्षों के विवरण से सिद्ध होता है कि विष्णु के अतिरिक्त कहीं अन्य कोई भी सत्ता नहीं है। वही सृष्टा है और वही सृज्यमान है अथवा सृष्टतत्व है, वही विश्वम्भर है और वही विश्व है, वही यज्ञानुष्ठाता है और वही यज्ञ है और वही इस अनुभूयमान अनन्त विश्व के अभिनेता है और वही सर्वत: दृश्यमान इस विश्वरूप से अभिनय रूप भी है। अर्थात कारण एवं कार्य उभय रूप से उस विष्णु को ही सत्ता से सारा विश्व सर्वतोव्यापेन व्याप्त है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. निरूक्त–यास्क।
2. वायु पुराण।
3. अथर्ववेद।
4. विष्णु पुराण।
5. विष्णु पुराण का भारत–सर्वानन्द पाठक।

****

दक्षिण कोसल में खानपान एवं रीति–रिवाज

डॉ. अनूप परसाई *

प्रस्तावना – देश के हृदय में स्थित मध्यप्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र 'छत्तीसगढ़' कहलाता है। प्राचीनकाल में दक्षिणकोसल, महाकोसल, दण्डकारण्य, महाकांतार, गोंडवाना आदि के कुछ भू–भाग इसमें सम्मिलित है। वर्तमान में बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव जिले के भू–भाग इस नाम की परिधि में आते हैं। पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय के अनुसार 'दक्षिणकोसल' की सीमा उत्तर में गंगा दक्षिण में गोदावरी, पश्चिम में उज्जैन और पूर्व में पूर्वी समुद्र तट तक फैली थी। वास्तव में मध्ययुग में इस क्षेत्र का गढ़ी के कारण छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। अतीत से ही यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु था। उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम के मध्यप्रदेश की एकता को अक्षुण्य बनाये रखने का महत्वपूर्ण कार्य छत्तीसगढ़ ने किया। जीवन के संचालन के लिये अनिवार्य वस्तु है भोजन, जो उस क्षेत्र के जैविक स्थिति और परंपरा पर आधारित होता है। भोजन का प्रभाव अपने समय की संस्कृति तथा समाज पर पड़े बिना नहीं रहता है। इसलिये भारतीय समाज में भोजन एवं पेय पदार्थों का महत्व वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में खानपान से संबंधित आचार–विचार एवं खाद्य–अखाद्य वस्तुओं के गुण दोषों का विस्तार से विवरण मिलता हैं ।[1] छत्तीसगढ़ अंचल से प्राप्त अभिलेखों से यह विदित होता है कि यहां शाकाहारी एवं मांसाहारी दो प्रकार के भोजन का प्रचलन था।

खाद्यान्न – छत्तीसगढ़ क्षेत्र की भूभौतिक संरचना तथा जलवायु धान की फसल के लिये सर्वोत्तम है। यहां निवास करने वाले बहुसंख्य लोगों का मुख्य खाद्यान्न धान एवं कोदो है। अभिलेखीय साक्ष्यों में अनेक ऐसे प्रसंगों का उल्लेख मिलता है, कि प्राचीन काल में भी इस क्षेत्र में धान की खेती रही होगी। महाशिवगुप्त बालार्जुन के सिरपुर अभिलेख में तोडंकण और मल्लार ताम्रपत्र में तरडंशक नामक स्थान का उल्लेख मिलता है।[2] तोडक या तोड़ी शब्द का अभिप्राय प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले धान से है। इसी प्रकार सुदेवराज के आरंग ताम्रपत्र[3] में 'तोरंडक भुक्ति' और महाशिवगुप्त ययाति तृतीय के जेठसिंह डुमरी ताम्रपत्र[4] में बृहछ भुसईग्राम का उल्लेख मिलता है। इन दोनों का संबंध धान के छिलके से है। कलचुरि शासकों के अनेक अभिलेखों में अक्षत् (चावल) का उल्लेख मिलता है[5] वर्तमान काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कुछ स्थानों में गेंहू एवं जौ की भी खेती की जाती है। किन्तु अभिलेखीय साक्ष्य में केवल कलचुरि शासक रत्नदेव तृतीय के खरौद[6] अभिलेख में 'उल्वाग्राम' का उल्लेख मिलता है। जिसका अभिप्राय गेंहू और जौ का उपयोग करने वाले गांव से है। भोजन में दालों का भी उपयोग होता था। दालों में अरहर, तीवरा, अकरी दाल का प्रयोग होता था।

मसाला एवं सब्जियाँ – शाकाहारी भोजन के अनिवार्य अंग है, साग–सब्जियाँ और इसे स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिये अनेक प्रकार के मसालों का प्रयोग प्राचीनकाल से किया जाता रहा है। वर्तमान काल में इस क्षेत्र की जलवायु अनुकूल होने के कारण विभिन्न ऋतुओं में अलग–अलग प्रकार की सब्जियों का प्रयोग किया जाता है जैसे – करेला, कुन्दरू, भिन्डी, तरोई, बरबट्टी, बैंगन, खेड़ा, मुन्गा जिमीकंद, ढेंसकादा (कमल नाल), केवटकांदा (शकरकंदी), तुमा (लौकी), कोहड़ा (कद्दू) आदि का प्रयोग किया जाता है। किन्तु मल्लार[7] अमोदा[8] अभिलेखों में तुम्माण, तुमानाका और तुम्बवन नामक स्थान का उल्लेख मिलता है। संभवत: इन स्थानों में तुमा (लौकी) अधिक होता रहा होगा। इसी प्रकार कलचुरि शासक जाजल्लदेव के रतनपुर[9] शिलालेख में हल्दीग्राम और शिवरीनारायण[10] शिलालेख में सोंटीवापट्टीका नामक स्थान का उल्लेख मिलता है। सूखा हुआ अदरक को सोंठ कहा जाता था। अन्य संदर्भ में धनिया, करायत, काली मिर्च, जीरा आदि का भी उल्लेख मिलता है। इन सभी का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता रहा होगा।

मिष्ठान एवं फलाहार – फलाहार का उपयोग प्राचीनकाल से होता रहा है। अभिलेखीय साक्ष्यों में इसके संबंध में कतिपय विवरण मिलते है। मिष्ठान का निर्माण गुड़, शक्कर एवं शहद के साथ अन्न और दूध, घी, मक्खन आदि मिलाकर किया जाता रहा है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के सेनकपाट शिलालेख[11] में 'गुड़शर्करक ग्राम' का उल्लेख मिलता है। इससे यह संभव प्रतीत होता है कि यहां गुड़ एवं शक्कर बनाया जाता रहा होगा। शरभपुरीय शासक नरेन्द्र के रावां ताम्रपत्र[12] में तोरामक ग्राम और महाशिवगुप्त बालार्जुन के सिरपुर ताम्रपत्र[13] में कोसाम्बक नामक स्थान का उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में आम को 'आमा' कहा जाता है। संभवत: उपरोक्त स्थानों का आशय आम उत्पन्न करने वाले स्थान में रहा होगा। महाभवगुप्त प्रथम जनमेजनय के कलिभना ताम्रपत्र[14] में 'जम्बुग्राम' महाशिवगुप्त कर्ण पंचम के कमालपुर ताम्रपत्र[15] में बड़केलाग्राम, कलचुरि शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के अमोदा ताम्रपत्र[16] में 'आंवला ग्राम' तथा प्रतापमल्ल के पेन्ड्राबन्ध ताम्रपत्र[17] में कायथा ग्राम का उल्लेख मिलता है। उपरोक्त विवरणों से यह सिद्ध होता है कि इस क्षेत्र में आम, जामुन, केला, आंवला, कैथ आदि के वृक्ष होते होंगे। इसी प्रकार अन्य संदर्भ में कटहल, बेर, फल आदि फलों का उल्लेख मिलता है। जल में उत्पन्न होने वाले फल सिंघाड़ा का उल्लेख महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ के कटक ताम्रपत्र[18] में सिंधोराग्राम के रूप में मिलता है। कलचुरि शासकों के अनेक अभिलेखों में नये नगर बनाने तथा उसमें अनेक प्रकार के फल–फूल वाले वृक्ष लगाने का उल्लेख मिलता है।[19] फलों उपयोग भोजन के रूप में साधु, सन्यासियों द्वारा तथा व्रत उपवास में करने की परंपरा आज भी पायी जाती है और फलाहार को शुद्ध तथा सात्विक भोजन माना गया है।[20]

भोजन पश्चात् मुखवास के लिये सुपारी, पान तथा धनिया एवं सौंफ खाने का भी प्रचलन रहा है। कलचुरि शासक रत्नदेव द्वितीय के पारागांव ताम्रपत्र[21] में वोड़ला ग्राम का उल्लेख मिलता है। जिसका आशय सुपारी है, यहां पान की खेती करने वाली बरई जाति भी पायी जाती है।

पेय पदार्थ – पेय पदार्थ के अंतर्गत मुख्य रूप से दूध, मट्ठा (मही) एवं

* विभागाध्यक्ष (इतिहास) शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

अनेक प्रकार के फलों का रस तथा मदिरा (शराब) आता है। किन्तु यहां से प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों में केवल दूध और मदिरा का ही आंशिक उल्लेख मिलता है। प्राचीनकाल में दूध का अभिप्राय केवल गाय का ही दूध से था, इसलिये अनेक अभिलेखों में गाय और भैंस दोनों के दूध का उल्लेख[22]। किन्तु वर्तमान काल में इस क्षेत्र में गाय और भैंस दोनों का दूध तथा उससे निर्मित पेय पदार्थों का समान रूप से उपयोग किया जाता है।

पेय पदार्थ में द्वितीय स्थान मदिरा का रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में मदिरा के लिये सोमरस एवं सुरा शब्द का उल्लेख मिलता है और इसके पान के संबंध में अनेक विवरण मिलते हैं[23]। मदिरा अधिकांशत: महुआ के फूल से बनाया जाता था। यहां से प्राप्त अनेक दानपत्रों में दान में दिये गये ग्राम के सीमा के अंदर आने वाले महुआ के वृक्ष का भी दान देने का उल्लेख मिलता है[24]। बालार्जुन के सिरपुर अभिलेख[25] में 'मधुवेढ़' महाभवगुप्त ययाती प्रथम के पटना ताम्रपत्र[26] में माधवील नामक स्थान का उल्लेख मिलता है। इससे यह संभव प्रतीत होता है कि इन स्थानों में मधु अर्थात् महुआ का वृक्ष अधिक पाया जाता रहा होगा। इसी प्रकार कलचुरि शासक पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र[27] में 'रसवती' दंड (गैर कानूनी ढंग से मदिरा बनाने पर लिया जाने वाला कर) का उल्लेख मिलता है। सोमेश्वर के कुरूसपाल शिलालेख[28] में 'कल्लवाड़ी' (कलारों का निवास स्थान) नामक स्थान का उल्लेख मिलता है। कलार जाति के लोगों का परंपरागत व्यवसाय मदिरा (शराब) बनाना और बेचना है।

उपरोक्त विवरणों से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही यहां के बहुसंख्य लोगों द्वारा मदिरा पान किया जाता रहा है। मदिरा, महुआ के अतिरिक्त गन्ना रस, चांवल तथा अनेक प्रकार के फलों के रस तथा ताड़ के रस से बनाया जाता है।

मांसाहारी पदार्थ – छत्तीसगढ़ क्षेत्र के भू-भौतिक संरचना तथा यहां के निवासियों का भोज्य पदार्थों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यहां भी बहुसंख्यक लोगों के शाकाहारी भोजन के साथ ही मांसाहारी भोजन का भी प्रचलन रहा है तथा मुर्गी का मांस खाया जाता था। मछली तथा कछुआ का भी मांस खाये जाने का प्रचलन मिलता हैं केवल सोमवंशीय शासक सोमेश्वर के केलगा ताम्रपत्र[29] में मछली तथा कछुआ का मांस खाने का उल्लेख मिलता है।

अन्न सत्र एवं सामूहिक भोज – अन्न सत्र का आशय उस स्थान से है जहां साधु सन्यासियों तथा ब्राह्मणों एवं अन्य असहाय गरीब व्यक्तियों को नि:शुल्क भोजन कराया जाता हो। अन्न सत्र का संचालन का कार्य पुण्य का काम माना जाता था। इसी कारण यहां से प्राप्त अनेक अभिलेखों में विविध प्रकार के अन्न सत्र का संचालन का उल्लेख मिलता है। नलवंशीय शासक स्कन्दवर्मन् के पोड़ागढ़ शिलालेख[30] में ब्राह्मणों भिक्षुओं, अनाथों के लिये अन्न सत्र के संचालन के लिये ग्राम दान करने का उल्लेख मिलता है। पाण्डुवंशीय शासक महाशिवगुप्त तीवरदेव के बलौदा ताम्रपत्र[31] में तीस ब्राह्मणों के लिये सत्र का संचालन करने का उल्लेख मिलता है।

इसी प्रकार महाशिवगुप्त बालार्जुन के सिरपुर[32], लोधिया[33] तथा मल्लार अभिलेख[34] में ब्राह्मणों भिक्षुओं तथा अनाथों के लिये विहार एवं मंदिरों में अन्न सत्र के संचालन का उल्लेख मिलता है, जिसके लिये विहार एवं मंदिरों में अन्न सत्र के संचालन का उल्लेख मिलता है, जिसके लिये ग्राम दान किया गया था। कलचुरि शासकों के रत्नपुर[35], शिवरीनारायण[36], खरोद[37] अभिलेखों में ब्राम्हणों, यात्रियों तथा अनार्यो के लिये अन्न सत्र के संचालन के लिये ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है।

मानव की यह प्रवृत्ति है कि वह एक ढंग से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे रोज और हर क्षण मनोरंजन की जरूरत होती है[38] यद्यपि हिन्दू त्यौहारों से कुछ ही लोगों की धार्मिक भावनाओं का पोषण होता है, बहुसंख्यक लोग इन त्यौहारों की धार्मिक महत्ता के प्रति प्राय: बिल्कुल उदासीन ही है, क्योंकि ये त्यौहार आम लोगों की सार्वजनिक रूप से आनंद-भोग एवं सम्मेलन के अवसर ही उपलब्ध कराते हैं। भारत में नवीन इस्लामी या मुस्लिम संस्कृति अरबों द्वारा लायी गयी थी[39] जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिवस की वर्षगांठ है जो कि भाद्रमास (अगस्त-सितंबर) के कृष्णपक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है[40] गणेश चौथ भाद्रपद (अगस्त-सितंबर) शुक्ल मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है।[41] इस प्रकार हिन्दूओं के अधिकांश त्यौहार आमोद-प्रमोद, उल्लास एवं उत्कृष्ट प्रसन्नता के त्यौहार थे। इन त्यौहारों में सभी स्थानों पर एकरूपता मिलती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. काणे, पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, खण्ड - 2, पृ. 413-436.
2 जैन, बी.सी. : उत्कीर्णलेख, पृ. 36-38.
3. ए.ई. भाग - 23, पृ. 19.
4. राजगुरू एस.एन., इंस्क्रिप्सन्स ऑफ ओरिसा, भाग 4 पृ. 218-224.
5. मिराशी, कापर्स इंस्क्रिप्सन्स इंडिकेरम, भाग 4, खंड 2 पृ. 394-560.
6. वही, पृ. 539.
7. जैन, बी.सी. उत्कीर्णलेख पृ. 44.
8. का.इ.इ. भाग - 4, खंड - 2, पृ. 514.
9. वही, पृ. 406.
10 वही, पृ. 536.
11. वही, पृ. 414.
12 वही, पृ. 522.
13. राजगुरू, एस.एन., इंस्क्रिप्सन्स ऑफ ओरिसा, भाग 4, पृ. 47-54.
14. ज.इ.सो.इ. भाग 6, पृ. 44-45.
15. शास्त्री ए.एम., इंस्क्रिप्सन्स ऑफ शरभपुरीय पाण्डुवंशीय एण्ड सोमवंशी, पृ. 379.
16. इंडियन हिस्ट्रीक्वाटरली, भाग 20, पृ. 245.
17. शास्त्री ए.एम., पूर्वोद्धृत, पृ. 363.
18. का.इ.इं. भाग - 4, खंड 2, पृ. 477.
19. वही, पृ. 547.
20. ए.ई. भाग - 3, पृ. 351.
21. जैन बी.सी. उत्कीर्ण लेख, पृ. 66-148.
22. काणे पी.वी. धर्मशास्त्र का इतिहास पृ. 413-436.
23. का.इ.इ. भाग 4, खंड 2 पृ. 514.
24. जैन बी.सी., उत्कीर्ण लेख, पृ. 6-157.
25. काणे पी.वी. धर्मशास्त्र का इतिहास खण्ड - 1, पृ. 428-30.
26. शास्त्री, ए.एम. पृ. 6-14.
27. राजगुरू, एस.एन. भाग - 4, पृ. 69-80.
28. वही, पृ. 167-172.
29. ए.ई., भाग-10, पृ. 37-38.
30. शास्त्री, ए.एम. पृ. 319.
31. ए.ई., भाग, भाग-21, पृ. 153-57.
32. वही, भाग - 7, पृ. 153-57.
33. वही, भाग-7, पृ. 102-7.
34. जैन, बी.सी. उत्कीर्ण लेख पृ. 36.
35. राजगुरू एस.एन. भाग 4 पृ. 85-90.
36. ए.ई. भाग 22, 113-30.
37. राम, सिद्धेश्वर, नारायण, पैराणिक धर्म एवं समाज, पृ. 321
38. वही पृ. 322
39. डॉ. ईश्वरी प्रसाद : भारतीय मध्ययुग का इतिहास, पृ. 49-50.
40. गुप्ते, बी.ए., हिन्दू हालीडेज, पृ. 95-96.
41. दास, वनमाली : इच्छावतीहरन पृ. 8.

बघेलखण्ड का आर्थिक इतिहास - एक अध्ययन

डॉ. शालिनी शुक्ला *

शोध सारांश – भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित बघेलखंड का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है । विन्ध्य की कैमोर और मैकल श्रृंखलाओं की चोटियों और उपत्यकाओं के बीच स्थित बघेलखंड प्रकृति देवी की क्रीड़ा भूमि जैसा प्रतीत होता है। जिसके ललाट पर पुण्य सलिला तमसा नदी का मंथर प्रवाह एवं शीर्ष भाग पर पुरवा, चचाई, क्योटी और बहुती के जलप्रपात हरहरा रहे हैं तथा जिसके दक्षिण में पतित पावनी नर्मदा और सोनभद्र का उद्गम है वहीं पूर्वी भाग में देवसर, सिंगरौली के गहन अरण्यों में सिंहों की गर्जना सुनाई देती है। जिसके पश्चिमी घाट से बुन्देलखंड की सुहावनी घाटियों के सुरम्य दृश्य दिखाई देते हैं। इन प्राकृतिक सुरम्य सुषमाओं से सुशोभित बघेलखंड के नाम से जानी जाने वाली यह भूमि अलौकिक एवं आनन्दमयी है।

प्रस्तावना – किसी भी समाज के विकास तथा जीविकापार्जन के लिये धन का होना आवश्यक है। पंजाब की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है ' पेट न पैयां रोटियां ता सवे गल्लां खोटियां ' अर्थात जब तक मनुष्य के पेट में खाना नहीं जाता मनुष्य भूखा है, तो उसके लिये संसार एवं जीवन की सभी वस्तुयें दृश्य और सौन्दर्य निरर्थक है। मानव अतीत में रोटी की तलाश में ही जोखिम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह बसा और अपना निवास बसाया। बघेलखंड का आर्थिक इतिहास मानव जीवन में आजीविका प्राप्त करने के संसाधनों का इतिहास है। मानव किस तरह जीवन के लिये उत्पादन करता है, खेती करता है, व्यापार करता है, अन्य मानवों से संबंध बनाता है तथा अर्थ के आधार पर ही मानव संबंधों की खोज करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार मनुष्य के जीविकापार्जन के लिये धन का होना अति आवश्यक रहा है।

बघेलखंड का क्षेत्र कृषि प्रधान था। यहॉ के निवासियों की मुख्य जीविका का साधन कृषि था तथा सभी व्यवसायों में कृषि को उत्तम समझा जाता था। जैसा कि यहॉ प्रचलित एक कहावत आज भी प्रसिद्ध है –

'उत्तम खेती मध्यम बान '
'निकृष्ट चाकरी भीख निदान'

तात्पर्य यह है कि व्यवसायों में कृषि को उत्तम, व्यापार को मध्यम, नौकरी को निम्न और भिक्षा को सबसे घृणित कार्य समझा जाता था। कृषि का प्रत्येक कार्य स्वंय अपने हाथों से करने वाला किसान एक उत्तम कृषक माना जाता था।

बघेलखंड में मुख्य रूप से दो फसलें होती थीं –

1. **खरीफ (सियारी)** – यह फसल वर्षा शुरू होते ही जून जुलाई में बोई जाती थी और अक्टूबर नवम्बर में काटी जाती थी जिसमें धान, कोदों, ज्वार, बाजरा, मूँग, उड़द, अरहर, मक्का, कपास, आदि अनाज मुख्य रूप से बोये जाते थे।
2. **रबी (उन्हारी) –** यह फसल ठंडी के प्रारंभ में अर्थात अक्टूबर नवम्बर में बोई जाती थी तथा मार्च–अप्रैल में काटी जाती थी जिसमें गेहूँ, चना, जौ, मसूर, अलसी, सरसों आदि फसलें मुख्य हैं। सामान्यत: यहॉ हल के द्वारा जुताई की जाती थी तथा किसान खाद के रूप में गोबर की खाद का उपयोग करते थे। कृषि पूर्णत: वर्षा पर निर्भर थी। लेकिन कुछ भागों में कुऑ से ढेकुली के जरिये पानी खींच कर अपने खेतों में किसान सिंचाई करते थे। इस क्षेत्र में खेती के साथ आय प्राप्ति के साधन लघु उद्योग थे परन्तु यहॉ के लोग उद्योग धंधों की अपेक्षा कृषि को ही प्रधानता देते थे। इसलिये यहॉ सामाजिक जरूरतों से संबंधित उद्योग धंधों के अलावा अन्य उद्योगों का विकास नहीं हो सका। इन सामाजिक उद्योग धंधों में युद्ध सामग्री के रूप में तीर का फर सोहागपुर (शहडोल) और सिंगरौली में बनाया जाता था। अन्य सामानों में सरौता, चाकू, कुदाल, कुल्हाड़ी और बर्तन बनाये जाते थे जिनमें सरौता सबसे प्रसिद्ध था। सोने–चॉदी के गहने बनाने में यहॉ के सोनार काफी निपुण थे जो ककुनिहा, कंठा, गोफकुंज, कटवा, बेसर और दामिनी जैसे गहनों को निर्माण करते थे। सस्ती धातुओं जैसे पीतल, तॉबा, कसकुट, आदि के काम करनेवाले कारीगर को अवधिया कहा जाता था। ये इन धातुओं के गहने और बर्तन बनाते थे। यहॉ के जंगलों से लाख, बड़ी मात्रा में प्राप्त होता था इसलिए यहॉ पर लाख के गहनों का काफी प्रचलन था। लाख का काम करने वाले लोगों को लखेर कहा जाता था। लाख की बनी वस्तुयें राज्य के बाहर भी भेजी जाती थीं। लकड़ी की वस्तुओं में हुक्के की निगाली, बसीठा (उन्ठा), रूला, घड़ी, शतरंज और चौपड़ की गोटियों आदि का निर्माण किया जाता था। यहॉ का बना हुआ नारियल का हुक्का काफी मशहूर था जिसे अन्य राज्यों में भेजा जाता था इन वस्तुओं का निर्माण करने वाले (कुन्देर) कहे जाते थे। वर्तमान समय में यहॉ के कुन्देर के द्वारा बनाई गई सुपाड़ी की छड़ों और अन्य सजावटी सामग्रियॉ काफी प्रसिद्ध हैं। गंजी नामक साधारण मोटे कपड़े की बुनाई का कार्य इस क्षेत्र में लम्बे समय से होता रहा है। कोरी, जुलाहे, पनिका और लहगीर लोग यहॉ पर कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। रंगसाजी करने वाले 'रंगरेज' और 'छीपा' कहे जाते थे जो साधारण कपड़ों की रंगाई के अतिरिक्त राजसी ठाटबाट के लिये काम आनेवाली जाजिम, दरी और गलीचा की रंगाई छपाई करते थे। यहॉ के लोग जातिगत व्यवसाय करते थे जैसे नाई बाल काटने का कार्य, धोबी कपड़े धोने का कार्य, तेली तेल निकालने का कार्य (कोल्हू द्वारा), दर्जी कपड़े सिलने का कार्य, चर्मकार चमड़े का, कुम्हार मिटटी के बर्तन बनाने का , बसोर बॉस की वस्तु बनाने का व्यवसाय करते थे। इस प्रकार यहॉ छोटे छोटे उद्योग

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

धंधे सामाजिक जरूरतों के होने के अलावा अन्य बड़े उद्योगों का विकास धीरे धीरे हुआ।

बघेलखंड का व्यापार उन्नत अवस्था में था। कृषि के विस्तार उत्पादन में वृद्धि एवं सामाजिक फसलों की उन्नति के फलस्वरूप जहॉ एक ओर स्थानीय व्यापार में वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर स्थानीय व्यापारिक केन्द्रों से व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान भी दूसरे राज्यों में हुआ।

उत्पादन में अधिकता व्यवसायिक सामग्री के उत्पादन तथा राजस्व में नगदी प्राप्त करने के फलस्वरूप स्थानीय एवं बाह्य व्यापार का विस्तार हुआ। कुछ गॉवों एवं कस्बों में मंडियॉ व्यवस्थित हो गईं जहॉ से खाद्यान्न, व्यापारिक फसलें और जानवरों का व्यापार होने के साथ ही व्यापारिक वस्तुओं का आदान- प्रदान भी शुरू हुआ।

कस्बों की व्यापारिक क्रियाओं में अधिक क्रियाशीलता का कारण हाट था जिनके आयोजन में राज्य कर्मचारी महत्वपूर्ण कार्य करते थे। इन बाजारों में किसान अपनी उपज बेचने के अतिरिक्त फल, कपड़ा, नमक, मसाला, चीनी, लाख, चमड़ा, हुक्का, सरौता, पान, कत्था, काठ से बनी वस्तुओं तथा कालीनों आदि की खरीदी बिक्री होती थी परन्तु कुछ बाजार विशिष्ट वस्तुओं के साथ पशुओं के व्यापार के लिये भी प्रसिद्ध थे।

राजाओं का जीवन वैभव से परिपूर्ण था तथा उनसे प्रेरित होकर अमीर लोग भी अपना अधिकांश धन का व्यय आमोद-प्रमोद तथा विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करते थे। अधिकारियों को अच्छी तनख्वाहें मिलती थी तथा राजाओं के मनोरंजन के लिये कवि, संगीतकार, नर्तकियों को रखा जाता था तथा अच्छे कलाकारों को बहुमूल्य वस्तुये भेंट में दी जाती थी। निम्नवर्ग के कर्मचारी मजदूर व अकुशल कलाकारों का जीवन दरिद्रता से परिपूर्ण तथा दुखमय था। उन पर सदा आर्थिक विषमता के बादल छाये रहते थे। मजदूरों को उनके श्रम के बदले बहुत कम वेतन मिलता था तथा कभी कभी उन्हें बेगार का भार भी उठाना पड़ता था। उनके निवास स्थान अत्यंत सोचनीय थे तथा दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का भी नितान्त अभाव बना रहता था। दस्तकारों तथा कारीगरों की दुर्दशा थी। यदि कारीगरों तथा दस्तकारों को प्रोत्साहन दिया जाता तो लाभप्रद ललितकला की उन्नति होती किन्तु ये सब तिरस्कृत थे। बड़े लोगों के द्वारा इनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता था तथा परिश्रम के बदले पर्याप्त मजदूरी भी नहीं दी जाती थी।

निष्कर्ष - उपर्युक्त विवेचन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि बघेलखंड का क्षेत्र कृषि प्रधान था तथा सभी व्यवसायों में कृषि को उत्तम समझा जाता था तथा धीरे धीरे यहॉ लघु उद्योग स्थापित होने के साथ साथ व्यापारिक उन्नति हुई। राजाओं, अधिकारियों तथा बड़े व्यवसायियों का जीवन वैभवपूर्ण था लेकिन कर्मचारियों, श्रमिकों तथा अकुशल कलाकारों का जीवन दरिद्रतापूर्ण तथा दुखमय था। उन पर सदा आर्थिक विषमताओं के बादल छाये रहते थे तथा मजदूरों को बाजारों से बुलाकर बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था तथा कार्य समाप्त होने पर पर्याप्त मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। अर्थात समाज में आर्थिक विषमतायें फैली हुई थीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. देवेन्द्र सिंह 'बघेलखंड के प्रमुख गॉवों एवं नगरों का अभिधान मूलक एवं भाषिक अध्ययन' पृ0 सं0 71
2. बघेलखंड और बघेली भाषा - आलेख डा0 टीकमसिंह तोमर, नेशनल टुडे न्यूज समाचार पत्र।
3. डॉ. सुशील कुमार दुबे - विन्ध्याचल के बघेल राज्य पृ0 सं0 223 - 224.
4. जीतन सिंह - रीवा राज्य का दर्पण, पृ0 सं0 106
5. डॉ. एस0 अखिलेश - रीवा राज्य का इतिहास पृ0 सं0 90
6. बी0एल0 गुगेरिया - भारत का आर्थिक इतिहास पृ0 सं0 5 - 6

****

दक्षिण कोसल के पर्व एवं त्यौहार

डॉ. अनूप परसाई *

प्रस्तावना – देश के हृदय में स्थित मध्यप्रदेश का दक्षिण पूर्व क्षेत्र 'छत्तीसगढ़' कहलाता है। प्राचीनकाल में दक्षिणकोसल, महाकोसल, दण्डकारण्य, महाकांतार, गोंडवाना आदि के कुछ भू–भाग इसमें सम्मिलित है। वर्तमान में बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव जिले के भू–भाग इस नाम की परिधि में आते हैं। पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय के अनुसार 'दक्षिणकोसल' की सीमा उत्तर में गंगा दक्षिण में गोदावरी, पश्चिम में उज्जैन और पूर्व में पूर्वी समुद्र तट तक फैली थी। वास्तव में मध्ययुग में इस क्षेत्र का गढ़ी के कारण छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। अतीत से ही यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु था। उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम के मध्यप्रदेश की एकता को अक्षुण्य बनाये रखने का महत्वपूर्ण कार्य छत्तीसगढ़ ने किया।

पर्व एवं त्यौहार हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सांस्कृतिक समृद्धि किसी देश की सभ्यता को ऊँचाई तक पहुँचाते हैं। इन पर्वों से सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, मिलजुलकर आनंद मनाना एवं दूसरों के आनंद में सम्मिलित होना। इस प्रकार बंधुत्व और एकता का संदेश लेकर ये पर्व हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि अपने उल्लास और सुख को मिल बांटकर और अधिक विस्तारित करने की इच्छा निहित रहती है। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक सौदर्य अनेक पर्वों की पृष्ठभूमि तैयार करती है। यहां वर्ष भर त्यौहार मनाये जाते हैं। प्रकृति का हर मौसम यहां सुख और समृद्धि लेकर आता है। छत्तीसगढ़ की परम्परागत मान्यता और सौन्दर्य सहज ही दृष्टिगोचर होता है। जो इन त्यौहारों में उत्सवों एवं पर्वों में इन्द्रधनुषी माहौल पैदा कर देते है। ये पर्व छत्तीसगढ़ की जनभावना एवं परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं[1] दक्षिण कोसल में भी वर्षा के आगमन से समस्त प्रकृति हरी–भरी हो जाती है। अपने हरे–भरे खेतों को देख जन समुदाय आनंद से झूम उठता है और यहीं से उत्सवों का आरंभ होता है।[2]

त्यौहार को यहां 'तिहार' कहते है। छत्तीसगढ़ में लगभग हिन्दूओं के सभी त्यौहार और सभी व्रत प्रचलित है। विशेषकर द्विजों में एकादशी का व्रत लगभग अनिवार्य रूप से वृद्ध लोग रखते हैं, ऐसे विप्रों का अकादमिया वामन कहते हैं। त्यौहार की परम्परा में होली का महत्व अधिक है। इनके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित त्यौहारों का प्रचलन देखने को मिलता है रामनवमी, भीमसेनी एकादशी, हरेली (हरियाली), नागपंचमी, राखी, पुन्नी या रक्षाबंधन, भोजली (कजली) बहुरा चौथ, खमरछठ, जन्माष्टमी, तीजा (हरितालिका) गणेश उत्सव, पितृमोक्ष, नवरात, भाईदूज, दशहरा, देवारी (दीवाली) आदि । चार प्रकार के उत्सर्ग हैं – (1) जलोत्सर्ग, (2) मठोत्सर्ग (3) वनोत्सर्ग (4) वृषोत्सर्ग प्रसिद्ध है[3]। त्यौहारों के अवसर पर नृत्य व गीतों की प्रधानता रहती है।[4] वर्ष भर के पर्वों में पूर्वानुसार श्रृंगार करने की परंपरा है, जो गौरव का प्रतीक है। सर्वप्रथम 'रामनवमी' इस पर्व में भगवान का अभिषेक, पूजा, श्रृंगार, चंदनादि की विशेषता है। अक्षय–तृतीया पर्व में भगवान श्री बालाजी, डोल पर विराजमान होते हैं, उन्हें महानदी के जल में सर्वांग स्नान कराया जाता है। तदुपरांत दैनंदनी आरंभ किया जाता है। रथोत्सव काल 'रथयात्रा' पर्व पर भगवान श्री जगन्नाथ जी को रथारूढ़ किया जाता है, यह श्री राजीव लोचन मंदिर से निकला है। 'रक्षाबंधन' इस पर्व में भगवान श्री राजीव लोचन का मोहनी रूप में श्रृंगार किया जाता है। मान्यतानुसार भगवान विष्णु के द्वारा मोहनी रूप लेकर भस्मासुर को भस्म किया गया। 'जन्माष्टमी' पर्व में भगवान का जन्मोत्सव, पूजा, श्रृंगारादि, त्यौहार भजन का स्वरूप विशेष रूप से देखने को मिलता है। यहां पर स्मरणीय है कि इसी दिन वर्ष में एक बार मंगला आरती की जाती है जिसका विशेष महत्व है। दशहरा, दीवाली, पर भगवान का यदुवंशी रूप में पृथक–पृथक श्रृंगार किया जाता है। संपूर्ण मंदिर परिसर में दीपों के जगमगाहट की रौनक निखर उठती है जो लुभावना होता है। तुलसी विवाह (जेठौनी) पश्चात् विवाहोत्सव का सिलसिला आरंभ होता है।[5]

बसंत पंचमी को भगवान को नौका विहार के लिये निकाला जाता है। इस दिन आम के वृक्षों में खिले मौरों को शोभायमान किया जाता है। 'माघ पूर्णिमा' पर लगने वाला मेला भगवान श्री राजीवलोचन के जन्मोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 'महाशिवरात्री' इस दिवस भी राजीवलोचन मंदिर के भगवान की ओर से श्री कुलेश्वर महादेव का रूद्रभिषेक पूजा, श्रृंगारादि किया जाता है। तदनुपरांत 'होली पर्व' इस पर्व की भव्यता देखते ही बनती है, भगवान को पगड़ी के साथ श्वेत वस्त्राभूषण से सुशोभित किया जाता है। शेरवानी (जामा) जो 30 गज लम्बे वस्त्र का बना होता है, से श्रृंगार किया जाता है। इन पर्वो के पश्चात रक्षाबंधन, दीपावली व होली पर्व स्मरणीय है। जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। मोहनी श्रृंगार संभवत: अन्यत्र दुर्लभ है, यह पुरातन प्रथा है जो अमिट है।[6]

मेलों का उद्भव और विकास – हिन्दू समाज में त्यौहारों की तरह मेलों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। मेलों से धार्मिक तथा सामाजिक दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होती थी। उन दिनों, जब कि आवागमन के साधन पिछड़े एवं धीमी गति वाले थे, सभी प्रदेशों के सभी जातियों के हिन्दू लोगों के लिये मेले, मेलमुलाकात या सम्मेलन के आधार होते थे।[7] छोटे–छोटे स्थानीय अथवा प्रादेशिक अन्तर्भिन्नताओं को मिटाने के लिये ये मेले उपयोगी साधन स्वरूप होते थे। ये मेले हिन्दूओं को उनकी संस्कृति एवं धार्मिक विश्वास की तात्विक एकता की अनूभूति कराते थे। प्रारंभ से प्रत्येक सूबे में बहुत से स्थानीय मेले लगा करते थे जो कि अक्सर किसी महान व्यक्ति की पुण्य स्मृति में लगते थे अथवा हमारे अवतारों से सम्बद्ध किसी घटना से संबद्ध होते थे। प्रति वर्ष साल भर में कुछ निश्चित दिनों पर भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर हिन्दूओं के बडे–बड़े मेले भरते थे।[8]

तीर्थ स्थलों के मेले – हरिद्धार, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, उज्जैन, द्धारका तथा जगन्नाथपुरी के मेले सर्वाधिक महत्व के मेले थे। प्रयाग, हरिद्धार तथा कुरूक्षेत्र के कुंभ मेलों को बहुत महत्व दिया जाता था तथा ये मेले आज की ही तरह लाखों श्रद्धालुओं को आकृष्ट करते थे।[9] प्रयाग गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है[10] हरिद्धार हिन्दूओं का पवित्र तीर्थस्थल रहा है। हरिद्धार का

* विभागाध्यक्ष (इतिहास) शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

प्राचीन नाम मायापुर या गंगाद्वार था।[11] उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जयिनी था[12] राजा विक्रमादित्य और अशोक महान जैसे शासको ने यहां शासन किया।[13]

सुरभ्य सलिला पैरी, सोंढूर व महानदी की अपनी धार्मिक महत्ता है। नदी तट से कुछ दूरी पर स्थित है, श्री भगवान राजीवलोचन का मंदिर व नद्याकोश त्रिवेणी संगम मध्य में भगवान श्री कुलेश्वर नाथ का मंदिर, सदियों से श्रद्धालुजनों के आकर्षण का केन्द्र है। राजिम का यह प्रसिद्ध देवालय 8वीं शताब्दी का माना जाता है। भगवान श्री राजीवलोचन का मंदिर चतुर्भुज आकार में निर्मित है जिसमें क्रमश: उत्तर व दक्षिण दिशाओं में परिक्रमा पथ बने हुये हैं व प्रवेश द्वार भी उत्तर दक्षिण दिशाओं में है। प्रवेश द्वार के मध्य भगवान गरूड़ जी हाथ जोड़े हुये हैं, मुद्रा में सुशोभित महामण्डप प्रस्तर खम्बो के सहारे बना हुआ है। सिंहासन पर नित्य प्रतिदिन पंच प्रतिमाभिषेक श्रृंगार, चंदन पूजनादि किया जाता है। भगवान के श्री विग्रह के दर्शन मात्र से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार के समीप श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर के अतिरिक्त जगन्नाथ मंदिर का प्रवेश द्वार भी है। पश्चात् मुख्य मंदिर के चारों ओर क्रमश: भगवान श्री नरसिंह अवतार, श्री बद्री अवतार, श्री वामनावतार एवं श्री वराह अवतार के मंदिर है। मुख्य मंदिर के सम्मुख साहेब चौरा है।

राज राजेश्वर महादेव, श्री दानादानेश्वर महादेव, श्री सूर्य भगवान, श्री विष्णु जी व माता श्री सती व राजिम भक्तिन मंदिर तदुपरांत प्राचीन मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जहां से त्रिवेणी संगम स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस द्वार के ललाट बिम्ब पर राजिम का पूर्ण प्राचीन नाम कमल क्षेत्र पद्मावती पुरी अंकित है।[14] नदी तट पर श्री भूतेश्वरनाथ महादेव व श्री भूतेश्वरनाथ महादेव वट वृक्ष तले श्री हनुमान जी व मार्ग के दानों ओर माता सती का मंदिर है। त्रिवेणी संगम मध्य में श्री कुलेश्वरनाथ का मंदिर, व माता दुर्गा का मंदिर है। चबुतरे पर विशाल नदी जो पालथी लगाये विराजमान है, श्री गोपाल, पीपलेश्वर महादेव, गंगा, गणेश व अन्य प्रतिमाएं सुशोभित हैं। इस मंदिर में प्राचीन पीपल का वृक्ष है, जो इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाता है। प्रवेश हेतु त्रिदिशाओं में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ तीन दिशाओं के साथ-साथ तीन तहसीलों का भी बोध कराती हैं क्रमश: उत्तर में रायपुर, दक्षिण में धमतरी, पूर्व में राजिम। इस मंदिर से लगभग 150 गज की दूरी पर कभी यहां पर बेल के अधिकाधिक वृक्ष थे, जिससे इस स्थल का वर्तमान नाम बेला ही हुआ। यह स्थल भी पर्यटकों का लोकप्रिय स्थल है। राजिम में पंचकोशी यात्रा भी की जाती है। यह यात्रा कार्तिक से प्रारंभ होकर पौष पूर्णिमा के दिन समाप्त की जाती है। यात्रा कुलेश्वरनाथ महादेव से प्रारंभ कर भी चंपेश्वर महादेव, श्री ब्रम्हेश्वर महादेव, श्री फणेश्वर महादेव, श्री कोपेश्वर महादेव पश्चात् श्री कुलेश्वर महादेव में समापन किया जाता है।

छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ होने के साथ साथ राजिम ने ऐतिहासिक, पौराणिक धार्मिक महत्व को भी संजोया है। समूचे छत्तीसगढ़ में पर्व मानने की परंपरा इस मंदिर में विद्यमान है। यह समूचे छत्तीसगढ़ के लिये गर्व की बात है।[15] राजिम में प्रवाहित तीन नदियों की जलधारा में अस्थि-विसर्जन, पिण्डदान भी किया जाता है। पर्व मनाने की प्रथा मानस पटल पर रच-बस गयी हैं। दूरदराज से दर्शन के लिये श्रद्धालुओं का आगमन होता रहता है किन्तु माघ पूर्णिमा का मेला यहां भगवान श्री राजीवलोचन के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अत: श्रद्धालुजन पुण्य सलिला नदियों में पुण्य स्नान हेतु भी आते हैं।[16] रायपुर जिले के राजिम नामक स्थान पर यह मेला प्रतिवर्ष फाल्गुन माह (फरवरी-मार्च) में लगता है, जो एक माह तक चलता है। यहां अनेक मंदिर है, जिनमें पांच शिव मंदिर है। किंवदन्ती है कि जब ईश्वर सृष्टि रचना कर रहे थे, तब एक कमल की पत्ती उनके हाथ से गिर पड़ी, जहां वह पत्ती गिरी वहां पांच शिव मंदिर बन गए वहीं से यह मेला भरने लगा।[17]

भारत में मेलों की संगणना 1961 की जनसंख्या संगणना के साथ आयोजित की गयी थी। इस सिलसिले में मेलों के इतिहास और स्वरूप के बारे में उपयोगी जानकारी जमा की गयी थी। हमारे देश में मेलों में आर्थिक सामाजिक जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मेले निश्चित स्थान पर नियम से खुले मौसम में भरते हैं और स्थायी बाजार का काम करते हैं। क्षेत्रों में रहने वाले कारीगरों, दस्तकारों और उत्पादकों को अपनी कला के प्रदर्शन और अपना माल बेचने का मौका इन मेलों से मिलता है। ये मेले जहां देश के आर्थिक जीवन की छोटी धाराओं को बड़ी धाराओं से जोड़ते आये हैं, वहां वे धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों से जुडे मिलते हैं। शायद ही किसी देश के आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धाराओं का ऐसा संगम हुआ । ये मेले अकसर थल और जल के प्राचीन व्यापार मार्ग पर ही जुड़ते थे। आज ये मेले अतीत के व्यापार व्यवसाय के पथों की ओर संकेत करते हैं। रायपुर संभाग में 78 मेले भरते हैं, कुल म.प्र. में प्रतिवर्ष 1395 मेले भरते हैं। कार्तिक, माघ तथा फाल्गुन के महीने भी मेलों की बहुलता के महीने कहे जा सकते हैं। भारतीय मेलों पर मौसम और कृषि का प्रभाव स्पष्ट है।[18]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सीताराम, 'छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्यौहार' खण्ड - 2, 'वयं प्रभा' रजत जंयती विशेषांक पृ. 94, सन् 1988.
2 पूर्वोक्त, पृ. 94-97 तक, सन् 1963-88.
3. शर्मा, डॉ. पालेश्वर प्रसाद 'छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परम्परा' पृ. 71 से 88 सन् 1990.
4. शुक्ल, अभिनंदन ग्रंथ, पृ. 45 सन् 1955.
5. हेविट सेटलमेंट रिपोर्ट, पृ. 48.
6. चीशम सेटलमेंट रिपोर्ट, पृ. 63, 1929.
7. राजेन्द्र मनु, 'साहित्य संगम' पत्रिका, पृ. 51, 1996.
8. पूर्वानुसार पृ. 51.
9. चोपड़ा पी.एन. सम आसपेक्ट्स ऑफ सोसायटी एण्ड कल्चर ड्युरिकंग दी मुगल एज, द्वितीय संस्करण, पृ. 107, 1963.
10. सरकार, यदुनाथ, 'औरंगजेब', अनुवाद डॉ. रघुवीर सिंह, प्रथम संस्करण, पृ. 199, जिल्द - 5, 1951.
11. चोपड़ा, पी.एन. सोसायटी एण्ड कल्चर इन मुगल एज, द्वितीय संस्करण, पृ. 107, 1963.
12. सिद्धेश्वर, नारायण, राम 'पौराणिक धर्म एवं समाज', पृ. 135, 1968.
13. चतुर्वेदी व द्वारिका प्रसाद शर्मा, हिन्दू तीर्थ, संग्रहकर्त्ता, पृ. 88, 1914.
14. डॉ. हेमचन्द्र, रायचौधरी, प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास, पृ. 233, 1976.
15. त्रिपाठी, रमाशंकर 'प्राचीन भारत का इतिहास' पृ. 124, 1962.
16. राजेन्द्र मनु, 'लेख-नवभारत, रायपुर दैनिक' पृ. 4, 22 फरवरी सन् 1997.
17. पूर्वाक्त पृ. 4.
18. पूर्वाक्त पृ. 4.

****

एक युगांतरकारी विचारक - महावीर

डॉ. आशा चौधरी *

प्रस्तावना – आज जैन धर्म की जो अवधारणा हम देखते हैं वह महावीर के ही विचारों का ही परिणाम है। उसमें महावीर के विचारों का सार निहित है कि मानव के मानव होने के लिये सर्वप्रथम अपने हृदय को परिशुद्ध करना होगा। उस शुद्ध हृदय में ही धर्म का निवास होना संभव है। अत: वे मानव के हृदय की शुद्धि की बात करते हैं। जब तक हृदय में मैल भरा है तब तक मानव को कोई धार्मिक उपलब्धि होनी संभव नहीं है। चाहे वो कितना ही ढकोसला अपना ले।

अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को जीत चुके महावीर जिन अथवा जिनेंद्र कहे जाते हैं। आगे चलकर हालांकि जैन धर्म में अनेक परिवर्तन हुए किंतु मूल रूप में यह धर्म आज भी महावीर के विचारों, मान्यताओं व वचनों को ही अभिव्यक्त करता है।

जियो और जीने दो के सिद्धांत के प्रचारक–महावीर के धर्म में धर्माचरण की कोई अनोखी व कड़ी शर्तें नहीं थी। उनके धर्म के मार्ग सबके लिये खुले थे। उनके लिये सब एक समान थे। सभी आत्माऐं एक जैसी ही थी अत: उनका स्पष्ट मत था कि मानव अन्य मानवों के प्रति वही व्यवहार व विचार रखे जिसकी वह स्वयं के लिये अन्यो से अपेक्षा रखता हो। इसको सरल-सादे शब्दों में **जियो और जीने दो** का सिद्धांत कहा जाता है। यह तात्कालीन कोरे पांडित्यपूर्ण, कोरे कर्मकांडीय तथा महंगे-महंगे आयोजनों से पट चुके रीति-रिवाजों, विधि-विधानों वाले रूढ़ीवादी ढकोसलों से भरे धर्म से त्रस्त हो चुके मानव मन को शांति भरा उपहार था। उन्होंने आज से लगभग् **छब्बीस सौ वर्ष** [1] पूर्व भारत की पावन धरा पर अपने पवित्र कदम रखे थे। अपने बारह वर्षो के कठिन तप के बाद अपने इस सरल दर्शन को अपनाऐ हुए उन्होंने अपने बाकी के जीवन भर मानव व समस्त प्राणी वर्ग को उसके कल्याण का मार्ग दिखाया। आज भी वे अपने इसी रूप में अविचल हैं।

उन्होंने समाज से समस्त अंधभक्ति व अंधविश्वास मिटाने को कृतसंकल्प हो कर आव्हान किया कि किसी भी पूज्य से पूज्यतम का भी आंखें मूंद कर विश्वास मत करो। इससे समाज में अंधविश्वास व रूढ़िवादिता के समाप्त होने के विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने धर्म की अपनी सरल व्याख्या में कहा कि धर्म कोई लोक दिखावा नहीं है बल्कि यह तो आत्मसंयम का एक अन्य नाम है, आचरण में उतारने की चीज है। धर्म को यदि अपने आचरण में न उतारा तो धार्मिक कहलाना व्यर्थ है।

यह अन्य से घृणा, द्वेष भाव नहीं वरन यह मानव का श्रेष्ठ तथा उत्कृट कल्याण है, अमित सुमंगल है। महावीर ने धर्म में व्याप्त रूढ़ियों, कुपरंपराओं को मिटाने की दिशा में भरपूर आत्मविश्वास से आवाज उठाई। विभिन्न धर्मो में व्याप्त आपसी भेदों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। मानव का शोषण करने के स्थान पर धर्म को मानव के लिये केवल हितकारी ही होना चाहिये। धर्म को मानव का उद्धारक होना चाहिये। जिस धर्म में यह व्यवस्था नहीं वह कैसा धर्म ? जो धर्म मानव के लिये बोझ बन जाए वह कैसा धर्म ? जो मानव को ऊंच-नीच के भेदभावों की ओर ले जाए वह कैसा धर्म ? जो निरीह मूक प्राणी वध को जायज माने वह कैसा धर्म ? धर्म तो मानव का संबल है। उसे जोड़ता है। वही यदि मानव को तोड़े या अशांत करे तो वह कैसा धर्म ?

उनके इस प्रकार के विचारों से धर्म के पथ में एक अभूतपूर्व क्रांति ही आ गई। उन्होंने माना कि धर्म को कर्मकांडों, रूढ़ियों, कुपरंपराओं, अंधविश्वासी मान्यताओं-धारणाओं आदि से परे होना चाहिये। वास्तव में देखा जाए तो अपने सैद्धांतिक रूप में इस इतने प्राचीन धर्म में, किसी विकसित मानव धर्म की तरह मानव कल्याण के वे समस्त सूत्र विद्यमान हैं जो मानव को याचक की तरह नहीं वरन आत्मविश्वासपूर्ण रूप से अपने व अन्यों के हित की ही ओर प्रेरित करता है। मानव स्वयं भी शुभ जीवन जिये तथा अन्यों के भी शुभ जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। इससे महावीर का यही आव्हान रूपांतरित होता है कि जियो और जीने दो।

स्वावलंबन युक्त आत्मोद्धारवादी धर्म के प्रणेता–महावीर ने स्थापित किया कि 'धर्म न तो कहीं गांव में है न किसी महल या मंदिर में, न ही कहीं वनों-अरण्यों में चल देने मात्र से ही इसे पाया जा सकता है। उन्होंने बतलाया कि इसे पाने के लिये मानव को अपनी अंतरात्मा में ही झांकने की आवश्यकता है।'[2] उनका मानना है कि मानव को अपने उद्धार के लिये स्वयं ही प्रयास करना चाहिये। बिना किसी अन्य का आलंबन लिये वे मानव के मोक्ष को संभव मानते हैं। मानव को इस प्रकार वे स्वावलंबन व आत्मोद्धार की निर्भीक प्रेरणा देते हैं। मानव के लिये स्वकर्म करते हुए ज्ञान, श्रृद्धा, चरित्र, तपस्या आदि की अवधारणा उनके द्वारा दी गई है। उनका आग्रह है कि ज्ञान को उचित आचरण यानि सम्यक चरित्र द्वारा परिपूर्ण बनाया जा सकता है। वैसे यह सत्य है कि सम्यक चरित्र के अभाव में ज्ञान निरर्थक होता है तथा उचित ज्ञान के बिना आचरण अंधा होता है। इसी कारण जैन मत में **पंचमहाव्रत**[3] महत्वपूर्ण हैं। ये पंचमहाव्रत महावीर ने ही बतलाए हैं।

आचरण के कठोर नियम बनाते हुए महावीर ने माना है कि आत्मशुद्धि व आचरण की शुद्धि के द्वारा ही मानव कर्ममल से मुक्त हो सकता है तथा मोक्ष का अधिकारी भी। उनका मत है कि साधना की परिपूर्णता व सिद्धि इस बात में नहीं है कि साधक परमतत्व का अवतार बन कर जन्म ले; अथवा, परमतत्व में ही विलीन हो जाए। बल्कि उनके मतानुसार तो साधक की साधना की सार्थकता इसमें है कि वह अपनी बाह्यात्मा से अंतरात्मा की ओर चल कर स्वयं ही परम-आत्मा हो जाए।

यह सत्य है कि केवल ऊपरी ताम–झाम व दिखावे से मानव की धर्म की चेतना नहीं जाग सकती। इसके लिये आवश्यक है कि धर्म के आंतरिक या कि वास्तविक रूप को आत्मसात किया जाए। बिना व्यवहार में लाऐ कोरी आस्तिकता मानव के किसी काम की नहीं है। यदि किसी धर्म में मानव की

* विभागाध्यक्ष (दर्शनशास्त्र) शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

मानवीय स्तरों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है तो मानव को अधिकार है कि उस धर्म का त्याग कर अपने अनुसार किसी विशिष्ट धर्म को अपना कर अपना जीवन सार्थक करे अथवा केवल मानव धर्म को अपना ले। किसी ईश्वर आदि पर निर्भर न रह कर अपनी आत्मा का आप उद्धार करे। यह कार्य किसी अन्य के किये आपको फल नहीं देगा। इसके लिये आपको स्वयं कर्म करना होगा। यह कर्म कोई साधारण कर्म न हो कर आत्मोद्धारवादी कर्म होता है जो स्वावलंबन से ही प्राप्त होगा। यही उनका 'आत्मोद्धारवादी धर्म है जिसमें स्वावलंबन मुख्य है।'[4] नि:संदेह उनके इस मत के पीछे भी तात्कालीन कर्मकांडीय धर्म में आ चुकी विकृतियों को अमान्य करते हुए उनके उन्मूलन का ही मूल भाव था।

अभय आर्शीवाद के प्रदाता–हिंदु मान्यता है कि चौरासी लाख योनियों में जन्म लेने के बाद यह मानव का जीवन मिलता है। सो, यह जीवन तो बड़ा ही अनमोल होना चाहिये। इसे यूं ही गंवा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिये ऋषि मानव को सतकर्म की प्रेरणा देते पाए जाते हैं। बावजूद इसके एक युग में हम पाते हैं कि इसी सतकर्म को कर्मकांड व अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता आदि से जोड़ दिया जा कर यज्ञादि कर्म करना ही मानव के सतकर्म, धर्मपालन आदि की निशानी मान लिया गया था। फलत: मानव जीवन का मानो वास्तविक उद्देश्य ही खो गया था। पाप–पुण्य, स्वर्ग–नर्क, ईश्वर के दंड–पुरस्कार आदि आदि विचारों के साऐ में नीति की, मानवता की वास्तविक धारणा दम तोड़ती थी। क्षुद्र प्राणी के मोक्ष का कोई आसान तरीका उपलब्ध न था। उसकी निराशा स्वाभाविक थी, उसके अनेकानेक भय उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। यहां तक कि धर्म भी उसे भयभीत ही करता था। समाज में निर्बल का कोई रखवाला न दीखता था। तब, 'महावीर का जन्म लेना सिद्ध करता है कि कोई भी साधारण प्राणी भी अपने आत्मबल से निर्भय जीवन बिताने में सक्षम हो सकता है। बिना देवों से डरे, कर्मकांड किये बिना, स्वर्ग–नर्क के भय से भयभीत हुए बिना सामान्य जीवन जी सकता है। अपने प्रयासों से मोक्ष का अधिकारी हो सकता है।'[5] इसके लिये उसे महंगे कर्मकांड, विधि–विधान आदि की कोई आवश्यकता नहीं।

यह सर्वविदित है कि महावीर के समय में धर्म के अंतर्गत बाह्य कर्मकांड अत्यंत बढ़ चुके थे। इसमें आंतरिकता व आत्मिक शुद्धि का स्थान बाहरी ताम–झाम व ढकोसलों ने ले लिया था। कोरी आस्तिकता से धर्म अपना वास्तविक स्वरूप खो कर जनमानस में एक बोझ, एक मजबूरी सा ही बन गया था। केवल धनिकों के ही वश में रह गया था कि वह बेहिसाब धन खर्च कर के, कर्मकांडी हो कर स्वयं पर धार्मिक होने का ठप्पा लगवा लें।

तब, उस युग में यह स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि एक तरफ तो धर्म शुष्क कर्मकांडीय पद्धतियों का, अंधविश्वासों का पिटारा मात्र हो कर रह गया था जिसमें पशुबलि व आहूतियों का महंगा ताम–झाम अपनाऐ बिना, यज्ञादि कर्म किये बिना धर्माचरण अपूर्ण माना जाता था। इन कर्मकांडों से जन साधारण को कोई संतुष्टि उपलब्ध न हो रही थी। दूसरे, श्रमण परंपरा में भी अनेक चिंतकों ने इस सबके विरोध में अनात्मवाद व नीतिशून्यता की तार्किक स्थापना के प्रयासों के द्वारा जनमानस को किंचित भ्रमित अवस्था में ही छोड़ा हुआ था। आजीवकों आदि को हम ऐसे ही विचारकों के रूप में जानते हैं जिन्होंने तात्कालीन धार्मिक व सामाजिक अंधविश्वासों व कुरीतियों के विरूद्ध शंखनाद तो अवश्य किया मगर अपना कोई जन स्वीकृत धर्म प्रस्तुत कर साधारण जन में अपनी कोई उच्च नैतिक छाप न छोड़ पाए।

ऐसे में अजीब सी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व मानसिक अशांति के वातावरण में महावीर व बुद्ध का पदार्पण हुआ जिससे आहत मानवता ने परम शांति की प्राप्ति की। बुद्ध ने जहां मानव मात्र के लिये करूणा व मैत्री का आव्हान करते हुए सामाजिक व धार्मिक सुधारों का सूत्रपात किया,– वहीं, महावीर को हम मानव की आत्मचेतना को जाग्रत कर अहिंसा के परम सिद्धांत की वास्तविक स्थापना करते हुए केवल मानव को ही नहीं वरन प्राणी मात्र को अभय का आशीर्वाद प्रदान करते पाते हैं। उन्होंने जगत को आत्मशुद्धि, आत्मसिद्धि, स्वावलंबन, अहिंसा व मानवता की जो राह दिखाई वह आज भी उनके नाम से रौशन है, सदा रहेगी।

उन पर इतना लिखा जा चुका है कि कहने को कोई नई बात नहीं रह जाती मगर वे हर बार पाठक को अपनी गहन विचारोत्तेजकता से नवीन रूपों में लुभाते हैं। उनकी दया–करूणा केवल मानव ही नहीं, जीव मात्र ही नहीं, बल्कि पत्ते पत्ते तक जा कर उसे उपकृत करती है। वे केवल एक संत, एक महात्मा, एक विचारक, एक समाजविज्ञानी, एक धर्मप्रचारक ही नहीं वरन अपने युग के एक महान पर्यावरणविद् भी थे। पर्यावरण संरक्षण का उनका अत्यंत गरिमामय सोच हमें गहरे तक प्रभावित करता है। उनके लगभग हर विचार में समाया पर्यावरण सरंक्षण का सूक्ष्म विचार हमें आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित करता है। वास्तव में महावीर एक वो युगांतरकारी विचारक हैं जिनका महत्व किसी युग में कम न होगा। उनके विचारों व दर्शन का मूल्य कभी कम न होगा। उनका धर्म सदा मानव को प्रभावित करता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आचार्य गुणाधीश, महावीर स्वामी: जीवन दर्शन, पृ–207
2. जैन महावीर सरन, भगवान महावीर ऐवं जैन दर्शन, पृ–211
3. उपाध्याय अमरमुनि, विश्वज्योति महावीर, पृ–45
4. भद्रबाहू विजय, जैन धर्म, पृ–39
5. डोसी रतनलाल, तीर्थकर चरित्र, पृ–307

****

मानवेन्द्रनाथ रॉय के मत में ईश्वर

डॉ. आशा चौधरी *

प्रस्तावना – पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे नरेंद्र भट्टाचार्य ही आगे चल कर मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से मशहूर हुए। आरंभ में वे क्रांतिकारी रहे। सशस्त्र संघर्ष से देश को आजादी दिलाने की इच्छा से उन्होंने जर्मनी, चीन, रूस, अमेरिका, मैक्सिको आदि देशों का भ्रमण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे अनेक विचारकों के संपर्क में आए जिनका उनके दर्शन पर बेहद प्रभाव पड़ा। वे अपने दर्शन में निरीश्वरवादी, भौतिकतावादी तथा मानवतावादी कहे जाते हैं। अपने विचारों में वे व्यक्ति स्वातंत्र्यवादी, लोकतंत्रवादी तथा अंतराष्ट्रीयतावादी भी सिद्ध होते हैं। उनकी सच्ची आस्थाऐं विज्ञान से जुड़ कर दर्शन को मानो समस्त अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करती प्रतीत होती हैं। वास्तव में रॉय एक बेजोड़ विचारक थे। अपने समय के किसी भी दार्शनिक से उनकी तुलना किसी भी प्रकार संभव नहीं। भारतीय राजनीति में वे रहस्य पुरूष कहे जाते थे।

वे भौतिकवाद को अखिल विश्व का दर्शन मानते हुए मानते हैं कि इस दर्शन में प्रकृति के सभी क्रिया–कलापों की समीक्षा की जाती है। जिसमें समाज भी शामिल है। वे मानते हैं कि यह संपूर्ण भौतिक विश्व नियमानुसार ही चलता है और कोई भी बात इसमें बिना कारण के नहीं घटित होती। अत: कार्य–कारण संबंध विवेक सम्मत है। इसके लिये किसी अमूर्त तत्व में आस्था रखना बेमानी है।

रॉय के मतानुसार ईश्वर–भौतिकवाद में उनकी यह विशुद्ध व ईमानदार आस्था उन्हें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर तथा परंपरावादी धर्म आदि प्रत्ययों को अमान्य करने की ही दिशा में अनिवार्य रूप से ले जाती है। अपने भौतिकवाद में न तो उन्होंने आडंबर की बात की न ही कठमुल्लापन की। वे स्वयं को बिना किसी मिलावट के दार्शनिक रूप से भौतिकवादी मानते हुए अपना मत देते हैं कि भौतिकवाद ही अकेला संभव दर्शन है इसके अलावा सभी अन्य दर्शन हमें भौतिक जगत के बाहर ले जाते हैं, वे रहस्य तथा आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं कि जिसका शासक ईश्वर है। उनका स्पष्ट नजरिया था कि यदि सृष्टि को शून्य से उत्पन्न मानकर अंतर्विरोधी रूप में इसकी कल्पना गणितीय आधार पर करें, या फिर इसे किसी सर्वशक्तिसंपन्न किंतु मानव आकार के ईश्वर की कल्पना, या बहुदेववादी या किसी अन्य ढंग से ईश्वर की कल्पना करके सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाए – दोनों ही स्थितियों में रॉय के अनुसार ऐसे विचारों में मानव की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। उनका मत था कि भौतिकवाद को छोड़कर अन्य समस्त आध्यात्मिक दर्शन गैर ईमानदार धर्म ही कहे जाने योग्य हैं जो धार्मिकता को पिछले दरवाजे से लाना चाहते हैं। रॉय मत व्यक्त करते हैं कि आज धर्म केवल अनपढ़, अशिक्षित तथा कम दिमाग लोगों में ही रह गया है। वे ही लोग धार्मिक आस्था व भावना की अधिक चर्चा करते हैं जो आधुनिक ज्ञान से वंचित रह गए हैं, अथवा जो जीवन–संघर्ष में पराजय को स्वीकार कर चुके हैं।

ईश्वर केवल एक अंधविश्वास–किसी अमेरिकन पत्रिका में धार्मिक अनुभव के नाम से छपे एक लेख के हवाले से वे बताते हैं कि रहस्यमय धार्मिक अनुभव, जिनमें ईश्वर के साक्षात्कार की भी जोर–शोर से चर्चा होती है, ऐसे अनुभव केवल अर्द्धनिद्रा की स्थिति से बढ़ कर कुछ नहीं। इस उदाहरण में एक अमेरिकन पत्रिका में एक सत्रह वर्षीया, कमजोर बदन की लड़की का किसी उद्धारवादी सभा में जाकर प्रार्थना के दौरान बेहोश हो जाने का विवरण था। ऐसे अनुभव प्राय: धार्मिकता के प्रोत्साहन के लिये ही प्रचारित किये जाते हैं। इनसे व्यक्ति तथा उसके परिवार का समाज में सम्मान बढ़ता है, महत्व बढ़ता है। अत: ऐसे अंधविश्वासी विचार, क्षीण स्वास्थ्य, कम उम्र की मनोदशा में आसानी से प्रार्थना के सामुहिक आभा से पड़ने वाले दौरे को ईश्वरीय शक्ति व धर्म से जोड़ दिया जाता है। रॉय इसे एक सामान्य पिछड़ी प्रवृत्ति का ही सूचक मानते हैं। यहाँ तक कि वे **Indian Culture and Philosphoy** में जिसका हिंदी रूपांतरण हमारा **सांस्कृतिक दर्प** नाम से किया गया है स्वामी विवेकानंद के लिये भी एक स्पष्ट वक्ता की हैसियत से स्वीकारते हैं कि 'एक योग्य युवक की संशयशीलता एक अनपढ़ व्यक्ति के गुण, अनुभवों के दावों के साथ बह गई। जो यदि मानस रोग–शास्त्रियों को दिखाया जाता तो वे उसका मुकाबला उसी अमेरिकन लड़की के साथ करते। इन दोनों मामलों में ईश्वर से साक्षात्कार का दावा किया जाता है।'[1] ऐसे दावों के पीछे रॉय केवल अंधविश्वास ही देख पाते हैं। इस प्रकार के दावों को वे 'दिमागी शून्यता या मोह–निद्रा से अधिक कुछ नहीं समझते हैं। एक दिमागी खब्त मानते हैं।'[2] धार्मिक लक्षणों को वे सामान्यत: मदहोशी या सुस्ती अथवा अवेचतन के स्वप्नलोक का विचरण मानते हैं। समाधि उनके मत में मात्र आलस या सुस्ती ही है। धार्मिक अनुभव को वे दौरे पड़ने या दिमागी बीमारी बतलाते हुए ईश्वर के प्रत्यक्ष या साक्षात्कार की तुलना गांव के पुजारी द्वारा हर झाड़ी में प्रेत देखे जाने से करते हैं क्योंकि उसे बचपन से वैसी ही कहानियाँ सुनाई गई थी। अत: उसे उनका यकीन हो चला था।

वे रामकृष्ण परमहंस के कथन कि 'उन्होंने ईश्वर को देखा है को मात्र हँसी की ही बात मानते है।'[3] रामकृष्ण का यह शांत सुझाव कि हम अपने अंतर में ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, विवेकानन्द की भी प्रवृत्तियों को जगा देता है, और अवचेतन में पहुँच कर इसने युवा ऋषि में ईश्वर के प्रति विश्वास जगा दिया। वह विश्वास जो कि पर्वत को भी हिला सकता है। ऐसी रॉय की मान्यता है। वे मानते हैं कि विश्वास पर आधारित दार्शनिक मतों को वैज्ञानिक ज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता क्योंकि उनकी प्रकृति अदार्शनिक होती है। अत: वे मानते हैं कि उनकी परख तर्क के आधार पर ही संभव है। विश्वास का अपना एक तर्क होता है और धार्मिक दर्शन की आलोचना का कार्य उस तर्क की भ्रामकता को स्पष्ट कर देना है। जैसे ईश्वर के प्रत्यय को ले, यह प्रत्यय इस विश्वास के साथ पैदा होता है कि कभी इस दुनिया की सृष्टि

* विभागाध्यक्ष (दर्शनशास्त्र) शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

हुई थी और कोई भी सृष्टि सृष्टा के बिना संभव नहीं। यद्यपि आज भौतिकीय अनुसंधानों ने सृष्टि के इस सिद्धांत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है अत: रॉय का मत है कि परिणाम स्वरूप वैयक्तिक अथवा निर्वेयक्तिक ईश्वर का प्रत्यय असंगत हो चुका है। किंतु अकसर ही आस्तिक मनुष्य प्राकृतिक दर्शन की दलीलों तथा विज्ञान के साक्ष्यों को अनदेखा करता है।

ईश्वर के लिये वे यही मानते हैं कि 'ईश्वर में यकीन रखने का भी एक तार्किक आधार है, जो कि आदिम युग के मानव की सृष्टि के कारण की खोज का ही एक परिणाम है।'[4] वे तर्क करते हुए कहते हैं कि ईश्वर को सृष्टि का कारण माना गया है। अगर हर चीज का कोई कारण अनिवार्य है तो ईश्वर का कारण कौन ? धर्म इसे अनादि मानते हुए साध्य को ही सिद्ध मान लेने की भूल भरा तर्क प्रस्तुत करता है। वे पुन: तर्क देते हैं कि क्या जरूरी है कि हम इस ईश्वर को ही जगत का मूल कारण मानें ? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें यह धारणा त्यागनी होगी कि हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। यदि ईश्वर को मूल कारण माने तो यह जगत आत्म-संभव है, कि इसकी कभी सृष्टि नहीं हुई; कि यह अनादि है। अत: उनका मत है कि 'ईश्वर में विश्वास के विनाश का बीज उसके अपने तार्किक आधार में ही अंतर्निहित है।'[5] उनके मतानुसार यह स्वयं अपने ही तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह इसे अनंत कारणों की एक लंबी श्रृंखला व अनावस्था जैसे बिंदु के हवाले कर देता है।

ईश्वर एक अविवेकपूर्ण धारणा-वास्तव में उनके मतानुसार ईश्वर तो शक्ति तथा सामाजिक नेतृत्व के लिये लालायित सत्ताधारी वर्ग द्वारा नंगी-भूखी भीड़ पर फेंके जाने वाले वे ढेले हैं जिन्हें वे 'शिवलिंग या शालिग्राम बता कर'[6] लोगों को धोखा देते हैं। रॉय मानते हैं कि ईश्वर की धारणा एक अविवेकपूर्ण धारणा है, धर्म का विवेक के साथ सामंजस्य नहीं हो सकता तथा उनका यह भी मत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति की विचारधारा यदि हमारी है तो उसमें विवेक के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये। साथ ही ईश्वर के तर्क के आधार पर विश्व रूप मानना भी ईश्वर का अस्वीकार ही है क्योंकि इस प्रकार का 'ईश्वर तब तो अपने ही प्रभाव के कारण मनुष्य के विवेक की रचना होगी।'[7] विभिन्न तर्को द्वारा, ईश्वर विषयक अनेक विचारकों के दृष्टिकोणों की समीक्षा करते हुए वे यही मानते हैं कि 'ईश्वर को उठा कर शून्य में बदल देना ही नास्तिकवाद है। धर्म आवश्यक रूप से थियोलॉजी की ओर ले जाता है - (ईश्वर के स्वभाव को समझने की फिजूल कोशिश), थियोलॉजी अपना काम कभी पूरा नहीं कर सकती। ज्यों ही आदमी ईश्वर का वर्णन शुरू करता है ईश्वर अपने आप खत्म होने लगता है। सुसंगत ढंग से विकसित थियोलॉजी की परिणति सर्वेश्वरवाद में होती है। वैदिक सर्वेश्वरवाद उपनिषदों के ईश्वरवाद का ही तर्क सम्मत नतीजा है। सर्वेश्वरवादी रूप में थियोलॉजी अपने ही को खा जाती है। क्योंकि सुसंगत सर्वेश्वरवाद नास्तिक वाद की ओर ले जाता है।'[8] वास्तव में रॉय के उपरोक्त क्राँतिकारी विचारों का आधार उनका विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण तथा यथार्थ में उनकी अटूट आस्था ही है जिसके चलते कोई भी ऐसा तत्व जो अलौकि, अनिर्वचनीय, अदृष्ट तथा अतिप्राकृतिक हो उसे अमान्य व अप्रमाणिक मानना उनके अनुसार उचित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रॉय, एम एन, स्प्रेट फिलिप, साम्यवाद के पार, पृ-46
2. वही वही
3. वही वही
4. वही, पृ-44
5. रॉय, एम एन, विज्ञान और दर्शन, पृ-10
6. वही वही
7. वही वही, पृ-139
8. वही वही

****

मध्यप्रदेश के वनों का संरक्षण एवं संवर्धन

विनीता तिवारी * डॉ. वीरेश पाण्डेय * *

शोध सारांश – वर्तमान परिपेक्ष्य में वन उत्पाद अब कुटीर एवं लघु उद्योगो में परिवर्तित हो रहे है, जैसे फर्नीचर, खिलौने साज-सज्जा की वस्तुएँ एवं औषधि उत्पाद आदि। जिससे वन वासियों को आर्थिक आय तो प्राप्त हो जाती है, परन्तु वनों के निरन्तर दोहन से वनों का विनाश होता जा रहा हैं।

प्रस्तावना – भारत के हृदय में बसा मध्य प्रदेश अपने प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किमी हैं तथा वन परिक्षेत्र 94,689 वर्ग किमी में फैला हैं। जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 30.71**%** वन क्षेत्र हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,25,97,565 तथा जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग कि.मी. हैं।

मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति बहुल्य वाला यह राज्य जिनमें मुख्यतया गोड, बैगा, भील, कोल, सहरिया, भूमिया आदि हैं। ये जनजातियाँ वनों के आस-पास निवासित हैं, तथा इनका आर्थिक स्तर सामान्य रूप से बहुत नीचे 'अधिकांशत: देखा जाता हैं कि वनों के समीप रहने वाले रहवासी पूर्णरूप से वनों पर ही निर्भर रहते हैं। वनों की कटाई कर जलाऊ लकड़ी का प्रबंध करना तथा वनों से प्राप्त उत्पाद जिनका प्रयोग आर्थिक आय प्राप्त कर पारिवारिक पालन-पोषण में करते है। ऐसा नही हैं कि वन केवल हमारे देश में ही नष्ट हो रहें हैं दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही आबादी के दबाव और मनुष्य द्वारा वन सम्पदा से ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की लालसा के कारण पूरी दुनिया में जंगलो का दायरा सिकुड़ता जा रहा हैं।'[1]

वर्तमान परिपेक्ष्य में वन उत्पाद अब कुटीर एवं लघु उद्योगो में परिवर्तित हो रहे है, जैसे फर्नीचर, खिलौने साज-सज्जा की वस्तुएँ एवं औषधि उत्पाद आदि। जिससे वन वासियों को आर्थिक आय तो प्राप्त हो जाती है, परन्तु वनों के निरन्तर दोहन से वनों का विनाश होता जा रहा हैं।

शोधविधि – मध्य प्रदेश के वनों का संरक्षण एवं संवर्धन में प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत जैसे पुस्तक पत्रिका, इन्टरनेट वेबसाइट का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण – वनों के विनाश का प्रमुख कारण वनों की कटाई है। इसके साथ वनों के अप्रत्यक्ष लाभ जैसे-जल चक्र तथा वायु चक्र का नियमन, ऑक्सीजन (प्राण वायु) का संचित कोष कार्बन डाई ऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन द्वारा नदियों के बहाव एवं प्रदूषणो का नियन्त्रण। 'हालांकि वनस्पतियों पर वायु प्रदूषण के प्रभावों का विधिवत अध्ययन 1930 के आस-पास शुरू हुआ था इन अध्ययनों से पता चलता था कि वनस्पति समुदाय में वायु प्रदूषण के प्रति कुछ पेड-पौधे संवेदी होते हैं।'[5] वन अच्छा दिन क्षेत्र वायुमण्डल की आद्रता बनाये रखते हैं। जिससे अधिक वर्षा की सम्भावना होती हैं। अनेक पशु-पक्षियों और जीव-जन्तुओं का आश्रय, आदि इस विषय से सम्बन्धी लाभ पर कोई विचार नहीं किया जाता हैं और यह परिस्थिति निश्चित ही चिन्ताजनक है क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ के बिना तो हमारा जीवन सम्भव हैं। लेकिन वनों के अप्रत्यक्ष लाभ न होने की स्थिति में जीवों की जीवन लीला समाप्त होने की कगार में आ जायेगी।

वन हमारे जीवन का आधार है और इनका अगर एक निश्चित सीमा तक दोहन किया जाये तो यह हमारे आय का साधन भी बन जाता है। जिससे वनों को भी नुकसान का सामना नहीं करना पडेगा। मध्यप्रदेश राज्य के वनों से प्राप्त आय का वितरण निम्नलिखित है-

वर्ष	प्राप्त राजस्व (करोड़ो में)	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में)
2008-09	685. 57	12. 7
2009-10	804. 18	17. 3

'वनों के सिकुड़ने की शुरूआत तब हुई जबकि मानव प्रजाति के बड़े हिस्से ने एक स्थान पर बसना और कृषि का विकास प्रारंभ किया।'[2] और आज भी 'जमीन पर पेड़ों की संख्या बढ़ने के बजाय लगातार कम होती जा रही है। इसका नतीजा यह होगा कि धीरे-धीरे वनों का क्षेत्रफल इतना कम हो जाएगा जिससे वन्य जीवन और हमारे बीच बाकी बचे जंगलो के लिए प्रतिस्पर्धा की नौबत आ जाएगी।'[3]

वनों के संरक्षण एवं संवर्धन करने की पहल आम लोग से ही शुरू करनी हैं। क्योंकि जब तक आम लोग वनों की उपयोगिता को नहीं समझेगे और उसे संरक्षित एवं सवंर्धित करने का प्रयास नहीं करेगे। तब तक वनों से सम्बन्धित कोई भी नियम और कानून व्यर्थ सिद्ध होगे। हालाँकि वनों के संरक्षण के सन्दर्भ में भारत के कई अलग-अलग क्षेत्रों में आन्दोलन चलाया जा रहा हैं जिसमें प्रमुख आन्दोलन हैं।

1. रूख भाइला आन्दोलन (राजस्थान के बांसबाडा जिले में)
2. एप्पिको आन्दोलन (दक्षिण भारत)
3. मैत्री आन्दोलन (उत्तराखण्ड)
4. पश्चिमी घाट बचाओं आन्दोलन (पश्चिमी घाट महाराष्ट्र))
5. तिलाड़ी का आन्दोलन (उत्तरकाशी),
6. चिपको आन्दोलन (उत्तरांचल का चमोली स्थान) आदि।

'दुनिया में सभी मान्यताओं का आधार मनुष्य की प्रकृति के प्रति प्रेम और आदर का रिश्ता है इसी में पेड़ पहाड़ और नदी के अवतार रूप में मनुष्यों,

* शोधार्थी, शोध केन्द्र, शहीद पद्मधर सिंह, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक, शोध केन्द्र, शहीद पद्मधर सिंह, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्राणियों की पूजा की परम्परा का प्रचलन हुआ' इसका एक उदाहरण यह हैं कि ' 1973 में वृक्षो को बचाने हेतु हिमालय क्षेत्र में प्रारम्भ किये गये ' चिपको आन्दोलन के बाद 1994 में उत्तराखण्ड में रक्षा सूत्र आन्दोलन चलाया गया। रियाला, मेही व डाल गाँव की महिलाओं ने वृक्षो पर रक्षा सूत्र बाँधे। 10 एवं 11 अगस्त 1995 को लगभग 300 ग्रामीण महिलाओं नें गाँव के आसपास के जंगलो में जाकर वृक्षो को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प लिया।'[10] इस प्रकार दूसरा उदाहरण ' छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज पेड़ो की सुरक्षा के लिए जान तक न्यौछावर कर गया। खेजलडी गाँव में विश्नोई स्वयं समाज के 363 स्त्री-पुरूष पेड़ो की रक्षा हेतु शहीद हो गए।'[6]

'मनुष्य के अस्तित्व के लिए वन उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार आर्थिक विकास उन्नत जीवन के लिए। अत: जब आर्थिक विकास के प्रयासों के इस बुनियादी तथ्य को ध्यान में नहीं रखते तो ये प्रयास वस्तुत: विकास को नहीं, अपितु विनाश को आमंत्रित करते है।'[7] लेकिन वनों का दोहन आदिकाल से ही किसी न किसी रूप में हो ही रहा हैं। अगर मध्य प्रदेश को वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना हैं। तो वनों के आस-पास रहने वाले लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। शोध अध्ययन के दौरान यह पता चला कि म0प्र0 में जागरूकता स्तर बहुत ही नीचा हैं, जो निम्नलिखित हैं -

तालिका क्रमांक- 2 - म0प्र0 में वनों के प्रति जागरूकता

क्र.	समूह	वनों के प्रति जागरूकता (प्रतिशत में)	
		हाँ	नहीं
1.	ग्राम वन समितियों में	56, 78	43,22
2.	ग्राम वासियों में	37. 15	62. 85
3.	वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों में	65. 00	35. 00

सुझाव - 'इस तरह मानव एवं प्रकृति का संबंध विध्वंसतात्मक हो गया हैं। पृथ्वी पर उत्पन्न पारिस्थितिकीय असन्तुलन हर प्राणी को प्रभावित कर रहा हैं।' [8] इसलिए मध्य प्रदेश में भी एक ऐसे आन्दोलन की आवश्यकता हैं जो वन संरक्षण के साथ वन संवर्धन करने में भी अपनी भूमिका अदा कर सके। इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। 'लोगों और मवेशियों की बढ़ती हुई आबादी और ग्रामीण इलाको में व्यापक रूप से फैली गरीबी के कारण वनों पर खासा दबाव बढा हैं। वनों में लगने वाली आग, जरूरत से अधिक चराई, वृक्षों के रोग और झूम खेती से वनों का क्षरण हुआ हैं। नेक इरादो के बावजूद वानिकी के क्षेत्र में किया जाने वाला निवेश देश के बजट खर्च के एक प्रतिशत से भी कम हैं।'[9] इसके लिए निम्नलिखित तरीको से जागरूक करने का प्रयास करना होगा।

1. वन उत्पाद मेला - वनों से वन उत्पाद जैसे -कलाकृति, औषधियाँ, खाद्य पदार्थ, साज-सज्जा की वस्तुएं आदि के लिए भी वर्ष में एक दो बार वन उत्पाद मेले का आयोजन किया जाये। जिससे ग्रामीणों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी वनों के प्रति जागरूकता का विकास होगा तथा लोग उसके महत्व को समझेगें।

2. कार्यक्रम द्वारा प्रचार - वन के आस-पास रहने वाले ग्रामवासियों का वनों से निकटतम सम्बन्ध होता हैं। ये वन का उपयोग तो समझते है, लेकिन उनके महत्व को नहीं समझते हैं। अत: उनके लिए वन सम्बन्धी नाटक, कार्यक्रम एवं प्रोग्रामों के माध्यम से वनों के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाए। जिससे वह भविष्य की उपयोगिता को समझते हुए वनों का संरक्षण व उनका विकास करने के लिए प्रेरित होगें।

3. पारिवारिक कार्यक्रमों में वृक्षारोपण - पारिवारिक कार्यक्रमों जैसे - जन्म दिवस, विवाह एवं पूर्वजों के स्मरण जैसे विशेष कार्यक्रमों में वृक्षारोपण किया जाये। इसके फलस्वरूप उन्हें वृक्षो से लगाव होगा साथ - ही वनों का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह हैं, कि वृक्ष इस प्रकार रोपित किये जाये जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जिससे कि निरन्तर आय प्राप्त होती रहें।

उपसंहार - उपर्युक्त प्रयासो से ग्रामीणजनों में जागरूकता लाकर अधिक-से-अधिक वृक्षारोपण करने में सफलता मिलेगी, क्योंकि वन सबके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। बस आवश्यकता है मध्य प्रदेश के वनों की धरोहर को सम्भालने की है। जिसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। और एक कदम आगे बढकर वनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भार्गव प्रमोद 'कटते जंगल, घटता धरती का आवरण' पर्यावरण विकास मार्च 2012 पेज नं. -5
2. हेल्लस्टर्न, मोनिका वन विनाश और वैश्विक मानसिकता' पर्यावरण विकास दिसम्बर 2013 पेज नं. -36
3. नारायण, सुनीता 'वन सुरक्षा हो साथ तो बने विकास की बात' पर्यावरण विकास जुलाई 2014 पेज नं. -5
4. डॉ. पुरोहित, खुशाल सिंह 'वृक्ष: जीवन परम्परा के संवाहक' पर्यावरण विकास जनवरी 2013 पेज नं. -26
5. गिन्नौरे, रविन्द्र ' प्रदूषण की मार से कमजोर होते पेड़ो के फेफड़े' पर्यावरण विकास अगस्त 2008 पेज नं. -12
6. डॉ. सिंह नीता पर्यावरणीय शिक्षा एवं वन-संरक्षण' पर्यावरण विकास जुलाई 2006 पेज नं. -19
7. डॉ. सिंह नीता 'पर्यावरणीय शिक्षा एवं वन-संरक्षण पर्यावरण विकास जुलाई 2006 पेज नं. -18
8. डॉ. उप्पल कश्मीर 'वन वृक्ष और नदी का सरकारी प्रबन्धन' पर्यावरण विकास अक्टूबर 2011 - पेज नं- 26
9. डोगरा, भारत 'वनों का संरक्षण: कल की जरूरत' पर्यावरण विकास अप्रैल 2013 पेज नं. -16
10. डॉ. जोशी, ओ.पी. 'वृक्ष की रक्षा और रक्षा बंधन' पर्यावरण विकास अगस्त 2011 पेज नं. -20
13. MPforest.org

****

समकालीन हिन्दी कहानी का नया रचनात्मक मौड़ स्वरूप एवं संभावनाएँ

डॉ. शाजिया खान *

प्रस्तावना – मनुष्य की जय यात्रा और उसकी सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही साथ कहानी भी विकसित हुई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका एक प्रमाण कहानी कहने और सुनने की उसकी आदिम वृत्ति है। वह उसकी सामाजिकता की ही एक रचनात्मक अभिव्यक्ति है। कहानी की शुरूआत ही इसलिए हुई कि अपने जीवन–संघर्ष के दौरान मनुष्य को जो अनुभव संवेदना हुआ, उसे वह दूसरों से कहना–सुनना चाहता रहा है। अपने अनुभव में दूसरों को भागीदार बनाना उसे जरूरी लगता रहा है। कहानी सिर्फ आत्म–अभिव्यक्ति का एक माध्यम नहीं है। वह उससे आगे बढ़कर मानवीय संबोधन और संवाद भी है। कहानी मनुष्य की अभिव्यक्ति का आदि रूप है या नहीं इस विवाद में पड़े बिना यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपने अनुभव को दूसरों से कहना मनुष्य की आदिम सभ्यता से ही शुरू हो गया होगा। आदिम सभ्यता से लेकर अब तक मानव विकास–यात्रा का इतिहास जिन कलारूपों में मिलता है, कहानी उनमें से एक प्रधान रूप है। मानव सभ्यता की इस विकास यात्रा के समानान्तर कहानी–यात्रा को देखें तो भारतीय कथा–साहित्य के युग संचरण को समझा जा सकता है। दुनिया का पहला कथा केन्द्र भारत ही माना जाता है। लगातार बारह शताब्दियों तक सारी दुनिया को कहानियों का स्त्रोत यहाँ मिलता है। आदिम सभ्यता से लेकर विश्व की लगभग सारी संस्कृतियों को अपने कथाबीज यही से मिलते रहे हैं।

वेदों के संवादों और सूक्तों में, उपनिषदों के उपाख्यानों में पुराण कथाओं में, रामायण और महाभारत में बोध और ज्ञान, नीति और धर्म की जो कहानियाँ मिलती हैं वे मनुष्य–सभ्यता के आदिम युग से लेकर संस्कृति और समृद्धि तक की यात्रा के वृत्तान्त हैं।

बौद्ध जातक और जैनपुरा कथाएँ, पंचतंत्र और हितोपदेश इस कथा–यात्रा के उल्लेखनीय पड़ाव हैं। इन कहानियों का प्रयोजन मनोरंजन से अधिक ज्ञान और आनन्द से अधिक शिक्षा रहा है। लेकिन कहानी का आधुनिक रूप इनसे भिन्न और विकसित परम्परा की देन है। इतनी समृद्ध और विविधता भरी कथा–परम्परा के बावजूद आधुनिक हिन्दी कहानी अधिकांशत: पश्चिम के सम्पर्क से ही विकसित हुई। बीसवीं शताब्दी की शुरूआत में पश्चिम में आधुनिक कहानी ने लगभग एक शताब्दी की यात्रा सम्पन्न कर ली थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय साहित्य में इस बीच कहानी का प्रवाह रूक गया हो। सच तो यह है कि कहानी जीवन के समानान्तर हमेशा जीवन्त और गतिशील रही है।

पिछले बीस बरसों की कथा–यात्रा में हिन्दी कहानी ने अनुभव एवं शिल्प के स्तर पर कई प्रयोग किए हैं। इस यात्रा के प्रत्येक छोटे–मोटे मोड़ को सूचित करने के लिए कहानी लेखकों आलोचकों ने विविध नाम भी दिये है। नई कहानी, सचेतन कहानी, अ–कहानी वैज्ञानिक कहानी, अगली शताब्दी की कहानी जैसे कई नाम कहानी के बहुस्तरीय रूप को प्रकट करते हैं। वैसे दस–बीस बरस साहित्य के किसी नवीनतम दृष्टिकोण के पनपने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए नामकरणों की जल्दबाजी में दृष्टिकोण का अर्थसंकोच होने का खतरा बराबर बना रहता है। किन्तु कई बार किसी साहित्य विधा की विशिष्टधारा को विभिन्न नामों से संबोधित करने का मतलब उस धारा के प्रयोग–धर्मी व्यक्तित्व की सूचना में भी हो सकता है।

आधुनिक युग यथास्थिति से चिपके रहने का युग नहीं है। युगीन संवेदनशीलता इतनी तीव्रगति से बदलती जा रही है कि हर नई व्यवस्था के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु के आसार नज़र आते हैं। इस अर्थ में किसी भाषा के साहित्य में बहुत कम अवधि में विविध मोड़ो का निर्माण होना उस भाषा के साहित्य की जीवन्तता का लक्षण माना जाना चाहिए। हिन्दी कहानी के सम्बन्ध में यदि उक्त विश्लेषण सही माना जाए तो बीस बरसों की छोटी अवधि में हिन्दी कहानी की गतिशीलता, जो उसके विविध नामकरणों से सूचित हुई है, हमारे लिए अभिमानास्पद होनी चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहानी के क्षेत्र में ही नहीं, समूचे साहित्य के क्षेत्र में जो एक जबरदस्त प्रवाह फूट पड़ा था, अपने आप में पूर्ववर्तियों की अपेक्षा बिल्कुल ही नया था। यह नयापन मात्र पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण का फल नहीं था और न रचनात्मक स्तर पर बौद्धिक बाजीगरी का, किन्तु यह नयापन या समूचे भाव बोध का जो तत्कालीन जीवन बोध का परिणाम था। परम्परागत जीवन मूल्यों के विरोध में नयी जीवन का एक ऐसा आक्रमण था, जहाँ हर पुरानी चीज अस्वीकृत की जाती है। इसलिए उस विशिष्ट संस्कृति–युग में पैदा हुए कहानी साहित्य को यनई कहानी' से संबोधित करना कई दृष्टियों से युक्त लगता है।

सन् 1960 के बाद कथा रचना की ऐसी एक रचनात्मक चेतना सामने आई है जो पूर्ववर्ती रचना पीढ़ी से कई अर्थो में भिन्न है।

हिन्दी कहानी के विकास की परम्परा को छ: भागों में विभक्त किया जा सकता है –

1. प्रथम उत्थान काल (सन् 1900 से 1910 तक)
2. द्वितीय उत्थान काल (सन् 1911 से 1919 तक)
3. तृतीय उत्थान काल (सन् 1920 से 1935 तक)
4. चतुर्थ उत्थान काल (सन् 1936 से 1949 तक)
5. पंचम उत्थान काल (सन् 1950 से 1960 तक)
6. षष्ठ उत्थान काल (सन् 1961 से अब तक)

* अथिति विद्वान (हिन्दी) 65, बनियावाड़ी दीक्षित फोटो स्टूडियो के पास, धार (म.प्र.) भारत

1. **प्रथम उत्थान काल (सन् 1900 से 1910 तक) –** हिन्दी कहानी का आरम्भिक काल है। किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमती' हिन्दी की सर्वप्रथम कहानी मानी जाती है।

2. **द्वितीय उत्थान काल (सन् 1911 से 1919 तक) –** इस काल में महाकथाकार जयशंकर प्रसाद का आगमन हुआ। श्री चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' की कहानी 'उसने कहा था'। इस काल की एक ऐसी यर्थाथवादी कहानी है जो हिन्दी की दृष्टि से सर्वप्रथम कहानी मानी जाती है।

3. **तृतीय उत्थान काल (सन् 1920 से 1935 तक) –** इस काल में ही कहानीकार सम्राट मुंशी प्रेमचन्द्र का आगमन हुआ। मुंशी प्रेमचन्द्रजी ने अपनी कहानियों में भारतीय राजनीति, अर्थ व्यवस्था, धर्म, साहित्य, दर्शन, इतिहास और परिवार वर्ग का जो चित्र उतारा वह न तो किसी काल में और न किसी कहानीकार के द्वारा संभव हो सका।

4. **चतुर्थ उत्थान काल (सन् 1936 से 1949 तक) –** इस काल की कहानियों ने विभिन्न प्रकार की विचारधराओं में प्रवेश किया। इस काल में मनोवैज्ञानिक और प्रगतिवादी विचार श्रृंखला प्रधान रूप से आई। मनोवैज्ञानिक कथाकारों में इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्रकुमार, चन्द्रगुप्त विद्यालेकार और पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' के नाम अधिक उल्लेखनीय है।

5. **पंचम उत्थान काल (सन् 1950 से 1960 तक) –** इस काल की कहानियाँ पूवपिक्षा अधिक चर्चा का विषय बन गई। इस काल की कहानियाँ पूरी तरह से 'कहानी' और 'नई कहानी' आदि के नाम से जानी गयी। इस समय की कहानियों में वर्तमान युगबोध, सामाजिक चरित्रता, वैयक्तिकता, अहमन्यता की अभिव्यंजना ही मुख्य रूप से सामने आयी। इस युग के कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ 'रेणु' अमरकान्त, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेन्द्र अवस्थी आदि उल्लेखनीय कहानीकार हैं।

1. **समकालीन हिन्दी कहानी का नया रचनात्मक मोड़ षष्ठ उत्थान काल (सन् 1961 से अब तक) –**इस काल को साठोत्तरी हिन्दी कहानी काल के नाम से जाना जाता है। इस युग के कहानीकारों की पूवपिक्षानयी चेतना और नये शिल्प के साथ रचना प्रकिया में जुट गयी है। इस कहानी की यात्रा विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों जैसे नयी कहानी (कमलेश्वर अमरकान्त, मार्कण्डेय, रेणु, राजेन्द्र यादव, मन्नू भण्डारी, मोहन राकेश, शिवप्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, उषा प्रियंवदा आदि) अकहानी (रमेश बख्शी, गंगाप्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, प्रयाग शुक्ल, दूधनाथ सिंह, ज्ञानरंजन आदि) सचेतन कहानी (महीपसिंह, योगेश गुप्त, मनहर चौहान, वेदराही, रामकुमार भ्रमर आदि) समानान्तर कहानी (कामतानाथ, से.रा. यात्री, राम अरोड़ा, जितेन्द्र भाटिया, मधुकरसिंह, इब्राहिम शरीफ, दिनेश पालीवाल, हिमांशु जोशी आदि) सक्रिय कहानी (रमेश बत्ता, चित्रा मुद्गल, राकेश वत्स, धीरेन्द्र अस्थाना आदि) इनके अतिरिक्त ऐसे भी कथाकार हैं जो आन्दोलनों से अलग कथा प्रक्रिया में समर्पित हैं, जैसे रामदरश मिश्र, विवेकी राम, मृणाल पांडेय, मृदुला गर्ग, निरूपमा सेवती, शैलेश मटियानी ज्ञानप्रकाश विवेक, बलराम, सूर्यबाला, मेहरून्निसा परवेज, मंगलेश डबराल आदि प्रमुख है। आज की कहानी शहरी सभ्यता, स्त्री-पुरूष सम्बधों की नई अवधारणा त्रासदी, आपसी संबंधों के बिखराव, यौन कुण्ठा घिनौनी मानसिकता, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप संबधों की दूरी असुरक्षा की भावना, चारित्रिक ह्रास, अन्याय, अत्याचार के विरूद्ध संघर्ष के भाव के भार को ढोती हुई दिखाई दे रही है। इससे शिल्प और भाषा दोनों ही स्तरो को तराशती हुई नये तेवर को लिए हुए आज की कहानी प्रत्यनशील दिखाई दे रही है।

आज की हिन्दी कहानी जिसमें पिछले दोनों दशक शामिल हैं, निश्चित रूप से नये युग की सृष्टि है। अत: स्वभाव से ही उसमें संक्रांतिकालीन चेतना का स्तर सबसे तीव्र है। इसके अन्तर्गत हर परम्परा की अस्वीकृति, प्रयोगशीलता, वैज्ञानिक दृष्टि और बौद्धिक जटिलता के साथ युग संत्रास को अस्तित्व के रूप में झेलने की क्षमता भी है। स्पष्ट है, नई कहानी आधुनिक जीवन की ह्रासोन्मुखी प्रक्रिया एवं विघटन के प्रति अपना तीव्र क्षोम प्रकट कर रही है। स्वतंत्रता के बाद परिवर्तन के जिस सत्य को तात्कालिक लेखकीय संवेदना अनुभूतियों का हिस्सा बनकर व्यक्त करना चाह रहा था, उसी संवेदन को समकालीन कहानी अधिक सफलता से प्रकट कर रही है – करना चाहती है। वह इसलिए भी कि आज की कहानियों में घटना और पात्र की उपयोगिता वहीं तक है जहाँ तक वह किसी मन:स्थिति या विचारगत विशेषता को उद्घाटित करने में सहायक हो। इसलिए आज कहानियों के सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, पौराणिक आदि अथवा चरित्र प्रधान, घटना प्रधान, वातावरण प्रधान आदि अथवा प्रकृतिवादी प्रक्रियावादी आदि वर्गीकरण झूठे ओर अस्वाभाविक हो गये हैं।

प्रश्न यह है कि नई कहानी के प्रांरभ से लेकर आज तक कहानी की धारा आधुनिक भाव-बोध को कितनी सफलता से प्रकट कर रही है जिसे समझना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि नई कहानी के अन्तर्गत समकालीन कहानी का चेहरा बहुत कुछ बदला हुआ-सा दिखाई देता है। इस बदलाव के स्पष्ट आसार पिछली चार बरसों की कहानियों में दिखाई दे रहे हैं। यह बदलाव महज दृष्टि का न होकर दृष्टि को पचाकर व्यक्त करने का है। साहित्य की श्रेष्ठता एवं सफलता तभी सिद्ध होती है जब लेखकीय-बोध रचना द्वारा कला के स्तर को प्राप्त कर लेता हैं जहाँ जीवन-बोध की नवीनता अपने आप में परम्परा से हर मायने में असंगत हो, वहाँ तो जीवन-बोध का साहित्य में रूपान्तरण और भी कठिन हो जाता है। एक और इस प्रक्रिया को पूर्ण होते देर भी लगती है और दूसरी और संक्रातिकालीन अनुभूतियों के साथ ईमानदार रहने में भयंकर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि साहित्य निर्मित प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और उसकी जगह असाहित्यिक प्रकिया आरोपित की जाती है, और फिर उसी धारा के अन्तर्गत रचनात्मकता का नया प्रवाह ऊपर उठने की कोशिश करता है। यह नया प्रवाह पुराने प्रवाह की प्रेरणाओं को लेकर ही आगे बढ़ता है, और गलत दिशा में जाने वाले अपने ही प्रवाह के पिछले हिस्से को सही दिशा देता है। हमें लगता है कि नई कहानी की धारा के अन्तर्गत सातवें दशक' की हिन्दी कहानी इस प्रकार के रचनात्मक मोड़ को स्पष्ट करती है। चाहे हम सचेतन कहानी, अ-कहानी या कोई और कहानी कहकर पुकार लें, इन नामों की विशिष्टता नई कहानी की समग्र पृष्ठभूमि में ही समझी जा सकती है। साठोत्तरी हिन्दी कहानी नई कहानी का ही प्रकारान्तर है। वह उसी का नया रचनात्मक मोड़ है।

छठे दशक का अंतिम चरण और सातवें दशक के प्रारंभिक चरण के बीच की ऐतिहासिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में नई कहानी का ठहराव स्तर परिलक्षित होता है जहाँ से समकालीन कहानी नया मोड़ धारण कर लेती हैं।

2. **समकालीन कहानी का स्वरूप –** समकालीन कहानी जीवन यथार्थ से सीधे टकराती है। इस टकराव के पीछे एक ऐसी पूर्वाग्रह रहित दृष्टि है जो किसी भी परम्परागत मूल्य-परिपाटी को नकारती हुई अस्तित्व-बोध की गहरी जटिलता की अभिव्यक्त करती है।

मार्क्सीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय ओर मूल्य परक दृष्टियाँ अब आरोपित न रहकर उसकी मानसिकता का अंग बन चुकी हैं। पिछली कहानियाँ किताबी एवं आरोपित बोध का शिकार बनकर 'व्यवस्था' के संबंध में एक 'समझादार चुप्पी' अख्तियार कर लेती रही है। लेकिन समकालीन कथा ने 'व्यवस्था' के प्रति जो प्रचण्ड आक्रोश व्यक्त किया है उसका स्तर बेहद तल्ख एवं बेलाग होता हुआ, आधुनिक मनुष्य के संबंध में एक व्यंग्य और करूणा का एहसास कराता है।

समकालीन कहानी के इस परिपाश्र्व में यसचेतन कहानी और 'अ-कहानी' जैसे नाम उभर रहे हैं। सचेतन कहानी को आन्दोलन का रूप देने वाले डा. महीपसिंह की घोषणा के अनुसार 'सचेतनता' एक दृष्टि है, जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। सचेतन दृष्टि जीवन से नहीं, जीवन की ओर भागती है।

सचेतन कहानी ने फिर से मनुष्य के टोटल सेल्फ को स्थापित करने का प्रयत्न किया ओर जीवन को स्वीकार ने का स्वर बुलंद किया।

सचेतन कहानी मनुष्य और जीवन के तनाव का चित्रण नहीं, बल्कि उसके संघर्ष को भी समर्पित है। इसमें निराशा, अनास्था और बौद्धिक तटस्थता का प्रत्याख्यान किया जाता है और मृत्युभय, व्यर्थता, एवं आत्म-पराभूत चेतना का परिहार भी। इस दृष्टि से आत्म-सजगता है, तथा संघर्ष की इच्छा भी। सचेतन कहानीकार भविष्यहीन नहीं है। वस्तुत: समकालीन कहानी साहित्य इन्हीं विशेषताओं को लेकर विकसित हो रहा है। इसे स्वतंत्र आन्दोलन न कहकर यदि 'नईकहानी' में अन्तर्व्याप्त 'अकहानीत्व' का विरोध करने वाली समकालीन धारा कहा जाय तो अधिक उचित होगा।

3. समकालीन कहानी की सम्भावनाएँ – कथ्य के संबंध में समकालीन, कहानी परम्परा – मुक्त होने के सफल प्रयास कर रही है। आज का कहानीकार किसी भी 'कथ्य' पर अवलम्बित नहीं रहा है। सतही और सामान्य कथ्यात्मकता से आज की कहानी मुक्त हो रही है।

इन कहानियों में जो दुनिया उभर रही है, उसमें रहने वाला व्यक्ति किसी भी व्यवस्था का गुलाम नहीं है। वह यथास्थिति को भी स्वीकार नहीं करता, पर सक्रिया जरूर है, इसलिए इस 'दुनिया' का व्यक्ति भविष्यवादी न होकर भी आने वाले भविष्य की खोज कर रहा है। इसे कमलेश्वर ने 'आगतवादी' कहा है। इस दुनिया का व्यक्ति भविष्य के किसी सपने को संजोना नहीं चाहता, क्योंकि वह पूर्णत: सपनों से मुक्त है। इसीलिए किसी भी नारे और घोषणा बाजी में उसका विश्वास नहीं है। इस दुनिया का 'व्यक्ति' अपने लिए अपनी दुनिया चाहता है, एक ऐसी दुनिया जो वर्तमान की विसंगतियों से निकलना चाहती है और आने वाले 'कल' के प्रति सचेत है। इस दुनिया का व्यक्ति अपनेपन की 'पहचान' की तलाश में अग्रसर रहा है। इसका कोई पिछला 'कल' नहीं न अगला 'स्पप्न-प्रेरित' 'कल' वह उधर जा रहा है जिधर सही जमीन की संभावनाएँ है। इस मार्ग पर भी वह झूठ को छाँटते जा रहा है। उसकी विकास 'यात्रा' 'जैनुइन' की तलाश की यात्रा हैं।

निष्कर्ष – हिन्दी साहित्य का यह सौभाग्य है कि 'नई कहानी' में कुछ बरसों पहले आये हुए ठहराव को खत्म करके नई कहानी की समकालीन धारा विकास के नैरन्तर्य को कायम रख सकी हैं।

समकालीन कहानी ने जिस सही दिशा का अनुसरण किया है, जिससे हिन्दी कहानी के भविष्य के प्रति हमारे मन में निश्चित आशाएँ बँध रही है और कई संभावनाएँ उभर रही है। आज की स्थिति को देखकर हमें संतोष होता है कि समकालीन कहानी आधुनिक जीवन की संक्रांत स्थितियों को बड़ी सूक्ष्म निगाह से पहचान रही है, और अपनी पहचान की रचना विस्तार के कलात्मक साँचे में ढालना चाहती हैं। व्यक्ति की इस जटिल खोज की प्रक्रिया को समकालीन कहानी रचना में घटित करना चाहती हैं। इसकी ने कोई सीमा है न पंथ, न रास्ता न दिशा ..... यहाँ न कुछ श्लील है न अश्लील, न होई ग्राह्य है न अग्राह्य, न अच्छा है न बुरा, न शिव न अशिव, न कुस्सिम न सुन्दर। यहाँ जो कुछ है, वह मनुष्य ही है और मनुष्य के आदिम या असल रूप की खोज ही समकालीन कहानी की मूल संवेदना और स्वर है। हमारा कहानी साहित्य विकास की उस सीमा तक पहुँचा है जहाँ से कि वह किसी भी देश की सुन्दरतम् कहानियों से प्रतिद्वंदिता कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूंची :-

1. आधुनिक हिन्दी कहानी सम्पादक धनंजय वर्मा म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
2. हिन्दी कहानी – संरचना डॉ. साधना शाह पृष्ठ 59 वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. डॉ. रामविलास गुप्त, वीना गुप्ता कमल प्रकाशन 922, कूँचा रोहिल्ला खाँ तिराहा बैरमखाँ, नई दिल्ली।
4. स्वतंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी का विकास – डॉ. सुबेदारराय, अनुभव प्रकाशन श्रीनगर, कानपुर पृष्ठ 48।
5. नई कहानी उपलब्धि और सीमाएँ गोरधन सिंह शेखावत पृष्ठ 85।
6. डॉ. पारसनाथ तिवारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद।

****

प्रेमचन्दोत्तर युग और कहानी की पृष्ठ भूमि

डॉ. विमला मिंज *

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य में गद्य और गद्य में विशेषकर कहानी में दलित चेतना को शब्दो में आकार देने वाली कहानी और कहानीकार दोनो को कलमकारों ने स्वानुभूति और सहानुभूति दो श्रेणियों में बॉटा है। इस दृष्टि से देखा जाये तो सहानुभूति दलित चेतना में स्वाधीनता के पहले देखी जा सकती है और स्वानुभूति स्वाधीनता के बाद। जो कलमकार स्वानुभूति की चर्चा कर रहे है वे है जिन्होनें दलित चेतना को साहित्य में उकेरने दलित की स्याही से अपनी पीड़ा को कागज के पृष्ठो पर आकार दिया वहीं स्वानुभूति कथाकारों ने साहित्य को समाज का दर्पण मानने वाली रीति परम्परा का निर्वहन करते हुये अपनी नंगी ऑखों से सामंती व्यवस्था में जातिगत पक्षपात उत्पीड़न जातियों के मर्म को देखा और उसका काल्पनिक पात्रों के माध्यम से सजीव चित्रण किया। इस दृष्टि से देखा जाये तो स्वानुभूति कथाकार अनुभव जन्य भोग्या दृष्टा थे और सहानुभूति कथाकार सिर्फ दृष्टा। लेकिन कभी–कभी स्वाधीनता के बाद के विशेषकर समान्तर कहानी की अंत: चेतना में उपजे कथाकारों की पीड़ा और तर्क की सहानुभूति की तुलना में स्वानुभूति के कथाकारों की दलित चेतना संबंधी कथ्य कथानक और कहानियॉ ज्यादा मर्म स्पर्शी है, प्रभावी हैं और दलित वर्गो के उत्थान तथा शासन में सामाजिक न्याय मांग के साथ उसे स्थापित कराने में ज्यादा कारगर है।

शोधकर्ता को भी विश्वास होने लगता है उसका मन और साहित्य का विदोहन इस पक्ष में जुड़ता और तर्क में सहमत होता इसलिए दिखायी देता है कि यदि सन् 1900 से 1950 तक के युग को गद्य साहित्य के उद्भव और विकास का काल माना जाये तो यह ऐसा काल था जहॉ भारत में अंग्रेजी शासन था और उसे उखाड़ने विभिन्न सामाजिक संस्थायें राजनीतिक पुरूष, महापुरूष, संस्थायें, समाज सुधारक और साहित्यकार लगभग सभी अपने–अपने स्तर पर इस पुरूषार्थ में तन–मन–धन से तल्लीन था। इस दौरान सामाजिक बुराईयों, अस्पृश्यता के लिये गांधी–अम्बेडकर–मार्क्स के विचारों और आंदोलन का प्रमाण साहित्यकारों पर पड़ा ? दलितों की समस्या यदि सामतंवादी युग से, वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ी है, या यूं कहे कि वर्ण व्यवस्था और दलित समस्या एक दूसरे के पर्याय हो तो सन् 1900 से लेकर 1950 तक अर्थात भारतेन्दु युग से नई कहानी के प्रादुर्भाव के पूर्व तक कथा साहित्य में समर्पित–तल्लीन–समाज के मर्मस्पर्शी साहित्यकारों में सिर्फ प्रेमचंद, निराला, अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा और नार्गाजुन के कानों में ही दलितों की पीड़ा और ऑखों में दृश्य नजर क्यों आये जबकि इन पचास वर्षो में कम से कम पॉच सौ नामचीन साहित्यकारों ने साहित्य रूपी दर्पण में समाज के रेखाचित्र को खींचा होगा। उनके इन रेखाचित्रों में समकालीन परिदृश्य तो देखा गया लेकिन शूद्र–दलित की पीड़ा स्पंदित नहीं हुई, क्यों ? ऐसा नहीं है कि इस समय के साहित्यकारों को इन्द्रिय संवेदनायें, संचेतनायें और संज्ञान नई कहानी के बाद के साहित्यकारों की तुलना में कम थी, नगण्य थी या अचेतन थी ? इस प्रश्न ने सत्तर और अस्सी के दशक के दलित कथाकारों के अंदर एक वैचारिक आन्दोलन को जन्म दिया और साहित्य का बंटवारा करने की साजिशे चलने लगी।

आधुनिक दलित लेखकों के एक बड़े वर्ग ने घोषित कर रखा है कि दलितों द्वारा लिखा साहित्य स्वानुभूति का साहित्य है, अत: वही दलितों की पीड़ा का सच्चा साहित्य है। गैर दलितो द्वारा दलितो की पीड़ा के विषय में लिखा गया साहित्य सहानुभूति का साहित्य है उसमें पीड़ा की वैसी अनुभूति नहीं हो सकती है जैसी स्वानुभूति के साहित्य में होती है।

राजेन्द्र यादव तो सीधे–सीधे आरोप लगाते है कि साहित्य भी ब्राम्हणवाद का शिकार रहा है।.....1850 से 1950 तक के साहित्य पर केवल एक वर्ण है जो छाया हुआ है केवल ब्राम्हण। पूरे परिदृश्य में सिर्फ तीन वैश्य है लाल श्रीनिवास, भारतेन्दु और मैथिलीशरण गुप्त। इसी क्रम में वे प्रेमचंद और महादेवी सदृश्य एक दो कायस्थों का उल्लेख भी कर देते है। इनमें अपवाद स्वरूप भी कोई दलित लेखक नहीं है।

शरण कुमार लिम्बाले से लेकर ओम प्रकाश बाल्मिकि, मुद्राराक्षस, कंबल भारती, जयप्रकाश कर्दम श्यौराज्य सिंह बैचेन, डॉ0 तुलसीराम, डॉ0 धर्मवीर प्रभृति अनेक दलित चिंतक इस मत के प्रबल समर्थक है कि दलित की पीड़ा पर दलित ही लिख सकता है।

रमणिका गुप्ता लिखती है – मेंरी राय में दलित साहित्य दलित ही लिख सकता है, क्योंकि अपने यथार्थ को भोगा है। गैर दलित केवल संवेदना को लिख सकता है। उसका आधार सहानुभूति होती है। लेकिन दलित द्वारा कुछ भी लिखा हुआ दलित साहित्य नहीं कहलाता। क्योंकि दलित साहित्य डॉ अम्बेडकर के नकार एवं स्वीकार पर आधारित है।

डॉ0 धर्मवीर लिखते हैं – दलित चिंतन की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि गैर–दलित लोग इस चिंतन का प्रतिनिधित्व करने का दावा पेश कर जाते है। दलित चिंतन को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने के मार्ग में इससे ज्यादा बड़ी रूकावट नहीं हो सकती। यह इतना बड़ा धोखा है कि कई बार दलित चिंतक इसका प्रभावी उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में सब कुछ गड्म–गड्ड हो जाता है और बात साफ उभर कर नहीं आती। इसका मूल कारण द्विजों का उदारवाद है जो सच में कभी उदार नहीं हो सकता।

कंबल भारती, राजेन्द्र यादव की तरह साहित्य के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुये प्रश्न करते है कि – हमारे पास कम से कम तीन दर्जन दलित लेखकों के नाम है जो सत्तर के दशक में उभरे दलित साहित्य से काफी पहले हिन्दी साहित्य में दलित चेतना की दस्तक दे रहे थे।

लेकिन साहित्यकारों का एक पक्ष यह कहता है कि दलित साहित्यकारों

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.) भारत

को ही दलित चेतना को साहित्य जगत में विकसित करने का श्रेय दिया जाना चाहिये यह साहित्य, आदिवासी साहित्य, नारी साहित्य, किशोर साहित्य, राजनीतिक साहित्य इत्यादि।

शोधकर्ता भी इस पक्ष में नहीं है कि साहित्य और साहित्यकारों की दलित चेतना की दृष्टि को दलित साहित्यकार और गैर दलित साहित्यकार जैसी दो संकुचित सीमाओं में बॉटा जाये। वह सभी कलम-कलमकार और उनकी संवेदनाओं, मनोभावों और चेतना को दलित चेतना के अंतर्गत माना जाना चाहिये जिसने दलितों के उत्थान के लिये उनकी समस्या से संपूरित एक शब्द भी साहित्य को दिया हो लेकिन मेंरी वेदना सिर्फ यह है कि 1900 से नई कविता के पूर्व तक अर्थात 1900 से 1950 तक लगभग इस युग के अधिकांश नामचीन साहित्यकारों ने प्रेमचंद का अनुसरण किया लेकिन प्रेमचंद की शिल्पगत, विशेषताओं का तो अनुसरण और अनुकरण किया लेकिन दलित वेदना को अपनी रचनाधर्मिता क्यों नहीं बनाया। मुझे लगता है कि कहानी के प्रादुर्भाव से मध्यांतर बल्कि समानांतर कहानी तक के इतिहास में प्रेमचंद ने अपनी साढ़े तीन सौ से अधिक कहानियों में मानसरोवर के भाग एक से आठ तक में दर्जन भर कहानियों में दलित की समस्याओं और उनके दर्द के मर्म को चित्राकित नहीं किया होता तो शायद सत्तर, अस्सी और नब्बे के दशक के स्वानुभूति कथाकारों को सहानुभूति कथाकारों को ढूंढना पड़ता।

प्रेमचंदोत्तर युग – 8 अक्टूबर 1936 में युग पुरूष प्रेमचंद की मृत्युपरांत भी प्रेमचंद की कथा परम्परा का निर्वहन प्रेमचंद कालीन कथाकारों एवं प्रेमचंदोत्तर युग के कथाकारों ने भली भॉति किया हिन्दी साहित्य में भारत की स्वाधनीता के पूर्व के अंतिम लगभग एकदशक तक का युग प्रेमचन्दोत्तर काल कहा जाता है। दूसरे अर्थो में हम राजनति की भाषा में प्रेमचंदोत्तर युग को लिपिबद्ध करे तो अंग्रेजी शासन काल में पारित 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से 1947 के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम तक का काल प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जाना जा सकता है। साहित्य की दृष्टि से नई कहानी के पूर्व और प्रेमचंद युग के बाद के कार्यकाल को भी प्रेमचंदोत्तर काल कहा जा सकता है। इस युग को संक्रांति युग के नाम से भी जाना जाता है।

संक्रांति युग में नवीन प्रवृत्तियों ने जीवन दर्शन और व्यक्ति विश्लेषण में सर्वथा नूतन अध्याय उपस्थित किया तथा इनसे कहानी कला में अपूर्व विस्तार एवं परिवर्तन हुआ और विविध प्रयोगों के लिये प्रशस्त हुआ। संक्रांति युग के कहानीकारों का स्वातन्त्रयोत्तर युग में महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इन कहानीकारों ने आजादी की लड़ाई को देखा ही नहीं था जिया भी था। सन् 1936 से सन् 1947 का समय भारतीय जीवन के संघर्ष का समय था और कहानी साहित्य में संक्रांति का काल है। हिन्दी कहानी पर गांधी, मार्क्स, अरविन्द एवं फ्रायड के प्रभाव ने कहानी को प्रेमचंद पूर्ववर्ती एवं प्रेमचंद युगीन कहानी से एकदम विपरीत धरातल पर खड़ा कर दिया।

संक्रांति युग में मानवविश्लेषण के विकास ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य का बाह्यजगत जितना महत्वपूर्ण है, उसका अन्तर्गत उससे कहीं अधिक शक्तिशाली एवं जटिल है। गहरी दृष्टि और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति ने संक्रांति युग की कहानी को अपूर्व मौलिक दिशा दी। विद्रोह, पाप, अपराध, स्त्री-पुरूष संबंधों का नये सिरे से अध्ययन हुआ और इलाचंद जोशी तथा जैनेन्द्र कुमार ने मानसिक स्थितियों के सूक्ष्म विश्लेषण किये। फ्रायड के अनुसार हमारी समस्त मन स्थितियॉ, मनोद्वगों और मनोविकारों का मेंरूदंड यौन भावना ही है। फ्रायड ने सिद्ध किया कि प्रेम-वासना और इनके आधार पर नीति, अनीति, सच्चरित्र-दुश्चरित्र आदि कोई मान्यतायें सत्य नहीं है, केवल भ्रम है। इलाचन्द्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, उपेन्द्रनाथ अश्क आदि ने यौनजन्य अस्वस्थ्य कुंठाओं, भ्रांतियों, उलझनों, विकृतियों को सुलझाने का तथा उनके स्वस्थ्य रूप का चित्रण किया।

राजेन्द्र यादव लिखते है – प्रेमचंद युगीन कहानियों का स्वर यदि दया-ममता, करूणा-प्यार, सच्चरित्रता शील, ईमानदार, न्याय, सद्भावना इत्यादि सद्वृत्तियों की भावुक स्थापना का है तो जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, इलाचंद जोशी का इन स्थापित मूल्यों पर हर तरफ से शंका और प्रश्नो का।

इन परिवर्तनों को लक्ष्य करते हुये डॉ0 सुरेश सिन्हा ने लिखा है – ज्वालामुखी फट चुका था और उसके विस्फोट को तथाकथित सामाजिक सुधारक रोक सकने में असमर्थ थे। समाज में मध्यम वर्ग नवीन चेतना से संचालित हो रहा था और उसे अपना भी महत्व समझ में आने लगा था। वह यह समझने लगा था कि उसकी पीड़ाएं, उसका दु:ख दर्द, उसकी भावनाऍ, प्रेम विवाह संबंधी निराशा और कुण्ठाऍ – इन सबके अपने-अपने अर्थ है और समाज को उनके वैयक्तिक मनोभावों को समझना होगा। उनके अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था, क्रांति की चिनगारी आग उगलने को तैयार थी और सामाजिक रूप विधान का तख्ता पलट देने के शोले भड़क चुके थे। समय बड़ा नाजुक था और उस समकालीन कहानीकार विमुख नहीं रह सकता था। फलस्वरूप प्रेमचंदोत्तर काल में स्थिति में परिवर्तन हुआ और व्यक्तिवादी भावनाओं ने कहानीकारों की मन: स्थिति को अपने स्पन्दन से गुदगुदाना और झंकृत करना प्रारंभ किया। हिन्दी में जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, इलांचद जोशी, भगवतीचरण वर्मा तथा उपेन्द्रनाथ अश्क आदि कहानीकारों ने इस काल में व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन पर आधारित कहानियॉ लिखी। इनकी कहानियों में समष्टिगत जीवन चिंतन की तुलना में व्यष्टिगत जीवन-चिंतन को अधिक महत्व दिया गया है। इनमें व्यक्ति स्वातन्त्र्य की भावना का सबल स्वर उद्घोषित होता है।

प्रो0 महेन्द्र प्रताप ने कहानी – पथ की भूमिका में लिखा है कि प्रेमचन्दोत्तर कहानीकारों में तीन लेखक प्रसाद की अन्तर्मुखी धारा की परम्परा में आते है। वे है – अज्ञेय जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी। शेष कहानीकार जैसे – यशपाल, उपेन्द्र नाथ अश्क, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती प्रसाद वर्मा, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुर सेन, विष्णु प्रभाकर आदि प्रेमचंद की बहिर्मुखी धारा की परम्परा में आते है। इन कहानीकारों ने मुख्यत: समाज की बाहय एवं आभ्यान्तरिक समस्याओं को लेकर काफी स्वाभाविक ,सफल कहानियॉ लिखी।

अज्ञेय मनोवैज्ञानिक कहानीकार है, पर जैनेन्द्र कुमार की भांति वे घोर आत्मपरक नहीं है। उनका व्यक्तित्व कवि और कथाकार दोनों का है। अज्ञेय और इलाचंद जोशी पर फ्रायड के यौनवाद का प्रभाव है। इनके कहानी संग्रह है – विपथगा, परम्परा, कोठरी की बात, और जयदोल आदि। आपकी बहुचर्चित कहानियॉ है। जयदोल, हीलीबोनख की बत्तखें, परम्परा, मेंजर चौधरी की वापसी, रोज, झितिन बाबू, शत्रु, सेब और देव, जीवन शक्ति , शरणदाता, लेटर बाक्स, बदला, बसन्त और कवि प्रिया आदि।

जैनेद्र ने हिन्दी कहानी में एक नये युग का आरंभ किया। दार्शनिकता और मार्मिकता उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषताऍ है। इनकी अधिकांश कहानियॉ मनोविश्लेषण प्रधान है। आपने आन्तरिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण अपनी कहानिया में प्रस्तुत किया है। डॉ0 लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय लिखते है कि वे दार्शनिकऔर विचारक कहानी – लेखक के रूप में हमारे सामने आते है। इसके अतिरिक्त उन्होने हिन्दी कहानियों को एक नयी अन्तदृष्टि, संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई प्रदान की। उन्होनें सामान्य मानव की परिस्थितियॉ न लेकर असामान्य मानव की असामान्य परिस्थितियों

से प्रभावित मानसिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया है। उनका दृष्टिकोण समाजवादी की अपेक्षा व्यक्तिवादी, भौतिकवादी की उपेक्षा अध्यात्मवादी अधिक है।

क:पन्था, नीलमदेश की राजकन्या, प्रियव्रत, जाहनवी, तत्सत्, पाजेब, राजकन्या, महामाया, जय सन्धि, एक रात, राजीव की भाभी अपना-अपना भाग्य आदि उनकी प्रमुख कहानियॉ है।

इलाचंद जोशी जितने उपन्यास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उतने कहानी के क्षेत्र में नहीं। फिर भी उनकी कई कहानियॉ बड़ी ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी है, जैसे - डायरी के नीरस पृष्ठ, रोगी खण्डहर की आत्माएँ, रोमांटिक छाया, आहुति, होली और दीवाली, प्रेम और घृणा, विद्रोही, पागल की सफाई आदि। इन कहानियों पर फ्रायड के यौनवाद का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

कहानी कला की दृष्टि से यशपाल हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानी-कारों में से एक है। इनकी कहानियों में निम्न तथा निम्न-मध्यवर्गीय जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। यशपाल जी के आगमन से हिन्दी कहानी-साहित्य को एक सुदृढ़ और नवीन आधारशिला मिली। डॉ0 शिवकुमार शर्मा के अनुसार - कहानी के इस संक्रांति -युग में अनेक नवीन प्रवृत्तियॉ उद्भुत हुई। इन प्रवृत्तियों को मुख्यत: दो क्षेत्रों में रखकर बांटा जा सकता है। -
1. सांस्कृतिक 2. सामयिक। सांस्कृतिक क्षेत्र में जीवन-दर्शन और मनोविज्ञान की दो धाराएँ आती है, जबकि सामयिक में साम्यवाद और यौनवाद की दो मूल धाराएँ आती है। सांस्कृतिक प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कहानीकार है जैनेन्द्र, साम्यवाद के यशपाल और यौनवाद के अज्ञेन जी।

इनकी कहानियों में यथार्थ के परिवेश पर समाज की रूढ़ियों, कुरीतियों आदि का चित्रण हुआ है और उनकी आलोचना की गई है। यशपाल ने अनेक प्रकार की सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियॉ लिखी है। यशपाल की मुख्य कहानियॉ है - धर्मयुद्ध, शर्त, रोटी का मोल, कर्मफल, दु:ख, कलाकार की आत्महत्या, साग, आदमी का बच्चा, फूलो का कुर्ता और चिनगारी आदि।

उपेन्द्रनाथ अश्क का दृष्टिकोण यशपाल से मिलता-जुलता है। इनकी कहानियों में - पिंजरा, पाषाण, खिलौने, मरूस्थल, चट्टान आदि उल्लेखनीय है। विष्णु प्रभाकर की - धरती अब भी घूम रही है, अभाव, मेंरा वतन, आदि उत्कृष्ठ कहानियॉ है, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार की - डाकू, तीन दिन तथा मास्टर साहब, बहुचर्चित कहानियॉ है।

भगवतीचरण वर्मा का इस युग के सफल कहानीकारों में प्रमुख स्थान है। खिलते फूल, इन्सटालमेंट, विक्टोरिया क्रास, दो पहलू, विवशता, आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियॉ है। अमृतलाल नागर की - जुएँ, अकबरी लोटा, प्याले में तूफान, लंगूरा, आदि उल्लेखनीय कहानियॉ है। आचार्य चतुरसेन की दुखवा मैं कासौ कहूं मोरी सजनी, और वावर्चिन तथा चन्द्रकिरण सौनरैक्सा का कहानी - संग्रह, आदमखोर भी बहुत प्रसिद्ध है।

इनके अतिरिक्त कुछ हास्यरस की कहानियॉ भी लिखी गई। हास्यरस की प्रमुख कहानियों के लेखक है - हरिशंकर शर्मा, बेढब बनारसी, जयनाथ नलिन, देवेन सत्यार्थी, रांगेय राघव, प्रभाकर माचवे, सुभद्राकुमारी चौहान, उमा नेहरू, ऊषा देवी मित्रा महादेवी वर्मा, चन्द्रप्रभा और विद्यावती शर्मा आदि।

संदर्भ ग्रंथ सूंची :-

1. कहानी स्वरूप और संवेदना - राजेन्द्र यादव - वाणी प्रकाशन नई दिल्ली।
2. दूसरी दुनिया का यथार्थ (दलित कहानियॉ) - रमणिका गुप्ता - नवलेखन प्रकाशन हजारी बाग बिहार।
3. हाशिये की वैचारिकी - उमाशंकर चौधरी अनामिका पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
4. दलित चिंतन विकास : अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर - डॉ0 धर्मवीर
5. हिन्दी कहानी उद्भव और विकास - सुरेश सिंहा।
6. हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियॉ - शिवकुमार शर्मा।
7. हिन्दी साहित्य का इतिहास - लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय।
8. कहानीपथ, भूमिका - महेन्द्र प्रताप।

****

कबीरदास के विचारों का आज के भारतीय समाज पर प्रभाव

डॉ. निशा द्विवेदी *

प्रस्तावना – कबीर के विषय में अपना मत प्रस्तुत करने वाले न तो गतानुगतकों की कमी है और न क्रांतिकारियों की। पर इन क्रान्तिकारियों की बातें एवं कबीर से प्रभावित विचार आज के समाज को उतना प्रभावित नहीं कर पाए हैं जितना की कबीर ने प्रभावित किया था। कबीर के विचारों का आज के भारतीय समाज पर उतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है जितना की पड़ना चाहिए। परन्तु ऐसा न होने का एक कारण यह भी है कि कबीर के विचारों को मानने वाले उन्हें पसंद करने वाले तो इस समाज में बहुत हैं परन्तु कबीर की तरह सच को सच कहने का साहस उनमें नहीं है और न ही उनमें कबीर की तरह बाजार में खड़े होकर अपना घर जलाकर दूसरों को अपना घर जलाने को कहने का साहस है। आज प्रसिद्ध होने के लिए कवि बनने के लिए लोग बड़े व्याख्यान दे डालते हैं उनके लम्बे लम्बे लेख न्यूज पेपरों में, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं पर उनमें इतना साहस नहीं है कि अगर कोई आई.पी.एस. आफिसर बुरा कर रहा है तो वह सब के सामने उसकी गलतियां रख सके। उन्हें उस समय अपने पद की चिन्ता सताने लगती है। वे सब कुछ जानते हुए कुछ कह नहीं पाते वरन् उसे सम्मानित करते है भले ही उनका मन हो या न हो।

कबीर किसी भी बंधन में बंधने वाले नहीं थे। वे जो कुछ कहते थे सच कहते थे और परिणाम की चिन्ता नहीं करते थे। कबीर का विचार था कि **'सच बराबर तप नहीं। झूठ बराबर पाप। जाके हिरदय साँच है ताके हृदय आप**। परन्तु क्या आज का मानव समाज इस बात को स्वीकार करता है नहीं बल्कि, वह झूठ का पुतला बनकर रह गया है। सच को वह अपने से कोसों दूर रखता है, जैसे सच कोई छूत की बीमारी हो। तो हम यह कैसे मान लें कि आज के मानव समाज पर कबीर के विचारों का प्रभाव पड़ा है। आज भी स्थिति वही है बल्कि हम यह कहते हैं कि आज स्थिति पहले से भी बद्तर है। आज का मानव दिन रात माया (पैसे) के पीछे भाग रहा है। आज मानव पर यह उक्ति सत्य साबित हो रही है कि – **बाप बड़ा न भइया, सबसे बड़ा रूपइया'।** कबीर के विचार भी सत्य ही थे कि कलयुग के महात्मा (साधु) अत्यन्त लोभी होते हैं। ये लोग पीतल में रखी हुई खटाई की तरह विकृत भी होते हैं। ये स्वंम, राज दरबारों में सम्मान पाने के लिए ऐसे फिरते हैं जैसे हरही गाय स्वाद के वषीभूत होकर बार–बार रोकने पर भी फसलों में मुँह मारा करती है।

कबीर के अनुसार हमें अच्छी संगति में रहना चाहिये परन्तु आज सब बुरी संगति में ही फंसते जा रहे हैं। कोई गुरू का सम्मान नहीं करता और न ही कोई किसी को अपने से बड़ा मानता है। सभी अपने–अपने स्वार्थो की सिद्धि में लगे हुए हैं। आज मानव–मानव का दुश्मन बनता जा रहा है। चारों तरफ इतना भ्रष्टाचार, इतनी बुराईयों पनप रही है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जब तक कबीर के समान ही कोई फक्कड़, शुद्ध भाषी और निडर मनुष्य कबीर के समान अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तब तक इस समाज को सुधारना मुश्किल है।

वर्तमान समाज और कबीर के विचार – आज का युग विज्ञान की चरम उपलब्धि का युग है। मानव बुद्धिबल से प्रकृति की शक्ति को सवायत्त करने में सक्षम हो गया है। उसने अपने अज्ञात तथ्यों का पता लगाकर सृष्टि में अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रमाणित कर दिया है। वह किसी भी शक्ति के आगे अपने को निरीह, दीन–हीन, अक्षम मानने को तैयार नहीं है। विश्व की दूरी सिमट गई है। सुख–सुविधा के अनेक साधन अविष्कृत हो चुके है। विश्व मानव एक दूसरे के काफी समीप आ गया है। विज्ञान तथा औद्योगिक तकनीक के साथ ही साथ मानव की सोच और संवेदना में भी बदलाव आता जा रहा है।

वर्तमान समाज बस पैसे के पीछे भाग रहा है, न उसे खाने की चिन्ता है न सोने की, बस पैसा। कबीर के विचार में हमारे पास इतना धन होना चाहिये जो हमारे घर में समा जाए अर्थात् जितने की हमें आवश्यकता हो और हम भूखें न रहें अर्थात् पूरी तरह निर्धन भी न हो और हमारे द्वार से कोई भी साधू पुरूष भूखा वापस न जाए। इस संबंध में कबीर ने कहा है –

सांई इतना दीजिए, जामें कुटुम समाय।
मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय ।।

परन्तु आज का मानव यह सोचता है और दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता है –

सांई इतना दीजिए, जो मेरे कुटुम न समाय।
मैं तो भूखा न रहूँ, भाण में जाय खुदाय।

कबीरदास का विचार यह कहता है कि स्त्री सारे संसार की जूठन है। इसके संबंधों से भले और बुरे का ज्ञान होता है। जो उत्तम प्रकृति के पुरूष है वे इससे अलग रहते हैं परन्तु जो नीच प्रकृति के हैं वे इनके निकट रहते है। कबीरदास ने सुरा (शराब) और सुन्दरी से दूर रहने को कहा है–

जोरू जूठाणि जगत की, भले बुरे का बीच।
उत्यम् ते अलगे रहै, निकटि रहैं ते नीच ।।

और आज का मानव पूरी तरह से सुरा और सुन्दरी में डूबा हुआ है। नित्यप्रति डांसबार में जाना और शराब पीना इनका धर्म बन गया है। कबीर के समय का कोठा आज डांस बार के नाम से जाना जाने लगा है और इनमें जाना आज के मानव समाज का शौक हो गया है और आज मनुष्य हर ऐब को हुनर का नाम दिया जाने लगा है।

'सिद्ध चहकती महफिलें, रोज खनकते जाम।
उनके इक–इक ऐव को, मिला हुनर का नाम।'[1]

आज मानव समाज में इतनी समस्याएं, इतनी विकृतियॉ है कि अगर उनका मेल कबीर के विचारों, उनके उपदेशों से किया जायेगा तो शायद एक भी विचार आज के मानव द्वारा मान्य नहीं होगा।

आज समाज में मंहगाई की समस्या इतनी विकट हो गई है जिसने समाज को पैसे के पीछे भागने के लिए और भी मजबूत कर दिया है। मंहगाई की समस्या पर ठाकुरदास 'सिद्ध' का एक दोहा प्रस्तुत है –

* संविदा सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय इन्दिरा कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

लज्जा आवे दूध को, सुन पानी के दाम।
'सिद्ध'हाल लिख तो दिया, भेजूँ किसके नाम ।।

वर्तमान धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति एवं कबीर के विचार – धर्म के संबंध में भावात्मकता का संबल अब भी बना हुआ है। आठ सौ वर्षो से एक साथ रहते हुए भी हिन्दू मुसलमान के बीच तनाव की समस्या बनी हुई है। फलत: देश के किसी न किसी भाग में साम्प्रदायिक दंगों के कारण खून-खराबा होता रहता है। मंदिर-मस्जिद के विवाद समय-समय पर उठते रहते हैं। मंदिर -मस्जिद विवाद के कारण कितने ही निरीह एवं निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। धर्म के विखंडन एवं अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हिन्दू-मुस्लिम समस्या तो अपनी जगह है, सिख धर्म को हिन्दू धर्म से अलग मानकर नये धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया है।

समाज में ऊंच-नीच की भावना अब भी बरकरार है। छुआ-छूत में कमी अवश्य आयी है किन्तु जातिवाद का शिकंजा समाज को अभी भी जकड़े हुए हैं। जातिवाद स्वार्थवाद से जुड़कर और भी विशाक्त तथा घातक हो गया है।

आधुनिक काल में जब मनुष्य अधिक बुद्धिजीवी हुआ है, अधिक तार्किक हुआ है तब भी वह मस्जिदों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के माध्यम से नमाज अदा करता है। मुहल्ले-मुहल्ले में हिन्दुओं के द्वारा अखंड रामायण का पाठ खूब चिल्ला-चिल्लाकर यंत्रवत् किया जाता है जिसमें प्रचार की भावना अधिक भक्ति भावना कम होती है। पड़ोस में कोई बीमार है, या कोई परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत् है किन्तु किसी की परवाह किये बिना धर्म में तथाकथित श्रद्धालु गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं। जब मुसलमान चिल्लाते हैं तो हिन्दू क्यों न चिल्लायें। दोनों को ही समान अधिकार है। धर्म के नाम पर बड़े-बड़े जुलूस निकलते हैं, धर्म की मौज में झूमते हुए लोगों को नाक के आगे चलने से कौन रोक सकता है। चाहे जो भी अड़चन हो किन्तु उन्हें सीधे जाना है, गोली चले, लाठी चार्ज हो उनकी बला से। सौ पचास लोग मरेंगे धर्म तो बचा रहेगा और नहीं तो नेतागिरी चमकेगी। तीर्थस्थानों में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, धर्म के ठेकेदार तरह तरह का प्रलोभन देकर सामान जनता को ठगने का प्रयत्न करते हैं; रिश्वतखोरी, शोषण से एकत्रित पैसे को धार्मिक कार्यो में खर्च करके कुछ लोग अपने को कुकृत्य के दुष्परिणामों से मुक्त करने की चेष्टा करते हैं इस लिये तो कबीर ने बहुत पहले कह दिया था-

तीरथ तो सब बेलड़ी, सब जग मेल्या खाई।
कबीर मूल निकंदिया, कौंण हलाहल खाई।।
मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जांणि ।
दसवां द्वारा देहुरा, तामै जोति पिछांणि ।।

कबीर ने कथनी करनी के भेद को मिटाने, सच्चे मार्ग पर चलने, गुरूजनों के प्रति श्रद्धा रखने, सामान्य प्राणियों के लिए दयाभाव राने का जो उपदेश दिया है उसकी उपदेयता आज के संदर्भ में और अधिक बढ़ गई है।

धर्म के नाम पर हिंसा का जो दौर चल रहा है उसमें कबीर की विशुद्ध अहिंसावादी दृष्टि नया आलोक विखेरती है। धर्म के नाम पर पशुओं की हत्या करने वाले लोगों पर कबीर कितना नाराज थे, धर्म के नाम पर आदमी की हत्या करने वालों के लिए भी कबीर की वाणी में व्यंग्य की चोट कम नहीं है।

वैज्ञानिक मत और कबीर का मत – आज का युग विज्ञान की चरम उपलब्धि का युग है। विज्ञान के इस युग में अनुसंधान कर्ताओं ने ऐसी - ऐसी तकनीक का विकास कर लिया है जिससे वे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान कर भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह कार्य पहले भी होता था पर तब इस कार्य के लिये कोई तकनीक नहीं थी। कबीर के समय में भी कई ऐसी बातें कही गयी थी जो आज भी सत्य साबित हो रही है, परन्तु पहले जो बाते कहीं जाती थी वो कवि या लेखक की दूरदर्शिता के आधार पर कहीं व लिखी जाती थी। जैसे -

काल करै सो आज कर, आज करै सो अब ।
पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब।।

ये पंक्तियॉ बहुत समय पहले लिखी गई थी। शायद तब विज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था। पर इसकी उपादेयता आज भी सत्य साबित होती है। ऐसे कई मुहावरे एवं लोकोक्तियॉ हैं जो आज से कई सौ वर्ष पहले मानव मुख से निसृत हुए थे परन्तु उनका महत्व आज भी उतना ही मान्य है जैसे-

'कोयले की दलाली में मुंह काला ।'

अर्थात् बुरे काम से बुराई ही मिलती है और भी ऐसे कई प्रसंग है जिनसे यह बात साबित होती है कि विज्ञान के विस्तार से पूर्व भी मानवीय अनुभव के द्वारा भविष्यवाणियॉ की जाती थी। वर्तमान युग में वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा जिस कार्य को किया जाता है वह कार्य कबीर जैसे कवियों ने अपनी मानसिक शक्ति के आधार पर पूर्ण कर दिखाया है। विज्ञान ने जो भी कार्य किये हैं जैसे-हवाई जहाज का निर्माण, जलयान का निर्माण, दूरसंचार आदि। इन सबका आधार प्रकृति ही है उसने यह सब प्रकृति से ही लिया है। पंछी को हवा में उड़ते देख, हवाई जहाज का निर्माण किया, मछली को पानी में तैरते देख जलयान के निर्माण के विशय में सोचा। अत: हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान के विस्तार से पूर्व कवियों का भी एक विज्ञान होता था जो अनुभव के आधार पर भविष्यवाणी करने में सक्षम था जिसकी की हुई भविष्यवाणी आज के समाज पर भी लागू होती दिखाई देती है।

मानवता में कबीर का मत – भक्ति पथ के दो बड़े अवरोध हैं, शास्त्र और सम्प्रदाय। जो भक्ति भावना को अनाविल भले ही रखते हों, किन्तु सहज और सरल नहीं रहने देते। कबीर सहज में आस्था रखने वाले मानववादी व्यक्ति थे। इस्लाम को स्वीकार करने पर भी मजहबी कट्टरता से वह कोसों दूर थे। उनका कोई लगाव किसी रूढ़ और अंध मर्यादा से नहीं था। हृदय की स्वच्छ कसौटी पर विवेक की जो खरी लीक बनती है उसे ही कबीर सही मानते । अनुभव की तुला पर तथ्य और सत्य की परख का ग्रहण या त्याग की पद्धति ही उनका जीवन क्रम बन गया था।

मानवतावाद और भक्ति का प्रत्यक्ष गोचर संबंध कबीर से पहले नारद और शांडिल्य के भक्ति सूत्रों में भी लक्षित हुआ था, किन्तु वह पुस्तकीय संदेश था जो शिक्षित वर्ग की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सका। कबीर ने इसी मानवतावादी दृष्टि के उन्मेश में व्यापक स्तर पर योग दिया । भक्ति को व्यश्टि साधना के साथ समष्टि हित में प्रयोज्य बनाना ही सच्ची मानवतावादी दृष्टि समझी जाती है।

मानवतावाद की स्थापना के लिए कष्ट सहिष्णुता, तितिक्षा, पर दु:ख कातरता और अपरिग्रह की नितान्त आवश्यकता है। ये गुण संस्कृत एवं सभ्य व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। संस्कृति की चाहे कितनी ही गंभीर और जटिल परिभाषाऐं की जायें, किन्तु पर दु:ख कातरता और अपरिग्रह से बड़ा कोई दूसरा गुण सुसंस्कृत व्यक्ति में नहीं होता। मानवतावाद में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही यथार्थ में सभ्य एवं सुसंस्कृत पुरुष है। कबीर ने अपने जीवन में दूसरों के लिए कष्ट को स्वीकार किया था। उनका जीवन जनता के उद्बोधन में ही व्यतीत हुआ। वह अपने लिए नहीं संसार के लिए रोते ओर विलाप करते रहे। उन्होने सांई के सब जीवों के लिए अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया था। संसार के लिए उन्होने अपने आपको मिटा दिया था।

'सुखिया सब संसार है, खावै अरू सोवै ।
दुखिया दास कबीर है, जागै अरू रोवै ।'[2]

मानव- मानव में भेद उत्पन्न करने वाले ब्राह्माडम्बरों, मजहबों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के प्रति जैसा कठोर रूख कबीर ने अपनाया वैसा किसी और साधु संत या भक्त ने नहीं अपनाया था। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के नाम पर उस समय हिन्दी समाज में छुआछूत के साथ जातियों की अस्पृश्यता का मिथ्या प्रचार हो गया था। उसको कबीर ने कभी स्वीकार नहीं किया। कोई भी मानवतावादी व्यक्ति इस प्रकार की संकीर्ण भावना को समाज में जीवित नहीं देख सकता।

मानवतावादी कबीर ने ईश्वर-भक्ति के प्रपंचों को भी चुनौती देने का साहस दिखाया था। कदाचित उससे पहले इतने निर्भीक और तटस्थ भाव से किसी और संत ने यह पराक्रम नहीं किया था।

संक्षेप में, कबीर ने खण्डनात्मक शैली से जो कुछ कहा उसमें मानवतावाद की ही पुकार है, किसी धर्म से द्वेष या वैमनस्य नहीं। कुछ आलोचकों ने उसकी इस प्रखरता को दोश मानकर उन्हें केवल समाज सुधारक ठहराया है जो उनकी मूल भावना के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता। वस्तुत: कबीर तो मानव प्रेमी और मानवतावादी महापुरुष थे। भगवान में अटूट विश्वास के कारण नर में नारायण की प्रतीत ने उन्हें मानवतावाद की ओर उन्मुख किया था। इस लिये कभी किसी मानव से उन्होने घृणा या द्वेष का व्यवहार नहीं किया। नर मे नारायण को देखने के कारण ही उनकी दृष्टि सच्ची आस्तिक भावना से ओतप्रोत हो गई थी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. कबीर की प्रगतिशील चेतना -डॉ जगदीश्वर प्रसाद (प्रकाशन - नई कहानी 170, अलोपी बाग इलाहाबाद)।
2. कबीर ग्रन्थावली-रामकिशोर शर्मा (प्रकाशन- लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद, नई दिल्ली, पटना)।
3. कबीर की विचारधारा - डॉ. गोविन्द त्रिगुणायत (साहित्य निकेतन, श्रद्धानंद पार्क, कानपुर-9)।
4. अखण्ड ज्योति (मासिक)अंक-3 अखण्ड ज्योति संस्थान घीयामंडी, मथुरा।
5. शीतलवाणी - कमला प्रसाद स्मृति अंक।
6. कबीर वाणी पीयूष - डॉ. जयदेव सिंह एवं डॉ. वासुदेव सिंह।
7. दोहा-दोहन- आचार्य विद्यासागर।

****

अज्ञेयजी के काव्य में व्यक्ति तथा समाज

डॉ. आईशा खान *

प्रस्तावना – अज्ञेयजी पर समीक्षकों ने व्यष्टिवादी और अहमवादी होने के आरोप लगाए हैं। प्रारंभिक कविताओं में अज्ञेय व्यक्तिवादी प्रतीत भी होते हैं, परन्तु बाद की कविताओं में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट होता चला गया। उनके काव्य में व्यक्ति को महत्व दिया गया, परन्तु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि वे समाज के महत्व को नकारते हैं।

उनकी मान्यता रही है कि समाज व्यक्ति को अनुशासन में बांधकर उसकी स्वतंत्र व्यक्ति–सत्ता को आहत करने की चेष्टा करता है जो अनुचित है। हॉ! व्यक्ति स्वत: ही समाज से अपनत्व रखकर उसके प्रति समर्पित हो तो ठीक है। ऐसा होने पर व्यक्ति का अहम् भी तुष्ट होता है और आत्मदान का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस दृष्टि से देखने पर अज्ञेय के काव्य–विकास के प्रारंभिक सोपान पर उन्होंने अवश्य ऐसी रचनाएँ लिखी जो उनकी व्यक्तिवादिता एवं अहंनिष्ठता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें कवि ने व्यक्ति पर समाज के अवांछित बोझ और नियंत्रण को अपने अहम् से अस्वीकार कर दिया।

'भग्नदूत' की कुछ कविताओं में कवि की व्यक्तिवादी दृष्टि उभरकर आई है। **'दिवाकर के प्रति दीपय'** कविता में व्यक्ति वैशिष्ट्य का बिगुल साफ सुनाई देता है –

'ज्योति तुम्हारी अक्षय है पर,
जला–जलाकर नहीं बनी है।
और इधर यह शिखा कंपमय
यह मेरी कितनी अपनी हैं।।'

इसी प्रकार 'बत्ती और शिक्षा', 'दीपावली का एक दीप', जैसी कविताएँ उनके व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को प्रबलता प्रदान करती हैं, परन्तु ये तो शुरूआत थी। कवि ने अपने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए 'आत्मनेपद' में लिखा है कि 'जो मनुष्य, उस मनुष्य, अनेक मनुष्यों को अलग–अलग जीवंत और संवेदनशील इकाईयों के रूप में नहीं जानता और अपनाता, वह मूढ़ है, किन्तु जो इसके बावजूद 'जनता, 'मानवता', यमासेज' आदि के नाम पर आव्हान करता है वह ऐसा मूढ़ है जिसके हाथ में आग है।'

दीपावली के एक दीप में कवि ने अपनी इसी व्यक्तिवादी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए समाज में व्यक्ति के महत्व को रेखांकित किया है –

'बना रखी थी हमने दीपों की सुंदर ज्योर्तिमाला।
रे! कृतध्न, तूने बुझकर क्यों उसको खंडित कर डाला।।

इन पंक्तियों में जहाँ एक तरफ दीपक की पीड़ा उभरी है कि दीपक अग्निशिखा को सिर पर धरे इस आशा में था कि उसके इस दीये का सम्मान होगा और उसे कृतज्ञता प्राप्त होगी और हुआ आशा के विपरीत। उसे तिरस्कार और अपमान ही मिला। वहीं दूसरी तरफ कवि यह ध्वनित करने में भी सफल रहा कि यदि एक दीपक का महत्व नहीं तो फिर उसके बुझने पर अन्तर नहीं पड़ना चाहिए था परन्तु अन्तर पड़ा और उसे 'कृतध्न' कहा गया अर्थात एक–एक दीप से ही ज्योर्तिमाला सजती है। व्यक्तियों से ही समाज बनता है। सामान्यत: व्यक्ति का तिरस्कार करके समाज को महत्व दिया जाता है, यह भूलकर कि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। इकाई तो वह कड़ी है, जिसने श्रृंखला को जन्म दिया है। इकाई से श्रृंखला, व्यक्ति से समाज और व्यष्टि से समष्टि तक पहुंचना ही अज्ञेय का मंतव्य है। उनका अहं उनके विराट् व्यक्तित्व का उद्घोषक है। यौवन के तीव्र आवेग में लिखी कविताओं में अज्ञेयजी ने खुलकर अपने अंह का उद्घोष किया है –

'मैं आस्था हूँ
तो मैं निरन्तर उठने की शक्ति हूँ
मैं संघर्ष हूँ जिसे विश्राम नहीं
जो है मैं उसे बदलता हूँ
जो होगा उसे मुझे ही तो लाना है।'

यह अहं, यह व्यक्तिनिष्ठता की अज्ञेय को 'अज्ञेय' बनाती है। यह एक व्यक्ति का आत्मविश्वास है जो उसके व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित कर उसे विशिष्ट बनाता है। अज्ञेय व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और विशिष्टता को सर्जनात्मक उपलब्धि मानते हैं –

'बावरे अहेरी रे
कुछ ही अवध्य नहीं तुझे बस आखेत है :
एक बस मेरे मन–विवर में दुबकी कलौंस को
दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जायेगा?
ले, मैं खोल देता हूं कपाट सारे
मेरे इस खंडहर की शिरा–शिरा छेद दे
आलोक की अनी से अपनी
गढ़ सारा ढाह कर दूह भर दे।'

कवि का आत्म–स्वीकार भी वैयक्तिक–विशिष्टता की ओर संकेत करता है –

'अच्छी कुंठा–रहित इकाई
साँचे ढले समाज से,
अच्छा
अपना ठाठ फकीरी
मंगनी के सुख साज से।'

अज्ञेय का 'अहं' समवाय का विरोधी नहीं, बल्कि समाज का पोषक है। उन्हें अहंनिष्ठ कहने वालों को उन्होंने उत्तर दिया –

'अहं ! अन्तर्गुहावासी ! स्वरति ! क्या मैं चीन्हता कोई न दूजी राह?
जानता क्या नहीं निज में बध्द होकर है नहीं निर्वाह ?
क्षुद्र नलकी में समाता है कहीं बेथाह

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

मुक्त जीवन की सक्रिय अभिव्यंजना का तेजदीप्त प्रवाह
जानता हूँ। नहीं सकुचा हूँ कभी समवाय को देने स्वयं का दान
विष्व-जन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी इस व्यक्ति का
अभिमान।'

व्यक्ति की पहचान से समाज की पहचान, मानव की पहचान से मानवता की पहचान या एक मानव की पहचान से मानव-मात्र की पहचान की समझ न्याय संगत ही नहीं, तर्क संगत भी है। एक दीपक की उपेक्षा पंक्ति में सजे प्रत्येक दीपक अर्थात् इकाई की उपेक्षा और नगण्यता है जबकि एक दीपक के बुझ जाने से श्रृंखला खंडित हो जाती है, अर्थात् एक व्यक्ति के व्यक्तित्व सम्पन्न न होने से पूरा समाज अपना अस्तित्व नहीं संजो पाता। अज्ञेय इसीलिए इस व्यक्तिमत्ता के प्रति सजग रहे। लेकिन इसका आशय यह कदापि नहीं कि कवि का दायित्व यहीं खत्म हो गया। कवि का व्यक्ति एकान्त व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। हाँ समविष्ट अथवा समाज तक पहुँचने का उसका मार्ग अवष्य व्यष्टि अथवा व्यक्ति से होकर जाता है। समवाय के प्रति फर्ज निभाने के लिए व्यक्ति को अपने अतरंग व्यक्तित्व के प्रति समर्पित होना है। 'बावरा अहेरी' के ययह दीप अकेला' कविता में भी उन्होंने दीप के समान प्रज्ज्वलित व्यक्ति को पंक्तिबद्ध करने की इच्छा प्रकट की है -

'यह दीप अकेला स्नेह भरा
है गर्व भरा, मदमाता पर
इसको भी पंक्ति को दे दो।'

अज्ञेय में स्वत: प्रेरित अनुभूति का खरापन है। सच्ची और कड़ी-कड़वी बात कहने का साहस है। अज्ञेय अपनी शक्ति और सीमा दोनों को समझता है-

'मेरा जीवन
घांस की पत्ती से झूलती हुई यह अजा ओस बूँद
सूर्य की पहली किरण से जगमगा उठे स्वयं किरणें विकीरत करने
लगे।'

उनके काव्य में आई, व्यक्तिवादिता और अहंनिष्ठता समाज के भीतर धुलती गई। वास्तव में अज्ञये व्यक्तिवादी और अहंवादी है ही नहीं, उनका व्यक्तिवाद समाज में समर्पित होने के लिये ही है। वे व्यक्ति से समाज की यात्रा को एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक मानते हैं। समाज के लिए व्यक्ति को व्यक्तित्व-सम्पन्न बनना होगा तथा अपनी 'निजता' के सुरक्षित रखते हुए समाज को अपना दाय देना होगा। व्यष्टि और समष्टि परस्पर परिपूरक सम्बन्ध से सगुम्फित है। यनदी के द्वीपय कविता उनके इसी दर्शन करवाने वाली प्रमुख प्रतिनिधि कविता है -

'हम नदी के द्वीप हैं
हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर
स्त्रोतस्विनी बह जाए।
वह हमें आकार देती है
हमारे कोण, गलियाँ, अन्तरीप, उभार सैकत कूल
सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं।
माँ है वह। इसी से हम बने हैं।

\+ + +

किन्तु हम हैं द्वीप
हम धारा नहीं हैं।
स्थिर समर्पण है हमारा।
हम सदा से द्वीप हैं स्त्रोतस्विनी के किन्तु हम बहते नहीं, क्योंकि
बहना रेत होना है।
हम बहेंगे तो रहेगे ही नहीं।'

रामस्वरूप चतुर्वेदीजी तो 'यह दीप अकेला' कविता के संदर्भ से कहते हैं कि 'अज्ञेयजी की यह कविता व्यक्ति के सामाजीकरण की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व की रचना है। अज्ञेय को व्यक्तिवादी कहकर उनका तिरस्कार प्राय: किया गया पर ऐसा वे ही कर सके हैं जो अपनी सीमित दृष्टि के कारण व्यक्तिवादी और व्यक्तित्ववादी के बीच अन्तर को नहीं समझ सके। अज्ञेय की दृष्टि व्यक्तित्व को प्रधान मानकर चलती है, ऐसा व्यक्तिव जो यगर्व-भरा' तथा यमदमाता' होने पर भी स्वत: विसर्जित हैं।

वस्तुत: अज्ञेय की ययह दीप अकेला कवि के वैयक्तिकतामूलक समाजवाद को अभिव्यक्ति देती कविता है।

अज्ञेय की व्यक्तिमूलक सामाजिकता को मुखर करती एक और कविता मैं वहाँ हूँ' -

'मैं सेतू हूँ, वह सेतु
जो मानव से मानव का हाथ मिलने से बनता है
जो हृदय को; श्रम की षिखा से श्रम की शिखा को
अनुभव के स्तंभ से अनुभव के स्तंभ को मिलता है,
जो मानव को एक करता है।'

'यही अमरत्व है' में ही अहं के विलय को ही सामाजिकता के विकास में सहायक माना हैं। अज्ञेय की समाजिक चेतना इतनी बढ़ जाती है कि वे अपने यअकेलेपन को समूह में विलय कर देते हैं। 'मेरा अकेलापन एक समूह में विलय हो जाता है जिसके हर सदस्य का एक बॅध हुआ कर्तव्य हैं।'

इस प्रकार हम देखते है कि अज्ञेय ने निजीपन और व्यक्तिमत्ता को सुरक्षित रखते हुए सामाजिकता की बात की है। अज्ञेय को जो लोग घोर अहंवादी होने का आरोप लगाते हैं, वे उनकी काव्य-सरिता के किनारे-किनारे टहलने के शौकीन लोग है, उसकी गहराई का अंदाजा किनारे टहलते हुए नहीं लगाया जा सकता- 'बुड़े जै तरै सब अंग' वाली बात है, जब वे कहते हैं '

'मेरे हर सुख में
हर दर्द में, हर यत्न, हर हार में।
हर साहस, हर आघात के हर प्रतिकार में।
धड़के, नारायण। तेरी वेदना।
जो गति है मनुष्य मात्र की।'

- तो कौन उन्हें व्यक्तिवादी कहेगा? असामाजिक सोचवाला कहेगा? 'पहले में सन्नाटा बुनता हूँ - में भी अनेक स्थल है, जो कवि की सामाजिकता की गवाही देते है। कवि की व्यक्तिमत्ता, सामाजिकता के द्वार से राष्ट्रीयता और मानवीयता के व्यापक संसार की ओर प्रवाहमान है।

व्यक्तित्व के प्रति सजग रहते हुए भी अज्ञेय का अहं समाज के प्रति अपने दायित्व-निर्वाह में व्यवधान नहीं बना है। उसने तो सहज समर्पण की भूमिका को स्वीकार किया है, क्योंकि वह जानता है कि आत्म-रति अथवा इकाई-रेखा में घिरकर बैठ जाने से जीवन का निर्वाह नहीं हो सकेगा। दीप अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से परिचित है, किन्तु गहन अंधकार में स्वयं को प्रमाणित करने का विश्वास उसके पास है इसीलिए तो वह संषयमुक्त और अंकपित तथा चिर जागरूक है -

'यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कॉपा,
वह पीड़ा, जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा,
कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधलाते कडुवे तम में

यह सदा द्रवित , चिर-जागरूक, अनुरक्त, नैत्र,
उल्लम्ब-बाहु, यह चिर-अखंड अपनाया।'

निष्कर्षत: हम कह सकते है कि अज्ञेय का कवि व्यक्ति की इकाई को अक्षुण्ण रखते हुए एक स्वस्थ एवं सुदृढ़ समाज के निर्माण और विकास का पक्षधर है तथा उनकी दृष्टि मानवता के विराट फलक तक जाती है। बूंद के महत्व को प्रतिपादित करते हुए सागर के व्यापकत्व को समर्पित होने की प्रेरणा देते है अज्ञेयजी।

उनके काव्य में व्यक्ति और समाज परस्पर पूरक रूप में देखे जा सकते है। व्यक्ति की निजता भी बरकरार हो और समाज को समर्पण भी हो यही उनका दर्शन है -

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भवन्ती - अज्ञेय
2. आत्मनेपद - अज्ञेय
3. बावरा अहंरी - अज्ञेय
4. भग्नदूत - अज्ञेय
5. अज्ञेय - एक अध्ययन- भोलाभाई पअैल
6. अज्ञेय के काव्य में बिम्ब - डॉ. टी.शांत कुमारी
7. अज्ञेय - विचार और कविता : डॉ. राजेन्द्र मिश्र
8. अज्ञेय- साहित्य विमर्श - डॉ. सुरेशचन्द्र पांडेय
9. अज्ञेय कवि - डॉ. ओम प्रकाश अवस्थी
10. अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या - डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी
11. आज के लोकप्रिय कवि - विद्यानिवास मिश्र
12. अज्ञेय - प्रभाकर माचवे।

****

युग दृष्टा भक्त कवि संत रविदास

डॉ. उमा त्रिपाठी *

शोध सारांश – सौंदर्य मानव के मन मस्तिष्क के लिए एक आवश्यक तत्व है क्योंकि वह उसे सकून देता है। यह कहा जाए कि सौंदर्य मानव मस्तिष्क के लिए भोज्य पदार्थ है तो अतिश्योक्ति न होगी। सौंदर्य प्रेमी–प्रेमिका के रूप से आरम्भ होकर दिव्य सौंदर्य के अनुभव हेतु आध्यात्मिक आरोहरण की ओर प्रेरित करता है और यही आत्मा के उत्कर्ष का साधन बनता है। अखोरी गंगाप्रसाद जी ने पद्माकर को 'सौंदर्य का कवि' माना है। सौंदर्य भाव क्षेत्र का सामंजस्य है। भावों के इस सामंजस्य में आकर्षण उत्पन्न होता है। और संवेदनशीलता जागृत होती है और प्रेम का संयोग होता है।

शब्द कुंजी – सौंदर्य, प्रेमी–प्रेमिका, अलौकिक आनन्द, संवेदनशीलत ।

प्रस्तावना – भारत की संत परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। समय–समय पर अनेक संत, महात्मा, योगी, कवि व लेखकों का प्रादुर्भाव होता आया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी विश्व कल्याण की भावना को जीवित रखा। ऐसे ही महापुरूषों की श्रेणी में एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व व संत शिरोमणी 'संत रविदास' का नाम आता है। उन्होंने स्वयं को रैदास कहकर व्यक्त किया, किंतु सिखों के प्रमुख रामदास और अर्जुनदेव ने आदि ग्रन्थ साहिब में उन्हें रविदास नाम से विख्यात किया है। आदिग्रन्थ के अनुसार वे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सघना, सेन, नानक संतों के समकालीन थे। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग संत रैदास के नाम से पहचानते थे। उनकी विनम्र भक्ति भावना में छुपे सामाजिक उत्थान के लिए उनके ओजपूर्ण पदों ने हृदय को छू लिया था –

ऐसा चाहूँ राज मैं, जहॉ मिले सबन को अन्न ।
छोट बड़ों सब सम, बसे रैदास रहे परसन्न ।।

संत साहित्य के मर्मज्ञ श्री वियोगी हरि के अनुसार 'सत्य का आचरण जिन्होंने अपने जीवन में पूरा किया, सत्य का चिंतन किया, सत्य को वाणी पर उतारा, मन–कर्म–वचन से आचरण किया और आचरण करने के बाद जो रसास्वादन मिला उसे सारे संसार में बिखेर देने के लिए जिनमें व्याकुलता होती है, जिन्हें लगता है कि उन्हें जो मधुर रस मिला उसे दूसरों को भी देते जायें, वे ही संत हैं।'उक्त कथन संत रैदास पर पूर्णतया खरा उतरता है। वे सच्चे अर्थो में संत थे।

संतों का आगमन भारतीय साहित्य एवं चिंतन धारा में नई क्रान्ति के द्वारा उन्मुक्त करता है। समाज के तथाकथित निम्नवर्ग के होते हुए भी इन संतों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नया क्रांतिकारी मोड़ दिया। संतों की इसी श्रृंखला में संत रविदास क्रान्ति के अग्रदूत कहे जाते हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य विश्व–कल्याण की भावना को मानते हुए श्रम की महत्ता पर बल दिया –

'श्रम को ईसुर जान के, जो पूंजे दिन रेन ।
रविदास तिन्हें संसार में, सदा मिले सुख चैन ।।
रैदास श्रम कर खाईये, जो लो पार बसाय ।
नेक कमाई जो कहूँ, कबहूँ न निष्फल जाय ।।' [1]

संत कवि मनुष्य को परिश्रमी बनाकर उसे स्वावलम्बी बनाना चाहते थे, उनका कहना था कि परिश्रम न करने के कारण ही मनुष्य सामाजिक एवं धार्मिक दासता में जकड़कर अपना स्वाभिमान खो देता है। उन्होंने जाति, वर्ण का विरोध करके समतापूर्ण समाज की स्थापना का आह्वान किया है। प्रभु की भक्ति में जाति–पांति का भेदभाव न कभी था न कभी है। भगवान की प्राप्ति का आधार चांडाल को भी उतना ही है जितना एक ब्राम्हण को। संत नामदेव दरजी, रैदास चमार, दादू धुनिया, व कबीर जुलाहा थे। ये सभी संत समाज की नीची श्रेणी के थे परन्तु उनका नाम सदा आदर से लिया जाता है। रैदास ने स्वयं कहा है –

जाति भी ओछी, करम भी ओछा, ओछा किसब हमारा ।
नीचे से प्रभु ऊँच किया है, कह रैदास चमारा ।।

रैदास के सामने सभी जातियॉ बराबर थी इसलिये वे अपने को 'नीच', 'ओछा' कहने में लजाते नहीं थे तभी तो वे अपने को 'खलास चमार' कहते हैं। ' मैं खलास चमार हूँ बिलकुल पवित्र और सच्चा, मैं ब्राम्हण होकर क्या करूंगा। जाति से तो कोई ऊँचा पद नहीं मिलता है –

' ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार '

भक्त रैदास कहते हैं कि सभी का प्रभु एक है तो यह जाति भेद जन्म से क्यों आ गया।

'जाति एक जामें एकहि चिन्हा देह अवयव कोई नहीं भिन्ना ।
कर्म प्रधान ऋषि–मुनि गावें, यथा कर्म फल तैसहि पावें ।।
जीव कै जाति बरन कुल नाहीं, जाति भेद है जग मूरखाई ।
नीति–स्मृति–शास्त्र सब गावें, जाति भेद शठ मूढ़ बतावें।।' [2]

संत रविदास कहते हैं कि संतों के मन में तो सभी के हित की बात ही रहती है। वे सभी के अंदर एक ही ईश्वर के दर्शन करते हैं। जाति–पांति का विचार भी नहीं करते –

संतन के मन होत हैं, सब के हित की बात ।
घट–घट देखें अलख को पूछें जात न पात ।। [3]

संत रैदास ने जातिगत भेदभाव की व्यवस्था को अपनी वाणियों में बड़े ही सहज ढंग से व्यक्त किया है। जनम से नहीं कर्म से ऊँच–नीच का निर्धारण होता है –

रविदास जनम के कारनै, होत न कोऊ नीच ।
नर को नीच करि डारि है, ओछे करम की कीच ।। [4]

संत रैदास छोटी अथवा अधम कहीं जाने वाली जातियों के अंदर पैदा हो रही क्रान्तिकारी चेतना के जुझारू तथा स्वाभिमानी पथ–प्रदर्शक बन

* प्राध्यापक (हिन्दी) छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत

जाते है और अपनी जातियों में आत्म सम्मान के लिये भगवद् भक्ति को आधार बनाकर संघर्ष करते हैं। डॉ. बड़थ्वाल का कथन उल्लेखनीय है कि

'रविदास अपनी जाति को महत्व देना जानते थे।'[5]

भक्त रैदास जानते हैं कि उनका जन्म ऐसी जाति में हुआ है, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है और इस बात को वे निर्भीकता से स्वीकार भी करते हैं। चमड़े के काम को अन्य लोग ओछा बतलाते हैं किंतु रविदास ने प्रभु के सम्मुख विनम्रता से सब कुछ कहकर इस कार्य को मान दिया है –

मेरी जाति कमीनी पांति कमीनी ओछा जनमु हमारा ।
तुम सरनागति राजा रामचन्द्र, कहि रविदास चमारा ।।[6]

संत रविदास भारत की उन विभूतियों में से है जिन्होंने सद्‌विचारों की सृष्टि कर इस देश को आध्यात्मिकता की भूमि बनने का गौरव प्रदान किया। उन्होंने सद्‌भावना, उदारता और व्यापक मानवता का संदेश दिया। वे सिद्धहस्थ बनकर अपने धंधें में श्रद्धा भाव से संलग्न रहकर हर चेतन प्राणी की अन्तरात्मा में अपने इष्टदेव को विराजमान देखना चाहते थे और अपनी अभिव्यक्ति में भगवान के इसी विराट रूप को प्रस्तुत करना चाहते थे। इस प्रकार एक ओर अपने पैतृक धन्धे में लगे रहकर उन्होंने श्रम की महिमा का दिग्दर्शन कराया और दूसरी ओर ईश्वर की महिमा में लीन होकर यह सिद्ध किया कि भगवान पूर्ण रूपेण अपने भक्त के वश में होता है, किसी सम्प्रदाय, जाति या कुटुम्ब विशेष में जन्म लेना ईश्वर के सामने काई मायने नहीं रखता। लोक–परलोक, निन्दा स्तुति की ओर उनकी दृष्टि गई ही नहीं, एक मामूली झोपड़ी में रहते थे, जूते बनाकर अपनी जीविका चलाते थे। जूते टांकते जाते और प्रेम–विह्वल वाणी में अपने हरि की, चतुर्मुखी ठाकुरजी की मूर्ति की ओर निहार–निहार कर गाते रहते –

' प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग–अंग बास समानी ।
प्रभुजी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा ।।
प्रभुजी तुम दीपक, हम बाती, जाकी जोति जरे दिन राती ।
प्रभुजी तुम मोती, हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सोहागा ।।
प्रभुजी तुम स्वामी , हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा ।
रैदास निस्पृह निरगुनिया संत थे वे मीरा के पथ प्रदर्षक एवं गुरू थे ।'[7]

संत काव्य सामयिक चेतना का प्रतीक है क्योंकि समय की मांग को पूरा करने में वह पूर्णत: सफल रहा है। राजनीति, समाज और धर्म के क्षेत्र में जो तत्कालीन समस्यायें एवं अवरोध उत्पन्न हो गये थे संतकाव्य ने उन सबको दूर करके सामान्य जन समुदाय का पथ प्रदर्शित किया। विभिन्न समस्याओं के संभव समाधान संत काव्य में अभिव्यक्त हुए हैं और यही उस काव्य का वर्तमान समसामयिक प्रदेय है। डॉ. सुरेन्द्रनाथ दासगुप्ता ने अपनी पुस्तक 'हिन्दू मिस्टिसिज्म 'में कहा है – 'संत रविदास ने कबीर की भांति राम और रहीम की, वेद और कुरान की एकता देखी और बाह्याडम्बरों को व्यर्थ बताया पर उन्होंने कभी भी वेद, पुराण, कुरान, हिन्दुओं मुसलमानों, योगियों की निंदा नहीं की ।[8]

वे मनीषी थे उनकी 'विमलवाणी' सन्देह ग्रन्थियों को काट देती है। सामाजिक जनचेतना को जागरूक करके सदियों से सोई हुई शोषित मानवता में नवीन स्फूर्ति का संचार करने वाले उदारचेता महापुरूषों में संत रविदास का प्रमुख स्थान है। भक्ति के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ होने वाले महान कर्मयोगी संत रविदास के हृदय में जहॉं दलितों के प्रति पीड़ा और शोषितों के प्रति प्यार था वहीं अपने समय के धार्मिक क्षेत्र में आधिपत्य जमाने वाले रूढ़िवादियों के प्रति क्षमा का भाव भी था वे सर्वप्रथम भक्त थे किन्तु साथ ही अपने युग के महान् समाज सुधारक, तत्वदर्शी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, कवि एवं विचारक थे। अपनी रचना 'विमल वाणी 'द्वारा उन्होंने उस युग के पीड़ित एवं शोषित जनसमुदाय को नवजीवन प्रदान किया था। उस समय के समाज एवं भारतीय संस्कृति के विकास के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त एवं आलोकित किया था। कवि ने सत्य, अहिंसा, आस्तेय के साथ ही कर्तव्य के प्रति निष्ठा को व्यक्त किया एवं श्रम के महत्व में विश्वास रखते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य में तल्लीन रहना ही उनके जीवन का महान आदर्ष था –

'चमराटा गांठि न जनई, लागु गठावै पनहीं ।
रविदास जपै राम नामा, मोहि जम सिउ नाही कामा ।'[9]

संत रविदास की साधना का सामाजिक पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समदृष्टि, भेदभाव का नाश, पारस्परिक प्रेम, सद्‌भावना एवं एकता का प्रचार उनकी सामाजिक कल्याणकारी साधना के प्रमुख अंग हैं। समय की आवश्यकता के अनुसार वर्ण विभाजन की कट्टरता, विवादपूर्ण धार्मिक आडम्बर एवं झूठे जातीय अभिमान के विरूद्ध उन्होंने आवाज उठाई एवं स्नेह, सहयोक्कग, सहिष्णुता व शांतियुक्त संदेश समाज को दिया जो हर युग में प्रेरणादायी है यही कारण है कि आज भी रविदास उतने ही प्रासंगिक हैं और अपनी वाणी द्वारा साहित्य और समाज पर अमिट छाप छोड़ने में समर्थ हो सके। उनकी 'विमलवाणी ' इसका प्रमाण है।

संत रविदास कर्म बन्धन में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार जो जैसा करेगा वैसा ही उसे उसका फल भी प्राप्त होगा –

'जो कुछ बोया लूनिये, सोईना में फेर फार कस होई '

उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ियों की निस्सारता के बारे में अपनी 'वाणी' में समझाया है। उनका यह कथन कितना सत्य है कि यदि व्यक्ति के हृदय में सच्ची लगन नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है तो दिखावटी पूजा अर्चना व्यर्थ है। उनका कथन है –

थोथी काया, थोथी माया , थोथा हरि बिन जनम गंवाया ।
थोथा पंडित, थोथी बानी, थोथी हरि बिन सबै कहानी ।। [10]

संत रविदास की सहिष्णुता सामाजिक सिद्धांतों में भी व्यक्त होती है। भक्ति के क्षेत्र में वे मानते हैं कि सभी ईश्वर की संतानें हैं उन्हें भक्ति का समान अधिकार है। भगवान की आराधना में न कोई छोटा है न कोई बड़ा। गणिका, नामदेव, बीठल, पीपा, कबीर तत्कालीन समाज के वर्णभेद के अनुसार हीन होते हुए भी अपनी सच्ची भक्ति के कारण मोक्ष को प्राप्त हुए यथा –

'हम अपूज्य भये हरितें, नाम अनूपम गावें दे '।

संत रविदास ने किसी भी कार्य व व्यवसाय को हीन नहीं समझा। इसीलिए वे आजीवन अपने जातिगत कार्य को अपनाये रहे जिससे लोगों में ऐसे जन्मजात कार्यो एवं व्यवसाय के प्रति जो हीन भाव है वह समाप्त हो जाय। जहां तक संत रविदास ने तत्कालीन समाज में प्रचलित रूढ़ियों एवं बाह्ययाडम्बरों की निस्सारता बतलाई वहीं उन्होंने जातिगत व्यवसाय एवं कार्य को प्रतिष्ठा प्रदान की है।

संत रविदास ने अपनी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए जो काव्य रचना की है वह निश्चित रूप से वर्तमान युग में प्रेरणास्पद है। यही कारण है कि उनके निर्वाण के सदियों बाद आज भी उनका नाम देश में 'सामाजिक युग दृष्टा' के रूप में जाना जाता है। कविवर निराला के शब्दों में –

'ज्ञान के आकार मुनीश्वर के परम, धर्म के ध्वज, हुये हैं अन्यतम ।
जाति में देखा सभी ने भींचकर, दृग, तुमहें श्रद्धा सलिल से सींचकर ।।
छुआ पारस भी नहीं तुमने, रहे धर्म के अभ्यास में अविरल बहे।
ज्ञान गंगा के समुज्जवल चर्मकार, चरण छूकर कर रहा नमस्कार ।।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. WWW. दास विकी . कॉम.
2. गोस्वामी परशुराम, हमारे साधु संत भाग - 1 पृष्ठ - 17 लोकहित प्रकाशन लखनऊ - 1997
3. सिंह इन्द्रराज, संत रविदास पृष्ठ 119 प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस नई दिल्ली - 1999।
4. सिंह प्रो. वासुदेव, हिन्दी संत काव्य : समाज शास्त्रीय अध्ययन पृष्ठ- 264, विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक वाराणसी , 2001
5. डॉ. बड़थ्वाल, निर्गुण स्कूल ऑफ पोइट्री पृ. 171।
6. सिंह, डॉ. जोधा, श्री गुरू ग्रंथ साहिब, पृ. 659 , द सिक्ख हैरीटेज पब्लीकेशन्स पटियाला 2003।
7. मिश्र डॉ. विद्यानिवास, बूँद मिले सागर में - पृ. 24 किताब घर अंसारी रोड नई दिल्ली ।
8. दासगुप्ता , डॉ. सुरेन्द्रनाथ - 'हिन्दू मिश्टिसिज्म'
9. WWW.रविदास विकी. कॉम.
10. WWW.रविदास विकी. कॉम.

****

बहुज्ञ कवि लालदास के अवधविलास काव्य में संगीत - संदर्भ

डॉ. वीरेन्द्र कुमार दीक्षित *

शोध सारांश – चन्ददास साहित्य-शोध संस्थान, बाँदा (उ.प्र.) सम्पादक डॉ. चन्द्रिका प्रसाद दीक्षित 'ललित' द्वारा 1985 में सम्पादित एवं प्रकाशित 'अवध विलास' महाकाव्य रामचरित मानसोत्तर रामकाव्य परम्परा का 18 वीं शाताब्दी का एक दुर्लभ महाकाव्य है। निश्चित रूप से रामचरित मानस की पश्चात्वर्ती रामकाव्य परम्परा के आदर्श केन्द्र में कहीं न कहीं तुलसी रहे हैं। हर कवि का प्रयास और भ्रम तुलसी की लोकप्रियता को लेकर उनकी बहुज्ञता पर जाकर टिकता है। वह चाहे आचार्य केशवदास हों या महाकवि लालदास। लालदास की कृति अवध विलास में उनके समय के ज्ञात ज्ञान के बहुरंग सप्रमाण उपस्थित हैं। संगीत के विभिन्न संदर्भ भी सूक्ष्म और विस्तृत रूप में महाकाव्य में विलसित हैं। यह तथ्य पृथक है कि कृति रस के लिये या कोष के लिये ,

प्रस्तावना – राम और कृष्ण की चर्चा भक्तिकालीन साहित्यिक युग से लेकर लालदास तक, आज तक और आगे तक चलती रहेगी, यह भविष्यवाणी बिना किसी भय के की जा सकती है। जब तक भारत भूमि पर एक भी मानवी प्राण शेष हैं, उसकी श्वासों में राम-कृष्ण के स्वर गुंजायमान होते रहेंगे। महाकाव्य अवधविलास रामकाव्य परम्परा की इसी कड़ी का एक रसिक-साधना से सराबोर, रसिक साधना के लीला-विलास की एक उज्ज्वल विभूति है। 'मध्ययुग में रसिक साधना अत्यन्त प्रभावी रही है। रसिकोपासक राम-सीता के युगलोपासक रहे हैं। इधर गोस्वामी तुलसीदास कृत युगल ध्यान पद की एक दुर्लभ पाण्डुलिपि मुझे चित्रकूट से प्राप्त हुई है, जिससे तुलसी की युगलोपासना और रसिकोपासना भी प्रमाणित होती है।[1] अवध विलास के प्रणेता महाकवि 'लालदास' को मूलरूप से बहुज्ञता का कवि कहा जा सकता है। उसे जहॉ कहीं भी अवसर मिलता है या वह अवसर निकाल लेता है, शायद कई अवसरों पर वह कृति की प्रबन्धात्मकता के मूल्य पर भी, अपने अपार ज्ञान, जो उसके समय तक उसके आस-पास और समाज में उपलब्ध था, उसे कृति में टांकने की पुरजोर कोशिश करता है। कृति में नाट्य, पिंगल, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, कामशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, लोक जीवन, वेद शास्त्र, संगीत आदि अनेकानेक विषयों, पक्षों की जानकारी भरी पड़ी है। यत्र-तत्र-सर्वत्र बिखरी पड़ी यह जानकारी भले ही कवि को तुलसी न बना सके, उसे समानान्तर न रख सके, इसके साथ-साथ न चला सके किन्तु यह उसके समय तक का विश्वकोश हो सकती है। यह साधारण नहीं है। इस दृष्टि से भी कृति का मूल्य बना रहेगा। अवध विलास से जुड़कर भारती वाड्.मय से जुड़ा जा सकता है, यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। महाकवि लालदास क्या एक अच्छे संगीतज्ञ थे, वह गायन- वादन में निपुण थे या उन्होंने अपनी परम्परा या उससे हटकर किसी नवीन वाद्य यंत्र का अविष्कार किया था, यह शोध का विषय हो सकता है। प्राय: दोहा और चौपाई, छंदो, कहीं-कहीं सोरठा या एकाधिक और छंदों की आधारशिला में कृति के संगीत का रखा गया ताना-बाना भी अपने आप में कहॉ तक सफल है तथा किन शीर्षो को नापता है, यह भी एक शोध का विषय हो सकता है।, किन्तु कृति में हुई संगीत चर्चा अपने आप में पुष्ट, अद्भुत और किसी कोष से कम नहीं है, इसे स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए –

' नारद शारद इंद्रहु राजा। मिलि गए सुर गुरू बना समाजा। रंभा आदि उर्वशी घाई। विद्याधर गंधर्व सहाई। ..... नारद यंत्र शेष संगीता। भ्रदंगी नन्दी गराा कीता। शारद गावत ताल बजाई। पारवती श्वर देति सुहाई ।। इंद्र अलापत राग रसाला। थेइ-थेइ ब्रम्हा करत सुचाला।[2] ताल भ्रदंगी, अलाप, राग थेइ-थेइ -सभी संगीत से जुड़े शब्द हैं आगे - 'गायन आठ ताल घर चारी। चारि मृदंग चारि बेनु धारी ।।[3] गायन के प्रकार ताल के प्रकार, मृदंग और बेनु के प्रकारों की जानकारी गहरे संगीत की जानकारी की ओर स्पष्ट संकेत हैं। महाकवि लालदास ने संगीत ग्रंन्थों के रचनाकारों के नामों की भी झड़ी लगा दी है –

'कवि संगीत ग्रन्थ के जेते। तिन्ह के नाम कहत हूँ तेते ।। नारद भरत षिवा सरस्वती। दुर्गा हनुमान हैं जती ।। सरदूल काहल,[5 6 7] बहुरंगा। कष्यप,[8 9 10] कंबल वायु मतंगा ।। हाहा हूहू रावरा रम्भा शेष अश्वतर करत अचम्भा।। ऊषा एक फालगुन निरता। ए संगीत ग्रन्थ के करता[4]।। मृदंग, पिंगला, परवावज, बाजा, मेलापक, छन्द, ताल, करताली, सप्ताक्षर, पाठाक्षर, चार प्रकार के अक्षर, चार प्रकार के बाजा, आदि संगीत से जुड़े शब्द की कृति में भरमार है।'

वदि मृदंग मृदगिन्ह साजा। तब पिंगला पषावज बाजा ।।
मेलापक करि साज बनाए। गनपति छन्द ताल धर गाए ।।
सबद औ मुष चाली भल चाली। कूटपाट जति चली करताली ।।
शुद्ध पाट सप्ताक्षर एयं। त थि थो ठे ने हे देयं ।।
पाठाक्षर है बीस बशाना। कखगघ टठडढणजझ हि जाना ।।
तथदधन र ह म एक लकारा। सुद्धा बिनु कूट बिस्तारा ।।
त त थि थि थूं थूं नं ना प्रेरे। अक्षर चारि भेद बहु तेरे ।।
बाजा बजे जिते जहॉ आई। तिनके भेद कहूँ समुझाई ।।
दोहा – तत आनध औ धन सुशिर बाजा चारि प्रकार।
मुष तंती अरू जे मढ़े एक लाल झनकार ।।[11]

अनेक संगीतकारों के नाम स्मरण की भांति ही लाल कवि ने अनेक प्रकार के वाद्ययंत्रों का भी उल्लेख किया है।

ढक्का ढोल डमरू पविरंजा। मेरी संश मुरलि अलगुन्जा ।।

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत

कहली श्रंग नाग सर बाजा । बक्री सुर सागर करि साजा ।।
तुदकी मुरलि पत्रिका साजी । मुष बीना मुष सो करि गाजी ।।
दण्डी रावन हस्त बजाए । आठ प्रकार बीन मन भाए ।
रूद्र ब्रम्हा तुम्बर है बीना । जंत्री लिए जु भए लय लीना ।।
झालरि घंट कलप तरू एका । बाजे बाजन और अनेका ।।
सरिंदा चौतार ढितारा । कठतारै बाजत अठतारा ।।
सरंगी स्वर तूर सुहाई । गजक पिनाक बजे सुरनाई ।।
सुर मण्डल खर बीन तंबूरा । हुरक मुरज बाजत रस पूरा ।।
बीन मृदंग रबाव रसाला । बाजत झांझ झमंक अरू ताला ।।
चंग उपंग कुबज पुनि साजा ।बाजत षंजरी मोहन बाजा ।।
जलतरंग बजै किंनरि [12] भली ।आवज पनब धौलकी चली ।।
बजे अनेक एक स्वर होई । नूपुर ध्वनि जयादा नहिं कोई ।। [13]

तान के विस्तार, नाद के पॉच स्थान, नाद के देवता आदि का विस्तार से चित्रण लालकवि ने किया है । संगीतकार, वाद्ययंत्र के साथ ही विभिन्न तालों के नामोल्लेख भी कवि ने किए हैं–

चित्र ताल कंदुक कंदुकारी । रास ताल लघु शेषर भारी ।।
करूना सर्व एक शनिपाता । पंचम ढितिय आदि विख्याता ।।
चतुरथ सप्तम अष्टम एका । चन्द्रकला ब्रम्हा ताल विवेका ।।
चतुर कुम्भ लीला निहसंका । इडावान लक्ष्मी है बंका ।।
कुण्ड नाच अर्जुन कुल ताला ।इछा अस्त नितात रसाला ।।
जति शेषर सिंघ विक्रम जाना । रंगा दो तक अरू एक कल्याना ।।
चंन्द्र लांड जति प्रति सम ताला। संचय प्रथि कुण्डल सु रसाला ।।
अहि गति हिमाचला ब्रम्हाण्डा । विष्णु ताल पक्षिराज झुमण्डा ।।
त्रिवटा चक्र गर्ग संष जाना । स्वर्ण मेरू इक ताल बखाना ।।
सप्त अंग तालन्ह के गाये। गुरू लघु पुलक अनुद्रत गाये।।
द्रुत विराम अरू लघू विरामा । एंहै लाल ताल अंग नामा ।।

दोहा – एक ताल रूपक त्रिपुट अठताला क्रन्च ताल ।
मटझंपा ए ताल है मानुष के कहैं लाल ।। [14]

ताल के सप्त अंग, ताल के दस प्राण, इक्कीस मूर्छना, आदि संगीत से जुड़े अनेकानेक शब्दों की कृति में झड़ी सी लगी है –

कृति की जानकारियां चिपकाई सी प्रतीत होती हैं। एक अच्छा संग्रह है। महाकवि तुलसीदास से यदि तुलना ही की जाय, जैसा प्रयास कृति के सम्पादक का लगता है, तो तुलसी स्वाभाविक कवि है, ज्ञान को पचाकर समाज में सहृदयता का मंगलवाहक, वहां चीजें खोजने पर मिलती हैं, और यहां बिना मूल्य के बिखरी पड़ी हैं। अनुक्रमणिका जिसे बनाना हो बना ले। तुलसी का रस कोष पर भारी है, यहां कोष रस पर इस कदर कि उसके लिए तरसना पड़ता है। बात इतनी सी है कि हरि दर्शन को शिव जाते हैं, पार्वती को संग लिए जाते हैं, शिव हरि को देखकर तांडव करने लगते हैं। बस नाच, गाना–बजाना यहॉ तक कि महाकाव्य की प्रबन्धात्मकता सब मीलों पीछे छूट जाते हैं। संगीत का शब्दकोष आश्चर्यजनक स्थिति तक खुल जाता है। कवि केशव पर छन्दों का भूत सवार है, लाल कवि पर ज्ञान संग्रह का ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची : –

1. आत्म विवृत – डॉ. चंद्रिका प्रसाद दीक्षित य ललित य पृ.सं 10
2. 3,4,11,13,14 अवध विलास – लालदास पृ.सं. 43,44,45,46,4।
5. कुट्टिनीमत – दामोदर गुप्त स्लाक 81
6. संगीत रत्नाकर – शारंग देव पृ.सं. 115
7. रसार्णव सुधाकर – शिंगभूपाल (विलास 1 श्लोक 50 से 52)
8. ऋग्वेद 9: 114:2
9. साम वेद 1:1, 2:4, 10, 1:4:2:2
10. अथर्व वेद 1:1 4:4 2:33:6
12. प्राचीन बांगलाओं – बंगाली : पृ.सं. 50 : सुकुमार सेन

****

लोकगीत परंपराओं में ग्रामीण यथार्थ

डॉ. एस.एस. राठौर *

प्रस्तावना – सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत कहलाता है क्योंकि स्वर साधना अनुरूप शब्दों का प्रयोग करके सटीक चित्रण की दिशा ही इसका सफल प्रयास है। लोकगीतों में भी गीत के उपर्युक्त गुण अवश्य रहते हैं किन्तु वहां आपस के स्थान पर निसर्गता होती है। गीतों को प्रयत्न के द्वारा सजने सॅवारने का वहॉ न तो अवकाश ही होता है और न शायद उतनी वाक्पटुता होती है। वस्तुत: इस प्रयत्न साध्यता एवं पटुता के कारण ही लोकगीत साहित्यिक दृष्टि से काव्यात्मक गुणों में न्यून होकर भी अपना अलग अस्तित्व बनाये रखते हैं जैसे –

सखी री मै तो भई न बिरज की मोर ।
बिन्द्रावन के घने बगैचा, बैठती पंख मरोर ।।
उड़ उड़ पंख गिरै धरती में, बीनत जुगल किशोर ।।

लोक शब्द संस्कृत के लोकदर्शने' धातु से धत्र प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है। इस धातु का अर्थ देखना होता है। जिसका लट् लकार में अन्य पुरूष एक वचन का रूप 'लोकते' है। अत: लोक शब्द का अर्थ हुआ देखने वाला। इस प्रकार वह समस्त जन समुदाय जो इस कार्य को करता है लोक कहलायेगा। लोक शब्द अत्यंत ही प्रचीन है। साधारण जनता के अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद में भी अनेक स्थानों पर किया गया है।

नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णो द्यो समवर्तत।
पदभ्यां भूमिर्दिष: लोकां अकल्पयत।।

ऋग्वेद उपनिषदों मे भी लोक के विस्तार को लक्ष्य करके वास्वविक और पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता बताई गई है ।

बहु व्याहितो वा अयं बहुतो लोक: ।
क एतद् अस्य पुन रीहतो अयात।।

उपनिषद अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए लोक गीतो के माध्यम से समाज को अच्छे रास्ते की ओर ले जाने का कार्य है। किसी भी देश का लोक साहित्य उस देश की ग्रामीण एवं गैर पढ़ी लिखी जनता की हार्दिक भावनाओं का सच्चा प्रतीक है। लोक गीतों में ज्ञान, धर्म, इतिहास, एवं रीति–रिवाजों आदि की झलक मिलती है। अपने देश की प्राचीन परम्पराओं का ज्ञान जो आज की पीढ़ी में लुप्त प्राय होता जा रहा है। इन्हीं गीतों के माध्यम से जानने का अवसर मिलता है। इनमें ग्रामीण गीतों के स्वर गुंजरित होते है। सम्पूर्ण ग्रामीण अंचल इन गीतों से गुंजायमान होता है। साधारण जन मानस इन लोक गीतों में आत्मविभोर हो जाता है। इन सभी लोक गीतों में लोक मूल्य और सामाजिक जीवन मूल्य प्रचुर मात्रा में भरे होते है जैसे– राधा जी की माँ कीरति वृन्दावन आकर कृष्ण से इस लोक गीत के माध्यम से निहोरे करती है। जिसको फाग के रूप में गाया गया है।

' सांवरिया जरा बंशी बजाव।
मोरी राधा हेराय गईं कुंजन मा।
कोउ मोरी राधा का ढूढ़ि लै आवै।
दैहों मैं मोहरैंया लुटाय
मोरी राधा हेराय गईं कुंजन मा।
'ब्रज की होली'

लोक गीतों में मनुष्य का प्यार , परोकार, करूणा, वीरता आदि का चित्रण बहुत ही सजीव रूप में प्रस्तुत होता है। जो आज वर्तमान पाश्चात्य संस्कृति के रंग मे रंगे लोगों के लिए दुर्लभ है। मानव जीवन के यथार्थ की तह तक जाने के लिए लोक को समझना एवं लोक में रमना अनिवार्य है। पौराणिक किस्से–कहानियों को गीतों में ढाल कर प्रस्तुत करना लोक का ही कार्य है।

जैसे– परमारथ के लाने, पंक्षी प्राण देन की ठाने।
बिन परमारथ सुन मेरे भैया, जनम अकारथ जाने।
जनम सवेरो मौत साँझ है फिर काहे पछिताने।
जब लग जियत रहैं धरती में विरथा भरम न माने।
'बुन्देली लोक गीत'

देह की नश्वरता पर बुन्देली लोक गीतों के बावनी कार कविराज बिहारीलाल ने अपनी रचना वैराग्य बावनी में लिखा है कि यह संसार यहीं छूट जाता है यहाँ जो कुछ भी हम कमाते है या कि जो भी जोड़ते है वह सब हमारे साथ नहीं जाता है। धन–दौलत, पुत्र–पुत्री, माता–पिता, भाई–बहन, नाते–रिष्ते कोई साथ नहीं जाते है। उनकी यह रचना बहुत मौलिक और यथार्थ से भरी हुई है।

टोरत न आशा, द्रव्य जोरत करोरन को।
संग न चलेगो, दह, गेह चाँदी सोना है।
मानत नहीं है महा मूढ़ मतवारो मन,
जानत नहीं है खाली खाल को खिलौना है।
कहत बिहारी अरे भज भुवनेश्वर को
रहना सचेत घड़ी चार का मिलौना है।
धर्म बीज बिना व्यर्थ अवसर न खोना।
देख मानस को छोना जाने होना के न होना है।
' वैराग्य बावनी'

लोक गीतो के संदर्भ में विभिन्न विद्धानों ने अपने मत व्यक्त किये है। लोक गीत न तो नया होता है और न ही पुराना । वह तो संसार के एक वृक्ष के

* प्राध्यापक (हिन्दी) छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत

समान है। जिसकी जड़े भूतकाल की धरती में काफी गहरी धंसी हुई है। परन्तु इसमे प्रतिक्षण नवीन डालियाँ, पल्लव और फल लगते रहते है। भारतीय विद्धानों ने भी इसकी कुछ परिभाषायें दी है। जो इस प्रकार है।

1. लोक गीत किसी भी संस्कृति के मुँह बोलते मित्र है
   डॉ0 वासुदेव शरण अग्रवाल
2. लोक गीत उन ग्रामीण लोगों का स्वतोदर्गीण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते है।
   ' डॉ0 के.बी.दास'
3. लोक गीतों का बल जातीय संगीत में है
   ' देवेन्द्र सत्यार्थी'
4. ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं इनमें अंलकार नहीं केवल रस है। छंद नहीं केवल लय है लालित्य नहीं केवल माधुर्य है सभी मनुष्यों स्त्री पुरूषों के मध्य में ह्रदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के वे ही गान ग्राम्य गीत है।
   'राम नरेश त्रिपाठी'

लोक गीतों मे गीतकार प्राय: अपना नाम अव्यक्त रखते हैं और कुछ में वह व्यक्त भी कर देते हैं। वे लोक मानस में अपने भाव मिला देते हैं। लोक गीतों में होता तो निजीपन ही है किन्तु उसमें साधारणीकरण कुछ अधिक रहता है। साधारण जीवन एवं सीधे-साधे लोगों द्वारा भी ऐसे लोक गीत रच दिए जाते है जो लोक धुनों के माध्यम से जब गायें जाते है गाने वाले और सुनने वाले सभी भाव विभोर हो जाते है। सामान्य लोक जीवन अनायास ही फूट पड़ने वाली लयात्मक एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति ही लोकगीत कहलाती है।

अन्त में लोक जीवन या कहें कि ग्रामीण अंचलों में जीवन यापन करने वाले लोग अपने सभी तीज त्योहारो में अलग-अलग मौसम और ऋतुओं के अनुसार इन गीतों को सृजित करते है और आपस में बैठकर अनगढे किन्तु भावपूर्ण लोकगीतों में इनको सजाकर सवाँरकर जब गाते है। तब उनके लिए इससे बड़ा जीवन का यथार्थ और कोई दूसरा नहीं होता।

संदर्भ ग्रन्थ सूची : -

1. लोक साहित्य समीक्षा - डॉ0 कृष्णदेव उपाध्याय।
2. वैराग्य बावनी - लोक कवि बिहारी लाल (बिजावर)।
3. बुन्देली बसंत - डा0 बहादुर सिंह।
4. ईसुरी की चौकड़ियाँ।
5. जन श्रुतियों के आधार पर।
6. ग्रामीण होली गीत।

****

नारी शक्ति - एक अनुशीलन

डॉ. गुलाब सोलंकी * प्रो. वीणा बरड़े **

प्रस्तावना –'किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव हैं, जब वहां की महिला विकसित हो, अगर हम पुरूष को राष्ट्र का स्तम्भ मानते हैं तो नारी उस स्तम्भ की धुरी हैं।'

भारत पुरूष प्रधान समाज हैं, जिसमें स्त्रियों को कभी भी सम्मान जनक स्थिति प्रदान नहीं की गयी। उन्हें घर की चार दीवारी में रहने वाली असूर्यस्पर्शया नारी बना दिया गया।

समाज में महिलाओं का दर्जा (सम्मान) नगण्य सा रहा हैं। पुरूष चाहे कितना भी अयोग्य क्यों न हो, उसके इशारे पर चलने का शिक्षा स्त्रियों को न जाने कब से दी जाती रही हैं।

भारतीय समाज में नारी की स्थिति का मूल्यांकन अनेक विद्धानों ने अपनी-अपनी दृष्टि से किया हैं। सभी ने इस तथ्य को स्वीकार किया हैं कि नारी उपभोक्ता हैं तथा पुरूष उत्पादक।

नारी शक्तिरूपा हैं, जगत जननी हैं, नारी के संबंध में कहा गया हैं कि उसमें पृथ्वी के समान क्षमा, सूर्य के समान तेज, समुद्र के समान गंभीरता, चंद्रमा के समाज शीतलता एवं पर्वत के समान उच्चता के एक साथ दर्शन होते हैं।

गांधी जी - हमारे समाज में कोई सबसे अधिक हताश हुआ हैं तो वे स्त्रियां ही हैं इस वजह से हमारा अध:पतन भी हुआ हैं। स्त्री-पुरूष के बीच जो फर्क प्रकृति के पहले से हैं जिसे खुली आँखों से देखा जा सकता हैं, उसके अलावा में किसी किस्म के फर्क को नहीं मानता।

पुरूष हर तरफ से नारी पर निर्भर होकर भी उसकी भूमिका और महत्व को स्वीकार नहीं कर पाता हैं, वास्तव में स्त्री उसके लिए एक आदत हैं, अस्तित्व नहीं। यदि स्त्री का अस्तित्व होगा तो उसकी उपस्थिति होगी, यह पुरूष नहीं चाहता हैं, कि उसके अलावा उससे अलग भी कुछ हो।

प्राचीन भारत के इतिहास पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता हैं कि महिलाओं की स्थिति भिन्न-भिन्न कालो (युगो) में भिन्न रही हैं।

मनु ने कहा - यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता:।
जहां स्त्रियो की पूजा होती हैं वहां देवता निवास करते हैं।

संसार परिवर्तनशील हैं, यहां प्रत्येक क्षण स्थिति बदलती रहती हैं। नारी वर्ग की स्थिति में भी बदलाव आया। मुगलकाल में नारी की दशा गिरावट की ओर रही, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक नारी जाति को शोषण का शिकार बनाया जाता रहा। भारतीय संस्कृति महिला और पुरूष की समानता पर बल देती हैं, स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया, परन्तु सदियों से पितृसत्तात्मक सामन्वतवादी सामाजिक ढ़ाचे में स्त्रियां धर्म, मान्यताओं, परम्पराओं औंर रूढ़ियों के नाम पर उत्पीड़न और शोषण का शिकार होती रही।

स्वतंत्रता पूर्व स्त्रियों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए धार्मिक एवं सामाजिक आन्दोलन के प्रवर्तको राष्ट्रवादी विचारको तथा ब्रिटिश प्रशासन की सुधारवादी नीति ने समाज में जागरूकता उत्पन्न कर तथा कानून बनाकर स्त्रियों को शोषण तथा उत्पीड़न से बचाने और उनके कल्याण के प्रयास किए।

आजादी के 66 वर्ष बाद भी भारतीय समाज पुरूष प्रधान बना हुआ हैं, उनकी मानसिकता और सोच में परिवर्तन नहीं हुआ हैं। आज भी नारी को वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो उसे वर्षो पहले मिल जाना था, आज भी दहेज की लालच में बहू को जिंदा जलाना, बिना कारण तलाक देना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, अमानवीय अत्याचार करना, बालिका के पैदा होने पर महिला को दोषी ठहराना, गर्भ में ही बालिका की हत्या (भ्रूण परिक्षण) करना, महिलाओं के साथ बलात्कार, छोटी-छोटी बालिकाओं को हवस का शिकार, सार्वजनिक स्थलों से महिलाओं का अपहरण करना आदि एक आम बात हो गयी हैं। समाज सदैव ही दोहरी मानसिकता का पोषक रहा हैं समाज के इस दोहरे मापदण्ड ने स्त्री को सदैव वेदना एवं तिरस्कार ही दिया हैं। एक बलात्कारी पुरूष समाज में सिर उंचा करके घूमता हैं। बलात्कार की शिकार स्त्री से बार-बार शाब्दिक बलात्कार होता हैं। जबकि महिला की शिकायत, उसका बयान एवं मेडिकल रिर्पोट ही अपराधी को सजा देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

शासन द्वारा कड़े कानून बनाए गए पालन भी किया जा रहा हैं लेकिन फिर भी महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार, हिंसा, दहेज जैसी घटनाए बंद नहीं हो रही हैं।

समाज में महिला वर्ग आबादी का आधा हिस्सा हैं। उस आधे हिस्से अर्थात महिलाओं को अपने ऊपर होने वाले अत्याचारो को रोकने के लिए सोचना होगा। निर्णय लेना होगा तभी सफलता की सीढ़ी चढ़ पायेगी। सरकार को भी चाहिए कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा रूपी हथियार दे जिसका उपयोग कर वह अपनी अस्मितता एवं परिवार की इज्जत को कायम रख सके और समाज में एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके और हर परिवार यह चाहे कि उनके परिवार में एक बालिका का जन्म हो, क्योंकि समाज में जो वातावरण बना हैं एवं निर्मित हो रहा हैं उसके कारण हर माता-पिता चाहता हैं, कि उसके परिवार में सिर्फ बेटा ही हो। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के लिए सशक्त कानून और सख्त व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता हैं। महज कानून बना देने से समस्या का कारगर हल नहीं हो सकता। समाज के लोगो को संयमित अभ्यास की आवश्यकता हैं महिलाओं के प्रति सोच बदलने में समाज के हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक हैं। साथ

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, धामनोद , जिला - धार (म.प्र.) भारत
* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला - धार (म.प्र.) भारत

ही महिलाओं को जागरूक होना होगा तभी महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार समाप्त हो सकेगे।

वर्तमान में महिलाएं अपनी अलग पहचान बना रही हैं, प्रत्येक क्षेत्र चाहे राजनीति हो शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, सेना आदि विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी हैं, पुरूष से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आज की महिला अपनी संस्कृति को साथ रखते हुए घर के अंदर और बाहर की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं। नारी संतान रचना से लेकर पुरूष के आश्रय स्थल और घर की सुखशांति बहुत कुछ नारी पर ही निर्भर हैं।

यदि महिलाओं को इंसान की तरह जीने का अधिकार पाना हैं, तो खुद को शिक्षित, सक्षम, अन्याय, हिंसा का मुकाबला करने लायक बनना होगा साथ ही ईष्या, द्वेष त्यागकर महिलाओं का सहभागी बनना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ.रानी आशु - महिला विकास कार्यक्रम, जयपुर 2006
2. डॉ.राजकुमार - महिला एवं विकास, नई दिल्ली 2003
3. शर्मा प्रज्ञा - महिला विकास और सशक्तिकरण, जयपुर 2001
4. डॉ.गुप्ता सुभाषचंद्र कार्यशील महिला एवं भारतीय समाज, नई दिल्ली 2012

****

बांग्लादेश का सच

डॉ. रमेश टण्डन *

शोध सारांश –जब भारत के अयोध्या में बावरी मस्जिद को 06 दिसम्बर 1992 में ध्वस्त किया गया, जब प्रतिशोधस्वरूप बांग्लादेश में इस्लामियों द्वारा निर्दोष हिन्दुओं के घर जला दिए गए, पवित्र मन्दिरों को नष्ट किया गया, हिन्दू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। लज्जा उपन्यास, इसी भयंकर जुल्म के विरोध में लिखा गया। लेखिका तसलीमा नसरीन ने लिखा है कि लज्जा को विरोध के प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है। यह विरोध है उस हिंसा, नफरत और मार-काट के खिलाफ जो धर्म के नाम पर पूरी दूनिया में जारी है।

प्रस्तावना – इस उपन्यास में मुख्य पात्र चार हैं। एक हिन्दू परिवार का मुखिया सुधामय व उसकी पत्नी किरणमयी, पुत्र सुरंजन व पुत्री माया (दोनों वयस्क व अविवाहित)।

बलात्कार – इस उपन्यास में पीड़ित लड़कियों या महिलाओं की तस्वीर छपी होने के कारण यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत के अयोध्या में बावरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद बांग्लादेश में इस्लामियों ने वहाँ की इन हिन्दू नारियों का वास्तविक में बलात्कार किया-

1. 04 अक्टूबर 2001 को बी.एन.पी. जमात-ए-इस्लामी आतंकवादी गुट ने रीतारानी (उम्र 08 वर्ष) का सामूहिक बलात्कार किया।
2. 08 अक्टूबर 2001 को इस्लामी राष्ट्रीय और उग्रवादी पार्टी के लोगों ने पूर्णिमा रानी शील (उम्र 14 वर्ष से कम) को उसकी माँ की बाहों से खींचकर, उसके बेहोश होने के बाद, सामूहिक बलात्कार किया।
3. कुमारी राशमणी बैन के साथ इस्लामी आतंकवादियों ने सामूहिक बलात्कार किया।
4. सुजाता को मुस्लिम आतंकवादियों ने उसके घर में सामूहिक बलात्कार किया।
5. 05 अक्टूबर 2001 की रात एक हिन्दू गृहिणी का मीरेश्वर (चट्टग्राम) में सामूहिक बलात्कार किया गया।
6. अक्टूबर 2001 के निर्वाचन के एक महीने के बाद मीरेश्वराई गांव की एक हिन्दू स्त्री के साथ मुस्लिम आतंकवादियों ने सामूहिक बलात्कार किया।

इसके अतिरिक्त इनका भी बलात्कार हुआ- पृष्ठ 36 के अनुसार, सरस्वती; पृष्ठ 38 के अनुसार, रेणु, रीना; पृष्ठ 40 के अनुसार, सोनाली बैंक की मिसेज भौमिक, ममता, मधु, क्षितीश मंडल की पत्नी व बेटी; पृष्ठ 41 के अनुसार, शिउली, शिबू की पत्नी, मुमारी अंजलि विश्वास;पृष्ठ 42 के अनुसार, हरेन विश्वास की पत्नी, बेटी, बहू, सुधीर वैद्य की पत्नी; पृष्ठ 43 के अनुसार, मंजुरानी, छन्दा घोष (तीसरी कक्षा में अध्ययनरत); पृष्ठ 44 के अनुसार, उज्जवलारानी; पृष्ठ 92 के अनुसार, उत्पला भौमिक; पृष्ठ 96 के अनुसार, स्वर्णबाला दास; पृष्ठ 122 के अनुसार, सविताराणी, पुष्पाराणी, अर्चनाराणी विश्वास, भगवती विश्वास, शेफालीरानी दत्त; पृष्ठ 165 के अनुसार, मिको, नंदिताराणी हीरा, करुणाबाला, तंद्राराणी, मुक्तिरानी घोष, जयंतीरानी साहा आदि का बलात्कार हुआ। इस संबंध में रौंगटे खड़े कर देने वाले निम्न कथन पर ध्यान दीजिए, 'जैसोर जिले के शुड़ो और बागडांगा गाँव में हथियार लेकर चारों तरफ से घेरकर हिन्दुओं के घरों को लूटा गया।' 'ग्यारह लड़कियों को रात भर 'रेप' किया गया।'[1] तथा 'पति के सामने पत्नी का, पिता के सामने पुत्री का, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है। माँ और बेटी का एक साथ बलात्कार होने की घटना भी हुई है।'[2]

मंदिरों का नष्ट करना – उपन्यास में छपी तस्वीरों के अनुसार, जगन्नाथ बाड़ी(मंदिर) काली घाट, महालक्ष्मी मंदिर जैनपुर, कालीमंदिर ग्राम चिकरारी-टुंगीपाड़ा, ठटारी बाजार मंदिर, बौद्ध मंदिर सेनबाग, ढाकेश्वरी मंदिर ढाका, कैवल्यग्राम में श्रीराम ठाकुर, श्री श्री करुणामयी काली मूर्ति चट्टग्राम को मुस्लिमों ने विनष्ट किया। इसके अतिरिक्त असंख्य मंदिरों को नष्ट किया गया। एक चित्र के अनुसार मालीपाड़ा (चट्टग्राम) में 500 परिवार बेघर हुए। अक्टूबर 2001 से लगभग 20,000 अल्पसंख्यक (हिन्दू) भारत चले गए। 'भोला में यह नारा लगाया जा रहा है- 'हिन्दू यदि जीना चाहो, बांग्ला छोड़ भारत जाओ।'[2] एक तख्मीने के अनुसार 40,00,000 अल्पसंख्यक बंगलादेश के अंदर ही विस्थापित हुए।

ईस्लामीकरण – नारी शिक्षा मंदिर को 'शेरे बांग्ला बालिका विद्यालय' कहा गया। ऐसे ही सैकड़ों भवन या अन्य के नाम मुस्लिमों ने अपने धर्म के अनुरुप किया। 'पाकिस्तानी लोगों ने शहर की 240 सड़कों का नाम बदलकर इस्लामिक नाम रख दिया था।'[3] उदाहरणार्थ, इंदिरा रोड को अनार कली रोड कहा गया। पृष्ठ 163 के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया कि बांग्लादेश में हिन्दुओं की नियुक्ति विभिन्न उच्च पदों पर नहीं के बराबर हुई। राष्ट्रीय संसद में हिन्दुओं की संख्या कम-से-कम होती गई। सेना में, पुलिसकर्मियों में, गृह/विदेश/सुरक्षा मंत्रालयों में उच्च पदों पर अल्पसंख्यक सम्प्रदाय (हिन्दू) का कोई नहीं था। लगभग सभी विभागों में कम थे।

दार्शनिकता – लेखिका ने किरणमयी के शब्दों में लिखा कि –

1. 'मनुष्य का एक ही जीवन है। यह जीवन बार-बार नहीं मिलता।'[4]
2. 'वैसे स्वार्थ के बाद बात करने की जरूरत नहीं होती।'[5]
3. 'बिल्ली की तो कोई जाति नहीं, सम्प्रदाय नहीं। काश, वह भी एक बिल्ली बन जाता।'[6]
4. धनी की कोई जात नहीं होती। इस पर लेखिका का यह भाव भी इस उपन्यास पर किंचित दिखाई देता है। 'धनी व्यक्ति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, दरिद्र का शोषण कर रहा है।'[7]

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) महात्मा गांधी शासकीय महाविद्यालय, खरसिया, जिला – रायगढ़ (छ.ग.) भारत

लड़कियों पर कड़ुआ सच – सुरंजन अपनेपन की तलाश में अभिव्यक्त करता है, 'लड़कियाँ क्यों शादी के बाद अपना टाइटिल बदल लेती हैं ? शादी से पहले पिता की पूँछ पकड़कर जिन्दा रहती हैं और शादी के बाद पति की, सब बकवास है।'[8] अस्मत के मामले में लड़कियाँ मूल्यवान होती हैं। इस पर लेखिका ने कहा, 'लड़कियों को तो लोग सोना–चाँदी की तरह ही समझते हैं।'[9]

अश्लीलता के निकट – जब पूरे बांग्लादेश में हिन्दू महिलाओं व लड़कियों पर, बावरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने के विरोध में, बलात्कार किया जा रहा था; तब अपने दिल में उठे दर्द को कुछ समय के लिए छद्म राहत पहुँचाने के लिए सुरंजन (एक हिन्दू पुरूष), एक मुसलमान लड़की से बलात्कार करता है। इसमें कुछ सीमा तक अश्लीलता देखी जा सकती है। लेखिका ने कुछ इस तरह से लिखा है, 'कमरे की बत्ती बुझा देता है। लड़की को जमीन पर पटककर उसके कपड़े खींचकर खोल देता है। सुरंजन की सांसे तेज चलने लगती है। वह लड़की के उदर पर नाखून गड़ा देता है, दांत से उसके स्तन काटता है, सुरंजन समझ नहीं पाता है कि इसका नाम प्यार नहीं है, वह अकारण ही उसके बाल पकड़कर खींचता है, गाल, गला और स्तनों को काटता है, उदर, पेट, नितम्ब, जांघों को तेज नाखून से नोचता है। लड़की रास्ते की वेश्या होने के बावजूद 'ओह–आह, मर गयी, माँ, ... कहते हुए कराह उठती है। सुनकर सुरंजन को खुशी होती है। उसे और भी पीड़ा पहुँचाते हुए, नोच–खसोट कर बलात्कार करता है।'[10] किरणमयी के माध्यम से एक आदर्श अश्लील व्यक्ति का निर्माण भी लेखिका ने किया है, 'इस बीच किरणमयी ने यह भी सोचा कि सुधामय को छोड़कर जिस व्यक्ति के पास जाएगी, वह भी यदि ऐसा ही अक्षम पुरुष हुआ तो ! या फिर अक्षम न होकर भी सुधामय की तरह विशाल हृदय न हुआ तो !'[11]

धर्म और शील भंग के दंगों पर लज्जा – पूरे उपन्यास में बांग्लादेश के इस्लामी आतंकवादियों द्वारा किए गए कृत्यों के पीछे उनकी मंशा यह थी कि अगर परिवार के किसी सदस्य का कत्ल हो जाये तो परिवार किसी अन्य जगह जाकर रह सकता है। लेकिन घर की किसी लड़की के साथ बलात्कार होने के बाद वह परिवार अपना देश छोड़कर चला जाता है। इसी कारण से, वे हिन्दू लड़कियों को बलात्कार पर बलात्कार, समूह बलात्कार करते हैं ताकि बांगलादेशी हिन्दू चाहे वह पिछली कई पीढ़ियों से ही क्यों न वहाँ रहता हो, बांग्लादेश छोड़कर भाग जाए। धर्मगत दंगों पर आहत होकर सुरंजन अपने पिता सुधामय को कहता है, 'दंगा तो अच्छी चीज है पिताजी, यहाँ तो दंगा नहीं हो रहा है। मुसलमान हिन्दुओं को मार रहे हैं।'[12] बहन माया को अगुवा कर लेने के बाद सुरंजन पूरी तरह से टूट जाता है और बांग्लादेश छोड़कर भारत जाने की बात अपने पिता से करता है। इस पर सुधामय भड़क उठते हैं, 'इण्डिया तुम्हारे बाप का घर है, या दादा का ? तुम्हारी चौदह पीढ़ी में किसका घर है इण्डिया में, जो इण्डिया जाओगे ? अपना देश छोड़कर भागने में लज्जा नहीं आती ?'[12] करारा जवाब देते हुए सुरंजन ने प्रतिप्रश्न किया कि, 'देश को धोकर पिएंगे पिताजी ? देश ने आपको क्या दिया है ? क्या दे रहा है मुझे ? माया को क्या दिया है आपके देश ने ? माँ को क्यों रोना पड़ता है ? आपको क्यों रात–रात भर कराहना पड़ता है ? मुझे क्यों नींद नहीं आती है ?'[12]

अंततः सुधामय नाम के एक हिन्दू को अपने क्षत–विक्षत परिवार समेत अपनी चौदह पीढ़ी के बांग्लादेश को लज्जापूर्वक छोड़कर भागते हुए हिन्दू बहुसंख्यक देश भारत आना पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नसरीन, तसलीमा – लज्जा, वाणी प्रकाशन, 4695, 21–ए, दरियागंज, नयी दिल्ली, 2011, पृष्ठ क्र. 122
2. — तदैव— पृष्ठ क्र. 144
3. — तदैव— पृष्ठ क्र. 147
4. — तदैव— पृष्ठ क्र. 100
5. — तदैव— पृष्ठ क्र. 64
6. — तदैव— पृष्ठ क्र. 57
7. — तदैव— पृष्ठ क्र. 45
8. — तदैव— पृष्ठ क्र. 114
9. — तदैव— पृष्ठ क्र. 74
10. — तदैव— पृष्ठ क्र. 169–170
11. — तदैव— पृष्ठ क्र. 100
12. — तदैव— पृष्ठ क्र. 180

****

अज्ञेय का शेखर और फ्रायडीय अहंभावना एक बाल-मनोविश्लेषण

डॉ. आयशा खान *

प्रस्तावना – अज्ञेय के उपन्यास शेखर: एक जीवनी भाग-1 में शेखर की बाल्यावस्था का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए लेखक ने बालक शेखर के जीवन में 'अहं' की स्थिति का अत्यन्त सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत किया है। 'मनुष्य के जीवन के विकास में कुछ प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिनमें से 'अहम्-भावना' एक प्रमुख प्रवृत्ति है यह फ्रायडीय मनोविश्लेषण की स्थापना है। फ्रायड ने मानसिक गुण-चेतन, अवचेतन तथा अचेतन के विश्लेषण के अन्तर्गत यह प्रतिपादित किया कि मन का केवल अल्पांश ही चेतन है तथा मुख्यांश या लगभग तीन चौथाई अचेतन की परिधि में आता हैं। चेतन तो मन का केवल थोड़ा-सा अंश है। वर्षो तक मनोविज्ञान मानव-चेतना का विज्ञान रहा। फ्रायड ने बताया कि – 'व्यक्ति का कुछ मानसिक भाग ऐसा है, जो छिपा रहता है और उसका ज्ञान हमें नहीं होता। इसी छिपे भाग को अचेतन कहा जाता है। यद्यपि 'चेतन' हमारी ज्ञातावस्था में रहता है तथा यह व्यावहारिक जीवन में सक्रिय रहता है तथापि उसका संचालन अचेतन ही करता है। इन दोनों के अलावा फ्रायड ने 'अवचेतन' नामक तीसरी अवस्था का भी प्रतिपादन किया। 'चेतन' मन के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त होते है, वे कुछ ही समय बाद अवचेतन में चले जाते हैं। इन्हें आवश्यकता होने पर चेतन में लाया जा सकता है। फ्रायड ने मानस के स्वरूप को (मन को) तीन भागों में बाँटकर अपना सिद्धान्त-विश्लेषण किया है। उनके अनुसार गत्यात्मक मन के इड, इगो और सुपर इगो – ये तीन स्तर या भाग है।

'इड' या 'इदम' मस्तिष्क का वह भाग है, जहाँ मनुष्य की प्रारंभिक इच्छाएँ, कुण्ठाएँ और आदिम प्रवृत्तियाँ निवास करती है। यह पूर्णत: अचेतन होता है, इसमें अव्यवस्था होती है। इसमें निवास करने वाली प्रवृत्तियाँ अपनी अभिव्यक्ति के लिए अवसर खोजती रहती हैं, इनका बस एक ही लक्ष्य होता है – अबाध तोषण। रामपालसिंह वर्मा का मत है कि –'इसकी कार्यप्रणाली सुख-सिद्धान्त है, जिसका यह अंधा बनकर अनुसरण करता है। 'इड' में बुद्धि, विवेक, नैतिकता तथा संयम नहीं होता। नवजात शिशु में केवल 'इड' ही होता है। इस प्रकार मानव-जीवन के आरंभिक दौर में सभी अचेतन ही होता है। दूसरी अवस्था है – 'इगो' – जो ज्ञातावस्था में रहता है। बाह्य जगत् के संसर्ग से इसमें चेतना आती है। यह यथार्थ से सम्बद्ध होता है और 'इड' की अप्राकृतिकता पर अंकुश लगाता है। मानस में 'इगो' का स्थान बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण है। यह मानव के जीवन को सामंजस्य प्रदान करता है। इस संतुलन की सफलता और असफलता पर व्यक्तित्व-निर्माण की सफलता-असफलता निर्भर करती है। व्यक्ति की सामान्यता, असामान्यता, 'इगो' की कार्य-क्षमता पर निर्भर करती है। इस प्रकार 'इगो' अंतर्जगत, या इड (अचेतन), बहिर्जगत् तथा समाज में सामंजस्य स्थापित करने वाला मानसिक कारक है।

तीसरी अवस्था है- सुपर इगो या परम अहं की। 'इगो' से कार्य करवाने वाली शक्ति को फ्रायड ने 'सुपर इगो' की संज्ञा दी है। मनुष्य में परम अहम् का विकास सामाजिक वातावरण और उसकी नैतिक मान्यताओं तथा परंपराओं के आधार पर होता है। बालक जब बड़ा होने लगता है तो देखता है कि समाज में कुछ वर्जनाएँ हैं। कुछ ऐसे कार्य भी है, जो सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय है, समाज उन्हें करने की अनुमति नहीं देता। इस तरह बालक में सुपर इगो का विकास होने लगता है। एक प्रकार से यह नैतिक चेतना है, जिसका ज्ञान बालक को समाज, माता-पिता आदि के द्धारा होता है। शैशवास्था से बाल्यावस्था तक बालक माता-पिता पर पूर्णत: निर्भर रहता है। माता-पिता उसे कुछ कार्यो को करने देते है, किन्तु कुछ के लिए मना ही करते है। बालक की इच्छा होने पर भी उसे डरा-धमकाकर, डाँट-फटकारकर, मार-पीटकर अथवा प्रेमपूर्ण व्यवहार से उन निषिद्ध कार्यो को करने से रोकते है। माता-पिता ही सर्वप्रथम बालक को सामाजिकता, व्यावहारिकता, यथार्थता, नैतिकता तथा आदर्शवादिता का बोध कराते है। इससे बालक की अन्तरात्मा का निर्माण होता है और यह अन्तरात्मा ही 'सुपर इगो' हैं।

सुपर इगो 'इड' का विरोधी है। 'इड' को जब यह अपने विधि-निषेधों तथा नैतिक मान्यताओं का उल्लंघन या खंडन करते देखता है तो इन प्रवृत्तियों के दमन के लिए 'इगो' पर दबाव डालता है। परंपरा की कट्टरता का शक्ति-केन्द्र 'सुपर इगो' ही हैं।

इस प्रकार फ्रायड ने मानस को तीन भागों में विभक्त किया हैं। फ्रायड के अनुसार – इड, इगो तथा सुपर इगो का व्यक्तित्व – निर्माण में योगदान होता है, किन्तु मुख्य भूमिका 'इगो' की होती है।

फ्रायड के इस 'इगो' द्धारा व्यक्तित्व निर्माण की प्रथमावस्था अर्थात बाल्यावस्था में 'इगो' की स्थिति का विश्लेषण अज्ञेय के शेखर के बाल्याकाल में समग्रता से देखा जा सकता है। अज्ञेयजी का शेखर प्रबल अहंभावना से युक्त है। जब-जब उसकी अहम् भावना आघात पाती है वह कुंठित हो जाती है और प्रकारान्तर से अहम्-तुष्टि के प्रयास करता दिखता हैं।

बालक छोटी-छोटी बातों और कार्यो को करके अपूर्ण आनन्द तथा तुष्टि का अनुभव करते हैं। कभी-कभी अनजाने में माता-पिता और गुरूजन उनकी इन छोटी-छोटी खुशियों को उनसे छीनकर उनको उनकी क्षुद्रता का एहसास करवा देते हें। बड़ों का दबाव उन्हें इस भावना से भर देता है कि वे छोटे है और पराधीन शिशु-भर है। फलत: उनका अहम् खंडित हो जाता है

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

और वे कुंठित और निराश तथा एकान्तप्रिय हो जाते हैं। ऐसे बच्चे विद्रोही वृत्ति वाले भी हो जाते हैं, और इसी तरह अपना अहम् संतुष्ट करते हैं। शेखर में भी यह स्थिति अज्ञेयजी ने निरूपित की है। उनका शेखर जिज्ञासु, विद्रोही तथा दृढ़ वृत्तिवाला बालक है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक उसका अहं अनेक बार खंडित होता है और वह उसे संतुष्ट करने के प्रयास करते देखा जाता हैं।

बाल्यावस्था में लेटर बॉक्स पर चढ़कर बैठने में उसे 'संसार से एक लेटर बाक्स की ऊँचाई भर ऊँचा है।' यह एहसास होता है। वह लेटर बाक्स पर बैठकर घोड़े पर बैठने का आनंद लेता है कि – 'क्षुद्र संसार के डाकिये द्वारा शेखर को वहाँ से हटाने का प्रयास करने पर कूदकर डाकिये की उंगलियों को कुचकर घर भाग जाता है और मन में विजय भावना का गर्व भर जाता है। उसे अपनी क्षुद्रता का अनुभव तब होता है जब पिताजी की हथेली का आघात गाल पर पड़ता है, बालक शेखर अपने स्वप्निल संसार से दूर हट जाता है। शेखर द्वारा डाकिये की उंगलियाँ कूचने और भाग जाने में अहंभावना है। पिता द्वारा पिटाई होने पर उसके अहं को ठेस लगती है। अहं को आघात लगने पर शेखर में विद्रोह–वृत्ति तथा विरोध–भावना पनपने लगती है। अपनी जिज्ञासाओं का समाधान न पाकर भी उसका अहं आघात पाता है इसलिए वह विद्रोह, विरोध तथा उद्दण्डता के द्वारा अपनी अहं–भावना को तुष्ट करने लगता है। ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इंकार करना और पिता से पिटकर भी इसलिए प्रसन्न होता है कि वह स्पष्टत: ऐसा कह सका। इस क्रिया में भी उसके द्वारा अहंतुष्टि का प्रयास है। अब विरोध, उल्लंघन आदि द्वारा उसकी अहंता तुष्ट होती हैं।

शेखर अपनी पहचान स्वयं बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि पिता के नाम को उसके नाम के साथ जोड़ने पर ही उसे कोई पहचाने। उसे अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहिये। अपने नाम को पिता के नाम के बिना लिखकर भी उसकी अहं भावना पुष्ट होती है। स्कूल में उद्दण्डता करने तथा मास्टर सा. से दुर्व्यवहार कर वह मन ही मन प्रसन्न हुआ कि 'जीत उसी की हुई' यहाँ उसकी अहंभावना ही दिखाई देती है।

जिनका अहम् कुचला जाता है वे इसी प्रकार की क्रियाओं से उसे तुष्ट करने का प्रयास करते हैं – यह स्थापना मनोविश्लेषण की ही है। इसके बाद शेखर स्कूल नहीं गया। उसने अकेले होने की सामर्थ्य पा ली थी और जान लिया था कि 'स्कूल में बनते है, 'टाईपय, वह बना व्यक्ति'[9]

शेखर का अहं बार–बार कुचला जाने के कारण वह अक्खड़ प्रकृति का हो गया। वह कुंठित भी रहने लगा। उसने एक नाटक भी लिखा फिर उस नाटक की कॉपी उसने हारकर गऊ को खिला दी, किन्तु बहन सरस्वती ने उसे ममत्वपूर्ण व्यवहार से टूटने से बचा लिया। उसका अहं बहन के ममत्वपूर्ण प्रेम से परितृप्त हुआ। बहन में उसे माँ जैसा ममत्व मिला, क्योंकि माँ से उसे स्नेह और विश्वास की जगह अनजाने ही अविश्वास मिला। इससे वह टूट गया था। अब वह बुरे कार्यो और आज्ञा का उल्लंघन, अकड़कर जवाब देना, चोरी करना – जैसे कार्य करके सबके आकर्षण का केन्द्र बनना चाहने लगा। शेखर का छोटा भाई चन्द्र माँ से अधिक स्नेह पाता था, तो उसे माँ से ही पिटवाकर प्रसन्न होता है। पिता के मना करने पर भी पतंग उड़ाता है – ये सब क्रियाएँ उसके खंडित अहं की क्षतिपूर्ति का प्रयास है। ऐसा कर उसे लगता है उसका भी अस्तित्व है, वह भी किसी से कम नहीं। गलत कार्य करके अपने कुंठित अहं को शेखर तृप्ति प्रदान करता है। कुमार की मैत्री भी उसके खंडित अहं को तुष्ट करती है। मैत्री टूटने पर फिर अहं चोट खाता है और इस बार वह अछूत विद्यार्थियों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार कर अपने अहं की रक्षा करता है।

उपन्यास के प्रथमांश में अज्ञेयजी ने शेखर के बाल्यकाल का बड़ा ही गहराई से विश्लेषण और चित्रण किया है। 'बाल्यावस्था, जो शेखर के जीवन की नींव थी' – का निर्माण और विकास किस प्रकार अहंता के कारण प्रभावित हुआ इस तथ्य को अज्ञेयजी ने मनोविश्लेषण के सहारे समग्रता के साथ प्रस्तुत किया है। बालक शेखर की जिज्ञासाएँ यदि उचित ढंग से निराकरण पाती, यदि उसे क्षुद्रता का अनुभव नहीं कराया जाता, यदि उस पर विधि निषेध के नियमों का अधिक बोझ न होता तो वह स्वाभाविक विकास पाता। उसका अहं कुंठित नहीं होता और न वह उसकी तुष्टि के लिए मार्ग खोजता। समाज, माता–पिता और परिवेश यदि बालकों के प्रति संवेदनशील होकर उन्हें प्रेमपूर्ण व्यवहार से जीवन में सहज आगे बढ़ने दे तो कुंठाग्रस्त मानसिकता का विकास रोका जा सकता हैं। कुछ वर्जनाएँ और निषेध हैं, जो बाल्यावस्था में अनुचित है उसका उन्हें, प्रेम से परिचय करवाया जाए तो स्वस्थ, कुंठामुक्त मानवता विकसित हो सकती है। अज्ञेयजी मनोविश्लेषण के सहारे बालक शेखर की कुंठाओं, चोटिल अहंभावना आदि का सफल निष्पादन कर सके हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूंची :–

1. मनोविज्ञान के समप्रदाय – रामपालसिंह वर्मा।
2. आधुनिक मनोविज्ञान और हिन्दी साहित्य – डॉ. गंगाप्रसाद झा।
3. द इड एंड द इगो – फ्रायड।
4. शेखर –एक जीवनी भाग –एक।

****

संत नामदेव

डॉ. प्रेमलता तिवारी *

प्रस्तावना – संत ज्ञानेश्वर के समकालीन संत नामदेव का जन्म भक्त कबीर से 130 वर्ष पूर्व 29 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के जिला सातारा के में नरसीबामनी गाव में हुआ। छींबा जाति के संत कवि बचपन से ही बैरागी और साधु स्वभाव के थे। एकमात्र महाराष्ट्री संत जिन्होंने महाराष्ट्र से पंजाब तक हरि भक्ति की अलख जगायी + बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गयी थी पर सांसारिकता उन्हें रास नहीं आयी। सुख और दुख को समभाव से लेने वाले संत ने स्वयं को जान लिया, स्वयं के अस्तित्व में ईश्वर को पहचान लिया था–

'ऐकु भगत मेंरे हिरदै बसै।
नामें देखि नराइनु हसै।।
दूध पी आई भगतु धरि गइआ।
नामें हरि का दरसनु भइया।।'

विठ्टल भक्त नामदेव का पूरा जीवन मानव कल्याण के लिये समर्पित रहा। मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले संत का मिलाप महान संत ज्ञानेश्वर से पंढरपूर में हुआ तब उनकी सोच ही बदल गयी। उनकी धारणा सुदृढ़ हो गयी कि ईश्वर प्रतिक्षण और प्रत्येक स्थान पर है। उसे खोजने कही भी जाने की आवश्यकता नहीं है। संत ज्ञानेश्वर से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हीं के शिष्य विठोबा खेचर को अपना गुरू बनाया। कहते है भारत भ्रमण के दौरान उन्होने कई चमत्कार दिखाये जैसे मारवाड़ के सूखे रेगिस्तान में कीर्तन के माध्याम से कुए में पानी भर देना, सुलतान के कहने पर मरी गाय को जीवित कर देना, मदमस्त हाथी से गाय को बचाना, कुत्ते के रोटी लेकर भागने पर उनके पीछे घी के कटोरे को लेकर दौड़ना ऐसी कई किवदन्तिया आज भी प्रचलित है। कहते है दो बार भारत भ्रमण के बाद उनके द्वारा दिये भंडारे में विट्ठल रूक्मिणी साक्षात पधारे थे। 21 वर्षीय संत ज्ञानेश्वर के समाधि लेने पर वे कुछ समय के लिये एकान्त प्रिय हो गये थे। अंतिम दिनो में आप पंजाब आ कर बस गये जहॉ 80 वर्ष की उम्र में 1407 विक्रमी को परलोक गमन कर गये। कुछ विद्धान उनके अंतिम क्षण पंढरपूर में मानते है और यह भी कहा जाता है कि पंढरपूर के विट्ठल मंदिर की दूसरी सीढ़ी के नीचे उनके अवशेष आज भी है।

'बोले बालक बोबड़े ।
तरी ते जननी जे आवडे ।।
नामा म्हणे गा केशवा ।
जन्मो जन्मी देई सेवा ।।'

भक्ति आंदोलन के मुख्य स्तंभ संसार से विरक्त संत को भले बुरे से कोई सरोकार नहीं था। ब्रम्ह और माया के भेद से परे विठोबा भक्ति में वे अपनी सच्ची स्थिति का अनुभव करते क्योंकि उनका निर्मल अन्त: करण विठोबा का दास रहा। मनुष्य जाति की अद्भूत विभूति के पूरे काव्य में लोकसेवा की पवित्र भावना और भक्ति का अद्भूत रूप दिखायी देता है। दिव्य व्यक्तित्व की अप्रतिम गरिमा का साक्षात्कार जिसने भी किया वह उन्हीं का बनकर रह गया। जीवन के झुठ, भ्रम का खंडन कर सत्य की ओर संकेत करने वाली उनकी अभिव्यक्ति की शैली अनुपम है। रूपक काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट उनके अभंग श्रोताओ को भक्ति सागर में गोता लगवाने का अद्भूत सामर्थ्य रखते है। 'गागर में सागर' का काव्य कौशल अद्धितीय है। जनसाधारण के सुख दुख आशा निराशा से काव्य सीधा जुड़ा हुआ है। संत नामदेव की सुमधुर वाणी से काव्यालंकार से मंडित रसप्लवित भाषा में गाये जाने वाले अभंगा मर्मभेद और अद्भूत है। सभी पद सरल, मधुर और गाने योग्य है–

'अभि अन्तर नही भाव, नाम कहै हरि नाव से
नीर बिहूणी नाव, कैसे तरिबो केसबे ।।'

स्पष्ट है कि सत्य, सेवा, भक्ति और शांति उनके लिये ईश्वर प्राप्ति के साधन थे। उनका विश्वास था कि प्रभु घर–घर के वासी है। विश्व का एक भी कोना ऐसा नही जहॉ वे विराजमान न हो। सारे ब्रम्हान्ड में उन्ही की एक मात्र सत्ता है। ज्ञान और भक्ति के द्वारा परमेश्वर को खोजने के उन्होंने सफल प्रयास किये। परोपकार, प्रेमभक्ति, सद्भाव, धैर्य, समर्पण उनके अभंगो का आधार है। विट्ठल के प्रति उनकी भक्ति विलक्षण थी आज भी उनकी शिष्य परंपरा इस बात में विश्वास रखती है कि अकेले में विट्ठल साक्षात जीवन्त हो उनसे बाते करते थे।–

'दान पुणी पासंग तुलै, अहँडै सब आचार ।
नाम कहे हरि नाम समि, तुलै न जग ब्योहार ।।'

गुरू ग्रंथ साहिब में उनके 61 पद 3 श्लोक 18 रागो में संकलित है। संत नामदेव की अभंग गाथा। (2500 अभंग) हिन्दी भाषा में (125 अभंग) महाराष्ट्र में गेय रूप में गाये जाते है। 'मुखबानी' की समस्त रचनाये मानवता को सर्वश्रेष्ठ शिरोधार्य कर भक्तो को सहजता से निर्गुण भक्ति से जोड़ती है। उच्च कोटि की आध्यामिकता उनके छंदो की विशेषता है। आत्मा– परमात्मा को परस्पर पूरक मान ईश्वर को मुर्त और अपूर्व दोनों रूपो में स्वीकारा है–

'जत्र जाउँ तत्र बीठल मेंला।
बीठतियो राजा रामदेव।।'

'तिर्थावली' उनकी सर्वप्रसिद्ध प्रामाणिक रचना है जिसमें नामदेव के विद्धल आत्मा के नेत्रो से परखे जाते है महसूस किये जाते है। निर्गुण कबीर की समस्त विशेषताऍ कबीर के 130 वर्ष पूर्व नामदेव के काव्य में प्रतिष्ठित है। उत्तर भारत के कबीर महाराष्ट्र के नामदेव के दोहो के आधारभूत मूलतत्वो में कहीं कोई अंतर नहीं है। व्यक्तिगत साधना के साथ सामाजिक हित की साधना कर वे और विट्ठल व्यापक रूप से एक हो गये।

'अमृतहुनी गोड नाम तुझे देवा,
मन माझे केशवा का ना ब हो ।'

भक्ति की सौगात साथ लिये संत नामदेव ने अहंकार से मुक्त होकर ईश्वर के साथ एक होकर मानवीय चेतना को जागृत करने का अद्भूत प्रयास किया। भक्ति सागर में डूबने के बाद सांसारिकता उन्हें छू भी नही पायी। ज्ञान, कर्म,

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

सत्य और समर्पण से परिपूर्ण उनके अभंग आज भी भोगवादी दुनिया की युवा पीढ़ी के लिये प्रेरक साबित होगे। उनका शरीर चला गया पर उनका नाम सदा अमर रहेगा। भक्ति की जो उन्होंने धारा बहाई वह कभी नहीं सुखेगी और लोगों को हमेंशा पवित्र करती रहेगी।

इनके पदो में हठयोग की कुंडलिनी योग साधना और प्रेम भावना तो है पर तालाबेली (विट्ठल भावना) भी है। बारकरी संप्रदाय के प्रमुख नामदेव के अभंग पूरे महाराष्ट्र में भक्ति, श्रद्धा, आस्था और प्रीति के साथ गाये जाते है। मराठी अभंगो के जनक होने का श्रेय भी उन्हे भी प्राप्त है। उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियो के धनी संत नामदेव का 'वारकरी पंथ' आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। प्रतिवर्ष आजादी और कार्तिक एकादशी को विट्ठल दर्शन के लिये पंढरपूर की 'वारी' यात्रा प्रचलित है। संतप्त प्राणियो के कष्ट के निवारण की कामना करने वाले संत नामदेव के पदो में करूणा, संवेदना, सहृदयता, आत्मीयता, ममत्व, समर्पण के भाव आज की गलाकार प्रतिस्पर्धा में पनपत स्वार्थ, लोभ से पूर्ण संस्कृति, संस्कार से दुर होती युवाओ के लिये आश्रय स्त्रोत है जो स्वर्णिम भविष्य हेतू सेवा यज्ञ में जीवन को समिधा बनाकर आहुति देने के प्रेरित करता है–

'घालीन लोटांगन वंदीन चरण।
डोळयांनी पाहीन रूप तुझे।।
प्रेमें आलिंगन आनंदे पूजीन।
भावे ओवालीन म्हणे नामा।।'

नामदेव जी के एस अंभग के बिना आज भी महाराष्ट्र में कोई उत्सव पूरा नही होता। भारतीय संस्कृति ऐसे महान संतो के कारण ही अजर अमर है। देश की युवा पीढ़ी हमेंशा संत नामदेव की रूणी रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अहा! जिंदगी माह 2013
2. web.com
3. gadhya kosh.com
4. wikipidea
5. Maharashtra ke sant.com

****

Henry David Thoreau's 'Walden' and 'The Bhagavad - Gita'

Prof. Sushma Bhuvanendran *

Abstract - Henry David Thoreau was an American author, poet, philosopher, abolitionist, naturalist, tax resister, development critic, surveyor, historian, and leading transcendentalist. He is best known for his book *Walden,* a reflection upon simple living in natural surroundings, and his essay *Resistance to Civil Government* (also known as Civil Disobedience), an argument for disobedience to an unjust state. Recognizing the terminal nature of his disease, Thoreau spent his last years revising and editing his unpublished works, particularly *The Maine Woods* and *Excursions,* and petitioning publishers to print revised editions of *A Week* and *Walden*. Thoreau was influenced by a number of great writers, but the greatest influence that molded his mind, heart and soul came from India. These are the *Bhagavad-Gita, Vishnu Purana, Manu Smriti* and *Hitopadesa.* The *Bhagavad-Gita* emphasizes meditation in solitude as a way to self-realization. Thoreau accepts the doctrine of Karma and therefore the idea of rebirth. In his letter to Harrison Blake he writes: "As the stars looked at me when I was a shepherd in Assyria, they look to me now a New Englander." According to Thoreau, the idea of transmigration is "unavoidable," for it is "an instinct of the race." *Walden* is as book for all those who seek to explore life and who want to live life. The book is a profound document of the human conscience, of the spiritual values, and of the ideals of all culture. Thoreau was heavily influenced by Indian spiritual thought. In *Walden*, there are many overt references to the sacred texts of India. For example, in the first chapter "Economy," he writes, "How much more admirable the Bhagavad-Gita than all the ruins of the East!" Furthermore, in "The Pond in Winter," he equates Walden Pond with the sacred Ganges river, writing:

"In the morning I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagavad-Gita since whose composition years of the gods have elapsed, and in comparison with which our modern world and its literature seem puny and trivial; and I doubt if that philosophy is not to be referred to a previous state of existence, so remote is its sublimity from our conceptions. I lay down the book and go to my well for water, and lo! there I meet the servant of the Brahmin, priest of Brahmaand Vishnu and Indra, who still sits in his temple on the Ganges reading the Vedas, or dwells at the root of a tree with his crust and water jug. I meet his servant come to draw water for his master, and our buckets as it were grate together in the same well. The pure Walden water is mingled with the sacred water of the Ganges."

Keywords - Abolitionist, naturalist, petitioning, stupendous, cosmogonal.

Introduction - Henry David Thoreau was an American author, poet, philosopher, abolitionist, naturalist, tax resister, development critic, surveyor, historian, and leading transcendentalist. He is best known for his book *Walden,* a reflection upon simple living in natural surroundings, and his essay *Resistance to Civil Government* (also known as Civil Disobedience), an argument for disobedience to an unjust state. Thoreau was an empirical transcendentalist who made his own life a factual emblem of the imaginative doctrines of 'Self-Reliance'. Thoreau wants the individual to understand the nature and purpose of life, the meaning and value of all creation. In this cosmic contact, man discovers that his primary duty is to his ownself; and this also involves man's duty to his creator. Thoreau wants man "to live deliberately, to front only the essential facts of life," and to see whether he can learn anything from nature. Man must "live deep and suck out all the marrow of life." Life must be purposive. Life, as Thoreau saw it, is a constant struggle between purity and sensuality. He called chastity "the flowering of man." The Oversoul has to be brought down to earth by action, not by words.

Recognizing the terminal nature of his disease, Thoreau spent his last years revising and editing his unpublished works, particularly *The Maine Woods* and *Excursions,* and petitioning publishers to print revised editions of *A Week* and *Walden*. He also wrote letters and journal entries until he became too weak to continue. His friends were alarmed at his diminished appearance and were fascinated by his tranquil acceptance of death. When his aunt Louisa asked him in his last weeks if he had made his peace with God, Thoreau responded: "I did not know we had ever quarreled." Thoreau was influenced by a number of great writers, but the greatest influence that moulded his mind, heart and soul came from India. These are the *Bhagavad Gita, Vishnu*

* **Assistant Professor (English) Government Girls College, Dhar (M.P.) INDIA**

Purana, Manu Smriti and *Hitopadesa.* The *Bhagavad Gita* emphasizes meditation in solitude as a way to self-realization. He derived the ideal of disinterested action. The principle of non-attachment to the result was clear to him. Another is the concept of *maya*; and referring to this he writes: "We think that is which appears to be". This idea of the world being a dream appears frequently in *Walden.* Thoreau accepts the doctrine of Karma and therefore the idea of rebirth. In his letter to Harrison Blake he writes: "As the stars looked at me when I was a shepherd in Assyria, they look to me now a New Englander." According to Thoreau, the idea of transmigration is "unavoidable," for it is "an instinct of the race." *Walden* is as book for all those who seek to explore life and who want to live life. The book is a profound document of the human conscience, of the spiritual values, and of the ideals of all culture. Thoreau is always hopeful of something good coming out at the end. *Walden* emphasizes the value of solitude. Thoreau wrote in his journal: "I want to go soon and live away by the Pond, where I shall only hear the wind whispering among the reeds. It will be success if I shall have left myself behind." Self-discipline outlined in the *Gita* made Thoreau realizes that "we have to go into retirement religiously, and enhance our meeting by rarity and a degree of infamiliarity."

Thoreau was a philosopher of nature and its relation to the human condition. In his early years he followed Transcendentalism, a loose and eclectic idealist philosophy advocated by Emerson, Fuller, and Alcott. They held that an ideal spiritual state transcends, or goes beyond, the physical and empirical, and that one achieves that insight via personal intuition rather than religious doctrine. In their view, Nature is the outward sign of inward spirit, expressing the "radical correspondence of visible things and human thoughts," as Emerson wrote in *Nature* (1836). Henry David Thoreau wrote in *Walden,*

"I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life, living is so dear; nor did I wish to practise resignation, unless it was quite necessary. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan-like as to put to rout all that was not life, to cut a broad swath and shave close, to drive life into a corner, and reduce it to its lowest terms, and, if it proved to be mean, why then to get the whole and genuine meanness of it, and publish its meanness to the world; or if it were sublime, to know it by experience, and be able to give a true account of it in my next excursion."

Writing on *Walden*, Frank Mac Shane observes: "Certainly there is no doubt that the book is permeated with a vaguely Hindu atmosphere. There are many overt references to the sacred text of India … and Thoreau himself follows certain Hindu customs … Flute playing… is reminiscent of God Krishna's favourite musical pastime. Most significant of all are the many references to the river and the definite equation of the Walden Pond with the sacred Ganges."

John Updike wrote in 2004, "A century and a half after its publication, Walden has become such a totem of the back-to-nature, preservationist, anti-business, civil-disobedience mindset, and Thoreau so vivid a protester, so perfect a crank and hermit saint, that the book risks being as revered and unread as the Bible."

Thoreau writes "Most of the luxuries and many of the so-called comforts of life are not only not indispensable, but positive hindrances to the elevation of mankind." Thoreau was an early advocate of recreational hiking and canoeing, of conserving natural resources on private land, and of preserving wilderness as public land. He was not a strict vegetarian, though he said he preferred that diet and advocated it as a means of self-improvement. He wrote in *Walden*: Thoreau's famous quote, near his cabin site at Walden Pond

"The practical objection to animal food in my case was its uncleanness; and besides, when I had caught and cleaned and cooked and eaten my fish, they seemed not to have fed me essentially. It was insignificant and unnecessary, and cost more than it came to. A little bread or a few potatoes would have done as well, with less trouble and filth."

Thoreau neither rejected civilization nor fully embraced wilderness. Instead he sought a middle ground, the pastoral realm that integrates both nature and culture. His philosophy required that he be a didactic arbitration between the wilderness he based so much on and the spreading mass of North American humanity. He decried the latter endlessly but felt the teachers need to be close to those who needed to hear what he wanted to tell them. He was in many ways a 'visible saint', a point of contact with the wilds, even if the land he lived on had been given to him by Emerson and was far from cut-off. The wildness he enjoyed was the nearby swamp or forest, and he preferred "partially cultivated country." His idea of being "far in the recesses of the wilderness" of Maine was to "travel the logger's path and the Indian trail," but he also hiked on pristine untouched land. In the essay "Henry David Thoreau, Philosopher" Roderick Nash writes: "Thoreau left Concord in 1846 for the first of three trips to northern Maine. His expectations were high because he hoped to find genuine, primeval America. But contact with real wilderness in Maine affected him far differently than had the idea of wilderness in Concord. Instead of coming out of the woods with a deepened appreciation of the wilds, Thoreau felt a greater respect for civilization and realized the necessity of balance." On alcohol, Thoreau wrote: "I would fain keep sober always... I believe that water is the only drink for a wise man; wine is not so noble a liquor... Of all ebriosity, who does not prefer to be intoxicated by the air he breathes?" In an 1849 letter to his friend H.G.O. Blake, he wrote about yoga and its meaning to him:

"Free in this world as the birds in the air, disengaged from every kind of chains, those who practice yoga gather in Brahma the certain fruits of their works. Depend upon it that,

rude and careless as I am, I would fain practice the yoga faithfully. The yogi, absorbed in contemplation, contributes in his degree to creation; he breathes a divine perfume, he hears wonderful things. Divine forms traverse him without tearing him, and united to the nature which is proper to him, he goes, he acts as animating original matter. To some extent, and at rare intervals, even I am a yogi."

Thoreau was heavily influenced by Indian spiritual thought. In *Walden*, there are many overt references to the sacred texts of India. For example, in the first chapter "Economy," he writes, "How much more admirable the Bhagvat-Geeta than all the ruins of the East!" Furthermore, in "The Pond in Winter," he equates Walden Pond with the sacred Ganges river, writing:

"In the morning I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagvat Geeta since whose composition years of the gods have elapsed, and in comparison with which our modern world and its literature seem puny and trivial; and I doubt if that philosophy is not to be referred to a previous state of existence, so remote is its sublimity from our conceptions. I lay down the book and go to my well for water, and lo! there I meet the servant of the Brahmin, priest of Brahmaand Vishnu and Indra, who still sits in his temple on the Ganges reading the Vedas, or dwells at the root of a tree with his crust and water jug. I meet his servant come to draw water for his master, and our buckets as it were grate together in the same well. The pure Walden water is mingled with the sacred water of the Ganges."

To conclude, Thoreau followed various Hindu customs, including following a diet of rice "It was fit that I should live on rice, mainly, who loved so well the philosophy of India", flute playing, which is reminiscent of the favorite musical pastime of Krishna, and yoga. The Spring of the seventeenth chapter presents the picture of the emergence of new life, of new activity. "All things must live in such a light. O, Death, where was thy spring? O, grave, where was thy victory then?" The eighteen sections of the book are modeled after the eighteen chapters of the *Gita* and after the eighteen *parvans* of the *Mahabharata.* Eighteen is the number of triumph according to the *Mahabharata. Walden* records his love of life, his intense religious feeling for nature, his protest at the waste of life through misdirection by modern Commerce, his feeling for his friends, and his interest in men.

Thoreau's ideas have impacted and resonated with various strains in the anarchist movement, with Emma Goldman referring to him as "the greatest American anarchist." Green anarchism and Anarcho-primitivism in particular have both derived inspiration and ecological points-of-view from the writings of Thoreau.

References :-

1. Furtak, Rick."Henry David Thoreau". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 27 July 2013.
2. *Walden* from the Writings of Henry David Thoreau: The Digital Collection.
3. Roderick Nash, *Wilderness and the American Mind: Henry David Thoreau: Philosopher*.
4. *Walden, or Life in the Woods* (Chapter 1: "Economy")
5. Simon Critchley, *The Book of Dead Philosophers*, p.181, New York: Random House (2009).

****

Representation Of The Australian Aboriginal Culture

Prof. Keshav Singh Sisodiya *

Introduction - Aboriginal people are inseparable part of Australia. They are one of the oldest cultures in the world, their existence going back at least 40,000 years. The Aboriginal people are not the only native inhabitants who had to face the cruel reality of European invasion and later settlement. Although Aboriginal people are the minority of Australian population, they play a very important role in Australian culture and history. The Aboriginal people who do not live in the urban areas still remain in isolated rural communities and they share a common heritage which may be different from community to community. 'Aboriginality' arises from the subjective experience of both Aboriginal people and non-Aboriginal people who engage in any intercultural dialogue, whether in actual lived experience or through a mediated experience such as a white person watching a program about Aboriginal people on television or reading a book. Moreover, the creation of 'Aboriginality' is not a fixed thing. It is created from our histories. It arises from the inter subjectivity of black and white in dialogue.

The Aboriginal people who were taken from their families suffer from a certain kind of estrangement from their culture which needs to be restored. The concept of Aboriginality started to be used only after white people came to Australia and demanded the land which had already been occupied by somebody else. Anita Heiss claims that "the actual concept of Aboriginality didn't exist before colonization".

Aboriginal people share similar principles within their community and their relations are very close. Aboriginality is defined with "identity, descent and acceptance" Generally speaking, it is not enough to be Aboriginal in your own eyes but the others from the community must agree on your membership in the community. The color of skin is not the only factor determining the 'extent' of Aboriginality. Moreover, Aboriginality is rather a social concept. Marcia Langton discusses the role of Aboriginality: "Where my discussion is pointing here is that 'Aboriginality' is not just a label to do with skin color or the particular ideas a person carries around in his/her head which might be labeled Aboriginal such as an Aboriginal language or kinship system. 'Aboriginality is a social thing […]".

Aboriginal people are a distinctive group of the people who have strong traditions and whose culture is rooted in the remote past. A lot of books and materials have been devoted to the theme of Aboriginality because it seems to be the 'secret chamber' which remains unrevealed for the most people. Aboriginal people must have relied on their memory. They trained it through telling stories – the more they talked and listened. Storytelling is thus an instrument for education, keeping traditions, transferring information and last but not least entertainment. It is almost unimaginable for people who have not experienced the oral tradition that storytelling could work for such a long time. It is admirable that Aboriginal people were able to absorb so much information and pass it further on.

Aboriginal people had to cope with the European colonization. They had no choice nobody had asked them if they wanted to share the land with some strangers. They had to adapt to European practices and a way of life. White settlers wanted Aboriginal people to be institutionally assimilated. They wanted to eliminate Aboriginal culture and let it 'dissolve' in the European one. Anita Heiss draws attention to the origin of assimilation practices: "The assimilation policy was developed from the racist notion that European society is superior/more highly valued socially than Indigenous cultures." This led to one of the most dreadful aspects of Australian history which gave rise to the so called "Stolen Generation".

The Aboriginal people become ordinary for the white settlers. The different approach to nudity shows the gap between the two cultures. The things, such as clothes, are important for Europeans as they can represent people wealth. On the other hand, Aboriginal people do not consider any form of wealth important so they do not need to present it by cloths. The Aboriginal people want to be treated the same way as the white people are. They are willing to follow the white rules and laws but they need to be accepted as the equal inhabitance. The encounters between the European and Aboriginal culture belong to Australian past and that is why they are incorporated into the novels. The European colonization tries it severs this time by occupying the territory where Aboriginal people have been used to living for many years. Indigenous inhabitant's privacy is intruded and they perceive it as the attempt to alienate them from the land. The unity of the Aboriginal culture and the natural environment cannot be renewed unless white settlers respect the natural patters of Australian landscape. The Aboriginal people of

* Head of Deptt. (English) Maharaja Bhoj Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

the Hawkesbury River in *The Secret River* seem to be the part of the Australian land. They live in consonance with the nature. The peaceful life of the Indigenous inhabitants is destroyed by the white settlers who are obsessed with the possession of the land. The Aboriginal people are deprived of their land and are force to live in the reserves. The history of Indigenous inhabitants cannot be let out when dealing with Australian past.

"Aboriginal literature begins as a cry from the heart directed at the white man. It is a cry for justice and for a batter deal, a cry for understanding and an asking to be understood." These are the first words in witting by an Aboriginal author Mudrooroo Narogin. His novel *Wild Cat Falling* was published in Australia in 1965 and it is an important event for Aboriginal people because it is one of the landmarks of Aboriginal literature.

The Aboriginal people whose blood was 'mixed' with "white blood" were considered to be higher in the social hierarchy of Australia. That is the reason why the authorities wanted to separate these children from the rest of Aboriginal community. Part-Aboriginal children were considered to be more intelligent and also more adaptable than their full-blood Aboriginal contemporaries. The aim was to send the part-Aboriginal children to white families to re-educate them. For "half-caste" children it was not easy to find and discover their identity because they did not know where they belonged. The problem of re-education of part-Aboriginal children was to be solved by placing these children into white households. The solution was brutal and ill-considered.

On the 13th February 2008, Australian Prime Minister Kevin Rudd apologized for the past policies towards Aboriginal people. His predecessor, the conservative Liberal Party leader John Howard, refused to do this. Now, this date is very important for Aboriginal people, even though it is just a formal apology without any promise of compensation. On the other hand, nothing can rectify the violation of the Indigenous inhabitants. Aboriginal people cannot forget the injustices as their rights were limited and they were forced to abandon their heritage and were forbidden to speak their language. They were not given full citizenship in Australia until 1967. Nowadays, Australia is said to be one of the so-called multicultural countries. Such a country should be tolerant to the immigrants and Indigenous inhabitants but the reality is different. Aboriginal people are still living on the margin of Australian society. The images of Aboriginal people are all around Australia in many different forms. Grenville says "It was true the blacks made no fields and built no houses worth the name, roaming around with no thought for the morrow. It was true that they did not even know enough to cover their nakedness, but sat with their bare arses on the dirt like dogs. In all these ways they were nothing but savages" (*The Secret River* 229).

References :-

1. Grenville, Kate. *The Secrete River*. Mellbourne: Text Publishing Company. 2005.
2. Narogin, Mudrooroo., *Wild cat falling*. Sydney and London: Augus and Robertson. 1965.

****

The Art Of Conversation

Dr. Manisha Sharma *

Introduction - Speech is perhaps man's greatest gift. Only man on earth, the art of audible sound is more fully developed .The more advanced society he moves, the richer language he speaks. Each of us speaks in many ways at different way at different times. Moreover ,our vocabulary, tone ,gestures and posture changes with different audiences and situation. We have one way of speaking to the man behind the grocery counter, another to our employer or employees. And still another when we entertain our good friends or relatives. **'THE ART OF GOOD CONVERSATION'** has become more valuable asset than ever before.

The art of conversation, like any art, is a skill of elegance, nuance and creation execution. As for example, the two beautiful words 'Good Morning' can relieve morning weariness, can brighten the office staff, can raise eyebrows or lower them. It is amazing what speaking just two words can do or undo, but you know by your own experience. The power of spoken words affect us.

How to develop this art of conversation in ourselves?

Locating The Problem - There can be several problems about learning good conversation. Begin by asking yourself these questions and you may lie in one of them.

1) Do you know how to start conversation in any company?
2) Do you know how to change the topic when the talk becomes too heated?
3) Do you have any difficulty in picking a topic for conversation?
4) Are you able to adjust yourself to persons and problems? Do you feel tongue-tied in their presence?
5) Are you able to adjust yourself to different attitudes in a conversation?
6) Do you have the tendency to mispronounce a word, forget names?

Most beginners have one fault or the other. Once the problem is located, it will be easy to find a solution in the following hints and suggestions.

What Not To Talk About - There is a wide range of topics to talk about but still some topics must be avoided. These are :

1) Discussing your personal life before strangers.
2) Talking about something which may bring shame to your family or friends.
3) Talking of books, movies or plays that they have not enjoyed.
4) To have only one topic for conversation is as bad as having none.
5) To keep reminding the company of your aches and pains will tend to break the gathering.
6) To keep chattering about the brilliance of your children also tiresome.

It is more difficult to avoid dangerous one than it will be easily possible to choose some of the vast topics.

Choosing A Topic For Conversation - Remember while choosing a topic, your own familiarity with it is not expected to be encyclopedic. If you know something about it, it will do. But should never choose a topic unknown to you or about which you know very little i.e. **"A little knowledge is a dangerous thing".**

Conversation is a form of communication; however it is usually more spontaneous and less formal. It enables other persons to compare their thought with yours. It provides double pleasure, the warmth of sharing similar beliefs and discovering differences. Therefore, one should not hesitate to express agreement only for fear of being thought unoriginal as well as disagreement for fear of being considered contrary. Your point of view or opinion is very important to be contributed.

Talking To Strangers - At large gathering, survey the several groups before one. Try to spot one whose members at least look as if they might have something in common. It is better to hold back a bit than to blunder. Pay attention to the remarks made by the best in introducing you to stranger. If the stranger had been out somewhere, ask questions about the places he visited, this will create interest in conversation with him.

Above all, with strangers, avoid the argumentative approach, the challenging statement. Avoid politics and religion.

Checking Your Attitude - Be interested in a conversation, in what is going on, what is being talked about, and what the other fellow is doing. Conversation withers if you are critical of the persons present or caustic about their contributions or show by your expressions that you do not think much of them. Remember, topics change and so do people and their moods. Tenacity is a quality we don't much admire in a conversation.

* Lecturer (English) Govt. Poly. College, Ashok Nagar (M.P.) INDIA

Some Don't In Conversation -

- Avoid sweeping generalization, e.g. All politicians are corrupt.
- An attitude of being superior to everything and everybody will soon leave you in splendid isolation.
- Don't be argumentative.
- Don't be lifeless in a conversation. The fellow expects to get some response from you to his witticism.
- Don't be insincere. Praise people but do not over praise them. Praise the right thing.
- Don't be egocentric.

Faults In Conversation - The major faults in conversation are, of course, talking on topics which are taboo or conversing with regard to the other fellow. These faults may be labeled as under.

Pet words – A common fault is to have pet words and to use them. Some people are in the habit of using words like **'cute', 'darling', 'fabulous', 'ghastly', 'queer'**.

Superfluous words and phrases: Some persons add **'naturally', 'actually', 'literally'** to most of their remarks. Others incessantly use **'to tell the truth'**, so to speak, **'you know'**, **'do you get the point'** etc. should be eliminated.

Slang: Slang is permissible in conversation. Even the college professor uses it, though he confines himself to old forms now considered acceptable.

Exaggeration: A good conversationalist successfully avoids embarrassment by avoiding exaggeration.

Conclusion - Hence, the art of good conversation, like any skill takes practice. Do not expect to be adept after your first few attempts. It will take practice as well as exposure to many different social situations. It does not merely mean to say **'please'** and **'thank you'**. It means a general attitude of consideration for others. It means to make-up before a performance. A good way to get practice before you venture out to an event is with family members and people with whom you are cozy.

Quick- Tips For The Art Of Conversation -

- Do not dominate conversation or make it all about you.
- Show interest and curiosity in others.
- Strive for a balance of give and take.
- Be an active by maintaining good eye contact.
- Train yourself to relax by using visualization.
- Don't interrupt and cut in with your own ideas before the other people.
- Maintain an open mind.
- Maintain a friendly attitude.

Hence, possessing the art of conversation improves personal, social and work relationships. It gives you the opportunity to meet interesting new people. Lastly, with practice and application anyone can improve their conversation skills. With these parameters young people develop into good speakers and orators who could be persuaded to take in full scale debaters for which a different kind of approach and equipment is required.

References :-

1. The Art Of Conversation by James Morris.
2. Book of English Conversation by R.P. Datson

****

A Comparision Of Positive Mental Health Between National Level Male And Female Basketball Players Of Chhattisgarh State

Sudhir Rajpal * Dilip Singh ** B. John ***

Abstract - The main aim of the present study is compare the positive mental health between male and female Basketballer of Chhattisgarh state .To conduct the study 40 male and 40 female Basketballer were selected as a sample . The sample for the present study was randomly selected and they are represent Chhattisgarh state team in various national level competition . To measure Positive Mental Health of the selected subjects three dimensional PMH (namely Self acceptance, Ego strength and Philosophy of life) Inventory prepared by Agashe and Helode (2007) was used it consist of 36 questions and the questionnaire is highly reliable and valid . To compare positive mental health Mean, Standard deviation and t test was used .

Keywords – Positive Mental Health, Socio cultural environment, Negative mental Health, Physical Health.

Introduction - Mental health has been accepted as an enduring state of psychological well being and/or state of sound mind in sound body that makes an individual useful for himself and effective for his fellow being within the framework of given socio-cultural environment of which he is a valuable member .

There are two models of mental health i.e. negative and positive are prevalling since long ago . While negative aspect deals with mental disorders, the positive approach deals with psychological well being .

WHO expert committee report 1951 emphasised the concept of positive mental health and said that " just has physical health means more than the absence of disturbing symptoms, Mental Health also have a positive aspect . Where physical health implies energy, stamina, and adequate strength or resources for the requirements of the work, Mental health indicates strength of purpose, co-ordination of effort, steady pursuit of well chosen goals and a high degree of mental organisation and integration . Hence the present study was planned to compare the Positive mental health between the male and female Basketballer .

Hypothesis - Significant differences will be observed between male and female Basketballers respect to their Positive mental health .

Methodology - To test the above mention hypothesis following procedure was adopted :

Sample - To conduct the study, 40 male and 40 female national level Basketballer were selected as sample .The sample for the present study was randomly selected .

Tools - To measure Positive Mental Health of the selected subjects three dimensional PMH (namely Self acceptance, Ego strength and Philosophy of life) Inventory prepared by Agashe and Helode (2007) was used it consist of 36 questions and the questionnaire is highly reliable and valid . For compare the positive mental health t test was used .

Result And Discussion - To asses the Positive Mental Health of national level male and female Basketball players of Chhattisgarh state, the means, standard deviations and t-ratio were computed for the collected data through inventory and data pertaining to this have been presented in Table 1 and 2. The level of significant was set at 0.05 level.

Table -1 - Descriptive Statistics Of Positive Mental Health Of Male And Female Basketball Players Of Chhattisgarh State (N = 80)

Sr.	VARIABLE	Male(N=36)		Female(N=36)	
		M	SD	M	SD
1.	Positive mental health (PMHI)	19.05	4.38	19.87	4.02

Table - 2 - Significance Of Differences Between Mean Scores Of Male And Female Basketball Players Of Chhattisgarh State (N = 80)

Sr.	PMHI	Sex	Mean	MD	DM	t Value
1.	Positve mental health	Male	19.05	.82	1.772	.463
		Female	19.87			

(Level of significance 0.05)

* H.O.D (Physical Education & NIS Basketball Coach) Dr. C. V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA
** Cricket Coach (BCCI level I) Sports & Youth Walefare, Bilaspur (C.G.) INDIA
*** Assistant Professor, Dr. C. V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

Result - T = presented in Table no. 02 indicate that there is significant difference in Positive Mental Health between male and female Basketballers male Basketballer (M = 19.05) female Basketballer (M = 19.87).

Cunclusion - On the basis of result, it was conclded that the significant difference in Positive Mental Health between male and Female Basketballer, it means hypothesis is accepted .

References :-

1. Agashe, C.D. Helode, R.D. Positive Mental Health Inventory, 2007, Psychoscan, Wardha.
2. Brossnahan, J. Steffen. L.M. Patterson, J. & Boostorm, A(2004). The relationship between physical activity and mental health among Hispanic white adolescents. Arch Pediator Adolesc-Mes 158(8) : 813-823.
3. Morris, J. (2004a). "One town for my body, another for my mind" : Services for people with physical impairments and mental health support needs. York; Joseph Rowntree Foundation.

****

Naveen Shodh Sansar
(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
RNI No.- MPHIN28519/12/1/2012-TC
ISSN 2320 - 8767, E -ISSN 2394 - 3793
Impact Factor - 0.715

COPYRIGHT AGREEMENT FORM:

(Photocopy of this form may be used)

For the submission of an research paper.

(mention Title of Manuscript): ----------

Name of Author :----------

Name of Co-Author ----------

I hereby declare, on behalf of myself and my co-authors (if any), that:

[1] I/we have taken due care that the scientific knowledge and all other statements contained in the research paper conform to true facts and authentic formulae and will not, if followed precisely, be detrimental to the user.

[2] No responsibility is assumed by **NAVEEN SHODH SANSAR** and the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR** , its staff or members or the editorial board for any injury and/or damage to persons or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products instruction, advertisements or ideas contained in a publication by **NAVEEN SHODH SANSAR** and by the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR.**

[3] I/we permit the adaptation, preparation of derivative works, oral presentation or distribution, along with the commercial application of the work.

[4] The research paper contains no such material that may be unlawful, defamatory, or which would, if published, in any way whatsoever, violate the terms and conditions as laid down in the agreement.

[5] The research paper submitted is an original work of mine/ours and has neither been published in any other peer-reviewed journal/ news paper/magazine/periodical/book nor is under consideration for publication by any of them. Also, the research paper does not contravene any existing copyright or any other third party rights.

[6] I am/we are the sole author(s) of the research paper and maintain the authority to enter into this agreement and the granting of rights to The Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR** ,Neemuch India and this does not infringe any clause of this agreement.

COPYRIGHT TRANSFER

Copyright to the above work (including without limitation, the right to publish the work in whole, or in part, in any and all forms) is here by transferred to **NAVEEN SHODH SANSAR**, Neemuch and to the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR**, Neemuch proprietary right other than copyright is proclaimed by **NAVEEN SHODH SANSAR** and the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR.**

Under the Following Conditions: Attribution :(i) The services of the original author must be acknowledged; (ii). In case of reuse or distribution, the agreement conditions must be clarified to the user of this work; (iii) Any of these conditions can be ignored on the consent of the author.

SIGN HERE FOR COPYRIGHT AGREEMENT & COPY RIGHT TRANSFER AGREEMENT :

I hereby certify that I am authorized to sign this document either in my own right or as an agent of my employer, and have made no changes to the current valid document supplied by **NAVEEN SHODH SANSAR** and the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR.**

Write Authors Name and Designation :----------

Signature:----------Date:----------Place:----------

Write Co-Authors Name and Designation :----------

Signature:----------Date:----------Place:----------

My/Our above name research paper is originally written by me/us and all information are true. I/we will fully responsible for this research paper.

Name: ----------

College/ University :----------Subject:----------

Signature:----------Date:----------Place:----------

Naveen Shodh Sansar
(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

RNI No.- MPHIN28519/12/1/2012-TC
ISSN 2320 - 8767, E -ISSN 2394 - 3793
Impact Factor - 0.715

MEMBERSHIP CUM AUTHOR'S BIO-DATA FORM

(Photocopy of this form may be used)

Name (Author / Member) : Mr/Mrs/Ms/Prof/Dr : .....

Name of Co-Author(s) : .....

Designation : ..... Subject : .....

Name of College/University/Institution : .....

Home / Official Address : .....

.....

State : .....Pin : ..... Country : .....

Tel. No. (Res. /Office) : .....Mobile : .....

E-mail Address : .....

Sign......

1. MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper.
   * Institutions Rs. 1,250/- per annum (without publication of paper)
   * Membership for Author Rs. 750/- for 1 Year.
   * Membership for Co-Author Rs. 750/- for 1 Year.
   * Publication of paper each after membership Rs. 850/- (2000 Words)
2. For Remittances can pay printing amount through DD/Cheque in favor of **'NAVEEN SHODH SANSAR'** payable at Neemuch (M.P) and send it by Registered Post. Fill information regarding Demand Draft.

   D.D. No. : .....Amount ..... Name of Bank .....Date : .....

   OR

   You can cash deposit / Online fund transfer on **NAVEEN SHODH SANSAR** Current A/c.

Bank Detail :-
NAVEEN SHODH SANSAR
Current A/c. no.:- 32768184328
Bank Name :- State Bank Of India
Branch :- Neemuch (M.P)
IFSC code:- SBIN0030055

Editor - Ashish Sharma
Add:- "Shri Shyam Bhawan"
795, Vikas Nagar Extension 14/2, Neemuch
(M.P) - 458441 Mob:- 09617239102
Email ID :- nssresearchjournal@gmail.com
Website :- www.nssresearchjournal.com

Note- Copyright form & Author's Guide line are availble on our web-site
{All disputes are subject to exclusive jurisdiction of NEEMUCH Court Only (M.P.)}

शोध पत्र तैयार की विधि
Method of Preparing of Research Paper

1. शीर्षक – Title
2. शोध सारांश – Abstract
3. शब्द कुंजी – Key words
4. प्रस्तावना – Introduction
5. उद्देश्य – Object
6. शोध परिकल्पना – Research Hypothesis
7. शोध प्रविधि एवं क्षेत्र – Research Methods & Area
8. शोध उपकरण – Research Tools
9. सांख्यिकी तकनीक – Statistics Technics
10. शोध व्याख्या – Description
11. निष्कर्ष – Conclusion
12. सुझाव – Suggestion
13. संदर्भ ग्रंथ सूची – References
    - a. अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक – Kotler, Philip : Marketing Management, 2007 P. 196
    - b. राष्ट्रीय पुस्तक – कुमार, वि. : जनांकिकीय 2006, पृष्ठ 42
    - c. अन्तर्राष्ट्रीय शोध जर्नल – नवीन शोध संसार, ISSN 2320-8767 जुलाई से सितम्बर 2014, पृष्ठ क्र. 81
    - d. राष्ट्रीय शोध जर्नल – नवीन शोध संसार, ISSN 2320-8767 जुलाई से सितम्बर 2013, पृष्ठ क्र. 222
    - e. अप्रकाशित शोध ग्रंथ – शर्मा लक्ष्मीनारायण : मन्दसौर जिले का जनांकिकीय अध्ययन1971 से 1991 अप्रकाशित पीएच.डी. शोध प्रबन्ध विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 1995, पृष्ठ क्र.132
    - f. पत्रिकाऐं – रचना, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल फरवरी 2014 पृ. क्र.84
    - g. समाचार पत्र – दैनिक भास्कर, रतलाम संस्करण, 5 सित. 2014, पृ. क्र. 6
    - h. वेबसाईट – www.nssresearchjournal.com
    - i. अन्य – व्यक्तिगत सर्वे एवं विभागों से प्राप्त जानकारियां
14. शब्द सीमा – Word Limit - 2000
15. व्यक्तिगत जानकारी – नाम,
    पद,
    महाविद्यालय का नाम,
    निवास का पता,
    मोबाइल नं. व
    ईमेल एड्रेस आदि ।